(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक :-11 आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का नवां दिवस संख्या : 7

शुक्रवार,

दिनांक 7 जुलाई, 1989

राजस्थान विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00-बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

मस्तिष्क ज्वर

142. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 2 वर्ष में राज्य के किस-किस जिले में किस-किस प्रकार का मस्तिष्क ज्वर किस-किस क्षेत्र में हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उसका उपचार कहां, कब, कैसे उपलब्ध कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि यह छूत का रोग है ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा संभाग में विशेष रूप से झालावाड़ जिले में इस रोग का प्रकोप निरन्तर व स्थायी रूप से बढ़ता जा रहा है ?

(4) विगत दो वर्षों में झालावाड़ जिले में मस्तिष्क ज्वर के कितने मरीज पंजीकृत हुए तथा कितने मरीज मौत को प्राप्त हो गये ? मृतकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम हेतु उक्त जिले में अब तक क्या कारगर प्रयास किये गये ? क्या इस पर पूर्ण नियन्त्रण किया जाना सम्भव है ? यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री माधवसिंह दीवान) : (1) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में विभिन्न जिलों के क्षेत्रों में मैगनि-गोकोकल (मैनिनजाइटिस) (मस्तिष्क ज्वर) के रोगी हुए जिनकी जिलावार सूची सलग्न हैं। उपरोक्त रोगियों का उपचार संबंधित चिकित्सालयों में रोगी के भर्ती होते ही चिकित्सकों द्वारा तत्काल किया गया।

(2) जी हां, इसकी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा निम्न व्यवस्थायें की गई :-

(I) राज्य सरकार ने ग्रामीण स्तर से राज्य स्तर तक बीमारों का पता लगाने हेतु विशेष निगरानी व्यवस्था की हुई है।

(II) रोगियों के उपचार हेतु चिकि-त्सालयों में अलग से वार्डों की स्थापना की गई है।

(III) रोगी के निकटतम एवं सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को कीमोप्रोफिले-सिकस उपचार की व्यवस्था, सम्बन्धित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष सर्वे की व्यवस्था, हाइरिस्क ग्रुप में चिकित्सा

(श्री माधवसिंह दीवान)

संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये मैंगनिगोकोकल टीके की व्यवस्था की गई है।

(IV) जन साधारण को इस रोग के लक्षण एवं बचाव की जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों, पैम्फलेट्स, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी व सिनेमा घरों में भी स्लाइड्स दिखाकर स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों का भी सहयोग लेकर सुदृढ़ निगरानी की व्यवस्था की गई है। समय-समय पर जिला स्तरीय सम्भागीय स्तरीय, राज्यों के विभिन्न मेडिकल कालेजों के विशेषज्ञों के दल, राज्य स्तरीय एपीडेमिक यूनिट, राष्ट्रीय रोग संचारी संस्थान के विशेषज्ञ दलों द्वारा सर्वे जांच एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों एवं सलाहों के अनुसार कार्यवाही की गई।

(V) अन्य राज्यों के समीपवर्ती गांवों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि उपचार हेतु राजस्थान के जिलों में भर्ती हुए हैं, उनकी सूचना एवं बीमारी की रोकथाम हेतु सम्बन्धित राज्य के स्वास्थ्य विभाग को क्रास-नोटिफिकेशन किये गये हैं।

(VI) समय-समय पर इसके रोकथाम उपायों की समीक्षा की जाती रही है।

(3) जी हां, कुछ हद तक।

(4) झालावाड़ जिले में विगत दो वर्षों में मस्तिष्क ज्वर के पंजीकृत रोगी निम्न प्रकार रहे हैं :–

वर्ष	कुल रोगी	कुल मृत्यु
1987	10	1
1988	175	26
1989	315	42

मृतकों की सूची संलग्न है।

(5) झालावाड़ जिले में मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम हेतु निम्न कार्य किये जा रहे हैं :-

(I) मस्तिष्क ज्वर स्वास्थ्य शिक्षा का सघन अभियान चलाया जाकर समस्त जनता को इस बीमारी से बचने की जानकारी करवाई गई। इस अभियान में :–

(क) 18000 हैण्ड बिल्स छपवाकर जनता में वितरित किये गये।

(ख) क्षेत्र के समस्त 6 सिनेमा घरों में मस्तिष्क ज्वर से कैसे बचा जा सकता है, सिनेमा स्लाइड्स बनवाकर दिखाई जा रही है।

(ग) सम्पूर्ण जिले में माइक द्वारा जनसाधारण को क्षेत्रीय भाषा में बीमारी के लक्षण, बचने के उपाय और बीमार होने पर तुरन्त चिकित्सा की सलाह दी गई है।

(घ) स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में इस रोग की सम्पूर्ण जानकारी तथा बचने के उपायों का सरल भाषा में समझाने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का प्रकाशन करवाया गया है।

(च) बीमारी की जानकारी व बचाव हेतु प्रेस नोट समय-समय पर जारी किये गये हैं।

(श्री माधवसिंह दीवान)

(छ) रोगी के परिवार के सदस्यों का तुरन्त फालो-अप करवाकर बचाव के लिये कीमोप्रोफिलेक्सिस वितरण करवाई जा रही है।

(ज) मस्तिष्क ज्वर के टीके लगाये गये हैं।

(झ) क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं को सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु पत्र लिखे गये हैं।

(ट) अन्तर्राज्य में रोकथाम हेतु तुरन्त क्रास-नोटिफिकेशन करवाया जाकर फालो-अप तुरन्त करवाने की अपील की गई है।

(ठ) क्षेत्र के समस्त जल स्रोतों का शुद्धिकरण पाक्षिक करवाया जा रहा है तथा जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता को जल शुद्धिकरण हेतु सुझाव दिया गया है। रोकथाम के अन्तर्गत मध्यप्रदेश, राजस्थान, अन्तर्राज्यों के चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सा विभाग के निदेशकों जिला अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है।

(II) रोग हो जाने पर तुरन्त चिकित्सा हेतु क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं में मस्तिष्क ज्वर की चिकित्सा हेतु औषधियां उपलब्ध कराकर चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये गये हैं ताकि रोगी की तुरन्त चिकित्सा कर रोगी को मृत्यु से बचाया जा सके।

यह रोग सक्रामक रोग होने के कारण पूर्ण नियन्त्रण सम्भव नहीं है, लेकिन रोगी के रोगग्रस्त होते ही तुरन्त उपचार, निकटतम सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का कीमोप्रोफिलेक्सिस उपचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, विशेष निगरानी व्यवस्था आदि द्वारा रोगों पर नियन्त्रण किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह तो मंजूर किया है और करीब 35 पेज का एक पुलिन्दा देकर बताया है कि बीमारी बहुत भारी मैग्नीट्यूड में पिछले दो वर्षों में खास तौर से हालांकि आपने 1987 के भी आंकड़े दिये हैं, भारी मात्रा में फैली हुई है और इसके मैग्नीट्यूड आपने यह भी बताये हैं, फीगर्स भी आपके बताते हैं कि झालावाड़ में बढ़ोतरी पर है। अब मैं यह पूछना चाहती हूं, और यह भी चेलैंज करना चाहती हूं कि आपके यह फीगर्स भी चेलेंजेबल हैं क्योंकि मैं यह जानना चाहती हूं कि रोगियों की सूचना प्राप्त करने का, इतने रोगी हैं इसके फीगर्स कलेक्ट करने का क्या मोडस आपरेन्डी है, क्या तरीका है?

दूसरा मैं यह भी जानना चाहती हूं इन फीगर्स को, बढ़ती हुई फीगर्स को देख कर क्या आपने अभी तक चिन्ता नहीं की कि झालावाड़ में यह बीमारी ऐसे पैर फैलाकर क्यों बैठी है और इसको दूर किया जाना जरूरी है। यदि आपने चिन्ता की है, इसके लिये विशेष या प्रयास किये, क्योंकि यह सिर्फ थ्योरिटिकल प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं कि आपने आदेश कर दिये कि जहां कहीं नार्म्स बने हुए हैं वह नार्म्स आपने हमें सप्लाई कर दिये, यह पर्याप्त नहीं है। यदि आपने प्रयास किये हैं तो उसका नतीजा ऐसा क्यों है कि बीमारी बढ़ती जा रही है।

(ч)

(श्रीमती विद्या पाठक)

मैंने यह भी पूछा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि किस-किस प्रकार की मेनिन जाइटिस हुई और आपने सिर्फ एक प्रकार की मेनिन जाइटिस का कहा है दूसरे प्रकार का यह भी नहीं कहा है कि इस प्रकार की नहीं हुई। फिर मैंने यह पूछा कि यह एक छूत का रोग है क्या ? फिर मैं यह जानना चाहती हूं कि अगर यह छूत का रोग आप मानते हो तो फिर क्या यह नोटिफाइबिल बीमारी होने के कारण आपने इसको एम्पली नोटिफाई किया है। यदि एम्पली नोटिफाई किया है और विज्ञापित किया है तब फिर यह बीमारी क्यों बढ़ी ? क्या आपने इसकी एजूकेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की और उससे भी बड़ी बात प्रोफेलेटिक आपने कोई इन्तजाम नहीं किया। आपने सिर्फ लोगों को बता दिया बीमारी फैल रही है, वह भी अगर बताया होगा तो हम तक भी जानकारी नहीं है। मुझे यह जानकारी है कि आज भी जयपुर में मेनिन जाइटिस, जाइंडिस, टाइफाइड एपीडेमिक के रूप में फेल रही है। आपके अधिकारियों के पास आंकड़े ही नहीं होंगे, हॉस्पिटल आॅथोरिटीज ही कलेक्ट नहीं करती, यह सर्वे तो कभी अपना करते ही नहीं अपने रिकार्ड्स का। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इस प्रोफेलिटिक की आपने क्या व्यवस्था की है ? आप अ इडेण्टिफाई नहीं कर पाओगे तो प्रोफेलिटिक कैसे करोगे ? सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है, आपने शुद्ध पेयजल के लिये पी. एच. ई. डी. को लिखा ? नगर की सफाई के लिए क्या आपने नगर परिषद् को लिखा ? क्या आपने एनश्योर किया कि जो आपके आदेश दिये हुए हैं उन सब की पालना हो गयी ? मैं एक प्रश्न और पूछूंगी, यह दो प्रश्न हो गये। आप नोट फर्मा लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता बहुत हैं, माननीय विद्याजी।

श्रीमती विद्या पाठक : मगर मैं प्रश्नकर्ता हूं, मैंने पांच प्रश्न दिये हैं। मगर एक-एक सैक्शन का एक-एक प्रश्न भी हो तो भी चार-पांच तो हो जायेंगे। मन्त्री जी नर्वस होने वाले नहीं हैं वह बहुत शार्प मन्त्री हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : मैं तो रात 12 बजे तक जवाब देने के लिये तैयार हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : हां, आप यह नोट कर लीजिए।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इतनी मौतें जो हुई, जो बढ़ती जा रही हैं क्या आपने इनके कारणों की कोई जानकारी की, क्योंकि मौतें होना, उसको रजिस्टर करना, पब्लिसाइज करना....

श्री अध्यक्ष : माननीय विद्याजी, तीन तो प्रश्नकर्ता ही हैं और दस मिनट हो गये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आई एम सो सारी, प्रश्न ही इतने प्राइम इम्पार्टेन्स का है, जन-जीवन से जुड़ा हुआ है। आप मुझे प्रश्न पूछने दें।

श्री अध्यक्ष : You are three but I have limited time.

श्रीमती विद्या पाठक : क्या यह सही है, मन्त्री महोदय, कि आपने मौतों के कारणों के लिए कोई कमेटी नहीं बैठायी ? आपने यह भी जानने की कोशिश नहीं की

(श्रीमती विद्या पाठक)

कि मरने का कारण क्या है ? मरीज का देर से आना है या डाइग्नोसिस का नहीं होना है. देर से होना है ? या बीमारी के जीवाणु से जनजीवन इतना रेसिस्टेण्ट हो चुका है कि बीमारी उन पर काबू पा रही है ? डाक्टरों की लापरवाही है या गलत डाइग्नोसिस, गलत ट्रीटमेण्ट है ? कैसे मरीज मरे, इसकी जब तक आप जानकारी नहीं करोगे आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। मेरी जानकारी में है कि आपके इनमें से किसी भी सेण्टर पर एग्लुटिनेशन किट, जो होने चाहिए, जो डब्ल्यू. एच. ओ. से भी मिलते हैं, सब जगह नहीं है, बहुत इफैक्टेड एरिया झालावाड़ में भी समुचित जगह नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशीजी, देखिये, बहुत लम्बा है, रिपीट मत करना। विद्याजी ने बहुत इलेबोरेट कय दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मेग्निगोकोकल वेक्सीन आज की तारीख में झालावाड़ में उपलब्ध है ? मेग्निगोकोकल वेक्सीन भारत में नहीं बनता, विदेशों से आयात किया जाता है। आपने पिछले तीन साल में यह कब-कब आयात किया और झालावाड़ और झालावाड़ के अलावा किन-किन शहरों में कितनी-कितनी तादाद में यह वेक्सीन पहुंचाया और उस पर कुल कितना व्यय हुआ, पहला प्रश्न। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि यह बीमारी मेग्निगोकोकल जीवाणु के कारण तो होती ही है लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी यह बीमारी फैलती है। झालावाड़ जिले में आपने टी. बी. की बीमारी के सम्बन्ध में भी कोई समुचित व्यवस्था करवायी ? झालावाड़ प्रापर में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारे थे तो मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था कि झालावाड़ जैसे नगर में आज की तारीख में अनफिल्टर्ड वाटर सप्लाई किया जा रहा है। क्या यह सही है ? जब कि तीन महीने में 42 लोग मर गये। 1987 में आप जो बता रहे हैं कि एक मरा, यह गलत है। वहां करीब 70 से 75 तक व्यक्ति मरे हैं 1987 में, 175 से 350 तक मरे 1988 में और 1989 के जून तक, आप जो बता रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह जो फिगर आपने दिये हैं गलत दिये हैं। दूसरा मैंने पूछा था कोटा सम्भाग सहित, आपने जो सूची दी है उस सूची को पढ़ने के बाद क्या आप बतायेंगे कि कोटा का कहीं नाम है ? कोटा झालावाड़ से लगा हुआ जिला है, कोटा में भी इसके जीवाणु फैले हुए हैं बड़ी तादाद के अन्दर और कोटा जिले में भी मरे हैं लोग लेकिन आपने जानते-बूझते तथ्यों को छिपाने की कोशिश की है। चौथा मेरा प्रश्न है कि आज हम बड़े प्रगतिशील हैं। राजीवजी कहते नहीं अघाते....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : हम कोलेरा के लिए टाइफाइड का टीका लगाते हैं, हम बहुत प्रगतिशील हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह कहते नहीं अघाते कि हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। लेकिन इसकी रोकथाम आपके लिए

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सम्भव नहीं है तो क्या आप झालावाड़ जिले के लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ने जा रहे हैं कि मरो ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इन तीनों प्रश्नों के आप जवाब दें और आपके इन सारे प्रयत्नों के बावजूद इस रोग की बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसका स्पष्ट जवाब दें ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बीमारों की और मौतों की संख्या दी है यह सही नहीं है । अकेले इस साल झालावाड़ जिले में करीब 600 व्यक्ति पंजीकृत हुए, बीमार हुए हैं और करीब 150 व्यक्ति, जिनमें से 125 के नाम मेरे पास हैं मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह जो आप कह रहे हैं, मुझे देना आप ।

श्री हीरालाल आर्य : आपने जो आंकड़े दिये हैं यह सही नहीं हैं । आपने रोकथाम के जो कारण बताये, जो उत्तर दिया उससे ऐसा लगता है कि आपने जैसे वहां पर बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी हो । अध्यक्ष महोदय, सही यह है कि वहां पर कोई किसी प्रकार की समुचित व्यवस्था नहीं है । आपने जो केन्द्र खोले हैं क्या वह पर्याप्त हैं ? क्या उन केन्द्रों में दवाओं की और जांच की समुचित व्यवस्था है ? जांच की और दवाइयों की समुचित व्यवस्था नहीं है । आपने कहा कि इसका नियन्त्रण करने के लिए हम उपाय कर रहे हैं, बड़ा सघन अभियान चला रहे हैं लेकिन आपके अपने आंकड़ों से सिद्ध है कि सरकार इस बीमारी की रोकथाम करने में विफल रही है । बीमारियों के यह आंकड़े दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं, मृत लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है । तीसरा मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, कि बीमार होकर अस्पताल आये लोगों को दवायें नहीं मिलती हैं । वहां गरीब लोग आते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इस बीमारी में एक व्यक्ति को कितने दिन तक दवा लेनी पड़ती है और इस पर कितना रुपया खर्च होता है ? पांच सौ रुपए तक एक व्यक्ति के इलाज पर खर्च होते हैं । गरीब आदमी दे नहीं सकता और आपके केन्द्रों पर न जांच की व्यवस्था है और न ही वहां पर कोई दवाइयां उपलब्ध हैं । आप कहते हैं कि इतना सघन अभियान चला रखा है । क्या यह सही है कि मेरे जो आरोप हैं वह सत्य हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वाला प्रसाद ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (झालरापाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य रक्षा राज्य का प्राथमिक दायित्व है । 1987, 1988 और 1989 में मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित भर्ती हुए और मरने वालों की संख्या जो माननीय मंत्रीजी ने यहां पर दी है उसके अनुसार 1987 में 10 भर्ती हुए, एक की मृत्यु हुई । 1988 में 175 भर्ती हुए, 20 की मृत्यु हुई और 1989 में 315 भर्ती हुए, 42 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर लें ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि यह केवल झालावाड़ जिला

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

मुख्यालय के चिकित्सालय में भर्ती हुए मरीजों की संख्या है, वहां जो मरे हैं उन लोगों की संख्या है। झालावाड़ जिले में अगर समवेत रूप से आंकड़े इकट्ठे किये जायं तो मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से भर्ती हुए, जिस प्रकार से रोग फैला है वह काफी चिन्ता का विषय रहा है हमारे झालावाड़ जिले के अन्दर। गत विधानसभा सत्र में भी इस प्रश्न को उठाया गया था। माननीय, अध्यक्ष महोदय, हमारा जिला मध्य प्रदेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से लोगबाग हमारे जिले के अन्दर आते हैं, उनके द्वारा ही यह बीमारी हमारे जिले के अन्दर फैली है। दूसरा, जो कोटा का क्षेत्र है वह खनिज प्रधान क्षेत्र है। रामगंजमण्डी क्षेत्र से भी हमारे जिला चिकित्सालय पर काफी मरीजों की संख्या भर्ती हुई है। जहां तक मरीजों का सवाल है, जो मरीज उपयुक्त समय पर आ गये उनकी चिकित्सा व्यवस्था की गयी है और उनका उपचार भी हुआ है लेकिन लोगों के अन्दर जो चेतना होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान आज तक भी जिले के अन्दर नहीं हुआ है। उस कारण यह लगातार चिन्ता का विषय बन रहा है और 1987 से 1989 तक लगातार भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। यह कहीं एपीडेमिक फार्म नहीं ले ले।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : दो मिनट ही। मैं क्षेत्र का ही विधायक हूं, क्षेत्र का ही सम्बन्ध है इसलिए इस बारे में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे जिले झालावाड़ के अन्दर चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति यह है कि हमारे वहां पर श्रीवास्तव कार्यरत है सी एम. एच. ओ., जिनकी पर्सनल फाइल में रिमार्क लगा हुआ है। जो चिन्ताजनक व्यवस्था हो रही है उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो डिसक्वालिफाइड लोग हैं, जिनकी सी. आर. में यह लिखा हुआ है कि उसको कभी जिला मुख्य चिकित्साधिकारी नहीं बनाया जाय, ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों जिला चिकित्साधिकारी बना दिया गया है। इस कारण जो कण्ट्रोल होना चाहिए, जो जनचेतना होनी चाहिए उस चेतना का अभाव है। इस प्रकार के निष्क्रिय और निकम्मे लोगों को वहां से तुरन्त हटाया जाना चाहिए, उनको निलम्बित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कैसे बोल रहे हैं ? यानी जिनकी समस्या है उनको आप बोलने नहीं देना चाहते हैं, जिनकी समस्या है उनको आप हल नहीं करने देना चाहते हैं.... (व्यवधान) यह गलत बात है। कल आपको कोई इन्टरफियर करेंगे तो आप क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं आज हमारे जिले के अन्दर जो प्राइवेट चिकित्सक हैं या दूसरे जो सरकारी चिकित्सक हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा धन्धा हमारे जिले के अन्दर बना लिया टीके के नाम पर, वह आज लोगों को, हमारे जिले की जनता को लूट रहे हैं। टीके के नाम पर डिस्टिल वाटर का इन्जेक्शन हमारे

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

जिले के अन्दर लगाये जा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसके बारे में समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

एक निवेदन मेरा यह है कि हमारे यहां के पी. एच. ई. डी. में एक्स. ई. एन. हैं उनको इस बात की चिन्ता है कि प्रधान मंत्री के यहां इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों की जाती है, उनको इस बात की चिन्ता है कि मुख्य मंत्री और दूसरे नेता हमारे जिले में दौरा करने क्यों आते हैं? उनको इस बात की चिन्ता नहीं है कि झालावाड़ जिले के अन्दर शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराया जाय?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसे निकम्मे जो लोग हैं उनके खिलाफ रूल्स के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाय और जन चेतना का वहां प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान, आप बैठेंगे। जिनकी समस्या है मैं उनको ले रहा हूं। .... आप बैठिये मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है यह समस्या पूरे राजस्थान में है....यह गलत है जिनका प्रश्न आता है उनको आप हल नहीं करने देना चाहती है। माननीय मंत्रीजी।

श्री माधवसिंह दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूं। बीमारी और मौतों के जो आंकड़े दिये हैं उससे ऐसा लगता है कि यह संख्या बढ़ती जा रही है, परन्तु असल में बात यह है कि पहले तो इस बीमारी के बारे में ग्रामीण इलाके में लोगों को मालूम ही नहीं था कि असल में यह बीमारी क्या है? इसका प्रचार होने के बाद में जो भी बीमार पड़ते हैं वह अपने आपको अस्पताल पहुंचाते हैं और अस्पतालों से बीमारों को तुरन्त फ्री ट्रीटमेण्ट दिया जाय, इसकी पूरी व्यवस्था की हुई है कि मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होने पर उसको सारी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवायी जायं। अब उसमें समस्या इतनी है कि वह कौनसी....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, या तो यह सुन लें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। No body is allowed. कृपया बोलें।

श्री माधवसिंह दीवान : मैं उत्तर दे रहा हूं एक साथ सारे उत्तर दे नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : आप बोलते जायं। डोंट वरी फोर अदर्स। (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : यह व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से की हुई है। अब वह कौनसी स्टेज पर पहुंचता है। अगर वह तुरन्त मस्तिष्क ज्वर हुआ और हास्पिटल आ जाता है तो डाक्टर डायग्नोसिस करते ही उसका उपचार शुरू कर देता है। कभी-कभी वह जब 5-7 दिन उसका घर पर इलाज नहीं होता है और वह बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचता है तब उसका इलाज शुरू होता है, ऐसी स्टेज पर आ जाता है जबकि मार्टेलिटी रेट काफी बढ़ जाती है। जहां तक दवाइयों का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सुनिश्चित व्यवस्था की हुई है इसके एपीडेमिक स्तर पर कोई पहुंच नहीं पाये । जहां तक माननीय सदस्यों ने कहीं कमजोरी बतायी है मैं सदन को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही इस सदन का सत्र समाप्त होगा मैं खुद वहां झालावाड़ जाकर सभी विधायकों और प्रधानों की मीटिंग करके और जैसी व्यवस्था वह चाहते हैं उसकी समुचित व्यवस्था करने की कार्यवाही करूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री हरीशचन्द पल्लीवाल । (व्यवधान) नोट नहीं करेंगे ।

श्री बिरदमल सिंघवी : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठिये, 27 जिले हैं, बैठिये आप । मैं अलाउ नहीं करूंगा । माननीय मन्त्री जी ।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, हालांकि सवाल सिर्फ झालावाड़ जिले से सम्बन्धित था परन्तु फिर भी जैसा माननीय दाऊदयाल जी ने कहा....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं उसको पूरा कीजिये पहले झालावाड़ जिले को, नो, नो प्लीज । नोट नहीं करेंगे । (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : सूची पूरी उपलब्ध है । (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : पुष्पा जी बैठें, जिले और भी हैं, दे देंगे । (व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी : × × ×

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पढ़िये, इसमें पूरे राज्य के लिये है ।

श्री अध्यक्ष : वह है लेकिन मेनली उसका आया है । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेनली क्या होता है, पूरे राज्य का है ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप ।

सुश्री पुष्पा जैन : सही तथ्यों को आप से छिपाया गया है जान-बूझकर मन्त्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय पुष्पाजी बैठेंगी । आप इनको पूरा जवाब तो देने दें ।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, जो भी सूची मांगी है झालावाड़ जिले की, सूची इसके साथ उपलब्ध करवायी गयी है....

सुश्री पुष्पा जैन : पूरे राज्य की नहीं मांगी ?

श्री माधवसिंह दीवान : हां, पूरे राज्य की दी है ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(10)

सुश्री पुष्पा जैन : तो आप कैसे कह सकते हैं कि खाली झालावाड़ जिले का ही है।

श्री अध्यक्ष : आप तो इसका जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, इस तरह तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। आप जवाब दीजिये। और जगह की क्या हालत है ? (व्यवधान) आप जवाब पूरा होने दीजिये। आ रहा है। I am putting the question myself, और जगह की क्या पोजीशन है ? (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जोधपुर की भी दी गई है, पूरे राजस्थान की दी गयी है, सूची झालावाड़ जिले की ही मांगी थी और आप कृपया प्रश्न पढ़ने का कष्ट करें। जो प्रश्न था उसका स्पेसिफिक सारा का सारा जवाब दिया गया है। कोटा जिले के माननीय दाऊदयाल जोशी जी ने जो कहा था, कोटा जिले में 1987 में कोई रोगी नहीं था और न मृत्यु हुई, 1988 में 13 रोगी भर्ती हुए और 4 की मृत्यु हुई और वर्ष 1989 में 68 रोगी भर्ती हुए और 8 की मृत्यु हुई। आप जो बता रहे हैं कि भयंकर रूप से है, जरूर वह पड़ोस का जिला है वहां उसका असर होता है। वैसे परिस्थिति झालावाड़ जिले की यह है कि मध्य प्रदेश... (व्यवधान) या तो आप सुन लें या बोल लें।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, विशेष परिस्थिति यह है कि झालावाड़ जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, वहां के व्यक्ति रोगी होने पर झालावाड़ अस्पताल में आते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलें, माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

नैक्स्ट। श्री मूलचन्द मीणा।(व्यवधान) किसी का नोट नहीं करेंगे।

श्री बिरदमल सिंघवी : ×××

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे किसी का, किसी का नोट नहीं करेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री माणक डाणी : ×××

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे किसी का।

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : This question has taken half an hour.

श्री हरजीराम बुरडक : ×××

गंगापुर सिटी बाइपास

143. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी बाईपास की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इस पर कार्य करवाया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि बाईपास नहीं होने के कारण रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि मुख्य मन्त्री जी ने अपने गंगापुर–करौली के दौरे के समय उच्चाधिकारियों को आदेश दिये थे कि बाईपास का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवा दिया जावे ? यदि हां, तो अब तक कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ करवाया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बी. डी. कल्ला) : (1) गंगापुर बाईपास की निर्माण योजना 1987–88 से विचाराधीन है। कार्य की स्वीकृति अकाल राहत में सहायता विभाग के पत्रांक एफ-2/33/11/87-88/भाग/62846–913 दिनांक 27-11-87 द्वारा जारी की गई थी। सड़क की स्वीकृत लम्बाई 7 कि मी. एवं स्वीकृत राशि 16.00 लाख रुपये थी। इसके अन्तर्गत सड़क की मिट्टी का कार्य किया गया।

(2) जी हां।

(3) रास्ते सकड़े होने के कारण कभी कभी यातायात में कठिनाई अवश्य आती है। यातायात अधिक होने की स्थिति में दुर्घटना होने का खतरा सम्भव है परन्तु एक्सीडेन्ट हुआ हो ऐसी जानकारी नहीं है।

(4) माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा उक्त कार्य के तहत प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में बनाने के निर्देश दिये गये थे। कार्य के प्रस्ताव तैयार कर लिए गये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बन्द हो जाने से कार्य की स्वीकृति नहीं दी जा सकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने आधा घण्टा दे दिया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। (व्यवधान)

श्री बी. डी. कल्ला : ऐसा है, चेयर के ऊपर कोई एस्पर्शन नहीं।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमका थाना) : अध्यक्ष महोदय, 8 जनवरी, 1989 को जब राजस्थान के मुख्य मन्त्री गंगापुर सिटी गये तब उन्होंने घोषणा की थी कि यह गंगापुर सिटी का बाईपास बना दिया जायेगा। लेकिन अब तक मन्त्री जी ने जो जवाब दिया। मैं यह समझता हूं कि राज्य सरकार की यह मंशा नहीं है कि यह बाई-पास बने। अकाल राहत के अन्दर नवम्बर, 87 में 16 लाख रुपये की मंजूरी हुई थी जिसमें से उस सड़क के ऊपर 20 हजार रुपये का कुल कार्य हुआ था। 16 लाख में

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(12)

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

से 20 हजार का कार्य 8 महीने में हुआ था। इससे यह अंदेशा लगता है कि मन्त्री जी यह घोषणा करें इस बात की कि यह बाईपास इतने दिनों में, साल में, 6 महीनों में, 2 महीनों में बन जायेगा। इस बात की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री माणक डाणी : आपने इसकी 16 लाख रुपये की जो लागत है तो क्या कोई चरणबद्ध कार्यक्रम बना लिया कि इस साल हम इतना पैसा खर्च करेंगे, अगले साल इतना पैसा खर्च करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय डाणी जी बैठें।

श्री माणक डाणी : कोई पंचवर्षीय योजना बनाने की हो, कोई श्री वर्षीय योजना बनाने की हो तब वे आंकड़े दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय डाणी जो, बैठिये।

श्री माणक डाणी : यह बात सही है कि इस सड़क पर बाईपास नहीं बन सकता लेकिन कुछ चरणों में प्रोग्राम हो तो वह आप डिक्लेयर कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय डाणी जी, कृपया बैठें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत यह जानकारी करना चाहता हूं कि (व्यवधान) घनी आबादी वाले जितने भी शहर हैं। यह जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क है जो लम्बे रूट पर जाती है। क्या ऐसे शहरों में रोज दुर्घटनायें होती हैं। क्या उनका कोई सर्वे करवाया है जिससे.... (व्यवधान)

श्री बी. डी. कल्ला : अलग प्रश्न है।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : ऐसे सर्वे कराने का सार्वजनिक निर्माण विभाग इरादा रखती है क्या ? (व्यवधान)

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 13-11-87 को सात किलोमीटर रोड में 16 लाख रुपये की लागत की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उस पर दो सौ मीटर की लम्बाई में 9,405 रुपये खर्च किये गये। अभी 8 और 9 जनवरी को जब माननीय मुख्य मन्त्री ने वहां का दौरा किया था तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत इस रोड को बनाने के लिए उन्होंने स्थानीय जनता को कहा था और उसके अनुसार विभाग ने उस योजना को बना लिया 20 लाख रुपये की लागत से....

श्री फूलचन्द गुर्जर : उन्होंने कहा था कि यह बाईपास बन जायेगी और किसी भी योजना में बने। यह बाईपास बनना चाहिए।

श्री बी. डी. कल्ला : मैं कह रहा हूं विभाग को निर्देश दिया था। हमारे पास लिखित में आया हुआ है कि 20 लाख 30 हजार रुपये की लागत से उसकी तैयारी कर ली गयी थी लेकिन यकायक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को अप्रेल, 1989 में बन्द कर दिया गया। अब उसके स्थान पर जवाहर रोजगार योजना जो आयी है उसमें 80 प्रतिशत हिस्सा सरपंचों को सीधे

(श्री बी. डी. कल्ला)

दे दिया गया है और 20 प्रतिशत हिस्सा जिला स्तर पर जिला विकास अभिकरण की बैठक जिसमें माननीय सदस्य स्वयं सदस्य होते हैं वे बैठकर के उसमें निर्णय करेंगे। हमारा भी यह प्रयास रहेगा कि उस 20 प्रतिशत राशि में से प्रत्येक जिले को करीब-करीब 4 या 5 करोड़ रु. कम से कम मिलेगा। उसके 20 प्रतिशत हिस्से का मतलब करीब-करीब एक करोड़ रुपया सवाई माधोपुर में इन कार्यों के लिए लगभग रखा जायेगा उसमें से ...

श्री माणक डाणी : मंत्री महोदय, सरपंच साहब कोई सड़क बना लेंगे। अगर आप जवाहर रोजगार योजना में पैसा दोगे तो वह सरपंच सड़क बना लेगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय डाणी जी। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, जवाहर योजना में सड़क बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 20 प्रतिशत राशि....(व्यवधान) उस जिला स्तर को राशि में करीब-करीब एक करोड़ रूपया सवाई माधोपुर जिला स्तर पर रहेगा। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बयानी सुनने के लिए नहीं है हम यहां।

श्री बी. डी कल्ला : आप मेरे को पहले सुन तो लें।

श्री लालचन्द डूडी : ये गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं। मंत्रीजी इस हाउस में गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री बी. डी. कल्ला : राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जो अधूरे काम थे उन कार्यों को ये अपने स्तर पर ले सकेंगे। हम भी इन कार्यक्रमों को कराने में इनको सहयोग देंगे। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 144

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भंवरलाल (सरदारशहर)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब देते समय आपने दो बातें कही हैं, हम उनका स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : एक तो क्या यह राष्ट्रीय योजना, एन.आर. ई.पी. जो बता रहे हैं, क्या एन.आर.ई.पी. का काम बन्द हो गया है ? नम्बर दो, क्या जवाहर योजना में इन एन.आर.ई.पी. के जो बाकी काम हैं, क्या इस योजना के अन्तर्गत करवाये जा सकते हैं ? ये बताइये।

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह गाइड-लाइन दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जवाहर रोजगार योजना में सड़कों का काम लेने का कोई प्रोविजन

(14)

(श्री हरजीराम बुरड़क)

नहीं है। जो डाइरेक्शन भारत सरकार ने दिये हैं उसमें स्पष्ट है कि ये सड़कों का काम उसमें नहीं लिया जा सकता। अगर हो तो मंत्री महोदय, जो भारत सरकार की गाइड-लाइन हैं वे पढ़कर सुना दें। इसमें कहां सड़कों का प्राविजन है ?

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो 20 प्रतिशत राशि जिला स्तर पर रखी जा रही है। उसमें एन. आर. ई. पी. के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिये गये हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : वह 20 प्रतिशत राशि पंचायत समिति के खर्चे के लिए है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। क्वेश्चन नम्बर 145।

केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल

145. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (छीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी तथा इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था ?

(2) उक्त मिल के चालू होने से अब तक उक्त फैक्ट्री में कुल कितना लाभ या हानि हुई ? वर्षवार लाभ-हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि मिल निरन्तर घाटे में रही है तो उसके क्या कारण रहे हैं ?

4- क्या उक्त मिल में अनियमितताओं एवं घपलों की शिकायत है ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच कर मिल को लाभ में पहुंचाने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, केशोरायपाटन जिला बून्दी की स्थापना नवम्बर, 1965 में हुई थी। मिल्स की स्थापना सहकारिता के आधार पर चीनी उद्योग लगाने के उद्देश्य से की गयी है।

(2) 31.3.89 तक इस मिल को रुपये 850.19 लाख की हानि हुई है। वर्षवार लाभ-हानि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) मिल के निरन्तर घाटे में रहने के निम्न मुख्य कारण हैं :-

1. मिल के कार्य क्षेत्र में प्राइवेट खांडसारी इकाइयों का संचालन तथा उनसे प्रतिस्पर्धा।

2. मिल संचालन के प्रारम्भिक वर्षों में विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित टरबाइन में दुर्घटना होने से हुई हानि।

3. कार्यशील पूंजी की कमी।

4. आवश्यकता से अधिक स्टाफ की नियुक्तियों के कारण व्ययभार में वृद्धि।

5. मिल की क्षमता सक्षम इकाई के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षमता से कम होना।

6. प्रतिस्पर्धा के कारण गन्ने का मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मूल्य से अधिक भुगतान करने की विवशता।

7. वर्ष 1987–88 में अकालग्रस्त क्षेत्र में चारे हेतु गन्ने का उपयोग किए जाने के कारण मिल संचालन बन्द रखा जाना।

8. पानी की कमी के कारण अकाल के वर्षों में गन्ने का कम उत्पादन।

(4) जी हां, वर्ष 1978–79 एवं 1982–83 के ग्राडिट प्रतिवेदनों में वर्णित अनियमित भुगतानों अथवा आवश्यक व्यय से पहुंची हानि के लिए सात अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के तहत कुल ग्यारह मामले विभिन्न कार्यालयों में दर्ज किए गए हैं। चार मामलों में निर्णय हो चुका है। शेष में कार्यवाही जारी है। मिल को हानि से बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मिल की ओर बकाया दीर्घकालीन ऋणों का एक मुश्त चुकारा करवा दिया है। इससे प्रतिवर्ष पड़ने वाले ब्याज भार से मुक्ति मिलेगी। गन्ना की बेहतर उपलब्धि हेतु भारत सरकार से 35.00 लाख रुपये का ऋण गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चाहा गया है। मिल की पिराई क्षमता बढ़ाने एवं इसका आधुनिकीकरण करने की परियोजना तैयार करवाई जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयालजी जोशी।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयालजी प्रश्न करेंगे। (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अभी चार महीने पहले इस मिल को देखकर आये हैं। उसमें मेरा निवेदन करना है कि इसकी पिराई क्षमता कितनी है और पिछले अकाल के साल को छोड़कर पिराई क्षमता के विरुद्ध कितनी पिराई हुई? एक। क्या यह सही है कि दो लाख बोरी चीनी बनाने की इसकी क्षमता है और इस साल भी 80 हजार बोरी से अधिक नहीं बढ़ी। क्या यह सही है कि जबसे यह मिल लगी है तब से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग इसमें नहीं लिया गया, इसका कारण क्या है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आठ जो आपने नुकसान के कारण बताये हैं आठ कारणों में से आपने मंत्री बनने के बाद और आपके पूर्व मंत्रीजी ने इन सारे कारणों का निराकरण करने के लिए कब-कब और क्या-क्या प्रयत्न किये? तीसरा मेरा यह कहना है कि जब पूरी क्षमता के अनुसार दो लाख बोरी चीनी की बननी थी तो आज की तारीख में चूंकि सिंचाई विभाग द्वारा पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, चम्बल कमाण्ड एरिया में जो गन्ना उगाते हैं राइट मेन केनाल पर, बिल्कुल गन्ना साफ हो गया, सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण। केवल बून्दी का कुछ हिस्सा रह गया है और उसके कारण उसकी पूर्ति नहीं हो पाती फिर आपने यह जो लाइसेंस

16

(श्री दाऊदयाल जोशी)

प्राइवेट लोगों को दिये हैं, क्या आप उनको बन्द करने जा रहे हैं। चूंकि यह मिल सहकारी क्षेत्र में है जो साढ़े आठ करोड़ से अधिक का घाटा दे चुकी है। राज्य सरकार क्या इसको गम्भीरता से लेकर कठोर कदम कब तक उठायेगी। यह स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलालजी मेघवाल।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता हूं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो कारण बताये हैं, क्या इस सहकारी मिल में यह घाटे के कारण सही हैं। आज खाण्डसारी उद्योग जो दूसरे क्षेत्र में स्थापित है उससे प्रतिस्पर्धा है, यह कारण आपने बताया। लेकिन वह खाण्डसारी उद्योग जो चलते हैं उन पर प्रशासनिक कण्ट्रोल रहता है, क्या यह कारण सही नहीं ? दूसरा कारण आपने यह बताया कि बिजली उत्पादन करने वाले टरबाइन था उसमें दुर्घटना हो गई थी और कई दिनों तक उसमें उत्पादन नहीं हो सका। क्या आपने इस दुर्घटना के कारणों की जांच करवाई, इसके क्या कारण थे ? इतने लम्बे समय तक इसमें उत्पादन क्यों नहीं हुआ ? इसमें भी वहां का जो मैनेजमेंट है उसकी चाल है। जान-बूझकर इसमें दुर्घटना करवाई और कई दिनों तक अनावश्यक रूप से इसको बन्द करवाया गया, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मेघवाल।

श्री हीरालाल आर्य : तीसरा मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, वहां का जो मैनेजमेंट है, जो आडिट रिपोर्ट आई है, उसमें उस पर अनियमित भुगतान और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। सात अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उन्होंने कहा था, जो 16 मामले उसमें बताये थे, उनकी क्या आप जांच से सन्तुष्ट है और उनमें से अभी तक केवल चार मामलों को ही निर्णीत किया है। क्यों इसको लम्बा किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि मिल में घाटे का कारण गन्ने की कमी हो सकती है लेकिन अब तक वहां पर गन्ने की कमी नहीं थी, इस साल गन्ना था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहां पर गन्ना बहुत उत्पन्न होता है। गन्ने की कमी के कारण जो आप बता रहे हैं कि उसमें हानि होती है, यह कारण सही नहीं है। इस साल सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण गन्ने में कमी हो सकती है। लेकिन हमेशा यह कारण नहीं रहा। जब से मिल लगी है एक बार भी इसमें लाभ नहीं हुआ।

क्या आप, अध्यक्ष महोदय जो मैनेजमेंट है उसकी लापरवाही को ठीक करने के लिए, जो भ्रष्ट अधिकारी वहां बिठा रखे हैं, क्या ईमानदार अधिकारियों को बिठाकर इस मिल को लाभ में चलाने की व्यवस्था करेंगे ? (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : सप्लीमेण्ट्री का जवाब आने दो।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री नहीं, स्पीच होती हैं, बाकायदा भाषण होता है।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि मिल क्षेत्र में निजी खाण्डसारी लगाने का भी एक कारण बताया गया है। तो राज्य सरकार ने मिल क्षेत्र में इन खाण्डसारी मिलों को लगाने की अनुमति क्यों दी ? दूसरा, क्या यह भी सही है कि हर वर्ष निजी खाण्डसारी मिलों को चलाया जाता है, मन्त्री महोदय जरा ध्यान देंगे। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को राज्यादेश करके बन्द किया जाता है, इसका क्या कारण है ? माननीय मन्त्री महोदय, जब मिल बन्द होती है और किसान जल्दी से जल्दी खेत खाली करने की दृष्टि से गन्ना वहां प्राइवेट मिलों को दे देते हैं, यही एक मेन कारण है। क्या यह सही है, जैसे अधिकारी और विभाग यह कहता रहता है कि क्षेत्रीय कृषक वर्ग में गन्ना उत्पादन में कम रुचि है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : विद्याजी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : दूसरा, गन्ने की सामान्य और न्यूनतम रिकवरी का प्रतिशत क्या है ? गन्ने की रिकवरी होगी उसी पर तो हानि-लाभ होगा।

तीसरा, यदि सरकार मिल को लाभ देना चाहती है तो क्या यह सही है कि शुगर मिल केशोराय पाटन से कच्चा माल अटरू डिस्टीलरी को भेजा जाता है, यदि हां, तो इस पर हर साल परिवहन का कितना खर्चा होता है। क्या यह भी सही है कि सरकार जो वेस्ट मैटेरियल बेचती है उस पर गत्ता उद्योग लगाकर मिल को घाटे से बचाने की योजना रखती है। यह दो ऐसे कारण हैं जो वेस्ट मैटिरियल है उसको गत्ता उद्योग द्वारा लाभ पहुंचाया जा सकता है और, मान्यवर, यह बतायें, नहीं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं.... (व्यवधान) चार लाख रुपये हर यह जो कच्चा माल डिस्टीलरी अटरू को भेजा जाता है....

श्री शोपत सिंह : सप्लीमेंट्री का जवाब तो आने दो।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उसमें चार लाख रुपये परिवहन का व्यय हो रहा है। आज इस तरह की लीकेज है, इसको बचायेंगे और इस क्षेत्र में गन्ना उत्पादन, वहां चम्बल कमाण्ड एरिया है, कहीं भी रास्ता नहीं है, रास्ते अवरूद्ध हैं। पांच बैलगाड़ियों में किसान गन्ना नहीं ले जा सकता। टनों गन्ना पैदा होता है, किसान मजबूर होकर कैसे ले जायेगा। आदमी पैदल भी नहीं जा सकता। उस कमाण्ड एरिया में जो गन्ने को ले जाने के लिए आप विशेष ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : विद्या जी, एक सेकिण्ड। क्या यह प्रश्न भी हाउस डिसाइड कर सकता है कि हम ठीक तरह से कार्यवाही में भाग लेते हैं या कुछ टाइम बरबाद करके राजस्थान का कितना पैसा हर मिनट खर्च करते हैं जो कि उपयोग में नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप क्या कह रहे हैं यह तो....(व्यवधान) बहुत पहले कह गये थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर दें, हर एक भाषण देता है। टाइम को सेव करना

(श्री अध्यक्ष)

चाहिए जितना हम कर सकें जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हमको हो सके।

श्री शोपत सिंह : आप भी जवाब नहीं दिलाना चाहते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विद्याजी जब तक अपना गुबार नहीं निकाल लेते हैं तब तक काम नहीं चलता। यह कभी ध्यान नहीं दिया है। मिल का तो कर रहे हैं, हम एक मिनट में कितना खर्च करते हैं, उसको कितना उपयोग में लाते हैं....(व्यवधान) यह भी कभी सोचा है। सोचने की जरूरत है, यह मेरी तरफ से प्रश्न है।

श्री हीरालाल आर्य : राजस्थान के सारे सहकारी मिल घाटे में जा रहे हैं और दूसरे मिल सभी लाभ में जा रहे हैं। आप सरकार को कहिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप सरकार को घाटे में डाल रहे हैं। पब्लिक के पैसे को खराब कर रहे हैं। विद्याजी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस मिल का इतना घाटा बढ़ जाने का क्या कारण है और एक यह भी है कि यहां 600 से अधिक कर्मचारी सरप्लस हैं जिन्हें समय-समय पर राजफैड में सोयाबीन प्रोजेक्ट में और दूसरी जगह भेजा गया परन्तु वह वापिस आ गये और कोई भी बाहर एबजार्व नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न प्रश्न मैं यह पूछना चाहती हूं, इस बीच में जो ऑडिट ऑब्जेक्शन्स आये पिछले वर्षों में निरन्तर वही ऑडिट ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उनका रेक्टीफिकेशन नहीं होने की वजह से भी घाटा बढ़ता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री दीनबन्धु जी।

श्री दीनबन्धु वर्मा (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने स्वय ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि इस सहकारिता मिल का घाटा होने का सबसे बड़ा कारण खाण्डसारी यूनिट्स हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह खाण्डसारी यूनिट्स इस केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को तो प्रभावित कर रही है बल्कि मेरे उदयपुर के अन्दर और चित्तौड़ के अन्दर जो भोपालसागर शुगर मिल फैक्ट्री है, उसको भी खाण्डसारी यूनिट जो कोटा, बून्दी और झालावाड़ सम्भाग में लगी हुई हैं उसको भी प्रभावित कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खाण्डसारी यूनिट के बारे में उनको एक प्रभावी नीति बनानी चाहिए ताकि इस सहकारी मिल को तो नुकसान पहुंचाये नहीं बल्कि जो दूसरी शुगर फैक्ट्रीज राजस्थान के अन्दर लगी हुई है उनको भी वह प्रभावित नहीं करें ताकि गन्ने का उत्पादन अच्छा होता रहे।

श्री अध्यक्ष : हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा आपने जो घाटे का कारण बताया है उसमें कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति बताया है तो उन कर्मचारियों को आपने कम किया या नहीं किया

(श्री हरजीराम बुरडक)

करेंगे तो कैसे करेंगे कब तक करेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न इसमें यह है कि आपने यह बताया कि ऑडिट ऑब्जेक्शन पर धारा 74 की कार्यवाही 7 अधिकारियों और कर्मचारियों पर चल रही है। यह कार्यवाही केवल उत्तर-दायित्व निश्चित करने के लिये होती है उसमें इतने लम्बे समय तक चलना और फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा घाटा बचाने में जबकि आप लम्बे समय तक धारा 74 की कार्यवाही का बहाना लेकर उनको बचाते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बैरागी।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने घाटे के जो कारण बताये हैं वह कारण मात्र अधिकारियों के बचाव पक्ष के लिये बताये गये हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा क्या सीजनिंग के टाइम पर प्राइवेट खाण्डसारियों पर प्रतिबन्ध नहीं होता है जब तक शुगर मिल चलता है उस पीरियड के दौरान क्या सरकार उनको प्रतिबन्धित नहीं करती है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने बताया है कि गत वर्ष चारे में देने से भी यह उत्पादन कम हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष चारे में गन्ना नहीं दिया जाये मिल को चलाया जाये इस बारे में आन्दोलन हुआ लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना। तीसरा आपने यह कहा है कि अकाल के टाइम पर गन्ने का उत्पादन कम हुआ है तो माननीय मन्त्री जी मैं यह जानना चाहूंगा कि जब पर्याप्त बरसात हुई है और जब बन्धे में पूरा पानी था उस समय कितना-कितना गन्ने का उत्पादन हुआ, कृपया यह भी बता दें। दूसरा भ्रष्टाचार के कारणों में एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। आपके मिल को चलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, यह लकड़ी कहां से खरीदी जाती है, इसका भी अगर आप बता सकें तो बता दें, आज तक कोई टेण्डर नहीं, लकड़ी चोरी से खरीदी जाती है, इस बारे में कोई हिसाब नहीं है, मैंने जानकारी दी है। एक कारण, आपको यह निवेदन करूं घाटे का एक मूल कारण जो आपको नहीं बताया गया है कि कांटों पर जो पर्चेजिंग होती है उस पर्चेजिंग में आपके शुगर मिल के लोग होते हैं और जितनी पर्चेजिंग होती है उससे डेढी बताई जाती है और इस कारण जाकर मिल में गन्ना कम पहुंच पाता है और जो वह पैसा बचता है वह आपके मिल के कर्मचारी आपस में बांट लेते हैं। चौथा, आपने इसके घाटे को बचाने के लिये 33 लाख रुपये बताये, तो माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की कई राशियां और कई अनुदान इस मिल को दे चुके हैं। इस 33 लाख को खर्च करने की आप क्या योजना बना रहे हैं इस बारे में भी अगर आप स्पष्ट कर सकें तो उचित है। आखिरी मेरा प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष जी, कि क्या यह शुगर मिल निकट भविष्य में डिस्टीलरी लगाने की योजना रखता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो कारण है, माननीय अध्यक्ष जी, यह है कि इस मिल का जब 1965 में इसका उद्घाटन हुआ तो इस मिल को बनाने वाले जो लोग थे, और उद्घाटन के टाइम पर दलीय आधार पर जब चौहान साहब इस मिल का उद्घाटन करने आये थे इसको जो प्रारम्भ करने वाले थे रिटायर्ड प्रिन्सीपल गिर्राज किशोर जी दत्ता, उस व्यक्ति को आपने बाहर कर दिया, वह इसलिये कर दिया कि वह आपके कांग्रेस में नहीं थे और कांग्रेस

(श्री गणेशलाल बैरागी)

में दलीय आधार पर यहां का बोर्ड का गठन किया और इस कारण आपने पक्षपात किया, नियुक्तियां ऐसे व्यक्तियों को दे दीं जो बेइमान लोग थे, उन लोगों ने इस मिल को खाया है, क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। माननीय मन्त्री जी।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वाकई जो मिल राजस्थान में 15-20 साल से चल रही है, वह साढ़े आठ करोड़ के घाटे में चल रही है और जब से इसकी स्थापना हुई है शुरू से ही घाटे में थी केवल एक वर्ष घाटे में नहीं रही और उसका कारण यह था कि वह दो सौ दिन से ज्यादा चली है। यह जो मिल है 120 दिन से कभी ज्यादा चली नहीं है। कुछ तो उसका एरिया छोटा है, कुछ गन्ना हल्की किस्म का है। यू.पी. के गन्ने में मिठास ज्यादा है, शक्कर ज्यादा पैदा होती है, इसमें है नहीं। दूसरा इसकी मशीन की जो क्षमता है वह करीब 125 मीट्रिक टन की है। कम से कम 250 मीट्रिक टन की क्षमता होती है तो जिन दिनों गन्ना होता है उन दिनों पूरी क्षमता होने से मुनाफे में हो सकता था। एक तो मशीनरी हल्की है, दूसरा इस क्षेत्र में जो गन्ना है उसकी किस्म हल्की है और तीसरा जो कर्मचारियों की जो भर्ती है वह 500 के करीब कर्मचारी चाहिये उसके अगेन्स्ट में 700 कर्मचारी हैं 205 कर्मचारी ज्यादा हैं। यह जब ज्यादा घाटे में चला तो भारत सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया था लेकिन सात साल चलने के बाद भी जब घाटा पूरा नहीं हुआ और चार-पांच करोड़ का घाटा ज्यादा हो गया तो उन्होंने वापिस राजस्थान सरकार को हैण्ड ओवर कर दी। अब भी इसमें घाटा है, इसको मानते हैं। जैसे माननीय सदस्यों ने बताया कि डिस्टीलरी जो सिस्टर उद्योग है वह जब तक इसमें नहीं होगा तब तक इसको घाटे से नहीं बचा सकते और इसमें इसकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी और जो ज्यादा कर्मचारी हैं उनको हटाना तो संभव नहीं है हटाते भी हैं तो उनको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा कोटा में सोयाबीन मिल में भेजते हैं तो जो कर्मचारी पांच-सात महीने तक बैठे रहते हैं उनका उपयोग कोआपरेटिव सैक्टर के दूसरे उद्योग में अगर भेजते हैं तो मेरे खयाल से यह कोई बुरी बात नहीं है, उसका उपयोग होता ही है। जहां तक खाण्डसारी का सवाल है, इस मिल के स्थापित होने से पूर्व ही खाण्डसारी की 22 इकाइयां पहले से चल रही थीं तो उनको बन्द नहीं कर सकते थे। जहां तक इनको उस काल के अन्दर गन्ना सप्लाई नहीं होना चाहिए, यह भी सम्भव नहीं है। वह ज्यादा रेट देकर, प्रलोभन देकर किसानों से वह खरीद लेते हैं। उसको दो-तीन महीने तक रोक भी रखते हैं उसके बावजूद भी इतना कन्ट्रोल होना सम्भव नहीं है। इस मिल के लगने के बाद भी 5-6 इकाइयों को लगाने के लिये सरकार ने स्वीकृति दी है। यह सब कारण हैं और इसीलिये साढ़े आठ करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है। इस पर हम विचार कर रहे रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्या कैसे रास्ते निकालेंगे इसकी क्षमता भी बढ़ायेंगे, डिस्टीलरी का भी करेंगे, किसानों को अच्छी किस्म का गन्ना

(श्री रामसिंह विश्नोई)

उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित भी करेंगे। उनको ऋण देने की जो भी योजना होगी आप लोगों से सम्पर्क करके, आप लोगों से विचार विमर्श करके जो जिस तरह से भी होगा, इसको मुनाफे में लाने की चेष्टा करेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई दूसरा पाइन्ट नहीं है जिस पर विचार किया जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रश्न संख्या 146।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री दाऊदयाल जोशी : बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है, साहब। अभी तो एक मिनट बाकी है, अध्यक्ष महोदय। यह मोस्ट इम्पार्टेन्ट है, आप देखिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री नहीं करेंगे। जवाब आने दीजिये, सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं करूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : सिर्फ एक सप्लीमेंट्री, दूसरी नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

(मध्याह्न 12:00)

दीगोद एवं सांगोद के सिचाई बांध

146. **श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):** क्या सिचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :–

(1) कोटा जिले की सांगोद व दीगोद तहसीलों में कौन-कौन से सिचाई बांध हैं और उन पर कितनी लागत आई है?

(2) उक्त निर्मित बांधों से प्रति वर्ष कहां-कहां कितनी-कितनी जमीनों की सिचाई की जाती है तथा बांध बनाते समय प्रत्येक बांध की कुल कितनी-कितनी क्षमता प्रस्तावित की गई?

(3) क्या यह सही है कि सांगोद तहसील में स्थित दांता तालाब योजना के तहत 10 वर्षों से अधिक समय से लाखों रुपये व्यय करने के बावजूद भी अब तक सिचाई नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों?

सिचाई मंत्री (श्री शीशराम ओला) : (1) सांगोद तहसील में खाती खेड़ा बांध है जिस पर 16.33 लाख रुपये लागत आई है। दीगोद तहसील में डाहरा व चोमा बांध हैं। डाहरा बांध पर 21.37 लाख रुपये व चोमा बांध पर 9.13 लाख रुपये की लागत आई है।

(2) यह सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। कुल लागत 34 लाख की तुलना में केवल 4.90 लाख रुपये पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खर्च हुए व कार्य अभी अपूर्ण है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय, आपने जो जानकारी दी है उसको देखने के बाद मेरा निवेदन है, क्या यह सही है कि डाहरा बांध पर 21 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी केवल 34 बीघा ही सिंचित क्षेत्र

(श्री दाऊदयाल जोशी)

है, चोमा डेम पर 16 लाख रुपया खर्च होने के बाद केवल 54 बीघा जमीन में सिचाई होती है और खाती खेड़ा बांध पर 9 लाख रुपया खर्च करने के बाद बिल्कुल सिचाई नहीं होती है ? दांता का जो तालाब है उस पर आपने अभी तक 80 लाख रुपये खर्च किये हैं और आप कह रहे हैं 4 लाख। यह चार लाख नहीं है, 80 लाख है। उसके बावजूद एक बीघा जमीन में सिंचाई नहीं हो रही है। इनसे सिंचाई का जो रेश्यो आपने बनाया था, वह क्या है ? एक साल भी ऐसा नहीं रहा है कि जिसमें 433 बीघा जमीन में सिंचाई हुई हो। यह किस बात का परिचायक है ? जो पैसा आपने इन डेम्स पर खर्च किया है उसके अनुपात में क्या यह सिंचाई क्षमता सही है, आप स्वयं कृपा करके विचार करें और जवाब दें। जिन अधिकारियों के कारण नुकसान हुआ है, सिचाई क्षमता उपलब्ध नहीं हुई है, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? यह दोनों चीजें बताने का कष्ट करें।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, डाहरा दीगोद तहसील में आता है जिसकी प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 473 एकड़ रखी गई थी। इसमें 1986-87 में 262 एकड़ में और 1988-89 में 259 एकड़ में सिंचाई की गई है। चोमा बांध में 207 एकड़ में सिंचाई प्रस्तावित थी, उसमें से वर्ष 1986-87 में 262 एकड़ में सिंचाई की गई। इसी प्रकार खाती खेड़ा बांध की, जो सांगोद में आता है, 286 एकड़ में सिंचाई प्रस्तावित है। इससे वर्ष 1984-85 में 47 बीघा, 1985-86 में 15 बीघा और वर्ष 1986-87 में 130 बीघा जमीन में सिंचाई की गई है। अध्यक्ष महोदय, इसका मूल कारण यह रहा है कि जो बांध बने हैं, वे छोटे-छोटे बांध हैं, इनका केचमेन्ट एरिया छोटा है। जब वर्षा नहीं होती है तो बांध नहीं भरते हैं, और भर जाते हैं तो उनमें पानी का रिसाव होता है, पानी जमीन में रिस जाता है। मैंने विभाग से कहा है कि इतना पैसा जो खर्च हो गया उसका सदुपयोग हो और काश्तकारों को सिंचाई के लिये पानी मिले। इसके लिये 13.97 हजार रुपये की और स्वीकृति दे रहे हैं, जिससे पानी का जो रिसाव जमीन में होता है उसको रोक कर सिंचाई के लिये पानी दिया जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी : योजना बनी थी उस समय पानी के रिसाव की शिकायत नहीं थी। जो चोमा बांध बना है, वह पहले भी इसी प्रकार लीक हुआ था, पहले भी चार लाख रुपया उस पर खर्च हुआ था। उस समय क्यों नहीं ध्यान रखा गया कि यहां पर पानी जमीन में रिस जाता है। उस समय उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की ?

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा, मामूली-सा प्रश्न है। मंत्री महोदय यह फरमा रहे हैं कि और पैसा इसको ठीक करने के लिये दिया जा रहा है ताकि इसका रिसाव रुक जाये और सिंचाई ठीक हो। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब दुबारा पैसा खर्च करने के बाद भी स्थिति वही रही तो क्या आप इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता

(श्री शीशराम ओला)

है। एक डिजाइन बनायी गयी और बांध तैयार किया गया। और जब पानी का रिसाव नहीं रूका तो इसकी तलाश की गई कि क्या कारण है कि इसमें पानी नहीं ठहरता है। मैंने दो दिनों तक अधिकारियों के साथ इस पर विचार किया, चीफ इन्जीनियर को बुलाया और पूछा कि क्या कारण है कि इस बांध से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस पर उन्होंने कारण बताये और उसको ठीक करने के लिये वे 13.97 हजार रुपये का तखमीना लाये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि रुपये से पानी नहीं रुकेगा, रुपये का फिर हिसाब करेंगे। जब टेक्नीकली देख लिया था तब इतना रुपया लग गया और इतनी सिंचाई हुई ? यह रुपया और रिसाव में नहीं चला जाये, यह आप खुद देखेंगे।

श्री शीशराम ओला : यह बहुत पुराना बांध है, इसको ठीक किया जा सकता है। यही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पैसा खर्च हो रहा है और सिंचाई नहीं हो रही है। पैसा खर्च होने के बाद रिसाव रूके, यह देखें।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताया गया है, तकनीकी दृष्टि से यह बताया गया है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद इसका पानी रोक दिया जायेगा, पानी इसी में रुकेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सरदारशहर तहसील में टांकों एवं कुओं का निर्माण

144. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरदार शहर तहसील में वर्ष 1988–89 में अकाल राहत के अन्तर्गत कितने टांकों व कुओं की स्वीकृति प्रदान की गई ? ग्रामवार व नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस संदर्भ में किन-किन काश्तकारों को कब-कब, कितना-कितना भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन काश्तकारों का कितना कितना भुगतान बाकी रहा और क्यों ?

(4) अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(5) किन-किन काश्तकारों के टांके व कुएं अधूरे रहे हैं ? अब उन्हें कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सरदारशहर तहसील में वर्ष 1988–89 (प्रभाव वर्ष संवत् 2044) में अकाल राहत के अन्तर्गत 2607 टांके व 303 कुओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ग्रामवार व नामों सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट क, ख)

(2) जिन काश्तकारों के नाम से टांके एवं कुएं स्वीकृत किये गये है उन्हें सीधा

(अकाल राहत मंत्री)

भुगतान नहीं किया गया है। टांकों एवं कुओं पर नियोजित श्रमिकों को भुगतान कर दिया गया है। स्वीकृत कुण्ड एवं कुओं के निर्माण कार्य हेतु सात लाख चौपन हज़ार छ: सौ इकावन श्रमिक दिवस अर्जित किये गये जिन्हें 15.7.88 तक किये गये कार्य के पेटे 109.57 लाख का भुगतान किया गया। जिन काश्तकारों के टांके एवं कुयें स्वीकृत किये गये है, उनके पेटे किये गये भुगतान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नियोजित किसी भी श्रमिक का भुगतान शेष नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) अपूर्ण रहे टांके व कुओं की सूची परिशिष्ट "क, ख" सदन की मेज पर रख दी गई है। लघु एवं सीमांत कृषकों के अपूर्ण कुओं को विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग की जीवनधारा योजना में शामिल किया जाकर पूर्ण कराया जा रहा है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय व जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

248. **श्री माणक डाणी (ब्यावर)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कोई पृथक् से उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय की स्थापना करने व जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व इसकी कब तक क्रियान्विति कर दी जावेगी ?

(2) क्या उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिये सुझाव देने हेतु गठित टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपभोक्ता संरक्षण परिषद् को प्रभावशाली बनाने हेतु राज्य सरकार क्या विचार रखती है ? वर्तमान में राज्य एवं जिला स्तर पर कौन-कौन इसके सदस्य हैं तथा किन नियमों एवं प्रावधानों के तहत यह परिषद् कार्यरत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह परिषद् अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रही है ? यदि हां, तो उपलब्धियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में उपभोक्ता संरक्षण हेतु पृथक् से उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन राज्य के सभी जिलों में किया जा चुका है। झालावाड़ जिले में जनवरी, 88 में तथा शेष जिलों में वर्ष 87 में गठन किया जा चुका है।

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

(2) उपभोक्ता के संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा उपभोक्ता की समस्याओं का एकल खिड़की से निराकरण सुविधा के लिए कमेटी गठित की गई थी। जिसके द्वारा 31.5.89 को राज्य सरकार को रिपोर्ट दे दी गई है। जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) राज्य में राज्य स्तर पर एवं जिलों में जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया हुआ है और इनकी बैठक समय-समय पर की जाती है तथा इनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विभाग द्वारा विचार कर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार परिषदों द्वारा प्रभावशाली ढंग से कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के गठन के बारे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कोई प्रावधान नहीं है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अनुरूप ही उपभोक्ताओं के हितों को अधिकाधिक संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से जिला स्तर पर इन परिषदों का गठन किया गया है।

(4) विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 7.8.87 में राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों में सम्मिलित किये गये सदस्यों का विवरण अंकित है। अधिसूचना की प्रतियां संलग्न हैं। राज्य स्तरीय उपभोक्ता सरक्षण परिषद अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रही है। उपलब्धियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(रिपोर्ट एवं अधिसूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिचाई विभाग के श्रमिक

249. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1988 से फरवरी, 1989 के बीच जयपुर जिले में सिंचाई विभाग के श्रमिकों की छंटनी/सेवामुक्ति की गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इन मजदूरों के सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि ये श्रमिक पहले अकाल राहत, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कार्यरत थे ? यदि हां, तो कौन व्यक्ति किस-किस कार्य पर कब तक रहा और छंटनी कब-कब की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग के जयपुर जिले में चल रहे निर्माण कार्यों पर बेलदारों की अभी भी आवश्यकता है ? यदि हां, तो श्रमिकों की छंटनी का क्या औचित्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 88 से नहीं परन्तु दिसम्बर, 88 से 1.4.85 के बाद के नियुक्त श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होने के कारण छंटनी की गई हैं। छंटनी किये गये श्रमिकों को आवश्यकतानुसार प्राथ-

(26)

(सिचाई मन्त्री)

मिकता देते हुए पुनः अल्पकालीन नियोजित किया जाता है।

(2) जी नहीं। अकाल राहत, ग्रामीण रोजगार योजना व भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण ऐसे श्रमिक छंटनी की परिभाषा में नहीं आते।

(3) विभाग में आवश्यकता से आधिक्य श्रमिकों की राज्यादेश दिनांक 17.11.88 की पालना में छंटनी की गई है। पुनः आवश्यकता होने पर इनको प्राथमिकता देते हुए अब केवल अल्पकालीन अवधि के लिए पुर्ननियोजित किया जाता है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में लक्ष्य प्राप्ति

250. सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सन् 1988-89 के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कार्य के क्या क्या लक्ष्य निश्चित किये गये थे और 31 मार्च, 1989 तक इन लक्ष्यों की किस-किस सीमा तक प्राप्ति हुई है ?

उत्तर

वर्ष 1988–89 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कार्यों के निर्धारित लक्ष्य एवं 31 मार्च, 1989 तक की भौतिक प्रगति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्य	इकाई	निर्धारित लक्ष्य 88-99	वर्ष 88–89 में 31.3.89 तक लक्ष्यों की प्राप्ति	लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	**इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण**				
(क)	कि. मी. 74 तक वितरक नहर प्रणाली				
(I)	मिट्टी का कार्य	हजार घ.मी.	42	25.02	59.57 प्रतिशत
(II)	नहर की लाइनिंग	कि.मी.	3.25	1.67	51.38 ,,
(III)	पक्के डावल बनाने का कार्य	कि.मी.	68.62	32.62	47.54 ,,
(ख)	कि.मी. 74 से 189 वितरक प्रणाली				
(I)	मिट्टी का कार्य	हजार घ.मी.	150	141.91	94.6 ,,
(II)	नहर की लाइनिंग	कि.मी.	4.50	4.39	97.55 ,,

(इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री)

(III) पक्के डावल बनाने का कार्य	कि.मी.	30.00	33.25	110.83	प्रतिशत
(ग) बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट					
(I) नहरों की लाइनिंग	कि.मी.	0.61	0.61	100	,,
(II) पक्के खालों का निर्माण	कि.मी.	13.97	6.58	47.10	,,
(III) खालों पर पुलियों का निर्माण	संख्या	151	135	89.40	,,
2. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण					
(I) मिट्टी का कार्य	हजार घ.मी.	9587	6829	71.23	,,
(II) नहरों की लाइनिंग	कि.मी.	293.39	166.55	56.76	,,
(III) पक्कों स्ट्रक्चर	संख्या	90	57	63.33	,,

करौली में खनिज सम्बन्धी दो माह का कैम्प

251. श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ), **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खनिज अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) की देखरेख में करौली में नवम्बर-दिसम्बर, 1988 में दो माह का कैम्प रखा गया ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारी/कर्मचारी ने भाग लिया ? उनके भत्तों पर कुल कितना खर्चा आया ?

(2) कैम्प काल में किस-किस तिथि में किस-किस व्यक्ति के विरूद्ध कितने-कितने अनधिकृत खनन के केस बनाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कैम्प काल में बनाये गये केसों में कितनों के चालान किस न्यायालय में किस किस व्यक्ति के विरूद्ध कब पेश किये गये ?

(4) उल्लिखित अवधि में अनधिकृत खनन के विरूद्ध जुर्माना के रूप में किस-किस व्यक्ति से कुल कितनी राशि कब-कब वसूल की गयी ?

(5) क्या अब अनधिकृत खनन बन्द हो गया है ? यदि नहीं, तो वर्तमान खनिज अभियन्ता ने कितने **केस** किसके विरूद्ध बनाये कितनी राशि वसूल की व कितनों का चालान पेश किया ?

उत्तर

(1) अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) की देखरेख में 5 दिसम्बर, 1988 से 6 जनवरी, 1989 की अवधि में अनधिकृत खनन की चैकिंग हेतु एक केम्पेन(अभियान)

(राज्य मन्त्री, खनिज)

चलाया गया था कोई कैम्प नहीं रखा गया था। इस अभियान में श्री पी. सी. सांघी, अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), श्री अब्दुल शकूर, खनि अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर, श्री जे. के. देवतवाल एव श्री ख्यालीराम, खनि अभियन्ता (सतर्कता) भरतपुर, श्री बी. एन माथुर, खनि अभियन्ता, करौली व श्री रामजीलाल मीणा, खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर व उनके साथ खनि कार्य निदेशक, सर्वेयर व माइन्स गार्ड तथा गनमेन आदि ने भाग लिया। अभियान के दौरान इन अधिकारियों व कर्मचारियों के भत्तों पर कुल लगभग रुपये 3000/- व्यय आया।

(2) अभियान के दौरान कुल 24 केस बनाये गये, जिसका विवरण संलग्न है।

(3) जिन मामलों में पंचनामे बनाये गये हैं, उनमें चालान अभी न्यायालय में पेश नहीं किये गये हैं।

(4) कुछ मामलों में मौके पर अनाधिकृत रूप से निकाला गया खनिज जब्त किया गया व अन्य मामलों में विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(5) अनधिकृत खनन के अभियान के पश्चात् 15 मामले पकड़े गये हैं, जिनका विवरण संलग्न है। अनधिकृत खनन की चैकिंग में रुपये 10,980/- वसूल किये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

भरतपुर, अलवर एवं जयपुर जिले में वर्षा का औसत

252. यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1988 में भरतपुर, अलवर एवं जयपुर जिले में कितनी औसत वर्षा हुई ? वह सामान्य से कितनी कम या अधिक है ?

(2) अगर सामान्य वर्षा हुई है तो क्या मास्टर प्लान वर्ष 1987 के अनुसार बांधों में पर्याप्त पानी प्राप्त हुआ ? यदि नहीं, तो कितना कम रहा तथा उसके क्या कारण रहे हैं ?

(3) यदि सामान्य वर्षा हुई तो भरतपुर बान गंगा से कितने बांधों में कितना कितना पानी भरा गया ?

उत्तर

(1) भरतपुर, अलवर और जयपुर जिलों में स्थित भरतपुर को नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्ष 1988 में औसत वर्षा क्रमशः 557.5 मि. मि., 571 8 मि. मि. और 480.9 मि. मि. हुई जो सामान्य वर्षा से क्रमशः 7 प्रतिशत कम, लगभग सामान्य व 10 प्रतिशत कम है।

(2) सामान्य वर्ष से कम वर्षा होने के कारण मास्टर प्लान 1987 के अनुसार भरतपुर जिले के बांधों में कुल भराव क्षमता का लगभग 24 प्रतिशत ही पानी प्राप्त हुआ। कम वर्षा अथवा वर्षा का तीव्र गति से नहीं होने के कारण भरतपुर के तालाबों में कम पानी पहुंचा।

(3) उपरोक्त कारणों से भरतपुर जिले के बाण गंगा नदी पर स्थित 68 बांधों में से जिन 23 बांधों में ही पानी आया वह संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

झाड़ोल राजकीय रेफरल अस्पताल

253. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय रेफरल अस्पताल, झाड़ोल जिला उदयपुर में वर्तमान में कितने पद डाक्टरों के स्वीकृत हैं ? वर्तमान में इन पदों पर कौन-कौन डाक्टर कब कब से पदस्थापित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में डाक्टरों के बहुत से पद रिक्त पड़े हुए हैं ? यदि हां तो कौन-कौनसा पद कब-कब से विगत एक वर्ष से खाली पड़ा रहा ? इसके खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार जनहित में इन रिक्त पड़े पदों को तुरन्त भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राजकीय रेफरल अस्पतालों में सरकार द्वारा एम्बूलेन्स वाहन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल में एम्बूलेन्स वाहन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार जनहित में इस आदिवासी पिछड़े ग्रामीण बहुल क्षेत्र में एम्बूलेंस वाहन तुरन्त उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रेफरल अस्पताल, झाड़ोल में कुल 7 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, जिनमें से 4 कनिष्ठ विशेषज्ञ, 1 वरिष्ठ चिकित्सा-धिकारी एवं 2 चिकित्सा अधिकारी के हैं। कार्यरत चिकित्सकों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

चिकित्सा अधिकारी का नाम	पद	कार्य ग्रहण करने की तिथि
1– डॉ. श्रीमती बडगूजर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद के विरूद्ध	25.1.89
2– डॉ. प्रेम मित्तल	चिकित्साधिकारी	9.4.87
3– डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	,,	1.5.87
4– डॉ. कैलाश चन्द्र मित्तल	,,	4.4.88

1.7.89 से चिकित्सा अधिकारी का एक पद समाप्त कर दिया है। अतः एक चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद के विरूद्ध माना जावेगा।

(2) केवल 4 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद जुलाई, '88 से रिक्त है, इनका चयन विभागीय चयन समिति द्वारा किया जाना है। अतः प्रशासनिक कारणों से अभी इन रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका है।

30

(चिकित्सा मंत्री)

(3) जी हां, पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

(4) रेफरल अस्पतालों में एम्बूलेन्स वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में वित्तीय साधनों की कमी के कारण झाड़ोल अस्पताल में एम्बूलेंस उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

(5) जी हां, वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर।

ग्राम दानपुर (बांसवाड़ा) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

254. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला बांसवाड़ा के ग्राम दानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुला है ? यदि हां, तो कितने स्टाफ व मेल नर्स के पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र से स्टाफ नर्स की पोस्ट हटा दी है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक वापस व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, दानपुर की डिस्पेंसरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया था तथा वहां निम्न पद स्वीकृत है :–

1 चिकित्सक	एक
2– मेल नर्स श्रेणी–II	दो
3– प्रसाविका	एक
4– लेबोरेटरी टेक्नीशियन	एक
5– सेनेटरी इन्सपेक्टर	एक
6– कनिष्ठ लिपिक	एक
7– वार्ड ब्वॉय/हरिजन	छः

(2) दानपुर में स्टाफ नर्स का पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चिकित्सकों के आरक्षित पदों की पूर्ति

255. श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ), **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में चिकित्सकों के कुल कितने पद हैं ? क्या यह सही है कि चिकित्सकों में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल कितने चिकित्सक कहां-कहां किस-किस पद पर कार्यरत हैं ? सूची मय नाम पते के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में चिकित्सकों के कुल 4209 पद है। अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो पाया है।

(2) विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत चिकित्सकों की संख्या निम्न प्रकार है :–

(चिकित्सा मंत्री)

श्रेणी	अनु. जाति	अनु. जनजाति
वरिष्ठ विशेषज्ञ	3	–
कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	2
व. चि. अ.	6	1
चि. अ.	186	92

इस प्रकार की सूचना राज्य स्तर पर संकलित नहीं की जाती है।

रसोई गैस का वितरण

256. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) एवं **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में इस समय किन-किन नगरों में रसोई गैस वितरण की व्यवस्था है ? जिले अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गैस वितरण में अनियमितताओं विषयक शिकायतों को दूर करने के लिए क्या प्रक्रिया व अधिकार राज्य सरकार को है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में इस समय जिन-जिन नगरों में रसोई गैस वितरण की व्यवस्था है, की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गैस वितरण में अनियमितताओं विषयक शिकायतों को दूर करने के लिये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.4.88 से लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन) आर्डर, 1988 लागू किया हुआ है। इस आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां अपने अधिकारियों को प्रदत्त करने के अधिकार दिये गये हैं। तद्नुसार राज्य सरकार ने अपने ऐसे अधिकारियों की सूची जिन्हें ये शक्तियां प्रदत्त की जानी है, केन्द्र सरकार को अधिसूचित करने के लिये भेज दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जयपुर हास्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी

257. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में ओपन हार्ट सर्जरी प्रारम्भ हो गई है ? यदि हां, तो कब से एवं अब तक कितने मरीजों की सफल सर्जरी हो चुकी है ?

(2) एक ऑपरेशन में कुल कितना अनुमानतः व्यय होता है ?

(3) क्या यह सही है कि वाल्व बदलना तथा सर्जरी करवाने का भार एक निर्धन व्यक्ति नहीं उठा सकता ? यदि हां, तो क्या गरीब मरीजों के लिए सरकार कितनी राशि की सहायता करेगी तथा किस प्रक्रिया से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हरीश शर्मा)

(4) क्या यह सही है कि कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर जो उक्त सर्जरी कर रहे हैं को चिकित्सालय के पास निवास भी उपलब्ध नहीं करवा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इससे ऐसे गम्भीर मरीजों को कई बार भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसे मरीजों के समीप ही डॉक्टर निवास हो, इस हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में ओपन हार्ट सर्जरी दि. 1.4.1986 से प्रारम्भ हो गई है । तथा 69 मरीजों की सफल सर्जरी हो चुकी है ।

(2) एक ऑपरेशन में अनुमानतः कीमत उपयोग किये गये वाल्वस एवं डिस्पोजबिल्स की संख्या पर आधारित होता है । निम्नांकित ऑपरेशन कराने पर प्रत्येक समक्ष अंकित राशि जिसमें वाल्वस की कीमत भी शामिल है, अनुमानतः व्यय होती है :–

For Congenital heart disease	Rs. 15,000/–
Open Mitral Valvotomy	
Single Valve replacement	Rs. 26,000/–)
Double Valve replacement	Rs. 41,000/–) Approximatly*

* including the cost of Valves.

(3) जी हां । वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

(4) जी नहीं । एसोसिएट प्रोफेसर को चिकित्सालय के इन्क्लेव (inclave) में मकान आवंटित किया गया है एवं आपातकाल में मरीजों की देखभाल हेतु रेजीडेन्ट्स को होस्टल में आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है ।

मिलावट के मुकदमें

258. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमका थाना) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विभाग द्वारा मिलावट के कितने मुकदमें गत पांच वर्षों में बनाये गये हैं ? जिलेवार मुकदमों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उच्च मामलात में कुल कितने और किस-किस के चालान पेश किये गये व लाइसेन्स जब्त किये जाने आदि की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में 2210 मुकदमें बनाये गये । जिलेवार मुकदमों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) उच्च मामलों में 1931 केस मुख्य न्यायिक मजिस्टेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में पेश किये जा चुके हैं । 13 जिलों की सूचना संलग्न है । शेष की प्राप्त

(चिकित्सा मन्त्री)

की जा रही है। किसी भी जिले में अनुज्ञा पत्र (लाइसेन्स) जब्त नहीं किये गये। क्योंकि पर्याप्त कारण नहीं पाये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति, कोटपूतली

259. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लिमिटेड में शुरू से ही मनोनीत संचालक मण्डल कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो नियमानुसार चुनाव क्यों नहीं कराये गये ?

(2) क्या यह सही है कि समिति के समवर्ती अंकेक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है ? समिति की 1981-82 से 1987-88 तक की ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समिति के कुछ प्रभावशाली सदस्यों पर भारी राशि बकाया है ? 31 मार्च, 1989 को बकाया राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) गठन से अब तक समिति में सहकारी अधिनियम की धारा 74 के तहत कुल कितने मामले दर्ज हुए ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इससे पूर्व की अवधि में मनोनीत संचालक मण्डल कार्य कर रहा था। 4.4.85 से इस संस्था में प्रशासक नियुक्त है। व्यक्तिगत विद्युत उपभोक्ता सदस्यों से ग्राम स्तरीय प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर संस्था की ग्रामसभा गठित होती है। संस्था में प्रतिनिधि ग्राम सभा का गठन अब तक नहीं हुआ है। ग्रामसभा गठित नहीं होने के कारण निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2) एवं(3) जी हां। समिति में समवर्ती अंकेक्षण की व्यवस्था नहीं है। समिति का वार्षिक ऑडिट कराया जाता है। वर्ष 86-87 का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 86-87 का प्रतिवेदन आना शेष है। ऑडिट माह जून, 88 में हुआ है। वर्ष 81-82 से 85-86 तक की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट "क") 87-88 का सहकारी वर्ष 31.3.89 तक हो जाने कारण ऑडिट चालू वर्ष में कराया जावेगा। तथाकथित प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम बताने पर ही बकाया राशि की सूचना दी जा सकती है।

(4) विस्तृत सूचना परिशिष्ट "ख" पर अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(अतारांकित प्रश्न सं. 260 व 261 स्थगित)

सहकारी विभाग के निरीक्षक

262. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि, सहकारी विभाग में सैंकड़ों निरीक्षक लम्बी सेवा

(श्रीमती विद्या पाठक)

अवधि के बावजूद स्थाई नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे निरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि, वर्ष एवं नियुक्ति विधि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में निरीक्षक (ऑडिट) के सैंकड़ों स्थाई पद रिक्त हैं ? क्या इसके बावजूद अस्थाई निरीक्षकों को स्थाई नहीं किया गया है ? स्थाई पदों की कुल संख्या, उनमें से भरे व खाली पदों की संख्या का विवरण, कार्यकारी तथा ऑडिट शाखावार रखें।

(3) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में गत 12 वर्षों में अनेक बार परिवर्तन किये गये हैं तथा सूचियां जारी की गई हैं उनके स्थाईकरण की तिथियां भी बदल दी गई हैं ? क्या इनके सम्बन्ध में अनेक मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं तथा एक-दो मुकदमों में न्यायालय ने विभाग के विरूद्ध मानहानि की कार्यवाही की है ? ऐसे समस्त मुकदमों की सूची, पक्षकारों का नाम, निर्णय, विभाग द्वारा की गई कार्यवाही, मुकदमे की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारी विभाग के अस्थाई निरीक्षकों की नियुक्ति का वर्ष, नाम तथा नियुक्ति का तरीका सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सहकारी विभाग में निरीक्षक (कार्य.) के 554 पद तथा निरीक्षक (ऑडिट) के 726 पद कुल 1280 स्थाई पद हैं। इनमें से निरीक्षक कार्यकारी के 13 व निरीक्षक (ऑडिट) के 304 कुल 317 स्थाई पद रिक्त हैं। कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं इस कारण अस्थाई निरीक्षकों को स्थाई नहीं किया जा रहा है।

(3) जी हां। गत 12 वर्षों में निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची 4 बार जारी की गई। स्थायीकरण की तिथियों में भी संशोधन किये गये हैं। तत्सम्बन्ध में 27 वाद विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है जो कि सुनवाई के लिये न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टौंक जिले में सड़कों का रख-रखाव

263. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टौंक जिले में सड़कों के रख-रखाव वर्ष 1988-89 में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ? नामवार राशि आवंटित, व खर्च का ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य की कुल सड़कों के रख-रखाव के मुकाबले जिला टौंक को कम राशि दी गई ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत कम राशि दी गई है ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 में सबसे अधिक राशि बीकानेर व भीलवाड़ा जिलों में आवंटित की गई है ?

(श्री दिग्विजय सिंह)

यदि नहीं, तो प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी राशि दी गई और किस आधार पर ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या यह सही है कि जिला टौंक में उनियारा-इन्द्रगढ़ रोड जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सड़क है आज भी पूर्ण नहीं हो पाई है ? यदि नहीं, तो क्या धनाभाव का कारण इसी सड़क पर है ? अब कब तक पूर्ण करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला टौंक में सड़कों के रख-रखाव हेतु वर्ष 1988-89 में आवंटित व खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

आवंटन 1988-89		खर्च 1988-89
सा. नि. वि. खण्ड टौंक	रु. 80.00 लाख	रु. 76.00 लाख
टौंक शहर में रा. उ. मार्ग नं. 12 का भाग	रु. 10.00 लाख	रु. 6.71 लाख
	रु. 90.00 लाख	रु. 82.71 लाख

नामवार ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राज्य में सड़कों के रख-रखाव के लिए 1988-89 में रुपये 5500.80 लाख आवंटित किये गये जिसमें से जिला टौंक को रु. 90.00 लाख आवंटित किये गये जो कुल आवंटन का 1.63 प्रतिशत है।

(3) जी नहीं। प्रत्येक जिले को सड़कों के रख-रखाव हेतु दी गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। जिसका आधार सड़कों की लम्बाई इनकी वर्तमान हालात तथा गुण अवगुण ही मुख्यतः रहता है।

(4) जी हां। धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो पाई है। वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण फिलहाल इस सड़क को पूरा कराना सम्भव नहीं है एवं निश्चित समय व वर्ष भी अंकित करना मुश्किल है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

ऊन फैडरेशन

264. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) एवं श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या भेड़ व ऊन विभाग राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ऊन फैडरेशन की स्थापना कब हुई व इसके उद्देश्य क्या हैं ?

(2) ऊन फैडरेशन के प्रशासन पर गत आठ वर्षों में वार्षिक मदवार कितना

(श्रीमती रतन कंवर)

व्यव व आय हुई है ? क्रिया-कलापों सहित मदवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) भेड़ पालकों को उद्देश्य के मुताबिक लाभान्वित नहीं करने, फैडरेशन की पूंजी अवरुद्ध होने व निरन्तर घाटे में रहने के उपरान्त भी फैडरेशन को कायम रखने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार फैडरेशन को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में भेड़ व ऊन विपणन और इससे सम्बन्धित क्रिया-कलापों को बढ़ावा देना तथा भेड़ पालकों को ऊन व्यापार में उचित लाभ दिलवाना है।

(2) फैडरेशन के प्रशासन पर गत आठ वर्ष में वार्षिक मदवार व्यय एवं आय परिशिष्ट 'अ" में सदन के सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) फैडरेशन के पास उपलब्ध पूंजी को ध्यान में रखते हुये भेड़ पालकों को उद्देश्य के मुताबिक लाभान्वित किया जा रहा है। फैडरेशन में कुछ वर्षों में घाटा और कुछ वर्षों में लाभ भी रहा हैं। व्यापार में इस तरह के लाभ-हानि होते रहते हैं। यह संघ भेड़ पालक सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है अतः इस शीर्ष संस्था का बनाये रखना उचित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

परबतसर (नागौर) पंचायत समिति के सरपंचों द्वारा चार्ज

265. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में पंचायत समिति, परबतसर में अब तक कितने सरपंचों ने पंचायत का चार्ज वर्तमान सरपंचों को नहीं दिया है ? विवरण पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) चार्ज नहीं देने वाले सरपंचों के खिलाफ अब तक किस-किस स्तर की पंचायत समिति स्तर पर कार्यवाही की गई है ?

(3) तहसील स्तर पर कितने सरपंचों को चार्ज दिलाने के मामले विचाराधीन है ? तहसील स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) कितने सरपंचों के विरुद्ध चार्ज नहीं संभालने के आरोप में पुलिस मुकदमे दर्ज कराये गये हैं ? यदि नहीं कराये गये हैं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति परबतसर के तीन भूतपूर्व सरपंचों ने वर्तमान सरपंचों को अभी तक पंचायत का चार्ज नहीं संभलाया हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चार्ज न देने वाले पूर्व सरपंचों के विरूद्ध पंचायत स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर पंचायत समिति द्वारा सम्बन्धित सरपंचों को चार्ज देने हेतु कई बार लिखा

(पंचायत राज मंत्री)

गया है। तत्पश्चात् जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं तहसीलदार परबतसर को लिखा गया।

(3) तहसील स्तर पर तीन ग्राम पंचायतों क्रमशः भादवा, हरनावा व रोहिण्डी के चार्ज दिलाने के मामले विचाराधीन हैं। तहसीलदार परबतसर द्वारा इन तीनों ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को चार्ज देने हेतु नियमानुसार नोटिस जारी किये गये हैं।

(4) तहसीलदार परबतसर द्वारा चार्ज नहीं संभलाने के आरोप में कोई मामला पुलिस में दर्ज नहीं कराया गया है। अब तक तहसीलदार द्वारा चार्ज नहीं दिलवाने के सम्बन्ध में तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाना प्रस्तावित कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

नवलगढ़ डाक बंगला

266. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डाक बंगले नवलगढ़ में स्थानाभाव के कारण बाहर से आने वाले अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों को भारी कठिनाई होती है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस डाक बंगले (विश्राम गृह) में एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू के सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में कुल तीन कमरे हैं। दो कमरे विश्राम के लिए एवं एक ड्राईंगरूम वर्तमान में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त कमरे पर्याप्त है। नये कमरे बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बेरोजगार आयुर्वेदिक स्नातक

267. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में मई, 1989 तक कुल कितने आयुर्वेद स्नातक व उप वैद्य कब कब से बेरोजगार हैं ? सरकार कितनों को इस वित्तीय वर्ष में रोजगार उपलब्ध करवा देगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के आयुर्वेद स्नातकों को अन्य राज्य सरकारें अपनी सेवाओं में नियुक्तियां नहीं देती हैं ?

(3) यदि हां, राज्य सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बेरोजगार आयुर्वेद स्नातक एवं बेरोजगार उप वैद्यों से सम्बन्धित सूचना विभाग द्वारा एकत्रित अथवा संकलित नहीं की जाती है।

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

वर्ष 1989-90 में 237 आयुर्वेद चिकित्सकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। 239 नर्स-कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां शीघ्र ही की जा रही है।

इनके अतिरिक्त चालू वर्ष में सेवा निवृति एवं नवीन औषधालय स्वीकृत होने पर जो पद उपलब्ध होंगे, उनके विरुद्ध भी यथा-समय नियुक्ति देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) यह जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(3) राज्य सरकार द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्तियां दी जा रही है, जिन्होंने स्नातक की उपाधि राजस्थान यूनिवर्सिटी से अर्जित की है।

अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बांध निर्माण

268. श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हैं कि अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के माध्यम से जयपुर जिले में बिजोरी नदी, सूरी नदी एवं दुब्बी नाले में जो बांध बनाये गये थे वे अपूर्ण हैं?

(2) यदि हां, तो इन बंधों के अपूर्ण कार्य को कब तक पूरा कराया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन अपूर्ण कार्यों को किसी अन्य मद से धनराशि उपलब्ध होने पर पूरा कराने का विचार किया जावेगा।

चकों के नये रास्तों का निर्धारण

269. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) एवं **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग द्वारा चकों के नये रास्ते तय करते समय प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर सीधे रास्ते निकाले जाते हैं और बड़े टीबे आने पर भी सीधे रास्ते निकाल दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 3 के चक 3 व 4 आर. डब्ल्यू. एम. के चक प्लान मय नये व पुराने रास्ते की टीबों की अंदाजन ऊंचाई दर्शाते हुए प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि टीबे या ऊंची-नीची जगह पर सीधे रास्ते तय करने पर सी.ए.डी. वाले पक्के खालों पर पुलिया भी टीबे में बना रहे हैं जिससे गाड़ी, ट्रेक्टर का आवागमन संभव नहीं है?

(4) क्या विभाग इस नीति पर पुनः विचार करके टीबों को खोलते हुए रास्ते छोड़ने का तय करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, सीधे रास्ते निकालने की इस व्यवस्था के अधीन बड़े टीले आने पर भी कतिपय मामलों में मुरब्बा लाइन

(उपनिवेशन मन्त्री)

पर रास्तेजात की कायमी के कारण सीधे रास्ते निकाल दिये गये हैं।

(2) इन दोनों चकों में 15 से 30 फुट व 20 से 40 फुट के ऊंचे टीबे हैं जो चक प्लान में दर्शा दिये गये हैं।

(3) यह सही है कि सी.ए डी. विभाग द्वारा पक्की पुलियों का निर्माण किया जा रहा है, अब तक केवल उक्त दो मामले ऐसे सामने आये हैं जहां ऊंचे टीबों पर रास्ता स्वीकृत होने के कारण ऊंचे टीबों पर ही पुलिया का निर्माण किया जा चुका है।

(4) मुरब्बा लाइनों पर सीधे रास्ते में जहां बड़े-बड़े टीबे आ जाते हैं, उन मामलों का अध्ययन किया जाना अपेक्षित हैं।

(चक प्लान की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डुमाडा और भावता के बीच की कच्ची पुलिया

270. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 से भावता तक डामर की सड़क विभाग ने बनाई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि डुमाडा और भावता के बीच में एक पुलिया आती है जो कच्ची पड़ी हुई है ?

(3) क्या इस कच्ची पुलिया के कारण वर्षा में आवागमन इस मार्ग पर अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो अब तक इस पुलिया के निर्माण नहीं कराने के क्या कारण रहे हैं ? सरकार कब तक इस पुलिया का निर्माण करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रा. रा. मार्ग नं 8 से डुमाडा तक सड़क कृषि उपज मण्डी द्वारा बनवाई गई थी एवं डुमाडा से भावता तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई थी।

(2) जी हां। डुमाडा से भावता के मध्य एक नाला आता है। जिस पर अभी किसी प्रकार की पुलिया नहीं बनी हुई है।

(3) जी हां। वर्षा होने पर इस नाले में पानी आ जाने के कारण कुछ समय के लिए आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण इस पुलिया का निर्माण नहीं हो सका।

बाड़मेर दुग्ध अवशीतन केन्द्र

271. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या दुग्ध विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रभारी अधिकारी (स्पीयर हैड टीम) दुग्ध अवशीतन केन्द्र बाड़मेर ने मै. ओरियन्टयल बैटरीज जयपुर से बैटरी इसी वर्ष खरीदी है ?

(2) क्या यह सही है कि यही बैटरी जोधपुर से कम कीमत में अर्थात् 2000/- रुपये से कम में मिल रही थी और पुरानी बैटरी भी वापस नहीं करनी पड़ती ?

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(3) क्या यह सही है कि इस हेतु 2 बार कर्मचारियों को जयपुर भेजा गया और संस्था को अधिक खर्च करना पड़ा ? यदि यह सही है तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अब कब तक उचित कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बैटरी का क्रय गत वर्ष 1 मार्च, 1989 को किया गया है ?

(2) जोधपुर में डी. जी. एस. एण्ड डी. के कन्ट्रेक्ट रेट पर इस बैटरी का कोई सप्लायर नहीं होने की वजह से, यह बैटरी डी. जी. एस. एण्ड डी. रेट पर जयपुर स्थित फर्म से ही स्वीकृत दरों के अनुरूप क्रय की गई। यह बैटरी जयपुर से पुरानी बैटरी वापिस कर 1781 रुपये 28 पैसे में ली गई।

(3) जी हां। एक कर्मचारी को दो बार यात्रा भत्ता नियमानुसार दिया गया है। इस क्रय में किसी का दोष नहीं होने से किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी।

(4) कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

बाड़मेर जिले के ग्रामों के तालाबों का सर्वे

272. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले के किन-किन गांवों में नये तालाबों का सर्वे कराया गया है ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत के तहत अधूरे तालाबों को उक्त स्कीम में लिये गये हैं या नहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार अकाल राहत के अधूरे तालाबों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में लेकर पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य चालू करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) 19 नये तालाबों का सर्वे कराया गया। गांववार सूची नम्बर एक संलग्न है।

(2) जी हां। अकाल राहत के अधूरे रहे कार्यों में से 13 कार्य वार्षिक योजना वर्ष 1989–90 डी. पी. ए. पी. एवं टी. ए. डी. के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये हैं। सूची नम्बर दो संलग्न है।

(3) धनराशि उपलब्ध होने पर अधूरे कार्यों को चालू कराने का राज्य सरकार का विचार है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कपिल चिकित्सालय, नीम का थाना (सीकर) क्षेत्र में अवैध स्टाल

273. श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कपिल चिकित्सालय नीम का थाना (सीकर) में रखी गयी अवैध स्टाल

(श्री फूलचन्द)

को हटाने का आदेश विभाग से जारी किया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा उसकी पालना में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या उक्त स्टाल को हटाने के आदेश जारी होने के बाद भी विद्युत कनेक्शन दिया गया ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कनेक्शन स्वीकृत करने का कारण मय दिनांक का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर ने दिनांक 5.4.89 को स्टाल तुरन्त हटाने के आदेश दिये गये थे। इसके साथ ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीम का थाना को भी स्टाल हटाने के लिए निवेदन किया था, लेकिन स्टाल के मालिक ने दिनांक 13.4.89 को उच्च न्यायालय से "स्टे" प्राप्त करने के कारण आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(2) स्टाल के मालिक ने दिनांक 13.4.89 को उच्च न्यायालय से "स्टे" प्राप्त करने के बाद दिनांक 28.4.89 को विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से प्राप्त कर लिया'।

सुभाष नगर आवासीय योजना

274. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) एवं **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत शिवबाड़ी द्वारा सुभाष नगर आवासीय योजना बनाई गयी थी ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब ली गई तथा किस खसरा नम्बर में कितने बीघा भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किया गया ? विवरण मय नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबादी भूमि में किस-किस व्यक्ति को भू-आवंटन किया गया ? विवरण मय आवंटी के नाम, पिता का नाम, स्थाई पता व आवंटित प्लाट के क्षेत्रफल सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्व तहसील रावतसर जिला श्री गंगानगर के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन की कीमतों में दो तरह की कीमतें निर्धारित करने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर के इन्दिरा बाजार की दशा शोचनीय स्थिति में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री नाथूसिंह, सदस्य विधानसभा की ओर से सरकारी अधिकारियों की मिली भगत और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अजमेर में करीब 5 करोड़ रुपये की भूमि हड़प लिये जाने के सम्बन्ध में,

(4) उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव :–

निम्न माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को केवल पढ़ने की अनुमति होगी :–

श्री लालचन्द डूडी, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री परसादीलाल मीणा, श्री हरजीराम बुरडक, श्री प्रभुदयाल मीणा, सुश्री पुष्पा जैन, श्री मुक्तिलाल मोदी, श्री कालीचरण सराफ, श्री जगजीतसिंह, श्री मांगीलाल मेघवाल, श्री फूलचन्द, श्री नाथूसिंह एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन पर जिस प्रकार की घटना हुई थी, सदन में चर्चा के बाद गृह मन्त्री जी बीकानेर गये। सदन के दो माननीय सदस्य श्री शोपत सिंह और श्री देवीसिंह भाटी भी बीकानेर जाकर आये हैं। यह घटना इतनी गम्भीर है कि उसकी चर्चा करने की इस समय मैं आवश्यकता नहीं समझता लेकिन मैं इतनी आशा करता हूं कि गृह मन्त्री ने कल बीकानेर जाकर स्थिति का अध्ययन किया है तो वे इस सम्बन्ध में सदन को बतावें। इस अध्ययन के साथ-साथ यह भी बतावें कि सरकार इस सारे प्रकरण में किस प्रकार से कार्यवाही करना चाहती है। आखिर ऐसी घटना राजस्थान में हो जाये, उसके बारे में सदन मौन रहे, या सदन में किसी प्रकार की चर्चा ही न हो। यह सदन के ऊपर भी एक प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि माननीय गृह मन्त्री जी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

श्री अशोक गहलोत (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मैंने वक्तव्य दे दिया है, उसके बाद सदन की राय से मैं बीकानेर जाकर आया हूं। मेरे साथ दो केबिनेट मन्त्री श्री माधवसिंह दीवान और श्री बी. डी कल्ला थे। माननीय मुख्य मंत्री जी कल ही दिल्ली गये हैं और चूंकि फौज के जवानों का इसमें इन्वाल्वमेंट रहा है इसलिये उन्होंने रक्षा मन्त्री जी से आज बात करने का टाइम मांगा है। जीरो अवर के बाद आप और विपक्ष के नेता महोदय बात करके जो भी समय तय करेंगे उस समय मैं पूरी जानकारी दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी। वह करेंगे। डू नॉट वेस्ट टाइम। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप राज्य सरकार से जानकारी मांग रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, हमारे एडजोर्नमेण्ट मोशन का

(श्री यदुनाथ सिंह)

जवाब नहीं आता है, 295 का जवाब नहीं आता है, 131 का जवाब नहीं आता है। दूसरा सप्ताह समाप्त होने जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, और एडजोर्नमेन्ट मोशन का जवाब नहीं, काल अटेन्शन का जवाब नहीं, 295 का जवाब नहीं।

श्री अध्यक्ष : काल अटेंशन लगने लग गये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरा....

श्री अध्यक्ष : नहीं अलाउ करूंगा। डूडी साहब का कई दिनों में आया। आप बैठें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप वहां करेंगे बात। मैंने यहां स्टाप कर रखा है। I will not allow. चैम्बर में। माननीय डूडीजी, कृपया बोलें। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान) मैं अलाउं नहीं करूंगा। को आपरेट करें। समय की बचत करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजो। श्री लालचन्द जी। यह दस नम्बर पर जगतसिंह नहीं है, जगजीतसिंह जी है। जगजीत सिंह, 295 में। माननीय डूडी जी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : आ रही हैं, मैं कहता हूं। यहां नहीं, आप पूरे सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं ? वहां पर करेंगे मुझसे। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजो तो सही। Don't waste time.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्दजी। भार्गव साहब, कृपया डूडी साहब को बोलने दें, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : Don't waste time. माननीय डूडीजी। (व्यवधान) अब बैठें आप। डोंट वेस्ट। आप कर क्या रहे हैं। माननीय डूडीजी। क्यों बीच में इन्ट्रप्ट करते हैं ?

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : महोदय, वाणिज्य कर विभाग ने राजगढ़, तारानगर, नोहर एवं भादरा के किसानों के साथ बड़ी ही ज्यादती कर रखी है। कई सालों के बाद इस साल इस क्षेत्र में चने एवं सरसों की फसल हुई है। किसान अपना माल हरियाणा एवं दिल्ली जहां कि राजस्थान के मुकाबले अच्छे भाव हैं, ले जाकर बेचना चाहता है, जिसकी किसान को कानून के तहत कोई पाबन्दी नहीं है एवं ना ही किसान की उपज पर किसी भी तरह का कर देय है। इसके उपरान्त भी वाणिज्य कर विभाग किसान को अपना माल बिना कर दिये नहीं ले जाने दे रहा

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(44)

(श्री लालचन्द डूडी)

है। और तो और हरियाणा सरकार को भी उपायुक्त, बीकानेर ने पत्र लिखा है कि फार्म 18 डबल सी के बिना जो भी माल हरियाणा राज्य में आवे उस पर पैनल्टी लगाई जावे।

मैं उस पत्र की प्रतिलिपि आपको पढ़ कर सुना रहा हूं :-

श्रीमान् आयुक्त,
आबकारी एवं कराधान,
हरियाणा सरकार,
मुख्यालय, चण्डीगढ़।

विषय : राजस्थान से चने की निकासी पर करापवंचन।

इस वर्ष राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में चने की बहुत अच्छी फसल होने के कारण भारी मात्रा में चना राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने की संभावना है। कुछ व्यक्ति करापवंचन की नीयत से राजस्थान में चने के विक्रय पर कर जमा कराये बिना ही हरियाणा में कच्चे रास्तों से प्रवेश कर जाते हैं व हरियाणा की चैक-पोस्टों पर बहती जारी करवा लेते हैं। कई व्यापारी काश्तकार की आड़ में माल भेजने का प्रयत्न करते हैं।

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अधीन यदि कोई अपंजीकृत व्यक्ति भी राजस्थान से बाहर विक्रय हेतु माल ले जाता है तो प्रपत्र एस टी 18 डबल सी माल परिवहन के समय साथ होना आवश्यक है। यदि पंजीकृत व्यापारी बिल अथवा चालान में अलग से कर चार्ज किये बिना माल ले जाता है तो उसे भी प्रपत्र 18 सी माल परिवहन के समय साथ ले जाना आवश्यक है। ऐसे प्रपत्र 18 सी अथवा 18 डबल सी की चैकिंग राजस्थान की चैक पोस्टों पर की जाती है और ऐसे दस्तावेज़ों के अभाव में उनसे क्रय कर/शास्ति वसूल कर रसीद एस टी 26 जारी की जाती है।

अत: कृपया हरियाणा सरकार की समस्त चैक पोस्टों व संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि राजस्थान से आने वाले माल व परिवहन वाहनों की सख्ती से जांच की जावे कि दस्तावेजों पर राजस्थान की चैक पोस्टों की मोहर तथा चैक पोस्ट पर दर्ज होने का क्रमांक अंकित है और उन दस्तावेजों के साथ प्रपत्र 18 सी अथवा 18 डबल सी या राजस्थान में क्रय कर जमा कराने की रसीद मौजूद है।

कृपया यह भी निर्देश देने का कष्ट करें कि जब तक राजस्थान की चैक पोस्टों की मोहर दस्तावेजों पर नहीं हो तब तक राजस्थान से आने वाले माल के सम्बन्ध में हरियाणा की चैक पोस्टों से बहती नहीं बनाई जाय। कुछ असामाजिक तत्व राजस्थान की ग्राम पंचायतों के फर्जी प्रमाण पत्र, मोहरें आदि भी लगाकर माल ले जाने का

(श्री लालचन्द डूडी)

प्रयत्न करते हैं इसलिये आपसे विशेष निवेदन है कि चैक पोस्टों को स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें कि जब तक राजस्थान सरकार की वाणिज्यक कर चैक पोस्टों की मोहर एवं चैक पोस्ट पर दर्ज होने का क्रमांक अंकित नहीं हो, फर्जी अथवा अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर हरियाणा की चैक पोस्टों पर बहती नहीं बनाई जावे।

यह भी निवेदन है कि जब भी राजस्थान में चने की बहुत अच्छी फसल हुई है........"

यह राजस्थान सरकार ने चिट्ठी लिखी है हरियाणा को।

18 डबल सी के लिये भादरा के किसान को हनुमानगढ़ जो कि करीब 150 किलोमीटर दूर है, जाना पड़ता है, जिसका उदाहरण भी नन्दराम सारण पुत्र ठाकर सिंह साकिन करणपुरा का 1 जून, 1989 को सी.टी.ओ. हनुमानगढ़ को दिया हुआ प्रार्थना पत्र है। महोदय, पटवारी की नकल गिरदावरी, तहसीलदार भादरा का प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी दो बार हनुमानगढ़ चक्कर लगाने पर जवाब मिला कि मौके पर आकर फार्म 18 डबल सी उपलब्ध कराया जायगा। तारीख 1.6 को यह दरख्वास्त दी गई। 28 तारीख को जब मैं वहां से रवाना हुआ जयपुर आने के लिये तब तक उसको 18 डबल सी का नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ दो।

श्री लालचन्द डूडी : उसका थोड़ा सा मैं बता दूं। सी.टी.ओ. जांच करने आया तो उससे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम चैक करेंगे उसके स्टाक में....

श्री अध्यक्ष : माननीय डूडीजी, नियम के अन्तर्गत करो आप।

श्री लालचन्द डूडी : उसमें है कि नहीं। मैंने कहा, अगर हुआ तो ? हुआ तो हम यूं लिख देंगे, यह माल इसका नहीं है, दूसरे से खरीदा हुआ है। इस वास्ते इसको 18 डबल सी नहीं दिया जावे। यह उन्होंने मुझे बताया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस तरह किसान को मजबूर किया जाता है कि वह अपना माल वहां के व्यापारी को ही बेचे। वह व्यापारी वाणिज्य कर विभाग के लोगों से मिलकर क्या करता है, अध्यक्ष महोदय, 150 बोरी के बजाय 100 बोरी दिखाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय डूडीजी, दूसरे आपको फालो करेंगे। नियम को फालो करेंगे आप। कितना पालन कर रहे हैं नियम को। आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्री लालचन्द डूडी : 650 रु. क्विटल के बजाय 500 रुपये क्विटल के हिसाब से अदा किये जिसकी रसीदें हमारे पास हैं। अध्यक्ष महोदय, इसको करने से क्या हुआ कि किसान मजबूर होकर व्यापारी के यहां पहुंचता है....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये, डूडीजी। यह भाषणबाजी नहीं करेंगे।

श्री लालचन्द डूडी : अच्छा, भाषण नहीं दूंगा। दूसरे आश्रय लेंगे इसको देखकर। महोदय, एक तरफ तो किसान के साथ तो ऐसा हो रहा है और दूसरी तरफ आम नागरिक के सामने किस तरह टैक्स चोरी की जा रही है उसका नमूना भी मैं आपके माध्यम से सरकार को दूंगा।

(12.20 अपराह्न)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति पदासीन)

सभापतिजी, आप और हम सब जानते हैं कि आजकल जवाहर रोजगार योजना और आई.आर.डी.पी. के तहत जब ईंटों की खरीद होती है तो ईंटों के भाव हमें साढ़े छह सौ रुपये प्रति हजार से कम नहीं मिलते।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री लालचन्द डूडी : आप और हम जानते हैं कि पक्की ईंटों के भाव बाजार में 600 रुपये हजार से कम नहीं है लेकिन उनका टैक्स केवल 250 रुपये प्रति हजार के हिसाब से लिया जाता है। कोई भी चिमनी भट्टा साल में 15 लाख से कम ईंटें नहीं पकाता, मगर किसी भी भट्टे ने आज तक 4 लाख ईंटों से ज्यादा का टैक्स नहीं दिया है।

दूसरा उदाहरण, सदन के अधिकांश सदस्य जानते हैं कि मार्बल के भाव 25 रु. स्क्वायर फीट से कम कहीं भी नहीं हैं मगर क्या कभी भी कोई रसीद 5 रुपये स्क्वायर फीट से ज्यादा की कटी है? इस तरह से इन बड़े लोगों को टैक्स चोरी करने के सारे साधन दिये गये हैं। और तो और राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्रियों के जिम्मे गन्नी बैग्स का 27 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया था। आपकी सरकार ने फैसला किया कि टैक्स तो वाजिब है मगर वसूली में दिक्कत आएगी क्योंकि पुराना है, अतः पच्छे का माफ किया जाता है, आगे से 4% के बजाय 12% टैक्स वसूल किया जावे। एक कलम से सेठों का 27 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया और किसानों को लुटवाने की आपकी योजना बनी हुई है। इस प्रकार से सेठों के साथ मिलकर की गई टैक्स की चोरी की भरपाई कितने दिन किसान से करते जाएंगे? किसान कितने दिन इस अन्याय को बर्दाश्त करेगा?

इस विशेष उल्लेख द्वारा मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि राजगढ़ भादरा, तारानगर एवं नोहर के किसानों को फार्म 18 सी.सी. लेने पर मजबूर न करके वहीं सरपंच, प्रधान, तहसीलदार आदि की तस्दीक पर अपना माल कहीं भी बेचने का जो कि उसका अधिकार है, उसकी परमीशन दी जानी चाहिए।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति जी, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखनीय सूचना बाबत बोलता हूं। महोदय, बीकानेर जिला लगातार पिछले बहुत वर्षों से वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल ग्रस्त है। जिले की जनता की आर्थिक स्थिति अकाल की वजह से बहुत ही दयनीय हो चुकी है। खासकर कमजोर वर्ग व हरिजनों की हालत गम्भीर है। ऐसी हालत में भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों, भूमि विकास बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

द्वारा तकाबी बीज, खाद आदि के कर्जे की कुर्की द्वारा वसूली की जा रही है। यहां तक कि खेती के औजार-ट्रैक्टर, ऊंटगाडी, बैलगाडी, पशुधन आदि चल-अचल सम्पत्ति, कृषि भूमि, खाद्य सामग्री, बर्तन-भाण्डे, ओढ़ने-बिछाने के कपड़े भी नीलाम किए जा रहे हैं जिससे किसानों, छोटे दुकानदारों व ग्रामीणों में भारी असंतोष व आक्रोश फैलता जा रहा है। खासकर हरिजन वर्ग से कर्जे की जिस प्रकार से वसूली की जा रही है उससे उसमें भारी भय व निराशा फैलती जा रही है।

अत. मैं सरकार से मांग करता हूं कि दस हजार रुपये तक का कर्जा मय ब्याज माफ किया जाये। इस तरह के कर्जे गुजरात, बिहार व अन्य प्रान्तों में भी माफ किये गये हैं। खास तौर से हरियाणा में कर्जा माफ किया गया है व 60 साल से ऊपर के हर धर्म, हर बिरादरी के लोगों को 100 रुपये मासिक पेंशन भी दी जा रही है। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान में भी 60 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को 100 रुपये मासिक पेंशन दी जावे। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और रोडवेज बसों के पास दिये जाने की भी मैं मांग करता हूं। सरकार तुरन्त उपरोक्त मांग को मंजूर कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंचायत समिति लालसोट के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग में मार्च, 1980 तक के डिमाण्ड नोटिस जारी करके सिक्योरिटी राशि भी आवेदकों ने मार्च, 1989 तक जमा करवा दी है। विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि मार्च, 1980 तक के कृषि आवेदकों को वित्तीय वर्ष 1988-89 तक कृषि कनेक्शन दे दिये जायेंगे। माननीय सभापति जी, पंचायत समिति लालसोट में कृषि आवेदकों के करीब 500 कृषि कनेक्शन की सिक्योरिटी राशि जमा कराने के बाद भी अब तक केवल 50 लोगों को ही कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। 31 मार्च, 1889 तक उन सभी 500 लोगों को जिन्होंने सिक्योरिटी राशि जमा कराई थी, कनेक्शन देने की सरकार की घोषणा थी। बाकी लोगों को आज तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, काफी समय के बाद तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मार्च, 80 तक के आवेदकों को कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की थी, जो स्वागत योग्य थी लेकिन दुर्भाग्य है कि विभाग ने किसानों की सिक्योरिटी राशि जमा करने के बाद भी आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में मैंने तथा क्षेत्रीय सरपंचों ने विभाग से सम्पर्क किया तो अब तक कनेक्शन नहीं देने का कारण कनेक्शन संबंधी सामान का विभाग द्वारा समय पर उपलब्ध नहीं करवाना बताया गया एवं सहायक

48

(श्री परसादीलाल मीणा)

अभियन्ता को पर्याप्त लेबर उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी जिससे लाइन खींचने का काम नहीं हो सका है।

अतः सभापति जी, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि विभाग को तत्काल निर्देश दिये जावें कि सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट में जितने भी कृषि कनेक्शन के मामले विचाराधीन हैं, जिनकी सिक्योरिटी राशि जमा की गई है, उन किसानों को तत्काल खेती के कनेक्शन दिये जायें तथा विभाग द्वारा पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करवाई जावे जिससे कनेक्शन देने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो।

आशा है, ऊर्जा मन्त्री मेरे अनुरोध की तरफ ध्यान देकर तत्काल कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करता हूं। महोदय, निवेदन है कि नागौर जिले के साथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रखा है। यात्रियों में निगम के उपेक्षापूर्ण रवैये से भयंकर असंतोष है। इतने बड़े जिले में निगम का केवल एक डिपो नागौर में है जहां पर भी बस स्टैण्ड अभी तक नहीं बना है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां न तो बैठने के लिए ही व्यवस्था है, न छाया है, न वर्षा से बचाव का कोई साधन है और न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है।

नागौर के एक मात्र नागौर डिपो के पास भी एक भी डीलक्स बस नहीं है। यहां तक कि नागौर से जयपुर तक भी डीलक्स बस नहीं है जिसकी मांग बराबर लम्बे समय से चली आ रही है। नागौर नान स्टाप बस भी जयपुर के लिए नहीं है जिसके कारण जयपुर आने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी प्रकार नागौर होकर अजमेर जाने वाली सारी बसें सीधी मेड़ता सिटी होकर जाती हैं। मेड़ता रोड को, जो एक महत्वपूर्ण स्थान है बिल्कुल अलग छोड़ रखा है। होना यह चाहिए था कि उपरोक्त बसों में से कम से कम आधी बसें मेड़ता रोड होकर निकले ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। मेड़ता रोड एक काफी बड़ा रेल्वे स्टेशन है, जैनियों का तीर्थ स्थान है, वहां यात्रियों की काफी भीड़-भाड़ रहती है।

इसी प्रकार मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने व बिना राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट से बसें चलाने में भी ढील बरती जा रही है। उदाहरण के तौर पर नागौर से डेगाना और डेगाना से अजमेर पक्का रोड है परन्तु न तो इस मार्ग को राष्ट्रीयकृत किया है और न ही परमिट देकर बसें चालू की हैं। इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण बस रूट हैं जिन पर बसें चलाने से निगम को तो अधिक आय होगी ही, यात्रियों को भी सुविधाएं होंगी।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये मेरी सरकार से मांग है कि नागौर से जयपुर सुपर डीलक्स बस चलाई जावे, एक नॉन स्टॉप बस चलाई जावे तथा नागौर से डेगाना-अजमेर मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जावे और नागौर से अजमेर जाने वाली

(श्री हरजीराम बुरडक)

कम से कम आधी बसें मेड़ता रोड़ होकर चलाई जावे। अन्य मार्ग जिन पर निगम ने परमिट मांग रखे हैं उन पर भी तत्काल बसें चलाई जावे।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रभुदयाल मीणा।

श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग में उप निरीक्षक (सी. पी.) से निरीक्षक (सी. पी.) के पदों पर पदोन्नति हेतु ली गई परीक्षा में जाति विशेष के लोगों को लेने के लिए अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उम्मीदवारों को नियम विरूद्ध अनुत्तीर्ण करने के सन्दर्भ में मैं नियम 295 के अन्तर्गत सदन में चर्चा के लिए अनुमति लेना चाहता हूं।

महोदय, राजस्थान के पुलिस विभाग में उप निरीक्षक (सी. पी.) से निरीक्षक (सी. पी.) के पदों पर पदोन्नति करने हेतु क्वालिफाइंग परीक्षा लेने हेतु महा निदेशक एवं महा निरीक्षक पुलिस ने दिनांक 27 मई, 1989 के द्वारा बोर्ड का गठन किया था। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 पद व अनुसूचित जन जाति के लिए 5 पद–इस प्रकार 12 पद निरीक्षकों की पदोन्नति हेतु रोस्टर प्रणाली से आरक्षित मानते हुए 29 पदों के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा करवाने के लिए आदेश दिये गये थे। महा निदेशक एवं महा निरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 19 मई, 1989 को संशोधित आदेश जारी कर अनुसूचित जाति के लिए 9 पद व अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद आरक्षित मानते हुए सामान्य वर्ग के 41 निरीक्षक (सी. पी.) के पदों हेतु क्वालिफाइंग परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिये।

महा निदेशक एवं महा निरीक्षक पुलिस द्वारा गठित बोर्ड ने 20 जून से 21 जून को परीक्षा आयोजित की जिसका परिणाम 25 जून, 1989 को घोषित किया गया। उत्तीर्ण 100 में से 4 अनुसूचित जाति के व 4 अनुसूचित जनजाति के थे।

25 व 26 जून को सभी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा प्रेक्टिस एवं आउट डोर की परीक्षा ली जिसमें अनुसूचित जाति के 3 तथा अनुसूचित जनजाति के 2 उम्मीदवारों को अनुत्तीर्ण घोषित किया। साक्षात्कार परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के एक उम्मीदवार को अनुत्तीर्ण कर आरक्षित पद 9 व 7 कुल 16 में से 1 व 1 कुल 2 पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति दी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पद 8 व 6, कुल 14 पदों पर सामान्य वर्ग के विशेष जाति के लोगों में से पदोन्नति कर दी गई। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि यह भारत सरकार की नीतियों के विपरीत है। मैं गृह मन्त्रीजी और राज्य सरकार से मांग करता हूं, निवेदन करता हूं कि देश के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने तीन महीने के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को पुरस्कार देने के लिए और पोस्टें भरने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष अभियान चला रखा है। भारत सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के यह विपरीत है। मैं मांग करना चाहता हूं कि इसको बन्द

(50)

(श्री प्रभुदयाल मीणा)

करें और अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी पद रोस्टर प्रणाली के तहत आते हैं उन पदों को भरने की कृपा करें। मैंने गृह मन्त्री जी को एक कापी दी है और मुख्य मन्त्री जी को भी कापी दी है। डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है कि किस-किस को लिया, कैसे लिया, वह भी मेरे पास है। मैं गृह मन्त्री जी को और राज्य सरकार को उसकी कापी दे दूंगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 295 में आप समय देते हैं, समय बरबाद होता है, उसका जवाब नहीं आता है। पिछले साल के कई हमारे 295 के प्रश्न हैं, आज तक उनका जवाब नहीं आया। कई गम्भीर मामले थे। राज्य सरकार ने यह वायदा किया था कि हम इसकी रिपोर्ट भिजवायेंगे और डाइरेक्टर से जांच करवा करके आप को एक महीने में जवाब दिलवायेंगे, लेकिन एक साल में भी जवाब नहीं आ रहा है। क्या सरकार ने ऐसी कोई नीति बनायी है कि इसका जवाब हमें समय पर मिले। कई गम्भीर मामले थे, मेंहदीपुर बालाजी का हंगामा मचा उसका आज तक जवाब नहीं आया। इसलिए या तो 295 बन्द कर दिये जायं या इनका जवाब समय पर आना चाहिए।

श्री सभापति : इसका जवाब आयेगा।

सुश्री पुष्पा जैन। (अनुपस्थित)

श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, कोटपूतली के अन्दर जो बिजली की सोसाइटी बनी हुई है उससे किसान और जनता काफी परेशान है, क्योंकि बिजली की सोसाइटी के अन्दर उनके लाइन मैन, जूनियर इन्जीनियर, एकाउण्टेंट, क्लर्क के....

श्री सभापति : पढ़ो, आपके पास कागज है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे पास कागज नहीं है।

श्री सभापति : है आपके हाथ में।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, मेरे से पढ़ा नहीं जायेगा।

श्री सभापति : ठीक है, बोल दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : लोगों को इस सोसाइटी से काफी परेशानी होती है। सोसाइटी के अन्दर चुनाव भी नहीं होते, सरकार ने चुनाव भी नहीं कराये। वहां पर बिजली के एक-डेढ़ करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर बार-बार लाइन मैन जला देते हैं, हर महीने के अन्दर एक ट्रांसफार्मर 5-7 लाख का एक ट्रांसफार्मर जला देते हैं। कुछ जूनियर इन्जीनियर, एक्स. ई. एन. और एस. ई. के ट्रांसफर भी किये हैं। आज हम गांवों के अन्दर जाते हैं तो सोसाइटी के लिए लोग कहते हैं कि इस सोसायटी को बन्द करो क्योंकि इससे किसान बहुत परेशान हैं। परसों जब मैं गांव गया तो गांव के सारे लोग मेरे गले पड़ गये कि, साहब, बिजली की यह हालत है, हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं है 5–5 दिन से, 6–6 दिन से। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस बिजली की सोसाइटी को बन्द

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कर दे और जो बिजली सोसाइटी का जो रुपया है उसको बिजली बोर्ड को ट्रांसफर कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज किसानों की जो हालत है वह इस बिजली की वजह से दिन पर दिन खराब हो रही है। एक दिन ऐसा आयेगा, माननीय सभापति जी, कि आन्दोलन करना पड़ेगा कोटपूतली के अन्दर किसान बिल नहीं भरेंगे और बिजली के तार-वार तोड़ देंगे, हालत खराब कर देंगे। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि आप इस सोसाइटी में कुछ न कुछ हल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सभापति : माननीय श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये जयपुर शहर की गांधी नगर कालोनी जहां राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के राज्य कर्मचारी रहते हैं, की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

महोदय, जयपुर शहर के गांधी नगर क्षेत्र में राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्तर तक के राज्य कर्मचारी निवास करते हैं। अत्यन्त खेद है कि इस क्षेत्र में निवास कर रहे उच्च अधिकारियों की ओर सरकार ध्यान देती है और अन्य राज्य कर्मचारी विशेषकर सहायक कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर्स हमेशा उपेक्षित रहते हैं। सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई, मकानों का रख-रखाव, मकानों में परिवर्तन-परिवर्धन जहां उच्च अधिकारियों के बड़े बंगलों में होता है वहीं छोटे क्वार्टर्स में उसके अनुपात में कोई कार्य नहीं होता है।

इस क्षेत्र में एच-851 से 890, 881 से 889 तक की सड़क की मरम्मत तो कई वर्षों से नहीं हुई है। इस क्षेत्र में सफाई की भी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नागरिकों को नालियों की सफाई अपने हाथों से करनी पड़ती है। गन्दे पानी की नालियों की स्थिति इतनी दयनीय है कि गौतम नगर व गांधी नगर के बीच जो नाला क्वार्टर एच-890 के पास है वह वर्षों से साफ नहीं हुआ है। 871 से 890 तक की नालियों की सफाई भी वर्षों से न होने के कारण गन्दा पानी सड़कों पर बहता रहता है जिससे आवागमन में असुविधा रहती है, अतः 890 के पास की नाली को खुर्रा बना कर कवर किया जावे तथा इस क्षेत्र के क्वार्टर्स के बाहर बड़ी व छोटी नालियों की दैनिक सफाई की व्यवस्था की जावे।

राज्य कर्मचारियों की इस कालोनी के साथ ही सटी हुई हरिजन बस्ती गौतम नगर के अन्दर भी सफाई व्यवस्था व सड़कों की स्थिति दयनीय हैं। सड़कें जगह-जगह से टूटी हुई पड़ी हैं। जगह-जगह गन्दा पानी भरा हुआ है जिसके कारण वहां के नागरिकों को नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। गांधी नगर में एच टाइप कालोनी में वहां राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते हैं, पानी की टंकियां नहीं हैं। चौक में टिन शेड नहीं है, वहीं बाउण्ड्री के लिए फेन्सिग (तार बन्दी) भी नहीं है जिसके कारण एच क्वार्टर्स में

(श्री कालीचरण सराफ)

निवास करने वाले सहायक कर्मचारी हीन भावना के शिकार हैं एवं स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं। एच टाइप क्वार्टर्स में विद्युत तारों की फिटिंग क्वार्टर्स के निर्माण के समय ही की गई थी, जो करीब 20-30 वर्ष पुरानी हो चुकी है। इन तारों की स्थिति दयनीय है। बरसात के दिनों में वहां की दीवारों में करण्ट आता है। यही नहीं, बजाज नगर मार्ग पर पूर्व में ब्रह्मपुरी तक बसें चलती थीं, जिससे एच टाइप क्वार्टर्स व गौतम नगर के साथ ही साथ जी टाइप के क्वार्टर्स के नागरिकों को भी सुविधा थी। परन्तु, अब वह सेवा बन्द होने के कारण यहां के नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। शहर के प्रमुख बाजारों के लिए भी वहां से कोई वाहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा व्यवस्था में भी उक्त क्षेत्र उपेक्षित है क्योंकि इस समूचे क्षेत्र में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं है।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि गांधी नगर के एच टाइप क्वार्टर्स क्षेत्र में जहां अल्प वेतन भोगी कर्मचारी रहते हैं, सफाई की समुचित व्यवस्था नालियों की सफाई, सड़कों की मरम्मत, क्वार्टर्स का समुचित रख-रखाव, क्वार्टर्स में पानी की टंकियों एवं चौक में टिन शेड की व्यवस्था, बाउण्ड्री के लिये फेंसिंग आदि की व्यवस्था की जावे। गौतम नगर में जहां हरिजन रहते हैं, सफाई एवं सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था की जाये। इस क्षेत्र में समुचित बस सेवा एवं होम्योपैथी व आयुर्वेदिक चिकित्सालय की व्यवस्था की जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन.... (व्यवधान) आप बीच में कहां से आ गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मान्यवर, मैं समझता हूं कि गांधी नगर में जो राज्य सरकार के कर्मचारी रह रहे हैं और पहले से लेकर आज तक रह रहे हैं, जो कालीचरण जी ने सड़कों की बात कहीं है, मार्गों की दशा, सफाई की व्यवस्था....

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन। आप अपना प्रस्ताव कल दे दें। (व्यवधान) आप लोगों की गलत प्रैक्टिस है, आप अलग से प्रस्ताव दे दीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि आठ बसें चलती थीं, आठ में से दो चल रही हैं।

श्री सभापति : इनका अंकित नहीं करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ×××

श्री सभापति : 295 की यह प्रक्रिया हैं, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा।

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री सभापति : आपने अपना कह दिया। अलग से प्रस्ताव दे दें। यह बात अंकित नहीं करेंगे। समर्थन आपका स्वीकार है। आपका भी समर्थन लिख लिया गया।

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री सभापति : मैं नाम पुकार चुका हूं, कृपया विराजें। सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : सभापति महोदय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियन्ता श्री जगन्नाथ सिंह लोढ़ा का रिवर बेसिन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए चयन कर लिया गया है जो शीघ्र ही 10-12 सप्ताह के लिये इंगलैंड जायेंगे। इस व्यक्ति के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप हैं। श्री लोढ़ा भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं व सरकारी धन का खुलकर दुरुपयोग करने वाले अधिकारी हैं।

श्री लोढ़ा ने पिछले भयंकर अकाल में रणसी से जोधपुर पाइप लाइन बिछाने के कार्य में लगभग 1.5 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। रणसी पाइप लाइन में सबसे बड़ा काण्ड पाइपों के अन्दर किये गये रंग (पेन्ट) का काण्ड है। इस रंग काण्ड के पेटे 80 लाख 33 हजार का भुगतान किया गया। यह रंग काण्ड सिर्फ लोढ़ा के दिमाग की उपज है। कभी भी रनिंग वाटर पाइप लाइन के अन्दर रंग कराने की आवश्यकता ही नहीं होती। पाइप के अन्दर रंग बिना आवश्यकता के कराया गया। पाइपों के अन्दर पेन्ट करने के पहले उसकी सफाई व जंग उतारने का कार्य जरूरी होता है, जिसे नहीं कराया गया। ऐसी कोई भी मशीन या यन्त्र नहीं है, जिससे 40 फुट लम्बे पाइप के अन्दर रंग किया जा सके। श्री लोढ़ा ने पाइपों के बाहर की साइड में जो जमीन के अन्दर दबे हुए हैं, उस पोर्शन पर काला पेन्ट कराने के पेटे 11 लाख का पेमेंट दिखाया है, जो कि 10 हजार का कार्य भी नहीं हुआ है। पाइप का जो भाग जमीन में दबा हुआ है, उसके किनारों पर रंग किया गया जिससे यह भ्रम हो सके कि जमीन में दबे हुए पाइपों पर भी रंग किया गया होगा। पाइप लाइन बिछाने व वेल्डिंग के कार्य के टेण्डर बहुत ही धूर्तता के साथ निकाले गये, पाइप बिछाने व जोड़ने का कार्य टेण्डर में लिखा गया, जबकि दोनों कार्य बिल्कुल अलग हैं। वेल्डिंग सिर्फ मुंह की गोलाई की हुई है, जबकि पाइप की लम्बाई 30 फुट व किसी की 40 फुट है, सारा पेमेंट पाइप लाइन बिछाने व जोड़ने का, पाइप के नाम पर उठा।

इसी प्रकार पाइपों के ट्रांसपोर्टेशन पर लाखों रुपये खर्च किये गये। जो पाइप ट्रक द्वारा जोधपुर आये थे, उन्हें सीधा साइड पर ही उतारा गया। पूरे पाइपों को उठाया गया है व ट्रांसपोर्टेशन की उसे चार गुणा रेटें दी गई हैं। इसी प्रकार पाइपों के लिये जो स्टेण्ड बनाये गये, वे पाइप ऊपर रखते ही टूट गये, क्योंकि वे बहुत ही कमजोर थे व सीमेंट हल्की क्वालिटी की थी। श्री लोढ़ा ने अपने नृसिंह दड़ा स्थित मकान में पिछले दो साल में दस लाख रुपये खर्च किये हैं, क्या सरकार को इसकी सूचना है? यह सब भ्रष्टाचार से कमाया गया धन है, जिसका असेसमेंट कराने से मालूम हो जायेगा। इसके अलावा देव नगर में मकान बनाया व यू. आई. टी. में प्लाट पर मकान बनाने के लिये नक्शा पेश किया गया, जो करीब 10 लाख की लागत का है। एक सरकारी अफसर के पास, सभापति महोदय, इतना धन आखिर कहां से आया? धोखा देकर समिति से प्लाट हड़पना व बाद में

× × × माननीय सभापति के आदेशनुसार अंकित नहीं किया गया।

(54)

(सुश्री पुष्पा जैन)

गुण्डागर्दी का ताण्डव करने पर सी. आर. पी. सी. के तहत 107 में शान्ति भंग करने के लिये इनको पाबन्द भी किया गया। श्री लोढ़ा ने देव नगर में मारवाड़ा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड से धोखा देकर गलत व झूठा प्रमाण-पत्र पेश करके अपनी पत्नी के नाम प्लाट हड़प लिया। प्लाट के साथ ही लगी 250 वर्ग गज भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया। श्री लोढ़ा ने उक्त देव नगर में प्लाट नं. 52 पर सरकार की यू. आई. टी. की करीब 250 वर्ग गज जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है व उस पर पक्की दीवार बना ली, जिसका केस यू. आई. टी. में चल रहा है। इस नाजायज कब्जे की जानकारी आप यू. आई. टी., जोधपुर द्वारा कर सकते हैं। आज तक श्री लोढ़ा के कार्यकलापों की जांच नहीं की गयी। पी. एच. ई. डी. में आज तक जहां भी श्री लोढ़ा की पोस्टिंग हुई है, वहीं लाखों रुपये बनाये हैं, बिना विभाग को चूना लगाये कोई कार्य नहीं किया है। इसके सारे कार्यकलापों की आज तक जांच की जावे तो करोड़ों रुपये के घोटाले मिल सकते हैं। श्री लोढ़ा की विभाग में हर अफसर को खरीदने की ताकत है, क्योंकि करोड़ों रुपये बनाये हैं, इसी कारण आज तक करीब 15 साल तक जोधपुर में उनकी पोस्टिंग रही है। 1979 से 1989 में से केवल दो वर्ष बाहर बाकी अभी तक जोधपुर में ही है व पैसे कमाने की पोस्ट पर लगे हैं। इस सारे काड की जानकारी अपने पास रखने वाले एक ठेकेदार ने भी स्वीकार किया कि उसने स्वयं 20 लाख का कार्य किया, जिसमें 10 लाख रुपये कमाये हैं, व 5 लाख रुपया लोढ़ा को रिश्वत के रूप में दिया है।

इसलिये मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इस सारे कांड की जांच चलाते हुए श्री लोढ़ा का अन्यत्र ट्रांसफर किया जाये, अन्यथा इस जांच का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इस अधीक्षण अभियन्ता का तुरन्त जोधपुर से अन्यत्र तबादला किया जाये और उनको विलायत जाने से रोका जाये।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : सभापति महोदय औद्योगिक नगर कोटा का वातावरण पशु-पक्षियों, फसलों, पेड़-पौधों के लिये एक अभिशाप बन गया है। विकास के लिये ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण है, किन्तु यह विकास जीवन के लिये, हो, जन-धन की कीमत पर नहीं। कोटा नगर में स्थित जे. के., श्री राम रेयन्स, डी. सी. एम., श्री राम केमिकल्स आदि भीमकाय औद्योगिक प्रतिष्ठान और इनके सहयोगी सैकड़ों छोटे-छोटे उद्योग सब मिल कर रात दिन जहर उगलते रहते हैं। कोटा में भयावह वायु, जल एव ध्वनि प्रदूषण का गहन साम्राज्य हो गया है, जिससे कोटा का जन जीवन अस्त-व्यस्त एवं वातावरण एक अभिशाप हो गया है। जल, वायु, ध्वनि, कचरों के ढेर और कीचड़ से लथपथ गंदी गंदी-नालियों से उठती दुर्गन्ध नारकीयता को भोगना और सहना इस नगर की नियति बन गयी है। ऐसी स्थिति में कोटा नगर के समीपस्थ स्थान को तापीय विद्युत परियोजना जैसे महाप्रलयंकारी, प्रदूषणकारी प्रतिष्ठान के लिये क्यों चुना गया? परिणाम यह है कि परियोजना आज बहुचर्चित समृद्धि का कीर्तिमान सिद्ध न होकर वस्तुत: एक विष बन कर रह गया है, जिसके

(श्री हरीश शर्मा)

दुष्प्रभाव से प्रायः समूचा कोटा नगर दम तोड़ने लगा है। परियोजना की चिमनियां चौबीसों घण्टे धुम्रां उगलती रहती हैं। धुएं के अतिरिक्त कोल हैंडलिंग प्लांट और उसके आस पास चढ़ने और पिसने वाले प्रतिदिन हजारों टन कोयले के ढेर। हवा और आंधी के झोंकों के साथ उठने वाली राख और कोयले के कणों से वायु मण्डल में काली चादर तन जाती है। चम्बल के पानी पर चम्बल गार्डन के पेड़-पौधों पर, दूर-दूर तक सड़कों और मकानों के खुले हिस्सों पर काली राख की गहरी पर्त जम जाती है।

समूचा शक्ति नगर, दादाबाड़ी, प्रताप नगर, किशोरपुरा, महावीर नगर, चन्द्रपुरा, सरायकाय स्थान, बसन्त विहार आदि सघन बस्तियां तो इसकी विषैली चपेट में हैं ही, इनके अलावा तलवण्डी, विज्ञान नगर, वल्लभ नगर एवं शॉपिंग सेन्टर जैसे अपेक्षाकृत दूरस्थ कालोनियां भी इसके दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। स्थिति इतनी विस्फोटक है कि इन बस्तियों में नंगे पैर दौड़ने वाले बच्चों के हाथ-पांव एवं कपड़े काले हो जाते हैं। उनके नाखूनों, आंखों यहां तक कि बात करते समय मुंह में भी कोयले के सूक्ष्म कणों से युक्त राख के अंश अन्दर प्रवेश कर जाते हैं जो अनेक लाइलाज रोगों को जन्म देते हैं।

जनता द्वारा बार-बार प्रदर्शन करने, ज्ञापन देने, आन्दोलन करने भी कोटा नगर को प्रदूषण रहित करने हेतु ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग एवं पर्यावरण विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, बल्कि पर्यावरण विभाग पर्यावरण फैलाने वाली इकाइयों को संरक्षण दे रहा है। कोटा को और अधिक प्रदूषित करने के लिये विकास के नाम पर दो भयावह इकाइयां और लगा दी गयी हैं जिससे आप भी प्रभावित हो रहे हैं, सभापति महोदय। पहली रावत भाटा में लगाई है। यह बहुत गम्भीर मामला है। आठ अणु भट्टियां, जिन्हें दक्षिण भारत में आंध्र की जनता ने लठ खाकर और गोलियां सहन करके वहां से भगाया है, वे रावत भाटा, कोटा में लग गई। मुझे दुःख है, मैं भी वहां का नागरिक हूं, कि कोटा के लोगों ने कुछ नहीं कहा। यह नहीं कहा कि वहां से भगाओ। रावतभाटा में जहर उगलने वाली आठ अणु भट्टियां लगा दी गईं। दूसरा है बाघेबेरेन में लगने वाला खाद कारखाना। केवल बाघों को बचाने की खातिर और कोटा के नागरिकों को मारने की खातिर गड़ेपान में लगा दिया गया। सभापति महोदय, मैं विनम्रता के साथ इस सदन से, मन्त्रियों से कहना चाहता हूं कि कोटा पर कृपा करो। हमें मीठा जहर मत खिलाओ। सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि मेरे कोटा में अब वीर और साहसी लड़के पैदा नहीं होंगे। चवन्नी छाप, चाकूमार या लड़कियों से छेड़ करने वाले होंगे। सभापति महोदय, यह चाहे कितना हंसे लेकिन मैंने वैज्ञानिकों से बात की है। मैं हर महीने कोटा की खातिर वैज्ञानिक पत्रिका पढ़ता हूं। हर महीने वैज्ञानिकों से बात करता हूं। लेकिन मुझे गहरा दुःख है कि कोटा के लोग विकास के नाम पर जहर को निमन्त्रण देकर उसको स्वीकार कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं एक सवाल सदन से करना चाहूंगा कि अंगूर की बेलों में अगर बड़े अंगूर लाने हैं तो उनको खून-मांस पिलाया जाता है, जिस

(श्री हरीश शर्मा)

बेल में खून और मांस नहीं रहता, उसके अंगूर तो आते हैं लेकिन खट्टे आते हैं। यही स्थिति हमारे कोटा जिले के प्रदूषण से होने वाली है। इसलिये मैं सरकार से, प्रदूषण निवारण मन्त्री से कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने प्रदूषण हटाने की लड़ाई लड़ी है। सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मेरी बात को सुनी और मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा क्योंकि आपका क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो चुका है। इसलिये आप सरकार को लताड़े और जोर दें कि विकास के नाम पर जो जहर कोटा में फैलाया जा रहा है, इसको रोकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जगजीत सिंह।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा....

श्री सभापति : जरा जोर से बोलें, माननीय सदस्य।

श्री जगजीत सिंह : मेरी बात कौन सुन रहा है, माननीय सभापति महोदय ?

श्री सभापति : वे नोट कर रहें हैं, मन्त्री महोदय नोट करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री तो नोट बनाने में लग रहे हैं।

श्री सभापति : आपकी बातों को नोट कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो फूल-पत्ती बना रही हैं।

श्री सभापति : फूल पत्ती नहीं बना रही हैं, देख लें आप।

श्रीमती विद्या पाठक : आपको कैसे पता कि फूल-पत्ती नहीं बना रही हैं ?

श्री सभापति : मुझे दिख रहा है कि फूल-पत्ती नहीं बना रही हैं।

श्री जगजीत सिंह : यह फूल तो बना दिया....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह अपना नोट केबिनेट में देने के लिये बना रही हैं।

श्री सभापति : जगजीत जी साहब बोल रहे हैं, वे उनका नोट कर रही हैं। नरपत रामजी बरवड़, आप भी कृपया नोट करें।

श्री जगजीत सिंह : माननीय सभापति महोदय, अजमेर जिले के किशनगढ़ से ग्राम खोड़ा गणेश सड़क आर. एल. ई. जी. पी. मद के तहत बनाई गई थी। उक्त सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हर साल लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उसका डामरीकरण अभी तक नहीं किया गया। किशनगढ़ खोड़ा गणेश सड़क बन जाने से पुरोहितों की ढाणी, देवमण्ड की ढाणी, खोड़ा और बुवानी ग्राम इस सड़क से लाभान्वित होंगे। बुवानी में पत्थरों की खानों से ट्रकों का दिन भर आवागमन बना रहता है जिससे राज्य सरकार को रायल्टी भी मिलती है। इस सड़क पर राज्य पथ परिवहन निगम की बसें भी चलती हैं। इस सड़क की लम्बाई

(श्री जगजीत सिंह)

केवल मात्र 7-8 किलोमीटर है परन्तु राज्य सरकार वित्तीय साधनों की कटौती दिखाते हुए इस सड़क का डामरीकरण नहीं कर रही है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त सड़क के ऊपर शीघ्र ही डामरीकरण के आदेश प्रदान करावें।

जाजोता सड़क, जो किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सड़क है, को 1983-84 में अकाल राहत कार्यों के तहत डब्ल्यू. बी. एम. सड़क बनाई गई थी लेकिन 6 वर्ष गुजर जाने के उपरान्त भी उक्त सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ। इस सड़क मार्ग की लम्बाई केवल दो किलोमीटर है। इस सड़क के बन जाने से ग्राम वासियों को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। जाजोता ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है और विभाग के मापदण्ड के अनुसार सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 की आबादी भी है। पूर्व में पथ परिवहन निगम की बस भी चला करती थी किन्तु इस सड़क पर काफी कंकर पत्थर निकल जाने से पथ परिवहन विभाग ने जाजोता गांव के लिये बस सेवाएं बन्द कर दी हैं। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1984 से इस सदन में बार बार प्रश्नों के माध्यम से इस दो किलोमीटर सड़क के डामरीकरण की मांग करता रहा हूं किन्तु साढ़े चार साल हो गये, सरकार बार-बार यही जवाब बता रही है कि वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही डामरीकरण करवाया जायेगा। क्या राज्य सरकार की पिछले छः साल से वित्तीय स्थिति नहीं सुधरी कि एक छोटी सी केवल दो किलोमीटर सड़क का डामरीकरण करवा सके। मान्यवर, मैं तो यह भी समझता हूं कि सरकार द्वारा मेरे विधान सभा किशनगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत जाजोता के साथ राजनैतिक भेदभाव बरता जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को आदेश दिलवायें कि यह छोटी सी केवल दो किलोमीटर की सड़क का शीघ्र डामरीकरण करके ग्राम पंचायत जाजोता के निवासियों को आने-जाने की सुविधा प्रदान करें।

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोराय पाटन में पिछले सात-आठ वर्षों में जिन गांवों का विद्युतीकृत घोषित करके उनको कागजों में विद्युतीकृत बता दिया गया है उसके प्रसंग में कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोराय पाटन तहसील के 19 गांवों का विद्युतीकरण पिछले आठ वर्ष से गत वर्ष तक किया जा चुका है। विभाग ने अपनी प्रगति रिपोर्टों में भी इन गांवों को विद्युतीकृत बताया है। परन्तु बहुत दुःख एवं अफसोस का विषय है कि इन गांवों में वर्ष 1980 से आज दिन तक खम्भे भी नहीं लगे है। ठीक विपरीत मात्र कागजों में ही प्रगति बताकर इन पर किये व्यय की राशि भ्रष्टाचार द्वारा हड़प ली गई है जो जांच का विषय है। जिन गांवों को कागजों में बिजलीयुक्त बताया गया है उनके नाम इस प्रकार से हैं:-

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

गांव का नाम	कोड संख्या	दिनांक
1. जगन्नाथा	47	28.2.87
2. रवाला की जोंपड़ियां	50	29.2.88
3. कोड़दिया बालाजी	51	29.2.88
4. शम्भुपुरा	60	31.3.85
5. डागा हेडी	61	15.2.86
6. भोडोल	65	31.3.87
7. धाकड़ खेड़ी	74	31.3.87
8. अमरपुरा	82	21.12.81
9. अरनिया	83	21.12.81
10. कैलाशपुरा	103	25.1.81
11. गरजनी	107	18.1.83
12. जामली जेड़ा	111	1.1.89
13. लक्ष्मीपुरा	112	1.1.89
14. गेन्दापुरा	113	1.1.89
15. ठीमली	114	83–84
16. जाजमुण्ड	119	30.4.80
17. खेड़ली व्यासान	124	30.4.80
18. कोलाडा	140	15.3.79
19. बीरर	141	15.3.79

(म. प. 1.00)

इसके अलावा केशोराय पाटन क्षेत्र गुडला से इन्द्रगढ़ तक 70 से 80 किमी. की दूरी पर है। इसमें सहायक अभियन्ता का मुख्यालय लाखेरी में होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है। अतः तहसील मुख्यालय केशोराय पाटन पर नया सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोला जाकर नयी नियुक्ति प्रदान करायी जाय। उक्त क्षेत्र में स्टाफ की कमी के कारण उपभोक्ताओं को भारी आर्थिक परेशानी गलत रीडिंग लिखने से हो रही है। कर्मचारी घर बैठे मन चाही रीडिंग लिख देते हैं। इसमें सुधार करवाया जाना जरूरी है। घाट का बराना गांव में पूर्व में दो बार 33 केवी के स्वीकृत सब स्टेशन को बार-बार भेदभावपूर्ण नीति के कारण बदला जा रहा है जो जनहित में ठीक नहीं है।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बिनीय प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि फर्जी बताये विद्युतीकृत गांवों में अतिशीघ्र बिजली पहुंचायी जाय। सहायक अभियंता का नया पद केशोरायपाटन में सृजित किया जाय एवं स्टाफ में वृद्धि कर उपभोक्ताओं से की जा रही लूट को बन्द किया जाय। घाट का वराना गांव में 33 के. वी. का स्वीकृत स्टेशन है उसको अतिशीघ्र स्वीकृति दी जाकर क्षेत्र के गांवों को सुविधा पहुंचाई जाय। माननीय सभापति महोदय, यह कितनी चिन्ता का विषय है। बार-बार उठाते हैं, मैंने कई बार कहा, सारे पैसे हड़प लिये हैं, खम्भे भी नहीं हैं और प्रगति विवरण में साफ दर्शाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण मामला है इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और अनियमितता और क्या हो सकती है ?

श्री सभापति : सरकार से कह रहा हूं कि इसके बारे में ध्यान दे। श्री फूलचन्द। (व्यवधान) माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें। आप मंत्री लोग बात करेंगे तो बाकी लोग क्यों नहीं बोलेंगे। मंत्रियों को छूट थोड़े ही है बात करने की। कृपया सुनें।

श्री सुजानसिंह यादव : साहब विकास की बात कर रहे हैं।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव रख रहा हूं। आपसे निवेदन करूंगा कि या तो नियम 295 के जवाब नहीं आते या जवाब आते भी हैं तो उनकी कोई पालना नहीं होती है। इसके बारे में एक यह प्रस्ताव रख रहा हूं।

पूर्व विधान सभा सत्र में दिनांक 29.3.89 को नियम 295 के तहत जो प्रस्ताव रखा था और जवाब में यह था "पूर्व में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी नीम का थाना चिकित्सालय के पद पर कार्यरत डाक्टर पी. डी. गुप्ता की सिफारिश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर ने दिनांक 7.9.88 को अस्पताल परिसर में एक केण्टीन कम प्याऊ लगाने की स्वीकृति अस्थायी तौर पर दी थी इस स्वीकृति को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर ने दिनांक 5.4.89 को अनियमितताएँ पाये जाने पर निरस्त कर दिया है तथा उप जिलाधीश नीम का थाना को निवेदन किया गया है कि उक्त केण्टीन कम प्याऊ को तुरन्त हटाने की कार्यवाही करें। इस जांच में यह भी पाया गया कि चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर बिना टेण्डर आये जारी की गयी स्वीकृति के क्रम में जांच की जाए।"

परन्तु, महोदय, अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी और वह स्टाल उसी परिसर में चालू है। उसके तहत मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि कपिल चिकित्सालय नीम का थाना की स्टाल हटाने के आदेश की पालना न करने से हो रही हानि के संबंध में निवेदन है—

महोदय, पूर्व विधान सभा सत्र में दिनांक 28 3 89 को नियम 295 के तहत जो प्रस्ताव दिया गया था तथा बाद जांच जो उत्तर विधान सभा सचिवालय से दिया गया कि उक्त अस्पताल परिसर से स्टाल

(60)

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

तुरन्त हटाने व नियम विरूद्ध तथा बिना टेण्डर कार्यवाही करने के खिलाफ बाद जांच सख्त कार्यवाही होगी।

श्री सभापति : बरबड़ साहब, सुनें। मिढ़ा साहब, थोड़ा अपनी सीट पर चले जायं जब तक यह प्रस्ताव चल रहे हैं।

श्री फूलचन्द गुर्जर : परन्तु, महोदय, राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करके उनका मखौल उड़ाने में उक्त क्षेत्र के उप जिलाधीश ने एक नया करिश्मा करके दिखाया है। सरकार के आदेश के बावजूद उसने हटाने के बजाय स्टाल मालिक का संरक्षण किया। तथा उसे पूरा मौका दिया कि वह इस कार्य को न्यायालय में ले जाकर स्टे ले तथा उन्होंने यह भी मौका दिया कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीकर व इन्चार्ज कपिल चिकित्सालय नीम का थाना को अपने गलत प्रभाव में दबाये रखे। महोदय, बावजूद आदेश यह कार्यवाही एक-दो माह तक नहीं हुयी। और इससे स्टाल मालिक उस कार्यवाही में सफल हुआ और इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि उक्त स्टाल का मालिक एक दो माह तक अपने स्टाल को हटाने के आदेश के बावजूद भी चलाता रहा है। उक्त स्टाल के मालिक के भ्रष्टाचार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीकर डॉ. जैन, इन्चार्ज कपिल चिकित्सालय तथा हाल उपजिलाधीश नीम का थाना सहित इस गलत कार्यवाही में लिप्त हैं तथा दोषी आदमी को गलत काम करने की पूरी छूट दी गयी है। यही नहीं शर्म से सिर झुकता है कि इस राजस्थान सरकार के आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ायी जाती हैं। मालिक ने नियम विरूद्ध आदेश हो जाने के बाद भी उसी जगह अपने नाम से स्टाल में विद्युत कनेक्शन लिया। इससे बड़ी कानून की कोई मजाक शेष नहीं बचती है। उक्त प्रकरण में जनता नीम का थाना और मैं स्वयं नियम 295/28.3.89 के प्रस्ताव के जवाब के साथ उप जिलाधीश, नीम का थाना से मिलकर उक्त आदेश की पालना के लिए निवेदन किया था। परन्तु, महोदय, उक्त अधिकारी का जवाब गैर जिम्मेदाराना था कि मैं इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। यह काम चिकित्सा विभाग का है जबकि उस क्षेत्र के सभी विभागों में प्रशासनिक अधिकार उनमें ही निहित हैं।

अतः मैं नियम 295 में सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन कर रहा हूं कि उक्त चाय की स्टाल जो कि कपिल अस्पताल नीम का थाना में अभी भी चालू है जो कि गैर कानूनी रूप से चल रही है साथ ही आपको यह निवेदन है कि वह स्टाल वाला वहां भयंकर रूप से ग्रुपबाजी करता है। अपना दबदबा रखे हुए हैं उसने वहीं के डाक्टर अधिकारियों को अपने वश में कर रखा है तथा गुण्डागर्दी फैला रखी है। इसी का यह उदाहरण है कि कानूनी रूप से उसे हटाने के आदेशों के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। इससे वहां के निवासियों में एक प्रकार का भय व्याप्त है, वर्ग संघर्ष होने का खतरा है, जनता के आदमी बार-बार आकर मुझे बताते हैं जिनकी बाहर स्टाल व दुकानें हैं बार-बार यह प्रार्थना कर चुके हैं कि या तो हमें भी यहां दुकानें खोलने की अनुमति दें, वरना यह स्टाल तुरन्त हटवाने के लिए पुनः निवेदन करें। मान्यवर, यह

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

जनता की मांग है इसलिए इस छोटी सी समस्या को हल करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव मैंने पूर्व में भी विधान सभा में रखा था और जवाब में सरकार यह कहा था कि इस परिसर से स्टाल को तुरन्त हटवाया जाय। यह गैर कानूनी है, बिना टेण्डर रखना ही नियम विरूद्ध है लेकिन बिना टेण्डर रखा गया है उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय उप जिलाधीश को यह निर्देश दिया जायेगा कि हटावें। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, 50 रुपये महीने में स्टाल रखे हुए है और गैर कानूनी रूप से काम हो रहा है। अब तो वह रेडियो आदि भी रखे हुए है और डाक्टर वगैरह वहां बैठे रहते हैं, स्टाल पर। इस तरह से हम 295 का प्रस्ताव रखें और उसकी पालना नहीं हो तो रखना ही बेकार है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर जो पालना नहीं हो रही है, कौन दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें तब ही रखने का अर्थ है। अतः मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जैसे 295 में पूर्व में पालना नहीं हुई है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सभापति : मैं सरकार से कह रहा हूं कि 295 में उन्होंने पहले प्रस्ताव रखा था उसके बाद जवाब भी आ गया और सरकार ने कार्यवाही करने की बात कही उसको देखें और कार्यवाही नहीं हुई है तो कराने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री नाथू सिंह जी।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहूंगा जो पिछले दिनों समाचार-पत्रों में भी निकला है। महोदय, वर्ष 1981 में स्थापित बाल रश्मि सोसायटी जो कि आजकल ग्राम मानसर खेड़ी तहसील बस्सी जिला जयपुर में कार्यरत है, जिसकी संस्थापक एवं संचालिका श्रीमती एलिस गर्ग है, के विरूद्ध भ्रष्टाचार हेराफेरी, एवं निराश्रित बच्चों एव पिछड़ी जातियों के पुनर्वास के नाम पर लड़कियों से गलत कार्य करवाना, गांव में महिलाओं को अश्लील फोटो दिखाना, नशीली गोलियां बांटना, एक ही कार्य हेतु अलग अलग सस्थाओं से अनुदान राशि लेना, चोरों एवं डकैतों को संरक्षण देना आदि आरोप बार-बार लगाये गये हैं, विस्तार से ये आरोप निम्न प्रकार है :–

उक्त बाल रश्मि सोसायटी की स्थापना श्रीमती एलिस गर्ग द्वारा 1981 में निराश्रित बच्चों के पुनरूत्थान एवं पुनर्वास आदि के उद्देश्य से की गई थी, उक्त सोसायटी की संचालिका निराश्रित बच्चों एवं पिछड़ी जातियों के उत्थान के बजाय स्वयं के ही हित साधन में लग गयी, उन्होंने मानसर खेड़ी गांव में लगभग 50 बीघा जमीन नियमों के विरूद्ध हथिया ली यहां तक कि उस स्थान तक सड़क भी नियमों के विरूद्ध बनवाई जिसका किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। उक्त संस्था एक ही कार्य हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से लाखों रुपयों का अनुदान उठाती है जिसका आज तक कभी भी आडिट नहीं किया गया है। उक्त संचालिका

(श्री नाथू सिंह)

ने सांसियों के उत्थान के नाम पर उनकी गेंग बनाकर उनको चोरी एवं डकैती में लगा दिया जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने बार-बार किया एवं उक्त सांसी कई बार चोरी एवं डकैती में पकड़े गये लेकिन श्रीमती एलिस गर्ग ने उच्च राजनैतिक दबाव डलवाकर छुड़वा दिया। सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों यह चोरियों और डकैतियों में पकड़े गये थे, जिन गांव वालों ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाये उन्हीं के खिलाफ मुकदमें दर्ज करवा दिये और कहा कि यह चोर तो हैं ही नहीं, एफ. आई. आर. की कापी है मेरे पास 3 तारीख की रात को ग्रामीण एस. पी. मौके पर पहुंचा, 9 आदमियों ने डकैती डाली गांव में तलाई की ढाणी से 10 कि. मी. दूर है कानोता। तीन आदमी मौके पर पकड़ में आये और 6 भाग गये। बाद में पता चला कि यह लोग कैलाश, जौहरीलाल, सुरेश, मोनूराम, कमलेश, हरीसिंह, पप्पू, रोहतक और पप्पू इन 9 लोगों ने मिलकर डकैती डाली। ये लोग जाकर के बाल रश्मि सोसायटी में शरण ले लेते थे, डकैतियां डाल करके। इसलिए मौके पर जाकर पुलिस ने पकड़ लिया, खुद एस पी. 3 बजे रात्रि को मौके पर पहुंचे। सभापति महोदय, डकैतो में पकड़े गये लोगों को राजनैतिक दबाव डलवा कर छुड़ा दिया। अभी हाल ही में तलाई की ढाणी में नौ सांसियों ने डकैती डाली जिसमें रात के तीन बजे स्वयं ग्रामीण एस पी मौके पर पहुंचे पुलिस एवं लगभग ढाई सौ ग्रामवासियों ने घेरा बन्दी करके उनमें से तीन डकैतों को पकड़ लिया बाद में उनके बयानों से पता चला कि बाकी आदमी स्वयं वही थे, जिनको श्रीमती एलिस गर्ग वर्षों से संरक्षण देती आ रही थीं एवं उन लोगों के विरुद्ध चोरी एवं डकैती के मुकदमें दर्ज हुए थे लेकिन श्रीमती एलिस गर्ग ने दबाव देकर उनको छुड़वा दिया था। इतना ही नहीं इन्हीं लोगों से चलती हुई ट्रेनों में चोरी एवं सामान पार भी करवाया जाता।

निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के नाम पर छोट-छोटी एवं जवान लड़कियों को वहां रखा जाता है एवं उनसे गलत कार्य करवाये जाते हैं। सांगानेर तहसील के ग्राम मंदाउ के बनवारी नाम के सांसी की रेखा नामक 15 वर्षीय लड़की का जबरन अपहरण करवा लिया गया। 15 दिन तक उक्त संस्था में जबरन रखा गया एवं उसके साथ बलात्कार किया गया जो कि उक्त लड़की द्वारा 164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों से स्पष्ट है। मेरे पास रेखा के बयानों की कापी है। उस लड़की ने अपने बयानों में कहा है कि मेरे को किस तरह से उन्होंने इतने दिनों तक रखा और किस तरह से बलात्कार किया गया....

श्री सभापति : आप आगे पढ़ लें।

श्री नाथू सिंह : जो मेरे पास कापी है, यह बोल रही है कि मेरे को 15 दिन तक जबरन वहां रखा गया, मेरा अपहरण कर लिया गया। दो-दो व्यक्ति एक दिन में मेरे साथ नले में बुरा काम करते थे। दिन में नले में ले जाते थे और रात को ढाणी में रखते थे, नाम दिये हैं उसने कि रमेश जौहरी बुरा काम करता था, उसने संभोग किया फिर वापस ढाणी में ले गये। ढाणी में बन्द कर दिया, दूसरे लोगों ने, मेरे साथ एक-एक ने बुरा काम किया यह कहा, 164 में सिद्ध कर दिया।

श्री सभापति : आप पढ़ें आगे।

श्री नाथू सिंह : इस केस में हाई कोर्ट ने एलिस गर्ग और उन लोगों की जमानत रद्द कर दी लेकिन आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि वह मुख्य मंत्री महोदय के नजदीक हैं। मुख्य मंत्री जी ने बाल रश्मि सोसायटी का उद्घाटन किया। मुख्य मन्त्री के साथ एलिस गर्ग की फोटो लगी हुई है और अखबारों में छपी है। इसलिए मुख्य मन्त्री महोदय का डी. आई. जी. को टेलीफोन आ जाता है, मुख्य मन्त्री का आई. जी. को टेलीफोन आ जाता है उसको छुड़वाने के लिए कि इसके हाथ नहीं लगाया जाये। गांव वालों ने वहां प्रदर्शन किया....

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, इस तरह का जनरल एलीगेशन आ जाता है आप या तो उसको सबूत के साथ कहिए कि फलां तारीख को आ गया। इस तरह की बात कहना इतने घिनौने काम में कि मुख्य मन्त्री जी का आदेश आ जाता है, टेलीफोन आ जाता है इसलिए उनको कोई छेड़ता नहीं है यह बहुत गम्भीर बात है उसको सीधा मत कहिए, यह बहुत गलत बात है।

श्री नाथू सिंह : कमलाजी, आपने ठीक ही कहा, उनको ग्रामीण स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। उनकी एफ आई. आर. दर्ज करायी थाने के अन्दर। पुलिस उनको पकड़ ले गयी। इस रेखा नाम की लड़की ने बयान दे दिया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, जबरन मुझे उठाकर ले गये उसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी खास तौर से एलिस गर्ग की। क्या कारण है कि यह पकड़े नहीं गये। डी.आई. जी., आई.जी को फोन कर दिया, पुलिस मजबूर है कि ऊपर से फोन आ जाता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पुलिस को कहते हैं आप कार्यवाही कीजिए। वे यह तो नहीं कहते कि फोन आते हैं लेकिन कहते हैं कि कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन कार्यवाही नहीं कर पाते क्यों नहीं करते....

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, खुद ही अपनी बात में कान्ट्राडिक्शन कर रहे हैं फिर भी बोले ही जा रहे हैं। बहुत जिम्मेदार आदमी हैं आप। लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं।

श्री नाथू सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं बता रहा हूं कि पुलिस पकड़ कर ले गयी, एलिस गर्ग मुख्य मन्त्री जी के घर पर पहुंची मिलने के लिए और उसके बाद पुलिस वापस आ गयी उसका मतलब क्या है ? मैं चुनौती देता हूं, कमला जी, उच्च अधिकारियों को मुख्य मन्त्री जी ने फोन किया कि नहीं किया इसकी आप जांच करवाइये।

श्री अमरचन्द : माननीय सदस्य, कम से कम भाषा को तो ढंग से बोलें। एक ही बात में दो-दो बातें कहीं, टेलीफोन आया और कहा कि नहीं आया। इस तरह बोलें, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति : आप तो पढ़ें।

श्री नाथू सिंह : मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, नाथू सिंह जी विधान सभा में बोल लिया

(64)

(श्री देवीसिंह भाटी)

कि मैं बोलूं जो तो कोई समझे नहीं और म्हारी बात कोई सुणे नहीं, यह खुद ही बोल लिया।

श्री सभापति : बाकी पोर्शन पढ़ें। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : यह मुख्य मन्त्री जी के साथ है....

श्री सभापति : जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं वही अंकित करें। (व्यवधान) आपसी बात-चीत अंकित नहीं करें। लिखा हुआ पढ़ें वही अंकित करें।

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा पवाइंट आॅफ आर्डर है कि 295 में आप हमको पढ़ने के लिए कहते हैं। जब पढ़ने के लिए बात कहते हैं तो उसमें हम आरोप लगाते हैं और आरोप के साथ प्रमाण रखते हैं।

श्री सभापति : रखते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सुन लीजिए।

श्री सभापति : आप अलग से भाषण और देते हैं, औरों के लिए प्रक्रिया दूसरी, आपके लिए प्रक्रिया दूसरी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पहले मेरी भी सुनें, आप अभी एम. एल. ए. की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, सभापति की हैसियत से बोल रहे हैं। मेरा पवाइंट आॅफ आर्डर आपने सुना ही नहीं। मेरा पवाइंट आॅफ आर्डर यह है कि जब मन्त्री महोदय खड़े होकर या कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर यह आपत्ति करें कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका प्रमाण बताइये। यह तो उनकी तरफ से आपत्ति है। यह 164 के बयान पढ़ रहे हैं, 164 के बयान तो अदालत में हुए हैं अदालत के बयानों का हवाला देकर उसको पढ़ना चाहते हैं। उसको आप मना कर रहे हैं। (व्यवधान) मेरी आपत्ति यह है कि वहां मन्त्री महोदय के आपत्ति करने के बाद या किसी भी माननीय सदस्य के आपत्ति करने के बाद 295 को पढ़ते समय यदि कोई पूछे कि प्रमाण क्या है तो उसमें जो 164 के बयान हैं, अदालत में हुए हैं उनको पढ़ना जायज है कि नहीं 295 में ?

श्री सभापति : चार लाइनें थीं पढ़कर सुना दी हैं इन्होंने। (व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : ....तो 295 का जो उत्तर आयेगा वह उसको देखकर ही आयेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : 295 में जो पवाइंट आॅफ आर्डर उठाया है, 295 में सदस्य को पढ़ने का अधिकार है कि इतने वर्डिंग्स का जो आपको लिखकर देते हैं, उसको पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं है। उसके साथ एडीशनल अधिकार माननीय सदस्य को यह नहीं है कि जो 295 का प्रस्ताव उन्होने दिया है उसको तो रख दें और दूसरे को पढ़ने लग जायें।

(समय : 1.25 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

295 में अगर इनको 164 के बयानों का हवाला देना था तो 295 का जो इन्होंने प्रस्ताव दिया है उसी में 164 के बयानों में जो लिखा था....

श्री नाथूसिंह : दिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : It is so.

श्री नाथूसिंह : Yes

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं है। अगर है तो अलग बयान क्यों पढ़ रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I will not allow. Not allowed anybody. I am on the legs. I have heard all these things. आप बैठिये, मैंने सब सुन लिया है।

सुश्री पुष्पा जैन : जब एक ही चीज सामने आ रही है, अगर पढ़ भी लेंगे तो हर्ज क्या है, आप हकीकत से डरते क्यों हैं? आप सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 164 का बयान इस सदन में अगर नहीं आयेगा तो मालूम कैसे चलेगा सच्चाई का? कल को यह कह देंगे झूठ बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पुष्पाजी, आप बैठिये। 295 is 295. There is no discussion इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है, आप 295 पढ़िये, No further लिखा हुआ है वही पढ़िये।

श्री नाथूसिंह : वही पढ़ रहा हूं लेकिन वह कह रहे हैं कि नहीं है बयान।

श्री अध्यक्ष : आप 295 पढ़िये, No further. No discussion here. I will not allow discussion.

श्री नाथूसिंह : अक्षरशः पढ़ रहा हूं। यहां रखी गयी लड़कियां बाद में कहां जाती हैं, इसका भी कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। पता चला है कि उक्त लड़कियों से गलत धन्धा करवाने के लिए दिल्ली, बम्बई एवं अन्य स्थानों पर भेज दिया जाता है।

उक्त संस्था गांवों में लोगों के कल्याण के नाम पर चलते-फिरते हॉस्पिटल भी चलाती है। जिनके द्वारा गांवों की महिलाओं को नशीली गोलियां खिलायी जाती हैं, अश्लील फोटो दिखाये जाते हैं, एवं उनको प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ग्रामीण संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है जिसकी कई बार पुलिस एवं गांव के लोगों ने सम्बन्धित अधिकारियों को रिपोर्ट भी की है।

उक्त संस्था गांवों में कृषि के विकास हेतु मुफ्त में ट्रेक्टर एवं थ्रेशर से काम करवाने का बहाना लेकर ट्रेक्टर एवं थ्रेशर किराये पर चलवाया जाता है, बच्चों को दूध पिलाने के नाम पर डेयरी फार्म चलाया जाता है जिसका दूध बाजार में बेचा जाता है एवं उक्त मामलों हेतु विभिन्न संस्थाओं से अनुदान उठाकर हजम कर लिया जाता है।

उक्त संस्था उपरोक्त विभिन्न कार्यों हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से लाखों रुपयों का अनुदान लेती है यहां तक कि कनाड़ा एवं अन्य देशों से विदेशी सहायता भी प्राप्त करती है यदि इनके एका-

(श्री नाथूसिंह)

उन्टस देखे जायें तो एक ही कार्य हेतु अलग-अलग संस्थाओं से लाखों रुपयों का अनुदान प्राप्त कर या तो हजम कर लिया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है। उक्त संस्था के एकाउन्टस की आज तक कोई भी ऑडिट नहीं करायी गयी है। यदि ऑडिट हो तो यह सारे घपले आसानी से सामने आ सकते हैं।

उक्त मामले की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जब ऑडिट की तो उसमें जो तथ्य भी सामने आये कि इस संस्था ने बहुत सारा अनुदान उठाकर घपला किया है। उक्त संस्था के इन्हीं संदिग्ध कार्य-कलापों, जिसमें कि सांसियों की औरतों को फटे कपड़े पहना कर उनकी फोटो खींच कर....

श्री अध्यक्ष : That is not in your 295. I am reading. This is before me.

श्री नाथूसिंह : वही तो कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : This is before me. Please.

श्री नाथूसिंह : विदेशों से अनुदान प्राप्त कर लिया जाता है। उक्त संस्था के इन संदिग्ध कार्य-कलापों के बारे में पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपने उच्चाधिकारियों को भी बार-बार गुप्त रिपोर्ट भेजी है लेकिन उक्त संस्था की संचालिका श्रीमती एलिस गर्ग के उच्च राजनैतिक सम्बन्धों के कारण आज तक न तो इनकी संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगायी है और न ही इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी है। यहां तक कि उक्त तहसील के सांसियों ने भी श्रीमती एलिस गर्ग के विरुद्ध लिखकर दिया है कि वे उनके नाम पर अनुदान लेकर हजम कर जाती हैं एवं अपराधी लोगों को संरक्षण देती हैं। यह सांसियों ने लिखकर दिया है, जिसकी मेरे पास कापी है, आप चाहते हैं तो मैं सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : You must have enclosed it with the 295. No further Go on. You take undue advantage. (व्यवधान) कृपया बैठिये, कृपया बैठिये। (व्यवधान) नोट नहीं करेंगे इनका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : पढ़िये, जल्दी खत्म करिये।

श्री नाथूसिंह : सोसायटी ने लिखा है कि कुछ लोगों के द्वारा चोरी, डकैती किये जाने पर इसके....

श्री अध्यक्ष : कहां पढ़ रहे हैं आप, कहां पढ़ रहे हैं ? वह गलत है। I will not allow. What is the sense, I want it. नोट नहीं किया जायेगा।

श्री नाथूसिंह : अब तो आगे पढ़ रहा हूं ना।

श्री अध्यक्ष : पढ़िये, जल्दी खत्म करिये।

श्री नाथूसिंह : अतः हम मांग करते हैं कि उक्त संस्था की तमाम उपरोक्त संदिग्ध गतिविधियों की अविलम्ब निष्पक्ष जांच करवाई जाकर इसके विरुद्ध कार्यवाही करवायी जाय। उक्त संस्था का ऑडिट

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नाथूसिंह)

किया जाये, एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किया जाये एवं विभिन्न संस्थाओं से मिलने वाली सहायता, अनुदान को अविलम्ब बन्द करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : नो निवेदन, नो नोटिंग। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। नोट नहीं करेंगे। आप कोई प्रिविलेज्ड हैं क्या ? You are not privileged.

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आई एग्री। जो यहां आता है सबका गम्भीर आता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : इनको नोट नहीं करेंगे। घनश्याम जी।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे, इनका नोट नहीं करेंगे। किसी का नोट नहीं करेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : ×××

श्री अध्यक्ष : सबका गम्भीर आता है, जो माननीय सदस्य देते हैं 295 में, सबका गम्भीर है।

श्रीमती विद्या पाठक : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। रूल्स की रेड कर रहे हैं। हम कहते हैं, उस अण्डरटेकिंग में इतना लॉस हो रहा है, इसमें इतना लॉस हो रहा है। यह पता नहीं कि हम कितना लॉस कर रहे हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : ×××

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : जी हां, सदन में हो गया।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आप प्रिविलेज्ड नहीं हैं।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री रघुनाथ परिहार : ×××

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करें, किसी का नोट नहीं करें।

श्री रघुनाथ परिहार : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय आप नहीं, चेयर इज देयर।

श्रीमती विद्या पाठक : ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : इनका नोट नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपका नोट नहीं हो रहा है। नाथूसिंह जी, कृपया बैठें। ज्यादा एडवाण्टेज लेते हैं।

श्री नाथूसिंह : ××××

श्री अध्यक्ष : जी हां, हर एक का गम्भीर है, आपने गम्भीर इसमें लिख कर दे दिया। माननीय घनश्याम जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, नियम संख्या 295 के अन्तर्गत नगर सुधार न्यास, अजमेर की 20 लाख रुपये की जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में। महोदय, अजमेर नगर सुधार न्यास की वैशाली नगर योजना में एक शॉपिंग सेन्टर की स्थापना के लिए निर्धारित और आरक्षित भूमि है और इसका स्पष्ट उल्लेख नगर सुधार न्यास के दस्तावेजों में है। दिनांक 27 जून, 1989 को उक्त भूमि का नक्शा एक व्यक्ति श्री हेमन्त भाटी के नाम पर नगर परिषद्, अजमेर ने स्वीकृत कर दिया है। इसके पूर्व नगर सुधार न्यास की दिनांक 24 जून, 1989 की बैठक में न्यास के अध्यक्ष ने उक्त भूमि पर शॉपिंग सेन्टर के निमाण की स्वीकृति दी थी। चूंकि इस जमीन के चारों ओर चारदिवारी का अनधिकृत निर्माण करा लिया गया था, माननीय विधायक डाक्टर राजकुमार जयपाल और माननीय श्री किशन मोटवानी ने इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम इस अनधिकृत चार दीवारी को तोड़ने पर बल दिया। चारदीवारी तोड़ने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय में नगर परिषद् के प्रतिनिधियों की सहमति थी परन्तु नगर परिषद् ने सभी कानून-कायदों को ताक पर रख कर उक्त जमीन का नक्शा पास कर दिया। नगर परिषद् ने यह अवैध कार्यवाही करके नगर सुधार न्यास की करीब 20 लाख रुपये की जमीन के स्वामित्व को नकार दिया है। नगर सुधार न्यास को परिषद् के निर्णय की सूचना तक नहीं थी। नगर परिषद् ने उपरोक्त सारी अवैध कार्यवाही एक ही दिन में कर दी और श्री हेमन्त भाटी ने नक्शा पास होते ही तुरन्त रसीद संख्या 47/247 के द्वारा 3938 रुपये भी जमा करा दिये। अजमेर नगर परिषद् की उपरोक्त अवैध कार्यवाही को तुरन्त निरस्त किये जाने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने चाहिए ताकि नगर सुधार न्यास की इस कीमती जमीन पर कोई गैर कानूनी कब्जा नहीं कर सके और कोई अनधिकृत निर्माण नहीं हो पाये। यदि इस मामले में राज्य सरकार ने तुरन्त कार्यवाही नहीं की तो नगर सुधार न्यास की यह लाखों रुपयों की जमीन हड़प ली जायेगी।

कारणों का विवरण : अजमेर की वैशाली नगर क्षेत्र की योजना नगर सुधार न्यास की है और इसमें नगर सुधार न्यास ने कुछ भूमि शॉपिंग सेन्टर के लिये निर्धारित कर दी है। नगर सुधार न्यास की इस भूमि पर शापिंग सेन्टर के निर्माण के प्रश्न पर न्यास की 24 जून, 1989 की बैठक में विचार हुआ था। विधायक माननीय श्री राजकुमार जयपाल और माननीय श्री किशन मोटवानी भी इस बैठक में उपस्थित थे। इन व्यक्तियों ने पूर्व में चूंकि इस भूमि के चारों ओर चारदीवारी का अनधिकृत निर्माण करा लिया था। अत: दोनों

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि इस चारदीवारी को तुरन्त हटाया जाय। इस बैठक में नगर परिषद् के आयुक्त भी मौजूद थे और वह इसमें सहमत थे। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बैठक के तीन दिन बाद ही दिनांक 27 जून, 1989 को नगर परिषद् ने उक्त भूमि का नक्शा एक व्यक्ति श्री हेमन्त भाटी के नाम पास कर दिया और श्री भाटी ने नगर परिषद् में इसकी राशि भी तुरन्त जमा करा दी। नगर परिषद् की इस कार्यवाही से नगर सुधार न्यास की करीब 20 लाख रुपये की भूमि का स्वामित्व समाप्त हो गया। एक व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने की नगर परिषद् की इस कार्यवाही पर तुरन्त रोक लगाये जाने की आवश्यकता है। अतः मैं इस विषय पर ध्यान आकर्षित करता हूं।

महोदय, यह मामला समाचार पत्रों में छप चुका है, राष्ट्रदूत में फोटो सहित छपा है, राज इण्डिया में भी छपा है। राज्य मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य का है, उसका भाई अखबारों में बताया गया है, ललित भाटी, जो अपने मेम्बर हैं....

श्री अध्यक्ष : इसका जल्दी जवाब मंगायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब आप मंगा कर देख लीजिए और इस कार्यवाही को कराइये।

श्री अध्यक्ष : जल्दी मंगायेंगे। 131 का आपका और है, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री ललित भाटी (उप मंत्री चिकित्सा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी नहीं। नो चार्जेज, आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है।

श्री ललित भाटी : फिर यह 295 के अलावा इस तरीके की बात कर रहे हैं और आप सुन कर....

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, आप बैठिये। There is no charge. No charge.

श्री रघुनाथ परिहार : मेरा निवेदन है कि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य का हाथ है जो ललित भाटी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अखबारों में छपा है।

श्री रघुनाथ परिहार : कहा तो है न ?

श्री ललित भाटी : अखबारों में जो छप जाय, सब सही है क्या ? इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दूंगा।

श्री अध्यक्ष : At appropriate time we will give you chance.

श्री रघुनाथ परिहार : यह कब आयेगा, 295 का तो लिखित जवाब आयेगा।

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब आने पर।

श्री रघुनाथ परिहार : 295 का तो लिखित जवाब आयेगा, मैम्बर के पास जायेगा। फिर यह अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन कब देंगे।

श्री अध्यक्ष : वह चांस दूंगा।

श्री रघुनाथ परिहार : तो इनसे इनका पर्सनल एक्सप्लेनेशन ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : चांस दिया जायेगा।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएट टाइम का तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए कि किसी और दिन देंगे। आज ही इनके जवाब के बाद इनको मौका मिलना चाहिए। यह बहुत गम्भीर आरोप है इसलिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन की इनको इजाजत दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी, इसका मण्डे को हम रख लेंगे।

एक माननीय सदस्य : अखबारों में आ जायेगा कल तो। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : एक सदस्य ने आरोप लगाये तो इनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का चांस होना चाहिए।

श्री रघुनाथ परिहार : आरोप की बात तो है, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्य का हाथ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने यह नहीं कहा, पहले आप सुन लीजिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने मन्त्री का भाई बताया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो अभी यह कह सकते हैं कि मेरा कोई हाथ नहीं है।

श्री ललित भाटी : इसमें आप जो निर्णय करें, मैं तो एक्सप्लेनेशन देने की स्थिति में आज भी हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने यह नहीं कहा कि आपका हाथ है। मैंने यह कहा है कि श्री हेमन्त भाटी आपका भाई है। मैंने तो यह कहा है। आपका हाथ कहां कहा मैंने ?

श्री ललित भाटी : हां, आप नहीं कहोगे तो बदल थोड़े ही जायेगा, भाई तो भाई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहा तो मैंने यही कि लोगों की धारणा यह है कि श्री हेमन्त भाटी श्री ललित भाटी का भाई है। मैंने यह नहीं कहा कि आपका हाथ है। अब आपका हाथ आप कर रहे हो तो कर दो इसमें।

श्री ललित भाटी : आपने कहा है कि अखबारों के अन्दर छपा है। अखबारों में तो न जाने क्या-क्या छपता है ? जो अखबारों में छप जाय सब सही है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, तो आपका कोई हाथ नहीं, आप यह कह रहे हैं।

स्पष्टीकरण

श्री ललित भाटी, उप मन्त्री चिकित्सा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री ललित भाटी (उप मन्त्री, चिकित्सा) : नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। यह खरीदी हुई जमीन है। नगर परिषद् के नम्बर आलरेडी उस जमीन के ऊपर हैं। 1947 से वह प्रापर्टी है। उसका प्लाट नम्बर 36, ए. एम. सी. का दिया हुआ है। नगर सुधार न्यास की वह भूमि नहीं है। उस पर एक कमरा बना हुआ था, रसोई

(श्री ललित भाटी)

थी, चबूतरा था, सब पक्का था जब खरीदा। कलक्टर आफिस से उसकी रजिस्ट्री है। पहले से ही ए. एम. सी. की प्रापर्टी वह रही है। उसको चेंज करने के लिए, नया कन्स्ट्रक्शन कराने के लिए नियमों में कोई आदमी अगर नयी स्वीकृति कराता है तो उसके अन्दर किसको एतराज है। 1947 की वह प्रापर्टी है। अब उसको जबर्दस्ती राजनीतिक तूल देकर कोई व्यक्ति अगर इस तरह करने की चेष्टा करे, फिर हमारे इतने सीनियर माननीय सदस्य अगर मुझ से ही जानकारी कर लेते कि भाई, ऐसी बात है, मैं आप से बात करना चाहता हूं। मैं तो सार्वजनिक जीवन में आने के बाद, वैसे ही भगवान की मेरे उपर मेहरबानी है. मुझे आवश्यकता नहीं है छोटे-छोटे काम करने की। मालूम तो प्लाट का मेजर कितना है। 400 गज का छोटा-सा प्लाट है और उसके ऊपर इस प्रकार तूल देने की कोशिश की जा रही है तो यह बेबुनियाद बात है। मैं इनकी बात से किसी प्रकार से सहमत नहीं हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ क्लेरिफिकेशन यह है कि आज पेयजल की मांग पर बहस और यह प्रगति विवरणिका हमको मिली है। अब आपको मैं बताता हूं, यह शुरू होती है पेज नम्बर 23, पेज नम्बर कुछ नहीं, पेज नम्बर कुछ नहीं, पेज नम्बर 22, पेज नम्बर 19 और उसके बाद पेज नम्बर कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसको देख लेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सुन लीजिए। पेज नम्बर कुछ नहीं, फिर पेज नम्बर 18, फिर पेज नम्बर 19.... और इसके बाद पेज 10 यानी 1 से 10 तक तो पेज ही नहीं है और 10 पेज के बाद कन्टीन्यूशन में है और उसके पहले जो हैड्स दिये हैं, हैड 11.8, बीसलपुर पेयजल योजना, यहां जो लिखा है कि नारू रोग के कारण एवं इसके उपचार हेतु जनचेतना जागृति कार्यक्रम इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा देने एव नागरिकों में नारू रोग के प्रति जागृति पैदा करने के लिये ग्रामीण सम्पर्क दल की सहायता ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाभड़ाजी इसको देख लेंगे क्या है, सभी में ऐसा है या....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, मैं तो इसको क्या पढ़ू अब....

श्री अध्यक्ष : हम देख लेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, 1 से 10 तक तो पेज ही नहीं हैं साहब ?

श्री अध्यक्ष : और मैं ऐसा है चैक कर लेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, आप चैक क्या करेंगे 10वें पेज पर दिया है यह देखिये 9वें पेज को, 9वें पेज पर जो शुरू होता है 26 नम्बर से, वाहन चालक 1 से 25 तक का मामला गायब। उसमें बाद में जो शुरू होता है तो उसमें पिछला रेफरेन्स ही गायब। यह रिपोर्ट हमको आज मिली है। अब इसमें क्या करना चाहिए ?

श्री परसादीलाल मीणा : हमारी किताब ले लीजिए आपकी में नहीं है तो ?

श्री अध्यक्ष : हां, किसी एकाध में गलती हो गयी होगी ?

श्री परसादीलाल मीणा : हमारी किताब आप ले सकते हैं आपकी में पेज अधूरे हैं तो, मान लो किसी ने उड़ा लिये हों रास्ते में....(व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : हमारी में पेज पूरे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, सब में है तो फिर यह मुझे क्यों दी गयी ?

श्री अध्यक्ष : एकाध में हो गया होगा आप देख लें यह ठीक है, मिस प्रिन्ट हो गया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 1 से 9 तक क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अभी आप तैयारी कर लेना, जब इसमें भी है. उसमें भी है, आपकी बगल जो रखी है वह भी ठीक है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरे तो घर पर आयी है....

श्री रघुनाथ परिहार : माननीय भाभड़ा साहब मैंने बुकलेट भेजी है वह ले लीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, यह भिजवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : 131 ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह आपके मन्त्रालय के काम करने के तरीके का सवाल है। यह, "प्रथमग्रासे मक्षीका पातम"। यह अभी बहस शुरू ही नहीं हुई और उसके पहले ही यह हो रहा है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नेहरू जन्म शताब्दी पर जन सुविधाओं को जिला परिषदों को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुमित्रा सिंह जी यह कह रही हैं कि माननीय शीशराम जी ओला के पास पहले यह विभाग था इसलिये यह गड़बड़ी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने नेहरू जन्म शताब्दी के मौके पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के सभी उच्च प्राथमिक शालाओं एवं वानिकी कार्यक्रम, गांव में मौजूद बी श्रेणी के सभी आयुर्वेद औषधालयों एवं हैण्ड पम्पों को जिला परिषद् को सौंपने का निर्णय लिया है। यह सब बिना तैयारी के किया गया है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पूर्व तैयारी नहीं की, आम जनता का विचार है कि सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जबरदस्त अन्याय है क्योंकि जिला परिषदों के पास न ही प्रशासन है, न ही अनुभव है और न ही इसके लिए कोई बजट का प्रावधान है। मात्र सर्विसेज को डेपुटेशन पर स्थानान्तरित किया गया है। शिक्षा, चिकित्सा एवं पेयजल में राज्य सरकार के कदम से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ग्रामीण क्षेत्रों में इन अध्यापकों की एव आयुर्वेदिक वैद्यों की इस राजनैतिक प्रेरित कदम की निन्दा की है। शिक्षा, चिकित्सा एवं पेयजल जैसी सुविधा को सरकार राजनीति का माध्यम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। इससे समस्त राजस्थान के ग्रामीणों में असंतोष के स्वर उभर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक विद्यालय हमने पंचायत समितियों को दे रखे हैं, वह एक प्रयोग करके हमने अनुभव किया था, वह अपन सब के सामने हैं, उसकी स्थिति क्या रही? उसके बाद में राज्य सरकार ने घोषणा की कि उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला परिषदों को स्थानान्तरित किये जायेंगे लेकिन इस संबंध में मेरे कुछ प्रश्न हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह तय किया गया था कि आज के दिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेंगे और वह शहरी क्षेत्र के अन्दर नहीं आ सकेंगे, क्या उनकी सर्विसेज हमेशा के लिये जिला परिषद् की हो गयीं? सीकर जिले का अगर एक अध्यापक बाड़मेर में कहीं सर्विस करता है तो क्या वह हमेशा बाड़मेर जिला परिषद् के अन्तर्गत ही काम करेगा या सीकर जिले में आप सुन लीजिये बाद में जवाब दे देना या सीकर जिले में स्थानान्तरित किया जा सकेगा? क्या उसकी मैरिट लिस्ट प्रमोशन के आधार पर बनेगी या वह राज्य सेवा में था तो राज्य की सर्विसेज के आधार पर उसकी सर्विस काउन्ट की जायेगी। क्या उस अध्यापक के विशेष प्रमोशन की बात होगी, तो वह जिला स्तर पर मिलेगी या राज्य स्तर पर मिलेगी?....(व्यवधान) डेपुटेशन पर तो किया ही है। आपने सारी सर्विसेज का डेपुटेशन किया है और डेपुटेशन करने के बाद में जिला परिषद् और राज्य सरकार के बीच में कौन उनका ट्रांसफर करेगा, कौन उनके प्रति अनुशासन की कार्यवाही करेगा....अभी तो सभी डेपुटेशन पर हैं अतः आज जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उससे अध्यापक हैं, वह समझने की स्थिति में नहीं हैं कि वह किसके हैं? वह जिला परिषद् सर्विस के व्यक्ति हैं अथवा राज्य शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं या आपके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के कर्मचारी हैं?

आज इस प्रकार की स्थिति उनके अन्दर पैदा हो गयी है। इसके साथ मैं पूछना चाहता हूं कौन उनका प्रमोशन करेगा, कौन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? उनके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार क्या आपने जिला परिषदों को दे दिया और जिला परिषद् में किसके अधिकार में दिया, क्या सम्पूर्ण जिला परिषदें करेंगी, क्या जिला प्रमुख करेगा या आपने जो एडीशनल इन्सपेक्टर वहां पर बैठा दिया है ले जाकर सैकण्ड ग्रेड का, जिले में इन्सपेक्टर दिया है उसको छोड़कर, वह उस पर कार्यवाही करेगा? क्या वह व्यक्ति मिडिल से सैकण्डरी स्कूल में जाना चाहेगा तो उसको क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी?

यह सारी बातें माननीय मंत्रीजी इस प्रकार की हैं जिसमें रिक्तता पैदा हुई है। आज इन सारी बातों के कारण ठीक प्रकार की स्थिति हम शिक्षा के बारे में नहीं दे पा रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में राज्य सरकार ने क्या तैयारी की है वह मैं पूछना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के बारे में पूछना चाहूंगा कि आपने बी श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सालय जिला परिषदों को स्थानान्तरित किये हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जिन वैद्यों को आपने जिला परिषदों में स्थानान्तरित किया है उनके ट्रांसफर्स डाइरेक्टर करेगा, डिप्टी सैक्रेटरी करेगा, मिनिस्टर करेगा या जिला परिषदों के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण होगा। क्या इन जिला परिषदों में जो आयुर्वेद के कम्पाउण्डर्स, वैद्य हैं या कोई भी हैं वह आपके मंत्रालय के अन्तर्गत रहेंगे या वह आयुर्वेद मंत्रालय के अन्तर्गत रहेंगे ? अगर आपको चैकिंग करने की पावर्स है तो आयुर्वेद मंत्रालय क्या करेगा ? अगर इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी होगी तो क्या इसका अधिकार पंचायती राज मंत्री का है या उनको रहेगा ? क्या वह शहरी क्षेत्रों के अन्दर आ सकेंगे या शहरी क्षेत्रों से वापस जा सकेंगे ? शहरी क्षेत्र में काम करने के लिये जो प्रिविलेज्ड है, आज सीकर में काम करने वाला आदमी है और सीकर के पास में चिमनपुरा में काम करने वाला आदमी है, आपने शहरी क्षेत्रों के अन्दर शिक्षा संस्थायें राज्य के अधीन रखी हैं, उनको बहुत बड़ी सुविधायें देने की बात की है। यह दोहरा मापदण्ड आप क्यों अपना रहे हैं ? इस मामले के अन्दर इस आयुर्वेद सर्विसेज के बारे में आप क्लियर करिये। यह आयुर्वेद की जो आपने सर्विसेज दी हैं इनके ट्रांसफर्स कौन करेगा, इनकी पोस्टिंग करने का अधिकार किसका है, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कौन करेगा, एक्शन कौन लेगा और इनकी सर्विसेज, किस प्रकार की सर्विसेज काउन्ट की जायेगी।

इसी प्रकार से मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय आपने कहा पी.एच.ई.डी. के कुछ काम अपन दे रहे हैं, मगर पूरे काम नहीं दे रहे हैं। हैण्ड पम्प कुछ जिले में ट्रांसफर किये हैं। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्पों की तकनीक जानने वाले आदमी पंचायतों के पास नहीं हैं और न जिला परिषदों के पास कोई स्टाफ है तो क्या आप डेपुटेशन पर पी.एच.ई.डी. का कोई स्टाफ जिला परिषदों को भेज रहे हैं और पी.एच.ई.डी. का जो बजट है उसको कट कर जिला परिषदों में भेज रहे हैं, क्या इन हैण्ड पम्पों को ठीक करने के लिये आदमियों को एम्प्लाय करने का अधिकार जिला परिषदों को दिया है और अगर वह आपने नहीं दिया है तो हैण्ड पम्पों के जो भी रख-रखाव का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके खराब होने पर ठीक करने का वह सारा पैसा पी.एच.ई.डी. के फण्ड से खर्च होगा या पंचायती राज के फण्ड से खर्च होगा या जिला स्तर पर अलग से व्यवस्था की जायेगी ? इन सारी बातों से रिक्तता पैदा हुई है और यह सारी तैयारी नहीं की है। क्या इसके लिये अपने को कोई कानून बनाने की आवश्यकता है ? आज मैं चाहता हूं कि यह स्थिति क्लियर हो। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय ऐसा लग रहा है कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में अगर सुधार करना चाहें पंचायत समिति तो क्या वह उस कोर्स को चैन्ज कर सकती है, क्या अपने जिले की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर सकती है। आपने जो कोर्स बना रखा है उसका निरीक्षण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करने का काम पंचायत लेवल पर होगा, जिला परिषद् के आदमी उसमें जायेंगे, क्या सरपंच और पंच शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की मन्शा रखते हैं और वह उसमें किसी प्रकार का सुधार कर सकते हैं ? तो यह सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें रिक्तता हैं और उस रिक्तता के कारण से आज ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार से अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, अराजकता इस बात से नहीं कानून और व्यवस्था की, अराजकता इस बात से है कि आज किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। इसलिये मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में मापदण्ड दिये हैं, क्या नीति बनायी है और क्या योजना बनायी है जिसके कारण से यह आपने जो राजनीतिक कदम उठाया है, यह वाकई सुधार करने के लिये कदम उठाया है, इसको आप किस प्रकार से सफल कर रहे हैं ?

इसलिये मैं इस विषय की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेद-भाव और खिलवाड़ नहीं हो। यही मेरा ध्यानाकर्षण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (पंचायत राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण दिया है और यह गये महीने में भी इन्होंने दिया था और उसका उत्तर सरकार ने इनके पास भेज दिया था। अब दुबारा इनका यह आया है, मैं समझता हूं कि वही का वही उत्तर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके पास भेज दिया हमें क्या पता कि क्या उत्तर इनको भेजा है ? हमें बता दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विधान सभा के सचिवालय ने ही लगाया है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह हमने ही भेज दिया था। अब हमने दुबारा विधान सभा सचिवालय को यही लिखा है कि माननीय सदस्य को यह प्रश्न गत महीने में आ गया था और इसका हमने यह उत्तर दे दिया है। फिर यह का यह आया कि इस फलां नियम के तहत इसको दुबारा भेज रहे हैं तो वही का वही है जो आपके विधान सभा सचिवालय ने अगर माननीय सदस्य को नहीं दिया तो बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : बतलाइये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बता रहा हूं। वह बात तो बताऊं पहले क्या हुआ। तो हमने जो इसके पश्चात् उत्तर दिया था। एक तो मैं वह बता देता हूं, जिसकी सब जानकारी चाहते हैं और इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी इन्होंने उठाये हैं, उनको भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि न कोई अराजकता की बात है, न कोई शिथिलता की बात है, न कोई ग्रामीण जनता के या किसी कर्मचारी के लिए दिक्कत की बात है। ऐसी बात नहीं है। पर मैं स्पष्ट कर देता हूं इसको। आप समझ लें, उस बात को। दो अक्टूबर, 1959 को नागौर में पंचायत राज व्यवस्था के शुभारम्भ के पश्चात् के

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

23 वर्षों की व्यवस्था में कुछ आधारभूत परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस की गई । 30 जनवरी, 1982 को बीकानेर में पंचायतराज सम्मेलन एवं 19, 20 जुलाई, 1983 को प्रमुखों और प्रधानों का भीलवाड़ा में आयोजित किया गया सम्मेलन, 7 अक्टूबर, 1984 को जयपुर में सम्मेलन विभिन्न कार्यकारी दलों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर पंचायत राज को नवीन जीवन देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये लेकिन बगैर सोचे समझे ही ये कहते हैं कि साहब यों कर दिया । बहुत विचार विमर्श हुआ उसके बाद आगे गति आयी है । मुख्य मंत्री महोदय ने 20.7.87., 24.2.88 एवं 9.9.88 में जयपुर में 27 जिलों के जिला प्रमुखों से व तत्पश्चात्, विभागाध्यक्षों से पंचायत राज को अधिक प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार देने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया और ग्रामीण क्षेत्र की सभी उच्च प्राथमिक शालाओं, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, ग्रामों में मौजूद बी श्रेणी के सभी आयुर्वेदिक औषधालय, जिला परिषदों को सौंपने का निर्णय लिया जा चुका है । हैण्डपम्प योजना ग्रामीण क्षेत्र की जनता के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं उनमें से परीक्षण के तौर पर अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिला परिषदों को सौंपने का निर्णय लिया गया है । यह कहना कि यह सब बिना तैयारी के किया गया है, सत्य नहीं है । राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में 1959 से 1988 तक पूर्ण रूप से सोचने समझने, तैयारी करने, ग्रामीण क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के पश्चात् यह व्यवस्था जिला परिषदों को हस्तान्तरित की है । जिला परिषदों ने आवश्यकतानुसार प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के पद सृजित किये गये हैं जिनके लिए नियमानुसार बजट का प्रावधान किया गया है । जिला परिषदों से प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन शृंखला के 24 अधिकारी एवं 3 आई. ए. एस. अधिकारी, मुख्य अधिशासी अधिकारियों के पदों पर नियुक्त किये गये हैं । यह कोई राजनीति से प्रेरित कदम नहीं है अपितु ग्रामीण जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके विकास एवं प्रगति के लिए किया गया प्रयत्न है । सरकार ने यह सारी सुविधायें देकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को प्रशासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया है । लोक-महत्व की दृष्टि से कहीं भी असंतोष व्याप्त होना प्रतीत नहीं होता है अपितु इस कदम की ग्रामीण जनता ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । यह तो मैंने माननीय सदस्य को जाप्ते में उत्तर भिजवाया है । अब इन्होंने कोई थोड़ी बहुत एकाध बात इसके अतिरिक्त भी कही है । मैं यह कहना चाहता हूं, उस समय मैंने पंचायत राज के मामले पर भी शिक्षा पर निवेदन किया था । पंचायत राज में शिक्षा आई उसके बाद लोग कहते हैं स्तर गिरा है । गिरा है, नहीं गिरा है यह तो विवाद का विषय है पर मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सब माननीय सदस्य समझें तो सही । पंचायत राज के पास शिक्षा केवल व्यवस्था के लिए आयी है । नीति निर्धारण का काम अब भी शिक्षा विभाग का है, शिक्षकों के पदों का काम अब भी शिक्षा विभाग का है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जरा सुन लीजिए।
(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : यह जो आप कह रहे हैं। यही बात हम कह रहे हैं कि आपने सारा का सारा यों ही कन्फ्यूजन करके और सारा मामला खराब कर दिया।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप मुझे पूरी बात कहने दीजिए। आपका ठीक है। उतना ही कहा है कि उनका मैं उत्तर दूंगा। बीच में जरा गड़बड़ हो जाती है। न आपको भी पूरा जवाब मिल पाता है, मैं भी समझ नहीं पाता हूं तो मैं यह निवेदन करता हूं कि यह जो कहीं कमी, खामी कोई आपको पंचायत राज के लिए जो कहते हो न। असल में सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही प्रजातन्त्र का असली स्वरूप है और उसका स्वरूप यह है कि पंचायत में काम आने वाला हर एक विभाग पंचायत में डील होना चाहिए, तहसील स्तर के विभाग पंचायत समिति से और जिला स्तर के विभाग जिला परिषद् से और प्रान्तीय स्तर के विभाग प्रान्तीय सरकार से और केन्द्रीय स्तर के काम सारे केन्द्रीय सरकार से। सच बात तो यह है कि जनतन्त्र में विकेन्द्रीकरण के बिना जनतन्त्र का स्वरूप ही नहीं निखरता। अब उसमें अगर हम एक-एक कदम आगे बढ़ते हैं तो माननीय सदस्यों को इसका स्वागत करना चाहिए और उसमें अगर कोई कमी, खामियां हैं तो अपने सुझाव देकर उसको ठीक करना चाहिए न कि उस व्यवस्था का विरोध। एक प्रकार से यह हवा बनायी जा रही है कि पंचायत राज में शिक्षा के आने के बाद स्तर गिरा है इसलिए उच्च प्राथमिक शालायें क्यों दे दी ? श्रीमान् यह को यह व्यवस्था यदि जहां कहीं पंचायत में न आ के शिक्षा विभाग में भी रहती तो इसकी एक कदम भी आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। आप खुद ही विचार कीजिए कि जो परीक्षा न लेने की प्रथा चली है। पहली, दूसरी की परीक्षा नहीं लेना चाहते हैं, तीसरी, चौथी की परीक्षा तो लेते हैं पर किसी को फेल नहीं करते हैं। पांचवीं की केवल परीक्षा होती है। लोगों ने बात-बात में यह भी कहा है कि साहब इसकी वजह से भी पढ़ाई का स्तर गिरा है। यदि गिरा है तो हमने भी इस पर सोचा है। हमने शिक्षा विभाग को कहा है। हम अपना केरीकूलम नहीं रखते हैं। हम शिक्षा नीति निर्धारण नहीं करते। केवल सरकार ने व्यवस्था के तौर पर पंचायत राज को यह सौंपा है। यदि नीति निर्धारण का काम, केरिकूलम तय करने का काम, अध्यापकों के पद सृजित करने का काम भी पंचायत विभाग को दे दिया जाय तो आपको एक शिकायत नहीं आयेगी इस विषय में। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पंचायत विभाग के जिम्मे काम है उसको आप समझ के आलोचना करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत तो आपकी खुद की पंचायतें हैं, खुद की पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद् हैं। यह जो सेक्रेटेरियट के अन्य विभाग की शक्तियों को यदि सरकार वहां से हटाकर आपके गांव में, आपकी समिति में, आपकी जिला परिषद् में दे रही है। यानि एक प्रकार से जो विकेन्द्रीकरण हो रहा है यह तो आपके नजदीक लायें जा रही है सत्ता को और विभागों को। इसका तो आप सबको बड़े खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए और अगर इस समय कोई कमी, खामी हैं तो मदद करनी चाहिए

(78)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

आपको और सरकार को इस मामले में आपको बताना चाहिए कि यह यह काम और करो साहब। बजाय इसके कि यह मत करो तो मैं कहता हूं कि उच्च प्राथमिक शालाओं के जो भी अध्यापक आये हैं जिनको हमने जिला परिषदों में दे दिया है, यह केवल व्यवस्था के लिए है। यह विभाग के तहत नहीं है। जिस तरह प्राथमिक शाला के अध्यापकों की व्यवस्था है, वही उच्च प्राथमिक शाला के अध्यापकों की होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई एजूकेशन में जाना चाहे। आज हमारे यहां नियम बने हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा से भी कोई एजूकेशन विभाग में जाना चाहे तो उसके भी नियम बने हुए हैं। एजूकेशन से कोई प्राथमिक शिक्षा में, पंचायत राज में आना चाहे तो उसके भी नियम बने हुए हैं इसलिए वे नियम ही रहेंगे जो प्राथमिक शिक्षा पर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हो गये क्या ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हां, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हां, यह सब हो गये साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, हो ही नहीं सकते। यही प्रश्न है इसका कोई मतलब ही नहीं होता साहब।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जहां तक आयुर्वेद का सवाल है। आयुर्वेद के लिए उसमें प्रक्रिया में इतना-सा हम आपको बताना चाहते हैं। यह बी श्रेणी के आये हैं इसमें जैसे स्थानान्तरण की बात है विभाग ने हमसे कहा है इनमें से कि जो दो साल से अधिक के हैं उनका तो जिला परिषद् ही स्थानान्तरण कर सकती है। यदि दो साल से अधिक का है तो विभाग से मंजूरी लेनी चाहिए और वह भी एक जनरल सिस्टम के तहत है। जहां तक एक जिले से दूसरे जिले में जाने का सवाल है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या जिला परिषद् डाइरेक्टर का नौकर हो गया है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : नहीं, नहीं। कोई नौकर नहीं हुआ वह तो दो साल से अधिक की बात है तो हर एक विभाग में इस तरह होता है कि यदि कोई इस प्रकार की तारीखें तय कर दे, साल भर, दो साल के लिए तय कर दिया जाय तो राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। वहां भी रहते तो मंजूरी लेनी पड़ती, यहां रहते तो लेनी पड़ेगी। इसमें भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसलिए एक तीसरी बात आपने जो हैण्ड पम्पों की कही है। फिलहाल हमने यह 5 6 जिलों को परीक्षण के लिए दिया है। यह भी मैं आपसे निवेदन करता हूं जानकारी के तौर पर। अभी तक नहीं दिया। हम जुलाई के बाद क्योंकि यह गर्मियों के दिन थे। हम यह जानते थे कि विभाग के परिवर्तन की कहीं सर्दी में कोई संक्रमण काल में किसी प्रकार की गर्मियों में किसी को पेयजल का संकट पैदा हो इसलिए उस सारी जिम्मेदारी को अभी से विभाग निभा रहा है। जुलाई के बाद हम इन 6 जिलों में इसका परीक्षण करने जा रहे हैं और परीक्षण का मतलब यह है कि पानी पीने वाले आपके, यह व्यवस्था आपके पास। यह परीक्षण कोई अनहोने परीक्षण की बात नहीं है बल्कि जिन लोगों का काम है उन्हीं के हाथ में व्यवस्था देने जा रहे

(श्री भैरू'लाल भारद्वाज)

हैं। अब जिनके हाथ में काम है वे ही अपनी व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं तो फिर तो यह आप देखिये प्रजातन्त्र में यह तो कोई बात नहीं हुई। हम सारे प्रान्त की व्यवस्था सुधार सकते हैं तो जिला परिषद् के बजाय जिले की व्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती इसलिए माननीय सदस्यों को मेरा इतना ही निवेदन है कि पंचायत राज आपका खुद का राज है जिसके प्रजातन्त्र के आप और हम भागीदार हैं। यह इसका एक परिष्कृत और असली सवाल है विकेन्द्रीकरण इसलिए इसमें आपको मनोयोग से लगना चाहिए और जितना हो सके इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की क्षमता बढ़ाने, हौसला अफजाई करने और सुझाव देकर के सरकार के कार्य में गति देनी चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

(2.00 म. प.)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। माननीय मन्त्री जी, आप वह आदेश सदन के पटल रखें जिससे आपने यह प्रमाणित कर दिया कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर बनाये उनको आपने क्या पावर्स दी हैं और इन्सपेक्टर्स आपने लगाये हैं उनको आपने क्या पावर्स हैं ? आयुर्वेद के बारे में आपने क्या रूल्स बनाये हैं ? बिना रूल्स बनाये आपका यह आदेश नहीं चल सकता। अब आज स्थिति यह है कि आपने किसी के भी रूल्स नहीं बनाये। रूल्स बनाये क्या आपने ?

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : रूल्स तो आयुर्वेद के बने बनाये हैं, जैसे एजूकेशन में प्राइमरी के हैं इधर एडाप्ट हो गये, उसी तरह की स्थिति वहां हैं। व्यवस्था की बात है। रूल्स तो बने बनाये हैं आयुर्वेद के।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, पहले सारे प्रश्न कर लें उसके बाद जवाब देंगे आप। नोट कर लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने न तो डेपुटेशन के रूल्स बनाये, न सर्विस को ट्रांसफर करने के रूल्स बनाये, न आपने डिपार्टमेंट की कोई ट्रांसफर पॉलिसी तय की, न आपने यह तय कर दिया किस प्रकार अध्यापक शहर में आयेगा और किस प्रकार अध्यापक बाहर जायेगा। न आपने यह बताया कि आप जिला परिषद् के नौकर हो या राज्य सरकार के नौकर हो। एक तो यह बहुत बड़ी भ्रान्ति है जिसको आपने स्पष्ट नहीं किया।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने आयुर्वेद के बारे में रूल्स बनाये, क्या आपने रूल्स बनाकर यह कहा है कि आपके यह एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स हैं जिसके अन्तर्गत आपने जिला परिषदों को दिया है और दो साल तक ट्रान्सफर करने का या नियुक्त करने का अधिकार दिया है, चैकिंग करने का अधिकार दिया है। किसी नियम के अन्तर्गत तो दिया होगा। तो वह कौनसे नियम हैं, जिसके अन्तर्गत दिया। वह किसी गजट में आपने प्रकाशित किया है तो वह आप पढ़ दीजिये। आपके पास नहीं हो तो आप मंगा कर सदन के पटल पर रखवा दीजिये ताकि हमको कम से कम यह पता लगे कि पंचायती राज ने किया क्या है ? आज स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं

80

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कह रहा हूं कि आज स्थिति यह है कि गांवों में शिक्षा की अराजकता की स्थिति है। किसी को पता नहीं है और वह वहां आन्दोलन पर उतारू हैं। आज आयुर्वेद के छात्र बाहर प्रदर्शन करते हैं उसके बारे में किसको जानकारी है ? आपने हैण्डपम्पों के बारे में कहा, ठीक है, मैं बोलता नहीं। आप उसका परीक्षण करेंगे। लेकिन सामाजिक वानिकी प्रोग्राम में आपने क्या पावर दिये हैं ? आपने बजट का टेक्स लगाने का, क्या प्रावधान किया ? आप बजट देंगे, आप कर्मचारी देंगे ? फिर आपने दोहरी व्यवस्था कर दी। आप कह रहे थे कि आपको पावर नहीं है। कार्यवाही विभाग करेगा इसलिए आपके हिसाब से सारा काम अधूरा है तो यह अधकचरा काम किया है। या तो पहले से पूरा काम करो, एक काम तो पूरा करो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो भी स्कीम पंचायत राज को दी जायेगी उसके लिए पूरा बजट और पूरी व्यवस्था, मय नार्म्स उस विभाग के, जो भी नार्म्स उस विभाग के हैं, उसके अनुसार पूरे साधनों के साथ ट्रान्सफर हुआ है। केवल वैद्य ट्रांसफर नहीं हुए हैं, बल्कि वैद्यों के साथ निरीक्षण करने वाले जो निरीक्षक हैं वह भी ट्रान्सफर हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह हुआ कहां है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जिला परिषदों में है। और जहां सर्विस का सवाल है वैद्य भी अगर शहर में जाना चाहेंगे, जैसा मैंने निवेदन किया, बाकायदा जैसे अध्यापकों की व्यवस्था है वैसी उसमें भी हो जायेगी। इसलिए उसमें दिक्कत कहां आ गई ? जिला परिषदों की सर्विस नहीं है, यह विभागीय सर्विस है। यह आयुर्वेद से "बी" श्रेणी का जो कार्यकर्ता है, वैद्य वगैरह, वह पंचायत/विकास विभाग में ट्रान्सफर हुआ है और उनकी व्यवस्था देखेगी जिला परिषद्।

श्री नवरंग सिंह : उनकी सर्विस जिला परिषद् में होगी या राज्य सरकार में होगी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, बैठें, एक मिनट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या नोटिफिकेशन हुआ है, यह तो बताओ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सुना नहीं मैंने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनके रूल्स का गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मन्त्रिमण्डल ने अपने निर्णय द्वारा यह व्यवस्था की है और इसमें गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं थी, अगर होती तो कर दी जाती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने जब यहां पर घोषणा की थी ...

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने नहीं की है, मन्त्रिमण्डल ने निर्णय लिया है, मैंने तो

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मन्त्रिमण्डल के निर्णय की जानकारी दी है, मैंने घोषणा नहीं की।

श्री अध्यक्ष : माननीय भारद्वाजजी, बीच में नहीं, दो तीन प्रश्नों के बाद इकट्ठा जवाब दे दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा एतराज यह नहीं है कि आपने पंचायतों और जिला परिषदों को अधिकार क्यों दिये और जिला परिषदों में आपने आयुर्वेद के वैद्य को या आयुर्वेदिक औषधालय को और अपर प्राइमरी को क्यों इसमें दिया। यह हमें एतराज नहीं है। एतराज हमको आपकी दोहरी व्यवस्था पर है। आपने जो मापदण्ड किया है एक तरफ तो शहर में रहने वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाने वाले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्वोडिनेशन में रहेंगे और गांवों में रहने वाले अध्यापक रहेंगे जिला परिषदों के नीचे। सवाल दोहरे मापदण्ड का है। आपने गांवों में वैसे ही इस प्राथमिक शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। पहले प्राइमरी शिक्षा पर परीक्षण लगातार करते-करते गांवों में तो वैसे ही बिल्कुल बेकार कर दिया....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और बंटाधार कर दिया। आपने दोहरा मापदण्ड अपनाया है। कृपया इसका कारण बताइये। एतराज हमारा यही है। आपने दूसरी श्रेणी का नागरिक समझ लिया है गांव में रहने वालों को और इससे गांवों में रहने वालों को ही नहीं, गांवों में काम करने वाले कर्मचारी को भी आपने दूसरी श्रेणी का नागरिक समझ लिया, हमारा एतराज इस बात पर है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने दिया, उससे ऐसा लगता है कि या तो वह इस विषय को समझे नहीं या टालने की नीयत से उत्तर दिया है। मन्त्री महोदय ने यह बात कही कि सर्विस तो गवर्नमेंट की रहेगी, अगर सर्विस गवर्नमेंट की रहेगी तो जिला परिषद् का क्या नियन्त्रण रहेगा ? व्यवस्था क्या हुई ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? अगर उनकी सर्विस में नहीं तो वह ट्रांसफर कैसे करेंगे ? उनका जवाब कैसे मांगेंगे ? जब सर्वप्रथम विकास विभाग को मास्टर और अन्य कर्मचारियों को दिया था सन् 1959 में, उस समय जो व्यवस्था की थी वह यह थी कि राजस्थान सर्विस रूल्स में यह व्यवस्था है कि अगर किसी कर्मचारी की सर्विस ट्रान्सफर की जायगी तो उसको तीन महीने का नोटिस देना पड़ेगा कि क्या आप नयी सर्विस में जाना चाहते हैं। अगर वह नयी सर्विस में जाना चाहता है तो उनको पंचायत में रखा गया। अब इतने सारे मिडिल स्कूलों के मास्टर जो तृतीय श्रेणी के हैं अगर उनसे आप्शन मांगेंगे और यदि उन्होंने एजुकेशन में रहने का आप्शन दे दिया, तो आपके पास तृतीय श्रेणी के अध्यापक ही नहीं बचेंगे जिनको यहां लगायेंगे। आपने सारे मांमले को होच-पोच कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री हरजीराम बुरड़क : बिना रूल्स को अमेण्ड किये उनको आप्शन दे दिया।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

इनकी व्यवस्था जिला परिषदों को नहीं दे सकते। अगर राज्य सरकार की सर्विस है तो फिर जिला परिषद् क्या करेगी ? न तो वह ट्रान्सफर कर सकती है, न उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। उनका कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए आपने जो सर्विस की व्यवस्था की है उसका उत्तर दीजिये। और आप कह रहे हैं कि कोई गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं थी तो फिर सर्विस में अमेण्डमेंट कैसे किया ?

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी की कार्य विधि सप्ताह में कितने दिन हैं, और दूसरा, सरपंचों और पंचों को भत्ता दिया गया है, तो जिन ग्राम पंचायतों की निजी आय नहीं है उनको भत्ता किस प्रकार दिया जायेगा ? एक तरफ तो जिन पंचायतों की आय है वहां पंच और सरपंच भत्ता ले सकेंगे, और जिन पंचायतों की बिल्कुल आय नहीं है उनकी राज्य सरकार क्या व्यवस्था करेगी ? क्या यह दोहरा मापदण्ड चलेगा, जिनकी आय है वह ले लेंगे, जिनकी आय नहीं है वह नहीं लेंगे ? और ट्रान्सफर पालिसी है, वह जिला परिषद् करेगी या उसकी व्यवस्था एग्जिक्यूटिव करेगा ? उसके क्या नार्म्स बनायेगी गवर्नमेंट ? कोई वैसे ही गवर्नमेंट से करा लेंगे, कोई जिला परिषद् से करा लेगा ? उसकी क्या पालिसी होगी ? एजुकेशन में व्यवस्था के लिए कह रहे हैं पर ट्रान्सफर की पालिसी या तो गवर्नमेंट के साथ में होनी चाहिए या उनकी प्रतिनियुक्ति पर जिला परिषदों के कर्मचारी मान लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह जी।

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको यह भी ध्यान रहता है कि दूसरे भी हाथ उठाते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब तो मिल जाता।

श्री अध्यक्ष : अभी आ रहा है।

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह कहते हैं कि उनकी सर्विस सरकारी सर्विस होगी और नियन्त्रण जिला परिषद् का और पंचायत समिति का होगा। यह दोहरा मापदंड कैसे चलपायेगा? या तो पूरा नियन्त्रण आयुर्वेद के अधिकारियों के अन्तर्गत देना पड़ेगा। अगर चिकित्सक हैं तो चिकित्सा अधिकारी के अन्तर्गत देना पड़ेगा और शिक्षा का है तो शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत देना पड़ेगा। आप उस पर नियन्त्रण कैसे रख सकेंगे ? उसकी सर्विस जिला परिषद् में ट्रान्सफर हो। जब तक सर्विस ट्रान्सफर नहीं होगी, आपका नियन्त्रण नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिये आप नियम बनाइये। पंचायत राज सेवा में और सरकारी नौकरी में फर्क है मन्त्री महोदय, उनकी कन्डीशन दूसरी है, उनकी कन्डीशन दूसरी है। मैं जानना चाहूंगा कि यह सारी

(श्री नवरंगसिंह)

पूर्ति क्या आप बिना नियमों के भी कर सकते हैं ? ऐसा कोई पोशीदा नियम आपके पास पहले से बना हुआ है ?

(2.11 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नाथूसिंह जी।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय की इस विकेन्द्रीकरण की भावना से तो हम सहमत हैं कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। लेकिन धीरे-धीरे आप केन्द्रीयकरण करते जा रहे हैं हर चीज का। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का आप डाइरेक्ट अमेंडमेंट कर रहे हैं। राज्य सरकारों की पावर केन्द्र सरकार ले रही है। जगह-जगह इस संबंध में चर्चा है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षक गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, वह पंचायतों में जाना नहीं चाहते। आपको ध्यान होगा, पहले भी शिक्षा को पचायतों के अधीन किया गया था, वापिस लेना पड़ा। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा को अपने हाथ में रखें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आने दीजिये। माननीय मन्त्री जी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (पंचायत राज्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता के मैं दो खण्ड कर सकता हूं। एक चिन्ता इस बात की कि सर्विस के रूल्स, नियम, गजट नोटिफिकेशन हुआ कि नहीं। इसके बारे में तो मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि नियमों में खामियां कुछ भी नहीं हैं। दोनों विभागों के डाइरेक्टर्स ने बैठ करके जो काम करने चाहिए थे वह सारे काम पूरे कर लिये है और कोई नियम गजट में निकला कि नहीं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दोनों डाइरेक्टर्स विकेन्द्रीकरण कर लेंगे, उनको कोई पावर्स ही नहीं है जब तक केबिनेट बिजिनेस रूल्स में संशोधन नहीं करें....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह सारा मन्त्रिमण्डल के निर्णय से हुआ है। जब मन्त्रिमण्डल ने निर्णय दे दिया उच्च प्राथमिक शालाओं को इधर दे दो, आयुर्वेद को दे दो, तो फिर नीचे के काम, सर्विस और नियम, सचिव और डाइरेक्टर अपने आप करते रहेंगे... इसमें दिक्कत क्या आ रही है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Stop it.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दिक्कत आ रही है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सदस्यों को चिन्ता हो रही है कि सर्विस रूल्स में कहां-कहां क्या करना है। मन्त्रिमण्डल के निर्णय के बाद यह सचिव और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के काम हैं, और उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली है.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्रिमण्डल ने निर्णय कर लिया और इन्होंने मान लिया।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : रही बात शहरों और गांवों की कि लोग गांवों से

84

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

शहरों की ओर भाग रहे हैं ट्रान्सफर करा के। चिन्ता मत कीजिये, जो मिडिल स्कूल और आयुर्वेद के औषधालय पंचायत राज को मिले हैं, इसमें यदि कोई अध्यापक या कोई वैद्य नहीं है तो दूसरे नये लग जायेंगे.. (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : इनको कुछ मालूम तो है नहीं। हो गया, हो गया, आगे की कार्यवाही करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्द जी....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : न कोई स्तर गिरने की बात है, स्तर सुधरेगा। पहले अध्यापक जाता नहीं था और विभाग इतना बड़ा था कि चैकिंग ही नहीं होती थी, आज वहां के वहां सरपंच और गांव वाले उसकी निगाह रखेंगे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वैद्य भी मौजूद रहेंगे। अब उल्टा ज्यादा फायदा होगा। स्वास्थ्य की सेवायें वहां ज्यादा उपस्थित रहेंगी। इसलिये जनता को शुद्ध सेवा भावी सर्विस मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी मांग को पेश करें।

मांगों पर विचार

अनुदान की मांग संख्या 27 (पेयजल) पुरः स्थापन

श्री अशोक गहलोत (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु.2,80,83,98000 (दो अरब, अस्सी करोड़, तिरासी लाख, अठानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री राजेश (थानागाजी) :

1. नारायणपुर गांव जिला अलवर की टंकी गिरने से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2. थानागाजी पंचायत समिति में मंजूर पेयजल योजना की विभाग द्वारा क्रियान्विति नहीं करने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

3. स्वीकृत नल योजनाओं का कार्य शीघ्र चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. निर्वाचन क्षेत्र कठूमर में पीने के पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. विभाग द्वारा हैण्ड पम्पों की मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

(श्री बाबूलाल बैरवा)

6. नगर पालिका खेड़ली (अलवर) में पीने के पानी की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिए।

(1) **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़):
(2) **श्री इन्द्रसिंह पुनिया** (सादुलपुर):

7. सादुलपुर (राजगढ़) तथा डूंगरगढ़ तहसील के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

8. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की सर्वे शुदा योजनाओं की स्वीकृति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

9. पन्नेसिंहपुरा ग्राम पंचायत के लाखोड़ व ग्राम राठियों की ढाणी निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ में पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिए।

10. ग्राम पंचायत समिति सांवलोद ग्राम पालौता व साधरा निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ में पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

11. ग्राम बसावता खुर्द, बसावता कलां निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ में पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न भारी समस्या पर चर्चा के लिए।

12. पचेरी कलां, अलीपुर, नया गांव, माजरी भोला खुर्द, ठमोली कलां, ढाचाणियों की ढाणी में पीने के पानी न मिलने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिए।

13. ग्राम गुत्ती पंचायत गुत्ती निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ में पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न विकट समस्या पर चर्चा के लिए।

14. ग्राम भालोठ निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं के निवासियों को पानी के अभाव में हो रही असुविधा पर चर्चा के लिए।

15. ग्राम शीचरा ग्राम पंचायत ढाणी भालोट में पीने के पानी की विकट समस्या पर चर्चा के लिए।

16. ग्राम निम्बास ग्राम पंचायत उदामण्डी जिला झुन्झुनूं के निवासियों को पीने के पानी के अभाव में हो रही परेशानी पर चर्चा के लिए।

17. ग्राम जैतपुर पंचायत झासेड़ा क्षेत्र सूरजगढ़ में पीने के पानी की विकट समस्या पर चर्चा के लिए।

18. ग्राम बरवड़ (झुन्झुनूं) में पीने के पानी की विकट समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

19. कुम्हेर क्षेत्र में चालू पेयजल योजनाओं से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए।

20. भरतपुर जिले की पेयजल योजना के समाधान हेतु यमुना व चम्बल नदी का पानी दिये जाने पर चर्चा के लिए।

86

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) :

21. रतनगढ़ क्षेत्र में मेनासर, छावड़ी मीठी व खारी कालासर, भीचड़ी गांवों में पेयजल व टी. एस. एस. कुएं पंचायत से सरकार को लेने बाबत चर्चा के लिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमंडी):

22. मोडक गांव (रामगंज मण्डी) तथा जुल्मी की टंकी बनाये जाने की स्वीकृत स्कीमों को शीघ्र पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. रामगंज मण्डी की पेयजल समस्या के निदान के लिए रावतभाटा से पानी लाने की योजना की स्वीकृति दी जावे तथा इस योजना के पूरा होने तक आहू नदी से पानी लाने की योजना को अविलम्ब लागू कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह (बयाना) :

24. भरतपुर जिले में दिन-प्रतिदिन गिरते भूमिगत जल स्तर से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिए।

25. बयाना शहर में हाई जोन पर पानी नहीं पहुंचाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

26. बसेड़ी (धौलपुर) में पेयजल की भयंकर समस्या पर चर्चा के लिए।

27. बयाना विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

28. करौली शहर व देहात में पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न घोर संकट पर चर्चा के लिए।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

29. विधान सभा क्षेत्र देसूरी (पाली) में नये खुदे हैण्ड पम्पों पर शीघ्र हैण्डल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. पंचायत समिति रानी (पाली) के गांव गजनीपुरा को पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र देसूरी (पाली) में खराब बन्द पड़े हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. नगर रानी स्टेशन के लिये पानी की टंकी ऊंचाई पर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. नगरपालिका क्षेत्र रानी (पाली) में पेयजल के स्थायी समाधान के लिए जवाई नहर से पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. पंचायत समिति देसूरी (पाली) के गांव नारलाई में नयी पीने के पानी की टंकी ऊंचाई पर बननाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. सुभाष कॉलोनी भगत की कोठी, जोधपुर में मीटर से पहले सीधे कनेक्शन कर हौज भरने वालों के खिलाफ कार्यवाही कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री पोकरलाल परिहार)

36. पंचायत समिति रानी के गांव इटन्दड़ा चारणाथ में पेयजल हेतु ट्यूब वैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) :

37. गंगानगर जिले में पनघट योजना की जगह व्यक्तिगत लोगों को कनेक्शन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. गंगानगर जिले के असिंचित क्षेत्रों में पीने के पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

39. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ पी. एन. टी. टंकियों की स्वीकृति जारी होने पर भी निर्माण नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

40. पुजारी की ढाणी–परसामपुरा, डुडियों की ढाणी ग्राम पंचायत जेजूसर, मिलों का बास व जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत बडवासी सहित नवलगढ़ क्षेत्र की सभी ढाणियों में पेयजल हेतु पम्पिंग सैट व टंकी निर्माण नहीं होने से जनता में हो रहे असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

41. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में लगे अधिकतर हैण्ड पम्पों में खारा पानी होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया उदयपुर में पीने के पानी की विकट समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया उदयपुर में पानी का स्तर बहुत नीचे चले जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया उदयपुर में लगाये गये अधिकतर हैण्ड पम्पों के खराब होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया उदयपुर में पर्याप्त मात्रा में हैण्ड पम्प नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया उदयपुर में ओगणा, कोल्यारा, फलासिया एवं बागपुरा में दो वर्षों पूर्व स्वीकृत नल योजनाओं पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

47. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न जल योजनाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभान्वित करने हेतु राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

(2) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

(3) श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

48. सांगानेर के पेयजल योजना अधिकारी द्वारा कारखानेदारों को अनुचित लाभ

(88)

(श्रीमती विद्या पाठक)

पहुंचाने के लिये रात को 1 बजे पानी सप्लाई खोलने के कारण नागरिकों के लिये पानी की कमी पर चर्चा के लिये।

49. कस्बा सांगानेर के विभिन्न छोटे कारखानों का गंदा पानी सांगानेर पानी सप्लाई के कुऐ के पास इकट्ठा होने पर भी पेयजल विभाग द्वारा उसका विरोध नहीं करने के कारण दूषित पानी सप्लाई होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. विभागीय योजनाओं में पहले कूप निर्माण व्यवस्था की बजाय पाइप डालने और टंकियां बनाने में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

51. राज्य के पेयजल सप्लाई की बड़ी टंकियों के निर्माण में सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी बरतने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों को कम खुदाई करने पर भी अधिक भुगतान कर दिये जाने पर चर्चा के लिये।

53. जयपुर की अनेक बस्तियों के नलों में भारी नाइट्रेट युक्त पानी सप्लाई करने के कारण पीलिया आदि अनेक रोगों के बढ़ते प्रकोप पर चर्चा के लिये।

54. गोविन्द मार्ग राजापार्क जयपुर पर से जे. डी. ए का बना फुटपाथ तोड़ने से अविरल बहते पानी और नलों के नियंत्रक यंत्रों के अव्यवस्थित किये जाने के विषय में चर्चा के लिये।

55. जयपुर की अनेक बस्तियों में मापदण्ड से अधिक मात्रा में सार्वजनिक नल लगे होने पर चर्चा के लिये।

56. सरकार एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा खरीद की गई ड्रिलिंग रिग्स की खरीद में हुए भारी घोटाले पर चर्चा के लिये।

57. सरकार द्वारा पाइप घोटाला काण्ड की जांच पर हुई अधूरी एवं गलत कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) :

(2) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

58. सैंदड़ा–ब्यावर पेयजल योजना से अजमेर जिला सीमा प्रारम्भ पर व सरावना गांव में एक-एक नल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. रायपुर तहसील की लाखों रुपये से निर्मित पेयजल योजनाओं को ओपन वैल या ट्यूब वैल खोदकर प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. चण्डावल नगर की बड़ी टंकी का निर्माण व पाइप लाइन का विस्तार शीघ्र किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. प्रत्येक पेयजल स्कीमों पर कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरासिंह चौहान)

62. रायपुर तहसील के ग्राम कोट बिदाया, नानवरा, रेवाड़ा, रानगढ़, सड़ोतान, करणावास, मोहरावला, लवाचा, सबलपुर, बागीवाड़ा, लालपुरा, बिराटियत कला, बासना, गजनाई, रावराकला, बोबल, पचानपुरा की पेयजल स्कीमें शीघ्र स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. रायपुर तहसील के ग्राम बूटीवास, मेसिवा तथा कानूजा में स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. पाली जिले की रायपुर तहसील के राजस्व गांव में बड़ीपोल एवं जगमालपुरा में पेयजल योजना शीघ्र स्वीकृत की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. रायपुर विधान सभा क्षेत्र में सर्वे के अनुसार 150 हैण्ड पम्प अविलम्ब लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. पाली जिले के अटपड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालयों में मीठे पानी की स्कीम को शीघ्र स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) :

67. सलूम्बर पुलिस थाना के पास पानी की टंकी नई बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. सलूम्बर गिरवा तहसील में स्वीकृत शुद्ध हैण्ड पम्प नहीं लगाने में उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

69. रीजनल पेयजल योजना द्वारा गांवों में पानी देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

70. पंचायत चुनाव के दौरान झुन्झुनू जिले में भेजे गये पंपिग सैटों को सार्वजनिक कुओं पर लगाकर पानी की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. बास बुडानिया एवं भोबिया का बास ग्राम पंचायत से ही कला में पेयजल व्यवस्था करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) :

72. टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) :

73. जोधपुर में पाइपों की कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. जोधपुर जिले के नलकूपों से टैंक व ओवर हैड टैंकों को जोड़ने व वितरण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. जोधपुर जिले के ओसियां व भोपालगढ़ की पेयजल योजनाओं में अनुसूचित

(90)

(श्री नारायण राम बेड़ा)

जाति के व्यक्तियों के लिए पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. आसण्डा, लवारी पालडी, राणावता, ढढोरा, कुम्भारा, डोडियाल, ताम्बड़िया व बंधड़ा में नये नलकूप खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. जोधपुर जिले के घुनाडिया भाकरों की ढाणी धोव, नेवरा गांव के पूर्व में कवरजी की खेजड़ी में नये नलकूप खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. जोधपुर जिले के हीरादेशर उस्तरा रूदिया पड़ासला, बिरसालू, घोरू, अरटिया कलल में खुदे हुए नलकूपों को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. नाडसर गजसिहपुरा में ओवर हैड टैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. अधूरी पड़ी सभी पेयजल योजना पूरी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) :

81. शिवपुरी--गोगा मैडी--33 पी.बी. 3 एन.डी. (एच.एल.एम.) खानूवाली--पतरोड़ा--गोनावाली ढाबा--लूणीया--धाधड़ा--कूपली संगीता जानकी डासवाली--गोपालसर--5 एल.एम., 4 बी. एल.डी.--7 बी.एल.डी.--5 बी.एल डी. गांव में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. सूरतगढ़ व रायसिंहनगर में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में खराब हैण्ड पम्प ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में बढ़िया ईंट व सीमेंट काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. अनूपगढ़ में पर्याप्त स्टाफ सहित डिवीजन कार्यालय भी शीघ्र चालू करवाये जाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

86. ग्राम सूरतगढ़ राजीयासर--जैतसर--श्री विजयनगर, अनूपगढ़ (6 पी.) चक 10 सरकारी--जालवाली--पवारावाला--भूलेवाला--जोरावरपुरा भागासर 7--एल.सी /4 एल. सी./3 जे. एस. डी./ खोभर/30 ए.पी.डी. (27 ए.पी.डी.) शोहवणी--सताईया/शामकी 7 के.एन. डी /12 के. एन. डी. के लिए शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) :

87. नैनवां, तलवास, लाडपुर, देहित की पेयजल योजनाओं को शीघ्र क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

88. स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्प के स्थान पर एवं स्कूल भवन में हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. मांगली नदी पेयजल योजना के द्वितीय चरण की स्वक स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

90. तहसील लालसोट के ग्राम रामगढ़ पचवारा में पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए टंकी का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. पंचायत समिति लालसोट के बेकार पड़े हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. नगरपालिका क्षेत्र लालसोट की ढाणियों में पेयजल का गम्भीर संकट होने के कारण हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. तहसील लालसोट के ग्राम बिलौना कला में पेयजल की रीजनल स्कीम स्वीकृत कर जनता को पेयजल सुलभ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. पंचायत समिति लालसोट के गांवों की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सभी ढाणियों में हैण्डपम्प लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

95. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी में पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल का संकट पैदा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

96. गंगापुर तहसील जिला सवाई माधोपुर के पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं को स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. ग्राम स्यारोली एवं ग्राम सेवा में पेयजल योजना द्वारा शीघ्र पानी वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. गंगापुर सिटी की पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. ग्राम बडी ऊदेई को पाइप लाइन से जोड़ देने व पम्पिंग सैट पर विद्युत कनेक्शन हो जाने के बाद भी ग्राम को पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. गंगापुर सिटी की पुनर्गठन पेयजल योजना को स्वीकृत कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. गंगापुर क्षेत्र की थली खूंटला एवं टोकसी जाट बडोदा जल योजनाओं को स्वीकृति देकर कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

102. क्षेत्रीय जल योजना ग्राम पिलोदा में पानी की टंकी का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा) :

103. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के डांग क्षेत्र में हैण्डपम्पों की मरम्मत करवा-कर पानी की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104 सपोटरा क्षेत्र के अभावग्रस्त ग्राम हाड़ोती, काठापुर, मसावता, बेसडा, खिदरपुर, बूकना, खावदा, धूनवास, भौकरी की पांचोली, अमरगढ़, वरगया, लांगरा, साथलपुर, कंचनपुर, आदि ग्रामों के लिये जल योजना बनवाकर पीने के पानी की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. सपोटरा क्षेत्र के ग्राम दोलतपुरा, बहरडा, भादरपुर, दोलतियापुरा, कुरसा, हाड़ोती ओड, खिदरपुर, चन्देलीपुरा आदि ग्रामों को पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के ग्राम कुड़ग्राम, रोबेई, मण्डरायल खेड़ला, भरतून, ईनाईती में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. सपोटरा तहसील के समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) :

108. जिला श्रीगंगानगर के बारानी तहसील नोहर रावतसर के गांवों में जलदाय विभाग की लापरवाही से पीने का पानी न पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (झालरापाटन):

109. झालावाड़ जिले की पेयजल समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. राजस्थान की विकट पेयजल समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. झालावाड़ जिले में लगे हैण्डपम्पों का जल स्तर गिरने से उत्पन्न संकट के निवारण हेतु चर्चा के लिये।

112. जिला झालावाड़ के झालरापाटन नगर में पुरानी व जर्जर बनी लोहे की टंकी के स्थान पर नई टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. झालावाड़ जिले के पंचायत समिति मुख्यालय बकानी में बढ़ी हुई आबादी के आधार पर पेयजल हेतु नई टंकी निर्मित करने एवं नई पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे में नया नल कूप या कुआ निर्मित कर पेयजल संकट के निवारण हेतु चर्चा के लिये।

115. झालावाड़ जिले में स्वीकृत नल कूप

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

व हैण्डपम्प समय पर गांवों में नहीं लगाने, खोदे गये हैण्डपम्पों को चालू नहीं करने तथा पर्याप्त रिग मशीनों के उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

116. झालरापाटन क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय कनवाडा, समरोई, पीपलोद एवं अन्य गांवों में विभाग द्वारा पेयजल योजना बनाकर समस्या के निदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. हैण्डपम्पों के संधारण व रख-रखाव तथा सुधार हेतु एक ही एजेन्सी को उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) :

118. उदयपुरवाटी क्षेत्र के अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के मौहल्लों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प खुदवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. उदयपुरवाटी क्षेत्र के 250 की आबादी वाले ग्रामों में हैण्डपम्प खुदवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

120. प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के गांव ढाणियों नवातला, नवोड़ा बेरा, कालाथल इत्यादि में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से लोक नदी के सहारे-सहारे बढ़ी पाईप लाईन लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. मीलों की ढाणी (मूंगड़ा) को पाइप लाइन से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

123. खारड़ा-चारणान (बायतू पंचायत समिति) में 15 साल से टंकी बन जाने पर भी पेयजल से नहीं जोड़े जाने पर चर्चा के लिये।

124. बालोतरा कस्बे में बिजली के अभाव में पानी की सप्लाई न होने से वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. बलाऊ (बालोतरा) में और तीन ओपन वैल खोदने एवं बन्द पड़े ट्यूब वैल्स को प्रारम्भ करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

131. बालोतरा कस्बे की कच्ची बस्तियों में पाइप लाइन लगाने पर चर्चा के लिये।

132. कोरणा (बालोतरा) पंचायत मुख्यालय में ओवर हैड टंकी बनाये जाने एवं शीघ्र पेयजल का प्रबन्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. बालोतरा एवं समीप के क्षेत्र को बड़ी पाइप लाइन को मीठोड़ा-पादरू से जोड़ने एवं पेयजल की पूर्ति पर चर्चा के लिये।

134. बालोतरा कस्बे में मीठा शुद्ध पेयजल

(श्री चम्पालाल बांठिया)

उपलब्ध कराने हेतु कीटनूद में ट्यूब वैल शीघ्र खोद कर बालोतरा को जोड़े जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

135. बस्सी तहसील के ग्राम हिम्मतपुरा में हरिराम की ढाणी में 15 दिन पूर्व लगे हैण्ड पम्प से केवल 3 बाल्टी पेयजल होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा हैण्ड पम्प को गहरा न कराकर जनता को पेयजल सुविधा से वंचित रखने पर चर्चा के लिये।

136. बस्सी जल प्रदाय योजना में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा व्यवधान डालकर दिनांक 2 जून, 1989 से 10 जून, 1989 तक जनता को पेयजल उपलब्ध न कराकर जन असंतोष पैदा करना तथा विभाग द्वारा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

137. तहसील बस्सी के ग्राम बांसखोह के हरिजन मौहल्लों को जलप्रदाय योजना से पेयजल सुविधा से विभाग द्वारा जान-बूझकर वंचित रखने, सार्वजनिक एक नल को भी बन्द कर पेयजल समस्या उत्पन्न करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

138. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्रामों की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सहायक अभियन्ता बस्सी द्वारा प्रस्तावित योजना की स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

139. सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग बस्सी के तीनों कनिष्ठ अभियन्ताओं का मुख्यालय बस्सी में करने से क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना कानोता बांसखोह, तूंगा में पानी का वितरण समय पर न होने से उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

140. तहसील बस्सी के ग्राम सिया का बास में प्राथमिकशाला, बैरवों की ढाणी, नीमड़ी वाली ढाणी व परसावाली ढाणी में लगे हैण्ड पम्पों में पानी की कमी होते हुए भी उन्हें गहरे नहीं करने व पाइप नहीं जोड़कर स्थानीय नागरिकों को विभाग द्वारा पेयजल सुविधा से वंचित करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

141. जयपुर जिले की तहसील चाकसू में श्यामपुरा मन्दिर के पास लगा हैण्डपम्प 7 माह से खराब होने व पंचायत समिति द्वारा ठीक नहीं कराने से उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

142. जयपुर जिले की तहसील बस्सी की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना कानोता, बांसखोह एवं बस्सी, विभाग की लापरवाही व तकनीकी खराबी को तत्परता से ठीक न कर स्थानीय जनता को मई व जून में पेयजल उपलब्ध न कराने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

143. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

ग्राम बूदरपुरा कोली मौहल्ला में लगे हैण्ड पम्प से पानी में मिट्टी आने के उपरान्त भी विभाग द्वारा अभियान में उसे गहरा व ठीक नहीं कर जनता को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

144. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में ग्राम कंवरपुरा माली मौहल्ला में 5 माह से खराब पड़े हैण्ड पम्प को अभी हाल ही चलाये गये अभियान में भी विभाग द्वारा ठीक न कराने से उत्पन्न पेयजल समस्या के बारे में चर्चा के लिये।

145. जयपुर जिले की बस्सी तहसील के ग्राम नगराजपुरा, जगन्नाथ सरपंच की ढाणी में चार माह पूर्व लगे हैण्ड पम्प को चालू नहीं कर जनता को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के क्रम में चर्चा के लिए।

146. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में ग्राम हिंगोनिया ढाणी बागड़ा में तीन साल से लगे हैण्ड पम्प से एक दिन भी पेयजल उपलब्ध न होने तथा पेयजल समस्या के निदान में व हैण्ड पम्प को चालू करने में विभाग द्वारा लापरवाही बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

147. तहसील बस्सी के ग्राम बड़वा में सुनारों के मौहल्ले में पूर्व में लगा हैण्ड पम्प एक वर्ष से खराब पड़ा होने व विभाग द्वारा दो अभियान चलाने के उपरान्त भी ठीक नहीं कराने से उत्पन्न पेयजल समस्या के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

148. तहसील बस्सी के ग्राम विशन किशन–पुरा (पड़ासोली) में सामला की ढाणी में दो परिवार, मन्दिर के पास में दो परिवारों पर हैण्ड पम्प लगाने व मालियों की ढाणी, झलकी नीमड़ी-वाली ढाणी एवं गोबिन्दा माली की ढाणी जो बड़ी आबादी है में हैण्डपम्प न लगाकर जाति विशेष के लोगों को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

149. ग्राम नांगल बोहरा तहसील बस्सी में पूर्व में लगे 4 हैण्ड पम्पों में खारा व जहरीला पानी होने व पीने के पानी का अन्य श्रोत नहीं होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा इस ग्राम को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिये जटवाड़ा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से जुड़े ग्राम लक्ष्मीपुरा से न जोड़ने पर चर्चा के लिये।

150. तहसील बस्सी के ग्राम विशन किशनपुरा (पड़ासोली) में जमादारों की ढाणी में लगे हैण्ड पम्प गत 4 माह से खराब होने के उपरान्त अभियान के दौरान भी विभाग द्वारा ठीक नहीं कराकर ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

151. तहसील बस्सी के ग्राम निमोरा में पेयजल नहीं होने, सभी पेयजल कूप सूख जाने के कारण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बांसखोह से जोड़ने के उपरांत

(96)

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

भी दो दिन पानी वितरण कर एक स्थान पर पाइप लाइन लीक होने पर उसे ठीक नहीं कराकर गत तीन माह से पानी की सप्लाई बन्द कर जनता को पेयजल सुविधा से वंचित रखने पर चर्चा के लिये ।

152. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बड़ी आबादी वाली ढाणियों में हैण्ड-पम्प न लगाकर पेयजल सुविधा से वंचित रखने से उत्पन्न चर्चा के लिये ।

153. ग्राम बैनाड़ा (बस्सी) की विकट पेयजल समस्या होते हुए भी विभाग द्वारा जून 1986 से अब तक आधी आबादी में पाइप लाइन डालने, विद्युत फिटिंग कराने व पम्प हाउस बनाने, कुए में बोरिंग कराने, टंकी को पम्प से पाइप लाइन से जोड़ने के उपरान्त 3 वर्ष की अवधि निकल जाने के उपरान्त भी जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं कराने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

154. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कानोता, बांसखोह एवं बस्सी के हैल्पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने व उनके विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही न करने के कारण जल योजनाओं में निरन्तर आ रहे व्यवधान पर चर्चा के लिये ।

155 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बांसखोह (बस्सी) में पानी के पांच स्रोत होते हुए भी गत दो माह में गर्मी के समय पानी पर्याप्त व समय पर वितरण न कर, कर्मचारियों से अव्यवस्था कराकर जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं कराने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

156. तहसील बस्सी में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बांसखोह की पाइप लाइन लीकेज हो जाने पर तीन माह से ठीक नहीं कर विभागीय अधिकारियों द्वारा रैगर मौहल्ले में जल वितरण में आ रहे व्यवधान पर चर्चा के लिये ।

157. तहसील बस्सी के ग्राम माधोगढ़-ग्वालनी की पेयजल समस्या निवारण हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये ।

158. तहसील बस्सी के ग्राम नांगल बोहरा, पड़ासोली, बडवा, टहटड़ा, हंस महल, बाढ़ बाबूपुरा, खेड़लाबास, पाटण, गढ़ोली एवं नदनपुरा में खारा व जहरीला पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण विभाग द्वारा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पटवाड़ा व कानेटी-भटेरी से इन ग्रामों को जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित योजना की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होने से उत्पन्न समस्या के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

159. तहसील बस्सी के ग्राम जोगीतावाला में स्कूल के सामने वाला हैण्ड पम्प लगे एक वर्ष हो जाने के उपरान्त चालू नहीं करने से उत्पन्न पेयजल समस्या के सन्दर्भ में चर्चा के लिए ।

160. तहसील बस्सी के ग्राम बड़वा में उत्पन्न पेयजल समस्या के निवारण

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

हेतु तात्कालिक व्यवस्था के लिए सार्वजनिक पेयजल कूप को गहरा कराकर अथवा बोरिंग कराकर टी. एस. एस. योजना जो बन्द पड़ी है उसे चालू कराकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. बस्सी तहसील के ग्राम हिम्मतपुरा में बड़वाली ढाणी, छीतर की ढाणी एवं पटेलों की ढाणी के हैण्ड पम्पों में पानी की कमी हो जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा अभियान के दौरान गहरे न करा कर जनता को पेयजल सुविधा से वंचित करने के संदर्भ में चर्चा के लिए।

162. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में 90 प्रतिशत पेयजल कूप में जल स्तर नीचे चले जाने से उत्पन्न जल संकट के निवारण हेतु चर्चा के लिए।

(1) श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

(2) श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) :

163. शेरगढ़ तहसील में कलाऊ-खरता रोड़ शेरगढ़ पेयजल योजना को स्वीकृति न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. शेरगढ़ तहसील के ग्रामीण इलाकों में भारी पेयजल संकट के कारण जनता में फैले आक्रोश पर चर्चा के लिए।

165. पेयजल योजनाओं का पानी वास्तव में कितना व कहां तक पहुंचता है इस तथ्य को ओझल कर केवल कागजों में पानी पहुंचाने के तथ्य के आधार पर योजनायें बनाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए।

166. अबाध गति से पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

167. पेयजल के उपयोग में मितव्ययता लाने व दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रचार प्रसार की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. प्रदेश में खारे पानी को मीठा करने के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. पेयजल में गटर के पानी के प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. जोधपुर लिफ्ट योजना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता व इसमें अवरोध उत्पन्न होने बाबत समीक्षा जारी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. जोधपुर शहर के तालाबों में पास के पहाड़ों से अधिक पानी आ सके इसकी व्यवस्था व इन तालाबों के पानी का समीप के मौहल्लों में उपयोग पर चर्चा के लिए।

172. जोधपुर के तालाब रानीसर, पदमसर, फतेसागर, गुलाब सागर आदि के पानी को शुद्ध रखने की आवश्यकता व इनके प्रदूषण को रोकने पर चर्चा के लिए।

173. जोधपुर शहर में विशेषकर भीतरी भागों में पाइप लाइनें बदलकर बड़ी

(श्री बिरदमल सिंघवी)

पाइप लाइनें डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. जोधपुर शहर में आपातकालीन दृष्टि से अधिक पानी संग्रह करने की क्षमता के लिए जलाशयों के निर्माण व मौजूदा जलाशयों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. जवाई बांध के पानी के पेयजल के लिए आरक्षित करने के बाद ही बचे हुए पानी का अन्य कार्यों में उपयोग करने पर चर्चा के लिए।

176. जोधपुर शहर के ऊंचाई वाले भीतरी भाग जैसे–ब्रह्मपुरी, मोचियों की घाटी, पचेटिया, सोनारों की घाटी, लखारा, नया बास की गलियों में अधिक प्रेशर देने व आवश्यकतानुसार अधिक लाइनें लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. जोधपुर शहर में खराब पड़े हैण्ड पम्पों की मरम्मत की समुचित व्यवस्था न होने व इसके लिए अलग राशि व अतिरिक्त स्टाफ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विजयसिंह (रूपवास) :

178. पारहामाफी, नगलाजंगी और नया गांव तहसील रूपवास (भरतपुर) की स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिए।

179. निरन्तर सम्पर्क व पत्र व्यवहार के बावजूद विधान सभा क्षेत्र रूपवास की नई नल योजनायें लागू करने में विभागीय उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिए।

180. पिचूना, गहलऊ, चुराठी, गिलगिलिया की पट्टी (रूपवास) भरतपुर में 1986 से पानी की सप्लाई न करने तथा कर्मचारियों द्वारा जल वितरण करने बताये जाने से उत्पन्न विरोधाभास पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र रूपवास में पेयजल की चल रही योजनाओं द्वारा पानी समय पर न देने तथा कई-कई दिन पानी की सप्लाई न देने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए।

182. कस्बा रूपवास (भरतपुर) में पूर्व पेयजल योजना का विस्तार कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

183. चौहटन विधान सभा क्षेत्र के मीठे पानी के क्षेत्र के नलकूपों की पेयजल योजना के रास्ते ठीक नहीं होने से वहां पानी नहीं पहुंचने से ओपनवेल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. रमजान की गफन, सीमावास, नवातला, जैसा, रतासर, नीजरिया इत्यादि गांवों में मीठा और पीने लायक पानी नहीं होने पर भी अभी तक पाइप लाइन नहीं पहुंचाने पर चर्चा के लिए।

185. नवातल राठोडान (चौहटन) जो कि भूमियों से जोड़ने के पश्चात् भी पेय-

(श्री अब्दुल हादी)

जल 10 साल में भी नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल) :

186. खैरथल विधान सभा क्षेत्र में ग्राम जटियाना, कस्बा खैरथल में पानी की टंकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. खैरथल क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर, भजेड़ा, सैथली की टी. एम. एस. स्कीम पर कर्मचारियों के न होने से पानी उपलब्ध न होने के क्रम में चर्चा के लिए।

188. खैरथल विधान सभा क्षेत्र में नये लगाये गये हैण्ड पम्पों के पर मशीन नहीं लगाने से पानी उपलब्ध न होने के क्रम में चर्चा के लिए।

189. खैरथल निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम राय-शीशनगला, गाजूका, मूण्डियाखेड़, चिकानी, बहादुरपुरा भजेड़ा, पीलवा, सिरमोली, कंकरोली आदि ग्रामों में पानी उपलब्ध न होने के क्रम में चर्चा के लिए।

190. खैरथल निर्वाचन क्षेत्र के गांव पाटन मेवान, इस्माइलपुर, बसान बमई, जागता बमई, राता खुर्द आदि ग्रामों में पीने का पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

191. अलवर जिले के कुओं तथा हैण्ड पम्पों के सूख जाने से ग्रामीण जनता को पानी उपलब्ध न होने के क्रम में चर्चा के लिए।

192. अलवर जिले के पहाड़ी इलाकों में हैण्ड पम्पों में लगाने की मशीन नहीं होने से पानी मुहैया न होने पर चर्चा के लिये।

193. अलवर जिले में जल सप्लाई के लिए पाइप लाइन न बिछवाने से उत्पन्न स्थिति के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) :

194. दौसा तहसील के ग्राम भाण्डारेज के जल योजना में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिए।

195. दौसा तहसील के ग्राम कालाखो की जल योजना का कार्य धीमी गति से होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

196. जयपुर जिले की तहसील सिकराय में स्वीकृत हैण्ड पम्प पूरे न लगाये जाने व ग्राम पंचायत डेढा बसेडी कालाखो उनाड़ी, गढोरा गिजगढ में कार्य अधूरे छोड़ने से अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिए।

197. सिकराय पंचायत समिति के खराब हैण्ड पम्प की जगह नये हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

198. पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत फाल्यावास, खिजूरिया, ब्राह्मणान फालावाला, जाटान, काशीपुरा; खतेपुरा, रामरतनपुरा, बूडथल एवं जीतावाला क्षेत्र के खराब पड़े हैण्ड पम्पों को विभाग द्वारा अभियान के दौरान

(100)

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

भी ठीक नहीं करने, जनता को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

199. तहसील बस्सी के ग्राम बालाकी नांगल रलावता स्कूल के पास, भोण्यावाला, हरड़ी, भर्र देवाना की ढाणी, दूधली, अणतपुरा, विमलपुरा, काशीपुरा, लालगढ़, मनोहरपुरा बुनकर बस्ती, गीलां की नांगल स्कूल के पास, पालावाला पाटान रैगर बस्ती, बाढ भाजुपुरा, जीतावाला पंचायत भवन के पास, गुमानपुरा हैण्ड पम्प रोपने के बाद उसे चालू न कर विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

200. तहसील बस्सी में बैरवा बस्ती घोली में स्वीकृत हैण्ड पम्प नहीं लगाने एवं गुमानपुरा बैरवा बस्ती में हैण्ड पम्प अधूरा छोड़कर अनुसूचित जाति के लोगों को विभाग द्वारा जानबूझ कर पेयजल सुविधा से वंचित रखने के क्रम में चर्चा के लिए।

201. बस्सी तहसील के ग्राम सांभरिया ढाणी बैरवा भोरंडीवाली की आबादी 200 से अधिक होते हुए भी राज्य सरकार की घोषणा के उपरान्त हैण्ड पम्प न लगाकर अनुसूचित जाति के लोगों को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

202. तहसील बस्सी के ग्राम मोहनपुरा, माली मोहल्ला में हैण्ड पम्प न लगाकर 300 की आबादी को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के क्रम में चर्चा के लिए।

203. तहसील बस्सी में अनुसूचित जाति की रामचन्दा बैरवा की ढाणी, घासीपुरा, नाथू-गंगाराम बैरवा की ढाणी, अखैपुरा, हरिजन बस्ती दूदावाला बैरवा बस्ती, ढाणी रघुनाथपुरी, कानोता आदि में राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार हैण्ड पम्प न लगाकर विभाग द्वारा पेयजल सुविधा से वंचित रखने के क्रम में चर्चा के लिए।

204. तहसील बस्सी के ग्राम बिसनपुरा बाढ भाजुपुरा, देवाना की ढाणी, दूधली में 6 से 12 माह की अवधि निकल जाने के उपरान्त भी हैण्ड पम्प अधूरे छोड़ कर स्थानीय लोगों को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

205. तहसील बस्सी के ग्राम हरड़ी में पीने के पानी का अन्य कोई स्रोत नहीं होने पर भी हैण्ड पम्प को अधूरा कार्य छोड़ कर स्थानीय जनता को पेयजल सुविधा से वंचित रखने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

श्री भूदरमल वर्मा (दौसा) :

206. दौसा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के गांवों की पेयजल समस्या निवारण हेतु हैण्ड पम्पों की स्वीकृति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. दौसा विधान सभा क्षेत्र की जो क्षेत्रीय योजना चालू हो गयी है उन गांवों

(श्री भूदरमल वर्मा)

जैसे बनियाना, लाडली का बास, खानपुरा, कालोता भेडोली, काली पहाड़ी आदि में गृह नलों के लिए पाइप लाइन डालकर घरेलू उपयोग के लिए नलों के कनेक्शन दिया जाने पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन सिंह (रानीवाड़ा) :

208. रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांव कागमाला में उत्पन्न पानी की समस्या के निवारण हेतु चर्चा के लिए।

209. रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में जी.एल.आर. तो बना दिये हैं लेकिन उनको अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़ने पर चर्चा के लिए।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

210. जलदाय विभाग नीम का थाना में पाइपों व अन्य सामान के अभाव के कारण हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

211. उप खण्ड नीम का थाना क्षेत्र में टी.एस.एस. योजना तथा छोटी टंकी पेयजल योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन न होने से पेयजल व्यवस्था में आ रही बाधा पर चर्चा के लिए।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) :

212. ग्राम अरवड़ (नई व पुरानी), सांगरिया, देवरिया, पनोत्या तथा डियांस को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अरवड़ बांध का सर्वे होने के उपरान्त भी नलकूप योजना का कार्य आरम्भ न किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

213. शाहपुरा (फूल्या की खिड़की) जिला भीलवाड़ा में पेयजल हेतु टंकी के निर्माण की स्वीकृति होकर टेण्डर आमन्त्रित होने के उपरान्त भी कार्य आरम्भ न किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री मुल्ताना राम (जैसलमेर) :

214. जैसलमेर जिले में कस्बा पोकरण की पाइप लाइन बदलकर बड़ी लाइन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. जैसलमेर जिले में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिए।

216. जैसलमेर जिले में अधिशाषी अभियंता तथा पोकरण में पी.एच.ई डी. के अधिकारियों द्वारा अपने खेत में ही सरकारी खर्चे पर हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिए।

217. जैसलमेर जिले में जिन पेयजल स्कीमों पर नियमानुसार जितने पद बनते हैं उन्हें नियमित (रेग्यूलराइज) करने पर चर्चा के लिए।

218. जैसलमेर जिले में अधिशाषी अभियंता जैसलमेर को चार जिप्सी वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(102)

(श्री मुल्ताना राम)

219. जैसलमेर जिले में लम्बी पाइप लाइन स्कीमों को विभाग द्वारा टेलीफोन एवं विद्युत से जुड़वाने में विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिए ।

220. जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति/जनजातियों की बस्तियों में पेयजल हेतु पाइप लाइन नहीं बिछाने से उनमें हो रहे असंतोष पर चर्चा के लिए ।

221. जैसलमेर जिले में 300 ढाणियों को पाइप लाइन से जोड़ने हेतु विशेष योजना में बजट आवंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

222. जैसलमेर जिले के ग्राम बहाला, भारेवाला, नोखा इत्यादि गांवों को पाइप लाइन से शीघ्र जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

223. जैसलमेर जिले में जैसलमेर शहर की पुरानी पाइप लाइन को शीघ्र बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

224. जैसलमेर जिले में नहरी क्षेत्र के जितने गांव हैं उन सभी को नहरी पानी उपलब्ध कराने हेतु पाइप लाइन से शीघ्र जोड़ने की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिए ।

225. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों की आरक्षण पूर्ति नहीं करने पर चर्चा के लिए ।

226. जैसलमेर जिला पशुपालन जिला होने से पाइप लाइन 70 एल.पी.सी.डी. से 150 एल.पी.सी.डी. स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

227. जैसलमेर जिले में पेयजल हेतु 50 ट्यूब वैल शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

228. जैसलमेर जिले में स्कूलों में छात्रों को पेयजल हेतु टांकों को पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

229. जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र में कम से कम 100 हैण्ड पम्प शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

230. जैसलमेर जिले के ग्राम भणियाणा में मेघवालों की ढाणी में हैण्ड पम्प शीघ्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

231. जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों को पृथक पाइप लाइन से नहीं जोड़ने पर झगड़े होने की स्थिति पर चर्चा के लिए ।

232 जैसलमेर जिले में ग्राम काठोड़ी व खींवसर को पेयजल पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

233. जैसलमेर जिले में ग्राम सियाम्वर ग्राम बांधा को पाइप लाइन से शीघ्र जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

(1) श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) :

(2) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

(3) श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

234. जयपुर शहर की ऐसी बस्तियां जो ऊंचे स्थानों पर बसी हुई है जहां पानी नहीं पहुंचता है टेंकरों से पानी उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिए।

235. जयपुर शहर की पानी ऐसी पाइप लाइनें जो पुरानी हो गई है एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनको तुरन्त बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. जयपुर शहर के सभी कुओं की युद्ध स्तर पर सफाई करवाई जाकर उन पर बोरिंग लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों जहां सार्वजनिक नल नहीं हैं, सार्वजनिक नल लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

238. जयपुर शहर के मुख्य जल स्रोत रामगढ़ बन्धे की सफाई जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. जयपुर शहर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 500 नये हैण्ड पम्प लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240. जलदाय विभाग द्वारा जयपुर शहर की पेयजल समस्या हेतु प्रस्तुत आपात योजना लागू किये जाने पर चर्चा के लिए।

241. जयपुर शहर में पेयजल विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के खराब मीटर ठीक करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. जयपुर शहर में लगे हैण्ड पम्पों में से अधिकांश के खराब पड़े रहने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

243. बीसलपुर योजना के प्रथम चरण में जयपुर को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु योजना में शामिल किये जाने पर चर्चा के लिए।

244. जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में निजि कनेक्शन पेयजल हेतु दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. जयपुर शहर में दोनों समय पानी पूरे दबाव से पर्याप्त समय तक उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार):

246. धार्मिक स्थानों, प्याऊ एवं सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल फ्लेट रेट पर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(2) श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

247. ग्राम मानपुर सड़वा पंचायत जयसिंहपुर खोर पंचायत समिति झोटवाड़ा जिला जयपुर में बनी एक लाख की टंकी में जल सम्बन्ध न किये जाने से ग्रामीणों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

(104)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

248. जल प्रदाय बन्ध जमवारामगढ़ से जल वितरण के समय में कटौती की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

249. जयपुर नगर में जल उपलब्धि के लिए बनास योजना को शीघ्र लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) :

250. ग्राम पंचायत नून्दी मेडातान में चल रही पेयजल योजना से घरों में कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. ब्यावर को पानी देने वाले ग्राम जालिया को ब्यावर की पेयजल योजना से जोड़कर ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

252. ग्राम पंचायत कोटड़ा की पेयजल योजना पुन: स्वीकृत की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. ग्राम पंचायत राजियावास की नयी टंकी का उपयोग कर ग्राम को जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

254. ग्राम पंचायत ब्यावरा की पेयजल योजना से ऊंटों का वाडिया तक पाइप लाइन डालने बाबत चर्चा के लिए।

255. जवाजा पंचायत समिति में और हैण्ड पम्प स्वीकृत कर लगाये जाने बाबत चर्चा के लिए।

256. ग्राम पंचायत वराखन की पेयजल योजना शीघ्र ही प्रारम्भ करने बाबत चर्चा के लिए।

257. जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सूरजपुरा-लोटियाना एवं रावतयाव की पेयजल योजना बनाये जाने बाबत चर्चा के लिए।

258. बीसलपुर परियोजना का कार्य तेज गति से कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

259. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास हैण्ड पम्प न लगने से छात्रों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिए।

260. नीम का थाना उपखण्ड में सूखे हैण्ड पम्प के स्थान पर नये हैण्ड पम्प न लगने से हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना की ढाणियों में हैण्ड पम्प न लगाने से उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिए।

262. नगर पालिका नीम का थाना में जनसंख्या के अनुपात में जल सप्लाई की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) :

263. विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के सभी स्थानीय व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

(2) श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना):

264. कृषि भूमि में गृह निर्माण समितियों द्वारा बनाई गई आवासीय कालोनियों को नल कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिए।

265. जिस मकान में एक भी दूकान या दफ्तर है और जहां उनके लिए पानी काम में नहीं आता वहां भी कार्मशियल चार्जेज हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

266. जयपुर नगर में कच्ची बस्तियों में पाइप लाइनें व हैण्ड पम्प लगाकर जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

267. जयसिंहपुरा खोर (जयपुर) के गांव में अधिकांश कुओं को जयपुर नगर जल सप्लाई से जोड़े जाने से उक्त ग्रामों में पानी के अभाव पर चर्चा के लिए।

268. जयपुर नगर की जल वितरण व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

269. जयपुर नगर में नई आवासीय कालोनियों में पेयजल पर्याप्त मात्रा में पहुंचाये जाने के लिए लाइनें बिछाने व मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

270. जल-मल निस्तारण विभाग के ट्रीटमेंट प्लान्ट को दुर्गन्ध रहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) :

271. ब्यावर शहर के कुओं की सफाई समय पर करवा कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

272. ग्राम पंचायत टाटगढ़ के जल उपभोक्ताओं से अधिक बिल बनाकर पैसा वसूल करने एवं जल कनेक्शन काटने की धमकी देने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

273. जवाजा पंचायत समिति में पी एच.ई.डी. का नया उपखण्ड कायम किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

274. ब्यावर पी. एच. ई. डी. के खण्ड एवं उपखण्ड डिवीजन में स्थायी पद सृजित किये जाकर दैनिक कर्मचारियों का नियमन करने बाबत चर्चा के लिये।

275. नगरपरिषद से पी. एच. ई. डी. का हस्तान्तरित पेयजल योजना के साथ परिषद से आये कर्मचारियों को नियमित व स्थायी करके वेतनमान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. पेयजल योजना बनाते समय मनुष्य के पेयजल के साथ पशुओं के लिये भी पेयजल का ध्यान रखते हुए योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. ब्यावर शहर में ट्यूब वैल खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(108)

(श्री माणक डागी)

278. बिसलपुर योजना के तहत अजमेर रोड बाईपास पर बनायी गयी टंकी की छत के गिर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

279. ब्यावर में पानी के बिल जमा कराने की सुव्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

280. पंचायत समिति एवं जिला परिषदों द्वारा भेजे गये पेयजल संबंधी प्रस्तावों की विभाग द्वारा क्रियान्विति न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

281. ब्यावर तहसील के समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल समस्या हल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. नेहरू नगर (ब्यावर) के बाहर पटिया कालोनी, हरिजन कालोनी, कृष्णा कालोनी, गीता भवन, उत्तरी नेहरू नगर, नेहरू नगर बाहर के क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. ब्यावर में सीवरेज योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. ब्यावर शहर के पेयजल स्रोत मकरेडा से शहर के गन्दे नालों को अलग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. अजमेर शहर की पेयजल की आपात योजना में गलत डाली गयी पाइप लाइनों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

286. अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में पानी की पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. जल संकट में सहायक अभियन्ता (गोबिन्दपुरा-खण्ड उत्पादन) के बिना पूर्व स्वीकृति के हैड क्वाटर्स से गायब हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

288. गोबिन्दपुरा टंकी पर कार्यरत सहायक अभियन्ता द्वारा शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने से जनता में व्याप्त आक्रोष पर चर्चा के लिये।

289. ब्यावर शहर में 100 नये हैण्ड पम्प और खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

290. ब्यावर शहर में पूर्व में खोदे गये हैण्ड-पम्पों को गहरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

291. ब्यावर शहर की बसन्त कालोनी, इन्द्रा नगर, विजयनगर रोड, सेदरिया गुरूकुल रोड पर पानी की पाइप लाइन डालकर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. ब्यावर शहर में दो नयी पानी की टंकिया बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

293. ब्यावर शहर में पाइप लाइनों का मास्टर प्लान बनाकर लाइनें डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. ब्यावर शहर में जल वितरण में प्रेशर ठीक करने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री माणक डागी)

295. ब्यावर शहर में पुरानी जंग लगी हुयी पाइप लाइनें बदलकर नयी लाइनें बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

296. नसीराबाद ब्यावर के मध्य डाली गयी पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य शीघ्र ही पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरमाराम (पिण्डवाड़ा) :

297. ओर पेयजल योजना लागू करने हेतु कुआ खुदाने हेतु चर्चा के लिये।

298. आबूरोड पंचायत समिति के सूरजगढ़ में पी. एन. टी. योजना को शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

299. बाटेरा, रोहीडा बीखाडा, सानवाडा, झाडोली में पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

300. आबूरोड देलदर पेयजल योजना में कुआ व बड़ी टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

301. आबूरोड नगर में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

302. आबूरोड पंचायत समिति के लिये बनाई गई आगमनटेशन स्कीम हेतु धनराशि आवंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) :

303. जयपुर नगर में पूरे दबाव से जल वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ):

(2) श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

304. बहरखंड कला (खंडार) में तीन हजार से अधिक जनसंख्या होने पर भी विभाग द्वारा कोई भी हैण्ड पम्प नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

305. पी. एण्ड टी. योजनान्तर्गत ग्राम गहनोली पंचायत समिति महुआ में वर्षों पूर्व स्वीकृत योजना में कोई कार्य नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

306. सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री में पानी सप्लाई रोक देने से लोगों में बढ़ते जा रहे असन्तोष पर चर्चा के लिये।

307. ग्राम गढी पट्टी व बिडोंदा में लगातार लिखे जाने के बावजूद हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

308. सवाई माधोपुर के स्थान बजरिया, जखाड़ा व डामला में भयंकर पानी की किल्लत से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

309. कस्बा खंडारा (सवाई माधोपुर) में नागरिकों द्वारा भूख हड़ताल करने के बावजूद भी सन् 1988 से अब तक पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं कर

(108)

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

310. ग्राम छारेटा हरीपुरा, क्यारदा खुर्द (झोपड़ी) तहसील खंडार में बार-बार लिखे जाने के बावजूद अनुसूचित जाति मौहल्लों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

311. ग्राम मित्रपुरा तहसील बोली में सरपंच द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी पेयजल की कोई उचित व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

312. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय मण्डावरा के पास पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

313. महुआ में स्थित पानी की टंकी में लगातार हो रहे रिसाव से टंकी के कभी भी गिर पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

314. जून, 1987 में नल कनेक्शन हेतु आवेदन करने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

315. ग्राम टहलडी ग्राम पंचायत ऊकरूंद तहसील महुआ में पेयजल के अभाव में रह रहे आदमियों व पशुओं में बढ़ते हुए जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

316. ग्राम हलैना तहसील वैर में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण एक ड्रम पानी पांच रुपये में बिकने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

317. गांव निसूरा तहसील टोडाभीम में दूषित पानी से हुई अकाल मौतों व विभाग द्वारा कोई सुधार नहीं कर पाने से बढ़ते जनाक्रोष पर चर्चा के लिये।

318. पंचायत समिति महुआ (सवाई माधोपुर) में अधिकांश हैण्ड पम्प खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

319. ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बामनवास में पेयजल हेतु स्वीकृत टंकी का निर्माण कार्य रोक देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

320. गांव करीरा खुर्द तहसील खंडार में कागजों में हैण्डपम्प लगने व उसका मरम्मत होना दिखा रखा है मौके पर कोई हैण्डपम्प नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

321. डी. आर. डी. ए. द्वारा ग्राम ऊकरूंद तहसील महुआ में अनुसूचित जाति बस्ती में स्वीकृत हैण्ड पम्प को विभाग द्वारा दीर्घावधि से नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

322. ग्राम खोंदपुरी तहसील महुआ में पानी की टंकी बन जाने के बावजूद पर्याप्त सप्लाई नहीं कर पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

323. झालावाड़ जिले के ग्रामीण अंचलों में

(श्री हरीश शर्मा)

हैण्ड पम्पों में से 60 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

324. हैण्ड पम्प लगाते समय एक मुश्त पूरा काम सम्पन्न न करने पर चर्चा के लिये।

325. झालावाड़ जिले की तहसील खानपुर एवं अकलेरा में अधिकतर हैण्ड पम्प खराब रहने पर चर्चा के लिये।

326. जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में व्याप्त भारी गबन, घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

327. जंगली क्षेत्रों में पेयजल की कोई व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

328. झालावाड़ जिले में सन् 1986, 1987 1988 में स्वीकृत हैण्ड पम्प आज तक भी नहीं लगाने से उत्पन्न जनाक्रोष पर चर्चा के लिये।

329. झालावाड़ जिले की पंचायत समिति खानपुर एवं मनोहर थाना के गांवों की सभी हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

330. कोटा में पानी के बिलों में हो रही गड़बड़ियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

331. झालावाड़ जिले की पंचायत समिति खानपुर के ग्राम चौकली के अनुसूचित जाति/जनजाति के मोहल्ले में हैण्डपम्प न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

332. झालावाड़ जिले की पंचायत समिति खानपुर में पाताल तोड़ कुएं खुदवाने के लिये विभागीय मदद नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

333. झालावाड़ जिले की पंचायत समिति खानपुर के ग्राम झोचर बोरदा में हैण्ड पम्प असफल होने पर पूरक व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

334. कोटा जिले की रामगंज मण्डी तहसील में पेयजल के अभाव पर चर्चा के लिये।

335. हैण्ड पम्पों की देख भाल के लिये ठोस व्यवस्था न होने से प्रदेश में पेयजल की कमी पर चर्चा के लिये।

336. पेयजल उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा निश्चित लक्ष्य समयावधि में पूरे न करने पर चर्चा के लिये।

337. कोटा, बून्दी व झालावाड़ जिले के गांवों में लगे हैण्ड पम्पों की जांच कर पीने योग्य या अयोग्य पानी का भेद करने पर चर्चा के लिये।

338. झालावाड़ जिले के खानपुर, पनवाड़, हरिगढ़, दहिखेड़ा कस्बों के सभी मोहल्लों में पेयलल वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

339. कोटा नगर को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

340. झालावाड़ जिले के हरिश्चन्द्र बांध से

(श्री हरीश शर्मा)

आस पास के गांवों को पेयजल वितरण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

341. कोटा के रामगंज मण्डी नगर में हमेशा पर्याप्त पेयजल वितरण न होने पर चर्चा के लिये ।

342. प्रदेश के नगरों एवं कस्बों में तत्कालीन जनसंख्या की दृष्टि से बनाई गई पानी की टंकिया वर्तमान में पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न जल वितरण संकट पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) :

343. खान्जी का तला-माधासर पेयजल योजना की शीघ्र स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

344. जोगासरिया-सरली पेयजल योजना की शीघ्र स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

345. बाड़मेर जिले की तहसील बाड़मेर व शिव के 20 नये राजस्व ग्राम धोनरी नाड़ी, सांगाणा कुआ, डूडियो की ढाणी, पनोलीयों मऊओं की ढाणी, चैनोनीयों की ढाणी, खरतोणीयो की ढाणी, खारड़ा बेरा, धोलानाड़ा, मकोणियों की ढाणी, डोगीमालों की ढाणी, जन्दोणियों की ढाणी, सवालियानाडा, जाने की बेरी, सोठों की ढाणी, लोताला, आन्तरा की पेयजल योजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिये पी.पी.सी. से मुख्य रूप से स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये ।

346. विगत 3 वर्षों से बाड़मेर जिले में स्वीकृत पेयजल योजना के लिये आवश्यकतानुसार पाइपों की आपूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

347. बाड़मेर जिले को पेयजल योजना के मिठोड़ा-सिन्धरी के अन्तर्गत ग्राम उडाली, कमण्ठाई, रानेरी, धने की ढाणी, एवाड़ी भीमजी, एवाड़ी चौसीरा एवाड़ी मानजी, एड मानजी को पेयजल योजना से लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

348. बाड़मेर जिले के ग्राम कोजा, सीलगण रतनपुरा, सिधासवा चौहान, कुडा में जी.एल.आर. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

349. बाड़मेर जिले में विगत 3 वर्षों से अनुसूचित जाति व जनजाति की आबादी में पेयजल के लिये वित्तीय प्रावधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

350. बाड़मेर जिले में पंचायत समिति धोरीमन्ना में ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड की प्राथमिक विद्यालय के पास पीने के पानी की व्यवस्था हेतु प्रेषित योजना की स्वीकृति पर चर्चा के लिये ।

351. बाड़मेर जिले में विगत चार वर्षों से पुराने गांवों की आगमेन्टेशन स्कीमों व नये राजस्व ग्रामों की ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री हेमाराम चौधरी)

352. बाड़मेर जिले में गर्मियों में विद्युत की सप्लाई सही नहीं मिलने से पेयजल के उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

353. बाड़मेर जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु कन्टोन्जेन्सी राशि अधिक दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

354. जिला बीकानेर की बज्जू जल प्रदाय योजना आर. डी. 931 को राइजिंग लाइन बज्जू तेजपुरा व बागड़सर में निजी कनेक्शन नियम विरूद्ध देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

355. जिला बीकानेर की आर.डी. 1120 की जलप्रदाय योजना के ग्राम कोलासर में सुचारू रूप से जल वितरण में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

356. जिला बीकानेर के गांव बरसलपुर, गौड़ की मीठे पानी की जल प्रदाय योजना की स्वीकृति देने में विभाग के द्वारा अनावश्यक देरी करने पर चर्चा के लिये।

357. बीकानेर की पेयजल वितरण नहर योजना बीछवाल झील निर्माण में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

358. जिला बीकानेर के गांव राणासर, पाबूसर, सिन्दूका, लाखासर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नहर का पानी वितरण करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

359. जिला बीकानेर की रणधीसर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नहर से सीधा जोड़ने की योजना शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

360. पंचायत समिति परबतसर के अन्तर्गत सार्वजनिक कुओं का बोरिंग कराने में विभाग द्वारा कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

361. परबतसर शहर को माण्डरण पेयजल योजना का मीठा पानी नये मेला मैदान में बनी टंकी में सप्लाई कराकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

362. ग्राम भादवा में पेयजल योजना के अन्तर्गत दूसरे कुओं में मोटर पम्प स्थापित कराकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

363. अनुसूचित जाति रेगरान मौहल्ला बिदीयाद में टी.एस.एस. योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

364. बोका पट्टी योजना के अन्तर्गत 200 से अधिक जनसंख्या वाली जूणावां, जसवन्तपुरा, धायलों की ढाणी, फरडौदा, पोबेरी, डोबड़ी, सोवलदास, कुंवाड़ों, लेगाको, ठोलियों, डोबड़ी कलां, सोवरों, शिवरासी, सारणों,

(श्री मोहनलाल चौहान)

सोवरों, जणावा, भैया खुर्द, गूजरों, भैया कलां, लोड़ियों तथा अलतवा की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

365. ग्राम पीलवा, बाजवास में नलकूप खोद कर निर्माणाधीन टंकियों में पेयजल की सप्लाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

366. स्वीकृतशुदा क्षेत्रीय योजना राबड़ियाद से खारे पानी के ग्राम धोलिया, मुडोता, पालड़ी कड़वा, भवाणी गांव व निम्बोला को पाइप लाइन जोड़कर मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

367. राज्य सरकार द्वारा जी.आई.पी. पाइप खरीद नहीं करने पर खण्ड मेड़ता की तमाम जलदाय योजनायें अधूरी रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

368. ग्राम भेरवास, आजवा, अडाणी, गोगोली में टी.एस.एस. योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

369. बसवाड़ा, माखीदा ग्राम पंचायत के बैरवा बस्तियों में विशेष हैण्ड पम्प लगाया जाकर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

370. केशवराय पाटन अनुसूचित जाति/जन जाति बाहुल्य क्षेत्र के अधिकांश पानी के कुओं की मुंडेरें टूटी होने से अशुद्ध एवं दूषित पानी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

371. रोटेदा ग्राम पंचायत के खेड़ली बन्धा एवं झोपड़िया गांव में पुराने हैण्डपम्पों को ठीक करने एवं नये लगवाये जाकर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

372. फोलाई ग्राम पंचायत के जगन्नाथा, गिवरिया गांव, कुआ गांव, भैरू खेड़ा आदि गांवों में पर्याप्त हैण्ड पम्प नहीं होने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए।

373. केशवराय पाटन नगर के ऊपरी वार्डों में पानी कम चढ़ने से पाइप लाइन बदली जाकर समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए,

374. केशवराय पाटन तहसील में लगे हैण्ड पम्पों की पर्याप्त खुदाई नहीं होने एवं पानी की कमी बनी रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

375. कापरेन नगर पालिका के ढीमली एवं हांडिया खेड़ा की बस्तियों में पीने के पानी की भारी समस्या रहने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

376. लाखेरी के गरमपुरा की ऊंचाई पर नई पाइप लाइन बिछाई जाने, हैण्ड पम्पों को पुनः खुदाई करवाने एवं पूरे समय पर्याप्त पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

377. नोताड़ा, धरावण, चोतरों का खेड़ा, चरडाना, हिनोनिया आदि ग्राम पंचा-

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

यतों के गांवों में नये हैण्ड पम्प आबादी की आवश्यकतानुसार लगवाये जाकर पेयजल समस्या का समाधान कराने हेतु चर्चा के लिए।

378. आबादी के अनुपात में मायजा पंचायत के भूंवासा, कानीहेड़ा, कोडिजा, छरकवाड़ा आदि गांवों में खराब हैण्ड पम्पों को सुधारा जाने एवं नये हैण्ड पम्प लगाने हेतु चर्चा के लिए।

379. केशवराय पाटन सिंचित क्षेत्र में सदैव पानी का भराव रहने, बरसात में पानी कुओं से ऊपर होकर बह जाने, कृषि फसलों में कीट नाशक दवाइयों का प्रचुर मात्रा में उपयोग होने से पेयजल दूषित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

380. केशवराय पाटन तहसील में पीने के पानी के कुओं की मुंडेरें जलदाय विभाग द्वारा बनवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

381. कापरेन नगर में पाइप लाइन बदले जाने एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के मौहल्लों में प्राथमिकता से नई पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु चर्चा के लिए।

382. केशवराय पाटन तहसील में खराब हैण्ड पम्पों को अतिशीघ्र सुधारा जाकर पानी की समस्या का समाधान करने हेतु चर्चा के लिए।

383. आजन्दा ग्राम को घाट का बराना पेयजल योजना से हटाकर अलग से ही पेयजल योजना आजन्दा, या हैण्ड पम्प लगाया जाकर समस्या का समाधान हेतु चर्चा के लिए।

384. बड़ाखेड़ा पेयजल योजना में सुधार लाने के उपाय ढूंढने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

385. केशवराय पाटन तहसील के कोटड़ी माखीदा, बसवाड़ा, रेबारपुरा, बहडावली-नोहाडा, नोताडा, बीरज, बोपाखेड़ा बालोद आदि समस्या ग्रस्त गांवों में जनजाति के व्यक्तियों को शुद्ध जल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

386. लाखेरी मेज लिफ्ट योजना को अतिशीघ्र पूरा नहीं करवाया जाने से लाखेरी नगर में उत्पन्न जल संकट पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

387. लगभग 15 हजार की आबादी वाले ग्राम रिडी तहसील डूंगरगढ़ जिला चूरू को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

388. ग्राम सांवतसर तहसील डूंगरगढ़, चुरू में पानी की टंकी नहीं बनाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

389. तहसील डूंगरगढ़ के आस पास के गांव सूडसर तथा देरू, भेराकर, भोपालसर, को पर्याप्त मात्रा में पानी देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

390. डूंगरगढ़ तहसील के जनजाति बाहुल्य ग्राम उतरादा, धकरादा को पेयजल

(114)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मुहैया कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

391. ग्राम सानियासर, रिजनल वाटर सप्लाई स्कीम से ग्रामीण जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

392. तहसील डूंगरगढ़ के ग्राम राजीढू व बावेऊ जलप्रदाय योजनाओं को जनाभाव में अधूरी रहने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

393. ग्राम बानाकी टी.एस.एस. स्कीम को ग्राम पंचायत से लेकर पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

394. ग्राम जसरासर तहसील डूगरगढ़ में आज तक कोई पानी की टंकी नहीं बनाने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए।

395. ग्राम लिखयी उतरादा व दिखजादन में पाइप लाइन बिछाकर घरों में कनेक्शन देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

396. ग्राम मंदाला, तहसील नोखा में धनराशि के अभाव में पेयजल योजना अधूरी रहने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

397. ग्राम मढिया तथा तहसील नोखा की पेयजल योजना को पंचायत से हटाकर विभागीय अधिकार क्षेत्र में लेकर पर्याप्त राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

398. ग्राम उड़सर, तहसील नोखा की जनसंख्या लगभग ढाई हजार से अधिक होने पर भी विभाग द्वारा जानबूझकर कोई पेयजल योजनान्तर्गत नहीं लेने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

399. ग्राम पांचू, तहसील नोखा के लिए पर्याप्त धनराशि देकर पेयजल योजना प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

400. ग्राम लसरासर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

401. बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति के हरिजन मौहल्लों में पानी की स्टेण्ड व हौज आदि बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

402. जिला बीकानेर में हरिजन मौहल्लों में बनाये गये हौजों को पाइप लाइनों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

403. स्वीकृति अनुसार बीकानेर जिले में पी.आर.डी. एवं पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा हरिजन मौहल्लों में हौज न बनाकर अन्यत्र बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

404. बीकानेर जिले में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राशि से चलाये जा रहे कार्यों को विभाग द्वारा रोक दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

405. बीकानेर जिले की खासंकर नोखा बीकानेर तहसील लूणकरणसर, कोलायत ग्रामीण क्षेत्रों के हरिजन मोहल्लों में पीने का पानी उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

406. ग्राम झूझू तहसील कोलायत में हरिजनों की काफी बड़ी संख्या होते हुए भी पानी की स्टेण्ड व हौज आदि बनाने हेतु धनराशि देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

407. ग्राम दासूडी तहसील कोलायत में भी हरिजनों की काफी बड़ी संख्या होते हुए भी वहां पानी स्टेण्ड व हौज आदि बनाने में विभाग व सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

408. ग्राम पांचू में बड़े-बड़े हरिजन मोहल्ले हैं हरिजनों को पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए।

409. ग्रम छाडिली क्षेत्र नोखा में हौज बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में धनराशि के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

410. ग्राम झाडिली की जल सप्लाई स्कीम की टंकी पुरानी एवं जर्जर होने से नई टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

411. ग्राम थावरिया की हरिजन बस्ती में पानी के स्टेण्ड व हौज की सुविधा उपलब्ध कराई जाये इस पर चर्चा के लिए।

412. ग्राम दन्तौर तहसील बीकानेर में पर्याप्त जल वितरण व्यवस्था हेतु पुराने हौज व टंकी के स्थान पर नई टंकी व हौज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

413. खाजूवाला डेरियों वाली जल वितरण व्यवस्था से गंदा जल आने पर चर्चा के लिये।

414. ग्राम पूदस्यू तहसील नोखा में ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

415. बीकानेर जिले में बड़ी-बड़ी जनसंख्या वाले ग्रामों में गली-गली में पाइप लाइन देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

416. बाडमेर जिले में सवाऊ पदसिंह से खुमोणियों की ढाणी के पाइप लाइन से पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

417. बाड़मेर जिले में पेयजल के स्थाई समाधान हेतु इन्दिरा गांधी नहर से पोकरण, फलसून्ड उतरणी, सिणधरी, गुढामालिनी, गोधव लिफ्ट योजना को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

418. बाडमेर जिले में डेली वेजेज पर हेल्पर रखने पर प्रतिबन्ध हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

419. बाडमेर जिले में वर्षों से डेली वेजेज पर कार्यरत हैल्परों को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हेमाराम चौधरी)

420. बाडमेर जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक सहायक अभियन्ता को जीप दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

421. बाडमेर जिले में पिछले चार वर्षों से ग्रामीण जल प्रदाय की योजनाओं की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को नहीं भेजने और स्वीकृति हेतु प्रयास नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) :

422. तहसील नोहर के ग्राम कल्लासर, ढाणी मनी माहेला व पल्लू में पेयजल समस्या निवारण हेतु चर्चा के लिये।

423. ग्राम डूानसर तहसील नोहर में पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

424. ग्राम साजनसर में पीने के पानी का प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिये।

425. ग्राम भारासर उतरादा का ट्यूब वैल चालू कर पेयजल समस्या दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

426. ग्राम भारासर व रानादा में पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूब वैल खुदवाने हेतु चर्चा के लिये।

426ए ग्राम हरिपासर धडसीतान के कुवे की मरम्मत नहीं करायी जाने से उत्पन्न स्थिति चर्चा के लिये।

427. ग्राम राणासर बीदान व पातीलसर में बड़ा ट्यूब वैल चालू करवाने हेतु चर्चा के लिये।

428. ग्राम रोलासर का ट्यूब वैल चालू करवाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

429. ग्राम भागीपुरा में पानी के लिये हौज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

430. ग्राम मेहरी में पीने का पानी का इन्तजाम कराने हेतु चर्चा के लिये।

431. ग्राम फोगां में सरदार शहर से पानी नहीं पहुंचाये जाने पर चर्चा के लिये।

432. ग्राम रोजास व बलाल में पानी की समस्या हल कराने हेतु चर्चा के लिये।

433. ग्राम डालमाणा में पीने का पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

434. ग्राम भाऊवाला व रायपुरा में पीने के पानी का समुचित प्रबन्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

435. ग्राम शीमला में मीठे पानी का इन्तजाम कराने हेतु चर्चा के लिये।

436. ग्राम बोधेरा व ढाणी तेतरवाल में पानी नही पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

437. ग्राम लुणासा में पानी नहीं मिलने पर ट्यूब वैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

438. ग्राम नाहरसरा में ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता की चर्चा के लिये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

439. ग्राम अमरसर तहसील सरदार शहर में ट्यूब वैल खुदवाने की चर्चा के लिये।

440. ग्राम सोमासर-पनपालिया व पाटमरेसर में घड़सोसा स्कीम से पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

441. सरदार शहर कस्बे में पानी की बिल्कुल भी सप्लाई नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

442. रामनगर मौहल्ला सरदार शहर की पेयजल समस्या हल नहीं करने व पानी की लाइन नहीं डालने पर चर्चा के लिये।

443. सरदार शहर तहसील में ललानिया स्कीम द्वारा नहर का पानी पहुंचाने हेतु शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये।

444. ग्राम बुकनसर बड़ा तहसील सरदार शहर के स्थानीय कुओं को विद्युत कनेक्शन दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

445. ग्राम बुडनसर बड़ा में सरदार शहर आसपालसर स्कीम से पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

446. ग्राम कीकासर तहसील सरदार शहर में पानी की कमी को दूर करने के लिये मीठे पानी की गांव में ट्यूबवैल खुदवाने हेतु चर्चा के लिये।

447. ग्राम सवाई बड़ी में पानी की कमी रहने व ट्यूबवैल खुदवाने बाबत चर्चा के लिये।

448. ग्राम आनरवासी के कुएं को चालू कर ग्राम मोगासर में पानी पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये।

449. ग्राम भोगासर तहसील सरदार शहर की हरिजन बस्ती में पाइप लाइन नहीं डाली जाने पर चर्चा के लिये।

450. ग्राम सिगड़ी में हौज का ठेका होने पर भी नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

451. ग्राम खेजड़ा उनरारा बदी खनारा में पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

452. ग्राम भोजरासर में पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

453. राजस्थान की टी. एस. एस. योजनाओं की रख-रखाव का खर्च विभाग द्वारा वहन कराने पर चर्चा के लिये।

454. राजस्थान की टी. एस. एस. योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा नहीं लेने पर चर्चा के लिये।

455. ग्राम भोजूसर उपाधियान के कुएं को बोरिंग करवाने हेतु चर्चा के लिये।

456. ग्राम साठासर को ग्राम बीजरासर से पीने का पानी पहुंचाने में विलम्ब होने पर चर्चा के लिये।

457. ग्राम पोचदराईताल व पोचरदाई टीबा में पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर चर्चा के लिये।

458. ग्राम हिराजसर में रामसीसर स्कीम से पानी नहीं पहुंचाने व ट्यूबवैल

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ग्राम हीराजसर में ही खुदवाने की चर्चा के लिये।

459. एन. आर. ई. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. निर्मित हौजों से पेयजल हेतु कनेक्शन करवाने हेतु चर्चा के लिये।

460. ग्राम जेतसीसर बास धिंगतालिया में पानी की जी. एल. आर. का निर्माण नहीं कराने के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

461. ग्राम पोरो तहसील सरदार शहर में ग्राम सावर से पानी पहुंचाने हेतु व स्थानीय कुएं को विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन लेकर चालू कराने हेतु चर्चा के लिये।

462. ग्राम नैणासर-सुमेरिया के ट्यूबवैल को तुरन्त चालू करवाने के लिये चर्चा के लिये।

463. ग्राम सावर तहसील सरदार शहर से कालवासिया पानी पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये।

464. सरदार शहर तहसील के डीजल से चलने वाले ट्यूबवैलों व खुले कुओं का विद्युतीकरण विभाग द्वारा करवाने में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) :

465. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा से 316 ग्रामों व मजरी पाड़ों की सर्वे करा कर हैण्डपम्प लगाकर पेयजल समस्या का निराकरण करने हेतु चर्चा के लिये।

466. गांव बोरदा में पटवार मण्डल बोरदा तहसील घाटोल में हैण्डपम्प लगाकर पेयजल समस्या का निराकरण करने की चर्चा के लिये।

467. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव कटारों का खेड़ा व पटवार मण्डल सोडलपुर में हैण्डपम्प लगाकर सूखे क्षेत्र में पेयजल समस्या के निवारण पर चर्चा के लिये।

468. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के नखाली गांव में विभाग द्वारा पानी की समस्या के निवारण हेतु चर्चा के लिये।

469. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव सेणावासा में बिजवा माताजी के सामने हैण्डपम्प लगाने की चर्चा के लिये।

470. गांव गरनावर पड़ोली गोर्धन के आदिवासी मोहल्ले में हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरीबाजार):

471. प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलता में आने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु गलता दरवाजे पर हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

472. जयपुर स्थित देश भूषण नगर, गलता दरवाजे के पास दिल्ली बाई पास रोड पर हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

473. तहसील बस्सी के ग्राम चरणगढ़ की अनुसूचित जनजाति की ढाणी झूपड़्या वाली में पेयजल का कोई स्रोत नहीं होने पर भी हैण्डपम्प लगाकर पेयजल समस्या का निराकरण न करने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

474. तहसील बस्सी के ग्राम कानोता में अनुसूचित जाति की बैरवा बस्ती आगरा रोड, वार्ड नं. 1, खटीक बस्ती वार्ड नं. 1, धानक, धोबी बस्ती वार्ड नं. 2, बैरवा बस्ती वार्ड नं 8 को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कानोता की पाइप लाइन से नहीं जोड़ने व सार्वजनिक नल न लगाकर अनुसूचित जाति के लोगों को राज्य सरकार की नीति के विपरीत पेयजल सुविधा से वंचित रखने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

475. पानी की शुद्धता बनाये रखने व हैण्डपम्पों के पास कीचड़ जमा न हो इसके बचाव के लिये हैण्डपम्प से बिखरे पानी के निकास के लिए विभाग द्वारा नाली निर्माण कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

476. तहसील बस्सी के ग्राम बड़वा, पडासोली, नांगल बोहरा, कानेटा, अप्रेटा, झाझवाड़ आदि ग्रामों में पीने के पानी का अन्य स्रोत नहीं होते हुए भी भिखरी जनजाति के इन ग्रामों में पेयजल टैंक बनाकर जटवाड़ा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से जोड़ने का प्रस्ताव विभाग द्वारा ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्ययन से जनजाति विकास विभाग को भेजने में अनावश्यक विलम्ब कर जनता को पेयजल सुविधा सुलभ नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

477. तहसील बस्सी में पेयजल समस्याग्रस्त निम्न ग्राम जहां पीने के पानी का अन्य कोई स्रोत नहीं है, कानेटी-भटेरी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पूर्ण होने, कानेटी में टैंक का निर्माण हो जाने के उपरान्त भी पाइप लाइन से जोड़ने में किये जा रहे अनावश्यक विलम्ब से जन जीवन के साथ खिलवाड़ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

478. चौमू-सामोद रोड पर चौमू कस्बे में हैण्डपम्प लगाकर पानी की समस्या का समाधान कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

479. ग्राम सांडास ढींगसरी भरनावा तहसील लाडनूं जिला नागौर में जी. एल. आर. नहीं बनाने के कारण जल संकट पर चर्चा के लिये।

480. ग्राम गीलीढानी तहसील लाडनूं में पाइप लाइन होते हुए भी पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

481 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा मरु विकास कार्यक्रम के तहत पेयजल योजनाओं को दी गई स्वीकृतियों की राशि खर्च नहीं किये जाने के कारण कार्य अधूरे रहने के कारण उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

(120)

(श्री हरजीराम बुरड़क)

482. ग्राम दानी, ग्राम तिलकपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर में पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

483. तहसील लाडनूं के ग्राम ग्राजवा भामी को स्वीकृत होने के बाद भी ग्राम बल्दू से पानी नहीं पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

484. ग्राम रोज्या तहसील लाडनूं में पानी ग्राने की मेन लाइन से व्यक्ति विशेष को पानी का कनेक्शन देने के कारण गांव में पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

485. ग्राम ढींगसरी तहसील लाडनूं को पाइप लाइन से जोड़ने के उपरान्त भी पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

486. ग्राम मीठडी तहसील लाडनूं में उच्च जलाशय के निर्माण के लिये दानदाता द्वारा दी जाने वाली राशि विभाग द्वारा नहीं लिये जाने पर चर्चा के लिये।

487. जिन गांवों, घरों में पानी के कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उन मकानों का पट्टा लिये बिना कनेक्शन नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये।

488. ग्राम बाकलियां से सारड़ी तहसील लाडनूं में डाली गई पाइप लाइन डिफेक्टीव होने के कारण पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

489. ग्राम ध्यावा तहसील लाडनूं में पानी सेन्टर का निवारण नहीं करने व इसके लिये ग्रासकी ढाणी में जनरेटर नहीं लगाने पर चर्चा के लिये।

490. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पशु पेयजल योजना के तहत दी गई राशि का जिले में समान रूप से उपयोग नही करने व क्षेत्र विशेष में अधिक राशि खर्च करने पर चर्चा के लिये।

491. गांव सांवराद तहसील लाडनूं का पानी खराब होते हुए भी सप्लाई चालू रखने ग्रौर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये।

492. ग्राम दताऊ तहसील लाडनूं में स्थानीय कुएँ पर पानी होते हुए भी उसे चालू नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

493. पेयजल वितरण हेतु जिले में मनमाने तरीके से जनरेटर सेट लगाने व चलाने पर चर्चा के लिये।

494. कस्बा लाडनूं की इनाणियां की ढाणी को स्वीकृत हो जाने के बाद भी पानी नहीं पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

495. ग्राम देवरा तहसील लाडनूं जिला नागौर को जल योजना से नहीं जोड़ने पर चर्चा के लिये।

496. विभाग द्वारा टेक्नीकल मिशन के ग्रन्तर्गत नागौर जिले में जो योजनायें बनाई गई उनमें मनमाने तरीके से योजना बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) -

497. तहसील भादरा के गांव बिराव को

(श्री लालचन्द डूडी)

नहर अमरसिंह से पानी लेने के लिए बनी हुई पक्की नाली के बावजूद भी उससे पानी न लेकर किसानों के सिंचाई के लिए बने नाले से पानी लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

498. क्षेत्रीय पेयजल योजना जो 18 गांवों के लिए बनी थी पर केवल पांच गांव रह जाने के बाद भी पानी न मिलने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

499. भादरा से डूंगराना मुख्य लाइन पर कई साल से लगातार मरम्मत की कोशिश करने के उपरान्त भी लीकेज न रुकने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

500. ग्राम अरनिया तहसील बसवा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरनियां में विभाग द्वारा हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) :

501. लगातार कई वर्षों से वर्षा नहीं होने से जल स्तर काफी नीचे जाने से पेयजल की बढ़ती समस्या के सम्बन्ध में।

502. कोटपूतली जिला जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

503. जयपुर शहर में किसी मौहल्ले में 24 घन्टे, कहीं एक समय और कहीं-कहीं दोनों समय पानी देने से जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

504. जोधपुर जिले के सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों तक कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

505. ग्राम आसकी ढाणी तहसील लाडनूं में गांवाई कुए पर जनरेटर सैट लगाकर इस ग्राम को व ग्राम ध्यासा को पानी सप्लाई किए जाने पर चर्चा के लिये।

506. ग्राम सिंघाना तहसील डीडवाना को ग्राम बल्दू से पानी दिए जाने पर चर्चा के लिये।

507. भाकरों की ढाणी निम्बी जोधा तहसील लाडनूं में पेयजल की व्यवस्था नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

508. ग्राम ढींगसरी, दताऊ में पानी की उपलब्धता होते हुए भी नलकूप नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) :

509. पेयजल योजना करनसर को तैयार हुए 3 साल हो गये किन्तु मदनकावास को पानी आज तक नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

510. ग्राम प्रतापपुरा नारन्दरी जल योजना की 200 की आबादी की ढाणी नान्दरियां में पानी खारा होने पर वहां पाइप लाइन व भूतल जलाशय कायम करने हेतु चर्चा के लिये।

511. हरसोली योजना में पानी की कमी को देखते हुए पानी के लिए दो और नये कुएं बनाने पर चर्चा के लिये।

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

512. मुडियागढ़ एवं हरसोली की पेयजल योजना में पर्याप्त पानी न मिलने पर चर्चा के लिये।

513. किशनगढ़ रेनवाल की पेयजल योजना के सभी कुओं में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से नये कुएं बनाने पर चर्चा के लिये।

514. किशनगढ़ रेनवाल में हरिजन व कमजोर वर्ग के मोहल्लों में पाइप लाइन व पी. एस. पी. डाली जाने हेतु चर्चा के लिये।

515. किशनगढ़ रेनवाल में बड़ी के बाजार में बड़ी पाइप लाइन डालने हेतु चर्चा के लिये।

516. किशनगढ़ रेनवाल में डाली गई पाइप लाइन प्रारम्भ में छोटी और आगे छोटी डालने से हुई तकनिकी खराबी के कारण अब 12" की लाइन डालने हेतु चर्चा के लिये।

517. पेयजल योजना किशनगढ़-रेनवाल के सभी कुओं का पानी का स्तर नीचे चला गया है इस कारण कल्याणपुरा के पास नये कुएं बनाने पर चर्चा के लिये।

518. पेयजल योजना सांभर के सभी कुओं में पानी सूख जाने से 3 नये कुएं बनाने पर चर्चा के लिये।

519. सांभर की पेयजल योजना की पाइप लाइन 60 साल पुरानी होने से बड़ी व नई पाइप लाइन डालने हेतु चर्चा के लिये।

520. जोबनेर ग्रामीण जल योजना का तखमीना बने 3 साल हो गये परन्तु आज तक भी तकनिकी स्वीकृति नहीं मिलने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

521. भैसवा की क्षेत्रीय जल योजना की 2 साल से आज तक भी तकनिकी स्वीकृति नहीं मिलने पर उत्पन्न के संबंध में चर्चा के लिये।

522. पेयजल योजना मट्ठा भीमसिंह में ढाणी अहिरान, ढाणी भंवरया, ढाणी खेजड़ेवाली में मीठे पानी की पाइप लाइन डाले जाने पर चर्चा के लिये।

523. पेयजल योजना काचरोदा में आस्टी की ढाणी से कुमावत कालोनी तक ढाणी रेगरान से कच्छी गोदाम तक, रेल्वे पुलिया से बडकी ढाणी, ढाणी ईसयान से ढाणी नागान तक 8 साल से अधूरी पड़ी पाइप लाइन को पूरा कराये जाने पर चर्चा के लिये।

524. मोहन का वास करनसर की पेयजल योजना का एक नया कुआं पानी देने से पूर्व ही सूख गया, नई व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

525. मोहन का वास के वार्डों में पाइप लाइन डलवाने हेतु चर्चा के लिये।

526. ग्राम गुमानपुरा में हैण्ड पम्प नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

527. लालासर की ढाणी व कुडियों की ढाणी में पानी खारा होने पर भी पाइप लाइन नहीं डाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

528. पेयजल योजना बाधावास के ग्राम धोलिये के वास में पानी सुचारू रूप से नहीं मिलने व पाइप लाइन नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

529. पेयजल योजना सिनोदिया की ढाणी डीडवादियों का वास में भू-तल जलाशय नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

530. पेयजल योजना सिनोदिया के ग्राम खतवाड़ी खुर्द कलां, मुडवाड़ा को पानी सुचारू रूप से नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

531. पेयजल योजना बादवा के सभी कुओं के गत 2 साल पूर्व ही सूख जाने से नये कुएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

532. ग्राम भादवा की जल योजना में पड़ने वाली 1000 की आबादी वाली ढाणियों, नेरोकावास, डोगिवाली का वास में मीठा पानी दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

533. पेयजल योजना भैसलाणा की टूटी हुई टंकी के स्थान पर नई टंकी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

534. समस्या ग्रस्त ग्राम जैयतपुरा, माजीपुरा, सुरसिहपुरा की जल योजना बना कर गत पांच साल की स्वीकृति के लिये पी.पी.सी. कमेटी में लम्बित रहने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

535. समस्या ग्रस्त गांव देवाकावास, की क्षेत्रीय जल योजना स्वीकृति के अभाव में गत 4 साल से पी.पी.सी. कमेटी में लम्बित रहने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

536. पीपल्दा तहसील के मीठोद गांव में टी.एस.एस. योजना के खराब होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

537. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र तथा कोटा जिले में हैण्ड पम्प रिपेयर के समय नकली एवं हल्के सामान का उपयोग करने से हैण्ड पम्प के बार-बार खराब होने पर चर्चा के लिये।

538. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के कस्बे अयाना, तलाव, मोहनपुरा, बमूलिया तथा लहावद में पम्प एण्ड टैंक पेयजल योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

539. शहरी क्षेत्र की योजनाओं की तरह ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

540. बून्दी जिले की केशवराय पाटन तहसील के ग्राम नान्ता में भैरूंजी के मन्दिर पर हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

541. प्रान्त की विभिन्न हरिजन बस्तियों में तुरन्त पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

542. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में अधूरे खोदे हैण्ड पम्पों को तुरन्त पूरा करने

(24)

(श्री हीरालाल आर्य)

या दूसरे हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

543. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में अवरुद्ध हैण्ड पम्प के स्थान पर दूसरे हैण्ड पम्प तुरन्त लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

544. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में अधिकांश हैण्ड पम्प खराब होने तथा अविलम्ब ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

545. पीपल्दा तहसील के इटावा कस्बे में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत ट्यूब वैल को तुरन्त खुदवाने तथा चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

546. पीपल्दा तहसील के ग्राम रलावता, फतेहपुर, लालगज, सीमोला, च्यावदा, मरभाना, संग्रामपुरा तथा कीरपुरा (गैंता) में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प खुदाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

547. पीपल्दा तहसील के गांव बागली, ठीकरदा, पीपल्दा, गैंता, इटावा खातौली, अयाना की हरिजन बस्ती में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

548. पीपल्दा तहसील के इटावा, पीपल्दा, गैंता, खातौली करवाड़ गांवों की हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन बिछवाने हेतु चर्चा के लिये।

549. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं द्वारा पूरे समय पर्याप्त मात्रा में पानी दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई):

550. निवाई विधान सभा क्षेत्र में ग्राम चवानी का सर्वे किये जाने के बाद भी पेयजल व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

551. ग्राम पंचायत करेडा बुजुर्ग में समुचित पेयजल व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

552. ग्राम हिग्गीनिया तहसील निवाई में पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

553. निवाई विधान सभा क्षेत्र में समस्त खराब पड़े हैण्ड पम्प तुरन्त ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

554. पानी का जल स्तर नीचे चले जाने से अधिकांश हैण्ड पम्पों में पानी न आने से उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये।

555. जहां-जहां हैण्ड पम्पों में पानी नहीं आता वहां तुरन्त नये हैण्ड पम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

556. अनुसूचित जातियों की ढाणियों में तुरन्त नये हैण्ड पम्प लगवाएं जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

557. जिन हैण्ड पम्पों में पानी नहीं आता है उन्हें गहरा करवाएं जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री ग्यारसीलाल परिडवाल)

558. निवाई विधान सभा क्षेत्र में जिन हैण्ड पम्पस में पीने योग्य जल नहीं है वहां वैकल्पिक व्यवस्था कर जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

559. चैनपुरा रेल्वे फाटक तहसील निवाई उनवारियों की ढाणी में हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

560. निवाई तहसील के सार्वजनिक कुओं को गहरा करवा कर जल उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा के लिये।

561. कुएं व बावड़ियां सूखने से पीने के पानी की भयंकर कमी पर चर्चा के लिये।

562. निवाई तहसील में जहां अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को पानी नहीं भरने देते उनके लिये पेयजल व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

563. दोनों समय नल का पानी नहीं आने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

564. शिकायत पर भी हैण्ड पम्पस को ठीक करने की अपनी जिम्मेदारी पंचायत समिति एवं जलदाय विभाग द्वारा न लिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

565. मासी बान्ध में पेयजल योजना तुरन्त लागू की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

566 पंचायत समिति सिरोही की बनाई गई ग्रोगमन्टेशन योजना पर धनराशि आवंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

567. बराड़ा पेयजल योजना के कुए में पानी नहीं होने से ट्यूब वैल स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

568. सिरोही जिले की अन्य जिलों के मुकाबले पेयजल योजनाओं में नगण्य धनराशि आवंटन करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

569. सिरोही नगर में कृष्णपुरी, भाटकड़ा कालोनी, भील मोहल्ला, भाबीयों का वास, डाबी लाइन एवं हरिजन मोहल्ला, नाइयों की गली में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

570. भेवा गोल पेयजल योजना से ओंडा, नारादरा सवली, भाडानी लोटीवाड़ा, उम्मेदगढ़ में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

571. भवादर पेयजल योजना में खुदे हुए ट्यूब वैल को पत्थर डालकर शरारती तत्वों द्वारा बन्द करने से पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

572. शिवगंज व सिरोही पंचायत समिति में स्वीकृत हैण्ड पम्पों को मशीनों के अभाव में नहीं खुदवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री रामलाल सोलंकी)

573. पंचायत समिति शिवगंज की औगमन्टेन्शन पेयजल की बनाई गई योजना में धनराशि आवंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

574. शिवगंज पंचायत समिति की पेयजल-योजना अनादर कैलाश नगर, झाडोली जोगापुरा, अरठवाड़ा के कुओं में उपयुक्त मात्रा में पेयजल प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

575. भेव रिजनल स्कीम से अन्दोर, सगालिया, सरदनपुरा, मोचाल में पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

576. जोयला रीजनल स्कीम से जोगापुरा, आलपा, रोवाड़ा, लखभावा, बडेरी को कई माह से उचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

577. शिवगंज नगर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोहल्लों में पाइप लगाने हेतु चर्चा के लिये।

578. शिवगंज नगर एवं पांच किलोमीटर नजदीक के ग्रामों को जवाई बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

579. शिवगंज नगर में उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

580. पेयजल योजनाएं कालन्द्री, जावाल, बराडा, बेलागरी, कृष्णगंज, गोइली, गोल, मोहब्बत नगर की अनुसूचित जाति/जनजाति मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

581. सिरोही नगर में अनुसूचित जाति व जनजाति मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

582. आबादी की बढ़ोतरी के कारण सिरोही नगर की पेयजल योजनान्तर्गत एक टंकी द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं कराने से अन्य दूसरा ओवर हैड टैंक शीघ्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

583. शिवगंज पंचायत समिति के ग्राम खेजडिया, जैजपुरा, धुणाणा, गोडाणा, वाण मोरली, चुली बादला में पेयजल योजना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

584. पंचायत समिति, शिवगंज के फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

585. पंचायत समिति सिरोही में नवारा, माकरोडा, राजपुरा, धान्ता, डोडुआ में पेयजल योजना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

686. सिरोही नगर की औगमन्टेन्शन की बनाई गई योजना पर धनराशि स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

सवाई माधोपुर की अनुसूचित जाति की महिला के साथ हुए कथित बलात्कार के सम्बन्ध में वक्तव्य देने में विलम्ब

श्री किरोड़ीलाल मीणा : On a point of order.

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, मेरी व्यवस्था सुन लीजिये। आपका पांइट ऑफ आर्डर ले लेता हूं।

इस मांग पर करीब 30 माननीय सदस्यों के नाम बोलने के लिये आये हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, अध्यक्ष जी की व्यवस्था भी है, 7 से 10 मिनट तक हर एक बोल सकेगा। तो कृपा करके सहयोग करें।

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : पांच मिनट करो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में जिस अनुसूचित जनजाति की युवती के साथ बलात्कार हुआ था। उसके मामले को लेकर सरकार को स्टेटमेंट देना था। और आज का आपने उसके लिये समय दिया था। कल भी यह वक्तव्य था कि आज उस पर एक स्टेटमेंट होगा....

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये फिर से बोलिये। मैंने सुना नहीं क्योंकि some important matter was before me.

श्री किरोड़ीलाल मीणा : सवाई माधोपुर की जिस अनुसूचित जाति की लड़की के साथ बलात्कार किया था और एस. पी. उसमें इन्वाल्वड था। वह मामला तीन दिन पहले मैंने उठाया था, सदन में आश्वासन दिया था कि आज इस पर वक्तव्य देंगे।.... (व्यवधान) कल भी कहा है आज देने के लिए। कार्य सूची में नहीं पहुंचता है।

एक माननीय सदस्य : Today is third day.

श्री उपाध्यक्ष : आपको ध्यान है परसों मुद्दा उठा था, विद्या जी आसन पर थी; विद्याजी ने आश्वासन दिया था कि तीन दिन के अन्दर इसमें जांच करवा करके सदन को सूचित करना है। तो अभी बात कर लेते हैं। या तो एक काम करिये, आप थोड़ी अध्यक्ष जी से बात कर लीजिये, वहां इसकी व्यवस्था ले लीजिये, इसको रोकने वाला कोई नहीं है।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : डिमाण्ड तो चालू हो गई साहब....

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड चालू हो जायेगी तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा। आप बात कर लीजिये। मैं आपको निर्दिष्ट कर रहा हूं आप इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जी से बात करके तय करा लीजिये।

श्री हरीश शर्मा : कल कहा था आज वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं न ? अभी चलाने दीजिये। आप अध्यक्ष जी से बात कर लीजिये, उन्होंने इस विषय में कोई व्यवस्था की होगी। आप पूछ लें, इन बिटवीन इन्टरवीन करवा देंगे....

श्री किरोड़ीलाल मीणा : व्यवस्था तो आज की दी है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें व्यवस्था विद्या जी की थी तीन दिन में देंगे।

श्री हरीश शर्मा : वह तो पुरानी हो गई, कल व्यवस्था हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : कल भी यही बात आई थी, तीन दिन के अन्दर की बात है। इसलिये कह रहा हूं आप अध्यक्ष जी से बात तो कर लें। इसमें परेशानी कहां है ? मैं आपको रोक नहीं रहा हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जो आसन ने व्यवस्था दी है, वह समय तो हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : तीन दिन के अन्दर। अब वह परसों की बात है। आज और कल भी हो सकता है। आप अध्यक्ष जी से बात कर लीजिये।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय रघुनाथ विश्नोई ने यह भी कहा था कल ही दे देंगे, हमारे तो तीन दिन हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पता है, गृह मन्त्री जी कल बीकानेर चले गये थे। आज भी गृह मन्त्री के लिये मेरे पास यही सूचना है कि दिल्ली बात करनी है, अनुपस्थित रह सकते हैं। इसलिये मुझे सूचित किया गया है कि गृह मन्त्री जी उधर भी जा सकते हैं, और शायद बजट में वह नहीं बैठें, स्टेट मिनिस्टर बैठेंगे। यह मुझे इन्फार्मेशन आई है। इसलिये कुछ सीरियस मैटर्स जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर तवज्जोह हो रही है। आप अध्यक्ष जी बात कर लें....

श्री किरोड़ीलाल मीणा : आपने यह कैसे कह दिया, हमारा मैटर सीरियस नहीं है। जहां पर एस. पी. इन्वाल्वड है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका मैटर सीरियस नहीं होता तो आप इस तरह से हाऊस में नहीं बैठते। इसलिये आपका मैटर सीरियस है। इसीलिये जो विद्या जी ने व्यवस्था दी है उसको मान्यता दी जायेगी। आप अध्यक्ष जी से थोड़ी बात कर लीजिये। कुछ मेरा भी आग्रह मान लीजिये। आप अध्यक्ष जी से चर्चा करके आ जाइये। इसकी व्यवस्था आज ही हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिबेट को चालू करता हूं।

श्री भैरों सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह लड़की और उसका बाप और उसके परिवार के लोग यहां आये हुये हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मन्त्री जी कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उनसे एक बार बात कर लें। इसमें विधायकों को साथ में ले जाना चाहें तो ले लें। इस तरह का घटनाक्रम हुआ बताया कि सुनने में शर्म आती है। सरकार को परेशानी न हो, उसको शर्मिन्दा न होना पड़े, इसलिये यह उचित होगा कि गृह मन्त्री जी उनसे एक बार सम्पर्क कर लें।

लालगढ़ स्टेशन पर हुई घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह गृह मन्त्रीजी ने विपक्ष के नेता महोदय को यह कहा था कि वे क्वेश्चन आवर के बाद बीकानेर लालगढ़ स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसके बारे में वे एक स्टेटमेंट देंगे। दो बजे का टाइम

(श्री शोपत सिंह)

दिया था। इसके बारे में क्या कहना है....
+++

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई है। वे दिल्ली से सम्पर्क किये हुए हैं, अभी थोड़ा बहुत हुआ है। जो बात आप कहना चाहते हैं, वे वहां से सम्पर्क करके किस प्रकार से उनके एक्शन के सम्बन्ध में आर्मी वाले क्या करना चाहते हैं, यहां की गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आधा घण्टे का समय और दे दें।

श्री शोपत सिंह : आधा घण्टा ही क्यों चार बजे का समय दे दें। चार बजे स्टेटमेंट दे दें। आप आराम से चार बजे तक दे दें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि वहां जनता में जबर्दस्त रोष है। कोई दूसरा घटनाक्रम घटित न हो जाये, इसलिये जल्दी से जल्दी हाउस में स्टेटमेंट दें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली से सम्पर्क एक अलग बात है। राज्य के गृह मन्त्री मौके पर गये हैं। उन्हें हाउस को मौके की स्थिति से अवगत कराना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कई काम्पलीकेशन और इम्पलीकेशन्स हैं, इसलिये बात करना आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि यह जो सवाई माधोपुर का मसला है, आप ठीक समझें तो माननीय अध्यक्ष से बात करलें। श्री रेवतराम चौधरी।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, पेयजल योजना के सम्बन्ध में आज सदन में विचार किया जायेगा। उसमें मैं सम्मिलित होते हुए मैं मेरे विचार चूरू जिले की पानी की समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, न तो चीफ इन्जीनियर है, न सेक्रेटरी है, न मन्त्री हैं, मैं किसको बताऊं ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, विभाग के अधिकारी नहीं हैं, चीफ इन्जीनियर नहीं है सेक्रेटरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अधिकारियों की तरफ देखने की क्या आवश्यकता है ? इस तरह सदन में आप अधिकारियों की चर्चा नहीं करेंगे।

श्री रेवतराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके हिसाब से उनका आना जरूरी नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : लेकिन सम्बन्धित मन्त्री, उप मन्त्री, राज्य मन्त्री को सदन में होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मन्त्री बैठे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पेयजल के कौन मन्त्री हैं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपकी सेवा में मैं बैठा हूं। अधिकारी भी बैठे हैं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकारियों की चर्चा न करें।

श्री रेवतराम चौधरी : मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पानी की हमेशा से ही तकलीफ रही है। आज से बीस वर्ष, तीस वर्ष, सैकड़ों वर्ष पहले तमाम गांव वाले निजी सोर्स से, अपनी निजी हिम्मत से पानी पीते थे। उस समय जनसंख्या कम थी। लेकिन आज यह पी.एच ई.डी विभाग बना है तब से इसकी व्यवस्था सारी की सारी विभाग और सरकार की हो गई है, जिससे हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। आज कोई भी गांव का आदमी कुआ खोदने की हालत में नहीं है। हमारे जिले के अन्दर सबसे गहरा पानी या बिल्कुल पानी नहीं, या बहुत खारा पानी है जिसके पीते ही आदमी, पशु मर सकते हैं। हमारे चूरू जिले में करीबन 900 से ज्यादा गांव हैं, जहां 700 गांव पेयजल योजना के तहत जुड़े हुए माने जा रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र डूंगरगढ़ में 127 गांव हैं। ये 127 गांव पेयजल योजना के तहत जुड़े हुए हैं लेकिन इन 127 गांवों की बराबर शिकायत बनी हुई है। मेरे पास आज भी 62 शिकायती पत्र आये हुए हैं जो मैं नम्बर वाइज पेयजल मन्त्री जी को पेश करूंगा। इन 62 गांवों की शिकायत है कि हमारे पास पानी नहीं पहुंचता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सम्बन्धित अधिकारियों से इस बारे में बात करें। पहले श्री शीशराम जी मिनिस्टर थे, उनको मैंने बहुत लिखकर दिया था और हमारे क्षेत्र के एस.ई., एक्स. ई. एन. सब आये थे, लेकिन उसके बावजूद आज भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज हम इस आशा के साथ इस सदन में कहने को तैयार हुए हैं कि आप नये पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर बने हैं, राज्य मन्त्री बने हैं, हम आपसे काफी आशा कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं है।

श्री रेवतराम चौधरी : भारद्वाज जी नहीं हैं क्या ?

श्री भैरू लाल भारद्वाज : मैं इस डिपार्टमेंट का राज्य मन्त्री हूं। इस नाते ही यहां बैठा हूं।

श्री रेवतराम चौधरी : इसलिए भारद्वाज जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के तमाम गांवों में, जो पहले 40 लीटर के हिसाब से पानी देने का प्रोग्राम बना था, वह 70 लीटर के हिसाब से तुरंत बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। काफी समय पहले इस बारे में चर्चा हुई लेकिन आज तक किसी भी गांव की स्कीम 70 लीटर के हिसाब से बनकर नहीं आई है। इससे पशुओं को पानी मिलने में और लोगों को पानी मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। आप मेहरबानी करके मेरे क्षेत्र के तमाम गांवों में 40 की जगह 70 लीटर की योजना बनाकर मंगवाये। जो पुराने सोर्स हैं, वहां पर कई बड़ी टंकी बनी हुई हैं, छोटे हौद बने हुए हैं, बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी हौद बड़ी टंकियों से जुड़ा हुआ नहीं है, स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं है कुए से जुड़ा हुआ नहीं है। एक-एक टंकी ढाई लाख, तीन लाख रुपया लगाकर बनाई गई है। बहुत से हौद गांवों में बने हुए हैं। एक गांव में दो-दो, तीन-तीन हौद बने हुए हैं। लेकिन कोई जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति के अनुसार, राजीव जी की

(श्री रेवतराम चौधरी)

घोषणा के अनुसार 25 घर कहीं भी हरिजनों के हैं वहां पानी देना है, उस मोहल्ले में पानी देना है। लेकिन हरिजनों के घर की बात नहीं है, यहां तो हरिजनों के गांव के अन्दर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इन सब व्यवस्थाओं को सुधारने की बहुत जरूरत है। आप कहें तो मैं इन टंकियों के नाम बता दूं जो पिछले सात-आठ साल से बनी हुई हैं। लेकिन एक बूंद भी पानी आज तक उसमें डाला नहीं गया। रेडी, बाना, सोनियासर, ऊमनी, ठुकरियासर, सांवसर। मैंने प्रश्न भी किया था, लेकिन जवाब गोलमाल आया। वहां के अधिकारियों ने कहा कि जवाब तो हम ऐसे ही देते हैं। ऐसे ही जवाब देते हैं वह टाइम अब नहीं है। बहुत सीरियस टाइम आ गया है और लोग पूछेंगे। इतने दिन तो हमने भी लोगों को यही जवाब दिया कि हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं तो हमको कैसा करना चाहिए। तो माननीय मन्त्री जी, आपको सोचने की जरूरत है, इसमें नुकसान है। इसलिये मेहरबानी करके इस मैटर को सीरियस लीजिये। अब क्या सीरियस करूं, मिनिस्टर नहीं होने से मन ही कमजोर हो रहा है, लेकिन क्या इलाज करूं। मन्त्री जी ऐसा नहीं है... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : इन्होंने नोट ही नहीं किया कुछ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कैसे नहीं किया, नोट किया है।

श्री रेवतराम चौधरी : बहुत बढ़िया। अब एक दुलचासर से लकासन पानी देने की योजना है। 6 गांवों की योजना पिछले 12 महीने से बनाने की चर्चा चल रही है लेकिन आज सवेरे मेरे पास एक्स. ई. एन. का टेलीफोन आया कि हमने 51 लाख की स्कीम बनाकर भेज दी है। दूसरी भदेसर-जालकसर की योजना 6 गांव की है उसमें कहते हैं 38.8 लाख की बनाकर भेज दी। तीसरी सेरोना से जोधासर तीन गांव की है, उसकी 19.9 लाख की स्कीम कहते हैं भेज दी। लेकिन कहां भेज दी, पता नहीं आज तक। 12 महीने तो हो गये लेकिन हमने तो देखी नहीं। इसलिये वह जहां भी भेजी है उसको आप स्वीकृति दिलवाइये। आपके चीफ इन्जीनियर साहब आये नहीं वह किसी बात को सुनते नहीं। अधिकारियों की बात मानते नहीं। चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन जाने के बाद भी माननीय सदस्यों से बात करते नहीं। आ रहे हैं, आ रहे हैं, उससे काम थोड़ी चलेगा। यह हमारी योजना है तो कहां है, कब तक यह स्वीकृत हो जायेगी, इसका क्या होगा? कोई न कोई इस पर विचार तो किया जाना जरूरी है था। इसलिये मेहरबानी करके शाम को जब जवाब दें तो हमारे तीन गांवों की योजना के बारे में बतायें।

एक यह जो मिनी मिशन, टेक्नालॉजी मिशन, के तहत हमारे डूंगरगढ़ के क्षेत्र में सोनियासर में 25लाख40हजार मंजूर हुए हैं, दिल्ली वालों ने तो मंजूर करके भेज दिया लेकिन यहां चीफ इन्जीनियर ने उसको निकाला नहीं, इसलिये उसका कार्य चालू नहीं हो सकता है। अब दिल्ली से काम हो जाता है, डाईरेक्टर एक छोटा सा जे. ई. एन. काम कराकर ले आये, लेकिन यहां से आपका चीफ इन्जीनियर उसको मंजूरी नहीं

(श्री रेवतराम चौधरी)

दे रहा है। उनको मालूम नहीं है कि क्या हुआ। जे. ई. एन. बता रहा है हमें कि साहब हमने इस मिनी मिशन में 25 लाख 40 हजार रुपया आपका मंजूर करवा दिया है, यह मजूरी पड़ी हुई है हमारे पास, लेकिन चीफ इन्जीनियर साहब की टेक्निकल स्वीकृति चाहिए, तभी इस काम को चालू कर सकते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। हम आज दुःख में आपसे यह कह रहे हैं। हम कम कोशिश कर रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिये मेहरबानी करके थोड़ी सी बात को सुनने का कष्ट करें कि भाई, हमने आपकी बात को सुन लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मन्त्री जी, अयां के होसी, अभी तो एक ही पाइन्ट आयो है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपका ही निर्णय है पांच मिनट में करो, 10 मिनट तो बोल लिये।

श्री रेवतराम चौधरी : दूसरा मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, यह टी.एस.एस. नाम की एक स्कीम है, मन्त्री जी, आपको मालूम है कि नहीं, क्या बला है? मालूम है न? वह टी. एस. एस. ऐसी खतरनाक स्कीम है, अपने जन प्रतिनिधियों की तो मौत है। मौत क्यों है? एक गांव में तो खुला पानी आपको बिना पैसे पीने को मिल रहा है जिसका मैं एम. एल. ए. हूं। मेरे पास एक हरिजन बस्ती है जिसमें ढाई सौ, तीन सौ घर हैं, उसमें टी. एस. एस. स्कीम है। हमारा गांव है 500 घर का; सेठ भी हैं, बड़े-बड़े चौधरी भी हैं, कोई कमी नहीं है। वहां तो पीयें फ्री पानी और बगल में जो हमारे गांव हैं उसमें टी. एस. एस. स्कीम है, उसमें पैसा देना पड़ता है। यह टी एस. एस. स्कीम क्या बला है? इसको आप खत्म करवाइये।

इस समय इसमें एक बात और है। इसका तमाम बिजली का खर्चा अकाल राहत के तहत विभाग ने देना तय किया था, अभी भी विभाग दे रहा है। इसके ऊपर कर्मचारी नहीं हैं और मशीन खराब हो जाती है तो मशीन की मरम्मत करवाते तो हैं हम....

श्री मदन महाराजा : माननीय सदस्य, पंचायतों के तहत है टी.एस.एस. योजना।

श्री रेवतराम चौधरी : कोई टी. एस. एस. पंचायतों के तहत नहीं है, हमारे यहां नहीं है। पचायतों के तहत अभी है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री रेवतराम चौधरी : टी. एस. एस. का मतलब पंचायतों से है लेकिन पंचायतों के पास है क्या? इसलिये मेहरबानी करके इस टी. एस. एस. योजना के बारे में विचार करके इसको खत्म कराइये। इसमें आपका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। खाली एक कर्मचारी का पैसा है जो आप 14 रुपये रोज में भी रख सकते हैं। 14 रुपये रोज में चार रविवार को छोड़ दीजिये, 320 रुपये में आपका काम पटेगा। इसलिये धीरे-धीरे करके पैसा अपना बचेगा

(श्री रेवतराम चौधरी)

और ज्यादा कर लेंगे। इसलिये आप मेहरबानी करके टी. एस एस वाले मामले पर गम्भीरता से, जो नये मन्त्री आये हैं, उनसे बात करके, करवाइये।

हमारे पुराने कुओं को सब गांवों में जोड़ दिया गया है। पुराने कुएं तो सैकड़ों वर्ष पहले के खुदे हुए हैं। बरसात की कमी रहने की वजह से उनका पानी बहुत नीचे चला गया। बोरिंग नहीं हो सकते क्योंकि बोरिंग का इनके पास कोई साधन नहीं है। इन्होंने 12 महीने पहले कोई 12 कुओं का बोरिंग करने की बात कही है और लिखकर भेजा है लेकिन उसमें से एक कुएं का बोरिंग हुआ है। कहते हैं बोरिंग करने का हमारे पास उपाय नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे ? या तो बोरिंग करवायें या सभी गांवों में नये ट्यूब वैल खुदवाइये। बोरिंग का इन्होंने खर्चा बताया एक लाख रुपया, नया ट्यूब वैल का कम से कम ढाई तीन लाख रुपया है। आपके पास बोरिंग की मशीन नहीं है। इसका टेण्डर होने से ठेकेदार काम नहीं कर सकता। तो आप मेहरबानी करके जो कुएं गहरे करने हैं उन पर विचार करें। हमारे यहां काफी कुएं हैं। मैं पूरे नाम यहां नहीं बताऊंगा लेकिन मैं उसकी लिस्ट दे दूंगा। उस लिस्ट के तहत जो हमारे नोट करने वाले हैं वह उसको नोट कर लेंगे। एक गांव में दो-दो, तीन-तीन कुएं हैं, उनको जोड़ दिया जाय बिजली लगा कर। फण्ड आपके पास आया है लेकिन काम करेंगे तो होगा, काम करना कोई चाह नहीं रहा है। उल्टा हमारे यहां पिछले टाइम सरदार शहर के अन्दर मैंने एक्स. ई. एन. के साथ अभद्र व्यवहार कर लिया। कहते हैं बी. जे. पी. वालों ने कर लिया। हमारे यहां प्रधान ने एक जे.ई.एन. ने काम नहीं किया, सारी गड़बड़ी की तो उसके थोड़ा हाथ लगा दिया। इस ढंग से काम नहीं करेंगे तो लोग हमारे लगाते हैं गांवों में। यह बात नहीं है कि हमने कोई लगा दिया। हम भी गांवों में जाते हैं तो हमारे कपड़े फाड़ देते हैं कि आपकी जवाबदारी है, आपने हमसे कहा है कि हम आपको पानी पिलायेंगे और आप पानी की व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। इसलिये हमारे ऊपर यह समस्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, आप मुझे क्या डरा रहे हैं।

हमारे यहां कुछ ट्यूब वैल खुदे हुए पड़े हैं। 12 महीने पहले, दो वर्ष पहले ट्यूब वैल बाई इलेक्शन में हमने लोगों से वोट लेने के लिए खुदवा दिये थे। मेहरबानी करके आप उनको चालू तो करवाओ।

एक बात मैं आपको बताऊं, डी. आर. डी. ए. की मीटिंग अक्टूबर में हुई थी जिसमें डी. डी. पी. के तहत 70 हौद बनाना मंजूर किया था। उसमें से एक भी हौद नहीं बना। कहते हैं उनका कमीशन का आपस में लेन देन फाइनल नहीं हुआ। इसलिये हौद नहीं बने। 31 मार्च बीच में चला गया। अब बताइये, क्या उनके कमीशन के लिये काम नहीं होगा तो इसकी जवाबदारी किसकी है ? यह जनता की जवाबदारी है ? इसकी आप जांच करवाइये कि मैंने अभी जो बात कही है उसमें कहां तक सत्यता है, क्या गड़बड़ हुई है, काम क्यों नहीं हुआ ? और उसको अब आप कब तक करवायेंगे। यह बहुत ही जरूरी

(श्री रेवतराम चौधरी)

है। इसलिये आप मेहरबानी करके इस काम को भी नोट करवाइये।

अब एक निवेदन अन्त में, मैं यह करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीब-करीब 350 सोर्स हैं। और एक्स. ई. एन. आफिस सरदारशहर है जो हमारे बिल्कुल आउट-लाइन में पड़ता है। इसलिए आप एक्स. ई. एन. आफिस डूंगरगढ़ करिये, साढ़े तीन सौ सोर्स जहां हैं, दो नगर पालिकायें हैं, चार जे. ई. एन. आफिस हैं। नहीं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। आप और हम उनको कहते रहेंगे, काम नहीं होगा। इसलिए आप डूंगरगढ़ में एक्स. ई. एन. आफिस करवाने की घोषणा करिये ताकि हमारी जनता की जो समस्यायें हैं उनका समाधान हो सके। और मैंने जो आपको निवेदन किया, उस पर पूरा ध्यान करिये। अशोक जी होते तो मैं और ज्यादा रूप से कहता और उनको ज्यादा कहता, तो शायद हो सकता है मेरे ऊपर वह ज्यादा मेहरबानी करते। लेकिन आप भी करेंगे, मैं जानता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरीबाजार): उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रदेश में पेयजल के समाधान हेतु लगभग 800 करोड़ रुपये अभी तक खर्च किये जा चुके हैं। परन्तु इसके बाद भी स्थिति यह है कि प्रदेश के कुल 34,968 गांवों में से 29,986 गांवों में दिसम्बर, 1988 तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा सका है। अभी भी 4982 गांव पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं, 42 वर्ष बाद भी आज प्रदेश के प्रमुख शहर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर पेयजल समस्या से ग्रस्त हैं। जयपुर में पहले प्रतिदिन दोनों समय पानी आता था, परन्तु आज स्थिति यह है कि तीन-चार वर्षों से एक समय पानी दिया जा रहा है और वह भी एक-दो घण्टे के लिए। अजमेर में तो स्थिति और भी बदतर है। वहां तो एक दिन छोड़कर एक दिन, तीन-तीन दिन से पानी दिया जा रहा है। यह और भी बदतर है। जोधपुर और उदयपुर में तो राम-राम करके काम चलाया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों की पेयजल समस्या का समाधान हमारे से नहीं किया गया तो दिनों-दिन यह समस्या और गंभीर होती चली जाएगी क्योंकि इन शहरों की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उससे यदि उनका समाधान समय रहते नहीं किया गया, तो समस्या दिनों-दिन और बढ़ती जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से घोषणा की गई कि जोधपुर को इन्दिरा नहर से और जयपुर व अजमेर को बीसलपुर योजना से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए मासी-जाखम की योजना बना दी गई है। परन्तु जिस मन्थर गति से इन योजनाओं पर काम हो रहा है, इससे यह कब तक पूरी होगी, इसका कोई पता नहीं।

मैं जयपुर से विधायक चुनकर आया हूं। प्रदेश में हर गांव में, हर शहर में पेयजल की समस्या है, परन्तु मैं जयपुर शहर तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा। सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि बीसलपुर योजना तीन चरणों में पूरी की जायेगी। पहले चरण में अजमेर, नसीरा-

(श्री कालीचरण सराफ)

बाद, किशनगढ़, ब्यावर के जो कस्बे हैं उनमें पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। दूसरे चरण में जयपुर और आस पास के कस्बों में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा और तीसरे चरण में टोंक, बून्दी और सवाई माधोपुर जिलों के 571 गांवों की जो भूमि है उसकी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

बीसलपुर योजना के प्रथम चरण में, अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर को पानी उपलब्ध कराया जाय, इसका मुझको विरोध नहीं है, क्योंकि वहां भी पेयजल की गम्भीर समस्या है। इसीलिए उसका निदान निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। परन्तु मुझे तकलीफ इस बात की है कि जयपुर शहर की पेयजल समस्या निरन्तर गम्भीर होती जा रही है। उसको बीसलपुर योजना के द्वितीय चरण में रखा गया है। सरकारी घोषणा और आंकड़ों के हिसाब से बीसलपुर योजना का प्रथम चरण 1992 में जाकर पूरा होगा। इसका मतलब यह है कि द्वितीय चरण इस शताब्दी के अन्त में जाकर होगा। इस शताब्दी के अन्त में जयपुर की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी और आज जयपुर का मुख्य जल स्रोत है रामगढ़ का बांध। उसकी स्थिति आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। तो क्या हम यह अपेक्षा करें कि बीसलपुर योजना, जिसकी ओर जयपुर के नागरिक कई सालों से आंख लगाये बैठे हैं, उससे हमारी अगली पीढ़ी ही लाभान्वित होगी ?

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और इस योजना के प्रथम चरण में जयपुर को जोड़ा जाय इस बात की मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की पेयजल समस्या के प्रति जिस प्रकार की सरकार की कारगुजारियां हैं, उससे ऐसा लगता है कि जयपुर की पेयजल समस्या के प्रति सरकार कतई गम्भीर नहीं है। जलदाय विभाग ने पिछले दिनों 4.38 करोड़ की योजना, जिसमें बाण्डी नदी में नलकूप खोद कर वहां से पानी लाने की व्यवस्था थी, सरकार के पास भेजी। परन्तु मुझे खेद है कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसकी मंजूरी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, जलदाय विभाग ने जयपुर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 1.23 करोड़ की एक आपात योजना सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी, जिसमें जयपुर की चाहरदिवारी में दो नलकूप, 50 हैण्ड पम्प और 3000 मीटर नई लाइन खरीद का प्रस्ताव था और बाहरी इलाके लिए 10 नलकूपों का निर्माण, 400 हैण्ड पम्प और 10 हजार मीटर पाइप लाइन खरीदने की योजना थी। परन्तु मुझे खेद है कि सरकार ने उस योजना को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जिस मेहनत से इस योजना को बनाया था उसके ऊपर भी कोई विचार नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग के आंकड़ों के हिसाब से आज शहर में चार सौ लाख गैलन पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसके हिसाब से शहर के भीतरी इलाके में 24-25 गैलन पानी और परकोटे के बाहर 28-29 गैलन पानी प्रति व्यक्ति

(श्री कालीचरण सराफ)

दिया जा रहा है। जबकि जलदाय विभाग का स्वयं का मानना है कि प्रति व्यक्ति 40 गैलन पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। स्थिति यह है कि शहर के कई इलाकों में तो पेयजल को भी कम दबाव से वितरण किया जा रहा हैं और कई स्थानों पर तो एक मंजिल तक भी पानी उपलब्ध नहीं होता और वह भी दिन में केवल एक समय दो घण्टे के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है और ऊंचे इलाकों में जहां कच्ची बस्ती. हरिजन बस्तियां बसी हुई हैं वहां तो स्थिति और भी बदतर है। कई जगह तो यह स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में, कि 4-4 फीट गहरे गढ्डे खोद कर लोग बाग पानी की सप्लाई लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

गत वर्षों में जयपुर शहर में 777 हैण्ड पम्प लगाये गये थे परन्तु मुझे अत्यन्त खेद है कि आज पानी का जल स्तर नीचा चला जाने के कारण और तकनीकी खराबी के कारण लगभग आधे हैण्ड पम्प जयपुर शहर में खराब पड़े हुए हैं, और जब उनको ठीक करने की बात कहते हैं तो जलदाय विभाग के अधिकारी कहते हैं कि यह ठीक नहीं हो सकते। आज कई हैण्ड पम्प तो इस प्रकार के हैं कि जिनमें एक दो पाइप लगा दी जाय तो उनका उपयोग दुबारा हो सकता है, परन्तु जलदाय विभाग के अधिकारी और राज्य सरकार सुनने को कतई तैयार नहीं हैं।

जयपुर शहर में पाइप लाइन को बदले हुए 25-30 साल हो गये हैं। कई पाइप लाइनों की स्थिति तो यह है कि वह कई जगह से टूटी हुई हैं, पानी लीकेज हो रहा है, और दुःखद स्थिति तो यह है कि कई जगह पाइप लाइन और सीवरेज की लाइन साथ-साथ चलती रहने के कारण कई स्थानों पर लोगों को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। गटर का पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, परन्तु उसको ठीक करने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

आज जयपुर में कच्ची बस्तियों में 4 लाख लोग निवास करते हैं। 1971 और 1981 में उनका सर्वे हुआ परन्तु सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है कि जिन कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं हुआ उसमें रहने वाले नागरिकों के लिए न सार्वजनिक नलकूप लगाए जायेंगे और न उनको निजी कनेक्शन दिये जायेंगे। क्या जयपुर के चार लाख लोग, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, वह क्या भारत के नागरिक नहीं हैं? मैं चाहूंगा कि जब मन्त्री जी अपना जवाब दें तो यह आश्वासन दें कि, कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते है, उनका जे. डी. ए. की गलती के कारण नियमन नहीं हुआ। 1971 और 1981 में जिनका सर्वे हो गया, आज 18 साल बाद भी उनका नियमन नहीं हुआ। जे. डी. ए. की गलती के कारण वह लोग पानी से महरूम हैं 18 साल से। उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, इसका मन्त्री जी निश्चित जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपको 10 मिनट हो गये हैं।

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर शहर का मुख्य जल स्रोत रामगढ़ बान्ध में इस समय 28 फीट पानी है, उसमें 20 फीट

(श्री कालीचरण सराफ)

मिट्टी है। यदि इस वर्ष भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, तो स्थिति और भी गम्भीर हो जायगी।

एक बात और कहना चाहूंगा कि जयपुर में जो पानी के बिल देते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं एक तो कामर्शियल रेट और दूसरा डोमेस्टिक रेट। जयपुर एक उद्योग प्रधान नगर है जहां लगभग 1 लाख लोग जवाहरात के काम में शरीक हैं। उनको घिसाई और पॉलिश के लिए एक-दो कटोरी पानी चाहिए। परन्तु यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने घर पर रत्नों की घिसाई या कटाई का काम करता है तो वहां कामर्शियल रेट लगा देते हैं। दर्जी, खाती की दुकान, जनरल मर्चेन्ट की दुकान, जहां पानी का कोई उपयोग नहीं होता, वहां पर भी कामर्शियल रेट लग जाती है। कई जगह तो यह शिकायत आई है कि पानी के 7–8 साल के बकाया बिल निकाल कर जलदाय विभाग उनकी डिमाण्ड जनता के पास भेज रहा है। क्या 5–6 साल पहले के बिल किसी के पास सुरक्षित रह सकते हैं ? जब वे जलदाय विभाग के पास जाते हैं कि हमने तो यह पैसे चुका दिये हैं तो जलदाय विभाग के अधिकारी कहते हैं कि आप रसीदें ले आइये। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि 7-7 साल पहले की रसीदें किस व्यक्ति के पास मिलेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जे. डी. ए. ने कई कच्ची बस्तियों का नियमन कर दिया, उनके पैसे भी जलदाय विभाग में जमा करवा दिये हैं परन्तु आज तक वहां पाइप लाइनें नहीं बिछी हैं। देवपुरी हरिजन बस्ती, जहां हरिजन लोग रहते हैं, 1 लाख 85 हजार रुपया जे. डी. ए. ने 31 मार्च, 1985 में जमा करवा दिये थे परन्तु आज तक वहां पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार से बाईजी की कोठी के लिए 1983 में जे. डी. ए. ने पैसे जमा करवा दिये परन्तु आज तक वहां पाइप लाइन का काम चालू नहीं हुआ।

मैं जयपुर शहर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 5 6 सुझाव देना चाहता हूं जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी जवाब दें तो उस समय उनका जवाब दें।

जयपुर में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए बीसलपुर योजना के प्रथम चरण में जयपुर को जोड़ा जाय। पेयजल के स्थाई समाधान हेतु, जलदाय विभाग द्वारा जो बाण्डी नदी से पानी लाने की योजना है, उसको मंजूरी दी जाय। जयपुर की पेयजल के तुरन्त समाधान के लिए जलदाय विभाग द्वारा जो 1 करोड़ 23 लाख रुपये की योजना सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज गयी है उसकी तुरन्त मंजूरी दी जाय।

शहर में 500 हैण्ड पम्प और लगाये जायं एवं जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उन्हें ठीक कराया जाय।

जयपुर के सभी कुओं की युद्ध स्तर पर सफाई करवा कर, जहां-जहां सम्भव हो, वहां बोरिंग किया जाय। ऐसी बस्तियां, जहां सार्वजनिक नल नहीं लगे हुए हैं, वहां सार्वजनिक नल लगाये जाय। कच्ची बस्तियों में जहां सरकारी नीति के कारण

(श्री कालीचरण सराफ)

निजी कनेक्शन नहीं दिये जाये जा रहे हैं और सार्वजनिक नल नहीं हों, वहां प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक नल कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय। धार्मिक स्थलों पर और प्याऊ आदि सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल फ्लैट रेट पर उपलब्ध कराया जाय। बरसात के पूर्व शहर के मुख्य पेयजल स्रोत जमवारामगढ़ बन्धे की युद्ध स्तर पर सफाई करवाई जाकर उसकी गहराई बढ़ाई जाय जिससे भराव क्षमता बढ़ सके। ऐसी पाइप लाइनें जो पुरानी हो गयी हैं एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं उनको तुरन्त बदला जाय जिससे पानी लीकेज नहीं होगा। ऐसी बस्तियां, जो ऊंचे स्थान पर बनी हुई हैं, वहां पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। शहर में पानी, दोनों समय पर पानी मिले, और जो कार्मशियल रेट ऐसे लोगों पर लगा रखी है जिनका कोई कार्मशियल उपयोग नहीं हो, वह कार्मशियल रेट हटाई जाय और बकाया बिल पानी के 5-5, 7-7 साल पहले के निकाले जा रहे हैं उनको रोका जाय। इतना ही मैं कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम शर्मा।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पी. एच. ई. डी. की डिमाण्ड पर मैं भी कुछ जयपुर शहर के सम्बन्ध में आपके मार्फत पी. एच. ई. मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की जनसंख्या जब 2 व 3 लाख के बीच में थी उस वक्त यहां जमवारामगढ़ से पेयजल की पूर्ति के लिए इन्तजाम किया था सरकार ने। उसके बाद आज तक भी ऐसा कोई स्थाई इन्तजाम नहीं किया गया। जयपुर की आज 16 लाख की जनसंख्या हो गयी है और अगले 10 साल में यह करीबन 30 लाख के आसपास हो जायेगी। परन्तु जयपुर के बारे में अभी तक नहीं सोचा गया है। अस्थाई रूप में अण्डर ग्राउण्ड वाटर, जो भूमिगत मिल रहा है, बोरिंग से लेकर के जयपुर के लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। गई साल में जमवारामगढ़ भरा नहीं था। तो बोरिंग से जलपूर्ति करना एक तरह से लोगों के रोते के आंसू पोछना है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, बाहर भी इसकी लोगों में ख्याति है कि पिंक सिटी .. (व्यवधान) तो पिंक सिटी में पानी न होना और राजधानी के विस्तार के साथ-साथ कोई ऐसी स्थाई योजना न बनाना कहां तक उचित हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जब बीसलपुर योजना बनी थी तो तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी श्री हरिदेव जोशी ने पहले जयपुर के लिए चालू की थी कि जयपुर के लिए बीसलपुर योजना से पानी लाया जायेगा। लेकिन अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ आदि जो कस्बे हैं उनमें जयपुर से भी ज्यादा जरूरत थी।

श्री उपाध्यक्ष : अजमेर कस्बा ही है क्या?

श्री शिवराम शर्मा : नहीं, शहर है, शहर मानो, साहब। जयपुर के हिसाब से तो कस्बा ही है। यह हाथी का पैर है और वह घोड़े का पैर है। मैं मानता हूं कि वहां पेयजल के लिए जयपुर से ज्यादा परेशानी

(श्री शिवराम शर्मा)

थी। फर्स्ट फेज में उसको दे दिया। मैंने अभी किताब देखी है जिसमें सैकण्ड फेज में आने वाली भविष्य की क्या योजनायें हैं उसमें जयपुर का नामो निशान नहीं है। हां, मल-मूत्र निकालने की योजना उसमें जरूर है।

बांडी से पानी लाने वाली बात, अभी मुझे मालूम नहीं है कि स्वीकृति मिल गयी है या अभी प्रक्रिया चालू है कि लेकिन आप जो पानी दे रहे हैं वह अभी जयपुर की जनसंख्या के 25 पर्सेण्ट लोगों को दे रहे हैं। अभी जो जयपुर की आबादी बढ़ी है, उस आबादी का 60 पर्सेन्ट हिस्सा तो इन सोसायटियों के मार्फत बढ़ा है। हाउसिंग सोसायटियों के क्षेत्र में सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि उनको पानी दिया जाय। काश्तकारों से हाउसिंग सोसायटियों ने जमीन ली और उन्हीं कुओं के अन्दर पाइप लाइन के द्वारा, जैसा पाइप मिला वहां पाइप लाइन डाली, और काश्तकारों से उन कुओं से पानी दिया जा रहा है। काश्तकार लोग भी मनमानी कर रहे हैं। आये दिन पानी बन्द कर देते हैं और इन सारे झगड़ों के अन्दर कई दफा तो पुलिस केस हो जाते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी का और यहां जो बिराजे हुए अधिकारी हैं उनका भी, ध्यान आकर्षित करता हूं। ये सीवरेज टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं, सीवरेज टैक्स की स्कीम शायद विभाग ने तैयार की थी, लेकिन वह कहां गयी उसका मालूम नहीं पड़ा। बोरिंग और पाइप लाइन के लिए कुछ ऐसी स्कीम बनायी जाय जिससे लोगों की कॉलोनियों के अन्दर पाइप लाइन डाल दी जाय, फिर टैक्स के रूप में या किश्त के रूप में पैसा ले लिया जाय। दो करोड़, चार करोड़ एक साल में दे दे, अगले साल से उसकी रिकवरी चालू हो जायेगी। और जो पैसा आये उसको नैक्स्ट ईयर दूसरी स्कीम में लगा दिया जाय तो पाइप लाइन भी डल जायेगी और जयपुर के लोगों की जो पानी की आपत्ति आयी है वह दूर हो जायेगी।

कच्ची बस्तियों के अन्दर भी पानी की काफी समस्या है। पहले टेप लगे हुए थे उन टेपों को काट दिया गया और लाइनें जो थी वे छोटी पड़ गयी। कच्ची बस्तियों में अन्धाधुन्ध आबादी होने से वहां पर प्रेशर नहीं है, वहां भी झगड़े होते हैं। मैं, मन्त्री जी, एक और बात बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर शायद राजस्थान में एक ऐसा शहर है, जहां अब की दफा एक भी हैण्ड पम्प शहर के लिए मन्जूर नहीं किया मन्त्री महोदय जयपुर शहर के लिए, जहां 16 लाख की आबादी है, उसके लिए एक भी हैण्ड पम्प नहीं देना यह एक शर्म की बात नहीं तो और क्या कहेंगे ? मुझे ताज्जुब है एक भी हैण्ड पम्प मंजूर नहीं किया गया। कच्ची बस्तियां हैं, हाउसिंग सोसायटियों का एरिया है, इमरजेन्सी आती है तो कोई हाउसिंग सोसायटी क्षेत्र में...

श्री कालीचरण सराफ : जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं उनमें आधे से ज्यादा खराब पड़े हुए हैं।

श्री शिवराम शर्मा : यह तो आपने कह दिया ना। दूर दराज के क्षेत्र में भी सोसायटियों में पानी की बहुत किल्लत रहती है। तो गई साल भी काफी हैण्ड पम्प दिये गये थे बाहरी क्षेत्र के लिए। उससे पहले साल

(श्री शिवराम शर्मा)

भी दिये गये थे लेकिन जब यह भारद्वाज जी के पास, गहलोत साहब के पास डिपार्टमेंट आया, मेरी समझ में आया कि यह जयपुर शहर में क्यों नहीं. हैण्ड पम्प दिये गये। मैं तो समझता था कि आप आये हैं हमारे जयपुर के राज्य मन्त्री, तो ज्यादा हैण्ड पम्प मिलेंगे, लेकिन अब की बार तो हमारा तो दुर्भाग्य ही रहा।

(3.00 म प.)

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर जिले के मन्त्री बने हैं, इसलिये ज्यादा पानी मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बने तो केवल आपका कैसे दुर्भाग्य हो गया ?

श्री शिवराम शर्मा : आपका दुर्भाग्य है जो आपके यहां गये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी तो बने हैं, काम करने का मौका तो दो।

श्री शिवराम शर्मा : आपसे भी मिल कर काम करेंगे। आपका भी मामला फिट बैठ जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे खानदान के बच्चे बूढ़े आपसे क्या सम्बन्ध रखते हैं ? इस बात को यहां क्यों सुनाते हैं।

श्री शिवराम शर्मा : नहीं, नहीं। आपने एतराज किया है न, उसी के लिये कहा। इसलिये आपका मामला तो ठीक है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने एतराज नहीं किया। मैंने तो कहा कि मौका दो काम करने का। आप उनकी काट कर रहे हो क्योंकि हम मन्त्री नहीं बने, नहीं हैं, हमारे हाथ में....

श्री शिवराम शर्मा : काट नहीं कर रहा हूं। ऐसा है कि इनको याद दिला रहा हूं कि हनुमान जी भी, जब याद दिलाया गया था, तो लंका कूद गये थे। भारद्वाज जी हमारे हैं, याद दिला रहा हूं इनको। अपने तो मन्त्री रहे है जयपुर वाले।

एक तो हैण्ड पम्प रखे जायें दूसरे हाउसिंग सोसायटियों के क्षेत्र के अन्दर आपने पाइप लाइन नहीं दी है, वहां पाइप लाइन डलवाइये और सीवरेज की जो टैक्स वसूली करते हैं, उससे लोगों को राहत दें। जनसंख्या इस तरह से बढ़ गयी है कि त्राहि-त्राहि मच रही है। दूसरी बांडी बेसिन की योजना है, उसको आप लें और जो सेकण्ड फेज में बीसलपुर योजना है, उसको तत्काल लायें। इस बांडी से पार नहीं पड़ेगा। यहां का जलस्तर 6-7 साल में काफी 15 20 फुट नीचे चला गया तथा दिक्कत होने वाली है। यही बात कहते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मानव के अस्तित्व के लिये हवा के बाद पानी एवं अन्न का नम्बर आता है। अभी इस जन अभियांत्रिकी विभाग की जो अपनी रूपरेखा दी है, उसमें भी इस बात की मांग है कि गणतन्त्र में जनजीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना शासन का परम कर्तव्य हो जाता है। इस कर्तव्य को निभाने में राज्य सरकार भी किसी

(श्री नत्थी सिंह)

प्रकार से पीछे नहीं है। यह राज्य सरकार किसी प्रकार से पीछे नहीं है, यही आज के दिन हमें देखना है। एक मैं जो अर्ज करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में, वह यह है कि इस संकल्प को पढ़ने के बाद मैंने फिर इस प्रगति विवरणिका को पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद मेरी यह धारणा हो गयी कि अभी भी राजस्थान में जो भ्रम चल रहा है, वह इस विभाग में भी है कि पेयजल की समस्या पश्चिमी राजस्थान में ही होती है, पूरब में भरतपुर जैसे जिले में कोई समस्या नहीं है। इसलिये जो जिले गिनाये गये हैं, उसमें इस प्रगति विवरणिका में भरतपुर का कहीं नाम भी नहीं है। हां, जो इन्होंने परिशिष्ट दिया है जहां 27 जिले हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां समस्या नहीं है, उनमें भरतपुर का नाम जरूर है। बड़ी रोजी पिक्चर खींची है, उपाध्यक्ष महोदय, ने और कहा, हमारी समस्या ही कोई नहीं है। इन्होंने कहा, कुल ग्राम इस जिले में 1328 हैं और 1138 को तो हमने लाभान्वित कर दिया वहां तो कोई समस्या ही नहीं रही। अब यह संयोग की बात है कि आज जो राज्य मन्त्री जी हैं जलदाय योजनाओं के हैं कि नहीं अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग हुई थी, उसमें भरतपुर जिले के प्रभारी मन्त्री की हैसियत से गये थे और उस वक्त गर्मी का मौसम था, हमारे जिले में इतना भीषण जल संकट था कि लोगों को किसी प्रकार से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। मांग कर रहे थे टैंकरों से पानी दिया जाये तो काम चल जायेगा। इनके सामने यह बात वहां आयी। वहां अधिकारी मौजूद थे, गांवों में दो तरह की योजनाएं उन्होंने बतायीं एक तो हैण्डपम्प, अभी भी एक सौ में से 90 खराब पड़े हैं। यह स्थिति आज भी है। इन्होंने विचार किया कि कैसे हम उनको सुधारेंगे? पहले पंचायत समितियों को मिस्त्री दिये, फिर विभाग को उन्होंने वापस कर दिए। तनख्वाह पंचायत समितियों से मिलेगी, नतीजा यह हुआ कि उनमें से कोई जगह भी काम नहीं करता। उसके बाद कहा है कि हम और व्यवस्था करेंगे तो हैण्डपम्प तो हमारे जिले में कारगर हो नहीं हैं, इन्होंने जो गांवों की योजना बतायी है, वह इनको लागू नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं इस सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि यह केवल कागजों की योजनाएं हैं। मैंने चैलेंज किया था इस बात को और फिर जिला कलक्टर से कहा कि आप और अधिशाषी अभियन्ता दोनों साथ-साथ वहां जायें और इस क्षेत्र में 11 गांव उन्होंने ही चुने, इन गांवों में जहां पानी दे रहे हैं, हम दोनों साथ-साथ गये। उसके बाद 11 गांवों में से, जो सात वर्ष से योजना चल रही थी, छः वर्ष से नल लगे हुए थे और टंकियां बनी हुई हैं, एक में भी पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने यहां कैसे? हमारे कागजों में तो रोज पानी मिल रहा है। जो यह 1138 गांव आप बता रहे हैं, हमने तो समस्या ही हल कर दी है, पानी दे दिया जबकि उनमें से अधिकांश 75 प्रतिशत में पानी मिलता ही नहीं है। इसके क्या कारण हैं? पहले तो कहा, अभी उदाहरण दिया था, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य रेवतराम जी टंकिया गिरा रहे थे, छः वर्ष पहले एक टंकी मेरे क्षेत्र कुरवाड़ा गांव में थी। मैंने इस सदन में सवाल के जरिये

(142)

(श्री नत्थी सिंह)

जवाब मांगा, तो मुझे जवाब दिया गया कि नवम्बर, 86 तक इसमें पानी आ जायेगा एक स्रोत से जोड़ दिया जायेगा। लेकिन अब तो नवम्बर 89 है, अभी तक स्रोत से नहीं जोड़ा। जब कहते हैं तो दो कारण बताते हैं। एक कारण तो यह कि हमारे पास सामान नहीं है. कभी कहते हैं पाइप नहीं है, पहले भी यह बात आज भी कहते हैं पाइप नहीं है, क्लिप्स नहीं हैं। इसके कारण क्या हैं ? दूसरी योजनाएं फेल हो रही हैं, उसके कारण हैं कि इन पाइपों को तीन फुट नीचे डालना चाहिये, तो उनके टूटने की सम्भावना नहीं रहती है। पर इस जिले में तो पूरी जगह पर एक फुट से नीचे तो कहीं पाइप ही नहीं है। वहां रास्ता चलते लोग उनको तोड़ देते हैं, उनको पानी पहुंचता ही नहीं। इनके जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी हालत ऐसी है कि वह स्रोत से दूसरे गांव में पानी जाये, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं करते। एक सौभाग्य कहना चाहिये, अभी तक तो हम ही जा रहे थे गांवों में, हम ही शिकायत करते थे, अब चुनाव का साल हो गया है. अब मन्त्री जी तो बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में जाकर सुझाते हैं। वह मेरे क्षेत्र में पिछले दिनों जिन-जिन गांवों में एक भी गांव में पानी नहीं मिला, नल लगा हुआ था, पानी नहीं मिल रहा था, यह हालत है। इसलिये इस तरह की हालत है, तो काम नहीं चल सकता। इसका समाधान क्या है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो मेरे पांच मिनट भी नहीं हुए हैं, मैं घड़ी देख रहा हूं,साहब। हमारे जिले में सारे पानी के स्रोत नीचे चले गये हैं। गहरा ट्यूब वेल कोई हमारे यहां है नहीं जो पानी देने के लिये बनाया गया हो। सरफेस वाटर से ही पानी जाता है, वह सब नीचे चला गया। आज यहां पानी मिलता है तो वहां नहीं। अब इस समस्या के समाधान के लिये हम कई दिनों से कहते रहे हैं, यह यमुना का पानी आये। हमारे यहां दो ट्रिब्यूटरीज, फीडर्स आती हैं भरतपुर और गुड़गांवा। अब की बार भरतपुर फीडर में यू. पी. से लड़-लड़ा करके पानी आया, तो उन गांवों की समस्या सोल्व हो गयी पशुओं के पीने के पानी की, आदमी के लिये नहीं। हमारे यहां हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी देवीलाल जी एक समारोह में आये, हमने कहा आप आ तो गये हैं, गुड़गांवा में पानी दे दिया उन्होंने। 12-15 दिन पानी दे दिया कुछ गांवों की समस्या का समाधान हो गया। बाकी गांव ऐसे ही तड़पते रहे। यह राज्य सरकार बहुत दिनों से जो मांग है, उनकी अनदेखी करती आ रही है। यमुना से पानी लायें और चम्बल की लिफ्ट के द्वारा भरतपुर में पानी दें, तभी पानी की समस्या हल होगी। योजनाओं की बात है। हमारे यहां एक योजना भेजी गयी है। कई बार यह डीग वितरिका का सवाल उठाया है। भरसामा नंदगांव डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उससे उनको पानी आता है। कुम्हेर जहां से मैं आता हूं, पूरा का पूरा खाडा है। वहां के जो भरतपुर में एस. ई. थे, उन्होंने एक योजना बनाकर भेजी कि,इसका पानी बढ़ा कर दिया जाये, कैनाल के ज़रिये दिया जाये। इससे वहां पानी का इन्तजाम हो सकता है कुम्हेर में। लेकिन अब वह एस.ई. कब के एडीशनल चीफ बनकर जयपुर में

(श्री नत्थी सिंह)

आ गये और पानी की समस्या भरतपुर की योजना वहां की वहां पड़ी है। पता नहीं किन फाइलों में दबी हुई है। यह ऐसी विकट स्थिति हमारे जिले में पैदा हो गयी है, इसको पूरा का पूरा देखें। यह हमारी सिंचाई की समस्या से भी सम्बन्धित है। हमारे जो फ्लड वाटर का सिस्टम था, वह समाप्त हो गया। बरसात हुई नहीं और सिंचाई विभाग वालों ने उस सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया। जिन गांवों में पानी फिर जाता था मीठा हो जाता था, वह नहीं हो रहा है। आज कहते हैं कि हम खारे पानी को मीठा बना रहे हैं, हमारे जिले में, तहसील में जितना खारा पानी है एकाध तो मशीन लगाकर मीठा बनाकर दिखा दो। कोई इस सम्बन्ध में भी काम नहीं किया गया है। केवल हम कागज पर योजनाओं को सही दिखायें उससे काम चलने वाला नहीं है। अब एक दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि कब इस पानी को मीठा बना रहे हो हमारे जो पानी खारा आता है उसे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जो इनकी आंखों से पानी आता है, उसको कब मीठा बना रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : कहां बना रहे हैं ? पता नहीं कहां बना रहे हैं, बना देते तो हम गवाह हो जाते।

दूसरी बात, जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रोज शिकायतें आती हैं कि बिजली पूरी तरह नहीं मिलती है इसलिए हम पानी नहीं दे सकते हैं। इन दोनों विभागों में तारतम्य क्यों नहीं है ? बिजली नहीं मिले, ट्रान्सफार्मर जल जाये, गांव पानी से वंचित हो जायं। गांव की ही समस्या नहीं, भरतपुर शहर में बांध बारेठा से पानी आता है। उसमें अब के बारे मुश्किल से दिन में एक बार पानी मिला है। ऐसे दिन भी आये हैं और इतना गन्दा पानी मिला है जिसको आप पी नहीं सकते हैं। इस तरह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं।

योजनाएं आप स्वीकृत करते हैं और योजनाओं के साथ आप वित्तीय स्वीकृति देते नहीं हैं, योजना वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है और हम तो अपेक्षित हैं हर हालत में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा आपका भी इलाका है जो हमारे यहां आता है। पूर्वी राजस्थान इस राजस्थान को कमाकर देता है। लेकिन बदले में हमको कुछ नहीं मिलता है। हमारी उपेक्षा होती है यह उपेक्षा कब तक चलेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे यहां पर प्रभारी मन्त्री हैं, वह दृश्य आपने देखा है बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में जनप्रतिनिधियों में कितना रोष था और आपने स्वयं ने उनके सामने, उनके साथ अधिकारियों को डांट लगायी, फटकार लगायी, असर कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ।

एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग कैसे हमको, जनता को सन्तोष दे पायेगा। मुझे तरस आता है इस विभाग की खुद की हालत देखिए, क्या है। विभाग की हालत यह है कि यहां पर 120 अधिशाषी अभियन्ता हैं उनमें से 52 तो अब तक कार्यकारी रूप से काम कर रहे हैं, आफिशियेटिंग हैं। 560 अभियन्ता हैं उनमें से 200 अभियंता

(श्री नत्थी सिंह)

आफिशियेटिंग काम कर रहे हैं। अधिशाषी अभियन्ता के रूप में जो आफिसियेटिंग कर रहा है और उसको अभियन्ता की तनख्वाह मिल रही है और सहायक अभियन्ता के पद पर जो सहायक अभियन्ता के रूप में काम कर रहा है उनको कनिष्ठ अभियन्ता की तनख्वाह मिल रही है। 9 वर्ष से इस विभाग में डी. पी. सी. नहीं हुई। यह विभाग अपने कर्मचारियों की देखरेख नहीं कर सकता है उनके असन्तोष को दूर नहीं कर सकते हैं। यह जनता की भावना को कैसे ठीक कर सकते हैं? मुझे सन्देह है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं, वह मंत्रीजी तो हैं नहीं जो बड़े जोर-शोर से राजस्थान की राजनीति में, विशेष तौर से राज्य की राजनीति में अवतरित हुए हैं, वह किसी और काम में लग रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या को हल कैसे करेंगे। अपने विभाग को सुधारेंगे तब जाकर समस्या का हल होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा नहीं है, मैंने अपनी बात कही लेकिन मुझे आशा नहीं है। जब तक चम्बल की लिफ्ट की योजना, जब तक जमुना का पानी और जब तक खारे पानी को मीठा करने की बात और हमारे स्रोतों को ऊंचा उठाने की बात नहीं करेंगे तब तक हम कई बार कह चुके हैं, मन्त्रीजी कोई आश्वासन दे दें, हमारे यहां पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। विकट समस्या है, इसको सुलझायें। इसका समाधान कीजिए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल के सम्बन्ध में जो आज चर्चा के लिए माननीय मन्त्रीजी ने रखी है अपने विचार व्यक्त करूंगा। पानी की आवश्यकता मनुष्य को सबसे प्रथम होती है और राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि विगत 6-7 वर्ष से यहां पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण पीने के लिए लोगों को बहुत ही संकट में डाल दिया है। राजस्थान की सरकार ने पिछले तीन-चार साल में इस ओर विशेष तौर से कार्य करके लोगों को राहत दी है। परन्तु लगातार वर्षा नहीं होने के कारण संकट गहराता ही जा रहा है। जिसका मुकाबला करने के लिए सरकार ने अपने सीमित साधन रखे हैं, वह अपर्याप्त हैं। जिस प्रकार उन्होंने ग्रामीण जनसख्या जो 2 करोड़ 70 लाख है, उसके लिए सरकार ने बजट रखा है 28 करोड़ और शहर की जनसंख्या 72 लाख है उसके लिए सरकार ने बजट रखा है 28.8 करोड़। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए कि एक तरफ 2 करोड़ 70 लाख जनसंख्या है और एक तरफ 72 लाख जनसंख्या है। सरकार ने या विभाग द्वारा किस प्रकार यह पैसा जो रखा है, बजट में उसका बंटवारा किया है। आज शहरों के मुकाबले गांव में पेयजल की समस्या ज्यादा है। आज बरसात नहीं होने के कारण आप किसी भी गांव में चले जायं आपको एक भी कुए में एक भी बून्द पानी नहीं मिलेगा। आज गांव के लोगों के लिए पानी अमृत के बराबर लगता है। फिर भी मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि यह जो आपने बजट राशि रखी है उसमें कितने हैण्ड पम्प खोद लेंगे साल भर में।

(श्री परसादी लाल मीणा)

अभी कितनी भीषण गर्मी थी, कितना भीषण संकट था पानी की एक बूंद नहीं मिलती थी। 15-15 हैण्ड पम्प एक-एक पंचायत समिति को दिये। जिस पंचायत समिति में ढाई सौ, तीन सौ गांव हैं और वहां पर 15 हैण्ड पम्प लगाये जायं यह कहां का न्याय है ? फिर सरकार ने विगत तीन-चार साल में जो प्रगति की है वह सराहनीय है। मैं इसके लिए सरकार की सराहना करता हूं। हमारे राजस्थान में कुल 34 हजार 268 गांव में से 32 हजार 400 गांवों को 1990 तक पेयजल सुलभ कराने का लक्ष्य है और इसके लिए सरकार ने दिसम्बर, 88 तक 1 लाख 10 हजार के करीब हैण्ड पम्प लगाये और केवल जयपुर जिले में 10 हजार से भी अधिक हैण्ड पम्प लगाये परन्तु आज जयपुर जिले में पेयजल की समस्या बहुत विकट है। एक एक ढाणी एक-एक गांव में लोग पानी के लिए सरकार की तरफ लालायित हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो सबसे पहले लोग एक ही मांग करते हैं कि हमारी ढाणी में हैण्ड पम्प लगाया जाय क्योंकि पानी की भयंकर समस्या है। मैंने मन्त्री महोदय को पिछली बार भी 295 का नोटिस देकर बताया था कि सरकार ने गांवों में जो हैण्ड पम्प लगाये हैं वह आधे से ज्यादा खराब हैं और उसका कारण सरकार की गलत नीतियां हैं। गलत नीति के कारण इन हैण्ड पम्पों का रख-रखाव करने के लिए उन्होंने पंचायत समिति को अपना माध्यम बनाया है। पंचायत समिति में मिस्त्री रहते हैं वह सरपंचों की कभी नहीं सुनते हैं, उनको बिना सरपच के तनख्वाह मिलती है। वह कभी हैण्ड पम्प को ठीक नहीं करते हैं। उल्टे ऐसी शिकायतें हमको जब गांवों में हम गये, प्रशासन गांवों की ओर अभियान में कोई जलदाय विभाग का अधिकारी नहीं गया, उनका कोई अधिकारी हमारे साथ नहीं गया, जब सारा प्रशासन जा रहा था। तो ऐसी शिकायतें मिली हैं कि किसी की चेन खोल ले गये, किसी का हैण्डल खोल ले गये। यह दशा इस विभाग की है।

मेरा सुझाव है कि मन्त्री जी, पंचायत राज भी यहीं है और पंचायत राज को बहुत अधिकार दिये हुए हैं आप क्यों नहीं सीधे पैसे पंचायत समिति को देते हैं, ग्राम पंचायत को दे दें। वहां के पंच और सरपंच की जिम्मेदारी होगी कि वह गांव के हैण्ड पम्प को ठीक रखे। वह कहां पंचायत समिति के विकास अधिकारी को पकड़ने जायेगा और कहां वह, उसका जो पेमेण्ट करता है उसको पकड़ने जायेगा। वह पंच और सरपंच को सीधा पकड़ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह जो रख-रखाव का काम है यह विभाग के जिम्मे छोड़ दीजिए। विभाग के जिम्मे छोड़ दिया जाय, यदि विभाग के जिम्मे नहीं छोड़ा जाय तो जो इसकी राशि है, इसका बजट है एक हैण्ड पम्प पर 16-17 रुपया देते हैं उस रख-रखाव की राशि को सीधे ग्राम पंचायत को ट्रान्सफर करें और यदि उससे भी काम नहीं चलता है ग्राम पंचायत अपनी निजी आय से इन हैण्ड पम्पस को ठीक करने का दायित्व ठीक ढंग से निभा सकती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसी गांव में हैण्ड पम्प मंजूर होता है, एक गांव में चार हैण्ड पम्प मंजूर होते हैं तो सरकार की यह नीति होनी चाहिए

(श्री परसादी लाल मीणा)

पिछले विधान सभा सत्र में मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि राजस्थान में कोई भी हरिजन बस्ती बिना पानी की सुविधा के नहीं रहेगी। यदि पहला हैण्ड पम्प लगेगा तो उस गांव की हरिजन बस्ती में लगेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। पंचायत राज ने सरपंचों को बहुत पावर दे दी है, आज पहला हैण्ड पम्प लगता है तो सरपंच के घर लगता है। कई हरिजनों ने शिकायत की है। मेरे पास आयी है, मैंने विभाग को लिखा है, परन्तु वह हैण्ड पम्प सरपंच के घर लगेगा हरिजन बस्ती में नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार ऐसे मामलों को दिखवाए। जहां पर हरिजन बस्तियां होती हैं, एक गांव में दो, तीन, चार हरिजनों के घर होते हैं छोटे-छोटे गांव में। वह बेचारे खड़े रहते हैं कि कोई हम को पानी भरकर देगा पर उनको पानी नहीं भरने दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। तो पहला हैण्ड पम्प जो लगे वह हरिजन के घर लगना चाहिए। मेरा इसके लिए सुझाव है और मैं आपके माध्यम से एक बात और जलदाय मन्त्री जी को कहना चाहूंगा, विभाग को अपने नार्म्स फिक्स करने चाहिए कि हैण्ड पम्प किस आधार पर किसके कहने से, कैसे लगाये जायेंगे। आज गांव में आम शिकायत है, हम गांव में जाते हैं, जे. ईएन., ए. ईएन. को पैसा दो हजार रुपया, दारू, मुर्गा, बोतल दिया और हैण्ड पम्प लग जायेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एडिशनल चीफ इन्जीनियर ने जयपुर से 24 मई को लिख दिया कि इस जगह पर हैण्ड पम्प नहीं लगाया जाय। वह लालसोट पंचायत समिति की बात है। एडिशनल चीफ इन्जीनियर होंगे वहां पर उनको अच्छी तरह मालूम है वहां हैण्ड पम्प लगा क्योंकि ए. ईएन. उनको लगाने के लिए कटिबद्ध थे। ऐसी बातें जो हो रही हैं कि हरिजन के घर नहीं लग के किसी प्रतिष्ठित और बड़े आदमी के घर लगाए जायें। एडिशनल चीफ इन्जीनियर का आर्डर नहीं मानें तो हमारी कौन मानेगा। इसमें नार्म्स फिक्स करने चाहिए। हैण्ड पम्प की मंजूरी होती। जिस ढाणी में लगाया जाता है उस ढाणी में आम लोगों की सहमति होनी चाहिए कि फलां जगह लगाया जाये। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं कि वहां 2–3 स्कीमों में, 2-3 साल से कभी कुआं बना दिया कभी उसकी गुमटी बन गयी, कभी कनेक्शन नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय जो तीन-चार साल से स्कीम अधूरी पड़ी है उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि एक तो डिगा की स्कीम है, बगड़ी की स्कीम है। दो स्कीमों को दो साल हो गये बनते-बनते परन्तु आज तक भी वहां पर लोगों को पानी नहीं मिला जिसके कारण क्या हो रहा है, न तो वहां हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं न उस स्कीम को चालू किया जा रहा है। दोनों के ही बीच में वहां लोग फसे हुए हैं तो मेरा आप से निवेदन है कि उसको शीघ्र चालू कराने का विभाग को निर्देश दें और मैं चाहूंगा कि आज राजस्थान सरकार के पास सीमित साधन हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्रों की जल पूर्ति के लिए 356 करोड़ रुपये जो मन्जूर किये हैं उससे राजस्थान सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डालकर या जिस भी प्रकार से पैसा वहां आ सके उसे लेने के प्रयास करने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री परसादी लाल मीणा)

और मैं बताऊंगा कि एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम मण्डावरी है वहां की टंकी 2 साल से खराब है बल्कि कहते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गई है, पानी नहीं जा रहा है। न तो वहां हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं और न उस टंकी को फुल केपेसिटी में भरा जा रहा है तो मेरा निवेदन है कि या तो उसकी जगह दूसरी टंकी पानी की लगायी जाये....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

डायरेक्ट बोरिंग वगैरह करके, डाइरेक्ट पानी या हैण्ड पम्प लगा कर, कैसे भी सप्लाई किया जाये। दूसरी समस्या क्या है कि जो स्कीमें 10–15 सालों पहले बन गयीं वहां पर आज पाइप लाइनें बढ़ाई नहीं जा रही है। मैं बताऊंगा कि नगर पालिका क्षेत्र लालसोट में एक जमात की ढाणी और एक तिबारा वाली ढाणी में तीन-तीन सौ की आबादी है वहां पर नगरपालिका क्षेत्र की, पाइप लाइन नहीं पहुंची न वहां....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा : हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके ऊपर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, उनको ठीक तरह से देखें। यह जो समय आ रहा है, क्या मालूम बरसात कैसी हो फिर भी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि अच्छी बरसात हो तो कुओं का जल स्तर बढ़े।

मैं अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा। लालसोट क्षेत्र की कम से कम दो सौ ऐसी ढाणियां हैं जो 100 से लेकर 300 की आबादी तक की हैं। मैंने 295 का नोटिस दिया था उसमें भी इस बात को कहा था कि इन ढाणियों में ढाई-ढाई, तीन-तीन सौ आदमी, आज गांव में क्या होता है कि 3-3, 4-4 जगह बस जाते हैं। हैण्ड पम्प दो मंजूर होते हैं, गांव चार जगह बसा हुआ है तो आप उसको किस प्रकार दो ढाणियों में लगा सकते हैं। दो ढाणियों में रह जायेंगे तो जो दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ, डेढ़ सौ लोग जो ढाणियों में हैं सरकार को उन ढाणियों में हैण्ड पम्प लगाने चाहिए, जल उपलब्ध कराना चाहिए। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल जैसी समस्या के समाधान के लिए अगर राज्य सरकार +++ गिनती करके यह चाहे कि इस समस्या का समाधान होगा तो मैं समझती हूं इसकी कल्पना करना भी बेकार है। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं उपाध्यक्ष महोदय, अभी जीरो आवर में मैंने स्वयं 295 के अन्तर्गत एक जोधपुर की रणसिंह गांव में नल योजना की चर्चा की थी और उसमें मैंने इस सदन को बताया था कि किस तरह पाइपों को पेन्टिंग करने के नाम पर और दूसरे तरीकों से करोड़ों रुपये के घोटाले हो गये और उस व्यक्ति को राज्य सरकार विलायत भेजे, पता नहीं ट्रेनिंग के लिए भेज रही है या पैसा जमा कराने के लिए भेज रही है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(सुश्री पुष्पा जैन)

(3.26 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

यह मुझे नहीं पता, यह राज्य सरकार स्वयं बतायेगी। कम से कम, सभापति महोदय, कहते हैं कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, अगर राजस्थान की गरीब जनता को आप वास्तव में पेयजल उपलब्ध कराना चाहते हैं तो मैं राज्य सरकार से नम्र निवेदन करना चाहूंगी सबसे पहले आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि आपके जो अधिकारी हैं, इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं या इस समस्या की आड़ में अपने घर भरना चाहते हैं ? मैं खास तौर से जोधपुर डिवीजन की चर्चा करना चाहूंगी। सभापति महोदय, यह जोधपुर डिविजन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है खास तौर से आपके पी. एच. ई. डी. में जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के बारे में एक चीज, अगर आप इतना ही देख लें इस बात की जांच कर लें कि वह अधिकारी कब से जोधपुर में बैठा हुआ है कितने-कितने साल हो गये। कइयों के गृह जिले हैं, अपने गृह जिले में बैठे हैं। 2-4 महीनों के लिए नागौर में तबादला करवा देते हैं, जोधपुर से पाली आ जाते हैं, पाली से बाड़मेर चले जाते हैं, बाड़मेर से जालौर चले जाते हैं और वापस वहां आकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले आपको इस बात की छटनी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान न भेजें लेकिन कम से कम जोधपुर डिविजन वालों को भेज दें, शिवरामजी के क्षेत्र में या भैरोंसिंह जी के क्षेत्र में भेज दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, जोधपुर और पाली के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ा पेयजल स्रोत है, वह है जवाई बांध। यूं तो जवाई बांध, हेमावास, सरदारसमंद कई बांध है जिनसे पेयजल उपलब्ध होता है लेकिन विशेष तौर से जो हमको पानी सुलभ करवाया जाता है वह जवाई बांध से करवाया जाता है और हमेशा जोधपुर और पाली के लोग झगड़ते रहते हैं और यहां तक कि जोधपुर और पाली के विधायक आपस में झगड़ते हैं। सदन में अगर हम चर्चा करते हैं तो जोधपुर का विधायक खड़ा होगा, कभी विश्नोई साहब खड़े हो जायेंगे। अभी तो मन्त्री हैं, नहीं खड़े होंगे लेकिन मैंने कई बार देखा कि वे पाली की समस्या का रोहत पंचायत समिति की समस्या का समाधान करने के लिए. खड़े होने के लिए नहीं कहूंगी। जोधपुर में आप जवाई बांध से पानी देते हैं तो पाली में जो जोधपुर रोड पर तालाब है उनको आप प्यासे छोड़ कर पानी कैसे आगे जाने देते हैं और हम कैसे जाने देंगे। खट से बिरदमल जी और रामसिंहजी विश्नोई खड़े हो जायेंगे कि पानी हमारे गांव में जायेगा। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी।

श्री सभापति : कहां खड़े हुए, नहीं खड़े हुए।

सुश्री पुष्पा जैन : अब उनको बड़प्पन रखना पड़ता है। उनकी तरफ से भी आज मैं ही बोलूंगी वैसे। सभापति महोदय, जवाई बांध की समस्या, मैं फिर आरोप लगाना चाहूंगी यह सरकार और प्रशासन की बनाई हुई समस्या है। आपने बड़ी-बड़ी घोषणायें कीं कि आप जोधपुर में राजस्थान कैनाल से पानी पहुंचायेंगे। मैं जानना

(सुश्री पुष्पा जैन)

चाहूंगी कि क्या जनता को मरघट में जाने के बाद इस योजना से फायदा मिलेगा ? आखिर आप कब उनको फायदा पहुंचायेंगे, कौनसी पीढ़ी आयेगी जो जोधपुर में राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का पानी पीयेगी। कितने मन्त्री बदल गये। इन्होंने जोधपुर डिविजन के मंत्रियों को यह योजना हाथ में दी, हमें बड़ी खुशी हुई। मुझे खुशी इसलिये होती है कि मैं भी थोड़ी सी स्वार्थी हूं। मैं चाहती हूं कि जोधपुर के लोगों को कैनाल से पानी मिले ताकि पाली जिले के लोगों को जवाई बांध का पानी मिले क्यों कि जब तक यह प्रोजेक्ट चालू नहीं होगा यह जवाई बांध हम लोगों के माथे तोड़ती रहेगी, हम लोगों को आपस में लड़वाती रहेगी। लेकिन प्रशासन नहीं चाहता, प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते क्योंकि अगर यह योजना पूरी हो जायेगी तो, सभापति महोदय, इन लोगों के घर नहीं भरेंगे। मैं कहना चाहूंगी कि 1987 में जवाई बांध से पेयजल, सभापति महोदय, कितने वर्षों तक अकाल हुआ, उस समय जवाई बांध का खतम हो गया। उस समय सरकार ने पाली जिले में पानी देने के लिए जागदन और बोमादरा से एक ट्यूब वैल योजना चालू की। सिर्फ पाली को पानी पहुंचाने के लिए। सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा करीब 6 करोड़ रुपया व्यय हुआ इन ट्यूब वैल्स में इतना फ्लोराइड युक्त पानी था इतना खारा पानी था कि लोगों ने शिकायतें की कि उनके पेट फूल गये, उनको बीमारियां हो गयी और मैं आरोप लगाना चाहती हूं केवल पाली जिले में तीन सौ से ऊपर व्यक्ति मर गये। हैजे के शिकार हो गये, दूसरी बीमारियों के शिकार हो गये। और तो और, सभापति महोदय, हमीदा बानो मुझे अभी नजर नहीं आ रही हैं, मैंने कल उनसे पूछा कि आप असेम्बली क्यों नहीं आ रही हो तो कहने लगीं कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा कि बीमार कैसे हुई ? तो कहने लगी पाली के उप चुनाव में गई वहां पानी पीया मेरी तबीयत खराब है, यह बैठी हैं मैं इनके सामने कह रही हूं। सभापति महोदय, आप इस बात से अंदाज लगायें कि जनता कितनी दुःखी होगी।

श्री सभापति : इज दिस करेक्ट मैडम ?

श्रीमती हमीदा बेगम : यह ठीक है कि वह अपने क्षेत्र की कुछ भी बात कहें लेकिन माननीय सदस्या को यह राइट कभी भी नहीं है कि किसी ने कुछ कहा नहीं और उनका नाम अंकित कर दें।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मुझे इसका अन्दाज नहीं था कि माननीय सदस्या इतनी मार्मिक बात कह कर पलट जायेंगी। तो मैं कभी न कहती और अगर यह कहती हैं कि इन्होंने नहीं कहा तो मैं क्षमा याचना करती हुई अपने शब्द वापस लेती हूं। कम से कम इतनी हिमाकत मैं नहीं कर सकती कि माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में माननीय सदस्या कोई बात कहे, अगर मैं जनता को राहत पहुंचाने के लिए उनकी बात का हवाला दूं उन्हें उस बात से खेद हो तो मैं अपने शब्द बिल्कुल आदर सहित, क्षमा याचना सहित वापस लेती हूं।

लेकिन मैं कहना चाहती हूं, सभापति महोदय, इस तरह जनता को राम भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। छह करोड़ रुपये आप खर्च कर दें और लोगों को बीमारियों के कगार पर भेज दें। सभापति महोदय,

(सुश्री पुष्पा जैन)

अकेले 1988 में 27 करोड़ रुपये जोधपुर नगर में पिबारी व रणसिंह गांव में पानी लाने को खर्च किया है इन्होंने, 1.3 करोड़ आज भी बकाया है। यही नहीं, सभापति महोदय, अगर इन्दिरा गांधी लिफ्ट योजना 1986 तक पूरी हो जाती तो जोधपुर, पाली के लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इस पर 38.5 करोड़ की जगह अब 140 करोड़ रुपये खर्च नहीं करने पड़ते। रेलों से पानी पहुंचाया, वैगनों से पानी पहुंचाया रणसिंह गांव में योजना बनाई गई, कई और गांवों में योजनायें बनीं। मुख्य मन्त्री अनाप-शनाप अपने साथ मन्त्रियों की फौज और प्रशासनिक अधिकारियों की फौज लेकर हवाई जहाज में चले जा रहे हैं। मैं उन दिनों पाली जा रही थी, जोधपुर में गई तो एयरपोर्ट से दनादन गाड़ियां चली आ रही हैं। मैंने कहा, क्या बात है, कि रणसिंह गांव की योजना का उद्घाटन हो रहा है और वहां पर लोग काले झण्डे लेकर खड़े हैं कि इस तरह गलत योजनाओं का उद्घाटन हम नहीं करने देंगे। धिक्कार भेजती हूं मैं इन मुख्य मन्त्री जी पर। इस तरीके से लोगों को गुमराह करके, झांसा देकर आप उद्घाटन करते हैं। अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं। मैं आरोप लगाना चाहती हूं राजस्थान कैनाल की पेयजल योजना का प्रोजेक्ट जो दाऊदयाल माथुर के हाथ में दिया। मुझे अगर समय दें तो मैं एक-एक मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है इस अधिकारी ने। अगर दूसरे अधिकारियों को सजा दी जा सकती है; पी. एच. ई. डी. के पाइप घोटाले का काण्ड जब इस सदन में आया था तब कुछ अधिकारियों को आपने सूली पर चढ़ा दिया था लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि यह दाऊदयाल माथुर मुख्य मन्त्री जी के रिश्तेदार हैं इसलिए बैठे रहेंगे। उनके भ्रष्टाचारों की कोई जांच कोई करने वाला है? सभापति महोदय, मुझे अगर आप टाइम इनायत करें तो मैं दाऊदयाल माथुर की पूरी थीसिस इस सदन में पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, नियम बने हुए हैं इसके लिए। Unless we give a notice this effect to the person concerned....

सुश्री पुष्पा जैन : ठीक है। आप कम से कम इनके कार्यकलापों की जांच करवाइये। तो आपको स्वयं मालूम पड़ जायगा कि राजस्थान कैनाल की पेयजल योजना जोधपुर में पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्यों जी. एम. लोढा जैसे व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी विलायत भेजने के लिए रिकमण्ड किये जा रहे हैं और जोधपुर में बैठे हुए हैं? इन सारी बातों का आपको इसी जांच से मालूम पड़ जायेगा। सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रही, नवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. साल्वे ने जनवरी, 1988 में कहा कि इन्दिरा गांधी लिफ्ट योजना पर कार्य सही नहीं चल रहा है। भारत सरकार द्वारा एडहाक आधार पर दी जा रही मदद से राज्य सरकार की आदत बिगड़ रही है।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्या, मुझे आपने जो आरोप लगाये हैं उसके लिए नहीं कहना है, आपने जो कहा कि वह रणसिंह गांव की योजना की जरूरत

(श्री रामसिंह विश्नोई)

नहीं थी मुझे इसलिये कहना है कि इसमें कितने घपले हुए, क्या गड़बड़ हुई वह तो आप जानें लेकिन इस योजना से, अगर यह नहीं बनती टाइम पर, क्योंकि राजस्थान कैनाल की योजना तो आ नहीं रही है जल्दी। इससे तो बीसियों गांवों को फायदा हुआ है और अकाल के अन्दर जितना फायदा इस योजना से हुआ है, जोधपुर शहर के अलावा गांव के लोगों को फायदा हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार या गड़बड़ी हो सकती है आप इसके लिए कुछ भी कहें मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह योजना जो बनी है यूनिक योजना है। इससे पचासों गांवों को फायदा हुआ है जहां पर पानी नहीं था। इसलिए योजना तो बहुत अच्छी है इसमें तो हमें कोई शिकायत नहीं है बाकी इसमें अनियमिततायें हुई हैं इसके लिए आप जो कुछ भी कहना चाहें, कहें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं अनियमितताओं की नहीं कह रही हूं। दूसरा मैं विश्नोई साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूं अपने आपको करेक्ट करने के लिए।

श्री रघुनाथ परिहार : सभापति महोदय, माननीय सदस्या पाली से हैं और मैं भी पाली से हूं अगर जवाई बांध का पानी पाली में रहेगा और जोधपुर को पानी इन्दिरा कैनाल का मिल जाएगा तो हमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए।

श्री सभापति : वह भी यही कह रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं आदरणीय विश्नोई साहब से सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूं कि यह लाखों अनियमिततायें, लाखों घोटाले और लाखों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार होने के बावजूद अगर कुछ गांवों को इसका फायदा मिला लेकिन रणसिंह गांव की योजना बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किस लिए बनाई गयी यह योजना? अगर यह राजस्थान कैनाल समय पर पूरी हो जाती तो क्या रणसिंह गांव की योजना पर करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता। मैं इसीलिए कहती हूं कि इन घोटालों की जांच करवाइये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं श्री एन. के. साल्वे का जो स्टेटमेंट बयान कर रही थी, सभापति महोदय, उन्होंने आगे कहा कि इन्दिरा गांधी लिफ्ट योजना पर कार्य सही नहीं चल रहा है। भारत सरकार द्वारा एडहाक आधार पर दी जा रही मदद से राज्य सरकार की आदत बिगड़ रही है। आई. जी. एन. पी. के पानी का सही उपयोग नहीं हो रहा है।

अब सभापति महोदय, इन्होंने जोधपुर को पानी दिया। अभी सवाल के उत्तर में राज्य सरकार ने कहा कि पाली और जोधपुर के पानी के बंटवारे का कोई झगड़ा नहीं है। मुझे बिरदमल जी सिंघवी साहब करेंगे, उन्होंने यह भी कहा कि पाली और जवाई बांध का जो डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसमें पेयजल के लिए 3764 घनफुट तक किया गया और उसका उपयोग किया गया 2924.36 घनफुट। यह जून के महीने में और सिंचाई के लिए तय किया गया था 3402 घनफुट और इसका उपयोग किया गया 3479.25 घनफुट।

मैं जानना चाहती हूं, सभापति महोदय, आप स्वयं अन्दाज लगायें जून के महीने में तपती गरमी जिस समय लोग पानी की

(सुश्री पुष्पा जैन)

बूंद-बूंद को मर रहे थे उस समय सिचाई का पानी तो पूरा उपयोग में आ गया, ज्यादा आ गया, जितना तय किया था उससे ज्यादा सिंचाई के लिए पानी ले लिया गया लेकिन पेयजल के लिए जितना तय किया उससे भी कम पानी दिया गया। मैं जानना चाहती हूं आखिर क्यों ? क्या जोधपुर और पाली के लोगों को जरूरत नहीं थी इस पानी की ? कौन दोषी है इसके लिए ? आप पाली में स्वीमिंग पूल बनाकर लाखों घनफुट पानी वहां बरबाद कर दें लोगों के नहाने के लिए, अमीर लोगों का शौक पूरा करने के लिए या बीना जी की इच्छा की पूर्ति के लिए। इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती सभापति महोदय, कि पाली और जोधपुर के लोग पानी की बूंद-बूंद को तरसें और आप, मई-जून के महीने में ठण्डक पाने के लिए, नहाने के लिए डाक बंगले के पीछे लम्बा चौड़ा स्वीमिंग पूल उसको लबालब भर दें और लोगों से पाच पांच हजार रुपये सदस्यता की फीस लें। मैं समझती हूं ऐसे करप्शन को, ऐसे भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली राज्य सरकार है तो मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच करवा कर उनको सजा मिलनी चाहिए, कौन जिम्मेदार है स्वीमिंग पूल को बनाने के लिए। जब लोग पानी को मोहताज हों तो आपका दिल करेगा स्वीमिंग पूल में डुबकी लगाने के लिए ? मैं समझती हूं कुए में डूबकर मर जाना चाहिए बजाय इसके कि स्वीमिंग पूल पर हम तैरें।

सभापति महोदय, रोहिट पंचायत समिति के करीब 100 से ऊपर तालाब हमेशा भरे जाते थे जवाई बांध से लेकिन इस बार नहीं भरे गये। मैं कहना चाहूंगी जवाई बांध से जोधपुर का पानी दिया जा रहा था। हमें इस बात का एतराज नहीं है कि आप जोधपुर को पानी न दें हालांकि इस बात का दर्द जरूर है कि आप पाली जिले को प्यासा रखकर जोधपुर पानी ले जा रहे हैं लेकिन आपको सुनकर अफसोस होगा, सभापति महोदय, जब पाली जवाई बांध से पानी जोधपुर जा रहा था तो 75 प्रतिशत पानी बीच में या तो भाप से उड़ रहा था या लीकेज हो रहा था, 75 प्रतिशत पानी बरबाद हो गया, 25 प्रतिशत सिर्फ पहुंचा है। मैं समझती हू माननीय विधायक महोदय मेरी बात की ताइद करेंगे। लेकिन वह 75 पर्सेण्ट पानी अगर पाली की रोहिट पंचायत समिति के तालाब में चला जाता तो लोग धन्य हो जाते। उन का प्यासा जीवन हरा हो जाता, उनके मवेशी जी जाते, उनके बच्चे जी जाते लेकिन इस बात की राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी। डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग हुई, सभापति महोदय, पाली में। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। हमारे जिला प्रमुख धर्मचन्द जी, हमारे सांसद शंकरलाल जी, मैं स्वय और शायद रघुनाथ जी परिहार भी उस दिन मौजूद थे। कितना झगड़ा हुआ उस दिन, आप बताइये, परिहार साहब। इस पानी के अलाटमेंट को लेकर झगड़ा हुआ और पाली के लोग आन्दोलन करने के लिए आ गये कि आपने स्वीमिंग पूल भर दिया लेकिन पाली के गांवों में पानी नहीं मिल रहा है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस बात को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। उस समय अधिकारियों ने यह कहा कि हम से पेयजल के लिए पानी मांगा ही नहीं गया। क्यों

(सुश्री पुष्पा जैन)

परिहार साहब ? सिंचाई विभाग के जो अधिकारी आये थे उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए आपने उतना पानी नहीं मांगा जितना आपको चाहिए था इसलिए हमने आपको पेयजल नहीं दिया। मैं समझती हूं, परिहार साहब, मैं असत्य नहीं बोल रही हूं। उसी समय यह तय हुआ कि आज सब सत्ताधारी दल के लोग, मैंने अपने आपको अलग किया, मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी लेकिन आप लोग मुख्य मन्त्री के पास जायेंगे और इस बात के लिए आप फैसला करवायेंगे कि पाली और जोधपुर को पेयजल के लिए पानी सुरक्षित क्यों नहीं किया गया सिंचाई के लिए क्यों दिया गया जबकि हमको इस समय पेयजल की ज्यादा आवश्यकता थी। थी या नहीं थी यह बात ? मुझे नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि मुख्य मन्त्री ने कह दिया कि इस से ज्यादा पानी नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं समझती हूं कि इससे ज्यादा खेदजनक बात दूसरी कोई नहीं हो सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं समाप्त ही कर रही हूं, सभापति महोदय, मुझे खुद आप से डर लग रहा है।

सभापति महोदय, लोग कहते हैं कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। सोनालमांजी गांव है मेरे विधान सभा क्षेत्र में। यहां राहत कार्य पर जो लोग लगे हुए थे उनमें से एक महिला समेत तीन जनों की मृत्यु हो गयी। मृत्यु कैसे हो गयी ? काम करने से नहीं हुई। अकालग्रस्त इलाकों में पीने को जो पानी दिया जा रहा था वह इतना गन्दा था कि उससे लोगों को हैजा हो गया लोग बेमौत मारे गये। पिछले दिनों पाली जिले में 300 से ऊपर लोग मर गये, उस समय डाक्टर बल्देवा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इन्होंने भेजी जो बोमागरा, डाभर और पता नहीं कहां कहां से पानी का सैम्पल लेकर आये। उसके बाद मुझे नहीं मालूम वह सैम्पल कुएं में पड़ा या कौन कुएं में पड़ा, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। इस तरह के हालात हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : रोहिट पंचायत समिति में कोई फिल्टर हाउस नहीं है। गंदा पानी लोगों को पिला रहे हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : एक ए. ईएन. है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। पाली में जे. ईएन. था राम बाबू। परिहार साहब, मैं राम बाबू का जिक्र कर रही हूं।

एक माननीय सदस्य : लड़ाई हो गयी क्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : मेरी लड़ाई नहीं हुई, मेरे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं उनसे। जो बच्चा जहां जन्म ले, बड़ा हो, वहीं शादी कर दी, वहीं बच्चे हो गये, वहीं सब कुछ हो गया, इस तरह का हाल हो रहा है। रामबाबू वहीं जे. ईएन. थे, वहीं उनका प्रमोशन करके ए. ईएन. बना दिया गया। उनकी

(154)

(सुश्री पुष्पा जैन)

फैक्ट्री चल रही है, दनादन कमाई हो रही है और पाली में फैक्ट्रियों को पानी के जितने अवैध कनेक्शन दिये जा रहे हैं, मैं आरोप लगाना चाहती हूं कि उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो रामबाबू का है क्योंकि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। एक तरफ राज्य सरकार कानून बनाये कि दो साल से ज्यादा अगर कोई अधिकारी एक जगह पर रहता है तो उसका तबादला किया जायेगा, मैं जानना चाहती हूं कि इस तरह के कानून रामबाबू जैसे लोगों पर लागू क्यों नहीं होते ? जी. एस. लोढा जैसे लोगों पर लागू क्यों नहीं होते ? दाऊदयाल माथुर जैसे लोगों पर लागू क्यों नहीं होते यह कानून ? यह कानून गरीब और जिनकी कोई अप्रोच नहीं है उनके लिए लागू हो सकते हैं लेकिन जिसके पीछे सत्ता का हाथ है उन पर लागू नहीं हो सकते।

श्री सभापति : समाप्त करें। काफी कह दिया।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं कहना चाहती हूं आपके 14 टैंकर हैं। 4 टैंकर से पूरे पाली जिले की प्यास नहीं बुझने वाली है। कुओं में रंगाई-छपाई का दूषित पानी आता है, कुएं सारे बेकार हो चुके हैं। इससे लोगों की प्यास नहीं बुझायी जा सकती। अगर बुझाने का प्रयास किया गया तो लोग मर जायेंगे। पानी का क्या साधन है, मैं जानना चाहती हूं। राज्य सरकार आज स्पष्ट करे कि पाली, जोधपुर और बाड़मेर के अन्दर ऐसे इलाकों में जहां लोगों के पास कोई साधन नहीं हैं, जहां बरसात नहीं होती है, बहुत कम होती है, आप पानी का क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं ? भ्रष्टाचार को आप हटायेंगे या नहीं, स्वीमिंग पूल को अगर भरवाया तो किसकी इजाजत से, कौन जिम्मेदार है। इन सारे सवालों का आप जवाब दें। मैं चाहूंगी कि एक व्यापक जांच कमेटी बनाकर इन सारे काले कारनामों की जांच करवायें और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें अगर आप सस्पैण्ड नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे वहां से तो हटवाइये, हम तो बाज आये।

श्री सभापति : माननीय श्री माणक डाणी।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, ज्वाला प्रसाद शर्मा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, मेरा तीसरा नम्बर है। क्या बात है, मेरी समझ में नहीं बैठ रही। यह चिट जो आपके पास पड़ी हुई हैं उनमें मेरा तीसरा नम्बर लिख कर दिलवाया है। क्या बात है, नहीं बुलवाना हो तो मना कर दो। कोई जरूरी थोड़े ही है बोलना। कोई 5-7 आदमियों को बुलवा दिया, फायदा क्या मिला इसमें। नहीं बुलवाना चाहते हो तो मना कर दो।

श्री सभापति : मैं नैक्स्ट बुला रहा हूं आपको।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : क्या देखना ? बिना बात की बात कर रहे हो।

श्री सभापति : आप बोल लें भले ही पहले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालरापाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा प्रदेश है। राजस्थान के अन्दर, जहाँ तक पेयजल की समस्या का सवाल है, धरातलीय जल के कोई उल्लेखनीय स्रोत मौजूद नहीं हैं और भूजल जो हमारे प्रदेश के अन्दर हैं उसकी स्थिति भी यह है कि यत्र-तत्र ही वह उपलब्ध होता है, काफी गहरी खुदाई के बाद ही मिल पाता है। राजस्थान जैसा प्रदेश, जो क्षेत्र की दृष्टि से हिन्दुस्तान का दूसरा नम्बर का प्रदेश हो....

श्री डूंगरराम पंवार : और जिस सरकार का ऐसा भेष हो।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : इसमें धरातलीय जल का नितान्त अभाव हो और भूमिगत जल जिस प्रदेश में यत्र-तत्र ही मिलता हो....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मन्त्रीजी कहां गये ?

श्री सभापति : गोविन्दसिंहजी साहब, आप ले लो नोट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, आप इसको मजाक में ले रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पी. एच. ई. डी. पर बहस हो रही हैं, अहम् मुद्दा है। मन्त्री महोदय यहां हैं, बाहर बैठे हुए हैं। राज्य मन्त्री भारद्वाजजी को आपने बना रखा है, कोई काम के नहीं हैं, सुनो कि मत सुनो। वह भी चले गये। इस प्रकार से बहस चला कर इसको आप मजाक बनाते हो तो बनाओ।

श्री सभापति : नहीं बुलवाता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कोई मजाक है सदन की। मुख्य मन्त्री भाग गये, पहले उनके पास था। अब गहलोत साहब बने हैं, एक तो मायके में आये हैं यहां पर।

अनेक माननीय सदस्य : आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ गये तो आप रखो इनको अपने पास।

श्री सभापति : भारद्वाज साहब, बैठें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अभी नम्बर आ रहा है चिन्ता मत करो। आज गहलोत साहब भी आयेंगे और जिनको बुलवाना है उनको भी बुला लूंगा। मैं तो जवाब देने के लिए इन सबको बाध्य कर दूंगा, +++ मुख्य मन्त्रीजी भी आकर देंगे, यह भी देंगे और अशोकजी भी देंगे। आ जाओ आप। एक तो एम. एल. ए. नहीं हैं, मन्त्री बना दिया उसके बाद बैठा भी नहीं सकते हो आप।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की भीषण और जटिल समस्या है पेयजल की। जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसको देखते हुए इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश में रहने वाले पशुओं को पेयजल उपलब्ध करवाना हमारे लिए जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस प्रदेश की 3.42 करोड़ जनसंख्या, जो 1981 के अनुमानों के अनुसार है और 4 करोड़ से अधिक पशु संख्या को पेयजल

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(158)

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

उपलब्ध करवा पाना बहुत ही जटिल और कठिन कार्य इस प्रदेश की सरकार और इस प्रदेश के वासियों के लिए है। माननीय सभापतिजी, माह दिसम्बर, 1988 तक जो कुछ भी प्रयास राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किये गये हैं अगर हम उनका विश्लेषण करें, उनको बारीकी से देखें तो हम इस बात की सराहना कर सकते हैं, इस बात की तारीफ कर सकते हैं कि जो भी प्रयास राज्य सरकार द्वारा, इस विभाग द्वारा किये गये हैं वह सराहनीय हैं। कुल 34998 गांव हमारे इस प्रदेश के अन्दर हैं। माह दिसम्बर, 1988 तक 29 986 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न स्रोतों से पेयजल के लिये साधन उपलब्ध करवाये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, करोड़ों और अरबों रुपया राजस्थान सरकार ने और केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्राप्त राशि इस पेयजल योजना पर खर्च की जा चुकी है लेकिन उसके बाद भी जैसा हम देखते हैं और जिस प्रकार की मांग आज प्रदेश के अन्दर और इस विधान सभा के अन्दर निरन्तर उठ रही हैं उससे यही कयास निकलता है कि आज भी इतने परिश्रम और इतना पैसा खर्च करने के बाद राजस्थान में इस समस्या का निदान नहीं हो पाया है।

माननीय सभापतिजी, राजस्थान की विकट परिस्थितियों के अन्दर न केवल हमारे इस सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी कुछ लोगों की तो आदत ही है कि चाहे जितना प्रयास हम करें, कभी हमारे प्रयासों का इन्होंने स्वागत नहीं किया, कभी इन्होंने उनको अच्छा नहीं बताया, हमारे अच्छे काम में दोष, हर काम में दोष, हर काम में कमी इन्हें नजर आती है। जो विषम स्थिति राजस्थान की है उसको हम मानते हैं लेकिन जो प्रयास इन विषम परिस्थिति में हल करने के लिये इस प्रदेश की सरकार ने, इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किये उनकी कभी तारीफ करते हुए, स्वागत करते हुए कभी हमारे साथी आगे नहीं आये।

मैं, माननीय सभापति महोदय, इस बारे में अधिक विस्तार में नहीं जाकर मेरे जिले की जो मूलभूत पेयजल की समस्या हैं उनकी ओर इस सदन का, इस विभाग के मन्त्रीजी का और राज्य मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, यही बात हम उजागर करते हैं तो आप कहते है कि हम विरोध करते हैं और अब आप विरोध भी कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय भंवरलालजी, आप केवल विरोध ही विरोध करते हैं और हम विरोध भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। आप में और हम में यह अन्तर है। हम अच्छी बात का स्वागत करते हैं और आप अच्छी बात का विरोध करते हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप विरोध भी कर रहे हैं और स्वागत भी करते हैं यह दो मुंही बात है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप और हम में केवल इतना ही अन्तर है इसलिये

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

हम राज में है और आप विरोध में हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, यहां हाउस के अन्दर बीकानेर में लालगढ़ स्टेशन पर हादसा हुआ था उसके मुतल्लिक होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना था पर अभी तक यहां पर ना स्टेटमेंट है और ना ही उसके लिये कोई बात है....

श्री सभापति : उसके लिये समय निर्धारित किया हुआ है।

श्री देवीसिंह भाटी : कौन सा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कितने बजे है ?

श्री सभापति : 4 बजे का है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बुलाओ आप उन्हें।

श्री सभापति : अभी 4 बजने में समय है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप देखिये अभी दूसरी डिबेट चल रही है लेकिन आप समय पर बुला लीजिये वह यहां पर आयें और स्टेटमेंट दें।

श्री सभापति : मैं बुलवा लूंगा, कृपया बोलें। प्लीज कन्टीन्यू।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में जो हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध करवाया गया पर मेरे क्षेत्र में स्थिति आज इस प्रकार की हो गई है कि प्राय: हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने का जहां-जहां भी प्रयास किया गया है वहां काफी बड़ी संख्या में जल स्तर नीचे चले जाने से हैण्ड पम्प ड्राई हो गये हैं और वहां पेयजल की समस्या.... (व्यवधान) बताना अपना फर्ज समझते हैं, अच्छे काम को, अच्छा काम होता है उसका स्वागत करते हैं। माननीय सभापतिजी, इस कारण से पेपर्स के अन्दर और विभाग द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि हमने पेयजल योजना के अन्तर्गत वहां के निवासियों को जल उपलब्ध करवाया है लेकिन आज उन गांवों की जो स्थिति पेयजल की है वह यथावत बनी हुई है। हमारे बहुत सारे, जहां भी हम गांवों में जाते हैं, और भी राजस्व अभियान के अन्तर्गत हम गये तो प्राय: शिकायत आम तौर पर मिलती है कि जितने हैण्ड पम्प लगाये हैं वह या तो सूख गये हैं या उनका जल स्तर नीचे चला गया और काफी बड़ी संख्या में हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं। हैण्ड पम्पों का जो संधारण और उनको दुरुस्त करने का कार्य है वह, मैं सोचता हूं बहुत संतोषजनक नहीं चल रहा है। हमने इस काम को दो विभागों के अन्दर बांट रखा है- माइनर रिपेयर्स पंचायत समितियों के मारफत करवाते हैं और मेजर रिपेयर्स पी. एच. ई. डी. के अभियान के द्वारा किया जाता है। मैं सोचता हूं कि यह व्यवस्था इस प्रकार की है जिसके कारण अनेकों कठिनाइयां क्षेत्र के अन्दर पैदा हो गयी हैं। पंचायत समिति के अन्दर जाते हैं तो वहां पर पी. एच. ई. डी. के पास भेजा जाता है और आज गांव के आदमी इन दोनों डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटते-काटते परेशान हो गये हैं। मेरा राज्य सरकार और हमारे

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

पेयजल मन्त्री हैं उनसे निवेदन करना है कि इस विभाग का सारा काम चाहे माइनर रिपेयर्स का हो चाहे मेजर रिपेयर्स का हो, चाहे हैण्ड पम्प लगाने का हो वह एक ही विभाग का हो तो चाहे पंचायतों को आप दे दें, चाहे पी. एच. ई. डी. को दे दें। नहीं तो इससे बहुत सारी कठिनाइयां और परेशानियां गांव के लोगों को आती है, उनसे मुक्ति मिले।

दूसरा, सभापति महोदय, अबडेण्ड हैण्ड पम्प हैं उनके बारे में सरकार की घोषित नीति यह है कि उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि उन अबडेण्ड हैण्ड पम्प के स्थान पर आज तक भी कोई प्रगति विभाग के द्वारा नहीं की गयी है और उन हैण्ड पम्प के नहीं लगाने से उस क्षेत्र के अन्दर बहुत सारी समस्या बनी हुयी हैं। जहां हैण्ड पम्प बोर कर दिया है वहां उनका संधारण नहीं किये जाने से काफी शिकायतें उस क्षेत्र के अन्दर आती है, रख-रखाव ठीक नहीं होता है, मेन्टीमेन्स ठीक नहीं हो पाता है और जो समय पर हैण्ड पम्प ठीक होने चाहिये वह नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार की अनेकों शिकायतें हैं।

आज रिग्स मशीन, जिनसे हैण्ड पम्प खोदे जाते हैं, माननीय सभापति महोदय, पर्याप्त मात्रा के अन्दर, मेरे जिले के लिये कह सकता हूं बिलकुल अपर्याप्त मात्रा के अन्दर यह मशीनें हैं विभाग को जो काम स्वीकृत किया गया है उन कामों को वह अभी तक नहीं कर पाया है। वर्ष 1986, 1987, 1988, 1989 इन 3-4 सालों का आप लेखा-जोखा देखें तो आप यह पायेंगे कि काफी बड़ी संख्या में इस तरह के गांव हैं उन गांवों को आज पेयजल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना चाहिये था उनको लाभान्वित नहीं किया जा सका है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रिग्स मशीन अगर हमारे जिले में जहां पर्याप्त जल साधन उपलब्ध है, काफी ज्यादा बरसात होती है। आज वहां की स्थिति यह हो गयी है कि जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर हैण्ड पम्प ड्राई हो गये हैं तो विभाग चाहे भू-जल विभाग के माध्यम से, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. से, पी. एच. ई. डी. से करायें, नल-कूप के माध्यम से गांव के अन्दर पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रयास किये गये तो स्थायी रूप से हमारे जिले के अन्दर इस समस्या का निदान हो पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कुछ गांव इस प्रकार के हैं जहां हैण्ड पम्प के माध्यम से या किसी दूसरे स्रोतों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया गया है, इससे ग्राम पचायत मुख्यालय और गांवों में काफी जटिल समस्या पेयजल के बारे में बनी हुयी है। ग्राम पंचायत कनवाड़ा, ग्राम पंचायत मुख्यालय समराई, ग्राम पंचायत मुख्यालय पीपलोद और ऐसे अनेकों दूसरे गांव, ग्राम पंचायत आरा के अन्दर है। पंचायत समिति बकानी में इस प्रकार के गांव हैं जो मध्य-प्रदेश से लाकर पानी पीते हैं और मीलों दूर से आज भी उन्हें पानी लाना पड़ता है। इस प्रकार के गांवों के अन्दर चाहे रीजनल पाइप लाइन स्कीम के माध्यम से या पी. एच. ई. डी. की दूसरी योजनाओं के

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाय यह राज्य सरकार से इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं।

सभापति महोदय, हमारा झालरापाटन नगर प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापार के सम्बन्ध में प्रमुख केन्द्र है। उस नगर के अन्दर कई सालों से.. (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 5 और 10, 15 मिनट हो चुके हैं! फिर हम भी बोलेंगे....(व्यवधान)

(4.00 म. प.)

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : अगर ये व्यवधान नहीं डालें तो मुझ पर कृपा होगी। माननीय सभापति जी, उस नगर झालरापाटन के अन्दर 30 साल पुरानी वहां जो जर्जर टंकी बनी हुयी है, निरन्तर पानी का रिसाव होता रहता है और गन्दा पानी लोगों को पीने को मिलता है। मेरी राज्य सरकार से यह मांग है, यह निवेदन है कि इस नगर के अन्दर एक नयी टंकी बनायी जाय और उसके आधार पर पेयजल उपलब्ध कराया जाय। माननीय सभापति महोदय, बकानी पंचायत समिति मुख्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर है। वहां पर 25–30 साल पूर्व पेयजल योजना स्वीकृत की गयी थी लेकिन जो टंकी और पाइप लाइन वहां बिछी हुई है वह काफी जर्जर अवस्था में है, टंकी अपर्याप्त है और वहां पर रात दिन पेयजल को लेकर झगड़े होते रहते हैं। पी. एच. ई. डी. के कार्यालय पर भी इसी तरह की घटना घट चुकी है। मेरा यह निवेदन है कि बकानी, जो पंचायत समिति मुख्यालय है, और मेरे क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा है, वहां पर नयी टंकी बनाने की स्वीकृति दी जाय और जो पाइप लाइन जर्जर अवस्था में बिछी हुई है उसको नयी पाइप लाइन के द्वारा रिप्लेस किया जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : एक मिनट। माननीय सभापति महोदय अभी कुछ समय पूर्व मुख्य मन्त्री जी हमारे जिले के अन्दर पधारे थे और काफी व्यापक दौरा मुख्य मन्त्री जी ने हमारे जिले का किया। वहां की जो मूलभूत समस्यायें हैं उन समस्याओं को मुख्य मन्त्री जी ने आकलन किया और समझा है। माननीय सभापति जी, मुझे यह कहते हुए दुःख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक जे. ईएन. कार्यालय, बकानी के अन्दर कार्यरत था पी. एच. ई. डिपार्टमेंट का, जहां का मैंने आपको निवेदन किया कि पेयजल समस्या काफी गम्भीर है। इसके बावजूद सहायक अभियन्ता कार्यालय झालावाड़ को और जे. ईएन. बकानी के कार्यालय को मुख्य मन्त्री जी के झालावाड़ जिले के दौरे के तुरन्त बाद, विभाग के अधिकारियों ने बन्द कर दिया। उसका स्थानान्तरण मनोहरथाना और अकलेरा कर दिया है। मेरे क्षेत्र के जो बकानी और झालावाड़ के लोग हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनका यह कहना है कि क्या मुख्य मन्त्रीजी झालावाड़ जिले से जाने के बाद यह तोहफा हमें देकर गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि जो भीषण पेयजल की समस्या इस क्षेत्र के अन्दर है और जहां अधिक ध्यान दिये जाने

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

की आवश्यकता है, रात दिन जहां पर समस्यायें रहती हैं और अनेक आन्दोलन छिड़ते हैं, ऐसे स्थान से मुख्य मन्त्री जी के विजिट के बाद अगर कोई कार्यालय हटाये जाते हैं तो मैं इसके लिए दुःख व्यक्त कर सकता हूं और इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों की और विभाग के अधिकारियों की मैं निन्दा करता हूं।

माननीय सभापति जी, मैं यही कहते हुए कि जो समस्यायें मैंने मेरे जिले के सम्बन्ध में बतायी हैं उन समस्याओं पर राजस्थान सरकार, पेयजल विभाग, ध्यान देगा और निष्क्रिय कर्मचारी इस विभाग के वहां कार्यरत हैं उनके विरूद्ध उचित समय पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसी आशा के साथ आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, जन स्वास्थ्य की 280 करोड़ से ऊपर की मांग ले करके जन स्वास्थ्य मन्त्री जी आप सदन के सम्मुख आये हैं। (व्यवधान) आप बात को नान सीरियस करते हो। क्या कर लेंगे शीशराम जी यहां आकर ? मैं निवेदन कर रही हूं सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप सुना ही नहीं करें। यह बोलें तब आप सुना ही नहीं करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, विभाग ने जो प्रगति विवरणिका दी है उसके पहले पेज के ऊपर विभाग ने लिखा है कि पानी की एक एक बून्द यहां अमृत तुल्य है। प्रदेश के जल स्रोत, देश के कुल जल स्रोतों के एक प्रतिशत से भी कम है। यह पानी की एक एक बून्द यहां अमृत तुल्य है।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, हमने आपको पूर्व में निवेदन किया था कि गृह मन्त्री को स्टेटमेंट देना है बीकानेर के सम्बन्ध में।

श्री सभापति : मैंने संदेश दे दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं तो, उनको बुलाइये। वे क्या कर रहे हैं ? न तो वे यहां पी. एच. ई. डी. की डिमाण्ड में बहस में भाग ले रहे हैं न....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे उसी की तैयारी कर रहे हैं। वहां बैठे हुए हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उनको आप बुलाइये।

श्री सभापति : मैंने बुलवाया है। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, आसन की भी व्यवस्था है चार बजे की (व्यवधान) लेट क्यों कर रहे हैं आप ?

श्री सभापति : मैंने कहा न, बुलवाया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आदेश दीजिए उनको। (व्यवधान)

श्री सभापति हां, मैं अभी बुलवाता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : 12 बजे से आपका आश्वासन मिल रहा है। वे आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बाद में आपने दो बजे का कहा, तीन बजे का कहा, चार बज गये।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो वहीं बैठे हुए थे अभी वार्ता में।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, आप होम मिनिस्टर को बुलवाइये और बीकानेर के सम्बन्धित जो घटना हुई है और वहां पर जाकर देख के आये हैं, तीन-तीन केबिनेट मिनिस्टर्स गये हैं।

श्री सभापति : बुलवाता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : आखिर सदन में बतायें तो सही।

श्री सभापति : हां, मैंने सन्देश भिजवा दिया है, बुलवा रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं तो, क्या सलाह कर रहे हैं अब ?

श्री सभापति : नहीं, मैं कह रहा हूं। सन्देश भेजने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूं, सन्देश ही तो भेज सकता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं अपनी बात समाप्त कर दूं।

श्री सभापति : बुलवा रहा हूं मैं। बैठिये बैठिये। (व्यवधान)

श्री श्रोपत सिंह : हमने चार बजे का टाईम दे दिया। दो बजे बोले आधा घण्टा ठहर जाओ, हमने कहा आधा घण्टा नहीं ठहर जायेंगे हम आपको चार बजे का टाइम देते हैं और अभी आखिरकार कहना क्या चाहते हैं ? वे देखकर आये हैं, तीनों मिनिस्टर गये हैं, उन्होंने कोई बातचीत की होगी। +++ वे कि उनमें से हम देख के छांट के ठीक करें। आदमी हैं वे, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। राजस्थान के मिनिस्टर हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं। किस कन्क्लूजन पर पहुंचे। क्या देखा उन्होंने। यही तो बताना है। कौन कसूर-वार है ? हमारे आफिसर्स का क्या रोल रहा ? लोगों को किस तरह से मारा। सीधी सी बात है कि कोई कान्सप्रेसी कर रहे हैं क्या ?

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं आपसे मैंने बुलवा लिया है। श्रीमती सुमित्रा सिंह प्लीज कन्टीन्यू।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पानी की एक एक बून्द राजस्थान में अमृत तुल्य है इसमें मुझे मारवाड़ी का एक दोहा याद आ गया :—

घी ढुले तो म्हारो कुछ नी जाय,
पानी ढुले तो म्हारो जी बल जाय।

यह कहावत है बाड़मेर की और जैसलमेर की जहां पर घी से अधिक महत्व पानी का है और पानी कितना कम है। अमृत जैसा तो पानी है ही है लेकिन पानी कितना कम है इस प्रदेश के अन्दर, जो प्रदेश 10 प्रतिशत भू-भाग इस देश का रखता है और पानी के कुल स्रोतों का एक प्रतिशत से भी कम रखता हो वहां कितनी स्केअरसिटी है

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पानी के इस दोहे से बहुत साफ होगा :—

खड़्यो न दीखे पारदी,
लग्यो न दीखे तीर।
मैं तने पूछूं हे सखी,
किस विध तज्यो शरीर ।।

एक सखी ने दूसरी सखी से पूछा कि शिकारी भी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर के बाण भी लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिर आखिर ये कैसे मर गये दोनों के दोनों ? हिरणी और हिरण दोनों मरे पड़े हैं, तो पूछा क्या वजह है मरने की ? तो। पास में थोड़ा सा पानी था तो सखी ने वापस जवाब दे दिया उसको :

नेह घणो जल थोड़ो,
तू पी तू पी कहवतां,
दोनों तज्यो शरीर।

पानी बहुत कम था।

श्री सभापति : बहुत अच्छी बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रेम बहुत ज्यादा था हिरण और हिरणी में आपस में इसलिए कोई नहीं पी सका। दोनों एक-दूसरे को कहते रहे तू पी, और तू पी, तू पी कहते-कहते दोनों ने अपने शरीर तज दिये।

श्री सभापति : बहुत अच्छी बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि एक तरफ तो प्रदेश में पानी की यह हालत है और दूसरी तरफ यह सरकार आठ सौ करोड़ से अधिक रुपया अब तक खर्च कर चुकी है। 621 करोड़ ग्रामीण एवं तीस सौ से अधिक करोड़ रुपया शहरी पेयजल योजना में। लेकिन भारत सरकार से जो पैसा आता है वह यह सरकार लैप्स करा देती है. यह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। रामगढ़ झील के विकास के लिए 50 लाख रुपया लैप्स, जो 87-88 में मंजूर हुए थे और यह राजस्थान की हुकूमत इन पचास लाख रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर पाई। रामगढ़ बांध पर ठीक इस्तेमाल नहीं पाई। और पचास लाख रुपया लैप्स कर दिया। पानी की व्यवस्था के बारे में कितनी चिंता है, कितनी जागरूकता है, यह इसका एक उदाहरण है। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि आज जैसा कि इस प्रगति-विवरणिका में बताया गया है कि 32530 समस्याग्रस्त गांव हैं उनमें से मार्च, 89 तक 30930 गांवों की पेयजल समस्या का समाधान कर दिया गया है। पेयजल समस्या का समाधान वहां भी हो गया जहां केवल टंकियां बन गई हैं, पानी उसमें पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो। यह बात मैं नहीं, 200 के 200 जितने विधान सभा के सदस्य हैं, सब इस बात को कहेंगे कि गांवों के अन्दर पानी की टंकियां आज दिन तक सूखी पड़ी हैं। आज से नौ वर्ष पूर्व जनता पार्टी के राज में वर्ल्ड बैंक की मदद से, जो टी. एस. एस. बनी थी जिसके बारे में डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि टी. एस. एस. क्या बला है ? यह ट्रेडीशनल सोर्स स्कीम है जो वर्ल्ड बैंक की मदद से जनता पार्टी के राज में पंचायतों के जरिये बनाई गई है। बदकिस्मती है, यह सरकार हर जगह दोहरा मानदण्ड रखती है। टी. एस. एस. जो है उसका पैसा गांव वालों —

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

को चुकाना पड़ता है और जो विभागीय स्कीम है उसका पैसा सरकार चुकाती है। गांवों के अन्दर भी दोहरी व्यवस्था है। शहरों में पी. एस. पी. से पानी लेने से कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। पहले गांव वाले मटका भर कर, घड़ा भर कर, अपनी चरी भरकर ले आये और आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा लेकिन गांवों में जहां टी. एस. एस. है वहां आपको पैसा देना पड़ता है। जहां विभागीय स्कीम है वहां आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। रीजनल स्कीम की तो यह हालत है, रीजनल स्कीम बना दी, पता नहीं किस दिमाग की उपज ने बना दी। जहां कहीं रीजनल स्कीम है। पहले गांव का पानी आखिरी गांव पहुंचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता बल्कि दूसरे गांव भी नहीं पहुंचता है। क्योंकि जी. आई. पाइप तो लगे हुए हैं नहीं, पाइप लगे हुए हैं प्लास्टिक के। गांवों में खेत में काम करने वाले आदमी हैं, बकरियां लेकर चराने जा रहे हैं, भेड़ें लेकर चराने जा रहे हैं, उसको मालूम है पाइप लाइन यहां है। खट उसे काटा, पानी निकाला, पानी पिलाया और आगे गांव का पानी बन्द। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बजाय इन रीजनल स्कीम्स के अगर गांवों में आप कुओं के ऊपर पम्पिंग सैट देकर वहां टंकियां बनाकर पानी की व्यवस्था करें तो वह ज्यादा उपयुक्त ज्यादा अच्छा और गांव वालों के लिए ज्यादा सुविधाजनक और कहना चाहिए श्योर होगी। इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिये।

मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय सभापति महोदय, कि आज जगह-जगह पर पम्पिंग सैट पड़े हुए हैं। पंचायत के चुनाव हुए थे। पंचायतों के चुनावों में वोट लेने के लिए गांव-गांव में पम्पिंग सेट डाल दिये। सब जगह करीब-करीब टंकियां भी बनी हुई हैं और कई गांव मैं ऐसे भी जानती हूं जहां पर पाइप लाइन भी बिछी हुई है लेकिन डिपार्टमेंट की शिथिलता की वजह से समझें, डिपार्टमेंट की जागरूकता नहीं होने की वजह से पम्पिंग सैट वहां पर पड़े हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, चाहे बिजली विभाग की वजह से कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं चाहे 15-15 और 20-20 फीट पाइप की कमी की वजह से कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन पम्पिंग सैट होते हुए गांव वाले आज ऐसी गर्मी के मौसम के अन्दर पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सरकार के पैसे भी खर्च हो गये और गांव वालों के लिए उसका कोई उपयोग भी नहीं है। इसलिए माननीय पेयजल स्वास्थ्य राज्य मन्त्री, आप तो जिसे कहना चाहिए संवेदनशील व्यक्ति हैं. एक ग्रामीण इलाके को रिप्रजेन्ट करते हैं, आप गांव वालों की परेशानियों को और पेयजल की किल्लत को जानते हैं। वैसे रामगढ़ का बांध है आपके यहां पर और आपके यहां पर पानी की इतनी कमी नहीं है। हमारे यहां तो कुओं का जल स्तर भी सूख गया। जल स्तर सूखने के कई कारण हैं। वर्षा की कमी तो एक कारण है ही लेकिन एक बड़ा कारण जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है वह खेतड़ी का कोपर प्रोजेक्ट है जो हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है। खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट के लिए जो भारत सरकार से राज्य सरकार का एग्रीमेंट हुआ था, उस समय यह बात हुई थी कि 300 फीट नीचे से पानी हम लेंगे। लेकिन उन्होंने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया और वह ऊपर से पानी ले रहे हैं और ऊपर से पानी लेने का नतीजा यह हुआ कि सारे कुओं का, हमारा पानी सूखकर वह 25 फीट, 39 फीट, 40 फीट नीचे चला गया और इसलिए चिड़ावा को डार्क जोन कर दिया गया और उदयपुरवाटी को डार्क जोन कर दिया गया तो एक तरफ डार्क जोन होने की वजह से बैंकों से मिलने वाली सुविधाओं से हम वञ्चित हो गये और दूसरी तरफ हमारा पानी का जल स्तर नीचे होने की वजह से पेयजल की गम्भीर समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारत को क्यों नहीं एग्रीमेंट का पालन करने के लिए राज्य सरकार उन पर दबाव डालती है। इसलिए जनस्वास्थ्य मन्त्री जी, झुन्झुनूं जिले की यह भी एक समस्या है जिसकी तरफ आप ध्यान दें और उन पर दबाव डालें कि एग्रीमेंट के मुताबिक वह तीन सौ फीट नीचे का पानी लें, ऊपर का पानी नहीं लें। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इस वर्ष जो 37.8 करोड़ का जो प्रावधान है वह तो ग्रामीण इलाके के लिए और 29.8 करोड़ शहरी जल प्रदाय योजना के लिए। मेरे एक बात समझ में नहीं आयी कि जन स्वास्थ्य मन्त्री जी ने 280 करोड़ की मांग यहां रखी है और बाकी खर्चा जो संधारण, एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब पर जायेगा। पेयजल के लिए तो केवल 57.8 करोड़ है 280 करोड़ में से। मैंने पहले भी सामुदायिक विकास की मांग थी जब भी कहा था फिर कह रही हूं। उस दिन तो मुझे शिक्षा मन्त्रीजी ने यह कह कर बन्द किया कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड में हमने कुछ समस्याओं का समाधान किया, उसमें तो केवल दस लाख का प्रावधान आपने किया है और गांवों के अन्दर जहां स्कूल हैं जो गांवों से दूर हैं, जहां पानी नहीं है, छोटे बच्चे हैं वहां पानी की जरूरत होती है चाहे हैण्ड पम्प लगाइये स्कूल की प्रिमिसेज में और चाहे पाइप लाइन के जरिये पानी पहुंचाइये लेकिन जहां स्कूल के अन्दर पानी का इन्तजाम होना निहायत जरूरी है। इसलिए दस लाख तो आपरेशन ब्लैक बोर्ड से काम नहीं चलेगा। इस राशि को थोड़ा बढ़ाइये।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि झुन्झुनूं जिले में पशुओं के पीने के पानी के बारे में यह जो प्रगति विवरणिका दी गई है, इसमें जो-जो डेजर्ट के इलाके हैं, उन डेजर्ट इलाकों के अन्दर मनुष्यों के साथ-साथ पशुओं की संख्या को भी गिन करके और जो पेयजल योजना बनाई जायेगी उसमें उनको इन्क्लूड किया गया है और उसके लिए अलग-अलग जिले के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान किया गया है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि झुन्झुनूं के लिए जो प्रावधान हुआ है यह बहुत कम है और जोधपुर के लिए 55 लाख रुपये का जैसलमेर के लिए 1 करोड़ 55 लाख का, नागौर के लिए 1.15 करोड़ का, जालौर के लिए 35 लाख का, पाली के लिए 25 लाख का बाड़मेर के लिए 1.34 करोड़ का और झुन्झुनूं, बदनसीब झुन्झुनूं के लिए केवल 8 लाख का। बीकानेर के लिए 90 लाख का, चूरू के लिए 1 करोड़ 6 लाख का। क्या समझ लिया आपने हमको?

एक माननीय सदस्य : सीकर के लिए?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सीकर के लिए

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

तो इसमें आया ही नहीं, केवल 9 जिले का आया है। सीकर के लिए पशुधन के लिए नहीं आया। लेकिन मैं इस बात के लिए आपको निवेदन करना चाहूंगी कि आपने हमें ऐसा लावारिश क्यों समझ लिया, वहां पर क्या पशु नहीं हैं, क्या वहां पशु अच्छी नस्ल के नहीं हैं और क्या वहां पर पशुओं की संख्या नहीं है, आपने कैसे समझ लिया। लोगों को करोड़ों रुपया आपने पशुधन के लिए दिया है। हमारे समीप वाले चूरू को आपने 1 करोड़ 6 लाख रुपया दिया है और हमें केवल 8 लाख रुपया।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको इन्सान समझा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए, मापदण्ड तो होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूं यह भी डेजर्ट इलाका है यहां भी पशुधन बहुत अच्छा है। इस पैसे को 8 लाख की बजाय 80 लाख करना चाहिए। (व्यवधान) तो मैं यह निवेदन करना चाह रही थी.... (व्यवधान) मन्त्री दे दिया यही तो भाग्य फूट गये हमारे, और मैं निवेदन करना चाह रही हूं....तभी तो भाग्य फूट गये कि वह मन्त्री ऐसा है जो कि पढ़ता नहीं, वह मन्त्री ऐसा है कि जो इन प्रोविजन को देखता नहीं तभी तो भाग फूट गये जिले के। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि गांवों के अन्दर टंकियां छोटी हैं बिजली बहुत कम समय मिलती है एक बार टंकी भर जाती है फिर उसके बाद वह खत्म हो जाती है फिर बिजली तो छः घण्टे में मिलती है फिर नैक्स्ट डे जो पहले पानी ले जाये वह ले जाये, उसके बाद किसी को पानी मिलता नहीं है। इसलिए या तो इन टंकियों को आप गांवों में बड़ा बनाइये या दूसरी और बना दें साथ में या इनको बड़ा बना दें, या इन टंकियों को आप सीधा ट्रान्सफार्मर से जोड़ करके और ऐसी व्यवस्था करें कि इन्हें चाहे जब चलाया जा सके। तब तो आप पानी दे पाओगे वरना इन छोटी-छोटी टंकियों के जरिये बड़े गांवों के अन्दर आप बिल्कुल पानी देने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिए मेरी इस बात को भी आप नोट करो और उसका जवाब दीजियेगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांव हैं। जहां रीजनल स्कीम्स हैं वहां रीजनल स्कीम्स में पानी नहीं पहुंचता, कुछ गांव ऐसे हैं जिनको पिलानी शहर से जोड़ रखा है, पिलानी शहर से जिन गांवों को जोड़ रखा है, पानी उन गांवों में नहीं पहुंचता। रीजनल स्कीम बनाकर के जहां दूसरा गांव है 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर है वहां पानी नहीं पहुंचता बीच में चाहे जहां से जो चाहे काट कर पानी ले लेता है और आगे का पानी बन्द हो जाता है। इसलिए यह रीजनल स्कीम्स आपकी टोटली फेल हुई है। इसलिए आप गांव गांव में यह व्यवस्था करिये और इसी सन्दर्भ में कई गांव हैं जैसे सूजडोला है, बिशनपुरा है, केरपुरा है, पुरोहितों का बास है, पाखडिया है, काजी है, काजी का बास है, वहां पर आपकी टंकियां खाली पड़ी हैं पानी नहीं पहुंचता है। विभाग ने 130 रिग होना स्वीकार किया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह 130 रिग वहां काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं क्योंकि प्रगति तो आपकी बहुत धीमी है, कुओं के अन्दर जहां

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जल स्तर सूख गया है वहां भी रिग्ज की आवश्यकता है। नये कुएं बनाने के लिए, पाताल तोड़ कुएं बनाने के लिए भी रिग्ज की आवश्यकता है। तो कहां यह रिग्ज काम कर रही हैं कुछ समझ में नहीं आया है। इसके बंटवारे का क्या तरीका है। आपने हर जिलों में बांट रखी हैं। या स्पेशल जिले आप ईयरवाइज लेते हो, इसलिए कुछ इस तरह भी आप ध्यान दो और इसकी व्यवस्था को भी थोड़ा ठीक करें।

एक निवेदन मैं यह करना चाहती हूं कि मुख्य मन्त्री जी को कुछ घोषणायें करने का बड़ा शौक है और वह घोषणा मुख्य मन्त्री हैं घोषणायें करते हैं ढपोलसंख की तरह से, वह घोषणायें पूरी हों चाहे पूरी न हों। और मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि एक बार पहले घोषणा की 23-5-1989 को, 15 जून तक ढाई हजार हैण्ड पम्प लगेंगे। सैक्रेटेरिएट में बैठ कर एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि 15 जून तक ढाई हजार हैण्ड पम्प लगायेंगे। थोड़े दिनों बाद ही, बाकायदा फोटो भी खिचवाई है अखबार में आई है, गिरिजा व्यास भी खड़ी हैं मुख्य मन्त्री भी खड़े हैं कल्ला जी भी खड़े हैं और उपाध्यक्ष किशन मोटवानी भी खड़े हैं....

एक माननीय सदस्य : आप कहां थीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा वहां क्या काम था। यहां तो ढाई हजार की घोषणा की, अजमेर में जाकर और जोश आ गया, और वहां कह दिया एक माह में प्रदेश में 3 हजार हैण्ड पम्प लगेंगे। ढाई से खट ही 3 हो गया और मेरी समझ में वह तीन सौ भी नहीं लगे। मैं जहां तक सोचती हूं, क्योंकि अभी जयपुर वाले कह रहे थे, इनकी सूचना के आधार पर मैं कह रही हूं। फोटो मुख्य मन्त्री की है, गिरिजा व्यास की है, उपाध्यक्ष किशन मोटवानी की है, बी. डी. कल्ला की है, सबने माला पहिन-पहिन कर फोटो खिचा रखी है और घोषणा कर रखी है कि तीन हजार हैण्ड पम्प लगेंगे और उससे पहले जैसा मैंने बताया कि 22 मई को घोषणा की ढाई हजार की, और 3 जून को वहां जाकर उन्होंने घोषणा कर दी तीन हजार की तो घोषणायें करने का शौक है और जिम्मेदारी विभाग की होती है...

(4.25 म. प)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

मुख्य मन्त्री जब घोषणा करता है तो जिम्मेदारी विभाग की होती है। यह विभाग उसको सीरियसली लेकर उसको पालन करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुख्य मन्त्री को घोषणायें करने का बेहद शौक है। घोषणायें उनकी पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं यह वह देखने की तकलीफ नहीं करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करते हुए कि पेयजल की जो व्यवस्था है और पेयजल के बारे में जो कुछ कटमोशन्स यहां पर रखे गये हैं, 42 साल की आजादी के बाद में आज कल्याणकारी राज्य होने की घोषणा तो कांग्रेस हुकूमत करती है लेकिन यह जो पेयजल की बुनियादी आवश्यकता है इस समस्या का समाधान करने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में भी यह सरकार कतई तौर से असफल रही है और यह बात मैं कह सकती हूं आज भी दो हजार से अधिक गांव समस्या ग्रस्त गांव हैं जहां पर आपकी पेयजल की व्यवस्था अभी अधूरी है और जहां पर आपने नाम मात्र की पेयजल व्यवस्था कर दी है....

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा जी बहुत टाइम हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कन्क्लूड कर रही हूं साहब। जहां पेयजल की व्यवस्था आपने किताबों में कर दी है वहां भी हकीकत जाकर देखिये गांवों में जाकर देखिये पानी की टंकियां सूखी मिलेंगी, गांव वाले त्राहि-त्राहि करते मिलेंगे इसलिए मेहरबानी करके केवल इन प्रगति विवरणिकाओं के जरिये हमें बहलाने की कोशिश न करें बल्कि यह जो मूलभूत आवश्यकता है जिस पानी को आपने अमृत तुल्य कहा है, मनुष्य के जिन्दा रहने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता को भी यदि आप पूरी नहीं करा सके तो समाजवाद की ओर बढ़ने, और समाजवाद की दिशा की ओर और इस प्रान्त की प्रगति की तो आप बात ही क्यों करते हो। इसलिए इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर के बारे में 6 30 बजे स्टेटमेंट होगा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर को आकर स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा हम हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इतना सीरियस मैटर है और उसको बार-बार आप टाल रहे हैं....

श्री शोपत सिंह : बहुत गम्भीर मामला है, हमको सुनना पड़ेगा आपको। हम अपनी बात कहेंगे....

श्री माणक डाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पहले पुकारा गया था। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर में यह गृह मन्त्री स्वयं और अन्य केबिनेट मिनिस्टर आंखों से सारी घटना के बारे में मौका देख कर आये हैं जो घायल हैं रेलवे अस्पताल के अन्दर, पी. बी. एम. अस्पताल के अन्दर, उन सारे घायलों से मिलकर आये है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री देवीसिंह भाटी : सारी स्थिति का अवलोकन करके आये हैं, दिक्कत कहां है ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये तो सही। मैं यह निवेदन करूंगा....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, सुबह आसन ने व्यवस्था दी दो बजे की, फिर आसन ने चार बजे का कहा..

श्री अध्यक्ष : आ ही रहा है....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : फिर 6 बजे का, यह इस तरह ड्रामा क्यों कर रहे हैं। हमें एतराज है इस बात का। बार-बार आप परेड करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये तो सही। मैं यह निवेदन करता हूं कि आज हाउस

(168)

(श्री अध्यक्ष)

चलेगा ही आज डिमाण्ड पास होनी है, यह तो है नहीं सरकार यहां से भाग जायेगी घण्टा डेढ़ घण्टा में। आगे वह और बात कर रहे हैं लेटेस्ट इन्फार्मेशन ले रहे हैं लेटेस्ट समाचार मिलें तो आपको क्या दिक्कत है....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष जी, इसकी नाजुकता की ओर देखिये, वहां क्या माहौल है आप उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं और समय टाल रहे हैं....

श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया : पहले दो बजे का कहा, फिर चार बजे का कहा अब 6 बजे के लिये टाल रहे हो....आपको हाउस को सही व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री शोपत सिंह : अस्पताल भरे पड़े हैं, लोग कराह रहे हैं, अगर आप इसकी गम्भीरता को लेते, यह हमारे मन्त्री हवाई जहाज से गये थे, हवाई जहाज से वापिस आये रात को मुख्य मन्त्री जी से बात करनी चाहिये थी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री शोपत सिंह : बात की गम्भीरता को बताना चाहिये था....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : दोनों समुदाय आमने सामने होने की स्थिति में हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले बैठिये....

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपसे निवेदन करूं कि इस तरह से टकराव की स्थिति हो सकती है....

श्री अध्यक्ष : आप मेरी सुनिये....मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर घंटा डेढ़ घंटा के डिफरेंस से आप क्या समझते हैं....(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : मैं यह निवेदन करूं........

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यह निवेदन करूं कि आपके आश्वासन पर 12 बजे से बैठे हैं....

श्री शोपत सिंह : कल वहां से आने के बाद में क्यों नहीं उन्होंने मुख्य मन्त्री से कान्टेक्ट किया ? कतई गम्भीरता से नहीं लिया। यह समझते क्या हैं। क्या नई चीज देने जा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर $1\frac{1}{2}$ घण्टा पहले वह स्टेटमेंट दे दें तो उनको क्या आपत्ति है....

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि पूरी इन्फार्मेशन, अभी बुलाया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो इन्फार्मेशन है वह दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जैसा देना था (व्यवधान) माननीय सदस्य....

श्री मानिकचन्द सुराना : अब पूरी इन्फार्मेशन क्या आनी बाकी है तीन मन्त्री वहां जाकर आ गये हैं जो भी बातचीत उनको दिन में करनी थी वह बातचीत हो चुकी....

श्री अध्यक्ष : और कुछ इन्फार्मेशन मिले....(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : क्या इन्फार्मेशन मिली ? इनको जो भी स्टेटमेंट देना है वह स्टेटमेंट दे दें। हमको उस पर जो कहना है वह कह देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर दूं.... (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : हम आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं। सारा का सारा तय हो गया। अब तो डिले करना चाहते हैं। आसन हमें प्रोटेक्ट करें। हम चाहेंगे कि स्टेटमेंट आज का आज दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं, वहां माननीय श्री देवीसिंह भाटी, माननीय श्री गोपालसिंह गये थे। उन्होंने भी कुछ बात की है। उनको भी कुछ समाचार मिले हैं। वे पुलिस को बुलाकर बात कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, आपको उन्होंने यह सूचना दी है कि वे पुलिस को बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं तो यह निराधार है ! राज्य सरकार ने आपको यह सूचना दी है तो निराधार है। इस पर विचार करने के लिये, विभिन्न दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भी गये थे उन्होंने सूचना दी है। (व्यवधान) आप तो खुद वकील हैं।....

श्री मानिकचन्द सुराना : इसमें वकील क्या करेगा। स्टेटमेंट दिला दीजिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है।....

श्री अध्यक्ष : कौन कहता है गम्भीर नहीं है। बैठिये। मैं पूछता हूं। माननीय गृह मन्त्रीजी क्या....अभी स्टेटमेंट देने को तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य : वे तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : कमाल है आपका। मुझसे जो कहा था, वो पूछ रहा हूं। आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला नहीं है आप लोगों का।

श्री अशोक गहलोत (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं, अभी जो स्टेटमेंट देने वाली बात है....

श्री अध्यक्ष : हाउस को चिन्ता है, अभी दे दीजिये।

शासकीय वक्तव्य

लालगढ़ स्टेशन (बीकानेर) पर हुई दुर्घटना

श्री अशोक गहलोत (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सुबह जब आपसे बातचीत हुई थी और सदन में विपक्ष के नेता के साथ में आपकी बातचीत का जिक्र किया कि जो भी आप फैसला करेंगे उसके अनुसार हम समय तय करके यहां पर स्टेटमेंट देंगे। सुबह से ही हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में चूंकि जैसा मैंने निवेदन किया जहां हमारे फौज के इन्वाल्वमेंट का मामला हो तो एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में, मैं इसको सदन के सामने रखना चाहता था। मैंने अपील की सदन के माननीय विपक्ष के नेता महोदय और अन्य साथियों से भी। जब मैंने पिछला स्टेटमेंट दिया उसके बाद में सदन की राय से एक फैसला हुआ। उसके अन्तर्गत मैं कल बीकानेर जाकर आया और उसके सम्बन्ध में मैं स्टेटमेंट देना चाहूंगा।

(22)

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4 जुलाई की रात को लालगढ़ जंक्शन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5.7.1989 को सदन में वक्तव्य दिया जा चुका है। वक्तव्य के पश्चात् सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे। सदन की भावना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि गृह मन्त्री स्वयं बीकानेर जाकर समस्त प्रकरण की जानकारी लेंगे। उसी घोषणा के अनुरूप मैं, स्वास्थ्य मन्त्री और इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री के साथ कल दिनांक 6 जुलाई को बीकानेर गया था। राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता इस हादसे में घायल हुए व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता दी जानी थी। इन सब घायलों से अस्पताल में मेरे सहयोगियों के साथ मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। एक घायल व्यक्ति की हालत चिन्ताजनक होने से उसे तुरन्त दिल्ली उपचार हेतु भेज दिया गया। जिले के चिकित्सा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि घायलों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा घायलों को निःशुल्क दवाइयां व चिकित्सा सुविधा दिये जाने के निर्देश दिये गये। इसी के साथ-साथ राज्य प्रशासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त चोटों की गम्भीरता को देखते हुए मुख्य मन्त्री सहायता कोष से पांच व्यक्तियों को पांच, पांच हजार रुपये, 16 व्यक्तियों को दो, दो हजार रुपये, 28 व्यक्तियों को एक, एक हजार रुपये तथा पांच व्यक्तियों को पांच, पांच सौ रुपये दिये जायेंगे।

हम लोग घटनास्थल पर गये। वहां पर जन प्रतिनिधियों से बात की तथा पुलिस, जिला प्रशासन, रेल अधिकारियों से बात की। यहां यह तथ्य सदन के सामने रखना उचित रहेगा कि जो दो एफ आई. आर. दिनांक 4 जुलाई की रात को दर्ज हुई थी उसके अलावा दिनांक 6 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे मिलिट्री के मेजर श्री बाल कृष्ण द्वारा भी एक एफ. आई. आर. नम्बर 32/89 के अन्तर्गत धारा 147, 148, 323 आई. पी. सी., धारा 120 में दर्ज कराई गई है। जहां तक घटना की बात है, हम सन्तुष्ट हैं कि जिला प्रशासन ने अपनी ओर से तत्परता से कार्य करने का पूरा प्रयास किया। रेल्वे स्टेशन जी. आर. पी. के अन्तर्गत आता है। लालगढ़ जी. आर. पी. आउट स्टेशन के जवान प्लेटफार्म पर तैनात थे। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि यदि जी. आर. पी. के जवान स्टेशन पर मौजूद नहीं होते तो वे इस झगड़े में नहीं लपेटे जाते। जी. आर. पी. चौकी पर तैनात फोर्स जब इस झगड़े को नियन्त्रित करने में सक्षम नहीं हुई तो उनमें से एक कान्स्टेबल अयूब खान ने तुरन्त जी. आर. पी. पुलिस स्टेशन एवं जिला पुलिस तथा रेलवे बोर्ड से सम्पर्क स्थापित किया। तब लगभग रात के 11.00 बजे थे और 11.20 बजे टास्क फोर्स, एडिशनल एस. पी, एस. एच. ओ. नयाशहर, एस. एच. ओ. कोटगेट एवं स्वयं पुलिस अधीक्षक स्टेशन पहुंच गये थे। घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई।

इस घटना के बारे में राज्य सरकार ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क

(श्री अशोक गहलोत)

स्थापित किया है। रक्षा सचिव द्वारा गृह आयुक्त को बता दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी बिठाने का निर्णय किया है जो इस घटना के सभी पहलुओं की जांच करेगी। अतः अब समस्त प्रकरण एक प्रकार से कोर्ट आफ इन्क्वायरी के अन्तर्गत आ गया है। अतः इस स्टेज पर गुण एवं दोषों पर विवेचना करना न्यायसंगत नहीं होगा। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों को दंड दिलाने में हर संभव आवश्यक कार्यवाही करेगी और मुझे आशा है कि कोर्ट आफ इन्क्वायरी बिठाई गई है उसके माध्यम से एक तरफ रेलवे के अधिकारी और दूसरी तरफ जो लोग इस घटना से सम्बन्धित हैं, वे लोग इस प्रकार से सहयोग करेंगे कि जिस जवान ने गलती की है उनको सजा मिल सके।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि गृहमंत्री जी ने स्वयं अपनी आंखों से घटना का अवलोकन किया है। बीमारों से, घायलों से जाकर बातचीत की है और जो लोग इस घटना के समय मौजूद थे उनसे बातचीत की है। गृहमंत्री ने अपने स्टेटमेन्ट में शुरुआत में हमें बांधने की यह कोशिश की है कि यह फौज से संबंधित संवेदनशील मामला है।

अध्यक्ष महोदय हमने पूर्व में परसों यह बात कही थी फौज का मामला है, जो देश की सुरक्षा का काम करे, किसी आपातकाल में वे नागरिक की मदद करेंगे। हम पूरी फौज को न तो दोषी मानते हैं और न फौज के ऊपर आरोप है। आप उस गहराई में क्यों नहीं जाते कि ऐसे अगर + + + वह पूरी फौज को बदनाम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो और उसके खिलाफ जो चर्चा हो उसको क्यों रोकना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कहा है, + + + निकाल देना।

श्री देवीसिंह भाटी : उसके अन्दर इनको आप क्या कहेंगे ? जिन्होंने हमारी मां-बहिन-बेटियों की इज्जत ली। मैं खुले आम कहता हूं, यह क्यों छिपाते हैं। वहां खुलेआम उतरते वक्त जी. आर. पी. के जो कांस्टेबल हैं, जो स्वयं वहां देखने वाले हैं, उन्होंने कल इनको बताया, हमें बताया कि वहां उतरते ही उन्होंने नारे लगाये, खालिस्तान जिन्दाबाद, बब्बर खालसा जिन्दाबाद। यह क्या है ? आप इस बात को यूं छुईमुई होकर नहीं रह सकते। अध्यक्ष महोदय, आखिर हमारी भी बहिन बेटियां हैं, हमारे भी आदमी, नागरिक हैं, किसके भरोसे बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीसिंहजी, मैं निवेदन करूंगा इसको किसी उसका नहीं, लेंगे। यह टर्न आप यहां नहीं देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : तो यह क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को दबाने की क्यों कर रहे हैं ?

श्री शोपत सिंह : इसका और उसका क्या है ?

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : शोपत सिंहजी, इसको ऐसा नहीं लेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह हमें भी पता है, हम भी इस बात को नहीं ले रहे कि उसके अन्दर हम सारी फौज की चर्चा करें। जब स्वयं इन्होंने स्टेटमेंट के शुरूआत में कहा कि इस बाबत तो आप चर्चा ही मत करो, यह बड़ा संवेदनशील मामला है।

श्री अध्यक्ष : फौज के लिये रेस्पेक्ट दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : रेस्पेक्ट हमने दिया है। पूरे देश के नागरिक देते हैं। पर ऐसे अगर तत्व होते हैं वह बदनाम करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती तब यह बीकानेर में तीसरी घटना हुई, अध्यक्ष महोदय। जिसके बारे में मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया कि वह जो गैंग रेप हुआ था खारा के अन्दर, साथ ही इन्हीं जवानों ने वहां जाकर उस औरत के साथ बलात्कार किया, उस वक्त उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई जो कार्यवाही होनी चाहिये थी और जो वहां डिफेण्ड किया उनके ऊपर इन्होंने, कार्यवाही करके विचार विमर्श करके आगे इसके ऊपर पाबन्दी लगाई होती, कोई सीरियस प्रयास नहीं हुआ तब वहां दूसरा मंजू कांड होता है। मैं कहता हूं बारबार आपको, इस फौज को इन्वाल्व मत करो। आप स्वय करते हो, इसके ऊपर पर्दा डाल दो, बात को वहीं समाप्त कर दो और आंख मूंद कर समस्या को टलने दें। इसलिये हम निवेदन कर रहे हैं कि हम फौज के बारे में नहीं कहना चाहते हैं लेकिन अगर ऐसे तत्व हैं उनके खिलाफ हम बात नहीं करें, चर्चा नहीं करें, कार्यवाही नहीं करें तो निश्चित तौर पर हमारी ऐसी जो डिसिप्लिन्ड फौज है वह बदनाम होती है।

श्री अध्यक्ष : कोर्ट आफ इन्क्वायरी किसलिये है ? (व्यवधान) माननीय, देवीसिंहजी बोल रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, इन्होंने दूसरा जो कहा कि जिला प्रशासन वहां मुस्तैद है और मुख्य मंत्री सहायता कोष से हम यह इनको मदद देने जा रहे हैं। यह स्वयं वहां देख कर आये हैं, उनसे पूछताछ करके आये हैं कि रेलवे वालों ने अपनी ओर से जो मदद देनी थी, चाहे वह रेलवे का कर्मचारी था या दूसरा सिविलियन था उसको तुरन्त वहां पर कल हजार हजार रुपये दिये, अलग से जो रेलवे महिला समिति थी उसने अपनी तरफ से 500-500 रुपये दिये। जिला प्रशासन से आज तक इस समय तक कोई भी मदद नहीं मिली है, सिर्फ घोषणा हुई है। कहां जिला प्रशासन की यह तारीफ करते हैं ? क्या उन्होंने मौके पर जाकर किसी पिटते हुए आदमी की मदद की है, बाद में किसी को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया हो ? सारी वहां रेलवे की एम्बूलेंस गई है, उनको ले ले जाकर रेलवे हॉस्पिटल में और पी. बी. एम. हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। यह स्वयं देख कर आये हैं, क्यों लीपापोती कर रहे हैं ?

दूसरा, फिर इन्होंने यह कहा कि जिला प्रशासन ने जो कार्यवाही की उससे हम सन्तुष्ट हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना कीजिये, सोचिये कि जिस वक्त यह हादसा

(श्री देवीसिंह भाटी)

होता है, दस बजे के. आसपास यह घटना होती है स्वयं जो वहां लालगढ़ स्टेशन के ऊपर स्टेशन मास्टर गुप्ता है, उन्होंने दस बजकर दस मिनट पर कलक्टर और एस. पी. को कण्ट्रोल द्वारा सूचना दे दी। वह आज कहने को तैयार है। मैं गलत हो सकता हूं, कोई और कारण होगा, मैं राजनीति करता हूं लेकिन जो भुगतभोगी है, जो दर्शक है, जिसने सूचना दी है, आखिर उससे पूछिये। आप किस बात को लेकर जिला प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं? जब घटना दस बजे के आसपास होती है उस वक्त झगड़ा होता है, उसके साथ ही सूचना आती है, जी. आर. पी. के थाने में और उसके साथ ही कण्ट्रोल रूम को सूचना हो जाती है। वहां से एक फौजी सिपाही सादूलसिंह निकल कर लालगढ़ रेलवे स्टेशन से करीबन चार किलोमीटर दूर आर्मी कैम्पस में पहुंचता है, उसे भी जाने में समय लगा है। अध्यक्ष महोदय, वहां से वह आर्मी कैम्पस में पहुंचा है। आर्मी कैम्पस में जाकर उसे जिससे भी बात करनी थी, उससे बात की है। वह चाहे उनके आफिसर्स से बात की, चाहे सिपाहियों से बात की है। बात की है, वह तैयार हुए हैं। ट्रक रिलीज कराने के लिये बात हुई है और आखिर परमिशन मिली है। ट्रकों में चढ़े हैं और चार किलोमीटर वापस लालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गये हैं। क्या इसमें समय नहीं लगता? इस दौरान भी जिला प्रशासन को कोई सूचना नहीं। जिला प्रशासन बड़ा मुस्तैद है, यह तो बात कर रहे हैं। जो घटना घटी है, वहां पर मौके पर लोगों से बातचीत की है। सबने यह कहा, हमने बात की उससे निष्कर्ष निकाला, एक घंटे तक बराबर जमकर उन्होंने पिटाई की है चाहे वह रेलवे का प्लेटफार्म था, चाहे वह रेलवे के कम्पार्टमेंट थे, चाहे वह रेलवे की कालोनी पांच सौ मीटर दूर थी, चाहे आधा किलोमीटर दूर रामपुरा बस्ती थी उसके अन्दर ले जाकर मारपीट की है, चाहे डेढ़ किलोमीटर दूर आर. सी. पी. की कालोनी थी। आर. सी. पी का क्लब था वहां और झुग्गियों में जाकर उन्होंने मारपीट की है। आखिर उसमें भी, अध्यक्ष महोदय, समय लगा है। यह मानते हैं, चलो यह कहते हैं, साहब, आधा घंटा लगा। आधा घंटा वह लगा, उस दौरान वह शार्दुलसिंह वहां जाता है उससे पहले इत्तला हो चुकी है। वहां जाकर वह सारे फौजियों को लाता है, ट्रकों में चढ़ कर सारे आते हैं, क्या इसमें समय नहीं लगा? फिर भी यह मानते हैं, जिला प्रशासन बड़ा संवेदनशील और बड़ा मुस्तैद है। इस दौरान, मैं आरोप लगाता हूं, इस तथ्य की ओर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमने कल लोगों से बात की, साहब, हमने जब कहा तो पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की हमने जाकर टेलिफोन किये, पर्सनली स्कूटर पर जाकर नया शहर थाने में, चार नम्बर सदर थाने में इत्तला की। इस बात पर यह कतई गौर नहीं कर रहे। मैं आप पर आरोप लगाता हूं, लोगों ने जब यह बात कहीं तो इन बातों को सुना नहीं। गृहमंत्री ने कहा, भाई, और किसी के चोट लगी क्या, नुकसान हुआ है, कोई फाटक टूटा है, कोई और है? यह सारी पूछताछ करते रहे लेकिन जहां पुलिस और जिला प्रशासन के मौके पर नहीं पहुंचने की शिकायत हुई है, इन्होंने कान ही नहीं दिये। अध्यक्ष महोदय, इस सारी घटना के

(124)

(श्री देवीसिंह भाटी)

अन्दर यह भी इनको जानकारी मिली है, वहां न किसी बच्चे को छोड़ा, न किसी बूढ़े को छोड़ा। वहां घरों के अन्दर हमने शोपतसिंहजी ने साथ में ले जाकर देखा, 80 साल की बुढ़िया है उसका कंधा तोड़ दिया। एक बच्ची है उसकी आंख फूटी हुई है, हास्पिटल के अन्दर उसका आपरेशन हुआ है।

(4.46 म. प)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ चाहे कोई बड़ा मिला है या बूढ़ा मिला है लेकिन यह कहते हैं कि बिल्कुल इस बाबत बात ही मत करो। यह जब चर्चा होगी, निश्चित तौर पर हम बात कहेंगे कि उन डिब्बों के अन्दर किसी भी एक सिख से उन्होंने मार-पीट नहीं की, किसी के चोट नहीं लगी। क्यों नहीं बात करेंगे हम। आप उसकी गहराई में क्यों नहीं जाते? आप तो कहते है कि बस इस बाबत बात मत करो, फौज के बाबत बात मत करो। जो तथ्य हैं उसके ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उन्होंने सरेआम वहां पर टाल टाल कर जो गैर सिख थे उनको पीटा। यह सारी बातें होती रही लेकिन जिला प्रशासन को कोई सूचना नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन की मुस्तैदी मैं बताता हूं। कल शाम का 6 बजे तक जो घायल रेलवे हास्पिटल में पड़े हैं, जो पीड़ित वहां पड़े हैं पी. बी. एम. हास्पिटल में, एक भी व्यक्ति से न तो जाकर बयान लिया, न कोई पुलिस वाला, थाने वाला गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। समय बढ़ाइये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से आज की मांग पारित किये जाने तक बढ़ा दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय है कि मांग पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

समय बढ़ा दिया गया। माननीय देवीसिंह जी।

शासकीय वक्तव्य

लालगढ़ स्टेशन (बीकानेर) पर हुई घटना

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कल शाम को 6 बजे तक कोई भी पुलिस का कर्मचारी जिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज हुई है, उसके मुतल्लिक किसी घायल से यह पूछने नहीं गया कि तुम्हारे कितनी चोट लगी है, तुम्हारी जेब से कितना रुपया पार हुआ है? कितनों की घड़ियां गायब हुई हैं, कितनों की अटैचियां गायब

(श्री देवीसिंह भाटी)

हैं, कितनों के थैले गायब हैं। अभी तक किसी ने पूछताछ ही नहीं की। आखिर उनको कैसे विश्वास हो। स्टेशन के ऊपर वह पिटते रहे डेढ़ घंटे तक। आखिर रेलवे वाले उनको ले गये, किस ने ले जाकर वहां भर्ती कराया। कोई जाकर यह तो पूछता कि साहब, आखिर आपका सामान कहां है? आपका नुकसान कितना हुआ है? कल शाम तक किसी भी व्यक्ति ने जाकर पूछताछ तक नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मुस्तैदी बताता हूं जिला प्रशासन की। इस जिला प्रशासन को सूचना जब हो गई, मेरी जानकारी के अनुसार वह बैठे रहे, यह सूचना लेते रहे कि वह वहां से चले गये हैं कि नहीं। जब इन्हें सूचना मिली कि वहां जो फौजी आये थे वह निकल चुके हैं तब वहां जिलाधीश और एस. पी. वगैरह पहुंचते हैं। इस बात पर हम क्यों नहीं जायेंगे? वहां इनका जो ब्रिगेडियर इंचार्ज है वह ब्रिगेडियर आकर वहां कहता है कि साहब, फौजियों को हमने भेजा है, हमारे जवान पिट रहे थे। ऐसा व्यक्ति जब उनके सामने कह गया तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? उसको रोका नहीं जा सकता था? क्या उसको अधिकार दे रखा है कि कानून हाथ में ले। अगर उसके पास में आदमी ज्यादा है, कोई हथियार हैं तो वह किसी को मर्जी आये वहां भेज दे, अपने आदमियों की पैरवी करे? लेकिन उन्होंने कोई भी जनता की मदद करने के लिए कोशिश नहीं की। आपने वहां जाकर मौका देखा लोग आपसे मिले, उन्होंने गुहार की कि यह तो लालगढ़ रेल्वे स्टेशन है, यहीं पर हमें बसना है, यहीं पर फौजी आएगे वह चढ़ेंगे और वहीं पर रेल्वे कर्मचारी रहेंगे। आखिर हमारा सोर्स क्या है, आपने क्या आश्वासन दिया, कभी उनको तसल्ली दिलाई? आपने इतना जरूर कह दिया कि हम अभी थाना यहां बना देंगे लेकिन आज वहां जो माहौल है, कल और परसों एक भी यात्री उस लालगढ़ रेल्वे स्टेशन से नहीं चढ़ा, इतनी दहशत लोगों के अन्दर है कि वहां आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आप भी जब गये तो आपको भी रेल्वे प्लेटफार्म बिल्कुल सुनसान मिला है। यह हकीकत है कि लोग इतने दहशत में हैं कि आखिर वह सरकार पर भरोसा किये हुए बैठे थे कि हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, हमारी सुरक्षा वह करेंगे अगर कोई दिक्कत आती है, लेकिन न तो मौके पर पहुंचे और न बाद में आपने कोई पैरवी की।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें। ताऊ फिनिश इट प्लीज। और भी बोलेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले और भी हैं। प्लीज सिट-डाउन।

श्री देवीसिंह भाटी : जो फैक्ट्स, हकीकत है, वह बता रहा हूं। परसों यहां चर्चा चल रही थी उस वक्त लूनकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सुबह 9 बजे मैंने होम मिनिस्टर से बात की कि आखिर यह क्या घटना हुई, कोई डिटेल है तो बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप रिपीट कर रहे हैं। आप इसको कह चुके।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आगे और लिंक जोड़ रहा हूं।

(176)

श्री उपाध्यक्ष : सदन के समय का मूल्य है। आप जो कह चुके उसको मत रिपीट कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : उन्होंने बात की, गृह मंत्री जी ने कहा कि अभी कोई जानकारी नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो जाय और ...

श्री उपाध्यक्ष : I think you dont have the matter now. अब खत्म करें आप। श्री लालचन्द डूडी।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं नहीं बैठूंगा। मैं अपनी बात कहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : You are repeating the things.

श्री देवीसिंह भाटी : आप रोक नहीं सकते। मैं लिक कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर को, होम कमिश्नर को और डी जी. तक को इत्तिला नहीं। आखिर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, मर्डर हो जाता है उसकी भी सूचना होती है। इनकी तरफ से न तो कोई सूचना हुई फिर भी यह सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिला प्रशासन को। मैं कहता हूं अगर मैं गलत हूं तो लूनकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था कि उस वक्त सूचना देते कि हां मुझे सूचना मिल गई है। डिटेल में मिली नहीं है जो अखबार में है, वहीं तक सीमित है। लेकिन जब होम मिनिस्टर कहता है किसी माननीय सदस्य को, आम जनता तो क्या उम्मीद रखती है। जब इसकी सूचना नहीं, इतना बड़ा हादसा हो गया है, डेढ सौ, दो सौ आदमियों ने खुले आम मारपीट की है और औरतों की बेइज्जती की है। इतनी बड़ी घटना की जयपुर के अन्दर सूचना नहीं हो तो हम कैसे आश्वस्त हों कि लोग सुरक्षित है ?

श्री उपाध्यक्ष : देवीसिंह जी, समाप्त करें। Now, you co-operate please. डोंट कम्पेल, कम्पेल नहीं करें, देवीसिंह जी, बैठें। रेकार्ड नहीं होगा। Not to be recorded।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया। सदन के और भी सदस्य बैठे हैं, शोपतसिंह जी को बोलना है।

श्री शोपत सिंह : आप रेकार्ड नहीं करा रहे हैं यह बहुत बुरी बात है। सदन के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : शोपतसिंह जी, आपको भी बोलना है, यह आपके अधिकारों का हनन है।

श्री शोपत सिंह : अगर इस तरह के हादसे पर किसी सदस्य को बोलने नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिसाइड कर लीजिए। आप मुझे गाइड करिये। कितना टाइम You tell me, you decide yourself, मैं नहीं कह रहा हूं। और भी बोलेंगे आपको भी बोलना है।

श्री केदारनाथ : आपने कह दिया कि रेकार्ड नहीं होगा, इन्हें समाप्त करने दीजिए।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मानिकचन्द सुराना : रेकार्ड तो हो।

श्री उपाध्यक्ष : रेकार्ड होगा, कह रहा हूं। अब समाप्त करें। After all we have to control somewhere.

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, परसों हमारे गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट के साथ ही यह कह दिया कि जिला प्रशासन ने बड़ी समझदारी से काम लिया कि वहां आर्मी से पुलिस का कन्फ्रन्टेशन न हो जाय इसलिए पुलिस वहां नहीं गई। यह तो बहुत अच्छा किया। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं कही। वहां लोग इतने आतंकित हैं कि यह नये होम मिनिस्टर ने कौन सा लाइन आफ एक्शन तय किया है कि जनता पिटती रहेगी, उनकी बेइज्जती होती रहेगी लेकिन पुलिस नहीं आएगी क्योंकि कल को कन्फ्रन्टेशन हो जाय। उनकी बेइज्जती होगी, उनकी मारपीट होगी उनका सारा कुछ नुकसान होना है वह होगा, उसके बाद में सिर्फ कागज लेकर आ जाएंगे और मौका-ए-नक्शा बनाएंगे और बयान लेंगे। इसके लिए लोग इतने चिन्तित है कि जब हमारे होम मिनिस्टर स्टेट के यह बात कहते हैं कि पुलिस अगर नहीं गई तो बहुत अच्छा काम किया। कल को और बात होगी, आज आर्मी है, कल बी. एस. एफ. है, कल को कोई डाकू आ जायं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : बिल्कुल आया है, आप रेकार्ड मंगा कर देख लीजिए। (व्यवधान) ऐसी बातें मौके पर तो हुई, जिसके भरोसे जयपुर में यह जो सरकार बनी हुई है जिसके भरोसे जिलों में और गांवों में लोग बैठे हैं वह आखिर ऐसी बात सुन कर कैसे आश्वस्त होंगे कि यह घटना हुई सो हुई, आगे इस प्रकार की घटना नहीं होगी। लेकिन यह बात लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गई है कि कोई भी वारदात होगी तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होगी। जो घटना होगी वह घट जाएगी। उसके बाद सरकार आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : Now you, please, oblige me and finish it.

श्री देवीसिंह भाटी : एक मिनट, मैं थोड़े में निवेदन कर दूं। इन्होंने इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की कि किसका क्या सामान गया। यह एक मनीराम है जो सूरतगढ का रहने वाला है उसके 435 रुपये और जरूरी सर्टिफिकेट गायब हैं। उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं। उसका आवश्यक सामान नहीं मिल रहा है। एक मेडीकल के लिए वह टेस्ट देने आया हुआ था। उसके दो टेस्ट हो चुके थे। उसे पी. एम. टी. का एग्जाम देना था सैयद कमाल को। उसके फिजिक्स और बायोलोजी के पेपर्स हो चुके लेकिन वह ×× अपने किसी मेहमान को चढाने के लिए गया। उसके साथ मारपीट हो गई। उसके केमेस्ट्री और जियालॉजी के दो सबजेक्ट रह गये। क्या इन्होंने किसी मेडीकल कालेज वालों से जाकर बात की कि किसी कारण से ऐसा हादसा हो गया है, ऐसा कोई स्टूडेंट है वह वंचित रह गया अपने मौके से। उसको दुबारा पेपर देने की छूट देने की बात की ? उसको और कोई मौका दिलाने

——————

×× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

178

(श्री देवीसिंह भाटी)

की बात की ? लेकिन उसके लिए कतई कोई प्रयास नहीं ।

इन्होंने जाकर तसल्ली से पूछा भी नहीं कि तुम्हारे क्या तकलीफ है, तुम वहां कैसे पहुंचे, तुम्हारे साथ क्या वारदात हुई लेकिन इन्होंने एक भी प्रयास नहीं किया वह अब भी वहां पड़ा रो रहा है कि मेरा एक चांस मारा गया। मैं स्टेशन पर गया और पिट गया और मेरे दोनों पेपर छूट गये ।

एक यह भानाराम रेल्वे में सर्वे मेट है शिफटिंग में । वह वहां पर बता रहा था कि वहां टेंट में रेल्वे यार्ड के पास उस वक्त 6–7 फौजी एक लड़की के पीछे भाग रहे थे और वह चिल्ला रही थी और उसके बाद जो भी 6–7 व्यक्ति थे वह उस लड़की को पकड़ कर ले गये उसके बाद हमने तो खोज लगाई है न तो वह लड़की मिली है और न उसका अता-पता मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिनके साथ बीतती है वही जानते हैं। आप इस बात को यों मत लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है आप बोलिए, फिनिश करें आप ।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे गुस्सा आ रहा है ऐसा....

श्री उपाध्यक्ष : गुस्सा तो आपको बहुत आ रहा है ।

श्री देवीसिंह भाटी : +++ हम क्या यों ही कह रहे हैं । मैं यह तो नहीं कह रहा कि फलां के साथ यह हो गया....

श्री उपाध्यक्ष : यह सब वेरीफाई हो जाएगा जो आप कह रहे हैं । अब समाप्त करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे भी चेहरे पर एक्सप्रेसन लाने आते हैं । उस लड़की के बारे में जो सर्वे मेट है भानाराम, जो रेल्वे में कर्मचारी है, मैं नहीं कह रहा हूं, जांच करनी है तो आप कीजिए । मेरी बात गलत हो तो मुझे हाउस में प्रताड़ना दीजिए लेकिन यों चेहरा मत बनाइये....

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : किसके सामने कहें....

श्री उपाध्यक्ष : Now Hon'ble whip should tell me how to deal with this man.

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, वहां कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I give you last moment. माननीय सदस्य आप सुन लीजिए, एक मिनिट में समाप्त करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : न आपने यह प्रयास किया कि लोगों को यह विश्वास दिलावें कि अगर ऐसी कोई सूचना है तो उसकी हम जानकारी करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लालचंद डूडी ।

श्री देवीसिंह भाटी : हम आखिर किससे पूछते ?

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री शोपत सिंह : आप एक मिनिट तो ठहरिये।

श्री देवीसिंह भाटी : लोगों को आज तकलीफ है।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष जी नाम लिख गये हैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं तो आप बोलें मुझे कोई एतराज नहीं है आपका भी नाम दिया हुआ है। आप भी जरूर बोलेंगे। Your name is there।

श्री देवीसिंह भाटी : तो मैं चाहूंगा कि जो लोग पीड़ित हुए हैं जिनका सामान गायब हुआ, जिनसे कोई पूछताछ नहीं की। उन लोगों को आश्वस्त करने और उनकी सिक्योरिटी का सवाल है जो नहीं हुआ वहां हुआ क्या कि लालगढ़ रेल्वे स्टेशन के पास में जहां रेल्वे पुलिस चौकी है....

श्री उपाध्यक्ष : Will you hear me ? Please do not compel me now. (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हुआ क्या ? वहां लालगढ़ रेल्वे स्टेशन के पास में....

श्री उपाध्यक्ष : Now won't you hear me ?

श्री देवीसिंह भाटी : जहां रेल्वे पुलिस चौकी है वहां पर 4 तारीख को रेल्वे पुलिस चौकी के सामने....

श्री उपाध्यक्ष : won't you hear me ? आप मुझे सुनेंगे नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : शराब का ठेका खुल गया ...

श्री उपाध्यक्ष : Don't compel me now.

श्री देवीसिंह भाटी : मैं सही बात कह रहा हूं, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप गलत नहीं कह रहे हो लेकिन मुझे तो समय की पाबन्दी रखनी है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं एक इन्फोर्मेशन और इनको देना चाहता हूं। आगे फिर इससे हादसे होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, लालगढ़ रेलवे स्टेशन की जो मीटर गेज साइड है, उस साइड में रेलवे क्वाटर्स हैं और रामपुरा बस्ती है। वहां की जो जी. आर. पी. की चौकी है उसके बिलकुल 25 फीट की दूरी के ऊपर 4 तारीख को शराब का ठेका और खुल गया। अब वहां क्या होगा। कोई भी कारण हो सकते हैं। मानव कमजोर है। जी. आर. पी. के चाहे सिपाही हों, चाहे दूसरे हों....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप अपने मैटर को समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : इस सारे मामले को मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सारी बात पर गौर करते नहीं है। समय पर सारी चीजें गौर करने की है। अगर इस प्रकार हम ध्यान नहीं देंगे तो ये सारे हादसें होते रहेंगे। मैं यह कहता हूं कि यह सारी बात हुई है। आज भी बीकानेर का नागरिक आश्वस्त नहीं है, आज भी वे....

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up.

श्री देवीसिंह भाटी : देख रहे हैं कि सरकार यह कहे तो सही कि जो ऐसी बात हुई है अगर होम मिनिस्टर ने यह बात कह दी हो तो उसका भी खण्डन करें कि मैंने ऐसी बात कही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कही है या नहीं कही है, यह बात यहां पर कहते, उनको आश्वस्त करते। इसके अलावा आज भी वहां उन्होंने सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं यह कहता हूं, वहां

(श्री देवीसिंह भाटी)

पर आज भी आर्मी मौजूद है, आर्मी की गाड़ियां वहां पर आती हैं जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want to speak or not ?

श्री शोपत सिंह : अब मैं बीच में कैसे बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब यह कब तक बोलेंगे ? आपने मुझे रोक दिया। इस प्रकारण को डिसकस के लिए मैंने मना कर दिया तो आपने ही मुझे रोका।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि वहां पर आर्मी है, उनकी गाड़ियां टाउन से बाजार की ओर जाती हैं। कल को वहां पर लोग बाग इकट्ठे हो गये और फलां आदमी है उसको मारो, यह सिक्ख है, यह नान सिक्ख है। यह सारी स्थितियां आज वहां कन्ट्रोल करने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए वहां खुल्लासा स्टेटमेण्ट दें और जो दोषी हैं जिला प्रशासन में जिनकी वजह से ये सारी बेइज्जती और पिटाई होती रही। एस. पी. और कलेक्टर को जब तक वहां से नहीं हटाया जायेगा वहां शान्ति नहीं रहेगी। लोगों में गुस्सा है, वहां नहीं छोड़ेंगे। यह मैं आपको आगाह करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिहजी।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लालगढ़ स्टेशन की जो घटना है यह इसलिए शर्मनाक घटना है कि इस घटना ने हमारे फौज के उस शानदार रेकार्ड में एक काला धब्बा लगाया है। It is a blot on the name of our military. यह घटना अगर साधारण आदमी करे देता तो हमको कोई गिला नहीं होती। कानून अपनी कार्यवाही करता।

श्री उपाध्यक्ष : Now you involve....

श्री शोपत सिंह : और इतना ही शर्मनाक राजस्थान के गृह मंत्रीजी का यह कायराना स्टेटमेण्ट है कि हम बहुत सन्तुष्ट हैं। आप बहुत सन्तुष्ट हैं। सिफारिश कीजिये जिलाधीश के लिए और एस. पी. के लिए कि राष्ट्रपति पदक और मिले उनको। हम यह चाहते हैं, यह हमारे लिए कोई पोलिटिक्स की बात नहीं है, कोई पोलिटिक्स लोग नहीं थे वहां पर। अगर हम ऐसे एलीमेण्ट को जो चाहे फौज में हों, चाहे अधिकारियों में हो, चाहे कहीं भी हो इस तरह के एलीमेण्ट्स को अगर हमने शील्ड किया, बचाने की कोशिश की, तो गृह मंत्रीजी आपका तो शायद कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप तो ऊंची कुर्सी पर पहुंच चुके हैं, बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। मगर उस इलाके के लोगों की क्या हालत होगी। जहां पर हमारे खेतों के पड़ौस में फौजी रहते हैं जो हमारी झोंपड़ियों में आकर पानी पीते हैं और रोटियां खाते हैं। उसके साथ हमारा एक रिश्ता भाईचारे का था। गंगानगर जिले की ही नहीं बीकानेर डिविजन की बात कह रहा हूं। ठीक बार्डर के इलाके में, ठीक शहर के अन्दर, बीकानेर शहर के अन्दर छावनी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बी एस एफ की छावनी है, बी. एस. एफ. की वहां पर पूरी बटालियन है, वहां पर हमारे आर. ए. सी. के जवान रहते हैं। अगर लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेंगे तो इसके नतीजे बड़े

(श्री शोपत सिंह)

खतरनाक निकलेंगे। आपके लिए नहीं हो सकता खतरा परन्तु आज भयभीत हैं लोग। बीकानेर शहर के ही लोग नहीं, रेल्वे कर्मचारी भी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, कल आप गये, आप इतना ही अनुभव नहीं कर सके, गहलोत साहब। आप तो बड़ी ऊंची कुर्सी पर रहे हो, केन्द्र की कुर्सी पर बैठे हैं। आपके तीन मंत्री गये, आप कितने नान सीरियस हैं। आप कल हवाई जहाज से पधारे, हवाई जहाज से वापस आ गये, आपको कुछ परेशानी हुई। आप आकर घर सो गये। अभी आप डिले करते रहे, कान्टेक्ट करने की बात कह रहे थे। किस लिए कान्टेक्ट कर रहे थे, आप मुख्यमंत्रीजी से? जब आप सन्तुष्ट थे तो फिर यह किस बात की देर लगाई थी चार बजे तक की। आप साढ़े छह बजे की बात कह रहे थे। आप हमको +++ बना रहे थे यहां सदन में बैठकर। जब आप सन्तुष्ट थे तो फिर क्या डाइरेक्शन लेना चाहते थे। आप तीन केबिनेट के मंत्री गये थे अगर आप सन्तुष्ट थे तो फिर किस बात के लिए आप कान्टेक्ट कर रहे थे मुख्य मंत्रीजी से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, घटना कहां से शुरू होती है। मिलिटरी के लोग 4 तारीख को 24 आदमी पटियाला की तरफ जा रहे थे, चण्डीगढ़ की तरफ जा रहे थे, पंजाब में जा रहे थे, जब घर जा रहे थे तब मिलिट्री का एक अधिकारी जो सी. एम. ओ., जसपालसिंह वहां पर मौजूद था वह टिकटों की व्यवस्था कर रहा था, झगड़ा हो गया। झगड़े में वहां पर जसपालसिंह को उन्होंने पीटा। सारे के सारे वे मिलिट्री के लोग, वे कौन थे, किस कौम के थे मुझे मालूम नहीं मगर सारे के सारे शराबी थे। वहां पर जब जी. आर. पी. के सिपाही आये दो-तीन तो उनको पीटा। यह रात के करीब की घटना है, दस बजे की है जनाब। वहां पर कोई भीड़ नहीं थी स्टेशन पर, मुसाफिर गाड़ियों में थे, मुसाफिर टिकट ले रहे थे, मुसाफिरों की वहां पर कोई बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं थी। उन्होंने पीटा उसको। उनमें से एक भाग कर गया वहां पर, छावनी जाकर, छावनी में कहता है कि हिन्दुओं ने हमको घेर रखा है, वहां पर आप चलिये। यह बात यहां से शुरु होती है और मुझे सब से दुःख इस बात का है कि जिस मिलिटरी पर हमको नाज है, जिस पर हमको नाज था उस मिलिटरी के अधिकारी बिना उनकी जानकारी, बिना उनको बताये छः ट्रक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो का स्टेटमेण्ट दिया है, तीन ट्रक जो जीप से बड़े होते हैं, तीन बड़े ट्रक वहां पर रेल्वे के लोगों ने देखा है, रेलवे के लोग कहते हैं, उन्होंने हमको कल बताया। वहां पर टिकट के विण्डो पर जो बाबू बैठता था उनको नहीं पीटा गया, वे बच गये क्योंकि उन्होंने लाइट आफ कर दी थी। जब उन्होंने नारा लगाया और उतरे। पहले तो उन्होंने देखा कि यह हमारी रक्षा करने के लिए आ गये कोई मिलिट्री पुलिस आ गयी होगी क्योंकि साढ़े दस बजे के करीब वहां के ए. एस. एम. ने सब जगह इत्तला करने को कहा कि इस तरह से ऐसा झगड़ा हो रहा है। जब जसपालसिंह और एक वहां का दूलाराम जी. आर. पी. का सिपाही, एक किसी ठेकेदार की वहां पर कार खड़ी

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शोपत सिंह)

थी उस कार पर जब वे चले इत्तला देने के लिए तो पौने ग्यारह बजे की बात है, जब वहां से चले, वे कोई दस कदम ही गये थे कि तीन ट्रक आ गये, उन्होंने समझा कि मिलिट्री वाली पुलिस आ गयी वह अभी शान्ति कर देगी, झगड़ा खत्म हो जायेगा। वे उतरे और जब उन्होंने कार वापस मोड़ी, कार का नम्बर भी मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे पास सारी चीजें हैं। जब उन्होंने कार वापस मोड़ी और जब उतरे तो उन्होंने नारे लगाने शुरु कर दिये तो वे घबरा गये। वह सिपाही तो वहां से भाग गया और उसने बैंक की उस ठेकेदार की कार को, जसपाल सिंह भी भाग गया।....

एक माननीय सदस्य : नारा क्या लगाया ?

श्री शोपत सिंह : खालिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाया। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे सिक्ख थे, वे बेवफा हो गये सारे के सारे, मेरा यह इल्जाम नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। पंजाब में मेरी पार्टी के सारे सिपाही, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता रोज लड़ते हैं इस उग्रवाद के खिलाफ और रोज मरते हैं। चाहे कहीं भी हो उग्रवाद, माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमें उस उग्रवाद को संरक्षण देंगे या घबरा जायं, जहां भी मिले उग्रवाद चाहे फौज में मिले, चाहे घर में मिले, चाहे खेत में मिले हमको इसको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं तो।....

क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। उन लोगों का क्या कसूर था जो गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने नहीं पीटा उनको। यह 57 लोग हास्पिटल में पड़े हैं बड़ी गंभीर चोटें आयी हैं, कल देख कर आये हैं आप। लोगों के दोनों हाथ तोड़ दिये, पैर तोड़ दिये, एक-एक के नहीं बीसियों लोगों के गंभीर चोटें आयी हैं। आज वह महीनों तक ठीक नहीं हो सकेंगे। क्या बिगाड़ा था जनाब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। वे बहुत पवित्र लोग हैं, उन पर कार्यवाही करें न करें, आप पाबंद हो गये कि हम बोल नहीं सकते। शर्मनाक बात जो हुई वह यह हुई कि एक तो उन अधिकारियों ने उनको जाने दिया, उनको परमिशन दी और अगर परमिशन नहीं दी, अपने अधिकारियों की मर्जी के बिना फौज के दो सौ सिपाही कहीं भी कोई तबाही करने के लिये पहुंच जायें, तो क्या यह गंभीर विषय नहीं है ? क्या हमको बात नहीं करनी चाहिए डीफेंस मिनिस्टर से, क्या उन फौजियों के अधिकारियों से बात नहीं करनी चाहिये कि आपकी छावनी में रहते हैं ? वह डिसिप्लिन्ड लोग हैं, उनके हाथों में बंदूकें नहीं थीं, छड़ियां, हाकियां, रोड्स और बेलचे थे। यह सारा का सारा स्टेटमेंट मेरे पास है। पढ़ना नहीं चाहता मैं, एक एक आदमी का स्टेटमेंट है, कितनी कितनी चोटें आयी हैं, किस किस तरह के लोग हैं, इसमें 95 प्रतिशत वहां के रेलवे के टेम्परेरी कर्मचारी हैं। दूर-दूर जाकर उन्हें पीटा है, आबादियों में गये हैं। कल आप वहां पधारे थे। किसलिये वहां गये, क्या उन लोगों के जिसके हाथ तोड़ दिये हैं, वह रेलवे स्टेशन के अन्दर मारा गया है, किस लिये ? जिसकी गंभीर स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी क्यों गये थे आप ? आप हमको रोकना

(श्री शोपत सिंह)

चाहते हैं इनको उग्रवादी मत कहें, इनको सिपाही मत को, सिक्ख मत कहो, बोलो। क्या बोलें हम ? मर रहे हैं हम इस बात के लिये। आप कायरों जैसी बातें कर रहे हैं। यह कायरों जैसी बातें हैं इस देश को नपुंसक मत बनाओ आप। इस बात से कोई आप उनको, मैं कल्ला साहब से पूछना चाहता हूं अगर वह कलेक्टर और एस. पी. वहां पर रह जायेगा तो उससे आपकी मिनिस्ट्री सेफ रह जायेगी ? क्या मकसद था। आपका, वहां पर, मैं पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कल्ला साहब से, मैं उनको दाद देना चाहता हूं, रेलवे हास्पिटल के अधिकारियों, डाक्टरों को, जिन्होंने एंबुलेंस भेज-भेज कर जिन्होंने मंगवाया। बहुत से ऐसे लोग थे बेहोश हो गये, बहुत से ऐसे लोग थे, जो चल नहीं सकते थे, जिसकी टांगें तोड़ दी गयी थीं। एक टांग टूटे हुए आदमी से मैंने पूछा कि तुम कैसे गये ? उनको उस वक्त क्या कहें, गर्म था। मगर थोड़ी देर बाद मूवमेंट किया और बेहोश होकर गिर गया। पीटते-पीटते थक गये। गाड़ियों में बैठे लोग, खिड़की में उनको नहीं छोड़ा, कोई शीशा नहीं छोड़ा, स्टेशन पर रेड़ियों वाले थे, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा। उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने बूढ़ों, औरतों को भी नहीं छोड़ा। अभी भी कह रहे थे यह कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। जो हम कह रहे हैं, हमारे लिये शर्मनाक बात है। हिन्दुस्तान में इस तरह का कभी हादसा हुआ नहीं, मारते हैं, मारा है लोगों को, झगड़े भी हो जाते हैं, पुलिस के, मगर इस तरह के बेगुनाह लोगों को, इस तरह के आदमी कभी नहीं पीटे। मैं एक बानाराम का स्टेटमेंट पढ़ कर सुना रहा हूं जो मैंने लिखा है : बानाराम मेट-पुराने स्टेशन पर टैंकों में रहता हूं। एक लड़की भागती हुई टैंक की तरफ आ रही थी, जब मैंने देखा कि दो तीन फौजी लड़की के पीछे-पीछे भागे आ रहे थे, छापे वाली वर्दी पहने हुए थे, सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि वह सारी बात फौज की वर्दी के अन्दर घटना हुई है। वह छापे वाली वर्दी थी। सफेद, पीली और खाकी रंग की जो वर्दी होती है। इस तरह की वर्दी पहने हुए थे। उसने वर्दी तक बतायी है। जब मैं उधर लड़की की तरफ चला, इतने में मेरे गिट्टे पर मारा, जब उसने कहा बचाओ बचाओ, और भाग रही थी दो-तीन सिपाही पीछे-पीछे तो वह उधर भागा। जाहिर है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई जानवर का काम हो सकता है, जिसके कोई दिल नहीं हो, हमारे यहां ऐसे-ऐसे मन्त्री तो हो सकते हैं, वह होते तो शायद छिप जाते, यह बात अगर आती तो। वह तो एक साधारण आदमी था, साधारण नागरिक था और उसमें गैरत थी। वह भागा तो उसको वहां पर हाथ तोड़ दिया और उसके सिर में चोट आयी है, वह वहीं बेहोश हो गया। उससे मैंने पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ, वह लड़की कहां गयी, तो उसने कहा मैं तो बेहोश हो गया, मुझे मालूम नहीं वह लड़की कहां गयी, क्या हुआ उसके साथ में, वह मैं नहीं जानता। सबसे आखिर में मैं पूछना चाहता हूं कि आपने प्रशासन को शाबासी तो दे दी, अब कल्ला साहब आपको सन्तोष होगा कि वह कामयाब हो गये, कि वह जायेंगे नहीं वहीं रहेंगे, चुनाव तक आपने व्यवस्था कर दी एस. पी. और कलक्टर की।

184

श्री बी. डी. कल्ला : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। मुझे बहुत एतराज है। मेरा नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं आप ? व्यक्तिगत आरोप हम कभी भी आपका बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री शोपत सिंह : आपको पीटेंगे बीकानेर के लोग। सड़कों पर घसीटेंगे।

एक माननीय सदस्य : उनको जो महसूस हो रहा है, वह अपनी बात कह रहे हैं।

श्री बी. डी. कल्ला : आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : यह बात मेरी याद रखना, आपको घसीटेंगे सड़कों पर।

श्री बी. डी. कल्ला : आपको हम राजनीतिक रोटी नहीं सेंकने देंगे। बीकानेर के लोगों के साथ घटना हुई है, इसका आपसे ज्यादा हमको दुःख है।

श्री शोपत सिंह : यह 50 लोगों का सवाल नहीं है, वहां देखेंगे बीकानेर में आपको।

श्री बी. डी. कल्ला : आप राजनीति कर रहे हैं और हम राजनीति नहीं होने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहें। आर्डर प्लीज, सदन की मर्यादा रखें।

श्री डूंगरराम पंवार : बोलने की कहां हिम्मत करते हैं यह लोग+++

श्री बी. डी. कल्ला : आप बैठिये। चुप हो जाओ...आप चुप हो जाओ....

श्री डूंगरराम पंवार : अपने मतलब की बात कर रहे हैं बीच में।

एक माननीय सदस्य : इसमें कल्ला साहब का हाथ थोड़े ही है। किसी पर आरोप नहीं लगाये जायें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। आप अपनी बात कहें शोपतसिंहजी।

श्री शिवराम शर्मा : अगर कलक्टर और एस. पी. अच्छा है, तो काम करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह जी। प्लीज आप बैठिये। नाऊ प्लीज सिट डाउन।

श्री डूंगरराम पंवार : इनको राजनीतिक बना रहे हैं।

श्री बी. डी. कल्ला : इसमें भी किसी सदस्य का हाथ हो सकता है क्या ? (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : यह आरोप नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भविष्यवाणी है। कहने का मुझे अधिकार है। कल्ला साहब, कह दें आपकी जमानत जप्त करा देंगे, करा देंगे। मगर मुझे यह बात कहने का अधिकार है। यह सनद रहेगी, मैं गृहमंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा आप कहते हैं कि आपकी पुलिस मौके पर पहुंच गयी थी। हमको दर्द इस बात का नहीं है कि हमें चोटें पड़ी, मारा गया, हमको इस बात का दर्द नहीं है कि किसने मारा, हमको

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शोपत सिंह)

दर्द इस बात का है कि आदमी गाड़ी में जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, खेत में जाता है, सांप काटता है, मर जाता है ...

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात कहें आप।

श्री शोपत सिंह : दर्द इस बात का है कि जब हम पीटे जा रहे थे एक घंटे तक पिटाई हुई पर हमारी इमदाद पर कोई नहीं आया, वह बदमाश चाहे कोई कपड़ा पहने हुए थे वह बदमाश थे वह फौजी नहीं थे। अगर आप उन लोगों को फौजी कहते हैं तो फौज के नाम पर कलंक लगा रहे हैं। अगर उन बदमाशों को पुलिस पकड़ कर ले जाती, एस. पी. और एस. पी. की बीबी के साथ में कमाण्डो जाते हैं सब्जी खरीदने के लिये, कमाण्डोज हैं उनके पास, सब के पास कमाण्डो हैं, सबके पास बढ़िया जिप्सी गाड़ियां हैं, क्यों नहीं पहुंचे ? सब के पास टेलीफोन है। अगर हमारे एस. पी. वहां पहुंच जाते और इन 10-5 लोगों को घेर लेते, पकड़ लेते तो हमारा दर्द आधा रह जाता। हमको दर्द इस बात का है कि उन्होंने घटना की, बेइज्जती की, नारे लगाये, आप एडमिट करें या न करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर मौके पर पहुंच जाते अगर कोई एस पी. के कोई चोट लग जाती, कलक्टर के चोट आ जाती वह आज हमारा हीरो होता। हम उसको कंधों पर उठा लेते। यह बात थी हमारी पुलिस कब पहुंची ...

श्री उपाध्यक्ष : मुद्दे पर बात करें।

श्री शोपत सिंह : मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, गहलोत साहब बता दीजिये आप, यह 59 लोग हैं जो बूरी तरह से मारे गये हैं, आपने देखा, जो चलने की हालत में नहीं थे किसी एक आदमी को पुलिस ने भेजा होगा ट्रक या जीप में डालकर किसी हॉस्पिटल में। बड़ा पी. बी. एम. हॉस्पिटल वहां से चार किलोमीटर दूर है। वह चार किलोमीटर पर है। रेलवे का हॉस्पिटल तो नजदीक था मगर एक भी आदमी को, अगर आप कहते हैं सुबह 10 बजे तक पहुंच गये थे, 11 बजकर 20 मिनट तक आपके सिपाही पहुंच गये थे और आपके अधिकारी पहुंच गये थे तो बतायें, बयान ले लीजिए, स्टेटमेंट ले लीजिए। मेरे पास है स्टेटमेंट, किसी भी आदमी ने, मैं लास्ट में स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं एक आदमी मनीराम नाम का, सूरतगढ़ में रहता है गाड़ी पर जा रहा था, उसको गाड़ी से बाहर निकाल लिया, बहुत बुरी तरह से पीटा, उसके दोनों हाथ तोड़ दिये। मैं गया तो कहने लगा, मुझे जानता था, कहने लगा कामरेड आप आये, नमस्ते कैसे करूं मेरे दोनों हाथ टूटे हुए हैं। उसको तीन दफा पीटा, जब गाड़ी से निकाला तो एस सी. एम. ऑफिस में बचने के लिए, उस ऑफिस में चला जाऊंगा तो वहां नहीं मारेंगे, तो वहां पर उसको पीटा, वहां पर पीटने के बाद जब वहां से भागा तो स्टेशन के बाहर लोग खड़े थे उनको पीटा। 10-10, 5-5 ग्रुप्स में बराबर बार-बार पीटते रहे, जो भी आता था, जिस ग्रुप के सामने आता, उसको पीटते। कितने लोगों के हाथ तोड़े गये ? जरा आप बतायें अपने स्टेटमेंट में ...

श्री उपाध्यक्ष : Now you are diverting. एक अच्छे मुद्दे से हटकर आप कैसे तैश में आ जाते हैं। आप अपने आपको डायवर्ट कर रहे हैं।

(183)

श्री शोपत सिंह : मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं उनके दिमाग में कोई डालना चाहता हूं, कोई जोश पैदा करना चाहता हूं कि+++शायद ठीक हो सके हमारे राजस्थान के लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आखिर में आप सुन लीजिए। मुख्य मन्त्रीजी कल आ जायेंगे। गृह मन्त्री महोदय ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, कल तक आपका है आप उनसे पूछ लीजिए कि आपके एस. पी. और कलक्टर रहेंगे तो उनको हम सजा देंगे। एक-एक आदमी को, आखिर लोग कैसे जायेंगे, उस गाड़ी में कौन बैठेगा ? अगर आप अपने इन अधिकारियों के खिलाफ जो इस ख्याल से जो वहां सीटी बजाकर गये हैं, जब थक गये, मिलिट्री के लोग, मेरे पास लिखा हुआ है, उन्होंने बताया कि पीटने के बाद क्योंकि बिखर गये थे, सारे के सारे ग्रुप्स में बिखरे हुए थे, लास्ट में सीटी बजते ही, सीटी सुनते ही सारे के सारे आ जाते हैं और उन 6 ट्रकों में शामिल होकर चढ़ते हैं। परन्तु चार-पांच आदमी रह गये थे, वह दूर चले गये थे, रामपुरा बस्ती से दूर चले गये थे का उन्होंने इन्तजार किया, उनमें दिमाग में यह नहीं आया कि कोई प्रशासन है, कोई शासन है, कोई आ जायेगा, पुलिस का उनको कोई खतरा नहीं था। जानते थे पुलिस को, पुलिस कितनी बहादुर है। अपने फौज के अधिकारियों को मालूम था, अपने ब्रिगेडियर को बताकर आते थे, पूछकर गये थे ब्रिगेडियर से, उनको पूछा था, अपने अधिकारियों से पूछकर वहां आये थे, अपने अधिकारियों का फिक्र नहीं था उनको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बात कहते हैं कोई पोलिटिक्स नहीं है मेरी पोलिटिक्स तो बिलकुल भी नहीं है। मेरी पार्टी के पांच-दस सदस्य होंगे बीकानेर में, मैं कोई आपके खिलाफ कल्ला साहब चुनाव भी नहीं लड़ने जा रहा हूं पर गैरत नहीं बेचेंगे, आप तो गैरत बेच सकते हैं, कुर्सी के लालच में बेच सकते हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई गैरत नहीं बेची है।

श्री शोपत सिंह : मगर हम गैरत नहीं बेचेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस घटना को हमने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई सहानुभूति नहीं है।

श्री शोपत सिंह : एस. पी. कलक्टर को वहां पर नहीं रहने देंगे। नहीं रहने देंगे, सुन लीजिए, गृह मन्त्रीजी अगर यह रहे तो युद्ध होगा, हम लड़ाई बिलकुल लड़ेंगे और फिर आपको हाथ दिखायेंगे कि कैसे होता है। बिलकुल हाथ दिखायेंगे हम मरे हुए नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचंद सुराना।

श्री शोपत सिंह : कल के बाद उस स्टेशन पर मिलिट्री की पुलिस रहनी चाहिए उस स्टेशन पर मिलिट्री की पुलिस रहे फ्यूचर में, हमेशा के लिए मिलिट्री पुलिस रहनी चाहिए उस स्टेशन पर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर सकता हूं इजाजत हो तो ? फैक्ट्स पर जो घटना हुयी है उस सन्दर्भ में, डिटेल्स में

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

(श्री शोपत सिंह)

दोनों तरफ से बात आ गयी है, मैं समझता हूं माननीय देवीसिंहजी, माननीय शोपत सिंहजी ने बहुत डिटेल में इस पर बोल दिया है। मैं समझता हूं कि लोजिकल पर जो कनक्लुजन निकल सकता है और वाजिब जो डिमाण्ड हो सकती है, उस संदर्भ में कोई भी बात करें तो it would be more logical।

श्री मोहन छंगाणी : चार पांच प्रश्न ही करूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : सिर्फ प्रश्न करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : उपाध्यक्षजी, आपने जिस बात की ओर इशारा किया है कि तथ्य आ चुके हैं, विस्तार से आ चुके हैं और सरकार और विपक्ष दोनों ही मौके पर जा चुके हैं। जो तथ्य कोलायत से और हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कि वह अपने आप में ही इतने गम्भीर हैं कि गृह मंत्रीजी ने आज जो वक्तव्य दिया है कि जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्यवाही की, वह आपके जिला प्रशासन की तत्परता से जो तथ्य रखे गये हैं उसके प्रकाश में आपका दावा पूर्ण रूप से खण्डित हो जाता है। उस दावे में कोई भी सार नहीं है। राज्य सरकार इससे बड़ी लीपापोती जो आज माननीय गृह मंत्री ने की, बीकानेर की घटना के सम्बन्ध में, लालगढ़ की घटना के सम्बन्ध में इससे बड़ी कोई लीपापोती, इससे बड़ा कोई यूजलेस डिफेण्ड प्रशासन का नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हमारी सरकार के गृह मंत्री के दो वक्तव्य पढ़कर यदि एक आम आदमी जो कानून से अनभिज्ञ है वह हम से पूछे कि हमारी पिटाई का कोई इलाज नहीं प्रशासन के पास। बीकानेर में सेना रहेगी, बीकानेर बोर्डर के नजदीक है, निश्चित रूप से सेना रहनी चाहिए, वहां फायरिंग रेंज रहनी चाहिए, वहां फायरिंग रेंज के लिए 2200 स्कवायर किलोमीटर वहां के 5 00 काश्तकारों को हटाकर बनायी गयी उनका वहां रहना देश की सुरक्षा के लिए निहायत जरूरी है, आवश्यक है। परन्तु इस देश के नागरिक जिन्होंने सन् 50 में इस संविधान को एडोप्ट किया, क्या उसकी सुरक्षा, आपकी सरकार इतने सारे कानूनों के होते हुए आप यह जवाब देंगे कि इस पर कुछ नहीं हो सकता है और जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्यवाही की और जिसका नतीजा यह है कि 50 से अधिक लोग हास्पिटल में है, चाहे पी. एम. बी. हास्पिटल हो चाहे लालगढ़ का हास्पिटल हो उसमें आज वो हैं और आप कह रहे है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोर्ट आफ इन्क्वायरी कांस्टिट्यूट कर दी है और चूंकि कोर्ट आफ इन्क्वायरी कांस्टीट्यूट कर दी गयी है इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं ? माननीय गहलोत जी आपकी सरकार फंक्टश ओफिशिओ हो गयी। अब आपकी सरकार, आपके कानून में कोई फंक्शन नहीं रह गया है, सिवाय इसके कि आप टुकुर-टुकुर उस कोर्ट आफ इन्क्वायरी को देखते रहें।

मैंने आज भी गृह मंत्री से पूछा राज्य सरकार का वर्शन क्या है ? मैंने चेम्बर में

(श्री मानिकचन्द सुराना)

पूछा, स्पीकर के चेम्बर में पूछा और सदन में पूछता हूं कि आपकी सरकार का वर्शन क्या है ? आपकी पुलिस पिटी आप यह मानते हैं, जी. आर. पी. के थाने में दो-तीन-चार लोग थे वह पिटे। 10 बजकर 10 मिनिट पर वहां के असिसटेन्ट स्टेशन मास्टर गुप्ता ने आपके कलेक्टर और डी. आई. जी. को फोन कर दिया, यह रिकार्ड पर है, उसके बयान हैं। उसके बाद जी. आर. पी. के दूसरे थाने से जो भी लोग आने थे वह भी आ गये वह पिटे और जब वह पिटे उसके बाद 15-20 मिनिट में वह तो अपनी फोर्स लेकर आ गये और 100 आदमी ले आये और 100 सेना के जवानों ने आकर के जो तहत नहस लालगढ़ स्टेशन पर की, पुलिस की पिटाई की, महिलाओं की पिटाई कीं, रेलवे के वेगन, रेलवे के डिब्बों की सारी खिड़कियां तोड़ देना, कांच तोड़ देना, सामान लूट लेना, महिलाओं के पीछे भागना और आप कह रहे हैं कि हमने बड़ी तत्परता से कार्यवाही की। कोर्ट आफ इन्क्वायरी उन्होंने बना दी है इसलिए हमारा कोई फंक्शन नहीं है। हमारी सरकार तो रूल आफ ला पालन करती है। वह कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री का आर्डर आ रहा है। मैं मांग करना चाहता हूं कि आप कमिशन आफ इन्क्वावरी, कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत मुकर्रर करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोपहर तक मैं भी इस राय का बन रहा था कि होम कमिश्नर जायें और इनक्वायरी करके आ जायें लेकिन आपका अड़ियल रवैया है, हठधर्मितापूर्ण रवैया है, पुलिस के आफिसर्स को, हर तरह से डिफेंस करने का रवैया है और आप पुलिस को डिफेंस करके क्या कर रहे हैं ? हां, आपका कोई साथी डूब जाये तो जाय उसकी क्या परवाह है ? उसके नतीजे आप नहीं भुगतेंगे, आप भुगतेंगे जोधपुर में और इसका नतीजा हमारे इन्दिरा गांधी नहर मंत्री पर सीधा वजन पड़ेगा....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई नहीं पड़ेगा। आप यहां बैठे रहे हैं मैं तो कल ही जाकर आया हूं। मेरे को कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं माननीय कल्ला साहब से निवेदन करूंगा कि आप डिग-निटी से....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो वहां लोगों से एक-एक के पास जाकर आया हूं सारी घटना की जानकारी लेकर आया हूं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो उसका इन्तजाम करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैंने जो डिग्निफाइड बात कही है उसको सुनिये। अगर आपका समय आये तो आप कहिये। आप उछलिये मत आप नम्बर तीन के मिनिस्टर हैं। आपका नम्बर तीन का केबिनेट में दर्जा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस बात से नाराज क्यों हो रहे हैं-उनकी वजन ढोने की आदत है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किस का वजन ढोह रहा हूं ?

श्री मानिकचन्द सुराना : कभी किसी का, कभी किसी का और तो किसका

(श्री मानिकचन्द सुराना)

होयेंगे। खैर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका वजन गृह मंत्रीजी पर नहीं पड़ने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका चूंकि ब्रंट गृह मंत्रीजी पर नहीं पड़ने वाला है इसलिए उन्होंने यह डिफरेन्स तो ले लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इनका बयान पढ़ रहा हूं जो इन्होंने परसों सदन में दिया है, मैंने इनका ध्यान आकर्षित किया है, इन्होंने कहा कि ऐसा तो बयान में नहीं होना चाहिए। शायद रिकार्ड में ऐसा नहीं है मैंने कहा, आप रिकार्ड देख लें। खैर, मैं रिकार्ड से बोल रहा हूं। जो पोर्शन आपने पढ़ा है, वहां से यह 10 साढ़े 10 बजे की बीच की घटना है, उसके तत्काल बाद वहां के एस. पी., डी. आई. जी., कन्ट्रोल रूम और एडीशनल एस. पी से सम्पर्क किया गया। जो सबसे नजदीक का थाना था उससे सम्पर्क किया पुलिस फोर्स भेजी गई। साइमलटेनियसली वहां पर जो मिलिट्री के अधिकारी थे उनको सम्पर्क करने की कोशिश की, क्योंकि यह मामला इतना नाजुक था कि अगर एस. पी. कलेक्टर वहां पहुंच भी जाते, पुलिस फोर्स पहुंच जाती तो क्या हम यह उम्मीद करें कि मिलिट्री और पुलिस के बीच में कन्फ्रंटेशन होता तो हम समझते कि पुलिस ने अच्छी कार्यवाही की है। यह बयान माननीय गृह मंत्रीजी का है। "मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्लिप आफ पैन नहीं है टोटल रेकार्ड है विधान सभा का, यह रेकार्ड पर है। इससे ज्यादा डेन्जरस प्रिपोजिशन्स कोई सरकार ले डाउन नहीं कर सकती कि पुलिस और मिलिट्री में क्या कन्फ्रंटेशन होता? (व्यवधान)

श्री दीनबन्धु वर्मा : Has there been a confrontation between police and military there?

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा जी बैठें.... (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष जी, सवाल यह है कि क्या वह मिलिट्री थी उस वक्त, क्या यह मिलिट्री एक्शन था? आप किस टोन में काम कर रहे हैं। सेना के जवान अपने घरों को जा रहे थे, बिना ड्यूटी पर. बिना कोई सरकारी ड्यूटी का अन्जाम देते हुये उन्होंने झगड़ा किया, मार-पीट की। वह छुट्टी मनाने जा रहे थे, लीव ले चुके थे। घर जा रहे थे और यह मिलट्री का फंक्शन नहीं है कि जनता पर बन्दूकें उठाये, लाठी उठाये, संबल उठाये, हाकी उठाये, हथियार उठाये यह मिलिट्री का काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : जब जनता एक साथ हो जायेगी तो मिलिट्री वाले क्या करेंगे? मिलिट्री खत्म हो जायेगी।

सुश्री पुष्पा जैन : वर्मा साहब ने जो कहा इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं की इज्जत लुटती तो लुट जाती।

श्री मानिकचन्द सुराना : आपको मुझ पर कुछ तो भरोसा होगा।

सुश्री पुष्पा जैन : आप पर पूरा भरोसा है, उनका नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं जवाब दे दूंगा। ये लोग जो वहां थे वे मिलिट्री ड्यूटी में नहीं थे और जब मिलिट्री ड्यूटी पर नहीं थे वे प्योर क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वहां

(श्री मानिकचन्द सुराना)

पर वाकिया किया है लालगढ़ पुलिस स्टेशन पर, अगर वे सिविल रूल ऑफ लॉ की परिधि में आते हैं माननीय गृह मन्त्रीजी तो किसने आपको सलाह दी है, क्या लॉ डिपार्टमेंट ने राय दी है ? यह मैं जानना चाहता हूं। आपके यदि ऐसे ही राय देने वाले अधिकारी हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन और गृह मन्त्रालय आपके बस की बात नहीं है। आप बहुत जल्दी ही एक्सपोज हो जायेंगे।

मैं इस मामले में यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो प्रपोजीशन आपने ले डाउन किया है मैं मांग करता हूं कि यह सरकार इस बात पर अफर्म करे कि यदि जनता के ऊपर लाठियां चलेगी, हॉकियां चलेगी, संबल चलेंगे चाहे वह सेना के जवान चलायेंगे तो यह सरकार और इसकी पुलिस लोगों के डिफेन्स में आयेगी और यह कैटेगरीकल स्टेटमेंट होम मिनिस्टर से चाहता हूं, और यह अगर-मगर की बात करें कि सेना से कन्फ्रन्टेशन हो जाता, किस बात का कन्फ्रटेशन हो जाता। और जब आप यह कहते हैं कि कन्फ्रन्टेशन हो जाता उस वक्त सरकार की समझ में कोई न कोई मति भ्रम है कि वह कह दे कि सेना से कन्फ्रंटेशन हो जाता। आपने कह दिया कि बहुत संवेदनशील मामला है। संवेदनशील मामला तो तब होता गहलोत साहब जब कि लोग किसी सेना की टुकड़ी की जवानों पर आक्रमण कर देते, बिना मतलब कर देते, अकारण कर देते। वहां तो लोग पिट रहे थे, जी. आर. पी. का सिपाही पिट रहा था। सबसे बड़ा लैप्स क्या है माननीय गृह मन्त्रीजी, इस स्टेटमेंट के इस पोर्शन को आप विद ड्रा करिये और कैटेगेरिकल स्टेटमेंट का जो मैंने आपको सुझाव दिया है उसके अनुसार अफर्म करके, अन्यथा आपका यह स्टेटमेंट हैण्डल बनेगा सारे पुलिस अधिकारियों के पास कि साहब हम क्या कन्फ्रटेशन करते ? जब भी ऐसे वाकिये आयेंगे आपका यह स्टेटमेंट कोट करके राजस्थान का सारा आई.पी.एस. ऑफिसर अपनी सारी जिम्मेदारियों से बरी हो जायेगा। इसलिए इस खतरनाक बयान को इस गैर जिम्मेदाराना बयान को आप विदड्रा करिये। और यह कहिए कि राजस्थान की पुलिस राजस्थान की जनता की सुरक्षा करेगी। और सेना के जवान को भी राजस्थान की जनता पर आक्रमण करने का, उस पर लाठी चलाने का और बन्दूक चलाने का कोई हक नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये ना, आप बैठिये।

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं गृह मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि सारे तथ्यों की पृष्ठभूमि में पहली मांग मेरी यह है कि कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत इन्क्वायरी करे, हाई कोर्ट के जज को अपॉइन्ट करे कि इस मामले को अत्यधिक गम्भीर बनाने का कार्य गृह मन्त्रालय ने जान बूझकर इस तरह के गलत बयान देकर और गैर कानूनी बयान देकर अपनी जिम्मेदारी में फंक्टस आफिशो बनकर आपने जो बयान दिये उस कारण से कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट बनाइये और जो स्टेटमेंट मैंने परसों दिया जिसको मैंने कोट किया उसको आप विदड्रा करें।

तीसरी बात यह है कि इस कमीशन ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट के साथ में यह

(श्री मानिकचन्द सुराना)

बीकानेर नहीं राजस्थान की जनता को यदि ये सारी विधान सभा और हम सबकी सामूहिक जो बुद्धि है, कलेक्टिव विजडम जो इस हाउस की है यदि हम यही कहना चाहते हैं कि लोग पीटते रहेंगे, कानून में उसका कोई रास्ता नहीं है। सेना के जवान जब पिटेंगे तो कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी सेना वाले करेंगे। और वह जो फैसला करेंगे यह हमको मन्जूर होगा। हमारा कोई वर्शन नहीं है। ये भी वर्शन्स आये हैं कि आपने कह दिया कि कल एक और एफ.आई.आर. हो गई। कल एफ.आई.आर. सोच समझकर फौज वाले अधिकारियों ने अपने वर्शन को पुष्ट करने के लिए की है कि लोग हम पर हमला कर रहे थे, पुलिस वाले हमला कर रहे थे, पुलिस अधिकारी भी हम पर हमला करवा रहे थे। यह कुल लुब्बे लुवाब उनका मुद्दा था एफ. आई. आर. का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एफ. आई. आर. से न दबिये. न ये कोई डिफेन्स का मैटर है, न फौज की ड्यूटी में तैनात किसी व्यक्ति के कर्तव्य का कोई सवाल है। वे लोग छुट्टी जा रहे थे। उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट किया है। प्योर एण्ड सिम्पल क्रिमिनल एक्ट है इसलिए उसको रूल्स ऑफ लॉ की परिधि में लाइये और जिन पांच लोगों को आपने पकड़ा है उस इन्क्वायरी को मुस्तैदी से चलाइये और जो 100 लोग फौज के इसमें शामिल है उनको भी इसमें मुल्जिम बनाइये, और अपनी पकड़ को जो कानून की पकड़ होनी चाहिए उसको ढीला न करें यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और इसके साथ में यह कहूंगा कि कलक्टर और एस. पी. इस कमीशन ऑफ इन्क्वायरी के दौरान में वह किसी भी तरह से वहां ड्यूटी पर तैनात नहीं होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन छंगाणी।

(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मन्त्रीजी से यह अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह का स्टेटमेंट देंगे। वैसे कन्फ्रंटेशन के बारे में जो यह वर्डिंग आया है कह चुके हैं, मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्रीजी के नाते उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करना। हमारा सिविल लॉ रूल ऑफ दी लॉ, जिसको हम समझते हैं उसको मान्यता प्रदान करना, उसको एनफोर्स करना यह पार्टी का, राजनीति का सवाल नहीं है। इससे ऊपर उठकर के गृह मन्त्री को सोचना चाहिए था। यह पुलिस का जिम्मा था, पुलिस डरती है, पुलिस का आर्मी का कन्फ्रंटेशन हो जाता। आर्मी, आर्मी एक्ट के तहत एन्क्वायरी करे, कोर्ट मार्शल करे, कुछ भी करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पर आज चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ अगर किसी औरत का रेप कर देता है और वह एफ. आई. आर. थाने में दर्ज करवाती है और थाने वाला उसको पकड़ता है तो इसका मतलब है कि आर्मी लेकर के आ जायेंगे, सिविल-लॉ नहीं रहेगा हमारे यहां। अगर सिविल लॉ को आपको एनफोर्स करने की ताकत है तो आपको सिविल लॉ एनफोर्स करना चाहिए। यह फण्डामेंटली क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। यह जो हाइपोथेटिकली आपने कल्पना की है कि पुलिस में और मिलिट्री में लड़ाई हो जाती क्यों लड़ाई हो

(श्री मोहन छंगाणी)

जाती ? मिलिट्री का क्षेत्र ही नहीं है। क्यों मिलिट्री वहां आयी ? जब मिलिट्री का क्षेत्र ही नहीं है सिविल ला का एनफोर्समेंट पहली बात थी। पुलिस इसमें सक्षम नहीं है तो पुलिस को खेंचना, पुलिस क्यों समक्ष नहीं हैं और पुलिस क्यों नहीं गयी ? आज जी. आर. पी. के हथियार लेकर चले जायें आर्मी वाले और पुलिस इसको रिकवर नहीं कर सके इससे बड़ी पुलिस के लिए और कोनसी शर्मनाक बात है और आप होम मिनिस्टर होने के नाते उस पुलिस को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं आज पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आथोरिटी है उसको एनफोर्स करने का, किस का फर्ज है, आपका फर्ज है। अगर आप वह फर्ज अदा नहीं करेंगे और जोधपुर के होते हुये कम से कम उस पानी की तो लाज रखिये आप, यह बताइये कि हम एनफोर्स करेंगे और यह सिविल ला है. रूल आफ दी ला है, वह कभी भी भंग होने नहीं देंगे। चाहे पुलिस हो या आर्मी। आर्मी हमारे एरिया में एनक्रोच करे, आर्मी का और उसका कन्फ्रंट्रेशन हो जायेगा कैसे हो जायेगा ? सूडान है, तन्जानिया है क्या ? यह लोकतन्त्र है, इस लोकतन्त्र की रक्षा के लिए कल आर्मी आपको उठाकर फेंक देगी, राजा बनकर यहां बैठ जायेगी, हम क्या करें यहां हम आपके साथ लड़ेंगे हम आपके साथ मरेंगे। इसलिए आर्मी को घुसने मत दीजिए। आर्मी के कन्फ्रंटेशन की कल्पना मत कीजिए अगर आर्मी इस तरह का काम करती है तो आर्मी को रोकिये, निश्चित तौर से रोकिये और पुलिस को हिदायत दीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हिदायत दीजिए। आर्मी का सवाल क्या है, आप उस पर फौरन कार्यवाही कीजिए और जिन पुलिस वालों ने यह काम नहीं किया है, रूल आफ ला का उल्लंघन किया है उनको सजा दीजिए तभी जोधपुर के पानी की लाज रहेगी। यहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट, एक मिनिट चुन्नीलाल जी बैठिये।

श्री शोपत सिंह : Why are you in a hurry ?

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed him. मैंने अलाऊ किया है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (गृह मन्त्री) : माननीय सदस्य मानिक चन्द जी सुराना ने जो सवाल उठाये और हमारे फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, मै समझता हूं कि मेरे वर्डिंग को गलत तरीके से लिया गया। मैं चेम्बर में इस बात को क्लीयर कर चुका था और आप लोग उससे कन्विन्स थे उसके बाद क्योंकि हाउस में आपने इस बात को उठाया है तो मैं चाहूंगा कि मैं....

श्री मानिकचन्द सुराना : How do you say that we were convinced ? किस आधार पर आप कहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Your impression is wrong.

श्री मोहन छंगाणी : आपको जिसने भी लिखकर दिया है, यह गलत लिखकर दिया है, आप जैसे गृह मन्त्री का यह स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं था।

श्री अशोक गहलोत : यह लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। मैं एक पैरा पढ़कर सुनाता हूं इससे क्लीयर हो जायेगी स्थिति। जो आपकी भावना है उसकी कद्र करते हुये मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। इसकी शुरूआत ही इसलिए हुई कि जो जवान थे वह आपस में लड़ पड़े, जी. आर. पी. के लोग खड़े थे, उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की मारपीट शुरू हो गयी। जब ज्यादा बात बढ़ने लगी तो कण्ट्रोल रूम को इत्तला दी गयी। यह दस-साढ़े दस के बीच की घटना है। उसके तत्काल बाद वहां के एस. पी., डी. आई. जी. कण्ट्रोल रूम और एडीशनल एस. पी. से सम्पर्क किया गया। जो सबसे नजदीक का थाना था उससे सम्पर्क किया गया। पुलिस फोर्स भेजी गयी। साइमलटेनियसली वहां पर जो मिलिट्री के अधिकारी थे उससे सम्पर्क करने की कोशिश की गयी।" यह जो बाकी बातें आ रही हैं यह इस सन्दर्भ में आ रही है, क्योंकि यह मामला इतना नाजुक था। मैंने इसलिए कहा कि नाजुक था इसलिए साइमलटेनियसली उनसे सम्पर्क करने की कोशिश की गयी। आप यह भी कह सकते थे कि पुलिस एस. पी. को इत्तला मिली, डी. आई. जी. को इत्तला मिली और मिलते ही सीधा उनको पहुंच जाना चाहिए था तो उस कन्टेक्सट में मैंने कहा कि क्योंकि वहां पर उनका हैडक्वार्टर था। "उनको इत्तला करनी इसलिए जरूरी थी, वह सीधे वहां पहुंच जाते और कुछ कन्फ्रंटेशन होता तो इसी हाउस में आप ही लोग यह बात कहते कि उनकी ड्यूटी थी कम से कम उनको इत्तला करनी चाहिए थी इसलिए कन्फ्रंटेशन हो गया। क्योंकि यह मामला इतना नाजुक था कि एस. पी. कलेक्टर वहां पहुंच भी जाते, मामले की बिना इत्तला किये हुये पुलिस फोर्स पहुंच भी जाती तो क्या हम यह उम्मीद करें कि मिलिट्री और पुलिस की बीच में कन्फ्रंटेशन होता तो हम समझते हैं कि पुलिस ने अच्छी कार्यवाही की।"

मेरा निवेदन इतना ही है कि यह मेरी भावना थी, इस भावना का इण्टरप्रिटेशन आपने जो लिया, मैं नहीं कहता कि आप जान बूझकर यह बात कह रहे हैं पर मैं जो अपनी भावना है आपको बता रहा हूं। कत्तई मेरी भावना यह नहीं है कि अगर उनको इत्तला मिल जाती मिलिट्री वहां पर सिविलियन्स पर अत्याचार कर रही है, एस. पी. और डी. आई. जी. इसका इन्तजार करते हैं कि जब वह वहां से चले जायें तब हम वहां जायें जिससे कन्फ्रंटेशन नहीं हो। ऐसी कत्तई मेरी भावना नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं शर्मनाक थी। मैं राज्य के गृह मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि प्रथम बात तो जवानों में क्रोध किस बात का था, आपने जवानों से, फौज के अफसरों से इस सम्बन्ध में पूछा है क्या? यदि आपने नहीं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

पूछा है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा राज्य के गृह मन्त्री इस बात की गहराई में जाये 24 जवानों का एक साथ छुट्टी लेना, उनका कोई तबादला नहीं, वह कोई एक साथ शादी में नहीं जा रहे थे। इस तथ्य की गहराई में आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास यह तथ्य है तो मैं चाहूंगा कि फौज के जवानों में इतना गुस्सा किस बात का था। तथ्य लड़ाई का यहां से है। जब हम आपस में एक दूसरे का नाम ले लेते हैं तो हमारे में, उपाध्यक्ष महोदय, कितना जोश है। इसलिए इस गहराई में इस बैकग्राउण्ड में गृह मन्त्रीजी आप जाइये। मंशा क्या थी, दर्द क्या था फौज के जवानों में जो एक साथ ब्रिगेडियर को जाकर के मजबूर किया है हमें छुट्टी दो और उन्होंने यहां तक कहा है कि आप अगर हमको छुट्टी नहीं देंगे तो हम सब भागेंगे जिससे फौज की बदनामी होगी, आपने पूछा है ब्रिगेडियर को, औरों को ? यदि आपने पूछा है और नहीं बताना चाहते हैं, गम्भीर तथ्य है तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आपकी जानकारी में है कि नहीं है। उसके बाद 24 जवान ही नहीं, जिसको कबूल आपने किया है। माननीय सदस्य देवीसिंह जी भाटी, बहुत सीनियर सदस्य हमारे सदन के शोपत सिंह जी गये हैं। लेकिन जो शर्मनाक घटना औरतों के साथ हुई है, उपाध्यक्ष जी, इसके भी विवरण सदन में नहीं रखे। बहुत बुरा हाल हुआ है बीकानेर का। इसलिए मैं, भाषण नहीं देकर के आपको गृह मन्त्रीजी, गहराई में जाना चाहिए कि उन जवानों में गुस्सा किस बात का था ? कहीं उनके पीछे घरों का गुस्सा तो नहीं है। जो राजस्थान की पुलिस चाहे न हो लेकिन पंजाब की पुलिस किसी उग्रवादी को पकड़ने के लिए उनके घर में बुरा व्यवहार तो नहीं किया है। इसलिए गृह मन्त्रीजी, आप बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आप अपनी दिल्ली की सरकार से इस सम्बन्ध में बात करें। खाली कोई बीकानेर टिकिट का झगड़ा नहीं है, खाली कोई रेल में जाने के रिजर्वेशन का झगड़ा नहीं है। मामला बहुत गम्भीर है। मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तथ्य की गहराई में जाइये वहां नारे लगे हैं, वह एरिया किस का है लालगढ़ ? वह रेखा किस गांव की है ? इसकी सारी गहराई में जाइये। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होगा इसका।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लालचन्द।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी ने भी कहा कि वहां के प्रशासन ने बड़ी तत्परता से काम किया है। हमारे साथी कह रहे हैं प्रशासन ने तत्परता से काम नहीं किया है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन काम उस वक्त करेगा जब राज्य की नीयत काम करवाने की हो। राज्य की खुद की ही नीयत जब काम करवाने की नहीं हो.... राज की खुद की ही नीयत जब काम करवाने की नहीं होगी। मैं प्रशासन के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं इस राज के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। अभी गृह मन्त्रीजी कह रहे हैं कि वहां कोर्ट आफ इन्क्वायरी शुरू हो गयी। और इनका काम खत्म हो गया ? नानावटी का केस यहां चला था, उसने कहां क्राइम किया था ? कौन सी अदालत में, कौन से थाने में किसने कार्यवाही की थी ? और मिलिट्री वाले छुट्टी

(श्री लालचन्द डूडी)

जा रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, स्टेशन पर कर रहे हैं, मिलिट्री एरिया नहीं है, घरों में कर रहे हैं। और हमारे गृह मन्त्रीजी कहते हैं कि कोर्ट ग्राफ इन्क्वायरी बैठ गयी।

श्री उपाध्यक्ष : यह थोड़े ही कहा कि केस समाप्त हो गये। आई. पी. सी. के केस जो रजिस्टर्ड हैं दे आर देयर।

श्री लालचन्द डूडी : फिर मैं पूछना चाहता हूं इसमें क्या कार्यवाही की आपने ? क्या क्या अरेस्ट हुए ? यह कर रहे हैं कि इनके जाने के बाद 6 तारीख को एक एफ. आई. आर. दर्ज हुई मिलिट्री की तरफ से। यह यूं नहीं समझते कि सारी की सारी स्टोरी बनाकर की गयी है, सारी कहानी बनाकर बाद में की गयी है ? इससे पहले दो एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी थी। यह यूं कह रहे हैं कि इनके पहुंचने के बाद हॉस्पिटल के अन्दर इन्होंने घायलों की जानकारी ली और उनको हिदायत दी। एक सीरियस था, उसके लिए इन्होंने कहा कि सीरियस है इस वास्ते दिल्ली भेजो। इनके जाने से पहले वहां का प्रशासन नहीं कर सकता था यह कार्यवाही ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि इस तरह की स्थिति को पैदा करके जहां मिलिट्री के छुट्टी जाने वाले जवान दारू के नशे में या किसी इण्टेंशन के वशीभूत किसी भी तरह से ऐसी बात वहां करें और दो घण्टे तक उस मोहल्ले के अन्दर एक-एक किलोमीटर जाकर लोगों के घरों में लोगों की औरतों की बेइज्जती करें, यात्रियों को तंग करें और उसके बाद में हमारे गृह मन्त्रीजी यहां बात करें कि वहां पुलिस चली जाती तो कन्फ्रण्टेशन बिटविन आर्मी एण्ड पुलिस हो जाता जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं बनती। गृह मन्त्रीजी, आपकी पुलिस नहीं जायेगी तो आपकी जनता आपके भरोसे मरती रहेगी ? आपकी महिलाओं की बेइज्जती होती रहेगी और आप पुलिस नहीं भेजोगे ? दुर्भाग्य है ऐसे गृह मन्त्री के लिए। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में इतना कमजोर गृह मन्त्री और +++ मुख्य मन्त्री बना....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो एक-एक बात के लिए दिल्ली घूम रहा है परमिशन लेने के लिए कि राजीवजी, मैं क्या करूं। गृह मन्त्रीजी यहां बैठे यह इन्तजार कर रहे हैं कि मुझे मुख्य मन्त्रीजी कहें कि साहब, मैं क्या करूं, हम देखेंगे, डिफेंस मिनिस्टर से कि हम, साहब, क्या करें। What the hell are you here for ? आप इस राजस्थान की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं आप उस राजीव गांधी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। आपका मुख्य मन्त्री राजीव गांधी के प्रति उत्तरदायी नहीं है आप इस राजस्थान की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। आप क्या इन्तजार कर रहे हैं कि हम 6 बजे स्टेटमेंट देंगे, चार बजे स्टेटमेंट देंगे। यह छः बजे, आपने कमाल कर दिया छः बजे स्टेटमेंट देकर। छः बज गये हम आ गये। आ गयी होगी कोई इन्फार्मेशन, हुकुम आ गया होगा। +++

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित की गयी।

श्री लालचन्द डूडी : कल्लाजी, आपका तो हलका है। छोड़िये इनको, छोड़िये हम लोगों को, आप खड़े होकर स्टेटमेंट दीजिए कि वहां की कार्यवाही ठीक थी या गलत, प्रशासन ने ठीक काम किया या गलत किया, अब तक जो कार्यवाही हुई वह सही हुई या गलत। आप जवाब दीजिए, आप भाषण दीजिए। उससे देख लेंगे बात क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : नाथू सिंहजी। पर्टिनेण्ट क्वश्चन प्लीज।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातें आ चुकी है इसलिए दो-तीन बातें जानना चाहूंगा। सदन को थोड़ी सी एक तो आप यह जानकारी दें कि जो कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठायी है उसका स्कोप क्या होगा, क्या इसका दायरा होगा ? क्या इस सम्बन्ध में आपने ऊपर डिफेंस मिनिस्टर से या किसी ओर से बात की है कि इसका दायरा क्या होगा, इस दायरे में यह सारी घटनायें आ सकेंगी कि नहीं आ सकेंगी ? और इसका परिणाम क्या होगा ? दूसरा, जो लोग घायल हुए हैं उनके सम्बन्ध में। यह इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इलेक्टेड गवर्नमेंट बेसिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी है, न तो पुलिस के प्रति उत्तरदायी न मिलिट्री के प्रति उत्तरदायी है। मिलिट्री कानून के अन्तर्गत मिलिट्री का एक अलग दायरा है। मिलिट्री का जो आपरेशन हुआ, मैं मानता हूं कि यह एक आपरेशन था, यह आपरेशन एक इल्लीगल आपरेशन था। सामूहिक रूप से वह गये, उन्होंने यह काम किया आपका कोई आदेश नहीं था ऊपर से, और कुछ नहीं था। उन्होंने जो इल्लीगल एक्ट किया उसके प्रति क्या आपने ऊपर डिफेंस मिनिस्टर से बात की या प्राइम मिनिस्टर से बात की ? इससे बड़ा इररेस्पोंसिबल एक्ट मिलिट्री का कोई हो नहीं सकता। जब लड़ाई होती है जनता उनके कन्धे से कन्धा मिलाकर सहयोग करती है। यदि जनता का विश्वास इस मिलिट्री से उठ गया तो इसका क्या परिणाम रहेगा ? क्या फौजी शासन हिन्दुस्तान में होगा ? जो मर्जी आये पुलिस की बन्दूक छीन लेगा, राइफल छीन लेगा ? आज तक आपने क्या उन राइफलों को रिकवर किया ? यदि नहीं किया, साधारण आदमी यदि आपकी पुलिस को पीट जाता है राइफल छीनकर ले जाता है तो आपका जिला प्रशासन और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर अब तक बैठी रहती ? क्या आपके जिला प्रशासन की यह ड्यूटी नहीं थी कि जिस समय उन लोगों की पिटाई हुई उसके बाद इमीजिएटली एक्शन में आते, कार्यवाही करते ? पुलिस को सूचना कितने बजे मिली और पुलिस हरकत में कितने बजे आयी। उपाध्यक्ष महोदय, एक और सवाल जो बार-बार गृह मन्त्रीजी कह रहे हैं। आपके डी. आई. जी. को इन्फार्मेशन हो गयी, डी. आई जी. ने एस. पी. को कह दिया। उसके बाद, आप कह रहे हैं कि एस. पी. वहां पहुंच गया था। जिस समय डी. आई. जी. को सूचना मिली, यह भी सूचना मिली होगी कि इसमें मिलिट्री के जवान हैं ? यह तीसरी घटना थी। मिलिट्री के जवान एक-दो तो होंगे नहीं, मिलिट्री के जवान इसका मतलब 10-20-50 होंगे। उसके बाद क्या उन्होंने पुलिस लाइन में फोन किया ? एस. पी. को यह क्यों नहीं कहा कि फोर्स लेकर तुरन्त उस जगह पहुंचो ? क्या इस तरह की बात की या केवल यह कह दिया

(श्री नाथू सिंह)

एस. पी. को फोन पर कि देख लेना मामले को ? और एस. पी. ने ईजी वे में लेकर इस मामले में कार्यवाही की हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं थी ? यदि जिम्मेदारी थी तो उस जिम्मेदारी को किस एक्सटैण्ट तक निभाया ? और यदि नहीं निभाया तो उनके प्रति आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंहजी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर सदन गम्भीरता से विचार करे। जी हां, इसलिए कहना चाहूंगा कि दोनों स्टेटमेंट जो गृह मन्त्रीजी ने दिये हैं अगर विथड्रा नहीं किये गये तो राजस्थान की जनता और देश की जनता+++ उपाध्यक्ष महोदय, कि मिलिट्री एरिया के बाहर कोई घटना हो रही है उस घटना की जांच हम मिलिट्री की कोर्ट को दे रहे हैं। इससे ज्यादा गलत बात हो नहीं सकती। जी हां, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी हमारे राजस्थान के जूरिस्डिक्शन की नहीं बैठ रही है। वह कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की जो बात कह रहे हैं वह आर्मी की जो कोर्ट मार्शल की कमेटी बैठती है वह है।

श्री उपाध्यक्ष : That is seperate issue. मिलिट्री वाले अलग से कर रहे हैं कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी।

श्री यदुनाथ सिंह : हम क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अपने केसेज रजिस्टर्ड हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : एक केस में दो प्रोसीक्यूशन कर लेंगे क्या आप ? एक केस में दो प्रोसीक्यूशन कर सकते हैं क्या आप ? आप कैसी बात कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : That is an enquiry.

श्री यदुनाथ सिंह : नो, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी शब्द बोला है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को कोई जनरल आकर वहां विधान सभा से बाहर निकल रहा होऊं, थप्पड़ मार दे, माणक चौक में रिपोर्ट दर्ज करूं तो मेरे केस की जांच होगी कोर्ट ऑफ लॉ में, आर्मी के कोर्ट ऑफ मार्शल में ? वहां पर बहन-बेटियों को उठाकर ले जायं, डकैती डालकर ले जायं मिलिट्री एरिया में और जांच करेगी मिलिट्री ? राजस्थान की सरकार यहां की जनता को प्रोटेक्शन देगी इसकी क्या गारण्टी है ? इस तरह से इसको डाइवर्ट करके नहीं, यह सेंसिटिव मामला है इस विषय पर हम केन्द्र सरकार को कह रहे हैं, उससे निवेदन कर रहे हैं। राजस्थान की जनता का प्रोटेक्शन हो, उसकी इज्जत बची रहे, उसकी आबरू बची रहे, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की है। इस जिम्मेदारी से राजस्थान सरकार बच नहीं सकती। दो डिस्प्युट चल रहे हैं बहस में। इसमें कोई डिस्प्युट नहीं है, सरकार भी मानती है, विपक्ष भी मानता है और राजस्थान की जनता भी मानती है कि यह घटना शर्मनाक हुई है और यह

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यदुनाथ सिंह) :

घटना घटित हुई है। इसमें कोई डिस्प्युट नहीं दोनों तरफ से। डिस्प्युट इस बात का है पहला तो मैंने कहा। मैंने कहा जूरिस्डिक्शन का कि हमें खुद को जांच करनी चाहिए। हमारी राइफल ले गये, राइफल बरामद करके लाये क्या आप ? उसमें आपने कार्यवाही की क्या ? राइफल पड़ी मिली, आपने बयान में कहा था।

(6.00 म. प.)

40 कारतूस और राइफल मिलिट्री एरिया के अन्दर पड़े मिले वह आपकी कस्टडी में है, मिलिट्री की कस्टडी में है, मुलजिमान हत्या करके चले जायें, डकैती डालकर आर्मी वाला चला जाय, रेप करके किसी के साथ चला जाय और आप कह दें कि इसकी तो आर्मी जांच करेगी, डिफेन्स मिनिस्टर से कह रहे हैं कि मामला सेंसेटिव है। यह मैसेज अगर यहां की जनता में चला गया, इस प्रकार की बात देश की जनता और राजस्थान की जनता को पता लगेगी तो +++ इसलिये ऐसा कोई मैसेज जनता में मत जाने दीजिये सरकार असहाय है और मिलिट्री का कोई भी व्यक्ति किसी तरह का अत्याचार और पापाचार करे उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्य मन्त्रीजी अब डिफेन्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे।

दूसरा, डिस्प्युट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि लेपसेज प्रशासन के थे या नहीं थे, प्रशासन के कितने लेपसेज थे। आपने स्वयं ने माना है अपने स्टेटमेंट में कि पुलिस-फोर्स फौरन पहुंच गयी, तो क्या डी. आई. जी. पहुंचे ? मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जी. आर. पी. के सिपाहियों के चोटें आई हैं अगर पुलिस वहां पर पहुंच गयी थी मौके पर तो जो सिविल पुलिस है उसके कितने सिपाहियों के चोटें उस दिन आयीं ? अगर किसी सिपाही के चोट नहीं आयी है तो इससे स्पष्ट है कि पुलिस फोर्स वहां पर नहीं पहुंची। पुलिस की चौकी बिलकुल सामने है, इत्तला हो गयी, आप कह रहे हैं कि सवा ग्यारह बजे एस. पी. वहां पर पहुंच गया, 11.10 पर लालगढ़ स्टेशन पर। लेकिन क्या ?

एक माननीय सदस्य : 11.20 पर।

श्री यदुनाथ सिंह : 11.20 होगा, 11.10 होगा Whatever it is, उसने उच्चाधिकारियों से बात की साइमलटेनियशली जो बात आयी है लेकिन क्या आपके डी. आई. जी. घटना घटी उसके बाद तक स्टेशन पर जाने की उन्होंने जरूरत महसूस की ? क्यों नहीं की ? इसलिये आप लीपापोती करके, इन बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास करेंगे तो राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। इसलिये मेरी दो शंकायें हैं, जो मैसेज है इस तरह का उसे जनता में मत जाने दीजिये कि राजस्थान की सरकार असहाय है। मैं चाहूंगा कि इस बात को मद्दे नजर रखते हुए गृह मन्त्रीजी इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाये और इसको आप विथड्रा कीजिये और केन्द्रीय सरकार से कहिये कि हमारे क्षेत्र में, हमारी टैरेटरी में क्राइम किया है, इन मुलजिमों को हमें सौंपने का काम करिये, हम उनका प्रोसिक्यूशन करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तब तो हम आपकी हिम्मत मानेंगे

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यदुनाथ सिंह)

कि राजस्थान की जनता को आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं अदरवाइज जहां आर्मी होगी उसने निर्द्वन्द होकर, रोज की घटनायें आती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर एरिया में बहन-बेटियों की इज्जत लूटने की ऐसी सौ घटनाओं की कम से कम मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। इस प्रकार के अत्याचार होंगे तो क्या वह सेना, हमारी फौज जो दुश्मनों से रखवाली कर रही है लेकिन अपनी जनता को मार रही है तो दुश्मन में और ऐसी फौज में क्या फर्क हुआ ?

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में बहुत गम्भीरता से चिन्तन करने की जरूरत है और आप इस विषय को किसी सूरत में केन्द्र सरकार के भरोसे मत छोड़िये, आप केन्द्र सरकार से यह मांग कीजिये कि ये-ये हमारे मुलजिमान हैं, इन मुलजिमान को हमें सौंपने का काम करिये और आप उनके ऊपर उस हिसाब से कार्यवाही करें और उनको सजा देने का काम करेंगे तभी आपके प्रशासन का, आपकी सरकार का राजस्थान की जनता को विश्वास बन पायेगा। मेरे यह दो प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, जिस प्रास्पैक्टिव से माननीय गृह मन्त्रीजी ने इस सारे इन्सिडेन्स को देखा है वह बड़ा हाफ हार्टेड है। उस इन्सिडेन्स को आइसोलेटेड करना चाहिये, आर्मी के फंक्शन से कंडक्ट से जब तक आप आईसोलेटेड नहीं करेंगे तब तक ऑनेस्ट रीजन्स डिफाइन नहीं कर सकते। दो एफ. आई. आर., मान्यवर, 4 जुलाई को हुई–एक तो हुई इनके मिलिट्री के लाइजन ऑफिसर हैं, जिससे झगड़ा हुआ और एक जी. आर. पी. के हैड कान्स्टेबल हैं और 6 तारीख को एक आदमी ने दिये हैं, ब्रिगेडियर जो वहां पर कमान्डर इन चीफ है, वहां पर जो कमाण्ड करता है यह आफ्टर थाट था, यह डिफेन्स होगा, कोर्ट में इन्क्वायरी के सामने जो उन्होंने 6 तारीख को एफ. आई. आर. दर्ज करवाई। एक एफ. आई. आर. तो वह दो है, और 4 तारीख को उनके लाइजन आफिसर ने दी है वह एट वेरियेन्स है। उनमें बहुत फर्क है आपस में। लाइजन आफिसर मौके पर था, झगड़ा उससे हुआ, फैक्टस उसके सामने है, कौन-कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने मार-पीट की, कितने बाद में आये। सैकण्ड स्टेज में जो आपरेशन किया री-इन्फोर्समेण्ट के बाद और, मान्यवर, रेम्पेज पर आ गये, मिलिट्री के कुछ पर्संस रेम्पेज पर आ गये, ऐसा लगता था कि रन-अमक हो गये थे। इसलिये उसका आइसोलेटेड इन्सिडेण्ट था।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 5 आदमी आपकी कस्टडी में है क्या आप उनको सरेण्डर कर देंगे ? अपना जो ला है, जो सिविल है उसके तहत उनका चालान कीजिये और चालान करने के बाद वस्तु स्थिति जो है वह हमारे सामने आ जायेगी। मान्यवर, मैं यहां पर मिलिट्री के हाई मौरल की तारीफ करते रहे हैं और करेंगे और मिलिट्री की बहादुरी की हमने हमेशा तारीफ की है और करेंगे, उनके कन्डक्ट बिहेवीयर की, बहादुरी की तारीफ की है। वहां पर मिलिट्री में, मान्यवर, कुछ इनडिसिप्लिन भी क्रीपइन हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता, मान्यवर, क्रिमिनल

(श्री केदारनाथ)

मैन्टेलिटी भी उनमें डवलप हो रही है, कुछ लोगों में क्रिमिनल मैन्टेलिटी भी हो रही है अगर उसको हमने टाइमली चैक नहीं किया, भारत सरकार ने तो ड्रेटेक्डफुल डाइमेन्शन भी एज्यूम कर लें तब मिलिट्री में ऐसी हालत पैदा हो जाय तो उस वक्त में क्या होगा, देश की हालत क्या होगी आप और मैं अन्दाज नहीं लगा सकते हैं।

मान्यवर, बीकानेर में अन-सिक्यूरिटी है, लोग भयभीत हैं और उनमें दहशत है। पुलिस का रोल क्या होना चाहिये यह जब रेंकुशड व्यक्तियों पर, मिलिट्री के पर्सन रेम्पेज पर आ जाय, हमला बोल दें, इज्जत को लूटें और वहां पर लूट-मार कर दें, मार-पीट करें, कालोनीज में जाकर तो पुलिस का या रोल होना चाहिये। आपके स्टेटमेंट के बाद तो पुलिस का रोल तो यह होना चाहिये कि आइडल पुलिस देखती रहे। इसका मतलब यह है कि आपने पब्लिक की सिक्योरिटी की जो आपकी जिम्मेदारी है, ला एण्ड आर्डर कायम करने की जिम्मेदारी है, बेसिक जिम्मेदारी है पुलिस की उससे दूर कर रहे हैं आप। इसलिये आपके स्टेटमेंट के वर्जन को और इम्प्रूव नहीं किया गया, मान्यवर, कोर्ट आफ इन्क्वायरी में तो वह निर्दोष पाये जायेंगे। वह 6 तारीख का जो उनका स्टेट-मेंट है एफ. आई आर. है वह ऐनकर फैक्ट है, डिफेन्स उनके सामने हैं उसको लेकर निर्दोष साबित कर देंगे। आपकी कोर्ट के सामने जो भी केस है वह खतम हो जायेगा और यही हालत पैदा हो जायेगी और आइन्दा मिलिट्री में यह टेन्डेन्सी बढ़ती जायेगी और देश के सामने खतरा पैदा हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंह जी।

श्री सी.पी. जोशी : एक प्रश्न मुझे भी।

श्री उपाध्यक्ष : नवरंग सिंहजी बोल लें उसके बाद (व्यवधान) भैरोंसिंहजी से पहले बोलेंगे ?

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और माननीय गृह मन्त्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने कोर्ट आफ इन्क्वायरी की बात कही। एक तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कोर्ट आफ इन्क्वायरी को बैठी है और आप कहते हैं कि हमारे सेक्रेटरी और उनके सेक्रेटरी का आदान-प्रदान हुआ है। तो क्या आपने ऐसी कोई अनुमति दी है कि कोर्ट आफ इन्क्वायरी बैठने के बाद इस मामले को बिलकुल ठण्डा कर देंगे ? क्योंकि जैसा आपने कहा कि कोर्ट आफ इन्क्वायरी बैठ चुकी है इसलिये अब वस्तु स्थिति के तथ्यों की चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूं। इससे ऐसा लगता है कि आपकी मन्शा और सरकार की मन्शा यह लगती है कि इसको कोर्ट आफ इन्क्वायरी के भरोसे छोड़कर, जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिये राजस्थान सरकार अपनी कोई जिम्मे-दारी नहीं लेना चाहती है।

एक सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे कि यह जो कुछ भी घटना घटित हुई है इसके पूर्व क्या वस्तु स्थिति थी और यह बात सही है कि जिन 24 आदमियों के जाने की बात थी, वहां पर ऐसे कोई तथ्य

(श्री नवरंग सिंह)

थे कि आपने इस बारे में अपने प्रशासनिक अधिकारियों से या पुलिस से जांच पड़ताल करवायी कि यह जो घटना घटी है इस घटना के घटने के क्या कारण है ?

तीसरी बात, यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को गम्भीर हालत थी उनकी ठीक दवा-दारू का इन्तजाम क्यों नहीं किया गया ? जब आप और स्वास्थ्य मन्त्रीजी वहां पर गये, तो न तो आप डाक्टर हैं और न स्वास्थ्य मन्त्रीजी डाक्टर हैं यह तो पहले से ही साफ था कि जिस आदमी को आप कहते हैं कि हमने बाहर भिजवाया इलाज के लिये, उसकी हालत खराब थी, इसके पहले वहां के डाक्टर ने अपने लेवल पर उस आदमी को इलाज के लिये बाहर क्यों नहीं भिजवाया ?

एक बात यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग घायल हैं और आपने थोड़ी बहुत सहायता दी है इससे तो उनका कोई काम चलने वाला नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि क्या आप उनके समुचित इलाज के लिये, समुचित प्रबन्ध के लिये सहायता देने की इस समय घोषणा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विस्तृत चर्चा माननीय देवीसिंहजी भाटी साहब और शोपतसिंहजी ने की, उसके बाद 2–3 जो मुद्दे हैं उसके सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहला तो जो घटना हुई उसका तत्काल जनता में कान्फिडेन्स कैसे रेस्टोर किया जाय। दूसरा, भविष्य में यह घटनायें रीकरेंस नहीं करें इसकी आवश्यकता है और तीसरा, मैन जो मुद्दा है हमारे सामने इसमें दो पार्ट हैं-एक पार्ट तो यह है कि जो 24 या 17 आदमी छुट्टी पर जा रहे थे उनका कन्फ्रन्टेशन हुआ मिलिट्री वाले लोग किसी मूवमेंट कन्ट्रोलर आफिस से उसमें जी. आर. पी. और जनता का इन्वाल्वमेंट यह एक पार्ट है। और दूसरा उसका पार्ट यह है कि मिलिट्री के आदमी, जो वहां कन्टोनमेंट है और उस कन्टोनमेंट के जो आफिसर है, उनके अधिकारी है उनको परमिशन से, उनकी नॉलेज से गये। यह दोनों अलग-अलग पार्ट हैं, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना को हम दो पार्ट में लें। एक पार्ट की घटना इसमें यह है कि 24 आदमी जो छुट्टी पर जा रहे थे। उनका कन्फ्रन्टेशन जी. आर. पी. की पुलिस और सिविल रूल्स आफ लॉ, उसको कोई रोकता नहीं है। दूसरे जो आदमी मिलिट्री के अन्दर कन्टोनमेंट में थे और कन्टोनमेंट में वह आये और उसके बाद उन्होंने कमिश्नर के यहां उनका इन्वालमेंट निश्चित तौर पर मिलिट्री के पार्ट का इन्वालमेंट है। इसलिये यह आवश्यक है जो माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा और माननीय यदुनाथसिंह जी कह रहे थे कि हम क्यों मिलिट्री की इन्क्वायरी का पार्ट बनाना चाहते हैं। मिलिट्री की इन्क्वायरी का पार्ट हम इसलिये बनाना चाहते हैं जो एस्ट्रोसिटिज कमिट हुये हैं। उस एस्ट्रोसिटिज कमिट करने में कन्टोनमेंट से आने वाले मिलिट्री के जो आदमी हैं जिनका टोटल ज्युरिडिक्सन वहां के ब्रिगेडियर और तमाम उनके जो मिलिट्री

(202)

(श्री सी पी. जोशी)

के ग्रोफिसर हैं उनका पार्ट है। इसलिये निश्चित तौर पर मिलिट्री की इन्क्वायरी इस घटना के लिये मस्ट है। मैं माननीय लूणकरणसर से ग्राने वाले माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि कोई भी सरकार हो उस सरकार की सबसे बड़ी यह ड्यूटी है कि अपना सिविल रूल्स ग्राफ लॉ प्रिवेल करें ग्रौर जनता पर एस्ट्रोसिटिज करने वाले यदि मिलिट्री के हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि हमारी पुलिस जनता के साथ खड़ी होकर उनका मुकाबला करें। इस घटना में दो चीजें हुयी हैं। पहली घटना का मुकाबला जी. ग्रार. पी. ने किया है। जी. ग्रार. पी की लालगढ़ पर चौकी ग्रौर उसका थाना लगता है बीकानेर के स्टेशन पर पहली घटना के बाद जी. ग्रार. पी. की पुलिस बीकानेर के स्टेशन से वहां पर ग्रायी उनका मुकाबला करने के बीच में जो 24 ग्रादमी छुट्टी पर जा रहे थे। उनमें से एक ग्रादमी ने मिलिट्री के उनके जो साथी थे उनको बुलाकर ले ग्राये। इसलिये उनका नम्बर प्रिवेल कर गये उन जी. ग्रार. पी. के पुलिस वालों पर। इसलिये सिविल पुलिस ग्रायी उसका डिले हो गया। इस घटना में जो मेन मुद्दा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना फेज में हुयी है पहली घटना हुयी, रेप हुग्रा ग्रौर दूसरी घटना के बीच में जी. ग्रार. पी. की पुलिस का नम्बर कम होना ग्रौर कन्टोनमेंट से मिलिट्री का ग्रादमी ग्राना। उसने ग्रोवर पावर कर दिया जी. ग्रार. पी. की पुलिस की प्रजेन्स को जनता को ग्रौर वहां पर जो एस्ट्रोसिटिज की हैं उसके बाद एस. पी. ग्रौर डी ग्राई जी. पिक्चर में ग्राये। इसलिये मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस संबंध में भी सरकार की व्यवस्था के संबंध में जानकारी यदि इस तरह की है तो इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ग्रावश्यकता है यदि कन्फ्रन्टेशन होता है तो डी. ग्राई. जी. के ग्रादमियों को पहले सूचना एस. पी. को देनी है या जी. ग्रार. पी. के थाने को देनी है। इसमें प्रशासन के संबंध में जो चिन्ता व्यक्त की जा रही है। जहां सरकार यह कह रही है कि हम प्रशासन के ग्रधिकारियों के कार्यों से सन्तुष्ट हैं वहां माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि प्रशासन निष्क्रिय हैं। उसके बीच में गेप का कारण शायद यह हो सकता है कि जी. ग्रार. पी. का पहले मूवमेंट हो गया। उस समय इस पुलिस का जो सिविल हमारा मूवमेंट होना चाहिये था। एस. पी. ग्रौर डी. ग्राई. जी. का उसके मूवमेंट के बीच में गेप हो गया। इसलिये मैं चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती की घटना शर्मनाक है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि जिस तरह की एस्ट्रोसिटिज की है वह ग्रौरगेनाइज ढंग से की है ग्रौर ग्रोरगेनाइज ढंग से जिस तरह की है उसमें मिलिट्री को ग्रोरगनाइज, जिनकी नौकरी मिलिट्री के ग्रन्दर थी, उन लोगों ने पार्टीसिपेट किया है। इसलिये मैं चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तथ्यों के ग्राधार पर (व्यवधान) सैकिण्ड घटना के समय जब जी ग्रार. पी के थाने से पुलिस ग्रा रही थी उनका नम्बर तो केनटोनमेंट में ग्राने वाले ग्रादमियों ने ग्रोवर नम्बर कर दिया इसलिये एस्ट्रोसिटिज ज्यादा हो गयी ग्रौर यह नहीं हो पायेगा। मैं तो यह कहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सारी घटना के पीछे निवेदन करने की

(श्री सी. पी. जोशी)

मन्शा यह है कि वहां पर भविष्य में घटना रिकरेन्स नहीं हो और पब्लिक में कोन्फिडेन्स रेस्टोर हो। इस संबंध में हमें कोई बात सदन के सामने कहनी चाहिये जिससे पब्लिक के अन्दर यह मैसेज जाये कि जनता में कोन्फिडेन्स रेस्टोर होने के लिये वहां पर हमने कोई एक्शन लिये हैं और भविष्य में इस तरह की घटना रिकरेन्स नहीं हो ?.... (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : आप की और हमारी एक ही है। सिर्फ हमारे ट्रुथ डिफरेन्ट हैं और आपके ट्रुथ डिफरेन्ट हैं।

श्री सी. पी. जोशी : हमारे ट्रुथ डिफरेन्ट नहीं हैं। हमारे और आपके ट्रुथ में यह डिफरेन्स है कि घटना दो फेज में हुयी है और घटना दो अलग अलग तरह के आदमियों ने की है। एक और छुट्टी पर जाने वाले आदमी और दूसरी ओर जो मिलिट्री में काम करने वाले आदमी थे उनके वाले आदमी थे उनके आफिसर की नोलेज में वहां पर आकर घटना की है। यह दो अलग-अलग पार्ट हैं। इस संबंध में जी. आर. पी. पुलिस आयी। जी. आर. पी. पुलिस और एस पी. पुलिस और डी आई. जी. के बीच में दो घटनाक्रम हुये। इस संबंध में इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम घटना की चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम सही ढंग से इसका विवेचन कर पायेंगे। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि हमें तात्कालिक रूप से जनता में कोन्फिडेन्स रेस्टोर करने के लिये कि यह भविष्य में घटना, कोई एक दिन की घटना नहीं है। जैसा माननीय देवीसिंह जी भाटी कह रहे थे कि जहां-जहां मिलिट्री की छावनियां हैं। वहां इस तरह की घटनायें होती हैं। यह घटनायें रिकरेन्स नहीं हो। इसको चैक करने के लिये निश्चित तौर पर हमारे पास एक फीड बैक होना चाहिये। इसको चैक करने के लिये हम क्या-क्या व्यवस्था कर रहे हैं जिससे भविष्य में इसको चैक कर सकें। इस संबंध में भी हमें सोचना और विचार करना ज्यादा आवश्यक है और इसके लिये भारत सरकार से कोई बात करनी हो तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार को भारत सरकार से बात करनी चाहिये। जिससे कि इस तरह की घटनायें रिकरेन्स नहीं हो। यही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। आप बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो थी ही लेकिन आज गृह मन्त्रीजी का वक्तव्य भी उसी सीमा तक दुर्भाग्यपूर्ण है। उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यों में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। माननीय गृह मन्त्री जी ने परसों वक्तव्य दिया और उसके साथ ही माननीय सदस्यों ने परसों या आज भी जानकारी दी। इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आया। प्रश्न यह आता है कि इन के आधार पर राज्य सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये और क्या राज्य सरकार ने अपेक्षित कार्यवाही की है ? यदि इन दो प्रश्नों का उत्तर सरकार की ओर से सन्तोषजनक मिले तो केवल विधान सभा में सदस्यों को ही सन्तोष नहीं होगा जिस जनता के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है उनको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस बात की सांत्वना मिलेगी । उनमें इस बात का विश्वास उत्पन्न होगा कि राज्य सरकार हमारी रक्षा करने का दायित्व लिये हुये हैं । और उस दायित्व को सही प्रकार से निर्वहन कर रही है और यदि सरकार ने कुछ नहीं किया तो न केवल सरकार के प्रति लोगों के विश्वास में कमी होगी । आर्मी के प्रति भी विश्वास में निश्चित रूप से कमी होगी । इस दृष्टि से मामला बहुत महत्वपूर्ण है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न आता है कि सेना के बीच में और जनता के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार की घटनायें कई हो चुकी हैं । कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी सदन में एक हरिजन की लड़की के साथ आर्मी के जवानों द्वारा बलात्कार करने का मसला इसी विधान सभा में उठाया था । हाउस के अन्दर बड़ी उत्तेजना पैदा हुयी । माननीय सदस्य को शायद सात या आठ दिन के लिये सदन छोड़ना पड़ा लेकिन यह बात निश्चित हुयी कि विधान सभा की चर्चा का असर आर्मी पर हुआ, आर्मी के कमाण्डर्स पर हुआ और केन्द्रीय सरकार पर हुआ जिसके परिणामस्वरूप आर्मी के व्यक्तियों को पुलिस के सरण्डर करना पड़ा । उनका चालान हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनायें कई बार हुयी । अब इस घटना को जनता यह समझकर सहन कर लें कि आर्मी के बड़े हाथ हैं हमारी सरकार के छोटे हाथ हैं । यह सरकार आर्मी का, कोई भी आर्मी के जवानों के खिलाफ किसी प्रकार कोई एक्सन नहीं ले सकती तब तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा । प्रश्न आता है कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की जिम्मेदारी आर्मी की है या लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, सरकार की है ? मैं समझता हूं आर्मी ने तो कभी क्लेम नहीं किया है कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी आर्मी की है लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है । अब एक प्रश्न आ रहा था कि आर्मी के कमाण्डर के आदेश से जब आर्मी के कमाण्डर को यह सूचना दी गयी कि जवान पिट रहे हैं और उन्होंने ट्रकों में भरकर जवान भेजे मैं पूछना चाहता हूं गृह मन्त्री जी कि क्या आर्मी के कमाण्डर की यह ड्यूटी नहीं थी कि उनको इस बात की जानकारी मिले कि लालगढ़ रेल्वे स्टेशन पर आर्मी के जवान पिट रहे हैं, लोग पीट रहे हैं तो क्या ब्रिगेडीयर की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने जवान भेजने से पहले डी. आई. जी. और कमिश्नर को सूचना देते और डी. आई. जी. और कमिश्नर से इस बात की सहायता मांगते । पुलिस चाहे जी. आर. पी. हो या और कोई पुलिस हो और जनता के लोग आर्मी के लोगों को पीट रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सूचना देकर कलक्टर, एस. पी. डी. आई. जी. और कमिश्नर की सहायता मांगते तो आर्मी के ट्रक जाने की आवश्यकता नहीं थी पुलिस जाकर शान्ति और व्यवस्था कायम कर सकती थी ।

अब आरम्भ होता है, उपाध्यक्ष महोदय, अब तक की सूचना के अनुसार एरिया कमाण्डर ने कलक्टर को सूचना नहीं दी, डी. आई. जी. और कमिश्नर या कलक्टर को सूचना नहीं दी । एरिया कमाण्डर ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तुरन्त जितने जवान भेज सकता था वहां पर भेज दिये। उपाध्यक्ष महोदय, आर्मी कमाण्डर को क्या कहा, आर्मी कमाण्डर ने यह आदमी क्यों भेजें। इसकी चर्चा न तो मैंने सुनी है और न मुझे इस बात की जानकारी है। लेकिन वहा से लोग आये। आप यह मानकर चलिये कि आर्मी का एक्शन होता है तो आर्मी हथियारबन्द आती है। बिना हथियार के आर्मी मूव नहीं करती है। इस प्रकार की घटना हुई और हथियार इसलिए आर्मी के पास होते हैं कि आर्मी का काम नहीं है कि लोगों को स्टिक से पीटे, लोगों को डण्डे से पीटे, लोगों को सरियों से पीटे, यह आर्मी का काम नहीं है। आर्मी का यदि कोई एक्शन होता है तो आर्मी कमाण्डर हथियार देकर भेजता है। हथियार नहीं दिये, रोड्स लेकर आये, स्टिक लेकर गये। इसका मतलब यह था कि आर्मी कमाण्डर की भी यह इच्छा थी कि जो लोग पीट रहे हैं उनको सबक सिखाकर आओ। अब मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि जब आर्मी कमाण्डर इस प्रकार का आदेश दे सकता है, उस कोर्ट आफ इन्क्वायरी से क्या निकलने वाला है। उस कोर्ट आफ इन्क्वायरी से कोई असलियत निकलने वाली नहीं हैं। इसी सन्दर्भ में आपने कहा कि जो कुछ सरकारी आफिसरों ने या जिला प्रशासन ने फैसला किया, मैं उससे सन्तुष्ट हूं। मैं आपके भाषण की दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपने अपने भाषण में कहा है कि ड्यूटीरत रेल्वे कर्मचारियों को भी पीटा, भागते हुए मुसाफिरों और रेल्वे कर्मचारियों को पीटा गया, यात्रियों का सामान भी तोड़-फोड़ हुआ और यात्रियों के सामान की लूटपाट हुई। मैं, गृह मन्त्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लूटपाट का माल पुलिस बरामद करेगी या आर्मी बरामद करेगी? कोर्ट आफ इन्क्वायरी एक दूसरा विषय है। इस लूटपाट का माल कौन बरामद करेगा।

श्री लालचन्द डूडी : गृह मन्त्रीजी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं ?

श्री लालचन्द डूडी : गृह मन्त्रीजी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आता है हिंसा पर उतारू फौजियों ने जी. आर. पी. की लालगढ़ चौकी को क्षतिग्रस्त किया तथा जी.आर.पी. के सिपाहियों की दो राइफलें मय 40 कारतूस लीड, जो बाद में मिलिट्री एरिया में पड़ी थी। अब इन दो प्रश्नों के ऊपर जानकारी करना चाहता हूं। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेन्ट होता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायित्व होता तो आज दो दिन हो गये कोई माल बरामद हुआ ? वहां पर रेल्वे के मजदूर जो तनख्वाह लेकर जा रहे थे, उन मजदूरों के रुपये निकाल लिये। कई लोगों की अटेचियां ले गये, कई लोगों के ब्रीफ केस ले गये। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक बरामदगी क्यों नहीं की ? माननीय सदस्य जो बीकानेर जाकर आये हैं, आज ही मुझे कहने लगे कि जो अस्पताल में बीमार पड़े हैं वह तो 52-55 आदमी हैं ही, (व्यवधान) 46 से ज्यादा या 52 से ज्यादा लोग हैं, वह उपचार कराने के लिये नहीं गये, घरों में पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय गृह मन्त्रीजी, आप कम से कम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह तो बता दें सदन को कि आपकी पुलिस जो इन्वेस्टीगेशन कर रही है, कितने आदमियों के बयान अब तक रिकार्ड किये। क्या आज तीन दिन के बाद भी आप यह कह सकते हैं कि कितने आदमियों का किस प्रकार का माल गया। किस मूल्य का माल गया। और उस माल में से आपने आज तक क्या बरामद किया। एक पैसा बरामद नहीं किया, एक सामान बरामद नहीं हुआ और आपने ...

श्री शोपत सिंह : टेलीविजन छीन लिया।

श्री मानिकचन्द सुराना : जी.आर पी. की बन्दूकें.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टेलीविजन छीन लिया वह गांव वालों ने वहीं पकड़ लिया। वही तो मैं कह रहा हूं। अब यह बन्दूकें जो वहां पड़ी मिली, यह बन्दूकें कहां हैं। पुलिस के कब्जे में हैं या उसी जगह पर पड़ी हैं या आर्मी के कब्जे में हैं। यह तो सरकार को कम से कम बताना चाहिए। मैं इस बात के लिए तो बधाई देता हूं, गृह मन्त्रीजी आपको, कि आपके आते ही पुलिस पिट गई और हथियार छिन गये। लेकिन यह पुलिस और हथियार आपके नहीं हैं, राजस्थान की जनता के हैं। आपको शायद इस बात का दर्द नहीं हुआ है, लेकिन हमें इस बात का दर्द है कि पुलिस पिट गई। हमें इस बात का दर्द है कि पुलिस के हाथों से हथियार छिन गये। हमें इस बात का दर्द है कि हथियार पड़े हुए थे उनको बरामद नहीं कर पाये। हमें इस बात का दर्द है कि जनता का माल लूट गया। उसमें एक कोडी बरामद नहीं हुई। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और गृह मन्त्रीजी से आपने कहा कि मैं तो पूर्णतया सन्तुष्ट हूं। बीकानेर की जनता कहती है कि हम पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हैं। बल्कि हमारे में रोष है, हम पूर्णतया असन्तुष्ट हैं। वह लोग अपील करने कहां जायेंगे? राजस्थान के गृह मन्त्री जब सन्तुष्ट हो गये तो हमारे पास तो अपीलेट कोर्ट ही नहीं है, किसको जाकर हम फरियाद करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिण्टेन्डेन्ट ने, जिसने अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में कोताही की है, इसकी जांच की जाय, किसको जाकर हम कहने वाले हैं। हमारा रास्ता आपने इस बात का बन्द कर दिया कि हम किसी को इस सम्बन्ध में शिकायत नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कई मसलें हैं। माननीय देवीसिहजी ने कहा, नारे लगाये। मैं समझता हूं इतना सेन्सिटिव मेटर है केवल विधान सभा में कह दिया इससे नहीं, सरकार को इस विषय में कहना चाहिए नारे लगाये या नहीं लगाये। नारे लगते हैं तो स्थिति दूसरे प्रकार की है, नारे नहीं लगते हैं तो स्थिति दूसरे प्रकार की है और नारे लगते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा स्थिति जो सोचते हैं उससे ज्यादा गम्भीर है, बहुत गम्भीर है। लेकिन सरकार इस प्रश्न के ऊपर मौन है। सरकार को कहना चाहिए यदि उनकी इन्फार्मेशन है, पुलिस के जरिये इन्फार्मेशन मिली है, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको जानकारी मिली है उनका इण्टेलिजेन्स नेट वर्क है, उस इण्टेलिजेन्स नेट वर्क से जानकारी मिली हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो सरकार को कम से कम, यह इतना सेन्सिटिव मेटर हैं, इस सेन्सिटिव मेटर को इस समय डिस्क्लोज करना चाहिए कि यह इन्फार्मेशन सही है या नहीं।

श्री मोहन छंगाणी : इन्टेलिजेन्स है ही कहां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन सरकार इस मामले पर मौन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, लोग शराब के नशे में थे। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर आना मना है। मैंने आपकी सारी धारायें देखी हैं, उन धाराओं के अन्तर्गत वह तो केस रजिस्टर नहीं हुआ। आज कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पी ले, पकड़ा जायगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, केस रजिस्टर होगा, उसका चालान होगा। लेकिन उन पांच आदमियों का भी आपने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया जो आपने गिरफ्तार किये हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोताही बरतना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं उन पांच फौजी आदमियों का जिनको आपने गिरफ्तार किया है, अभी तक मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ। वह शराब पीये हुए थे या नहीं पीये हुए थे। आज यदि किसी अदालत में जायेंगे वह और हम यह चार्ज लगायेंगे कि वे शराब पीये हुए थे, नशे में उन्होंने झगड़ा किया। उनका सबसे एविडेन्स होगा यह कि हमारी गिरफ्तारी के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, हम शराब पीये हुए नहीं थे। यह किसकी गलती है, मेरी गलती है, माणकचन्दजी की गलती है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो आपने यह भाव दिखाया आप देखकर आ गये, मैं सन्तुष्ट हूं, यह अच्छा नहीं है। गृह मन्त्रीजी जांच करके आये यह बात सही है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मन्त्रीजी, यह कोर्ट आफ इन्क्वायरी आपकी रिक्वेस्ट पर हुई है या आर्मी ने स्वत: की है। यदि आपकी तरफ से मांग की गई है तो सदन जानना चाहेगा कि कोर्ट आफ इन्क्वायरी के टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या है? किस मसले पर कोर्ट आफ इन्क्वायरी होगी। इस मसले के ऊपर जांच की जायगी। हमारे केसेज का क्या होगा। हमारे केसेज के सम्बन्ध में सरकार या आर्मी जांच करेगी, इस सम्बन्ध में आप मौन हैं। हमें पता नहीं। मैं यह भी जानकारी करना चाहूंगा कि सरकार ने कोर्ट आफ इन्क्वायरी की बात मन्जूर की है। मन्जूर नहीं करती तो सरकार यह कहती नहीं, कोर्ट आफ इन्क्वायरी का स्टेटस क्या हैं, स्कोप क्या है। क्या स्कोप है उस कोर्ट आफ इन्क्वायरी का? कोर्ट आफ इन्क्वायरी का स्कोप न आपको मालूम है और न आपकी सरकार जो मन्जूर कर रही है उसको मालूम है। क्या होगी कोर्ट आफ इन्क्वायरी? क्या पब्लिक स्वत: जाकर उस कोर्ट आफ इन्क्वायरी के सामने अपीयर हो सकती है? जहां तक मेरी जानकारी है, कोर्ट आफ इन्क्वायरी जिसको बुलायेगी वह आदमी तो जा सकता है और कोर्ट आफ इन्क्वायरी के सामने कोई स्वत: जाकर एविडेन्स देना चाहे, उस प्रकार की स्थिति नहीं है। इसलिए कोर्ट आफ इन्क्वायरी तो बहुत लिमिटेड होगी, बिल्कुल लिमिटेड। उपाध्यक्ष महोदय, जनता का दोष क्या है, जनता ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई दोष नहीं किया। आर्मी वालों ने अपने ही आदमियों को पीटा, वह आदमी भागकर पुलिस के पास गये, पुलिस ने उसकी मदद की तो उसको पीटा और उन दोनों का झगड़ा खत्म कराने के लिए पब्लिक बीच में आ गई, पब्लिक ने बीच में आकर समझौता कराया, शान्ति हो गई और अगर दूसरी खेप वहां से नहीं आती, मैं समझता हूं कोई घटना नहीं होती। पहली मारपीट आर्मी आर्मी वालों के बीच में हुई। थोड़ी से बढ़कर पुलिस के बीच में हुई यह घटना अपने आप खत्म हो जाती शांति हो जाती लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी आपने अपने भाषण में सब बातों को एडमिट किया है कि पुलिस वाले एक घंटे में पहुंचे। यह घटना 10-12 या 10-15 पर हुई और 11-25 पर एस पी. और डी. आई. जी पहुंचे है बीकानेर शहर में कोई क्राइम हो जाये, लार्ज स्केल क्राइम हो, हीनियस क्राइम हो, आम जनता को पीटा जाये और पुलिस को सूचना नहीं मिले क्या मैं यह मानकर चलूं कि सूचना देने के सिस्टम में कोई न कोई मूलभूत कमी है सब जगह वायरलैस है, सब जगह टेलीफोन है, वहां से सूचना मिले या नहीं मिले, पहले इस बात की जांच करनी पड़ेगी कि सूचना आपके पास आई है कि नहीं आई है ? उपाध्यक्ष महोदय, मानिक चंद जी सुराना एक बहुत सीरियस बात कह रहे थे, उन्होंने यह कहा कि मैंने जब सुबह गृह मंत्रीजी को फोन किया, उस समय तक गृह मंत्री जी इस मामले में पूर्णतया परिचित नहीं थे। अब इससे ज्यादा सीरियसनेस तो क्या हो सकती है ? 11 बजे घटना हो, 12 बजे तक इन्तजार कर ले, 1 बजे तक इन्तजार कर लें, चार बजे तक करले, लेकिन क्या छः घंटे में, राजस्थान के गृह मंत्री हाट लाइन के ऊपर रहते हैं, एस पी. और कलक्टर के पास हाट लाइन है क्या इस हाट लाइन से उनको इस बात की सूचना और विवरण नहीं मिल सकता था ? इतनी बड़ी घटना हो जाये, और उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि घटना हो जाये और माननीय सदस्य मांग करें तो ही स्टेटमेंट दें। उचित होता कि गृह मंत्री अपने आप आफर करते कि मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, इस प्रकार की घटना हुई है। लेकिन सदस्यों ने मांग की उसके आधार पर ही गृह मंत्री जी ने यहां पर स्टेटमेंट दिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जो हाकी स्टिक्स लेकर के गये, सरिये लेकर गये, मारने के लिये बेलचा लेकर गये, आज पुलिस ने एक सरिया, एक लाठी और एक बेलचा बरामद किया है और क्या आप कह सकते हैं कि बरामद कर लेंगे ? आप तो सन्तुष्ट है, क्या एक चीज उन्होंने बरामद की है, लूट का माल बरामद नहीं किया, हथियार बरामद नहीं किये, जिन हथियारों से लोगों को पीटा वह बरामद नहीं किया, जो पांच लोग पकड़े गये उनका मेडिकल एक्जामिनेशन नहीं कराया, उनके खिलाफ शराब पीने का मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो क्या गलती मानिक चंद सुराना या शोपत सिंह ने की है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। यह गलती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ?

श्री रामसिंह विश्नोई : मिलिट्री एरिया में पुलिस वाले जा सकते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी आप तय कर लीजिये। मिलिट्री एरिया में ढंग

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

से एप्रोच करेंगे तो मिलिट्री एरिया में घुस जायेंगे पकड़ लेंगे और सरेन्डर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन रामसिंह जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, इस सरकार से और सदन से पूछना चाहता हूं, किसी लड़की को पकड़ कर के आर्मी वाले मिलिट्री एरिया में ले जायें और उसके साथ बलात्कार करें और उसकी हत्या हो लड़की चिल्लाती रहे और पुलिस और राजस्थान का प्रशासन देखता रहे इस प्रकार का प्रशासन हमको नहीं चाहिये, ऐसा प्रशासन नहीं हो आपका, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सब का ही कह रहा हूं।....

श्री रामसिंह बिश्नोई : बात यह नहीं है, बात यह है कि आपने बताया कि खेप दूसरी बार आई तो यह ख्याल कैसे किया जा सकता है कि मिलिट्री वाले पच्चासों आदमी आ जायेंगे, पुलिस वालों को कलक्टर को या एस. पी. को यह कैसे मालूम होता कि इनके पच्चासों आदमी आधे घंटे में आकर के झगड़ा करेंगे, यह ख्याल कैसे कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : झगड़ा करें तो 24 आदमी थे उनके मदद के लिये कितने आये, जो आर. पी. के सिपाही आते....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था सी. आई. वहां पहुंच गये थे, टाइम पर ही पहुंचे गये थे। लेकिन हथियार नहीं थे। उतनी फोर्स भी नहीं थी। लोग कहते हैं वह दुबक कर बैठ गये। अच्छा किया बच गये नहीं तो राजस्थान सरकार के भरोसे ऐसी मार पड़ती, उनको अस्पताल में कहीं न कहीं एडमिशन लेना पड़ता। अब, उपाध्यक्ष महोदय, सी. आई. पहुंच जाये, तो आज कोई सी. आई बिना वायरलैस के है क्या ? कोई सी. आई. बिना जीप के है क्या ? सी. आई. रवाना हुआ है तो मानकर नहीं चल सकते कि ऊपर के अफसरों को पता नहीं है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी है, माननीय गृह मंत्रीजी तसदीक करेंगे पुलिस को वहां सूचना, आर्मी के आदमी गड़बड़ कर रहे हैं यह नहीं मिली पुलिस को सूचना यह मिली कि आतंकवादी स्टेशन पर आ गये और मारपीट कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : और डर गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आतंकवादियों के नाम से सादुलशहर में पुलिस की जीप जो 100 की स्पीड से वैसे दौड़ती है और आतंकवादियों से कहीं मुकाबला नहीं हो जाये 40 की स्पीड से आगे नहीं बढ़ी। हो सकता है कि स्वभाविक है इस तरह की हमारी पुलिस के पास हथियार नहीं है जो आतंकवादियों के पास हैं और इस कारण से पुलिस वालों को भय पैदा होता है तो मैं अनहोनी बात नहीं समझता, बिना हथियार के किसी आदमी से जाकर पुलिस वाले भिड़ जायें और मार खाकर वापस आ जायें। इसलिये इसमें कोई बात नहीं है लेकिन चर्चा यह थी.... (व्यवधान) यह रामायण कहां से निकल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं रेल्वे स्टेशन पर घटना हो जाये समझ में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आ गई, लेबर कालोनी में पहुंचे हैं और.सी.पी. कालोनी में पहुंचे हैं और पास में एक बस्ती है रामपुरा बस्ती, वह रामपुरा बस्ती में भी पहुंच गये। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इन बस्तियों में पहुंचने का मकसद क्या था, इस पर विचार करें। पहला यह विचार करना पड़ेगा कि क्या आर्मी वाले लूट करना चाहते थे, दूसरा यह विचार करना पड़ेगा कि क्या आर्मी वाले किसी महिला से छेड़खानी करने गये थे? यह विचार करना पड़ेगा कि आर्मी वाले स्टेशन पर मारपीट करें तो यह समझ में आ सकता था, लेकिन स्टेशन के बाहर कालोनीज में जाकर मारपीट क्यों की, उसके पीछे केवल एक कारण है, आर्मी वाले आतंक पैदा करना चाहते हैं, आर्मी से भिड़ोगे तो आपकी यह हालत होगी। लोगों को भयभीत करना चाहते थे। भय के वातावरण में आप जनता को किस प्रकार से भय मुक्त कर सकते हैं इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। और इस भय मुक्त करने के लिये यह आवश्यक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी आफिसर के खिलाफ बोलूं, मैं अपनी ड्यूटी समझ कर बोलता हूं कोई व्यक्तिगत द्वेष से नहीं बोलता हूं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस सरकार को आसनजिलेलाव के मामले में इसी सदन की कार्यवाही के सामने झुककर तीन आफिसरों को तो तुरन्त मुअत्तल करना पड़ा और कलक्टर और एस.पी. को वहां से हटाना पड़ा। छः महीने तक वह बाहर रहे। मैं आपसे गृह मन्त्रीजी फिर कहता हूं और आप नये हैं इसलिये आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आफिसरों की गलती यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मन्त्री अपने ऊपर लेते रहे तो न तो प्रशासन को ठीक कर पायेंगे और न अपनी छवि सुधार पायेंगे। गलती जिसने की है सजा उसको मिले। हम उस गलती को डिफेण्ड करने के लिये यहां क्यों खड़े हों?

श्री शोपत सिंह : छवि थी क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपतसिंह जी, नो कमेन्ट्स।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और इसलिये मैंने आपके सामने जो प्रश्न रखे हैं उन प्रश्नों का आप उत्तर दे दें आपको पता लग जायेगा प्रशासन से गलती हुई है, प्रशासन ने कोई माल बरामद नहीं किया, प्रशासन ने कोई हथियार बरामद नहीं किया, प्रशासन ने जिन हथियारों से लोगों को पीटा गया, वह हथियार बरामद नहीं किये, प्रशासन ने, जो पांच व्यक्ति पकड़े गये उनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया, प्रशासन ने आर्मज एक्ट के अन्दर जो मुकदमा बनना चाहिये वह मुकदमा उनके खिलाफ नहीं बनाया, और न घायलों के बयान लिये। इससे बड़ा दोष प्रशासन का और क्या हो सकता था उसके बाद भी गृह मन्त्रीजी अगर आप कहें कि मैं सन्तुष्ट हूं तो दुर्भाग्य हमारा तो है ही लेकिन राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि सारे घटना क्रम के सम्बन्ध में जो कुछ भी घटना हुई आप इसकी जांच करें और जांच कराने से पहले इन दो को वहां से रवाना करें। यह दो वहां रहते हैं तो जांच प्रभावित होगी और सही तथ्य सामने नहीं आयेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : कौन दो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कलक्टर और एस. पी.। मेरी तो इच्छा है कि कलक्टर और एस. पी. से ज्यादा जिम्मेदार कमिश्नर और डी. आई. जी. हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या डी.आई जी. मौके पर गये ?....

श्री मोहन छंगाणी : हम सब एन्डोर्स करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कमिश्नर मौके पर गये ? क्या वह बंगले से इन्सट्रक्शन देने के लिये डी.आईजी और कमिश्नर है !...

एक माननीय सदस्य : कलक्टर भी नहीं गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह गये हैं जिस समय भी गये हों, क्या डी. आई. जी. की ड्यूटी नहीं थी। जिस समय डी.आई जी. को सूचना मिली, जीप में बैठकर रवाना होते। एस. पी. को कहते कि मैं जा रहा हूं जरूरी हो तो फोर्स लेकर आओ। न कलक्टर पहुंचा, न एस. पी. पहुंचा, न कमिश्नर पहुंचा और न डी. आई. जी. पहुंचा। बहाना क्या किया, हम सम्पर्क कर रहे हैं आर्मी वालों से। क्या सम्पर्क किया, 46 लोगों को तो अस्पताल में भर्ती करा दिया। 46 लोगों का सामान ले गये। अन्त में एक सवाल गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं। गृह मन्त्रीजी यह बतावें कि अभी तक आपने आर्मी कमाण्डर को या आर्मी हैड क्वार्टर को इस बात की जानकारी दी है कि इतने आदमी आये। इस प्रकार के हथियार लेकर आये। इतने लोगों को पीटा और इतना माल लेकर चले गये और इतने हथियार छीन कर ले गये। क्या आपने आर्मी को इस बात की जानकारी दी है। और यदि आपने जानकारी नहीं दी तो, आर्मी के पास जानकारी नहीं है तो कोर्ट आफ इन्क्वायरी का क्या मतलब होगा। कोई कोर्ट आफ इन्क्वायरी का मतलब नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप अपने अधिकार आर्मी के सामने सरन्डर मत करो। मैं यह नहीं कहता, उपाध्यक्ष महोदय, आर्मी का नाम ले रहा हूं तो पूरी आर्मी से मेरा मतलब नहीं है। हमारी आर्मी के प्रति श्रद्धा है, सम्मान है। आर्मी हमारी रक्षा करने वाली है। आर्मी में सब प्रकार के त्यागी, तपस्वी और लड़ाकू व्यक्ति हैं। सारी आर्मी पर लांछन लगाने का मतलब नहीं है। केवल मैं उन्हीं लोगों के लिये कहना चाहता हूं, उन्हीं लोगों को सम्बोधित करके कहना चाहता हूं जो इस मामले में दोषी हैं।

एक आखरी प्रश्न और पूछना चाहूंगा, यह पांच आदमी आपने गिरफ्तार किये हैं क्या राजस्थान सरकार उनको आर्मी को सरण्डर करेगी ? क्या राजस्थान सरकार उनको छोड़ेगी ? बाकी को पकड़ने का सवाल ही नहीं है। जानकारी के लिये यह पूछना चाहता हूं कि पांच व्यक्तियों को आपने गिरफ्तार कर रखा है क्या उनको आर्मी को देंगे ? कोर्ट आफ इन्क्वायरी शुरू हो गई है, आपका तो कार्य क्षेत्र ही समाप्त हो गया है। तब इन पांच आदमियों की स्थिति क्या होगी। कौन सी जेल में जायेंगे। किस की जेल में रखेंगे। उनका प्रोसीक्यूशन कौन करेगा यदि आपने इन पांच आदमियों को सरण्डर कर दिया ?

श्री रामसिंह बिश्नोई : उनको भागते हुए पकड़ा है या उनके ज्यादा चोट आई

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इसलिये पकड़ा है या कहीं आगे जा रहे थे इसलिये पकड़ा है ?

एक माननीय सदस्य : लूट मार कर रहे थे, पीछे रह गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गृह मन्त्रीजी बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह मिनिस्टर बन गये, इनको कोई चिन्ता नहीं, लेकिन आदत नहीं छूटी है।

मैं यह निवेदन कर रहा था, यह पांच आदमी कैसे पकड़े गये ? मैं बता देना चाहता हूं। यह जो सारा आपरेशन हुआ वह यूं नहीं हुआ। विशल के साथ आपरेशन हुआ। विशल बजाकर जाओ रेलवे कोलोनी में। विशल बजाकर जाओ रामपुरिया बस्ती में, विशल बजाकर जाओ प्लेटफार्म पर, लेबर कालोनी में। विशल बजाकर सबको इकट्ठा किया और उसके बाद में बाकी के लोग जैसे आर्डर मिला ट्रक में बैठ गये। यह पांच आदमी कहीं रह गये। उनको पता लगा सब लोग गये। वह समझ रहे थे कि विशल बज रही है, कहीं दूसरी जगह का आपरेशन करना है। वहां के लिये कह रहे होंगे। जानकारी नहीं है इसलिये जब चले गये तब छत पर पहुंच गये। और छत पर जाते ही पुलिस ने पकड़ लिया। इसलिये इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। कोई बहादुरी नहीं की। नशे में पड़े थे या नहीं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता तो पता चलता। इसलिये इस सवाल का जवाब में माननीय गृह मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, आपने जैसा कहा कि इस बात को मानते हैं कि इसके कारण से आर्मी में कोई डिसेन्सन पैदा होगा, इस प्रकार की मन में भावना नहीं आनी चाहिये। ऐसी घटनाएं होती हैं। आर्मी का कोर्ट मार्शल होता है। आर्मी खुद सजा देती है। आर्मी के लोगों को क्रिमिनल कोर्ट्स में सजा मिलती है। यह एक नहीं इसके कई उदाहरण हैं। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार ने जनता का प्रतिनिधित्व सही प्रकार से नहीं किया, दोषियों को सजा नहीं मिली तो इसकी जिम्मेदारी आर्मी मेन पर नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर होगी, राजस्थान के गृह मन्त्री पर होगी। इसलिये आप अपने उत्तरदायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन करें। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जनता की भावना जैसा कि माननीय सी. पी. जोशी ने कहा, जनमानस में यह भावना पैदा करनी चाहिये, यह विश्वास पैदा करना चाहिये, उस विश्वास के लिये यदि किसी आदमी को मौत के लिये कहा जाये और मौत की वह मन्जूरी नहीं दे तो कम से कम बुखार स्वीकार करने में उसको आपत्ति नहीं होती है। आगे क्या होगा वह तो देखा जायेगा लेकिन अभी कलक्टर, एस. पी., डी. आई. जी., कमिश्नर, इन चारों के बारे में कहना चाहूंगा, इन चारों को बुलाकर राजस्थान में बहुत जगह है, किसी भी जगह लगा दीजिये। कम से कम जनता में एक विश्वास पैदा होगा कि राजस्थान के जिन अधिकारियों ने जो हमें बचा नहीं पाये, अपराधियों को पकड़ नहीं पाये, माल बरामद नहीं कर पाये, उनके प्रति राजस्थान सरकार ने तुरन्त एक्शन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिया है। राजस्थान सरकार सीरियस है। राजस्थान सरकार हमारे साथ सिम्पेथेटिक है। आर्मी वाले देखेंगे कि हमने जो कुछ अन्याय किया है उस पर यह सरकार एक्शन ले रही है। यहां यह भी चर्चा चल सकती है। कहते हैं कि आर्मी वालों ने एक एफ. आई. आर. दर्ज करायी है। उपाध्यक्ष महोदय, आर्मी की एफ आई. आर. सही है या गृह मन्त्री का बयान सही है। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है ? मैंने एफ.आई.आर. को पढ़ा है। इसके साथ ही गृह मन्त्री के वक्तव्य को पढ़ा है। आर्मी ने जो एफ.आई. आर. दर्ज करायी है, वह गृह मन्त्री के बयान से तालमेल खाती है। मैं यह मानकर चलूं कि गृह मन्त्रीजी ने सही बात नहीं कही या आर्मी ने सही बात नहीं कही। अब यह गृह मन्त्रीजी फैसला करेंगे। दोनों में से एक असत्य है। दोनों में से एक ने सही बात नहीं कही है। अब उस आर्मी का क्या अन्दाज लगे। घटना के दो दिन बाद एफ आई.आर. दर्ज होती है। बिना अनुमति के एरिया कमाण्डर करवा सकता है लेकिन एफ आई आर. दर्ज नहीं हुई। दो दिन बाद में एफ आई आर. दर्ज हुई। यह मेनीपुलेशन नहीं है क्या ? या आफटर थाट नहीं है क्या ? जिस आर्मी के अफसर आफटर थाट से केस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, उस आर्मी पर साधारणतया जनता में यह विश्वास नहीं होगा कि कोर्ट आफ इन्क्वायरी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस भरोसे मत रहें। आप जनता में विश्वास पैदा करें। जनता में कल आप भी गये थे, शोपतसिंहजी गये थे, देवीसिंहजी गये थे, कल्ला साहब गये थे। कल्ला साहब का तो कुर्सी से कुर्ता फट गया। कोई ताज्जुब की बात नहीं। कुर्सी पर कुर्ता फट गया।....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बता दीजिये कहां फटा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंह जी साहब बोलते-बोलते थक गये। रेस्ट लेना चाहते हैं। किसी न किसी तरह से बात गढ़-गढ़ कर ठोकते रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पक्ष या विपक्ष का हाथ नहीं है। जो भी घटना हुई है उस घटना के तथ्यों पर विचार करके भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और जनता में यह विश्वास रहे कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। इसके बारे में अपने को सहयोग करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको असहयोग की भावना कहां से दिख गई। हम तो खुद सहयोग करना चाहते हैं। आप सहयोग मांगे या न मांगे हम तो देना चाहते हैं। (व्यवधान)....

राजनीति है ही नहीं। राजनीति तो आप ला रहे हैं। राजनीति का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुर्ते की बात इसलिये कही कि मैंने अखबार में पढ़ा था। यह पढ़ा कि कुर्ता फट गया। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : वह गृह मन्त्रीजी का फटा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं किसी का कोई कुर्ता नहीं फटा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, किसी का फटा हो लेकिन फट गया। मैं यह कहना चाहता हूं, कुर्ता फटा हो, पाजामा फटा हो, यह इस बात का संकेत है कि जनता में रोष है। पाजामे का कोई मतलब नहीं। पाजामा फटे तो दूसरा पहन लो लेकिन जनता में रोष है। (व्यवधान)... यह और भी अफसोस की बात है कि गृह मन्त्री, वहां थे। उस बीकानेर शहर के निर्वाचित प्रतिनिधि राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मन्त्री वहां हो, राजस्थान कैनाल के भूतपूर्व मन्त्री वहां हो। इन तीन के बावजूद भी बीकानेर बन्द हो गया, इसका मतलब है, रोष ज्यादा है। इस रोष को आप यू मत लेओ कि एक दिन की हड़ताल हो गई। रोष ज्यादा है।

एक माननीय सदस्य : इसी में कुर्ता फटा है। इसी वजह से कुर्ता फटा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलालजी बैठें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसको लाइटली नहीं लेना चाहिये, साहब। कुर्ते का सवाल नहीं है। नेता महोदय, असली मुद्दा है, खालिस्तान के नारे लगे कि नहीं? आप उस विषय को दबा क्यों रहे हो? वहां भयंकर स्थिति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाई, आपने सुना हो तो कह दीजिये, मैंने तो सुना नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं। यह कुर्ते की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने सुना होता तो निश्चित रूप से कहता और कहता ही नहीं, जोर से कहता। लेकिन मैं इस बात को कहूं उसके पीछे मुझे अपनी वेरीफिकेशन चाहिये। इसके कहने के कई अर्थ लग सकते हैं कई इसके रिपरकशंन्स हो सकते हैं। इसलिये जिन्होंने सुना है, जिनको जानकारी है वह कहें, मैंने सुना नहीं खुद ने, मैं वहां था नहीं और न मुझे अभी तक इस सम्बन्ध में कोई जानकारी मिली है। मुझे जितने टेलीफोन आये हैं ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह खालिस्तान के नारे लगे, मैं समझता हूं, माननीय 'सदस्य' आज इस बात को सदन में उठा रहे हैं, जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि मैंने नहीं सुना तो उन्होंने भी नहीं सुना। केवल दूसरों से सुनी हुई बात के आधार पर कोई बात यहां कही जा करके रिकार्ड पर लाना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इस मामले को मत उठाओ, है जठै ही रहन दयो। आपको पता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चीफ व्हिपजी बैठिये चुन्नीलालजी बैठिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसे सैंसेटिव इश्यू पर राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि केवल हियर के आधार पर कोई बात करके रिकार्ड नहीं की जानी चाहिये, इसको एक्सपन्ज किया जाना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : हर चीज का चश्मदीद गवाह नहीं होता है। लेकिन आपके जी. आर. पी. का कांस्टेबल दौलतराम कहता है मेरे और शोपतसिहजी के सामने, कल रेलवे अधिकारियों के सामने यह बात कही।....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह आथेन्टिक बात नहीं है। जब आथेन्टिक बातें नहीं है....

श्री देवीसिंह भाटी : आथेन्टिक कैसे होती है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। माननीय शोपतसिहजी बैठें।

श्री शोपत सिंह : मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं : (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्लीज सिट डाउन, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब तक कोई प्रूफ नहीं हो तब तक इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, चुन्नीलाल जी, बैठें। प्लीज, चुन्नीलाल जी। माननीय भाटी जी।

श्री देवीसिंह भाटी : इस बात को आप काटिये। आज तक चौकी के अन्दर दौलतराम कांस्टेबल है कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) माननीय भाटी जी। माननीय भाटी की बात अंकित नहीं होगी। प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : भाटीजी, बैठिये आप। माननीय नेता जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भूतपूर्व गृह मन्त्री ने यह विवाद खड़ा कर दिया।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने पूरा स्टेटमेंट सुना नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सुना नहीं। उस समय शायद या तो सो रहे होंगे या यह देख रहे होंगे अभी वाले गृह मन्त्री की क्या हालत होती है। दोनों ही चीज में लगे हुए थे, मस्तिष्क कहीं और काम कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी छेड़खानी से रहेंगे नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छेड़खानी का सवाल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करता हूं कि इसको एक्सपंज करने का सवाल नहीं है। मैंने पहले पूछा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इस चीज का खण्डन करती है या इसका समर्थन करती है ? जब गवर्नमेंट ही आज इस पोजिशन में नहीं है, यह नारा नहीं लगा, यह कहने की स्थिति में नहीं है तो सदन में माननीय सदस्य ने कह दिया तो एक्सपंज करने की क्या आवश्यकता है। एक्सपंज

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

करने की क्या आवश्यकता है ? मैं इसलिये कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में कि माननीय गृह मन्त्री से बातें जो माननीय सदस्यों ने पूछी और मैंने पूछी हैं, मैं समझता हूं, उनका स्पष्टीकरण होना चाहिये और स्पष्टीकरण सारी बातों का करें ताकि जनमानस में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो और यह भी हम मानकर चलें कि जनमानस की सुरक्षा की दृष्टि से जो राजस्थान सरकार पर अपने कर्तव्य निर्वहन करने की जिम्मेदारी है हमने वह आर्मी को सरेंडर नहीं की है और जनता को आर्मी के इस प्रकार के तत्व लोगों को लूटें, मारे, उनकी अस्मत लूटें इस प्रकार की उनको छूट नहीं दी है। जब तक आप सख्ती से इस मामले में डील नहीं करेंगे तब तक जनता में विश्वास पैदा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दो मिनट निवेदन करूंगा।

मैं समझता हूं कि इस घटना की आम आदमी और हम भर्त्सना करते हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि संजीदा आर्मी का भी आफिसर या पर्सोनल होगा वह भी इसे सराहेगा नहीं, यह मेरी मान्यता है। इस घटना को जैसे आप सबकी राय है, मैं भी मानता हूं, इसको लाइटली नहीं लेना है और आने वाले समय में आर्मी के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, विश्वास बना रहे तो एक्शन होना चाहिये। कोर्ट आफ इन्क्वायरी के सन्दर्भ में मेरी एक राय है, थोड़ा बहुत मेरा भी तजुर्बा है वकालत का। आर्मी कैम्पस से जब कोई ड्राइवर व्हीकल लेकर निकल कर बाहर आता है, शहर में आता है और वह एक्सीडेंट करता है तो उसके खिलाफ आई. पी. सी. के तहत आम साधारण कोर्ट में केस चलता है। मेरी यह मान्यता है कि आज यह जो दुर्घटना हुई है इसको हम आर्मी एक्शन नहीं मान सकते, चाहे पहले वाला, चाहे बाद वाला। इसीलिये मैं समझता हूं कि हमको कोर्ट आफ इन्क्वायरी के प्रति सरेंडर नहीं करना चाहिये और मजबूती के साथ हमारे जो केसेज हैं उनमें कहीं अगर इन्वेस्टीगेशन में लैप्सेज हैं तो उनको पूरा करना चाहिये। मैं समझता हूं यह तो मेरा विश्वास है, जो बन्दूकें, राइफल्स और जो कारतूस मिले हैं निश्चित रूप से पुलिस ने रिकवर कर लिये होंगे, अपने तहवील में ले लिये होंगे। मैं नहीं समझता कि इन्होंने उसको छोड़ दिया होगा। और अगर आर्मी के जवानों की आपसे मांग आये तो जो एक्यूज्ड हैं इन केसेज में, उनको छोड़ना नहीं चाहिये। आन दी कांट्रेरी हमारी डिमांड यह होनी चाहिये कि जो अन्य सिपाही हैं, जिन्होंने आर्मी के नाम पर एक ब्लाट रखा है उनको भी हमको सरेंडर करना चाहिये।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज की बात है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपको, सरकार का मानना है कि लैप्सेज इतने नहीं हैं और विरोध पक्ष के साथियों का मानना है कि लैप्सेज हैं। तो मैं समझता हूं इस विवाद का एक निराकरण हो सकता है कि इसकी इन्क्वायरी हो सकती है कि आने वाले समय में इस तरह की अगर लैप्सेज होती हैं तो बड़ी दुर्घटना होती है। तो उसकी रोकथाम करने के लिये इन्क्वायरी हो जाय तो मैं समझता हूं इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है।

(श्री उपाध्यक्ष)

आपकी भावनाओं के साथ जुड़ करके बात की है मैंने। मैं समझता हूं कि इस भावनायुक्त बात को सभी स्वीकार करेंगे। माननीय मन्त्रीजी उन मुद्दों पर कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो दें।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के माननीय सदस्यों ने जो घटना बीकानेर में घटी उसको ले करके आक्रोश भरे शब्दों में अपनी बात कही है और उनका आक्रोश में आना स्वाभाविक है। क्योंकि जो माननीय सदस्य उस क्षेत्र से आते हैं उन सदस्यों के वहां के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनको सूचना दी होगी या उसके बाद में जब माननीय सदस्य बीकानेर गये तो उन्होंने जा करके वहां लोगों से बातचीत की होगी। जब सदन में दो दिन पहले इस बात पर चर्चा हुई और उसके बाद में जैसा कि मैंने दोनों स्टेटमेंट में सारी बातें बताई हैं और मैं स्वयं और मेरे दूसरे सहयोगी जो मेरे साथ चले, मैं ऐसा मानता हूं कि कल जिस तरीके से हमने इस घटना की गम्भीरता को लेकर वहां जिस इत्मीनान के साथ में वहां के घायल व्यक्तियों से अस्पताल में जा करके, रेलवे स्टेशन पर जा करके वहां के कर्मचारियों से, वहां पर जो 2-3 हजार लोगों का हुजूम था उनमें से जो अपनी बात कहना चाहते थे उनकी बात सुनी और जो रेलवे के पीछे के क्वार्टर्स हैं उन क्वार्टर्स में जा करके जो बातें हमने सुनी, हमने उन लोगों को पूरा यकीन दिलाया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनका प्रोटक्शन करेगी।

(सायं 7.00)

उनकी जो भावनाएं थी उसके आधार पर तत्काल यह निर्देश दिया गया पूरी तरह से पुलिस गश्त कायम की गई। वहां के एस. पी., कलक्टर, ए. एस. पी. बराबर पेट्रोलिंग तौर पर उन्होंने पुलिस एक्सटेंशन करने के लिए आदेश दिये गये। जी. आर. पी. की चौकी को थाने में बदलने के लिए आदेश दिये गये और एक प्रकार से सदन की भावना के अनुरूप यह कोशिश की गई कि वहां की जनता का मनोबल बढ़ सके। आत्म विश्वास पैदा हो सके और वहां के लोगों को लगे कि जो घटना अचानक ही एक रात में फौजी जवानों के कारण हुई है और जो दहशत उनमें फैली वह हमारा कर्तव्य था कि वह दहशत समाप्त हो सके। उसके लिए मैं समझता हूं कि पूरी कोशिश की गई है।

जिस प्रकार से वहां पर जनता की बात सुनी गई, उनको विश्वास दिलाया गया मैं ऐसा महसूस करता हूं कि बीकानेर की जनता को पूरा विश्वास हुआ है कि राजस्थान की सरकार सब तरह से उनको प्रोटेक्शन देगी चाहे वहां फौजी जवान आकर के किसी तरह की घटना कर जायें इसके बावजूद भी मैं ऐसा समझता हूं कि जो घटना हुई है उसकी निन्दा सभी पक्षों ने की है। जो बात हम लोगों के सामने कही गई, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य जो कोलायत से आये हैं या माननीय शोपतसिंहजी ने सदन को बताया कि महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या उनका पीछा किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसी घटनाएं अगर हमारे सामने लाई जाएगी तो उसके लिए हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : कौन लाएगा, आप कैसी बात करते हैं। कोग्नीजिबल ऑफेंस है; आप अपने आप कोग्नीजंस लेंगे। क्या हमें वहां पुलिस में जाएंगे आप किस प्रकार की बात कह रहे हैं, कैसे गृह मन्त्री हैं आप....(व्यवधान) गृह मन्त्री का यह कहना कि हमारे ध्यान में लाया जाएगा। क्या ध्यान में लाया जाएगा। इतने सारे तथ्यों को ध्यान में लाने के बाद भी....

श्री उपाध्यक्ष : It should come authentically. He wants that it should come authentically and action will be taken....(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : उसको कौन लाएगा ? कोग्नीजिबल ऑफेंस में कोग्नीजेंस कौन लेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस लेगी।

श्री मानिकचन्द सुराना : पुलिस तो ले ही नहीं रही है। उनको कहने के बावजूद अगर उनकी भावना इन्क्वायरी करने की है ....

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हमने उस व्यक्ति से जो हास्पीटल में एडमिट है, जिसने हमें कहा है, सारी उसके सामने घटना घटी है वह आपको बता दी। अब जिसकी इज्जत लुट चुकी क्या वह आपके सामने आकर बयान करेगी ? क्या उसकी इज्जत वापिस आ जाएगी ? लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उसके सारे तथ्य दिये है....(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा। मैं बराबर यह बात देख रहा हूं कि मैंने सभी माननीय सदस्यों की सभी बातों को ध्यान से सुना और मैं सदन के विपक्ष के नेता से भी आग्रह करना चाहूंगा उनकी जिम्मेवारी है कि वह मेरी जो भावना है उसके अनुरूप अपने सदस्यों से बात करें और इस प्रकार की बीच में टोका-टाकी होगी तो मैं समझूंगा कि जिस प्रकार से एक तरफा बात हमारे हितों की माननीय सदस्य कहना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे भी तो गुलाबसिंह जी ने टोका।

श्री अशोक गहलोत : मेरा कोई यह भावना नहीं था कि मैं कोई ऐसी बात कहूं जिससे कि आपकी भावनाओं को चोट लगे इसलिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया। मैं यह भी कह सकता था कि वहां पर आम जनता ने यह कहा, जैसे मैं एक क्वाटर में गया। वहां पर एक महिला ने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी हुई उसके हसबैण्ड ने पूरी घटना दोहरा दी। इसके अलावा वहां पर सब लोगों ने कहा कि महिलाओं के साथ इस तरह की कोई घटना हमें नजर नहीं आई। मैंने जगह जगह पर इस बात के लिए पूछा था....

श्री देवीसिंह भाटी : हमने रेप को तो नहीं कहा।

श्री अशोक गहलोत : तो बजाय मैं यह कहता आपको कि आप असत्य बोल रहे हैं। ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, आप असत्य बोल रहे हैं इसकी बजाय मैंने यह कहना पसन्द किया कि अगर कोई घटना आपके पास में आई है, अगर किसी

(श्री अशोक गहलोत)

ने शिकायत भी की है तो पुलिस कोग्नीजेंस लेगी। हम उसके लिए पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। मेरी भी यह भावना है।

माननीय सदस्यों ने इस बात को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया कि जो मिलिट्री के जवानों ने घटना की है एक प्रकार से राज्य सरकार उनके ऊपर पूरा भार छोड़ रही है और किसी प्रकार की कार्यवाही करने की इच्छा नहीं रखती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार, कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही करना सम्भव होगी उससे कभी भी पीछे नहीं हटेगी। इसका आप इस बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही घटना की चर्चा सदन में हुई, सदन की भावनाओं के अनुसार मैं वहां पर गया, दो मेरे सहयोगी अविलम्ब वहां पहुंचे और जाकर के सब लोगों से बात की। दूसरी तरफ मुख्य मन्त्री जी से बातें की हैं, इस घटना का ब्यौरा दिया है और जैसे ही घटना की सूचना मिली हमारे होम कमिश्नर ने डिफेंस सेक्रेटरी से बात की सदन की भावनाओं से अवगत कराया और सारी घटना का ब्यौरा लिखित में उनको भेजा।

तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको किसी प्रकार से चिन्तित नहीं होना चाहिए कि राजस्थान सरकार किसी भी तरह की लापरवाही के साथ कार्यवाही करेगी। यह आपका और हमारा एक ऐसा मसला है जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जिसमें हम सब मिल कर कैसे कार्यवाही करें....

श्री रामसिंह विश्नोई : जिसकी भी लापरवाही रही है, कार्यवाही करेंगे।

श्री अशोक गहलोत : रामसिंह जी आप भी....(व्यवधान) मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे वक्त में हम सबको एक जुट होकर के एक राय से जनता का मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। जनता का मनोबल बढ़ेगा उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा तब जाकर मैं समझता हूं कि ऐसा वातावरण बनेगा, कि जिस वातावरण में जिन्होंने गलती की है उन कल्प्रिट्स को सजा दिलाने का काम हम कर सकेंगे।

जब सदन के दोनों पक्षों के सदस्य यह बात मानते हैं कि इस प्रकार की घटना से जो लोगों को कष्ट हुआ, लोगों के साथ मारपीट हुई, मैं समझता हूं कि दोनों स्टेटमेन्ट जो मैंने दिये हैं उसमें सारे तथ्य आपके सामने रखे गये हैं जो तथ्य मिले उनके आधार पर आपको सूचना दी गई। अब उसके बाद यह कहना, जो माननीय सदस्य अपने-अपने तरीके से सूचना लाये हैं और जिस तरीके से उन्होंने जो बातें बताई हैं, मैं समझता हूं कि जब हमारे सामने कोई तथ्य ऐसे नहीं आये कि सच्चाई के साथ हम बात कर सकें। यह कहना कि खालिस्तान के नारे लगे। मैं वहां स्वयं जाकर आया हूं। मैंने लोगों से बात की है।

श्री मोहन छंगाणी : ठीक है साहब, इसकी कोई जरुरत नहीं।

श्री अशोक गहलोत : माननीय छंगाणी जी, मैं तो सुबह से लोगों को यही निवेदन कर रहा था। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब, आप सब लोगों ने और हमने आज दिन भर 4-5 घन्टे हमने चर्चा की है। वही बातें आप कह चुके, हमने कही,

(श्री अशोक गहलोत)

उसके कारण 4, 5, 6 घण्टे इस बात में लगे। माननीय शोपतसिंह जी का गुस्सा इस बात को लेकर था कि यह डिले क्यों हो रही है। डिले करने की सरकार की कोई मन्शा नहीं है। जो बात हमने अभी कही है यही बात हम सुबह भी कह सकते थे। आपकी भी भावनाएं हमने देखी उसके आधार पर हमारी इच्छा थी इस मामले पर चर्चा इस तरह से हो जिससे कि दोषी लोगों को सजा मिल सके मामला किसी तरह से डाइल्यूट नहीं हो सके। आज जो घटना होती है, बीकानेर की जनता ने जो माननीय कोलायत से आने वाले सदस्य हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं.... कल बीकानेर के जो प्रतिनिधि मण्डल मिले उन्होंने भी इस प्रकार की घटना का जिक्र किया था कि 3-4 घटनाएं वहां पर हो चुकी है, प्रोफेसर केदार साहब ने भी बात कही। मैंने उनको भी यकीन दिलाया है कि जो भी घटनाएं इस प्रकार की उस एरिया में हुई है उसको गम्भीरता से लिया जायेगा और केन्द्र सरकार के साथ में और केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्री के साथ में इस घटना को उठा करके इस प्रकार की कार्यवाही करायी जायेगा जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। इसलिए मैं आपको....

श्री यदुनाथ सिंह : कार्यवाही केन्द्र सरकार ही करेगी राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती। यह एक बात साफ हुई।

श्री अशोक गहलोत : मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि आप अपनी खुद की सरकार के ऊपर इतनी शंका क्यों कर रहे हो। आपको तो अपनी सरकार पर गर्व होना चाहिए। आप विपक्ष में बैठे हो तो क्या हो गया।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज नाऊ। लालचन्दजी बैठिये।

श्री मोहन छंगाणी : अगर इतना ही गर्व है तो उनको हटा दीजिये....(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : आप मुझे इस प्रकार से प्रोत्साहित करके कोई बात नहीं निकलवा सकते। आप विपक्ष के सदस्य हो सकते हैं पर राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं। आप कोई दूसरे प्रदेश की विधान सभा के सदस्य नहीं है। इसलिए आपको अपनी सरकार पर गर्व होना चाहिए कि आपकी सरकार राजस्थान की जनता की सुरक्षा की पूरी-पूरी गारण्टी लेती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नो कमेण्ट्स।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय गृह मन्त्रालय बिल्कुल सक्षम था और आपके अधिकारी भी तो हमें बतायें कि पांच व्यक्तियों के सिवाय आपने छठा कौन था किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वह बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नारायणरामजी बेड़ा बैठे। आप बैठिये माननीय सदस्य।

श्री अशोक गहलोत : देखिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस दिन जो कानून का हवाला दिया। आप और हम सब जानते हैं, सदन में कोई भी सदस्य खड़ा होकर कह सकता है, आपका अधिकार है। हमारे

(श्री अशोक गहलोत)

सरकारी पक्ष में बैठे हुए लोगों ने इस चर्चा में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि वे आप लोगों की बात को सुनना चाहते हैं। मैं आपको निवेदन यह करना चाहता हूं कि उनकी भावना भी वही है कि राजस्थान की जनता को पूरा प्रोटेक्शन मिले, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। आपने जो बात उठायी है, आप जानते हैं कि आज जो कानून है, कानून की प्रक्रिया से काम होगा और कानून की प्रक्रिया के अनुसार अगर कोई मर्डर का या रेप का कोई केस है उसमें सिविल कोर्ट उसकी कार्यवाही कर सकता है, पूरा केस सुन सकता है बाकी केसेज में अगर कोई फौज का जवान इन्वोल्व है तो फौज के कानून के अनुसार उनको सुपुर्द करना पड़ सकता है। इसलिए आप अगर यह सोचे कि आपने उन सैनिकों को ले लिया, आपने अधिक को क्यों नहीं लिया। उसके लिए हम बात कर रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत हुई है। हम खुद चाहेंगे कि तफ्तीश के अन्दर जो जवान, जो घटना करके गये हैं उनको तफ्तीश के अन्दर इन्वोल्व किया जाय, तफ्तीश के लिए वहां से उनकी मांग की जाय। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। परन्तु जो कानून है उस कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही होगी, उससे हट करके कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी तक मांग नहीं की गयी है।

श्री अशोक गहलोत : मांग हो चुकी है, बात हो चुकी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कितने व्यक्ति हैं ?

श्री अशोक गहलोत : जितने लोग इन्वोल्व थे।....(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : लालचन्दजी बाद में कह दीजिये बीच में नहीं। इनको बोलने दीजिये। अभी आप बैठिये।

श्री लालचन्द डूडी : घटना घटी, जो लोग आये थे छह ट्रकों में भर करके वे उनके एरिया कमाण्डर की कन्सेंट से ही आये क्या ? क्या आपने सेना कमाण्डर से इस प्रकार की कोई बात करने की कार्यवाही की है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो आ गई है। नाउ प्लीज सिट डाउन। माननीय मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत : मैं समझता हूं कि जो बात मैंने कही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी को सारी रिपोर्ट दी है। राजस्थान सरकार की होम मिनिस्टरी से पूरा नोट बनकर डिफेंस मिनिस्टरी को जा चुका है और उसमें यह सारी बातें आ जाती है जो आप कहना चाहते हैं। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। हमें प्रधान मंत्री का आभारी होना चाहिए कि राजस्थान के इस विधान सभा के....

श्री लालचन्द डूडी : आपको होना चाहिए,—आप इस कुर्सी पर बैठे हो। +++।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

222

एक माननीय सदस्य : सरकार कुछ कर नहीं पाये, प्रधान मंत्री देखते रहें उसके लिए हम आभारी हों....

श्री नारायणराम बेड़ा : आभारी आपको होना चाहिए....

श्री लालचन्द डूडी : पंजाब में हजारों आदमी मर गये और आप कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री के आभारी हों।

श्री शोपत सिंह : निश्चित रूप से हमको आभारी होना चाहिए कि प्रधान मंत्री ने हमको इस प्रकार से तोहफा दिया।....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री अशोक गहलोत : हमें हमारे प्रधान मंत्रीजी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का अविलम्ब आदेश दिया और इनको निर्देश दिया....

श्री लालचन्द डूडी : प्रधान मंत्री को आदेश देने की जरूरत ही नहीं है कोर्ट आफ इन्क्वायरी के लिए।

श्री अशोक गहलोत : आपको तकलीफ क्या हो रही है....

श्री लालचन्द डूडी : कोई जरूरत नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री नारायणराम बेड़ा : तकलीफ यह है कि सरकार को....(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : प्रधान मंत्री आदेश क्यों देंगे। प्रधान मंत्री आदेश देंगे क्या कोर्ट आफ इन्क्वायरी के लिए?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्दजी प्लीज सिट डाउन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय लालचन्दजी +++

श्री लालचन्द डूडी : +++

श्री उपाध्यक्ष : Struck कर लीजिये।

श्री अशोक गहलोत : अगर आपकी राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए हमारे देश के रक्षा मंत्री या प्रधान मंत्री हस्तक्षेप करके उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप अगर कोई कार्यवाही करवाने में त्वरित गति लाये हैं तो उसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मोहन छगाणी : एक ही ऐतराज है कि आप बूटासिंहजी को भूल गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठें। माननीय सदस्य नो इन्टरप्शन।

श्री अशोक गहलोत : अगर आपके राजस्थान के मुख्य मंत्री दिल्ली में जाकर के आपकी भावनाओं को बतावें और आपकी भावना के मायने हैं राजस्थान की जनता की भावना। तो प्रधान मंत्री पर गर्व होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : गर्व तो हमें तब होगा जब राजस्थान की सरकार जाये,

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथ सिंह)

मुख्य मंत्री जाये और हमारी जनता की रक्षा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप ।

श्री मोहन छंगाणी : मुख्य मन्त्री को दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है । यहां एक्शन लेना चाहिये ।

श्री लालचन्द डूडी : आपने राजस्थान का नाम डुबा दिया । हम किसके आभारी हों, मुख्य मन्त्री के हों, आपके हों, प्रधान मन्त्री के हों ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जब बोल रहे थे तो कोई इन्टरप्शन नहीं हुआ था । आप बोलने दीजिये मन्त्रीजी को । Please, let him speak. Hereafter you won't interrupt.

श्री अशोक गहलोत : इसके मायने यह जो घटना हुई है उसमें गम्भीरता लायी जा रही है । आप स्वयं चाहते हैं । आपने खाली कहने के लिए बातें कहीं है क्या ? आप कोई गम्भीर नहीं है क्या ? आपने जो बातें कहीं उसमें गम्भीरता नहीं है ? उसमें आप राजनीति लाना चाहते हैं ? इसी कारण से अगर मैं यह कहूं कि मुख्य मंत्री जी ने जाकर आपकी भावनाओं के आधार पर, माननीय सदस्यों की भावनाओं को दिल्ली में प्रधान मन्त्री को बताया है तो आपको फिर एतराज किस बात का है ।

श्री उपाध्यक्ष : Why don't you stop it ?

श्री यदुनाथ सिंह : मुल्जिमों को पकड़ कर क्यों नहीं लाये मुख्य मन्त्री ।

श्री हंसराज मिढ़ा : सरकार की कमजोरी के कारण से आपने प्रधान मन्त्री से मदद मांगी है । अगर राजस्थान सरकार मजबूत होती तो आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें । अगर मुझे मजबूर करेंगे तो मैं स्टेटमेंट बन्द करवा दूंगा । सुन तो लीजिये आप । आप लोगों को इन्टरप्ट किया था क्या ? आप जब कोई बोल रहे थे तो इस तरह से इन्टरप्शन हुआ था क्या ? हाउस नहीं चलाना चाहते आप ?

श्री नारायणराम बेड़ा : निश्चित रूप से हम प्रधान मन्त्री के आभारी होते, अगर 104 मुल्जिमों को आपके हवाले करते तो राजस्थान की जनता और विधान सभा के सदस्य आपके आभारी होते ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है । अब इनको समाप्त करने दीजिये ।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मेरे विपक्ष के साथियों की बहुत इज्जत करता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि इस गम्भीर विषय के ऊपर जो चर्चा हुई है उस गम्भीरता के साथ में वे अपनी भावना रखेंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको खुद को मालूम है कि आज जब एक फौज के जवान उसमें इन्वोल्व थे, अगर आज सिविलियन का आपस में कोई झगड़ा होता और अगर आपको मैं यह कहता कि मुख्य मन्त्रीजी जाकर के दिल्ली में बात कर रहे हैं तो यह सब बातें कही जा सकती थीं....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अगर विधान सभा में हम सब सदस्यों को गोली मारकर चले

224

(श्री यदुनाथ सिंह)

जायें, तो फिर स्पीकर साहब जायेंगे दिल्ली प्रधान मन्त्री के पास....

श्री उपाध्यक्ष : ये क्या बात कर रहे हैं आप ? बात सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। ये क्या लाजिक्त हैं। आप कोई तर्क नहीं दे रहे हैं अब। आप बैठें, अब। आपके पास अब लाजिक्त नहीं हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यहां पर आयें भून कर चले जायें तब ...आर्मी वाले अगर....

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, आप बैठिये। I am not allowing you. Not to be recorded now. किसी की बात अब रेकार्ड नहीं होगी। आप बैठें यदुनाथ जी अब। प्लीज सिट डाउन।

श्री यदुनाथ सिंह : ××××

श्री डूंगरराम पंवार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या मजाक कर रखा है ?... सुन तो लीजिये न आप। Now your point has come, it is on the record. हीरालाल जी बैठें। मन्त्रीजी।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे विपक्ष के साथियों ने कहा है, और हम सब कहते हैं कि हमें हमारी फौज पर गर्व है। हमारी अपनी आर्मी का मामला है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया कोई आपसे अलग नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी है, अगर उससे जाकर बात करें तो हर्ज किस बात का है। यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सिट डाउन प्लीज।

श्री अशोक गहलोत : जो बातें माननीय सदस्यों ने उठायी हैं, खालिस्तान समर्थक नारों के बारे में हमारे पास, सरकार को कोई सूचना नहीं है और मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिना सूचना के इस प्रकार की बात नहीं करें। जहां तक कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की कि घटना के बाद में वहां पर देखभाल नहीं की गयी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सूचना मिलने के बाद वहां पर अधिकारी पहुंचे रात भर अधिकारी वहीं पर रहे, सारे घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया और सभी तरह से उनको.... मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं ?

श्री शोपत सिंह : यह सूचना जो आप कह रहे हैं कि सारे अधिकारी रात भर वहां मदद करते रहे, उनमें से एक भी आदमी को पुलिस ने अगर हास्पिटल में भर्ती कराया हो, तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : किसी पेशेंट से आपने पूछा है कि आपको यहां पर हास्पिटल में कौन लेकर आया है ?

श्री अशोक गहलोत : मैं जिला प्रशासन का कह रहा हूं, जिसमें एस. पी. भी आता है, कलक्टर भी आता है, हम किसी को फ्लेयर अप नहीं करना चाहते।

श्री देवीसिंह भाटी : यही तो ऐतराज है कि आप सिर्फ सरकारी प्रवक्ता की तरह

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

की बात करते हैं। सरकारी प्रवक्ता की तरह बात मत करो पेशेंट से जाकर पूछते। अगर आपसे यह पेशेंट बात कहता तो हम मानते कि जिनके चोटें लगी हैं, और वह एडमिट हैं हास्पिटल में।

श्री शोपत सिंह : कौन जीप में ले गया 16 आदमी को।

श्री देवीसिंह भाटी : आप हर बात को प्रोटेक्शन क्यों देते हैं। क्या बात करते हैं आप गृह मन्त्री जी ?

श्री उपाध्यक्ष : ओ. के.। माननीय गृह मन्त्रीजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री अशोक गहलोत : मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री शोपत सिंह : हमें शाबासी देनी चाहिये उन अधिकारियों को, डाक्टर्स को, जो एम्बुलेंस से ले गये। या अपनी सवारियों से गये हैं, टेम्पो वाले ले गये, पैसे नहीं लिये उन्होंने टेम्पो वालों को।

श्री अशोक गहलोत : माननीय शोपतसिंह जी, आप जो बात कह रहे हैं, हो सकता है आपके लोगों ने आपको इन्फोर्मेशन दी होगी, मेरी जानकारी है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह जी, यह वाद-विवाद का समय नहीं है। अब आप बैठें, जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं, बैठिये शोपत सिंह जी....।

श्री शोपत सिंह : एक-एक आदमी की जानकारी है।

श्री अशोक गहलोत : मेरी जानकारी से वहां के सारे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम वहां के जिला परिषद् ने भी किया, वहां के कार्यकर्ताओं ने भी किया और इन अधिकारियों ने भी किया। इसके साथ-साथ में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपतसिंह जी। इस तरह की कमेण्ट्री नहीं करें। आप यह कह चुके हैं। क्या आपने नहीं कहा है ? आप अपनी एनर्जी को क्यों एक्जास्ट कर रहे हैं ? अभी एनर्जी को प्रिजर्व रखिये।

श्री देवीसिंह भाटी : बिना किसी सत्य सूचना के यह सारी बातें कह रहे हैं। माननीय गृह मन्त्री जी कह रहे हैं कि अपने आप को करेक्ट करो, हम यही तो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं करेक्ट करो अपने आपको। एस. पी. और जिला कलक्टर, जिला प्रशासन कहता है, उस पर मत जाओ। हम यह कहते हैं कि अस्पताल में जो भर्ती है, उनसे पूछिये, अगर वह कोई कह दें, एक भी आदमी यह कह दे कि हमें जिला प्रशासन की मदद मिली है या उनकी गाड़ी में हम आये, हमारे रेलवे हास्पिटल में, प्राइवेट टैक्सीज में, कोई विक्की पर लेकर आया, सब दूसरे सिविलियन्स लेकर आये....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे मौकों पर सभी इन्वाल्व होते हैं। मोहन जी, आप जानते हैं ऐसे मौके पर सभी इन्वाल्व हो जाते हैं। आर्डर प्लीज....

श्री मोहन छंगाणी : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय गृह मन्त्री जी जो भी

(श्री मोहन छंगाणी)

नोट है, बड़ी मजबूरी से पढ़ रहे हैं, मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये ठीक है, आप बैठिये। आज आप भी बहुत बोल लिये हैं।

श्री मोहन छंगाणी : क्योंकि इनकी आत्मा और नोटों में बहुत अलगाव है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वह नोट एक तरफ रखिये और अपनी आत्मा की आवाज से बोलिये। ये नोट जो भेज रहे हैं, वह सब असत्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : छंगाणी जी, आप बैठिये।

श्री अशोक गहलोत : कृपया करके आप इतनी कृपा न दिखायें छंगाणी जी। जो इन्फार्मेशन मैं दे रहा हूं, कल जाकर के आया हूं, उसके आधार पर भी दे रहा हूं। और मैं आपको कह सकता हूं शोपतसिंह जी और देवीसिंह जी साहब, हो सकता है इनके पास कोई इन्फोर्मेशन हो, जो अस्पताल गये हैं, वह पुलिस की गाड़ियों में गये हैं, रेलवे के एम्बुलेंस में गये हैं, और इस प्रकार से अगर हम एक तरफ बात करते रहें तो उससे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : एक तरफा बात नहीं है, एक तरफा बात आपकी है, जो सिर्फ जिला प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो वह अभी तक एडमिट हैं, उनसे जाकर पूछिये, रेलवे की एम्बुलेंस में गये हैं वह...(व्यवधान) आम जनता, जिनको तकलीफ हुई है, उनकी बात नहीं कह कर सिर्फ जिला प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं। खेद की बात है आपके लिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी जी। बैठें आप।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि जिस स्टेटमेंट के आधार पर माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही है, कि मैं वहां के प्रशासन को बचाने के लिये बात कर रहा हूं, मेरा किसी को बचाने का कोई मकसद नहीं है, जो हकीकत थी, जो मैंने वहां बातचीत की, उसके आधार पर हम लोग जिस नतीजे पर पहुंचे, उसके आधार पर, मैंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात पेश की है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, हियर इट। पहले सुन तो लीजिये आप। बीच में व्यवधान करेंगे तो इसका अन्त नहीं होगा। हमें दूसरे बिजनस भी लेने हैं।

श्री अशोक गहलोत : जो इस प्रकार घटनाक्रम ने मोड़ लिया, और जो मैंने तथ्य पेश किये हैं, जब पुलिस एस पी. को सूचना मिली....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ स्टाप इट। बीच-बीच में यह नहीं करें आप। इसको बिल्कुल लाइटली कर दिया है आपने।

श्री अशोक गहलोत : एस पी. ने तत्काल कार्यवाही की, जो तथ्य मैं दे चुका हूं, उसके आधार पर, मैंने कहा है, कि पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने प्रयास किया कि किस प्रकार से, घटना घटने के बाद जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। इसलिये मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं

(श्री अशोक गहलोत)

किसी को प्रोटेक्शन दूं या प्रशासन को प्रोटेक्शन देने की बात कहूं, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, जो चेयर ने बहुमूल्य सुझाव, रूलिंग दी थी, उनकी स्पिरिट के बिल्कुल प्रतिकूल है। माननीय गृह मंत्री जी बिल्कुल डबल माइण्ड में हैं एक तरफ डिफेन्स मिनिस्ट्री और कोर्ट और इन्क्वायरी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि मैं मुलजिमों को मांग रहा हूं, मुलजिमों को यदि मजबूती से मांगते तो कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की इनको परवाह नहीं होती, यह जो डबल माइण्ड आपने प्रदर्शित किया है....

श्री अशोक गहलोत : कोई डबल माइण्ड नहीं किया है।

श्री मानिकचन्द सुराना : जब कोर्ट आफ इन्क्वायरी के लिये आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी मिल रहे हैं डिफेन्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से, इधर से कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी भी बनवा रहे हैं, इधर आप मुलजिमों को भी मांग रहे हैं, इनके इस डबल माइण्ड के खिलाफ और उन्होंने जो असत्य वर्णन किया है, कि इनके जिला प्रशासन ने अस्पताल में घायलों को पहुंचाया, इस सबके प्रोटेस्ट में राज्य सरकार के एटीच्युट के प्रोटेस्ट में हम जनता दल के सारे लोग इनके इस वक्तव्य के प्रोटेस्ट में हाउस से वाक आउट करते हैं।

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded।

श्री शोपत सिंह : हमें इस बात का असंतोष है कि इस तरह का बयान देकर गृह मंत्रीजी ने बीकानेर के लोगों के साथ घोर अत्याचार किया है, इसका बदला लिया जायेगा, इसी प्रस्ताव के साथ में यहां से वाक आउट करता हूं।

(श्री शोपत सिंह द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चेयर का इस प्रकार का निर्देश था कि जो रेप केस है, उसके लिये इन्क्वायरी करे, गृह मंत्री जी ने रेप केस के लिये इन्क्वायरी की घोषणा नहीं की है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, भावना से कहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने चेयर की भावना का पालन नहीं किया, जो लोग घायल हुए हैं, उनके लिये विशेष प्रकार की सहायता की बात नहीं की, और जिस प्रकार से मुख्य मंत्री की बात कह कर कोर्ट आफ इन्क्वायरी की बात कह कर सारे मामले को टालना चाहते हैं, राजस्थान की जनता में जिस प्रकार की असुरक्षा की भावना सरकार द्वारा पैदा हुई है, आज लोग यह समझते हैं कि राजस्थान की जनता सुरक्षित नहीं है, इस प्रकार की कमजोर सरकार के रहते हमारी भी सुरक्षा नहीं है गृह मंत्री के इस गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के भी सभी सदस्य भी सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर वाद-विवाद। श्री जयकृष्ण तोसावड़ा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 जो पेयजल के सम्बन्ध में है। उसके बारे में मेरा तो एक ही निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के अन्दर जो हमारा बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इस राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी भारी समस्या पानी की है। प्रदेश के अन्दर यदि पानी की समस्या दूर कर दी जाय तो कई प्रकार के साधन हमारी जनता को उपलब्ध हो सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई मेरे पूर्व वक्ताओं ने पेयजल सम्बन्धी जो बातें बतायी हैं, वह न कहकर। मेरा निवेदन तो यह है कि कई क्षेत्र राजस्थान के अन्दर ऐसे हैं। जिन क्षेत्रों के अन्दर पानी की समस्या बड़ी भयंकर है और उस पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमारी राज्य सरकार को कुछ न कुछ योजनायें इस प्रकार की बनानी चाहिए जिससे .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस कम टू आॅर्डर, प्लीज। आपस में बातें न करें। माननीय वर्माजी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्हीं के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह पुलिस का डिपार्टमेण्ट उनके पास है, पुलिस को तो कभी वह सुधार नहीं सकते हैं।

(समय 7.32 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

लेकिन थोड़ा सा प्रयास करके राजस्थान के अन्दर यदि पानी की व्यवस्था ठीक कर दें तो वास्तव में यहां की जनता को बड़ा भारी लाभ हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर जो दूदू विधान सभा क्षेत्र है। उसके अन्दर करीब 40 गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर पानी की समस्या बड़ी भयंकर है और उन गांवों के अन्दर लगातार पांच वर्षों से अकाल पड़ता जा रहा है। अब के भी 71 गांवों को अकाल के अन्दर घोषित किया गया था। माननीय सभापति महोदय, लेकिन उन गांवों के अन्दर किसी प्रकार की सही व्यवस्था नहीं बन पायी है और उन 71 गांवों के अन्दर ऐसी स्थिति है माननीय सभापति महोदय, कि लगातार पांच वर्ष से बरसात नहीं होने के कारण पानी की सतह नीचे चली गयी है क्योंकि बरसात होती नहीं। मेरे पास में, पडौस में सांभर की, नमक की झील हैं, उसकी खरास मेरे क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रसारित हो रही है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय से एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन इलाकों का पूरा सर्वे कराया जाना चाहिए और कहां से पानी उपलब्ध हो सकता है उसकी व्यवस्था भी कर दी जाय तो वास्तव में उस क्षेत्र का भला हो सकता है।

इसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, तीन चार साल के अन्दर वैसे तो मेरे क्षेत्र के अन्दर पानी की व्यवस्था ठीक है लेकिन मैं अपने कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

हमारे यहां पर पानी की व्यवस्था की, रात और दिन एक साथ घूमकर के, ऐसी बात नहीं है। मेरे कुछ सदस्य कह रहे हैं कि आपके आदमी लगे हुए हैं इसलिए प्रशंसा कर रहे हो। मैं तो खुला आदमी हूं, यदि कोई गलत काम करता है, मुख्यमंत्री भी गलती करे तो मैं उनको भी कह देता हूं, खुला आदमी हूं, स्पष्ट वक्ता हूं। इसलिए मेरे सामने न कोई मेरा आदमी है न तेरा आदमी है, जो गलती करता है उसको स्पष्ट सुना देता हूं। यह मेरी आदत बनी हुयी है लेकिन फिर भी मेरे इलाके के अन्दर कई प्रकार की योजनायें हैं, जैसे हैण्ड पम्प की योजना है, कोई नल की योजना की व्यवस्था है, उनको बनाया है, कई पाइप की व्यवस्था की है, उसको भी ठीक किया है, कहीं पर कुए खोदने की व्यवस्था है उनको भी ठीक किया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इतना करने के बावजूद भी दूदू विधान सभा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि हम उसके पश्चिम क्षेत्र को बाड़मेर और जैसलमेर, मानकर चलते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं मंत्री-महोदय जो अशोकजी गहलोत हैं जो नये-नये हमारे यहां पर राजस्थान विधान सभा में पधारे हैं, हमारी जनता के दुःख दर्द को सुनने की कोशिश करेंगे। मेरा उनसे विशेष रूप से निवेदन है कि इस जयपुर के नजदीक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अन्दर अगर पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से कर दी जाय तो मेरे यहां की जनता, जो साधारण जनता है और गरीब जनता है और यहां से करीब पांच-पांच-किलोमीटर दूर जाकर कोई दूसरे किसानों के कुओं से पानी लेकर के अपनी प्यास बुझाती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से, मंत्री महोदय से निवेदन है कि विशेष रूप से क्योंकि आपके पास पानी का विभाग भी है, हैण्ड पम्प आपके अधीन हैं, कुए खोदना आपके अधिकार में है, इसलिए विशेष रूप से मेरा निवेदन है और मेरी ओर से ही नहीं, वहां की साधारण जनता, वहां की गरीब जनता जो कई वर्षों से आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से पानी के लिए तरस रही है उनकी व्यवस्था कहीं से भी करा दी जाय। मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं, मंत्री महोदय, मेरे इलाके में एक नहीं दो तहसीलों का भाग है। एक पूरी तहसील दूदू तहसील है, दूसरे करीब 66 गांव फुलेरा तहसील के है और फुलेरा तहसील के 66 गांव उस सांभर की झील के आस-पास हैं इसलिए आपके माध्यम से उदाहरण देकर निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, खरथला एक ऐसा गांव है जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर एक छोटी सी नाड़ी थी, वह भी सूख गयी। 85-86 के अन्दर ऐसी व्यवस्था थी वहां पर (व्यवधान) आप मंत्री महोदय, मेरे पर मेहरबानी कीजिए। आप बोलते हैं तब तो हम नहीं बोलते हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात बता रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन यह है माननीय सभापति महोदय, कि उस नाडी के अन्दर वहां के गांव वालों की यह स्थिति थी कि अलग-अलग नाडी के अन्दर अपने निशान करके आ जाते थे गांव के लोग और शाम के समय एक डिब्बा रखकर आ जाते थे, सुबह जाकर उसमें पानी इक्ट्ठा हो जाता था, कपड़े को उस पानी से गीला कर के डिब्बे में निचोड़ते थे और उसको पीते थे। 85 के अन्दर दो-तीन लड़कियां

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

उस जहरीले पानी को पीकर मर गयी। यह सारी की सारी स्थिति थी जो उस समय थी लेकिन फिर भी उस समय की कमी को दूर नहीं किया और वहां का सर्वे भी हुआ है। वहां के सर्वे डिपार्टमेंट ने यह रिपोर्ट दे रखी है कि इस नाड़ी के पानी को न पीया जाय अगर पीयेंगे तो एक प्रकार का जहर है इस प्रकार की मेरे क्षेत्र की स्थिति है। इसलिए मैं तो बराबर अधिकारियों से कहता हूं लेकिन अधिकारी तो तब काम करें जब उनके पास पैसा हो और पैसा हमारी सरकार देती है। अधिकारी जितना उनको पैसा देते हैं काम कर देते हैं। मैं बडाई नहीं करता मेरे इलाके में उन्होंने बेशक प्रयत्न किया है। मैं भी हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर हर व्यक्ति के पास जाता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनकी बडाई करता हूं लेकिन मेरे यहां जो काम किया है वह चाहे जे. ई. एन. हो, ए. ई. एन हो, एक्स ई. एन. हो, चीफ इंजीनियर हो, कोई भी हो, लेकिन कमी रही है हमारी सरकार की ओर से, जब भी मैं उनको कहता हूं तो कहते हैं कि हमारे पास फण्ड नहीं है यदि हमारे पास फण्ड हो तो दूदू तहसील की पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर यह व्यवस्था कर दी जाय तो वहां की पानी की व्यवस्था आसानी से मिट सकती है।

इसके साथ मेरा निवेदन राजस्थान के बारे में भी है।...(व्यवधान)

आप सुनने नहीं देंगे क्या ? ध्यान रहे यह तोसावड़ा बोल रहा है फिर आप बोल लेना ? +++ मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की जनता को यदि सुनिश्चित ढंग से हम पानी पिलाने की कोशिश करें तो जैसे बीसलपुर योजना है इसका पानी केवल अजमेर जिला या और कोई जिला या टोंक जिला तक ही सीमित रखने की कोशिश की जा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे जयपुर जिले में अण्डर ग्राउण्ड वाटर नहीं है। यदि उसको थोड़ा सा खोदते हैं, ट्यूब वैल लगाते हैं तो कहीं तो अन्दर जाकर मोरिड आ जाती है, जो चिकनी मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी उस मशीन के ऊपर चिपक जाती है। इसलिए हैण्ड पम्प नहीं खोद सकते ट्यूबवैल नहीं खोदा जा सकता। कहीं मिट्टी के टीले हैं इसलिए वहां पर चट्टान नहीं आने के कारण मशीन वहां काम नहीं कर सकती, क्योंकि मिट्टी की रेली आ जाती है वहां अन्दर का पानी हम नहीं ला सकते इसके साथ ही साथ यदि कहीं चट्टान आ जाती है तो नीचे जाने के बाद खारा पानी आ जाता है और खारा पानी आ जाने के कारण ट्यूब वैल या हैण्ड पम्प लगवायें और कुआ खुदवायें तो सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस जिले के लिए, जयपुर जिला जो हमेशा-हमेशा के लिए एक प्रकार से अवहेलना की दृष्टि से देखा गया है, अवहेलना की दृष्टि से इसलिए देखा गया कि यहां पर जितने भी मन्त्री या विधायक बने हैं आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं यह जयपुर की खासियत है और इसका फायदा हमेशा पश्चिमी राजस्थान उठाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

विशेष रूप से जयपुर जिले के अन्दर जो राजस्थान की राजधानी है यहां पर कई लोग बैठते हैं मन्त्रीगण बैठते हैं आई.ए.एस. और आई.पी.एस. ऑफिसर बैठते हैं लेकिन उनको तो इसलिए किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है कि राजस्थान सरकार की ओर से उनकी सारी व्यवस्था है उनकी सन्तान या हमारे बच्चे, हम जिस प्रकार से राजनीति में आ गये या पढ़-लिखकर आगे निकल गये, कूलर के अलावा बाहर नहीं जाते लेकिन गांवों के अन्दर हजारों-करोड़ों की संख्या में बैठी हुई जनता जो 80% जनता हमारे गांवों में बैठी हुई है और वह वहीं बैठ करके अपना जीवन-यापन कर रही है न पीने के लिए पानी है, न उनके पास खेती को सींचने के लिए पानी है। वह कुआ भी खोदे तो कितना गहरा खोदे माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारी सरकार से और विशेष रूप से जिनका सम्बन्ध हमारे भारत के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी से है हमारे माननीय अशोक जी का, मेरा निवेदन यह है कि इस समय हमको बहुत बड़ा चांस मिला। यदि राजस्थान की पेयजल की समस्या माननीय अशोक जी महोदय यदि यह कोशिश करें तो राजस्थान की पेयजल की समस्या मिट सकती है क्योंकि उसमें जो योजना बन करके आती है पेयजल सम्बन्धी वह भारत सरकार की तरफ से बनती है उसमें कुछ हिस्सा राजस्थान सरकार का है इसलिए भारत सरकार के सामने राजस्थान की समस्या जिस स्थिति से रखी गई है वह शायद आज तक नहीं रखी गई है।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप घण्टी मत बजाइये। मुझे बहुत देरी से टाइम मिला है। इसलिए मेरा निवेदन यह माननीय अशोक जी से मेरा विशेष रूप से निवेदन है क्योंकि वे एम. पी. हैं और इस नाते उनका वहां से सम्बन्ध है और राजस्थान के रहने वाले हैं और जोधपुर जिले के रहने वाले है। जहां पर पानी की और ज्यादा समस्या है इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि आप सारे काम छोड़ दें। पुलिस आपसे सुधरेगी नहीं न आज तक सुधरी है, न कल सुधरेगी न आने वाले समय में सुधरेगी क्योंकि आप लोग यह बार-बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार....तोसावड़ा तो स्पष्ट रूप से कहता है कि भ्रष्टाचार तो दुनिया में है ही नहीं। मैं तो नहीं मानता हूं। वह इसलिए नहीं मानता पहले भी मैंने उदाहरण दिया माननीय सभापति महोदय, कि एक व्यक्ति के शरीर में एक फोड़ा हो जाये तो ऑपरेशन किया जा सकता है, पांच फोड़े हों तो ऑपरेशन किया जा सकता है हमारे कई सदस्य जो बड़े दुःखी है राजनीति में नहीं आने के कारण उनको हॉर्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक होने के कारण वह अमेरिका में जाकर ऑपरेशन करवा सकते हैं वह ठीक है लेकिन यह भ्रष्टाचार ऐसा पनप गया, जिस व्यक्ति का पूरा शरीर ही झरने लग जाये फोड़े होकर के उसका क्या ऑपरेशन करोगे। इसलिए भ्रष्टाचार नाम के शब्द को मिटा देना चाहिए मैं तो इसके पक्ष में हूं नहीं। मेरे को छोड़ करके हर व्यक्ति इसमें इतना इनवाल्व हो गया, इतना तल्लीन हो गया, इतना मिल गया कि उसको दूर कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन यह है माननीय सभापति महोदय, कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार का

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

नाम तो लेने की आवश्यकता है नहीं। मेरा निवेदन है कि किसी में बुराई है उसको यदि मिटाना चाहते हो, किसी को रोजी-रोटी देना चाहते हो पानी की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हो तो माननीय मन्त्री महोदय, आप आसानी से कर सकते हो, भारत सरकार से निवेदन करके ताकि जितनी भी बड़ी-बड़ी योजना है, बीसलपुर योजना है और कहीं से भी किसी नदी से पानी लाने की कोशिश कर सकते हैं। यह इन्दिरा गांधी नहर जो बनाई है उसके आधार पर जो उधर के जो लोग हैं, उनकी सारी समस्या दूर होती जा रही है। इसी प्रकार की समस्या को मिटाने के लिए यदि हम कोशिश करें, आज जगह-जगह सर्वे करवा कर यदि पानी के ट्यूब वैल खुदवायें, कई पाताल-तोड़ कुएं की व्यवस्था भी हमारे यहां चल रही है। यदि वह स्थिति भी हमारे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की गतिविधियां पैदा करके की जाये तो माननीय सभापति महोदय, यहां की जनता जो कई वर्षों से प्यासी मर रही है कई वर्षों से परेशान हो रही है, आप ताज्जुब करोगे कई लोगों को तो नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है, कई लोग तो इधर-उधर से लाकर कर सकते हैं। कई लोग 10–10, 15–15 दिन तक नहा नहीं सकते क्योंकि पानी नहीं है। आज अजमेर की दशा देखिये 15 दिन में एक बार पानी आता है, जयपुर की दशा देखिये यदि यह बन्धा नहीं हो तो पानी नहीं मिले। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सम्पूर्ण राजस्थान की स्थिति को देखते हुए हम एक ऐसी योजना बनायें जिससे सबसे पहले चूंकि बरसात पर हम निर्भर रहते हैं, बरसात कभी होती है, कभी नहीं होती है। लगातार पांच वर्षों से अकाल पड़ रहा है पांच वर्ष से कभी बरसात होती नहीं है तो हमारे बन्धे और तालाब भरते नहीं नदियों में पानी आता नहीं इसलिए ऊपर के पानी का और नीचे के पानी का आपस में मिलान नहीं हो तब तक पानी की कमी दूर नहीं हो सकती क्योंकि इतनी बरसात होती नहीं है तो माननीय सभापति महोदय, इस पेयजल के सम्बन्ध में यदि केवल मात्र, लगातार 10 साल तो मुझे भाषण देते हो गये इसी राजस्थान विधान सभा के प्रांगण में फिर भी इस पानी की समस्या दूर नहीं हुई। आखिर हम चाहते क्या है? आखिर हमारे विचार क्या है? हमारी भावना क्या है? मेरा तो एक निवेदन है कि सारे बजट को मोड़ करके पहले जो समस्या राजस्थान की जनता के सामने पानी की है हर पंचवर्षीय योजना का एक बजट पूरा का पूरा राजस्थान की जनता के पेयजल सम्बन्धी समस्या को दूर करने के लिए सारा खर्च करके एक समस्या दूर हो सके तो दूर कर दो। उसके बाद अकाल की समस्या को ले लो, फिर उसके बाद सड़कों की समस्या को ले लो, उसके बाद बिजली की समस्या को ले लो लेकिन सबसे बड़ी समस्या राजस्थान की जनता के सामने पेयजल सम्बन्धी है, पानी सम्बन्धी है जब तक व्यक्ति को पानी नहीं मिलता भोजन के बिना 15 रोज रह जाते हैं। कई व्रत करके जैनियों में एक-एक महीने का पारण करते हैं, उनकी जान नहीं जाती, मरते नहीं है लेकिन पानी के बिना व्यक्ति एक घण्टा भी नहीं रह सकता यह मेरा आपसे निवेदन है और विशेष रूप से हमारे नये मन्त्री माननीय अशोकजी गहलोत

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

से मेरा निवेदन है कि आप जिस तत्परता से जनता में काम करते हैं उसी प्रकार से, यदि आपके हृदय में राजस्थान की जनता के लिए थोड़ा दुःख है, टीस है तो हमारी केन्द्रीय सरकार के पास जाकर निवेदन करके यह पानी की समस्या दूर कर दें तो आपको बहुत अधिक दुआएं मिलेगी और इसके अलावा अभी तो आप गृह मन्त्री हो, हो सकता है हमारे मुख्य मन्त्री बनकर आ जाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन यह है कि आप इस सारी स्थिति को देखते हुए सेण्टर से बात करें। हमारे सम्माननीय प्रधान मन्त्री से बात करें कि राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी भयंकर समस्या है तो वह केवल मात्र पीने के पानी की है। यही मेरा आपसे निवेदन है, जयहिंद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं चन्द खास बातें जो मुझे ध्यान में लानी हैं वही कहूंगी। मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जलप्रदाय व सेनिटेशन का यह दशक 1981 से 1991 तक चल रहा है। राजस्थान इस दशक में जो लक्ष्य लेकर चला था उन लक्ष्यों में बिल्कुल फेल रहा है। सभापति महोदय, हमको पेयजल उपलब्ध कराना था और हमको भूमिगत स्रोतों का पता लगाना था, खारे पानी के खारेपन को दूर करना था और फ्लोरोइड़ या ऐसे तत्व थे उनको समाप्त करके लोगों को अच्छा जल उपलब्ध कराना था अर्थात शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था। यह योजनाएं जो बनी उन पर राजस्थान पूरा काम नहीं कर पाया। योजनाएं कागज में प्रस्ताव की तरह रह गयी। इन्हें अजन्मी योजना कह दूं तो कोई बुरा नहीं है। पानी के स्रोतों का प्रोपर दोहन नहीं किया गया। अच्छा तो यह होता कि जो पानी के स्रोत थे बाहर के गांवों में भूमि कटकर, बन्धे कट करके जो पानी बह जाता है सारा पानी ढलान की ओर बहता है उसको रोक पाने की कोई व्यवस्था राजस्थान सरकार ने नहीं की। होना तो यह चाहिए था कि एक मास्टर प्लान बनाया जाता। किस तरह से कहां-कहां कितना-कितना इंच पानी कहां कब-कब बरसता है उसको हम सुरक्षित नहीं कर पाते। एक-एक बून्द पानी अगर हम बचा पाते तो पानी की कोई योजना बनती। यह सबको मालूम है कि हमारे राज्य में बरसाती नदियां हैं, बरसात का पानी होता है। जलोत्थान योजना जो बाहर की नदियों से बनाई गयी उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। गंगा यमुना, नर्मदा और पंजाब की नदियों का पानी लाने की जो बातें कही गयी वह बात अधूरी रह गई और हमारा राजस्थान अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया। गांव-गांव को पानी देने की जो बात थी वह पानी नहीं दे पाया, स्थिति इतनी खराब है। आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आज जो हमने यहां पर अपना प्रगति पत्र दिया, यह प्रगति पत्र जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का है। लेकिन मेरी सूचनाओं के आधार पर 22 अगस्त, 1988 को यहां पर निगम की घोषणा की गयी थी। निगम का परिपत्र हमारे हाथ में नहीं है। यह क्या कारण है कि जो निगम बना, उसका क्रियान्विती के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रूप में गठन नहीं किया गया और वह केवल कागजों में ही बना रहा। विदेश से, अन्त-राष्ट्रीय वित्त संगठन से, पैसा लेने के लिए मण्डल का गठन किया गया था। मण्डल की कार्यवाही अपर्याप्त समझकर के निगम का गठन किया गया। यह निगम का गठन केवल कागजों में ही रह गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर निगम नहीं बनाना है तो वापिस मण्डल पर आ जाइये या विभाग पर आ जाइये। अगर आपने कोई घोषणा की है, सरकार ने मण्डल बनाया है तो बाकायदा उसका गठन करके उसकी प्रक्रिया से आप आयें।

मुझे जानकारी मिली है कि इस निगम का गठन केवल इसीलिए किया गया है कि कुछ हम अपने राज्यों से, अपने राज्य के माध्यम से, कुछ निगमों से, बीमा विभाग से या अन्य संस्थाओं से हम उधार ले सकें। यह दो प्रकार की प्रक्रिया अगर चलेगी कि मण्डल तो उधार लेगा और विभाग खपत करेगा। निगम तो उधार लेगा, कागजों में निगम है, प्रक्रिया में निगम नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं आप किसी भी एक भूमिका पर आ जायें तो वह ज्यादा उत्तम रहेगा आपके लिये। कागजों में निगम चलाना सरकार के लिये अच्छा नहीं है। जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं। अधिसूचना जारी की गयी लेकिन गठन नहीं किया गया, खेद की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जल संकट का मुकाबला युद्ध स्तर पर हो। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि अब मुकाबला हो तो कैसे हो। हम-तुम यहां पर आगे बढ़कर ऐसे मुकाबला करेंगे तो पानी मिल जायेगा। मुकाबले के लिए आपको पूरी मशीनरी को गियरअप करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह संसाधन आप उपलब्ध करवा सकते हो। जब तक आप रचनात्मक रूप से प्रक्रिया में अपनी मशीनरी को नहीं लाओगे तो यह गियर-अप नहीं होगी।

हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि जलदाय विभाग का काम जिसको कहना चाहिये व्यवहारिकता से कहीं दूर हटकर है। मान लीजिए बनास योजना के लिए एक योजना बनाई गयी कि जयपुर को जल उपलब्ध कराया जायेगा वह योजना कहीं अटक कर रह गयी। इसलिए राज्य में पानी के अभाव में तीन-तीन दिन में पानी मिले, पांच-पांच रुपए में बाल्टियां पानी की बिकी। किस हिसाब से हम इस विभाग की सक्षमता की तारीफ करें? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी मुझे उम्मीद भी है कि अगर आप चाहते हैं तो इस मशीनरी को ठीक कर देंगे और जिस बीसलपुर योजना को लागू करने की प्रक्रिया थी उसके प्रथम चरण में जयपुर को जुड़वा देंगे, राजधानी है यह। न केवल यहां के रहने वाले पानी पीते हैं आप जैसे आने वाले भी पानी पीते हैं और मेहमान भी आते हैं। इस नगर पर इतना दबाव है, आगन्तुकों का जितना और किसी नगर पर दबाव नहीं है तो हमको उनके लिये भी पानी की योजना बनाकर चलनी चाहिये और पानी उपलब्ध कराना चाहिए।

मान्यवर, आपने एक समिति बना दी। जिसमें आपकी अध्यक्षता में पिछले दिनों मीटिंग हुई थी। हम बड़े आशान्वित हुये थे, जिसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं हमारे, हमारे उपाध्यक्ष मोटवानी जी भी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हैं, जिला प्रमुख चुरू के भी हैं, फलोदी के श्री जयदेव इन्दौरिया भी हैं, मनफूलाराम जी भी हैं, आप खुद भी हैं। अब यह कमेटी बना तो दी आपने। जब से बनाई है, मुझे आपसे यह पूछना है तब से अब तक पानी की समस्या के निवारण की समिति, इसने क्या कार्य किया? कम से कम अपने उत्तर में यह बता दें कि उसने कुछ काम किया कि नहीं। एक वर्ष तक तो सोचते ही रहेंगे और फिर साल निकल जायेगा और फिर आने वाले साल में चुनाव के दिनों में जगह-जगह अपनी रिग मशीनें लेकर जैसे खेतड़ी के चुनाव में और दूसरे चुनावों में लेकर फिरे कि कहीं हैण्ड पम्प लगवाना हो तो लगवा लो कहीं जलदाय योजना लगवानी है तो लगवा लो। इस तरह से मान्यवर, इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं किया जा सकता। धोखे की बात तो अलग है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं हमारे यहां यह तय किया गया था, किसी योजना से तय किया गया कि 250 व्यक्ति किसी गांव में होंगे तब वहां पर एक नल देंगे, 250 तक वह क्या पीयेंगे। ढाणियों में और गांवों में, रेवेन्यू बिलेजेज में कम से कम एक नल हो और 250 के ऊपर दो नल हो। इसकी घोषणा आप करें। 250 तक तो आप पानी को तरसाओगे, फिर आप एक नल दोगे। कम से कम एक नल की बात कहने के बाद ही आप वहां से जाना चाहें आपको अपना यह ताम झाम मना करे।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हैण्ड पम्पों ने गांवों की समस्याओं का समाधान काफी अंशों में कर लिया होता अगर उनको इस योजना से लगाया गया होता लेकिन जो हैण्ड पम्प लगे उनमें से आधे से अधिक खराब और जो हैण्ड पम्प और लगने थे आपको मैं बताऊं, 1984 में मुझे लिस्ट दी गयी जिसमें मेरे गांवों के नामों का विवरण है लेकिन 84 की इस विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में दिये गये गांवों में पूरे नल जो लगने थे, कहीं पांच, कहीं दो, कहीं एक, वह भी नहीं लगे। मन्त्री महोदय चाहेंगे तो मैं उनको लिस्ट उपलब्ध करा दूंगी।

एक मेरा निवेदन यह था कि जो हमारे यहां टंकी पानी की बनाई जा रही है तो वह जलदाय योजना इस आधार पर बनाई जा रही है कि वहां कितनी आबादी है और पूरे गांव की कितनी आबादी है। ढाणियों को लेकर उसका प्लान बनाया जाता है और जो उसका डिजाइन बना लिया जाता है तो टंकी बन जाती है लेकिन आस-पास के गांवों और ढाणियों में पहुंचाने के लिए कोई पैसा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता। आप अगर व्यवहारिकता लेकर चलें तो आपको पूरी उन योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए। मेरे गांव जयसिंहपुर खोर पंचायत के एक गांव में जिसमें केवल मुसलमान लोग रहते हैं हमने उनकी औरतों के लिए क्योंकि परदे में रहती हैं टंकी बनवाई, आप सच मानिये, सभापति महोदय, दो साल से टंकी सवा लाख रुपये की मुंह उठाये खड़ी है, उसका जल सम्बन्ध नहीं किया गया। मान्यवर, यह स्थिति कोई अच्छी नहीं है। इधर पानी के पैसे पर पैसा बढ़ाया जा रहा है लेकिन पर्याप्त पानी जयपुर नगर में भी दोनों वक्त पूरे दबाव से नहीं दिया जा रहा है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(रात्रि 8.00)

एक वक्त देते हैं वह भी पूरे दबाव से नहीं देते। किसी के मूर्ति की दुकान है, किसी ने एडवोकेट का बोर्ड लगा दिया, आप भी एडवोकेट हैं मैं भी चाहती हूं कि एडवोकेट का बोर्ड लगा लूं लेकिन उससे कार्मशियल चार्ज वसूल करते हैं। जब आप इनकम टैक्स लेते हैं, सेल्स टैक्स लेते हैं, अन्य लेते हैं तो आपको पानी में कार्मशियल चार्ज लेने का क्या अधिकार है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आप इस टैक्स को वापस कीजिए और इसकी वसूली को रोकिये अन्यथा लोगों में बड़ा आक्रोश उत्पन्न होगा। आखिर आयेंगे तो आप जनता के बीच में ही, जनता आपको फिर नहीं बख्शेगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, दो-तीन बातें और हैं। आप मानें तो सही, मैं तो बहुत देर से बैठी हूं।

श्री सभापति : बैठी तो आप बहुत देर से हैं पर काफी बोल गयीं आप।

श्री देवीलाल : यह तो बार-बार ही बोलती हैं, आज ही है मेरी डिमाण्ड। आज मेरे को थोड़ा समय दें, मेरे को पानी की समस्या पर बोलना है।

श्री सभापति : हां, अभी अवसर देंगे आपको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कृषि भूमि पर आवासीय कालोनी बनी हैं वह कोई मैंने नहीं बनायी हैं, मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं बनायी हैं, वक्त के अनुसार बनी हैं। उनमें कनेक्शन देने की बात, जल-प्रदाय की योजना बनाने की बात आपको करनी चाहिए। आपको जितना पैसा लेना है लें। योजना तो अब भी बन रही है, आपके ही विभाग के लोग वहां पर लाइनें डालते हैं, चोरी-छिपे लाइन डालते हैं और उन पर अवैधता की मोहर लगाते हैं। मैं समझती हूं यह स्थिति अच्छी नहीं है। जो जहां रहेगा वहां पानी पीयेगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दो बात और कहूंगी।

श्री सभापति : आपकी बात का तो कोई एण्ड ही नहीं है। समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बात और कह देती हूं।

आपको कच्ची बस्तियों में पानी की लाइन डालने की बात या उन्हें जल कनेक्शन देने के लिए योजना बनानी चाहिए। एक बात मैं कहना चाह रही थी कि हमारे यहां पर रामगढ़ बंधे के विकास के लिए सवा करोड़ रुपया तो लैप्स हो चुका जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से, केन्द्र के माध्यम से हमें मिलने वाला था। दुःख की बात तो यह है कि हमारे दो मंत्रियों ने, जो जयपुर से हैं, एक जमवा-रामगढ़ से आने वाले माननीय मन्त्री और एक श्रीमती कमला, जल अधिग्रहण क्षेत्र में खडीन, बंध और विलेज टैंक बना लिये। मान्यवर मन्त्री महोदय उनका रुख मोड़कर रामगढ़ के बंध को भरने देने की प्रक्रिया करें जिससे जयपुर के लोग पानी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पी सकें। मैं समझती हूं कि कैचमैण्ट एरिया में खडीन और बन्ध बनाने की कभी भी इजाजत नहीं दी जाती लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जल अधिग्रहण क्षेत्र में बंध बनाये हैं। यह शर्म की बात है। जिससे जयपुर हमेशा पानी को तरसे। इन सारी व्यवस्थाओं को अगर आपने नहीं किया तो यह उचित नहीं होगा। पानी बहुत आवश्यक चीज है। आपकी घोषणाओं के अनुरूप आपको जल की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, यही मैं कहना चाहती हूं।

श्री सभापति : श्री माणक डाणी।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-27 पेयजल पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, आपके इस बार-बार घण्टी बजाने में मेरी ट्रीटमेंट प्लांट की बात रह गयी। ट्रीटमेंट प्लांट अगर आपने नहीं हटाया और गन्दा पानी जयपुर को पिलाया तो मैं इस जनम नहीं जनम-जनम आपको और आपके अधिकारियों को माफ नहीं करूंगी।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। राजस्थान में पानी की स्थिति है वह आपसे छिपी नहीं है। अगर इन्द्र भगवान पानी नहीं बरसायें, तो राजस्थान की सरकार क्या कर पायेगी? अल्टीमेटली इस प्रकृति पर हम लोग निर्भर करते हैं जहां से पानी आने के बाद, हमारी नदियों में पानी का स्तर बढ़ता है और तब कहीं जाकर कुओं के माध्यम से, जगह-जगह स्टोरेज के माध्यम से राज्य सरकार और पी. एच ई. डी. के अधिकारी पानी की सप्लाई करते हैं। मैं राजस्थान के पी.एच. ई. डी. के अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान और खासकर ब्यावर में पानी की जो व्यवस्था उन्होंने की उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन, सभापति महोदय, आज मेरे मन में अन्तर्द्वन्द्व था। मैंने तीन साल तक पी. एच. ई. डी. के अधिकारियों को धन्यवाद दिया, आज भी धन्यवाद दे रहा हूं लेकिन अन्तर्द्वन्द्व था कि धन्यवाद किस तरीके से दूं। क्या धन्यवाद इस बात के लिए कि बीसलपुर योजना का कार्य आज अत्यधिक प्रगति पर है? इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां बांध बन रहे हैं, पाइप लाइन डल रही है और सारा कार्य प्रगति की ओर अग्रसर है। उस प्रगति में ब्यावर भी पिछड़ा हुआ नहीं है बल्कि सम्मिलित है। उन्होंने नसीराबाद से ब्यावर पानी की पाइप लाइन डाल दी, जो टैंक बनने थे सारे टैंक बना दिये, पम्प हाउस बना दिये सारे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं अगर इन्हें धन्यवाद नहीं दूं तो अपने आपके साथ न्याय नहीं करता। लेकिन हमारी पानी की पाइप लाइन की टैस्टिंग का जो कार्य है वह बिलकुल रुक-रुक कर धीरे-धीरे चल रहा है। उसके लिए भी पी. एच. ई. डी. के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए कि वहां टैस्टिंग अगर इसी गति से रुक-रुक कर चलती रहेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 1990 तक पानी देने की उनकी जो इच्छा नहीं है वह निश्चित रूप से ब्यावर को पानी नहीं देंगे।

(श्री माणक डाणी)

यही उनकी मंशा है। इसके लिए भी उनको धन्यवाद। धन्यवाद ही देना चाहिए क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है कि ब्यावर को पानी मिले मैंने तीन साल धन्यवाद दिया लेकिन आज मेरे मन में पहले से ही अन्तर्द्वन्द्व था मैंने पहले ही यह बात कही कि मैं किस मुंह से इनकी आलोचना कर पाऊंगा। बोलने की इच्छा ही नहीं थी इस मामले में। माननीय सभापति महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि ब्यावर की पाइप लाइन की टैस्टिंग का काम पूरा किया जाय। पानी न होने का बहाना नहीं बनायें तो अच्छी बात है। सभापति महोदय, आपात योजना के नाम पर अजमेर में 90 लाख रुपए की एक योजना मंजूर की गयी। राज्य मन्त्री महोदय, सुन लें मेरी बात को, फिर पछताना पड़ेगा आपको। लिख रहे हैं? लिख लो आप। 90 लाख रुपए की अजमेर में आपात योजना मंजूर हुई, 90 लाख रुपए की स्वीकृत हुई। 64.92 लाख रुपए की योजना तो बनास के लिए और बाकी हैण्ड पम्प वगैरह के अन्दर। अप्रेल में यह मंजूर हुई और मई के अन्दर पाइप लाइन का काम चालू हो गया। पानी आना चालू हो गया एक महीने में। वास्तव में पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों की फुर्ती के लिए फिर धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन 20 लाख की स्कीम में एक माह में 12 लाख से ज्यादा पानी नहीं आया। माननीय स्टेट मंत्री महोदय, बाद में उस 65 लाख रुपए की योजना में 30.6.88 से फरवरी, 89 तक उस लाइन से एक बून्द पानी नहीं आया। अजमेर में पानी पूरा मिल रहा था। वहां पर बनास के अन्दर नदी में पानी आ गया। दो प्रश्नों के अलग-अलग जवाब में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने 17.3 को यह कहा कि अन्य स्रोतों में अधिक पानी आ गया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : राज्य मन्त्री महोदय कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे दें क्योंकि मैं फिर उठकर जाऊंगी। मेरे पीछे से नहीं देंगे। देंगे तो फिर मेरे सामने देंगे। या तो अभी दे दें, मैं बैठी हूं।

श्री माणक डाणी : 3.7.89 के प्रश्न के जवाब में इन्होंने यह कहा कि बनास नदी में पानी आ जाने के कारण उक्त योजना में पानी नहीं दिया गया है। एक प्रश्न के दो तरह से दो अलग-अलग जवाब। मन्त्री महोदय, हमें कोई तकलीफ नहीं, आप चाहें जैसा जवाब दिलवायें लेकिन अगर उससे पानी लिया जाता, वह कह रहे हैं कि 80 लाख गैलन की हमारी पानी की लाइन की स्कीम है तो उससे 65 लाख गैलन पानी कैसे लिया गया? 15 लाख गैलन कहां गया? अगर यह चाहें तो पहले पम्पिंग स्टेशन पर जो इन्होंने पानी लिया वह आंकड़े हैं, आपका अधिकृत जवाब मेरे पास है। मेरा नहीं है। एवरेज 50 से 60 लाख गैलन से ज्यादा पानी नहीं आया है। इन्होंने बता दिया कि हमने साण्डला में पानी दिया। उन्होंने हमें यह जवाब दे दिया कि दो नम्बर में पानी इतना कम हो गया कि हमने नेगड़े और छाजी में दिया। जहां तक मेरी जानकारी है, या तो राजस्थान के उप मन्त्री महोदय गलत या मैं गलत या पी.एच.ई.डी. के अधिकारी गलत कि पम्पिंग रिजर्वायर नम्बर एक से यह साण्डला पहले पड़ता है बाद में नहीं लेकिन कोई भी योजना नहीं जो चाहें वह जवाब

(श्री माणक डाणी)

हैं। अधिकार आप का जवाब देने का और हमारा प्राप्त करने का। लेकिन आप देखें तो उससे इनको पानी देने के नाम पर अगर नयी पाइप लाइन चालू होती और उसमें पानी लेते मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि उन्होंने पानी कम लिया क्यों, मुझे तकलीफ इस बात की है कि इन्होंने पूर्ण क्षमता से काम क्यों नहीं किया। क्षमता से पानी लेते तो ब्यावर को पानी की टैस्टिंग के लिये पानी मिलता रहता। मेरा दर्द यहां जाकर के है। 65 लाख रुपये की योजना अजमेर के लिये बने हालांकि उसकी सेंक्शन में लिखा हुआ है कि अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और नसीराबाद लेकिन उस 65 लाख रुपये की अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और नसीराबाद की योजना को एक लाख रुपये की उस योजना के तहत ब्यावर में खर्च नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय ठीक है ब्यावर के नाम पर आप अजमेर में खर्च करें। अजमेर हमारे से दूर नहीं है लेकिन जिस योजना पर 65 लाख रुपया खर्च हुआ अगर उससे आप एक लाख गेलन पानी भी ब्यावर पहुंचा देते तो मंत्री महोदय मुझे खुशी होती लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप कहें तो इन आर्डर्स की कापी, इस सेंक्शन की बात मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं जिसके अन्दर इन्होंने यह स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन न तो पूर्ण क्षमता से लाइन का उपयोग किया गया और गलत जानकारी इस प्रकार से और दी गयी।

माननीय सभापति महोदय, 80 लाख गैलन की क्षमता वाली इस पाइप लाइन की योजना में 50 लाख गैलन पानी इन्होंने उपलब्ध करवाया और हम यह मान कर चलें कि अगर पूर्ण क्षमता से उसमें यूज किया तो क्या उन्होंने अजमेर को प्रतिदिन पानी दिया और अगर अजमेर को पानी प्रतिदिन नहीं दिया तो मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि उस 90 लाख रुपये की योजना में कहीं नहीं घोटाला हुआ है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। 90 लाख रुपये की योजना सैंक्शन हो अगस्त, 1988 में, पानी चलने लगे मई, 1988 में और काम चालू बतायें अप्रेल, 1988 में, कितना विरोधाभास इन्हीं के जवाब में है, मेरे कहने से नहीं है। लेकिन कोई तकलीफ नहीं मैं फिर भी धन्यवाद देता हूं पी. एच. ई. डी. के अधिकारियों को कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्यावर के प्रति वह चिन्तित हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम है कि ब्यावर नगर टैंकर पर निर्भर करता है, टैंकर से पानी आता है आज अगर टैंकर नहीं चलते तो हम मर जाते, हम यहां बोलने की स्थिति में नहीं होते। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के पी. एच. ई. डी. के मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह अजमेर आये और अजमेर आकर, उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली, और जो कुछ निर्णय करने थे वह हाथों-हाथ, तुरत-फुरत निर्णय किये जब तक यह पूर्ति अन्य लोगों में नहीं आयेगी, उच्चाधिकारियों में अगर नहीं आयी तो मंत्रीजी का दिया हुआ स्टेटमेण्ट, मंत्रीजी के दिये हुये निर्देश सफल नहीं होंगे। लेकिन मंत्रीजी ने जो निर्णय लिये उस पर मुझे कहते हुए खुशी है कि वहां हैण्ड पम्प खुदने का काम चालू हुआ लेकिन पी. एच. ई. डी.

(श्री माणक डाणी)

के सेक्रेटरी के कहने से उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने उनके आर्डर्स नहीं मानें। मुझे शर्म आती है यह बात कहते हुए यहां कि कैसा शासन सचिव है हमारे यहां, कैसे अधिकारी हैं नीचे के जो अपने उच्चाधिकारी के आदेश को नहीं मानें लेकिन ऊपर के अधिकारी डरते हैं, क्योंकि नीचे के अधिकारियों से उनकी तालमेल अच्छी है ...।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं बैठूंगा नहीं, माननीय सभापति महोदय, आपकी घण्टी पर। मेरे ब्यावर को भयंकर प्राब्लम है इसलिये इस मौके पर मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में कह दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, पक्ष को छूट दे रखी है। आपके आदेशों की अवहेलना करने की छूट दे रखी है क्या ?

श्री माणक डाणी : अगर टैंकर व्यवस्था बन्द हो जाय तो ब्यावर वासियों का जीना दूभर हो सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अगर छूट दे रखी है तो ठीक है फिर हमको भी छूट है।

श्री माणक डाणी : मगर इसका मतलब यह नहीं है टैंकर चले और उन टैंकर्स का कोई हिसाब नहीं रखें। समीक्षा में पर टैंकर चले वहां कुओं से पानी लिया गया, वहां पर ट्यूब वैल्स से कितना पानी आया इसका कोई हिसाब नहीं। कई बार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया पर जिस अधिकारी को पूरे टैंकर्स पर बिठाया है उसे शायद यह कहकर बिठाया कि आप दारू पीकर ऑफिस में हंगामा करना....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ब्यावर में 72 घण्टे में 15 मिनट पानी मिलता है क्या बोल रहे हैं यहां पर। सारे राजस्थान की जनता जानती है इस बात को।

श्री माणक डाणी : मैं स्वीकार करता हूं, आपकी बात को। विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्वीकार करते हो, खारा पानी पिलवाते हो। (व्यवधान)

श्री रमजान खां : राजस्थान में पानी के मामले में स्थिति सबसे खराब है तो ब्यावर शहर की है और उससे ज्यादा खराब स्थिति कहीं की भी नहीं है। 72 घण्टे में नहीं 96 घण्टे तक पानी नहीं आया है।

श्री माणक डाणी : सम्भवतः उस अधिकारी को यह कह कर बिठाया है कि वह अधिकारी ब्यावर नहीं आना चाहता था। लेकिन इस तरह से बैठाया कि वह दारू पीकर ऑफिस में हंगामा करे, हंगामा करने की छूट है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें टैक्स मिलता है शराब से इसलिये अधिकारी शराब पीकर हंगामा मचा सकते हैं, उसकी लिखित में शिकायतें हों, हम उसकी जांच नहीं करेंगे। यहां तक भी मुझे आपत्ति नहीं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं इतना जरुर चाहता हूं अगर हमारी पानी लाइन फूट जाय, अगर हमारी मोटर जल जाय तो उस अधिकारी का यह दायित्व है कि वह वहां जाकर उसको देखें लेकिन मुझे यह याद नहीं कि वह अधिकारी

(श्री माणक डाणी)

एक दिन भी फूटी पाइप लाइन को ठीक करवाने गया हो। कभी भी वह ब्यावर से समौखी, सेमेरा नहीं गये। वह इसलिये नहीं गये कि उन्हें इस बात की छूट थी अगर वह ऐसा करेंगे तो वह ब्यावर से केकड़ी और नसीराबाद नहीं जा पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह 1442 ट्रक नम्बर 8-3-89 उसने एक दिन में 33 राउण्ड लिये, 24 राउण्ड पर तो एण्टिक्रप्शन आ गया लेकिन 33 राउण्ड करने की छूट अधिकारियों ने दे दी। अगर आप गणित के आंकड़ों के हिसाब से लगायें सैकण्ड और मिनट लगायें तो एक टैंकर, 33 राउण्ड नहीं ले सकता। लेकिन हमें उसमें भी तकलीफ नहीं, उनका यह अधिकारी है वह चाहे जैसे उसे घुमाये।

माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम है ब्यावर नगर में 72 से 96 घंटे में पानी मिलता है।

सुश्री पुष्पा जैन : घण्टी बजने वाली है।

श्री माणक डाणी : क्या घण्टी, पुष्पा जी ? आपकी घण्टी बजने वाली है मेरी घण्टी तो अभी बाद में बजेगी....

श्री डूंगरराम पंवार : आप तो लम्बी खिंचाई पर लगे हुये हो।

सुश्री पुष्पा जैन : या तो आप पाली से लड़ो या मैं ब्यावर से लड़ूं फिर देखें घण्टी किसकी बजती है ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शाबास।

श्री माणक डाणी : यह तो समय बतायेगा। आप चाहे जहां से आपकी चुनौती स्वीकार करने में सक्षम हैं हम लोग, उससे घबराते नहीं हैं ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनकी चुनौती स्वीकार है क्या आपको ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस की चुनौती स्वीकार कर रहे हो डाणी को टिकट नहीं मिलेगी....

श्री माणक डाणी : कभी तो जाते हो पाली और कभी जाते हो सीकर एक जगह से लड़ना सीखो। क्या रखा है इन बातों में। काम तो करते नहीं हो और यह सौते बनावें। काम तो करते नहीं कभी तो सीकर देखते हो और कभी झांसा देते हो देहली को और कभी देते हो किसी और को। यह छोड़ दो आप। कभी पुष्पाजी पाली जायेंगी और कभी और कहीं जायेंगी। एक जगह से लड़ना सीखो साहब, ब्यावर आवेंगे तो घूसने नहीं देंगे, जमानत जब्त करवा कर भेज देंगे। आकर लड़ लेना मेरे सामने, चुनौती स्वीकार है आपको।

श्री डूंगरराम पंवार : बड़े-बड़े टोकरे बजेंगे आपकी घण्टी कौन सुनेगा ? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मेरी गलती है, साहब, मुझे नहीं बोलना चाहिये बीच में।

श्री माणक डाणी : माननीय सभापति महोदय, मैं ब्यावर के पानी का एक स्रोत सुनना चाहता हूं। आदरणीय गहलोत साहब आपको आश्चर्य होगा कि ब्यावर नगर में हम 72 से 96 घण्टे से पानी पीते हैं और वहां हमारी स्थिति क्या है कि 5-5,

(242)

(श्री माणक डाणी)

7-7 गहरे खड्ढों से पानी निकालते हैं। हमारे बेटियों को तो जल्दी से लोग बहुयें बनाकर ले जाते हैं लेकिन ब्यावर की बेटियों को ब्यावर में इसलिये नहीं देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि सारी उम्र खड्ढों से पानी भरेगी। और जिस प्रोफेसर ने शोध की है उसने पेज नम्बर 13 पर लिखा है कि इसके लिये यहां पर हर घर के सामने गड्ढे हैं, नागरिक मुख्य पाइप लाइन से नलों के कनेक्शन खोलकर सीधा पानी प्राप्त करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। इसलिये जहां जहां कनेक्शन्स हैं वहां गहरा गड्ढा बना लेते हैं, एक घड़ा भरकर ला सकें। यह एक मजबूरी है, यहां सभी को ऐसा ही करना पड़ेगा अन्यथा पानी के बिना वंचित रहना पड़ेगा। नल सभी घरों में हैं लेकिन दिखावे के लिये है। यह इसलिये है कि यह हमारा नगर है, गांव नहीं है अन्यथा लड़के-लड़कियों की शादी करना मुश्किल हो जाय। नगर है, चाहे गांव है जहां एक नल भी नहीं है खैर यह हमारा आन्तरिक मामला है (व्यवधान) यह क्या होगा डूंगररामजी आज, + + + यहां डाक्टर साहब बैठे हैं पड़ोस में कमरे में दिखा लाऊं जाकर.... आप चलिये ना, डाक्टर साहब के पास। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं ?....

श्री डूंगरराम पंवार: आप ही बोलेंगे, और भी तो बोलने वाले हैं, अपनी-अपनी ही बात बोलेंगे ?

श्री माणक डाणी : यहां सभी मोहल्लों में मुख्य सड़कों के सहारे, जितने घर उतने ही गड्ढे देखे जा सकते हैं और उन्हें कोई क्षतिग्रस्त नहीं करता। गड्ढों को कोई क्षतिग्रस्त नहीं करता। यहां की बड़ी सभ्यता और सामाजिकता है इसलिये लेखक इसको गड्ढों के कल्चर के नाम से पुकारता है नगरपालिका ने जोर-जबर्दस्ती से इन गड्ढों को बन्द करवाने का प्रयत्न किया तो वहीं जन-आक्रोश का सामना करना पड़ा, कि इसका विकल्प अपने घरों के आंगन में, बड़े सीमेंट के गड्ढे बनाकर जो मुख्य पाइप लाइन के मोड़ पर या इससे नीचे होते हैं यह हमारे यहां के गड्ढों को 7-7 फीट की स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे ब्यावर में पानी की पाइप लाइन के लिये मास्टर प्लान बनायें और मास्टर प्लान बनाकर इस बात के निर्देश दें कि जो कम्पलीट पानी की पाइप लाइनें हैं जो आज लगभग 60-70 साल पुरानी हो चुकी हैं वह उन्हें चेन्ज करवायें। उसके लिये आवश्यक बजट हमें दें, पानी की लाइनें चेन्ज कराने के साथ-साथ यह आवश्यक है कि जहां पानी अशुद्ध हो वहां आप बड़ी लाइन डालने के आदेश करवायें। ताकि हमें इसका फायदा मिल सके। नगर परिषद् की स्कीम पी. एच. ई. डी. ने सम्भाली उसके लिए राजस्थान सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। जो हमारा म्यूनिसिपैलिटी का बहुत बड़ा खर्चा इसमें होता था और पी.एच.ई.डी. को सम्भालने के बाद हमारी व्यवस्था का सुधार हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से व्यवस्था में जब पी.एच.ई.डी. ने टेक-ओवर किया उसके

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री माणक डाणी)

बाद हमारे यहां फायदा हुआ है। इसके लिए मैं विभाग को, माननीय मन्त्री जी को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी इस योजना के साथ स्थानान्तरित होकर डिपार्टमेंट में गये उनके लिए विभाग ने आज तक कुछ नहीं किया। मात्र कुछ लोगों को स्थायी कर दिया और बाकी के लोग अभी या तो दैनिक वेतन पर हैं या टेम्प्रेरी हैं। कभी हड़ताल करते हैं, कभी भूख हड़ताल करते हैं और कभी पानी की पाईप लाईन बन्द करने का प्रयास करते हैं। इससे इसका हल नहीं निकलता। माननीय सभापति महोदय, एक व्यक्ति का तो रिटायरमेंट हो चुका और कई व्यक्ति ओवर-एज हो चुके इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप उन कर्मचारियों जो वहां पर गये हैं नगर परिषद् के उन्हें भी आप नियमित करने के लिए आदेश दें। आपको इससे ज्यादा आश्चर्य इस बात से होगा, माननीय सभापति महोदय, कि ब्यावर नगर में हम टट्टी, पानी और पेशाब से मिला हुआ पानी पीते हैं। हमारे सारे शहर में गन्दे पानी के नाले मकराना में जाकर मिलते हैं और हमारी जो सतपुड़ा वाली नदी जाती है। यही नदी वहां जाकर के मिलती है और वही पानी वापस हमारे शहर को मिलता है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, ब्यावर में सीवरेज स्कीम की आवश्यकता है और सीवरेज स्कीम के लिए जो तात्कालीन एस. ई. भण्डारी जी उनको हमने पत्र लिखा। उन्होंने हमारी बात स्वीकार की। उन्होंने जल निस्तारण विभाग, अजमेर को लिखा और मेरे क्वेश्चन के जवाब में यह आ गया कि ऐसा कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ। मेरे पास उसके लैटर नम्बर डेटेड सब हैं, मेरे पास उस पत्र की कापी है लेकिन डिपार्टमेंट की फाईल में पत्र नहीं मिलने की वजह से शायद जवाब नहीं दे पाया होगा। इसलिए मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं उस जवाब को गलत नहीं मानता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, फाइलों में कागज खो जाते हैं इसलिए मैं कतई नाराज नहीं हूं। लेकिन मेरी नाराजगी इस बात से है कि ब्यावर में सीवरेज की स्कीम लागू होनी चाहिए। सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, मल निस्तारण स्कीम बननी चाहिए। मैंने आज यह देखा इस किताब के अन्दर शायद जल मल निस्तारण स्कीम के साथ साथ सूखे शौचालय के परिवर्तन का काम भी आप लेते हैं तो केन्द्र सरकार ने जो सुलभ शौचालय वाली बात कही है यह स्कीम अगर इन्हें ट्रांसफर कर दें तो हमारे यहां निर्वाचित व्यक्ति काम करते ही नहीं हैं। उसके सामने कई परेशानियां हैं। अगर ये पी.एच.ई.डी. के हाथ में आ जायेगी तो यह काम हमारा जल्दी हो जायेगा। एक यह बात मैं कहना चाहता था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं करूंगा तो यह अन्याय होगा। और आपको भी भगवान माफ नहीं करेगा। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में मेरी जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र आता

(श्री माणक डाणी)

है । वहां पहले फेज के अन्दर आठ हैण्डपम्प स्वीकारने के लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । आठ हैण्डपम्प, 34 ग्राम पंचायतें । उसके बाद 10–12 हैण्डपम्प उसके लिए फिर धन्यवाद । इसके बाद 10–15 हैण्डपम्प और लगाये । कुल मिलाकर 30–35 हैण्डपम्प हमें मिले इसके लिए राजस्थान सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद । पहले के तीन साढ़े तीन साल में हमारे यहां दो ढ़ाई सौ हैण्डपम्प खुद चुके हैं । इसमें कोई दो राय नहीं है । और वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जैसी राजस्थान में व्यवस्था हुई उसमें मेरा हिस्सा मुझे मिला लेकिन माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां सूरजपोल, रावतमाल और लोटियाणा । लोटियाणा तो हमारे तत्कालीन मन्त्री जी की ससुराल है । कम से कम हम औसत चीज का तो ध्यान रखें । इस चीज का भी हम ध्यान रखें कि कम से कम सूरजपोल, लोटियाणा और रावतमाल को मिला करके अगर उसकी हम एक स्कीम बना दें पीने के पानी की । सूरजपुरा मेरी जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र की सबसे बड़ी मण्डी है सभापति महोदय, पर वहां पीने का पानी नहीं है इसलिए सभापति महोदय, मैंने अधिकारियों से कई बार प्रार्थना की । इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे एडीशनल चीफ इंजीनियर ने इस बात के आदेश दिये हैं । एक्स. ई. एन ने इस बात को स्वीकारा है लेकिन यह हमारी योजना नहीं बन पायी । माननीय सभापति महोदय, उस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कोटड़ा की जो योजना स्वीकार हो गयी लेकिन उस कोटड़ा में टी.सी.सी. में पता नहीं उसे हैण्डपम्प में परिवर्तित कर दिया पर कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ । कोटड़ा में कोई योजना बनाकर कार्य प्रारम्भ होना चाहिए । ग्राम-पंचायत में पानी की टंकी बन गयी लेकिन मोटर लगी हुई चोरी हो गयी । बिना स्कीम चालू किये क्योंकि वह टंकी रिस रही थी ।

श्री सभापति : समाप्त करें ।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, अन्तिम दो तीन मुद्दे कह कर बन्द कर दूंगा ।

श्री सभापति : 25 मिनट हो गये आपको ।

श्री डूंगरराम पंवार : खुद ही कहते हैं, काम नहीं हुआ और फिर धन्यवाद देते हैं । (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : हमारी पानी की योजना को चालू करें । ढाणियों में दूर-दूर छोटे-छोटे गांव हैं, पहाड़ी इलाका है इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि कृपया हैण्डपम्प के अनुपात में जनसंख्या को आप कम करें और छोटे-छोटे जहां 10–10, 15–15, 20–20 घर हैं । वहां भी हैण्डपम्प नहीं लगा पाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अन्तिम बात कहूंगा कि कोटड़ा काबरा फीडर (व्यवधान)

सभापति महोदय, यह अन्तिम बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट दोनों मिलकर अगर उस योजना को टेक अप

(श्री माणक डाणी)

करें तो जवाजा पंचायत समिति में अगर एक इंच भी पानी पड़ा तो ये पानी कोटड़ा काबरा फीडर के माध्यम से, जो पी.एच.ई.डी. का मूल स्रोत है जालिया, जहां से हम 15–20 लाख गैलन पानी आराम से ले सकते हैं सभापति महोदय, उस जालिया के अन्दर एक इंच पानी भी अगर पड़ता है एरिया में तो इस फीडर के माध्यम से वहां लायी जा सकती है। मैं कोई हजारों गैलन की बात नहीं करता बल्कि लाखों लीटर पानी हम उस कोटड़ा काबरा फीडर के माध्यम से जालिया में ला सकते हैं और मात्र 70–80 लाख की स्कीम है। जालिया में आने से सिंचाई होगी तो सिंचाई मन्त्री जी तो यहां बैठे हैं। वे भी ध्यान दे लेंगे। सुमित्रा जी, शीशराम जी को भी मेरी सिफारिश करना। ये मेरी मदद करेंगे। जिससे वे इस योजना को टेक-अप करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अवश्य करूंगी।

श्री माणक डाणी : धन्यवाद। अगर कोटड़ा काबरा फीडर मंजूर हो जाती है तो 60 लाख रुपये की स्कीम में जहां आठ पंचायतों को फायदा मिला है इरिगेशन से माननीय सभापति महोदय, कुओं का जल-स्तर बढ़ेगा तथा साथ ही हमारे पानी का स्रोत बढ़ेगा। जिस प्रकार बीसलपुर के दो हिस्से किये हैं उसी प्रकार इसके भी आप दो हिस्से कर दें। एक हिस्सा इरिगेशन के लिए छोड़ दें और दूसरा हिस्सा पी. एच. ई. डी. मन्त्री ले लें। इस कोटड़ा काबरा फीडर का आप इरिगेशन की दृष्टि से सर्वे करवायें या पी. एच. ई डी. की दृष्टि से सर्वे करवायें।

(रात्रि 8.25)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसकी कम लागत बैठ जायेगी और इस प्रकार हमारी पानी की समस्या का हमें समाधान मिल सकेगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नारायण-राम बेड़ा। (व्यवधान)

श्री नारायण राम बेड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, पेयजल पर मैं कुछ कहूंगा। मानव के जीवन के लिए पेयजल अति आवश्यक है। आज राजस्थान में इसकी बहुत आवश्यकता है। 280 करोड़ रु० की मांग में जो आपने हमें प्रगति विवरणिका दी है। उसे देखने एवं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार आपने आंकड़ों में बहुत अच्छी सफलता पायी है इसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़ों के माध्यम से आपने बहुत अच्छी सफलता पायी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि मैं सन् 1977 से लेकर 1980 तक सरपंच था। उस वक्त एक वर्ल्ड बैंक की योजना आयी थी। वर्ल्ड बैंक की योजना के बारे में आपने इसमें लिखा है। उस वक्त तीन पंचायतों के हमने ढाई पर्सेन्ट के हिसाब से पैसे जमा करवाये। वह इसलिए करवाये थे कि इनमें जितना वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट होता है उस एस्टीमेट का ढाई पर्सेन्ट पंचायत को गांव वालों से देना पड़ता है। मगर मुझे खेद है कि इन गांव वालों ने चन्दा इकट्ठा करके, मंत्रीजी, आपके विभाग को दिया है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी

(श्री नारायण राम बेड़ा)

संस्था से कोई चन्दा इकट्ठा करके रख ले तो निश्चित रूप से उस पर मुकदमा चलता है, आई. पी. सी. का ऑफेन्स माना जाता है। मगर पी. एच. ई. डी. पर न तो मुकदमा चलता और भगवान ही मालिक है। 78 और 79 में गांव वालों ने 14 हजार रुपया दिया और गर्जासिहपुरा गांव के भोपालगढ़ के तीन हजार रुपये मैंने खुद ने जमा करवाये हैं। दस साल हुए हैं दस साल, मन्त्रीजी, कुछ तो शर्म करो और पी. एच. ई. डी. कुछ तो शर्म करे। जनता के प्रति। और उसके बाद ट्यूब वैल जरूर खोद दिये इन्होंने, हमने बड़े लट्ठ लगाये, इधर उधर करके दोनों जगह खोद दिये। आज तक उसके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं, ओवर हैड टैंक नहीं। और दस-दस साल हो गये। कई जगह उस समय टैंक बन गये उनको कनैक्ट नहीं किया गया। कई जगह उस समय ओवर हैड टैंक बना दिये या जो भूतल जलाशय बना दिये उनको कनैक्ट नहीं किया गया। अब वह बनाने का मतलब क्या है या मैं यह समझूं कि पी.एच. ई.डी. के ठेकेदार खराब हैं जिन्होंने बी ग्रेड, सी ग्रेड की रद्दी सीमेंट लगाई बेकार की जिसमें पानी डालने से गिर सकती है या इनको यह आशंका है और यह शंका नहीं है तो इनके पास पाइप नहीं है। आखिर क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जी.एल.आर. और ओवर हैड टैंक जुड़ने चाहिए और उनका पैसा सरकार का इन्वेस्ट हो गया और उसको उपयोग कुछ नहीं ले सके। इसका मतलब साफ यह है कि हम असक्षम हैं, काम करने की हमारी मंशा नहीं है। यह तो विश्व बैंक की परियोजना थी उसके बारे में निवेदन है। इन तीन गांवों में या तो ओवर हैड टैंक बनवाने की तुरन्त व्यवस्था करवायें और नहीं तो मुकदमा आपके डिपार्टमेंट के ऊपर मुझे मजबूरन करवाना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्योंकि जनता का पैसा आपने खा रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्यों उपाध्यक्ष महोदय, कोई नाराजगी है हमारे से, आप कहें तो मैं वैसे ही बैठ जाऊं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बीस मिनट तक माणक डाणी बोले हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माणक डाणी को एक घण्टे से भी ज्यादा समय दिया।

श्री नारायण राम बेड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पढ़ने के बाद, दूसरा प्वाइंट मेरा पशु पेयजल पर आता है और उससे पहले मैं थोड़ा सा भूल गया ओवर हैड टैंक के बारे में। इसी सदन में, माननीय शीशरामजी यहां बैठे हैं, जो भूतपूर्व पी.एच.ई. डी. मन्त्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि ढाई हजार की आबादी से ऊपर जो भी गांव हैं उनमें ओवर हैड टैंक हम बनवायेंगे। जहां तक मेरी खुद की जानकारी उसके मुताबिक....

श्री शीशराम ओला : 11 डेजर्ट एरिया की बात है।

श्री नारायणराम बेड़ा : उसके मुताबिक मेरे जोधपुर जिले में मेरी जानकारी के मुताबिक एक भी ओवर हैड टैंक इन्होंने नहीं बनाया। एक मीटिंग बड़ी जबरदस्त की इन्होंने और सर्किट हाउस में सबको बुलाया, हमको भी बुलाया। मगर एक भी नहीं बनाया। अगर बनाते तो मैं दो गांवों के लिये कितने समय से पीछे पड़ा हुआ था। यह घोषणा सिर्फ कागजों में रह गई और इन घोषणाओं को आपसे निवेदन है कि अब आप लागू करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री नवरंग सिंह : अब तो आपके जिले के आ गये।

श्री नारायणराम बेड़ा : जिले में भी बड़ा लफड़ा है। (व्यवधान) जिले में आने से क्या हुआ, खतरनाक मामला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खतरनाक मामला नहीं है आपके लिए।

श्री नारायणराम बेड़ा : अशोकजी माननीय मंत्री हैं, वह पहले भी हमें जादू दिखाते हैं, हमें बड़ा खतरा है कि हमें कोई जादू नहीं दिखा दें। इसलिए भरोसा नहीं है।

श्री मोहन छंगाणी : यह परसरामजी से दुखी हैं।

श्री यदुनाथसिंह : टारगेट यहीं हैं ना ?

श्री नारायणराम बेड़ा : नहीं, हमारा कोई टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट रिंग बनाने का है।

श्री यदुनाथसिंह : आपका नहीं तो इनका होगा।

श्री नारायणराम बेड़ा : किसी का नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब आप हवाई किले बनाते हो। (व्यवधान)

श्री नारायणराम बेड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशु पेयजल के बारे में पिछले समय में जो आवंटन हमें हुआ, माननीय मंत्रीजी उसको देख लीजिये आप। यह लिखा हुआ है आपके पेज नं. 23 पर जिसमें 55.49 लाख है और जोधपुर में आठ हजार से अधिक गांव हैं। मेरे से आपको शायद ज्यादा जानकारी है क्योंकि दो बार पार्लियामेन्ट में घूम चुके हैं आप।

श्री सी. पी. जोशी : घूमे हैं ?

श्री नारायणराम बेड़ा : वोट लिये हैं। तो 55 लाख रुपये में क्या आप मानते हैं कि आठ सौ गांवों में सारे पशुओं को पानी दे देंगे। जबकि जोधपुर जिले में जो मारवाड़ अकाल सहायता से देखिये, सबसे ज्यादा चारा वहां गया, वह भी आपके ही आदमी। चारा इतना गया तो निश्चित पानी के लिए वहां तो चाहिए, पानी कहां गया। इसलिए अब आपको निवेदन है कि आप पशु पेयजल में भी जोधपुर जिले के लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आपने जोधपुर शहर के लिए तो बड़ी व्यवस्था कर रखी है वह होगी या नहीं उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। आपने जोधपुर लिफ्ट बनायी। लिफ्ट का आपने कह दिया। मैंने एक सवाल भी किया था उस समय माननीय श्रीमती कमलाजी मंत्री थीं। उन्होंने कहा था जो भी हो हम पैसा लगायेंगे। मैंने यह कहा था कि जो राजस्थान मेन कैनाल वहां विड साईड से

(श्री नारायणराम बेड़ा)

बनी हुई है वह भी रेत से बन्द हो जाती है, भर जाती है और यह जो आप कैनाल बना रहे हैं बिल्कुल यों ही बरही है। यदि चार घण्टे बढिया हवा चले तो फलौदी के आस-पास तो निश्चित रूप से वह साफ हो जायेगी, फिर रेस्टोरेशन करो या निकालो साफ हो जायेगी। उसके लिए यह बताया था कि हम पौधे लगायेंगे। तो पौधे लगाने का मामला है, या तो पौधे लगाने के पहले वन विभाग से अभी पैसा लेकर तुरन्त व्यवस्था करा दो जब तो जरूर है नहीं तो बानरवा, राणाई और रणसी गांव की जो योजना बनाई और इससे जल स्तर नीचे जा रहा है, किसान तो दुखी हो रहा है और यह ह्युमनटेरियन ग्राउण्ड पर, मानवता के आधार पर पानी पीने के लिए चाहिए इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं। मगर आखिर यह निश्चित मानिये पांच साल तक लम्बी करते रहे, पांच सात साल, तो आखिर वहां के किसान आपको कोसेंगे और पी. एच ई. डी. को कोसेगा और बन्द करके आपकी पाइप लाईन तोड़ भी सकते हैं, यह भी स्थिति आ सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको तुरन्त अभी से चाहे वन विभाग हो चाहे पी. एच. ई. डी हो, जहां-जहां ओपन कैनाल आ रही है उसके चारों ओर पेड़ लगाने की तुरन्त व्यवस्था कीजिये ताकि रेत भरने से रुके। मेरा यह सुझाव है नहीं तो उसके बाद करेंगे तो हो नहीं पायेगा।

अब आपका खर्चा, 38 करोड़ आपने सैंक्शन किया है। दो साल में आपके तेईस करोड़ खर्च हो पाये और बनी बहुत कम है। और जितनी पिछली बार बनी थी उसमें वापिस मिट्टी इतनी की इतनी भर गई। कोई एक दो जगह में नहीं कह सकता, बाकी मैं वहां देख कर आया हूं और रोड भी बनी हुई है, मैंने देखी है आंखों से। वह भी कहीं तो बन गई कहीं आगे ट्रक या ट्रेक्टर नहीं जा सकते। यह हालत भी है। तो इनको कुछ पैसा और कुछ साधन आप जल्दी मुहैया करावें ताकि काम हो सके और किसानों को सहूलियत मिलेगी कि हमारा जो पानी जा रहा है वह तो कम से कम नहीं जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरा कुछ सोचने का है कि आपने विभाग को पैसा दिया उसमें रिग मशीनें हैं जो ट्यूब वैल खोदते हैं। 130 होने के बावजूद भी न तो इनको लक्ष्य दिया जाता है, कि कितने टार्गेट होंगे। अच्छी क्वालिटी की भी हैं और कई पुरानी क्वालिटी की भी है मगर उनको निश्चित कोई लक्ष्य देना चाहिए नहीं तो आइडल पड़ी रहती है 6–6 महीने तक। हम जब कभी पूछते हैं वहां ट्यूबवैल सैंक्शन है आप खोदने जाओ, गाड़ी खराब है और इस तरह से गाडी खराब है और रिग्स खराब होना, यह जिम्मेदारी निश्चित कीजिये और रिगों का लक्ष्य निर्धारित कीजिये। यदि नई रिगें हैं तो कितने ट्यूबवैल खोदकर देगी, मथली उनकी रिपोर्ट लीजिये। प्राइवेट लोग पर-डे एक ट्यूबवैल तैयार करते हैं जोधपुर में। इस तरह इन रिगों पर मानिटरिंग तगड़ी होनी चाहिए। इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, रिग मशीनों के बाद में अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। सब जगह हमने देखा कि एक्स. ई. एन.,ए. ई. एन. का प्रमोशन होता रहता है पी. एच. ई डी में वर्किंग

(श्री नारायणराम बेड़ा)

अरेंजमेंट होता है। वर्किंग अरेंजमेंट तो होता है कोई दस दिन, पन्द्रह दिन, बीस दिन मगर यहां वर्किंग अरेंजमेंट पिछले पांच साल से ए. ई. एन. है, एक्स. ई. एन. की पोस्ट पर बैठे हैं, दस साल से होंगे, जे. ई. एन. है ए. ई. एन. की पोस्ट पर बैठे हैं। या तो उनको निश्चित ए. ई. एन. रखिये। और अगर आपके काम की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो निश्चित रूप से उनको प्रमोशन देकर के उस हिसाब से कीजिये। और अगर यह नहीं करते हैं तो इसका मतलब साफ़ जाहिर है कि इस डिपार्टमेंट को तोड़कर के आप किसी के साथ मिलाना चाहते हैं इसलिये वर्किंग अरेन्जमेंट है। या तो भू-जल में मिलाना चाहते हैं या कहीं और रखने चाहते है इसलिये इनमें विश्वास ही नहीं है हम इस डिपार्टमेंट के असली हैं। इनको भरोसा ही नहीं है कहां जायेंगे। कुछ आपने भू-जल विभाग से डेपुटेशन पर ले लिये तो इस तरह से यह जो आपने किया है यह ठीक नहीं है। पिछले एक साल से पाइप के लिये आप दौड़ रहे हैं, कई बार मैं भी मिला हूं, या तो पाइप खरीदे नहीं, या खरीदे हैं तो कहीं दूसरी जगह चले गये। मगर हमारे जोधपुर में तो हर जगह यह रहा कि पाइप है ही नहीं। तो अब यह व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी और आपके लक्षण यह बता रहे हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट के जहां भी है सब जगह या तो पाइप लाईन से या हैण्ड पम्प से इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब पाइप ही नहीं होंगे तो आप कैसे जोड़ पायेंगे।

दूसरा, मैं यह आशा करता हूं कि जो नलकूप, जो खोदे जा चुके हैं उनको तुरन्त चालू कीजिये। और उनकी अगर कोई भी स्कीम बनती है तो उस स्कीम के पूरा होने के बाद ही लक्ष्य की प्राप्ति में आप लिखिये। बीच में नहीं। चाहे वह जी. एल. आर. पम्प एण्ड स्कीम है, जब तक टंकी से पानी बाहर नहीं आवे तब तक उसको लक्ष्य प्राप्ति में मत लीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह निश्चित है कि आप इस हिसाब से 1991 तक 100 प्रतिशत आप जरूर कर सकते हैं मगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो यह जो काम है उसको पूरा करने के बाद ही आप इसे लिखें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरा, मेरा इसमें एक निवेदन है कि जहां-जहां आपके जी. एल. आर. बने हुए हैं या एस. एल. आर. जो बड़े टैंक बने हुए हैं। उदाहरण के लिये कजनऊ, उसको बने हुए नौ साल हो गये, और शायद अब आप अगर पानी डालोगे, तो निश्चित रूप से वह गिर भी सकता है। इस गिरने की तरफ ध्यान रखिये कहीं ऐसा न हो क्योंकि जरूरी है कि सीमेंट के वर्क्स को 29 दिन तक पूरा पानी मिलना चाहिये, उसकी तराई होनी चाहिये, यह एक टैक्नीकल मामला है, अन्यथा यह निश्चित रूप से पकाई बराबर होती नहीं है और कच्चा रह जाता है और वह गिर जाता है। कई जगह से गिरने की शिकायतें भी आई हैं। मेरे आसोप में भी यह टंकी गिरी थी। तो इस तरह से जो 9 साल पुरानी पड़ी हैं उसके गिरने की संभावना पूरी पूरी है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नारायणराम बेड़ा : मैं यह आशा

(श्री नारायणराम बेड़ा)

करूंगा कि मंत्री महोदय के सामने जो मैंने मुद्दे रखे हैं निश्चित रूप से उनका जवाब देंगे और जो कटौती प्रस्ताव भेजे हैं उन कटौती प्रस्तावों का भी जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मामला और है। जब हम गांवों में जाते हैं तो आपके पम्प और मोटर यह हमें बड़ा दर्द करते हैं। मालूम नहीं यह घटिया क्वालिटी के हैं ना अच्छी क्वालिटी के हैं। हर गांव में स्थिति यह है कि दस दिन तो उसको निकालने में लगते है, निकालने के बाद शहर में लाना पड़ता है। शहर से वापिस ले जाओ तो कम से 15 और 20 दिन के बीच में लगते हैं और 15 और 20 दिन आप लोगों को पानी नहीं देंगे तो क्या हालत होगी। तो इसमें या तो क्वालिटी को सुधारिये, घटिया क्वालिटी के हैं तो निश्चित रूप से रिजेक्ट कीजिये और अच्छी क्वालिटी के खरीदिये। और नहीं तो तहसील स्तर पर आप उसके रिपेयरिंग करने की व्यवस्था कीजिये। और इस रिपेयरिंग में भी बहुत घफला है। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, कापर होता है, जो तार गड़बड़ हो जाते है वह वापिस होते हैं। आप उनसे पूछिये कभी वापिस लिये क्या, बाजार में यूं ही जाते है। इसमें बहुत बड़ा गफला है, कापर की रेट भी बहुत है और उसकी जगह नये तार ले लेते हैं। एक तो इनकी आप क्वालिटी सुधारिये। जब भी हम गांवों में जाते हैं इसकी बहुत शिकायतें आती है कि साहब 15 दिन से ट्यूबवैल खराब पड़े हैं। तो पम्प या मोटर जो भी आप खरीदें अच्छी क्वालिटी के खरीदें....

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग करें।

श्री नारायणराम बेड़ा : या फिर उनके रिपेयरिंग की व्यवस्था तुरन्त करिये। आपने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की राय जानना चाहता हूं वैसे तो मेरे पास लिस्ट है तकरीबन 20-21 जनों की है। एक-एक को बुलवा लें ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : विपक्ष के नेता महोदय बोल जायें उसके बाद रिप्लाई हो जाये।

श्री जगजीत सिंह : सबका लिखित में जवाब दे दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : पांच-पांच मिनट बुलवा दीजिये। थोड़ा-थोड़ा समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पांच-पांच मिनट ईमानदारी से। श्री इन्द्रसिंह पूनिया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 पेयजल पर आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सन् 1985 में मैं विधायक चुन कर आया तो हमने सोचा कि हम हमारे क्षेत्र के लिये बहुत कर सकेंगे। मैं महीने दो महीने में चीफ इन्जीनियर आफिस, एडीशनल चीफ इन्जीनियर आफिस, एस. सी. ई. के आफिस में गया और मैंने एक नारा पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि भारत सरकार 1990 तक सबको स्वच्छ पीने का पानी प्रदान करेगी। तो

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

मैंने भाई रेवतराम जी से निवेदन किया कि हमें तो यश मिलेगा क्योंकि सन् 1990 तक भारत सरकार पानी देगी और मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या है, तो रेवतराम जी हमें तो पानी खूब मिलेगा। मुझे उन्होंने कहा कि आप नये नये मियां हो बांग दे रहे हो, मैंने कहा कैसे तो उन्होंने कहा नारों में कुछ नहीं लिखा है तब आप देखना तब आपको पता लगेगा कब तक आपको पानी मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बात आज मुझे याद आ रही है और मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि जो भारत सरकार का नारा था और हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी जो रीति नीति चाहते थे उसको यह हमारे अधिकारी एक्जीक्यूशन में नहीं होने देना चाहते जबकि भारत सरकार यह चाहती है कि इसी प्रकार से जनता को सन् 1990 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो जाये लेकिन यह अधिकारी बीच में अड़चन बने बैठे हैं कि वह भरे ही पानी को आगे नहीं जाने देते इसका मैं आपको सबूत से पेश करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में सन् 1981 की जनगणना के हिसाब से 855 गांव है और आज की तारीख में लगभग 900 गांव हैं। इन्होंने प्रगति विवरणिका में दर्शाया है कि चूरू जिले में 106 गांव अलाभान्वित बाकी रहे है उनमें से राजगढ़ क्षेत्र जो मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता हैं, उनमें लगभग 90 गांवों में पीने का पानी नहीं है। तो आप बताइये 106 गांवों में 90 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं जिसमें पानी नहीं है इसका मतलब यह कि चूरू जिले में सिर्फ 16 गांव ऐसे बाकी बचे हैं जो 6 तहसीलों में है जिनमें कमी है बाकी सब मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। इसलिये मेरी यह तड़पन है, मेरी आत्मा में दुःख है कि अधिकारियों में पता नहीं कहां गड़बड़ है जबकि हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी, हमारी राज्य सरकार उन पैसों को देती है, लेकिन इनके पता नहीं क्या दिक्कत आती है कागज को टस से मस नहीं करते और उसी में एक टी.पी.सी. पता नहीं क्या बीमारी सी लगा दी है कागज टी. पी. से आगे जाने नहीं देते। इसलिये मेरा स्पष्ट शब्दों में वंदना है माणक डागी जी ने पी. एच. ई. डी. को धन्यवाद दिया था मैं भी उनको धन्यवाद देना चाहता था लेकिन किस काम के एवज में हम इनको धन्यवाद दें। कुछ काम करते तो हम इनको धन्यवाद नहीं, इन्हें कन्धों पर चढ़ाकर इनकी घुमाई करते लेकिन हमारी जनता प्यासी मरती है हमने जनता से मांग कर वोट लिये थे आपको पीने का पानी 4 साल में हम देंगे। आज वह पानी की बून्द भी हम नहीं दे सके तो हम किस मुंह से इन अधिकारियों को धन्यवाद दें। मैं धन्यवाद दे सकता हूं वहां के जे.ई.एन. को, मेरे वहां के हैल्पर को, ई.एन. को, एक्स.ई.एन. को, एस.ई. को व एडीशनल चीफ तक को धन्यवाद दे सकते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आया, राजस्थान के चीफ इन्जीनियर जो अपने आप में ईमानदार कहलाते हैं, यहां के जो पी. एच. ई. डी. के सेक्रेटरी है भले आदमी हैं लेकिन बीच में पता नहीं वह कागज कहां गोल-मटोल हो जाते हैं, उनसे बात करते हैं हमें कागजों का पता नहीं लगता है। मैं आपको एक बड़े स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री श्री राजीवजी

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

गांधी उस टाईम जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री थे, हिंगोली सावा योजना का शिलान्यास उनके हाथों से हुआ था। और उसके द्वितीय चरण के लिये मुझे आज पांच साल यहां हो गये रोते हुए और माननीय शीशराम जी से मैंने इसी सदन में 31 मार्च, 1989 को फलोर पर यह आश्वासन लिया था कि द्वितीय चरण की तकनीकी स्वीकृति आप कब तक जारी करवा देंगे। चार साल हो गये मुझे रोते-रोते, यह आश्वासन दिया गया था कि आज ही करवा दूंगा, मैंने कहा आज का मतलब 31 मार्च, उन्होंने कहा अप्रेल में तकनीकी स्वीकृति जारी करवा दूंगा। मुझे यह जानकारी मिली है कि कल ही इसकी तकनीकी स्वीकृति जारी हुई है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया है कि चार साल में इन्हें कहां दिक्कत आ गयी थी, एडीशनल चीफ इन्जीनियर के यहां से कागज आये, यहां से कोई न कोई अडंगा लगा देता है वापस, चीफ इन्जीनियर से हम मिले, हमने कहा यह क्या बीमारी हो रही है, अपने सारे स्टाफ को यहां बुला लीजिए और जो कमियां हैं वह आप देखकर निकलवा लीजिए। कोई तकनीकी स्वीकृति, फाइनेन्सियल स्वीकृति जारी हो चुकी थी दो साल पहले, भी जारी हो जाती तो मेरी यह मान्यता है कि मेरे क्षेत्र में 90 गांवों में पीने का पानी हो जाता और प्रधान मन्त्री हमारे प्रिय राजीव गांधी का नारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिलकुल सही हो जाता। मैं फिर यह निवेदन करना चाहूंगा हो सकता है कोई न कोई ऐसा एलीमेंट यहां बैठा है जो प्रधान मन्त्री के नारे को सही रूप में हासिल नहीं होने दे। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के कहीं पैसे लगे, राजस्थान सरकार के पास पैसे की कमी हो तो हम यह मानने को तैयार हैं लेकिन प्रधान मन्त्री के तकनीकी सलाहकार है उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की पांच तकनीकी जल प्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी लेकिन मुझे फिर कहते हुए बड़ा खेद है कि भारत सरकार ने 102 लाख की मजूरी दे दी और वह चीफ इन्जीनियर के आफिस में कम से कम एक महीने से पड़ी है इसकी तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हो रही है। मुझे यह आशंका है कि वह पैसे कहीं मार्च, 1990 तक लैप्स नहीं हो जाय। मैं आपको यह बताना चाहता हूं भारत सरकार के पैसे को राजस्थान के अधिकारी नहीं लगा सकते इससे ज्यादा निकम्मापन क्या साबित होगा। मुझे बड़ा दर्द है। यह लोग कहते हैं, मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ कि उसकी तकनीकी स्वीकृति माननीय मजीठिया साहब ने मन्त्रीजी को भेज दी है। लेकिन सी. पी. सी, की मीटिंग में स्पष्ट निर्णय हो चुका है कि भारत सरकार से जो पैसा आता है और उसको वैरिफाई करते हैं, तो चीफ इन्जीनियर लेवल तक उसको जारी कर देना चाहिए लेकिन हमसे कोई नाराजगी है या हमारी जनता से कोई नाराजगी है, प्रधान मन्त्री के नारे से नाराजगी है। मैं मन्त्रीजी आपसे स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि हमारी 102 करोड़ की पांच क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं की तुरन्त स्वीकृति जारी करावें वरना इनके पैसे लैप्स होंगे। मैं यह चाहता हूं कि इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी फिक्स हो कि यह पैसा क्यों

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

लैप्स होता है, यह पैसा लैप्स न हो। इन अधिकारियों से मेरी कोई लड़ाई है। हम जब टूयर में जाते हैं तो जनता हमारे कपड़े फाड़ती है वरना यह अधिकारी भी हमारे भाई हैं। यह मुझे पता नहीं क्या मामला हो गया, क्यों हमसे नाराज हैं। बार-बार सी. एम साहब से टेलीफोन कराया लेकिन यह अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं। यह सबसे बड़ा दुःख का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 2044 दिनांक 21.6.1989 को 102 गांवों में से 62 गांवों में टेक्निकल मिशन के तहत चालू करने हेतु एडिशनल डायरेक्टर, भारत सरकार की मीटिंग में 13.6.1989 को भेजी जिसके तहत 44 गांव जो मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में आते हैं उनकी भी भेजी है लेकिन 41 गांवों में आर. ओ. प्लान और ई. डी. प्लान शुरू करने हैं और इनमें से 3 गांवों में पी. एण्ड टी. प्लान चालू किये जायेंगे। 44 गांवों की जो स्कीम भेजी है उनमें से केवल 3 गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं बाकी गांवों में बिजली नहीं है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के बिजली विभाग से मांग करूंगा कि इन गांवों में कृपया जनरेटर सैट की व्यवस्था न कर आठ किलोमीटर दूरी पर जो बिजली की लाइन जो रही है उससे बिजली दी जा सकती है इन गांवों को जिसकी आप स्वीकृति जारी करें जनरेटर में डीजल का खर्चा ज्यादा होगा, चोरियां ज्यादा होंगी, फिर माथा-फोड़ी हमें करनी पड़ेगी इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जनरेटर का झंझट आप मत करिये और आठ किलो-मीटर की जो लाइन है, जो गांव आ जाय उनमें आप बिजली कराइये। इससे पैसा भी कम लगेगा और चोरियां भी कम होंगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ई.डी. प्लान पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, खत्म हो जायेगा यह 1990 तक....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये, 10 मिनट बोल लिये आप।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इसको सीरियसली लीजिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, चूरू जिले में सबसे ज्यादा प्यासे लोग हैं उनके लिए नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा। जब तक ई. डी. प्लान, आर. ओ. प्लान नहीं लगे, मैं मन्त्री महोदय आपको यह कहना चाहूंगा कि इन गांवों में बिजली देकर अगर कुओं से हमारे गांवों को पीने का पानी मुहैया करा दें तो जनता को राहत मिलेगी। इसी प्रकार से भाई रेवतराम जी ने यहां कहा....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप रेवतरामजी की बात को क्या रिपीट करते हो ? रिपीट न करें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं मेरे तथ्य दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे गांवों में कई गांवों में टी एस. एस. चालू है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार दो हजार वाले गांवों में टी. एस. एस चालू की थी। 1981 में जिन गांवों की दो हजार की आबादी थी आज उन गांवों की चार हजार की आबादी है। यह शीशरामजी को पूछिये, रामपुरा, नोहरपुरा, नला, भैंसली, रायपुरा इनकी

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

चार-चार हजार की आबादी है। उनमें एक भी जी. एल. आर. नहीं है, मुझे आप यह बताइये उपाध्यक्ष महोदय, कि उन गांवों में पानी कहां से आयेगा, वे लोग पानी कहां से पीयेंगे। वे गांव दो दो किलोमीटर पर बसे हुए हैं वहां जी. एल. आर. की एक हजार लिटर की टंकी भी नहीं है। मेरी मांग है राज्य सरकार से कि टी. एस. एस. के तहत 2000 की आबादी के गावों में ऐसा रुद्र जलाशय बनाया जाय ताकि लोगों को पीने के पानी की सुविधा हो सके। इसी प्रकार, मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़ शहर में एस. आर. कम से कम 6 महीने से बनी पड़ी है लेकिन अभी तक राजगढ़ शहर को पानी नहीं दिया जा रहा है, पीने के लिए। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि गन्धेली-साहबा योजना से जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाने का कष्ट करें। इसी प्रकार, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारी जो गन्धेली-साहबा पेयजल योजना है इसमें हमारे सबसे बड़ी समस्या और आती है कि इसको दो भागों से बिजली दी जाती है। करमशाला एक स्थान है उसको बिजली मिलती है गंगानगर से और ललानिया जो गांव है उसको बिजली मिलती है चूरू जिले से। कभी कभी क्या होता है कि कभी गंगानगर से बिजली चली जाती है, कभी चूरू से बिजली चली जाती है। गंगानगर की बिजली जाती है और चूरू की होती है तो ललानिया का पम्प हाउस पीछे से फेल हो जाता है, कभी करमशाला का काम करता है तो ललानिया का फेल हो जाता है तो पानी आने में बड़ी असुविधा होती है। मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकार से गुजारिश है कि इसको एक सिस्टम चूरू जिले से जोड़ा जाय और इसके पैसे भी पी. एच. ई. डी. ने बिजली को जमा करा रखे हैं। इसी प्रकार छोटी-छोटी और समस्यायें हैं....

उपाध्यक्ष : वह लिख कर दे दीजिए। अब आप 10 मिनट बोल लिये। श्री मुल्ताना राम।

(रात्रि 9.00)

श्री मुल्ताना राम (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी मनुष्य की परम आवश्यकता है। आजादी के पूर्व ग्रामीण और शहरी जनता स्वयं, अपने आप पानी का प्रबन्ध करती थी लेकिन आजादी के बाद कल्याणकारी राज्य ने, मनुष्य को, पशु को पेयजल हेतु विभिन्न तरीके की योजनाएं बनाई जिसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने दिल खोल कर राशि दी जिससे काफी सुधार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जैसलमेर जिले की मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आज से दस वर्ष पहले जैसलमेर जिले में वास्तव में पानी की किल्लत थी, लेकिन दस वर्ष के बाद लगातार भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा चाहे सीमान्त क्षेत्र से, चाहे किसी और माध्यम से पर्याप्त रूप से राशि उपलब्ध करा कर जैसलमेर जिले के करीब 400 गांवों में पानी मुहैया कराया गया है और कुछ ढाणियों में भी पानी उपलब्ध कराया गया है। उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में जो सीमान्त एरिया है रेगिस्तानी है, जहां आवागमन के

(श्री मुल्ताना राम)

साधन नहीं हैं उस क्षेत्र में भी जलदाय विभाग ने पहुंच करके बड़ा सराहनीय काम किया है। यहां तक कि जैसलमेर जिले में जहां पानी पाइप लाइन से पहुंचाया गया है जलदाय विभाग द्वारा, 24 घंटे पानी वहां उपलब्ध हैं। जैसलमेर जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल 11 जिलों को जो बजट आवंटन किया उसमें पशु पेयजल योजना के तहत 1 करोड़ 55 लाख 83 हजार रुपये उपलब्ध कराये गये जो सबसे ज्यादा उपलब्ध कराये गये, इससे हमारा पशुधन बचाने में भी सहायक हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यहां यह कहना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में लगभग 200 ढाणियां हैं जो पाइप लाइन के नजदीक करीब डेढ़ किलोमीटर की परिधि में आती हैं और वह अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति की ढाणियां हैं। इसलिये उस अनुसूचित जाति जनजाति के बजट में से उन ढाणियों को जोड़ने के लिये आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धन आवंटित किया जाय जिससे उनको पानी उपलब्ध हो सके।

इसके अलावा एक महत्वपूर्ण यह समस्या है कि लम्बी लम्बी योजनाएं हैं, स्कीमें हैं जहां उनको डीजल पम्प सैट से चलाया जाता है जिससे खर्चा बहुत भारी पड़ता है। इसलिये उनका विद्युतिकरण यदि राज्य सरकार के माध्यम से पी. एच. ई. डी. कराता है तो ठीक है अन्यथा आर. एस. ई. बी. को दे करके इन स्कीमों का विद्युतीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पोकरण सब-क्षेत्र ऐसा है जहां हैण्ड पम्प लगाये जा सकते हैं वहां काफी हैण्ड पम्प दो ढाई सौ लगे भी हैं लेकिन अभी तक पर्याप्त रूप से नहीं है इसलिये उस पोकरण क्षेत्र में सौ हैण्ड पम्प तत्काल उपलब्ध कराये जायं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी नहीं पहुंचा है वहां और जहां ढाणियां हैं छोटी-छोटी वहां हैण्डपम्प लगाया जा करके उनको पानी उपलब्ध कराया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर शहर में सीवरेज लाइन है वह पी. एच. ई. डी. द्वारा लगाई जा रही है। इसमें 24 लाख रुपये का प्रावधान है और पिछले साल पांच लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। इस तरह से यदि पांच लाख के आधार पर आवंटित किया जाता है तो लगभग 5-6 साल लगेंगे। इसलिये शहर का जो सौंदर्यकरण है, पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर जिला एक हिन्दुस्तान ही नहीं, संसार के नक्शे में है उसके लिये आवश्यक है कि स्वच्छ और साफ सुथरा रखा जाय इसलिये वहां जो गंदा पानी है उसके निकास के लिये सीवरेज लाइन को तत्काल पूरा कराया जाय और आने वाले दो वर्ष में शीघ्र बजट आवंटन करके उसको पूरा कराया जाय।

एक, उपाध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण यह बात कहना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में जो पूर्व स्वीकृत योजनाएं और पाइप लाइन लगाई गई है वह 40 एल पी. सी. डी. के हिसाब से लगाई गई है, जो पर्याप्त रूप में मनुष्यों को और पशुधन को पानी उपलब्ध नहीं होता है। इसलिये उसको 70 एल पी. सी. डी., हालांकि भारत सरकार ने उसकी स्वीकृति दी है फिर भी वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये

(258)

(श्री मुल्ताना राम)

इसको 150 एल. पी. सी. डी. के हिसाब से अग्रिम जो भी योजनाएं बनें और पूर्व जो योजनाएं जो स्वीकृत हैं उनको उसमें परिवर्तित की जाय और पुन: उसमें परिवर्तन किया जा करके धन आवंटित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा जैसलमेर जिले में बड़ी-बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, 30-30 किलोमीटर, 40–40 किलोमीटर की हैं, जहां 40 किलोमीटर में करीब 10-10, 15-15 गांव आते हैं उनमें अलग-अलग गांवों में दैनिक आधार पर श्रमिक कार्य करते हैं इसलिये स्कीमवाइज कैडर स्ट्रेन्थ स्वीकृत करके जो पांच-छह साल से कर्मचारी अस्थावी रूप से कार्य कर रहे हैं उनको नियमित किया जाय और हर स्कीमवाइज कैडर स्ट्रेथ कायम करके उन गरीबों को लाभान्वित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति के कई अधिकारी हैं जिनकी कई वर्षों से पदोन्नति नहीं हुई है। इसलिये इसमें क्या रहस्य हैं जब कि भारत सरकार ने घोषणा कर रखी है, एक अभियान चला रखा है? तो मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय अशोकजी गहलोत एक बुद्धिजीवी है, यंग हैं इसलिये तब्दीली से भारत सरकार के ज्यादा गुणगान करती है इसलिये उनकी घोषणाओं की पूर्ति के लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारीगण कई वर्षों से वरीयता सूची में योग्यता रखते हुए जान-बूझकर उनको लटका रखा है, उनकी पदोन्नति की जाय। जैसे असिस्टेंट इंजिनियर को एक्स. ई. एन. बनाने के लिये, एक्स ई. एन. को एस. ई. बनाने के लिये और उच्च पदों पर पदोन्नति दिलाने के लिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दें। भारत सरकार द्वारा जो अभी विशेष अभियान चलाया जा रहा है उसका भी पालन हो सकेगा। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भूदरमल जी (अनुपस्थित), माननीय हेमारामजी चौधरी (अनुपस्थित), श्री जगदीश तिवाड़ी (अनुपस्थित), श्री सूरमारामजी (अनुपस्थित) श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई (लसाडिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 सन् 1981 की राजस्थान प्रदेश की जनसंख्या तीन करोड़ 42 लाख थी और राजस्थान में 34968 गांव हैं जिनमें से 29986 गांवों को पेयजल की समस्या से सुलझा दिया और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया, इसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं। 34968 में से 4872 गांव समस्याग्रस्त राजस्थान के हैं। उनमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव रहे हैं वह गांव या जंगलों में हैं या पहाड़ों में हैं। वह किस कारण से रहे हैं? इसका कारण यह है कि हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पी. एच. ई. डी.... (व्यवधान) सुनो तो सही आप मुझे। तो यह वास्तविक...., बोलने दो या बात करो।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को हमारे कांग्रेस की नीति, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, इन्दिराजी और राजीव गांधी,

(श्री कमला भाई)

इनकी नीति क्या है? गरीबों को ऊपर उठाओ यूं तो बात यह है कि राजा महाराजाओं का राज भी था, मैं एक नम्बरदार था। मैं भी करता, खम्मा अन्नदाता और एक रुपियो हाजिर है। यह मैंने भी देखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। मगर यह आजादी किनके बलबूते पर मिली? महात्मा गांधी के बलबूते पर मिली है। इस आजादी का फायदा आप जो जो यहां बोलते हो हाउस के अन्दर वह कौन बोलते हैं और जिस सामन्तशाही जमाने में उन्होंने हुकूमत की है वही लोग आज आगे आते हैं। आज बेचारे गरीब पिछड़े के पिछड़े रहते हैं। आज जो बात कह रहा हूं आप हर बात पर हल्ला करते हो। मैं सब बातें जानता हूं। मैं भी कोई राजनीति में नया नहीं हूं।

तो इसलिए मैं सब जानता हूं मगर आप गुमराह करके हरिजनों से वोट लेना सीखे हो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो।

मेरे कहने का मकसद यह है कि 4,872 गांव आज पेयजल के साधनों से वंचित हैं क्योंकि यह सदियों से पिछड़े हुए हैं वह वंचित रह रहे हैं। यह गांव या तो सड़कों के किनारे नहीं होंगे या उनके पास अधिकारी नहीं पहुंचते होंगे। मेरे कहने का मकसद यह है कि 4,872 गांवों का सर्वे करवाया जाय कि यह कौन से गांव रह गये? इन गांवों में पीने के पानी की क्या सुविधा है। यह इसलिए वंचित रहे हैं कि इन जगहों पर अधिकारी नहीं जा सकते क्योंकि इन गांवों में जाने के लिए सड़कें नहीं हैं और वह लोग पिछड़े के पिछड़े रह गये। तो ऐसे लोगों के लिए उपाध्यक्ष महोदय, पूरा ध्यान दिया जाय कि यह वंचित क्यों रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, 1989-90 के बजट में पेयजल के लिए 280 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है उसमें भेदभाव यह किया गया है कि शहरों के लिए अधिक बजट है और गांवों के लिए कम। ऐसा क्यों? गांवों की जनसंख्या 2.70 करोड़ है और शहरों की जनसंख्या 72 लाख है तो यह भेदभाव क्यों? एक तरफ तो कहते हैं कि हम समाजवाद लायेंगे और एक तरफ भेदभाव करते हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह बरदाश्त नहीं होगा। आज आप ऐसा नहीं कर सकते। पिछले 40 साल पहले तो कोई बोलता नहीं था। लेकिन आज बड़े-बड़े राजा महाराजा गलियों में घूमते फिरते हैं। वही जनता जवाब देगी। इसलिए अपने को पहले इस हाउस में सोचना है। माननीय सदस्य हमेशा कहते हैं कि एस. सी. और एस. टी. के लिए हम यह कर रहे हैं। वह कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता में आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी आत्मा में दर्द नहीं है। आप यह नहीं सोच रहे हो कि हमें वास्तविकता में इन लोगों को लाभ देना है। आप यह नहीं सोचते हो कि आप पैदा हुए हो तो आपको भगवान के घर भी जाना है। आप बोलते हो कि यह अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपको बोलने का अधिकार है। अधिकारी नहीं बोल सकते। इसलिए गलत काम मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपने क्षेत्र की बात कहिये। आप अपनी बात कहिये। दस मिनिट तो हो गये आपको यों ही।

श्री कमला भाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री कमला भाई)

मेरे क्षेत्र का निवेदन करूं। हैण्ड पम्प तो लगे हैं। वह बात तो सही है मगर किसी जगह तो उनका प्लेटफार्म नहीं बना किसी जगह हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। तो वह खराब पड़े हुए हैं उनको, देखने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो टैल एण्ड के गांव हैं वह बेचारे गन्दा पानी पीते हैं और बीमार रहते हैं इसलिए उनका सर्वे करके उनको शुद्ध पानी पिलाया जाय, यह मेरी मांग है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सलूम्बर क्षेत्र के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं। जयसमन्द परियोजना हेतु 5.16 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। जयसमन्द तो राजा जयसिंह ने बान्धा हुआ था। अब यह कौन सी परियोजना है यह मेरी समझ में नहीं आता। यह मेरे को जानकारी दें। इसके लिए ऋण दिया जा रहा है इसका क्या मतलब है। जयसमन्द तो 1700 वर्ष पहले बन्धा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत गहरा है।

श्री कमला भाई : हां बहुत गहरा मसला है, उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मिलना चाहिये। जयसमन्द की 60 किलोमीटर की इसकी कैनाल है। इसमें जयसमन्द का पानी लाना चाहते हैं। उसके रोड पाइप पर बिछाये हुए हैं। जो जयसमन्द का पानी उदयपुर आया और पाइप लाइन वहां पर जोड़ दी तो सराड़ा और सलूम्बर इन दोनों तहसीलों की 90% आदिवासी जनता मर जायेगी। आप गोलियां चलाओगे मगर उस पाईप को तोड़ देंगे। इस लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसको रिजेक्ट किया जाय। यह 5.16 करोड़ रुपये बजट में नहीं लिए जाए यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने मुद्दे की बात कह दी। अब आप समाप्त करें।

श्री कमला भाई : एक उपाध्यक्ष महोदय, न तो हमारी बातें अखबार में आती हैं और न हमारी बातें रेडियो पर आती है और हम खाली के खाली रह जाते हैं इसलिए मेहरबानी करके हम को बोलने का मौका दें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों के साथ पक्षपात क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिये।

श्री कमला भाई : तो ठीक है, बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिरदल सिंघवी (अनुपस्थित), श्री हरिशंकर भाभड़ा (अनुपस्थित), श्री चम्पालाल बांठिया (अनुपस्थित), श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित) (व्यवधान) माननीय जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह जी बोलेंगे।

श्री जगजीतसिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अजमेर के अन्दर पीने के पानी का अभाव है हम सब के साथ-साथ आप भी चिन्तित है। मैं पूरे जिले की बात नहीं कह कर क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं मेरे क्षेत्र विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के बारे में आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। किशनगढ़ कम

(श्री जगजीत सिंह)

से कम एक लाख का शहर है और पीने के पानी का बड़ा अभाव है। पिछले तीन सालों से लगातार अकाल पड़ रहा है और वहां पर टैंकरों द्वारा पानी पिलाया जा रहा है। मान्यवर, एक लाख की जनसंख्या के शहर के अन्दर केवल मात्र दो ओवर हैड टैंक बनाये गये हैं जो बिलकुल कम हैं। किशनगढ़ के अन्दर 30 वार्ड्स है और उन 30 वार्डों में से 15 वार्डों के अन्दर कोई पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक लाख की जनता को पानी पिलाने के लिए दो-तीन और ओवर टैंक बनाने चाहिए। ऐसे 15 वार्ड्स हैं। चयनपुरा, अवाना की पाल, तावतसर, कृष्णापुरी, आजाद नगर, विकास कालोनी, गुजरों का बाड़ा। इस प्रकार ओवर हैड टैंक किशनगढ़ के अन्दर और निर्मित किये जाने चाहिये। आपने जो बीसलपुर की योजना से किशनगढ़ को जोड़ा। वह तो बहुत अच्छा किया मगर आज बीसलपुर योजना का पानी हमें नहीं मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे किशनगढ़ के अन्दर एक धून्धेलीराव लेक है जिसका कोई धणीधोरी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय जी से कि उस तालाब को पी. एच. ई. डी. डिपार्टमेंट को दिया जाय क्योंकि पी. एच. ई. डी डिपार्टमेंट किशनगढ़ की जनता को पानी उपलब्ध करवाने के लिए उस तालाब के पानी का उपयोग करती आयी है।....

श्री रमजान खां : नोट तो करवाओ साहब। मन्त्रीजी से कहो।

श्री उपाध्यक्ष : कर रहे हैं।

श्री रमजान खां : कौन कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी चौधरी।

श्री जगजीत सिंह : अगर उन्होंने नोट किया है तो बतायें कि अब तक क्या कहा मैंने ?

श्री रमजान खां : उपाध्यक्ष महोदय, जब अजमेर के बारे में चर्चा करने लगे तो मन्त्रीजी चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल दें, नोट कर रहे हैं।

श्री जगजीत सिंह : मैं फिर से बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : फिर से नहीं। आई विल नोट अलाउ।

श्री जगजीत सिंह : किशनगढ़ शहर एक लाख की जनसंख्या का शहर है। 15 वार्डों के अन्दर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल मात्र आप हैण्ड पम्प खोद करके लोगों को सन्तुष्ट करना चाहते हैं। एक तरफ तो आपका विभाग हैण्ड पम्प खोदे जा रहा है और महीने में, दो महीने में वहां पर हैण्ड पम्प खराब हो जाता है जिसको नियमित रूप से सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि किशनगढ़ एक औद्योगिक नगरी है वहां पर दो ओवर हैड टैंक बने हुए हैं और वे कम पड़ते हैं इसलिए 15 वार्डों के अन्दर दो और ओवर हैड टैंक बनाकर वहां पर जल वितरण की व्यवस्था की जाय। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना

(श्री जगजीत सिंह)

चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर मेरे यहां अरायी के अन्दर बिरदपुरा, मोतीपुरा है जहां 5–5 किलोमीटर के अन्दर खारा पानी है और 1987 के अन्दर तत्कालीन पी एच.ई.डी. मन्त्रीजी ने एडीशनल चीफ इन्जीनियर, अजमेर को आदेश दिये थे कि सर्वे करवाकर योजना बनाकर पेश की जाय। इसी तरह से सिणोदिया जालियों की ढाणी के लिए भी तत्कालीन पी.एच.ई.डी. मन्त्रीजी ने आदेश दिये और वहां के एडीशनल चीफ इन्जीनियर साहब ने एस्टिमेट बनाकर एक्स्टेंशन स्कीम फार विलेज मोतीपुरा एवं बिरदपुरा, इनका एस्टिमेट बनाया है 5–6 लाख रुपये का और इसी तरह से सिणोदिया जालियों की ढाणी के लिए बनाया है 15 लाख का। मान्यवर, आपके प्रगति विवरण के अन्दर भी मापदण्डों के अनुसार ये स्कीमें आती हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ये एस्टिमेट 30 मार्च, 1988 को बनकर पी एच.ई.डी. डिपार्टमेंट को आये हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इनको शीघ्र ही मन्जूर करके चालू किया जाये।

दूसरी मुसीबत हमारी यह है, क्योंकि हमारा इलाका डेजर्ट एरिया है, सेंडी एरिया में जितने भी हैण्ड पम्प हमारे स्वीकृत हो जाते हैं। वहां जब यह कहा जाता है कि ये हैण्ड पम्प क्यों नहीं खोदे गये तो विभाग से सीधा जवाब मिलता है कि सेंडी एरिया के अन्दर हैण्ड पम्प खोदने की मशीन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे फर्जी हैण्ड पम्प स्वीकृत करने की क्या आवश्यकता है? आपके पास मशीन नहीं है तो उस मशीन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह से पुष्कर की भी यही हालत है। जो सेंडी एरिया है वहां पर भी एक भी हैण्ड पम्प नहीं खोदा गया। तो मेरा निवेदन यह है कि सेंडी एरिया जो पिछले चार सालों से हैण्ड पम्प नहीं खोदे जा रहे हैं। वहां पर सेंडी एरिया में खोदने की मशीन की व्यवस्था की जाय। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्रीमान् विभाग से एक नल योजना बनी हुई है जैसे पनेल, अजोली, कोटड़ी, नोसर, भिलावट और इन गांवों को सप्लाई किया जाता है मगर पिछले दिनों से आपने वहां पर एक टैंकर लगा रखा है, वहां पर पानी की बड़ी भारी किल्लत आ गई है। 18 किलोमीटर से वह टैंकर पानी लेकर आता है और उन गांवों के अन्दर पीने के पानी की हालत खराब हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भिलावट में आपकी जो नल योजना है वहां पर ट्यूबवैल की व्यवस्था करवायी जानी चाहिए। इसी तरह से अरायी के अन्दर मोतीपुरा गांव है। वहां आसपास खारे पानी का एरिया है। महोदय, मैं जब प्रशासन गांवों की ओर गया था तो उस कैम्प के अन्दर मोतीपुरा के लोगों ने यह कहा था कि पीने का पानी तो यह सरकार मत पिलायेगी मगर कम से कम खारे पानी का एक हैण्ड पम्प तो लगवा दो ताकि कम से कम नहा तो लें। उनके नहाने के, हाथ धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मोतीपुरा और बिरदपुरा अरायी पंचायत समिति के वार्ड हैं। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि एक किलोमीटर के अन्दर भी अरायी के एक वार्ड को जो खारा पानी है उसको मीठा जल उपलब्ध नहीं

(श्री जगजीत सिंह)

कराया .. (व्यवधान) इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्कीमें बनी हुई है उन पर राज्य सरकार गौर करें और यह जालियों की ढाणी और सिणोदिया, बिरदपुरा, मोतीपुरा के एस्टिमेट बने हुए हैं। उसको मन्जूर कराकर, स्वीकृत कराकर वहां के खारे पानी के इलाके के अन्दर गांवों को मीठा जल उपलब्ध कराया जाये। जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामलाल सोलंकी।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल। आपने मुझे इस मांग पर....

श्री उपाध्यक्ष : No formalities now. Please come straigh away on the subject

श्री रामलाल सोलंकी : उपाध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा राज्य सरकार को और हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी को कि उन्होंने पिछले पांच सालों में विकट अकाल की समस्या में पानी के लिए जो हमारी किल्लत थी उसे मिटाने हेतु जगह-जगह पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक काम किये। मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसी समस्या को उजागर करना चाहूंगा उपाध्यक्षजी, जो सरकार ने पिछले बजट सैशन में कमिटमेंट किया था उन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनमें मुख्यत: प्रगति विवरण में मेन्शन किया हुआ है कि वर्ष 1988-89 में जो परिगणित क्षेत्र हैं उसमें तीन जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, इन जिलों में जो जनजाति के क्षेत्र हैं वहां पर जो पैसा 1988-89 में पहले था 234 लाख और 1989-90 में 280 लाख था। इन जिलों में जो ट्राइब्ल के विलेज हैं उनमें यह पैसा लगना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं और यह अपने उत्तर में बताये कि सिरोही जिले में कितना-कितना पैसा लगा ?

इसी प्रकार आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो प्रावधान 1988-89 में 10 लाख का किया था। मेरे क्षेत्र में भी ऐसे ब्लाक हैं परन्तु वहां पर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें कितना पैसा लगा ? तो मेरे कहने की भावना उपाध्यक्षजी, यह है कि काम तो वैसे सब जगह हुए हैं। मेरे जिले में 438 गांवों में से 433 गांवों में किसी न किसी योजना के तहत सभी गांवों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की नीति के अनुरूप भले ही वह स्कीम हैण्ड पम्प की हो, पाइप लाइन की हो, पनघट की हो, क्षेत्रीय योजनाएं हों, टी. एस. एस. स्कीम हो, पूरे जिले को किसी न किसी योजना से जरूर जोड़ा हुआ है। मुझे आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना है कि पूरा क्षेत्र के बारे में छप जाता है कि यहां कोई कमी नहीं है, ये समस्याग्रस्त गांव नहीं हैं और कोई गैर समस्याग्रस्त गांव नहीं है। परन्तु पूरे जिले के अन्दर जो टी. एस. एस. स्कीम है, क्षेत्रीय स्कीमें हैं और पनघट स्कीम्स हैं, इसके तहत पानी महीनों तक नहीं जा रहा है जिसकी वजह यह है कि जिनसे कुओं के सोर्स हैं वह सूख चुके हैं, पानी उनमें नहीं है और कई जगह डाइरेक्ट फीडर का अभाव है जिससे पानी नहीं जा

(श्री रामलाल सोलंकी)

रहा है, इसलिये हमारे जिले के अन्दर कोई नई स्कीम मन्जूर नहीं हो सकती। सारी इस प्रकार की स्कीम्स से हमारा जिला जुड़ा हुआ है, परन्तु पिछले तीन चार सालों से हमारे जिले को कोई भी धनराशि आवंटित नहीं हो रही है। नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की आगमेन्टेशन स्कीम बार-बार भेज चुके हैं, पता नहीं यह कहां तक पहुंची है और इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है, हमारे जिले को तीन सालों से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। विवरण पत्रिका के अन्दर एक डिटेल दी हुई है, जिसके अन्दर नलकूप और हैण्ड पम्प जिलावाइज दिये हुए हैं, सबसे कम नलकूप हमारे सिरोही जिले में दिये हुए हैं और इसी प्रकार हर जिले में जो हैण्ड पम्पों की संख्या है, जो मार्च, 88 से दिसम्बर, 88 तक खोदे गये हैं, किसी भी जिले में पांच सौ से कम नहीं हैं, परन्तु मेरे जिले में मात्र डेढ़ सौ, 140 के लगभग खोदे गये हैं। जब भी हमने हमारे जिले के लिये मांग की कि किसी न किसी, जिले में आगमेंटेशन के रूप में पैसा मिलना चाहिये, जब भी सम्पर्क किया अधिकारीजनों से, मंत्रिगण से, तो यही उत्तर मिला कि आपके जो जिलाधिकारी हैं, वह सक्षम नहीं हैं, उनका हमसे को-आर्डिनेशन नहीं है, इसलिये आपकी स्कीमें हमारे पास टाइम से नहीं आ रही हैं, इसलिये हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कैसी विडम्बना है? कोई अधिकारी काम नहीं करे, इसकी सजा पब्लिक को मिले। तो मैं तो इस मुद्दे पर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे जिले को तीन साल से वंचित रखा है इससे हमारे जिले को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिला एकान्त में है, बैकवर्ड जिला है, ट्राइबल एरिया है, वहां अनुसूचित जाति और जनजाति का बाहुल्य-एरिया है, उस क्षेत्र के अन्दर लोगों को इग्नोर करके, नगण्य रख करके काम नहीं करवायेंगे किसी अधिकारी की वजह से, तो हमें बड़ी तकलीफ होगी, हमारे लिये परेशानी हो जाएगी। जब लोगों में हम जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि सरकार आपकी है, आप सरकार में जाते हैं, आपके ये काम क्यों नहीं होते हैं? इसकी वजह अधिकारी बताते हैं कि को-आर्डिनेशन नहीं है। तो जो को-आर्डिनेशन में जो लैकिंग है, मंत्री महोदय इस तरफ ज्यादा ध्यान देकर जो हमारी जरूरतें है जो को आर्डिनेशन का अभाव है उसको मिटा करके जो हमारी डाइरेक्ट फीडर की मांगें हैं, जिस तरह से आप हर जिले में बड़े लिबरल-वे में डाइरेक्ट फीडर के लिये पैसे देते हैं, हमारे जिले में पांच-छः स्कीमों में अगर यह पैसे मिल जायें, तो हमारी समस्या का बहुत सारा समाधान हो सकता है। हमारे जिले में ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आपके ओपेन वेल सूख चुके हैं, पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां ट्यूब वैल हो सकते हैं, उनकी सर्वे नहीं हो रही हैं। मैंने कई बार निवेदन भी किया है कि अगर हमारे जिले की इन स्कीमों को जिन्दा रखना है, तो हमारी कैलाशनगर स्कीम के लिये मैं प्रस्तावित करता हूं कि जो हमारा बाण गांव है, उससे हमारा अगर ट्यूब वैल में इतनी प्रचुर मात्रा में पानी है कि उस क्षेत्र के अन्दर अगर ट्यूब वैल बनायें तो उस क्षेत्र के अन्दर कैलाश नगर, जाडोली, नारद नगर, बनासर इन स्कीमों पर ज्यादा पानी हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे जोहला-डैम की जो रीजनल स्कीमें हैं इसके

(श्री रामलाल सोलंकी)

लिये भी ओपेन वेलों में पानी बिल्कुल सूख चुके हैं और उनमें भी ओपन वेल खुद रहे हैं। मैं प्रस्तावित करता हूं कि लखनावा गांव है उसमें ट्यूब वैल की आप व्यवस्था करावें तो उस गांव में प्रचुर मात्रा में पानी है और पानी मिल सकता है। परन्तु कोई अधिकारी इस तरफ, बावजूद हमारे आग्रह के, हम जिला स्तर की मीटिंगों में आपके माध्यम से विधान सभा में मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, परन्तु आज तक इस बात पर कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ और न कोई इस प्रकार के कदम उठाये गये कि इस प्रकार की जो स्कीमें बनी हुई हैं, जिनसे सुचारू रूप से पानी मिल सके। सरकार को जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया से पैसा मिलता है, एम एन.पी से, एम.आर.पी., एम.पी.ए से इन स्कीमों में से हमारे सिरोही जिले को कोई पैसा नहीं दिया गया है। इससे साफ स्पष्ट है कि हमारी स्कीमें वहां तक नहीं पहुंची। इसलिये हम बड़ी तकलीफ में हैं, इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी स्कीमें बनी हैं, आगमेंटेशन की, सिरोही की ग्रामीण पंचायत क्षेत्र की, सिरोही नगर की, शिवन नगर की एवं शिवन पंचायत क्षेत्र की जो आगमेंटेशन स्कीम बनी है, इनको इनके जो टेक्निकल टर्मस हैं, उनको पूरा करके भेजें ताकि हमको पैसा मिल सके। वैसे जवाई बांध हमारे शिवन नगर नदी के किनारे बसा हुआ है, सिरोही जिले का पार्ट है, जब यह बंधा, डैम बना था, तब हमारे कुछ तरह के एग्रीमेंट्स थे कि भई जब यह डैम बनेगा तो यहां के कुएं सूख जायेंगे, इसके बदले में कुछ ऐसी बातें मानी गयी थी, कोई ऐसा सोचा गया था कि जब कभी वह डैम बनेगा, इसका भी ध्यान रखा जायेगा। मैं तो आपके माध्यम से हमारे सम्भागीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब जोधपुर में आई.जी.पी. से पानी मिल जाये, जोधपुर पानी से सन्तुष्ट हो जावे, तो हमारी तरफ भी ध्यान रखकर सुमेरपुर के अन्दर एक जवाई बांध से पानी ले जाने की योजना स्वीकार कर रहे हैं, उसमें हमारी भी योजना सम्मिलित कर लें, ताकि हमारा जो वहां से आधे किलोमीटर लेन्थ पर हमारा गांव है, उससे लगते हुए छोटे-छोटे गांव हैं, वह लाभांवित हो जायेंगे और इससे हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। इसको पुन: मैं एक बार इसलिये दुहराना चाहता हूं कि जब भी आई.जी.पी. बन जाय, यह हमारी व्यवस्था कर दें आप ताकि हम लोग इससे जुड़ जायें और हमारे लोग इससे लाभांवित हो जायें।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैंने अपने क्षेत्र से संबंधित कई बातें कट-मोशन के माध्यम से निवेदन की हैं कि एक हमारा मनादर गांव है जहां दो साल से ट्यूब वैल खुदा हुआ है। परन्तु हुआ यह है कि उस ट्यूब वैल में कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर डाल दिये हैं। मैंने बार-बार मांग की कि इस ट्यूब वैल में पानी बहुत है, इसकी सफाई करा दीजिए तो बार-बार अधिकारी आश्वासन देते हैं कि हम इसको ठीक करा लेंगे इसकी सफाई करा लेंगे, परन्तु आज दिन तक ऐसे छोटे-छोटे काम सरकारी स्तर पर नहीं होते हैं, इसलिये हमें बड़ी निराशा होती है। ऐसे छोटे छोटे कामों की

(श्री रामलाल सोलंकी)

कहने के लिये हमें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। कुछ समय पहले हमारे भूतपूर्व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री भोला साहब ने जोधपुर में मीटिंग की थी। हमारे बहुत से जन प्रतिनिधि, वह भी दौड़-दौड़ कर गये थे हमारे साथ में कार्यकर्ता भी कि मंत्री जी आये हैं कुछ न कुछ काम होगा, लाभ मिलेगा। बहुत विस्तार से हमारी चर्चा हुई। शहरी क्षेत्र में हैण्ड पम्प की चर्चा हुई, ओपन वेल की चर्चा हुई, ट्यूबवैल की चर्चा हुई, मुझे कहते हुए बहुत दुःख होता है, ऐसी डीटेल चर्चाएं चार छः घण्टे की और उसका लाभ एक भी नहीं मिला। पता नहीं वह चर्चा कहां रह गयी, क्यों नहीं वह डिक्लेयर हुई, क्यों नहीं उस पर डिसीजन हुआ, और क्यों नहीं उनको लाभ मिला, इसलिये इस प्रकार की मीटिंग होने के बाद भी लोगों को लाभ न मिलने से इस बात से भ्रम है। जो पाली और सिरोही, जलौर जिले में जो राजस्व के नये गांव स्वीकृत हुए हैं, उनके अन्दर भी कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हम बार-बार इनको निवेदन करते हैं कि जो राजस्व विलेज डिक्लेयर हो जाता है, तो आपका दायित्व है कि इन गांवों में किसी न किसी योजना के तहत आप पानी दीजिये। परन्तु सरकार ने उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया है। किसी भी सूरत में आप उन गांवों को लें जिनको पानी की जरूरत है और जो राजस्व विलेज डिक्लेयर हो चुके हैं। इसी प्रकार जो रिजनल स्कीमें हैं और जो हमारी ओवर हेड स्कीमें हैं, वहां पर कुओं का अभाव है। उन ट्राइबल जाति और जनजाति क्षेत्रों के अन्दर पाइप लाइनें नहीं हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि हमारे नगरों में शिवन और सिरोही एवं जहां वह ओवर हैड टैंक्स हैं वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुहल्लों में जो पाइप लाइन नहीं हैं, उन लोगों को दिलावें ताकि उनकी मांगों की पूर्ति हो सके। आपने मुझे समय दिया, मेरी बात सुनी और एक और इस मौके पर अन्तिम बार निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : फिर आगे क्या कह रहे हैं?

श्री रामलाल सोलंकी : जो हमारी टैक्नॉलाजी मिशन है, उसके द्वारा खारे पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु एवम् फ्लोराइड पानी को डीफ्लोराइड करने हेतु जो मशीनें उपलब्ध हुई थी, मैंने पूर्व में भी मांग की थी कि मेरे क्षेत्र में फ्लोराइड एरिया है, जहां पर ऐसे गांव हैं जहां पर पानी पीते हैं लोग तो कुबड़े हो जाते हैं। इसलिए उन गांवों में भी मशीनें दी जावें परन्तु बहुत सी मशीनें दी गयी। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मेरे उन क्षेत्रों में मशीनें अलाट करवाई जावें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुझे जानकारी मिली है कि हैण्ड पम्प जहां हैं, जो फ्लोराइड अफैक्टेड एरिया है, उन हैण्ड पम्पों के ऊपर एक छोटी मशीन का आविष्कार हुआ है, अगर वह मशीनें हैण्ड पम्प पर लग जाती हैं, जो फ्लोराइड को डी-फ्लोराइड कर देती हैं, उन हैण्ड पम्पों को इन क्षेत्रों में लगाया जाये और उन मशीनों को उस पर लगाया जाये ताकि उन लोगों को उस पानी का भी लाभ मिल सके और बार-बार लोगों को बाहर नहीं निर्भर रहना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : रामलाल जी, बैठें बस।

श्री रामलाल सोलंकी : एक आखरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे अधिशाषी अधिकारी हैं, अभियन्ता है, एक्स. ई.न. हो गये हैं एक्चुअली यह एक्स. ई.न. नही हैं, यह सब ए. ई.न, हैं। एक्स ई.न.का काम करते हैं। अगर हम इनकी शिकायत करेंगे तो यह रिवर्शन हो नहीं सकते क्योंकि वर्किंग अरेंजमेन्ट से यह सब ए. ई.न. एस. ई न लगे हुऐ है, इसलिए इनको एक्स. ई न. बनावें ताकि इनको भय हो कि हमारी शिकायत पर यह रिवर्ट हो सकते हैं। पर इनको कोई भय नही है। क्योंकि एक्स. ई.न. तो ये हैं नहीं, ए. ई.न, हैं। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियन्ता हैं, वह सहायक अभियन्ता के पद पर बैठा हुआ है। इसलिये ऐसी व्यवस्था में भी आपने को सुधार करना पड़ेगा। ताकि यह जिम्मेदारी से काम करें, और जो मैंने आपके माध्यम से मेरी बात कही है, मन्त्री जी से जो मांग की है, इन मांगों को ध्यान में रखते हुए, जनता के लिए काम करेंगे, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगरराम पंवार (अनुपस्थित), माननीय श्री हंसराज मिढा (अनुपस्थित), माननीय श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27 पेयजल योजना।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : आप हमारा भी नम्बर ले लें। हम तो थक गये बैठे बैठे। मेरा लम्बा चौड़ा बोलने का मूड नहीं है यह तो लम्बा चौड़ा लेकर बैठें है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लम्बा चौड़ा नहीं। पेयजल योजना। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में जो प्रावधान जिला वाइज आंकड़े रखे हैं। उसमें पशुधन पेयजल योजना बीकानेर के लिए बहुत कम धनराशि दी गयी है। भारत सरकार द्वारा। जबकि बीकानेर जिला दिल्ली में बसने वाले बड़े-बड़े लोगों को सबसे ज्यादा डेयरी का दूध भेजता है और पशुधन हमारा सबसे ज्यादा है। इसलिए बीकानेर की पशुधन की जो पेयजल योजना है, मैं जन स्वास्थ्य मंत्रीजी से मांग करूंगा कि इस मुद्दे को देखें और वहां हमारी अच्छी नस्ल के पशुधन है और सबसे ज्यादा बीकानेर दिल्ली को दूध देता है इसलिए इसको दुरुस्त करके और धनराशि बीकानेर जिले को पशु पेयजल योजना के अन्दर अधिक दी जाय। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पड़ौस में चूरू जिले चूरू जिले की जितनी भी स्कीमें हैं वह धन के अभाव में अधूरी स्कीमें हैं। मैं मानता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि पिछले काफी वर्षों से पेयजल योजनाओं पर सरकार ने चेष्टा करके काफी सुधार किये हैं परन्तु योजना धन के अभाव में अधूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी को दोष देना नहीं चाहता। दोष तब दूं कि जब मुझे ज्ञान न हो, दिल्ली से जितना धन आता है उतना ही राज्य सरकार आगे गांवों में भेजती है। इसलिए हमारे पेयजल मंत्रीजी, जो पुरानी स्कीमें हैं राजस्थान में वह अधूरी हैं उन स्कीमों पर आप ज्यादा से ज्यादा धनराशि दीजिए ताकि चूरू जिला जो मेरे पड़ौस का इलाका है, डुंगरगढ़ है, सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, इस एरिया में पानी की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मंत्री महोदय आप इस इलाके को देखिए।

एक तरफ मेरे पड़ोस में नागौर जिला है। मंत्री महोदय, नागौर जिले की स्थिति कुछ अजीब है। कुछ बेल्ट ऐसी है कि पानी पीने से मनुष्य के दांत पीले हो जाते हैं। कुछ ऐसा इलाका है कि आदमी कुबड़ा हो जाता है। बांका पट्टी जिसका नाम है। आदमी पानी पीता है तो टेढा हो जाता है इसलिए उस पट्टी का नाम ही बाका पट्टी हो गया है। इस बांका प्रट्टी का नाम मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें और उसको सीधी पट्टी करके लोगों को पानी पिलाने की तत्काल व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, काफी साल हो गये 42 साल हो गये आजादी मिले, इतने वर्ष तक यदि हम मनुष्यों और पशुधन को पीने का पानी नहीं दिला सके तो निश्चित रूप से लोगों में निराशा होगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इन्तजाम करायें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर के बारे में क्या कहूं। मुझे बहुत खुशी है मंत्री महोदय और खास तौर से आपको इस बात को सुनना है। बीकानेर ही राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो पीने के पानी पर जिसका पूरा कण्ट्रोल है, पूरा कर रखा है मेरे 48 ग्राम पंचायत हैं और 200 के लगभग गांव है। मैं ईमानदारी से हाउस में कह सकता हूं कि मेरे पास गांव में पीने के पानी की समस्या नहीं है। पूरा पानी मिल रहा है। कहीं कहीं मशीन खराब हो तो बात अलग है। इसलिए हम तो हरियाणा से आगे हैं, हम क्यों विरोध करें, किस अफसर का विरोध करें, हमारा विरोध यह है कि आप भारत सरकार को कहिए कि जो स्कीमें अधूरी है पीने के पानी की उनको पूरा करें। आप नये हैं नौजवान हैं, हम आपसे आशा भी करते हैं कि आप कुछ न कुछ करेंगे, यदि समय रहते आप नहीं करेंगे तो उसी लाइन में आप भी चले जायेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं बीकानेर जिले में हमने कभी कुछ नहीं किया, कई वर्ष तक राज के साथ रहे, रूलिंग पार्टी में रहे, विरोध में भी रहे लेकिन ट्रान्सफर का काम कभी नहीं किया। मंत्री महोदय, पूरे मंत्रि-मण्डल से पूछ लें। 15-20 सालों से हमने किसी अफसर, पटवारी का ट्रान्सफर किया हो। लेकिन हमारे यहां जो पुराने अफसर बैठे हैं पी. एच. ई. डी. के अफसर बैठे हैं उन लोगों की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने काम किया, हम लोगों ने स्कीमों पर जोर दिया हम सारे काम को छोड़कर के कुछ बेल्ट है, राजस्थान कैनाल के आसपास जो किनारे से पानी है वहां आंधी चलती है तो मिट्टी से भर जाती है तो पानी बंद हो जाता है तो हम कह दें कि अधिकारी का दोष है, अधिकारी का क्यों है, कुदरत का दोष है। इसलिए मैं मेरी ओर से उपाध्यक्ष महोदय, इस पी. एच. ई. डी. के बारे में खास तौर से बीकानेर जिले के बारे में काफी मुझे सन्तोष है और हम सारी दिक्कतों को पूरा कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (शाहपुरा): उपाध्यक्ष जी आज मांग संख्या 27 के ऊपर चर्चा हो रही है और पेयजल के ऊपर आज पानी की चर्चा हो रही है। मैं भी निवेदन करू

(श्री देवीलाल)

कि पहले तो हमारे उपाध्यक्षजी और अध्यक्षजी को धन्यवाद दूं कि लगातार पांच साल हो गये, मुझे समय शायद 11 बजे, साढ़े 11 बजे ही मिला है और धन्यवाद दे दूं पूनमचन्दजी ने इस विधान सभा में जब भी यह विषय आया और मैंने निवेदन करा तो उन्होंने मुझे पहले टाइम दिया और मेरे साथी जानते हैं कि एक घण्टे और दो घण्टे नहीं दो मिनिट निवेदन करता हूं। मेरे क्षेत्र की बात। आपके पधारे पीछे तो शायद 11 बजे या साढ़े 11 बजे पहले समय नहीं दिया। इसके बारे में आपको धन्यवाद देता हूं और पानी की समस्या के ऊपर मेरे से पूर्व बोलने वाले सभी जनों ने अपने-अपने क्षेत्र की पानी की बात बताई है। पानी की तो प्रकृति की प्रकोप है, जो भगवान की दया हो रही है चार-पांच साल से अकाल पड़ रहा है, जमीन के अन्दर पानी हर साल 5-6 फुट नीचे जा रहा है। सरकार को भी धन्यवाद है कि लगातार इस अकाल के समय में, ऐसी समस्या के अन्दर पानी की व्यवस्था मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए सबके लिए पानी की व्यवस्था करी है और पानी तो वह चीज है जो 84 लाख जोनों की उत्पत्ति करता है, पानी बिना तो किसी जीव की उत्पत्ति भी नहीं होती है तो पानी की माया है। तो अब मैं मेरे क्षेत्र की बात निवेदन करता हूं। शाहपुरा के लिए एक टैंक की स्वीकृति भी हो गयी है और उसके टेण्डर भी हो गये हैं परन्तु हमारे एक्स. ई. एन. उसके आदेश नहीं देते हैं इसलिए काम शुरू नहीं हो रहा है। टेण्डर हुए लगातार दो महीने हो गये, एक महीना और हुआ तो ठेकेदार का समय निकल जायेगा और समय निकाल दिया तो वह काम फिर पड़ा रह जायेगा। तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि दो महीने हो गये टेण्डर हुए, उसके स्वीकृति आदेश दिलायें तो कार्य शुरू हो। वह नल योजना शाहपुरा के अन्दर बनास नदी से आ रही है और कोटड़ी और शाहपुरा, कोटड़ी क्षेत्र में तीन एम.एल.ए. हैं, माथुर साहब हैं, ताम्बीजी हैं, एक मैं हूं। तो जहाजपुर और शाहपुरा दो हिस्से हमारे हैं और एक हिस्सा माथुर साहब का है। एक बात का धन्यवाद दे दूं। हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक्स. ई एन. आफिस शाहपुरा में खोला है और उस एक्स.ई.एन. आफिस खोलने से हमारे क्षेत्र में सभी अधिकारी वहां रहते हैं और छोटी मोटी कोई समस्या होती है तो रात को भी कह देते हैं तो काम हमारा ठीक होता है परन्तु एक बात की समस्या है कि कोटड़ी को माण्डलगढ़ में दे दी और जहाजपुर और शाहपुरा का एक्स. ई. एन. तो हमारे शाहपुरा में बैठता है और ताम्बीजी का और हमारा क्षेत्र है उनका ए. ई. एन. साहब वहां बैठते हैं मांडलगढ़ में। अब कोई भी हैण्ड पम्प खराब हो गया कोई नल योजना में खराबी हो गयी तो मांडलगढ़ न तो मैं पहुंचा न ताम्बीजी पहुंचे और वहां का कार्य कोई ठीक नहीं कर सका तो मेरा निवेदन है कि हमारे एक्स. ई.एन. शाहपुरा है तो शाहपुरा के एक्स. ई. एन. को यह काम दे दें तो एक्स ई. एन. उस काम को, नल योजना को, ठेठ बनास नदी पर पाइप लाइन कोटड़ी में और आ रही है तो सारा काम शाहपुरा एक्स. ई. एन. में आये तो कोई बाधा नहीं आये।

तो मेरा निवेदन है कि एक्स ई एन.

(श्री देवीलाल)

शाहपुरा का है उसको कोटड़ी क्षेत्र पूरा शाहपुरा के अन्दर दिलाया जाय। अरबड़, नीर, आंगरिया, देवरिया, पनोतिया, पनाड़ी इसके अन्दर एक नल योजना की स्वीकृति हुयी है कम से कम वह चालू हो जाय। उसके लिए कम से कम चार साल हो गये और उसका सर्वे भी हो गया। वह कार्य शुरू नहीं हुआ। 4-5 गांवों के अन्दर पानी की समस्या है सरकार की तरफ हूं। उसमें टैंकर जुत रहे हैं, टैंकरों से पानी दे रहे हैं। सांगरिया के अन्दर। उसके अन्दर भी टैंकरों का पानी पीते हैं मवेशी। ऐसी स्थिति हो रही है। और नल योजना है एक बांध के नीचे पानी की क्षमता और कूड़े की भी सर्वे हो गया, नल योजना का सर्वे हो गया। और फाइल दो-तीन साल से उदयपुर के बीच, शाहपुरा के बीच और जयपुर के बीच फिर रही हैं। मंत्रीजी को भी निवेदन करा तो एक कागज दिया, एक तो मेरी जेब में हैं और दूसरा हाथ में। कि नल योजना की स्कीम का कार्य जल्दी ही शुरू करवायेंगे तो मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि वह सरवड़, और सांगरिया की देवरिया और पुनोतिया की सर्वे हुई है। उस कार्य को शुरू करावें। एक टंकी का सामान जो पड़ा-पड़ा ही गल गया, 72-73 के अन्दर एक टंकी की स्वीकृति हुई और ठेकेदार से ठेका हो गया उस ठेकेदार ने सामान लाकर इकट्ठा कर दिया और उसका कार्य शुरू नहीं हुआ। सामान भी पड़ा-पड़ा खराब हो गया और ठेकेदार को भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो उस स्वीकृति को भी कैन्सिल कर देते तो वह अपना सामान बेच देता जिससे उसके पैसे तो बढ़ जाते। हैण्ड पम्प तो हमारे क्षेत्र में हमारे मंत्री महोदय पधारे थे 15-15 हैण्ड पम्प है जो एक-एक क्षेत्र में दिये हैं और हमारे एक्स ई. एन. साहब और ए.ई.एन. साहब ने कोशिश करके 12-12 तो लगा भी दिये हैं और सरकार के तो कार्य में कोई कमी नहीं है लेकिन भगवान की मर्जी है, न तो कोई तालाब भरते हैं, न नदी आती है और पानी तो दिन-प्रतिदिन नीचा चला जा रहा है। तो जो हैण्ड पम्प 110 फुट लगे थे और उसके अन्दर खूब पानी था आज की स्थिति में वह हैण्ड पम्प सूख गये फिर 150 फुट लगाये तो पानी 165 फुट नीचे पहुंच गया तो दिनों दिन पानी नीचे जा रहा है और सरकार की आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश की सेवा कर रही है। पानी की, मनुष्यों की, पशुधन की और उडेन पखेरू की सबकी रक्षा कर रही है। पानी तो वो चीज है कि "पानी से सब रंग हो, सब रंग पानी माही कि ऊं रंग से पानी पीव जो ऊं रंग दरस नाहीं"।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री देवीलाल : तो पानी तो माया है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने जो दो एक कार्य निवेदन किये है उसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह काम शुरू करवा दें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष जी,

श्री उपाध्यक्ष : आपके क्षेत्र में पानी की कमी थोड़े ही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं पानी की कमी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आज पानी की समस्या के लिए माननीय सारे सदस्य बोल रहे हैं, मेरे क्षेत्र के अन्दर जिस तरह से मेहनत करके परिश्रम करके, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरीटेन्डिग इंजीनियर, एडीशनल चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और मिनिस्टर साहब सबने मेहनत और परिश्रम करके जो पानी की योजना हरियाणा सरकार ने जिस तरह से लगायी थी और चालू है आज भी उस तरह से मैं राजस्थान सरकार को चार साल से बराबर इस बात के लिए कहता आ रहा हूं कि आज हैण्ड पम्प एक गांव में चार लगाते हैं, पांच लगाते हैं, सात लगाते हैं। उतने ही पैसों के अन्दर जो ट्यूब वैल लगाकर टंकी बनाकर ज्यादा पैसा नहीं लगता तो जो पानी की योजना सरकार करती तो हर साल जो नीचे पानी चला जाता है और सरपंच से 80 फुट पाइप लगाया तो सरपंच से दस्तखत करा लेते हैं, 100 फुट लगाया तो सरपंच से दस्तखत करवा लेते हैं और पानी आ जाता है 80 फुट में भी, 90 फुट में भी, 100 फुट में भी और दूसरी साल चालीस फुट नीचे चला जाता है और हैण्ड पम्प बेकार हो जाता है और फिर गांव वाले हमारा गला पकड़ते हैं कि हैण्ड पम्प लगाओ तो हैण्ड पम्प क्या। आप एक साथ पानी के लिए ट्यूब वैल लगवा लो, टंकी बनवा लो। मैंने घूम फिर कर 15-20 गांवों में करवा दी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूं परन्तु सरकार इस तरह की स्कीम राजस्थान में करती तो न तो इतना रुपया खर्च होता और आज जो हैण्ड पम्प के लिए परेशानी हो रही है गांव-गांव के अन्दर न परेशानी होती क्योंकि पहले टी.ए. सी. स्कीम चलाई राजस्थान सरकार ने, वह रुपया सब राजस्थान सरकार का बरबाद हो गया। टी. ए. सी. स्कीम चली नहीं। और अब हैण्ड पम्प की स्कीम चलाई वह रुपया सारा का सारा बरबाद हो गया। यह नहीं सोचते कि ऐसी स्कीम बनाओ कि यह अपने खून का पैसा है, मेहनत का पैसा है, हम लोग कैसे खर्च करें हैण्ड पम्प लगा दिये और दूसरी साल हैण्ड पम्प बन्द हो जाता है और पानी का स्तर नीचे चला जाता है तो मेरा आपसे माननीय मंत्री जी, यह कहना है कि हैण्ड पम्प की बात को खत्म करो और जो पानी की टंकी है उसको चलाओ क्योंकि हैण्ड पम्प में भी 80-90 फुट जाता है और ट्यूब वैल 300 फुट जाता है तो 300 फुट या 250 फुट या 400 फुट जाता है तो 10 साल तो वह ट्यूब वैल चलेगा, उसकी टंकी चलेगी, पानी मिलेगा लोगों को। आपने कभी सोचा नहीं हमारा भारत सरकार कहो या राजस्थान सरकार कहो जो पैसा मिला है उसका सदुपयोग माननीय उपाध्यक्ष जी नहीं हुआ है और सदुपयोग होता तो आज 5 सौ करोड़, 6 सौ करोड़, 7 सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ तो माननीय उपाध्यक्ष जी, 100 करोड़ रुपया भी अगर कोई मान ले आप गृह मंत्री जी हो आप सी. आई. डी. से जांच करा लो, आपका 100 करोड़ रुपया भी काम में आया हो तो आप कहो जो करने को तैयार हूं। आपका 100 करोड़ रुपया भी काम में नहीं आया। और वह सारा का सारा 600-700 करोड़ रुपया बरबाद हो गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो आज वैसे ही हैण्ड पम्प की मांग है, वैसे ही पानी की मांग है कहते हैं आज हमारे गांव में पानी नहीं, हैण्ड पम्प नहीं वैसे की वैसे परेशानी है। उसका हल राजस्थान सरकार को करना चाहिए और पानी की जो स्कीम है वह गांव-गांव के अन्दर उसको पूरी करनी चाहिए और एक साथ ही रुपया लगे उस गांव में वह स्कीम पूरी हो और कम रुपया है तो दूसरे गांव में लगावें आज तक भी तकलीफ पाते थे और भी पा लेंगे पर उस रुपये का सदुपयोग करें यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलालजी बैरवा (अनुपस्थित), श्री रामधन मीणा।

(गत्रि 10.00)

श्री रामधन मीणा (राजगढ़) : मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में पांच गांव तो ऐसे हैं करणपुरा, जयसिंहपुरा, कल्याणपुरा, भजेड़ा, पीपरवाड़ा, जिनमें खारा पानी है। लोग दूसरे गांवों के जंगलों से जाकर पानी लाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक जगह ये पांचों गांव है और, उनके नजदीक दूसरा गांव बाजोली है वहां पर मीठा पानी है, वहां नल योजना कायम करके पाइप लाइन से पानी पहुंचाया जाये। मैंने आदरणीय चीफ इंजीनियर साहब को भी लिख करके दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी ही इसको करवाऊंगा पर वह अभी तक मंजूर नहीं हुआ और कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी तीन-तीन हजार की है और वहां पानी की समस्या है जैसे ठेकड़ा है, डोरोली है, दिगावड़ा है और बिलेटा है इनमें काफी पानी की समस्या है वहां बोरिंग करवाकर के टंकी से पानी उन गांवों को दिया जाये ताकि वहां उनके पानी की समस्या हल हो जाये। कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी पांच-पांच सात-सात हजार की आबादी है जैसे पिनाण है, रैणी है, माचाड़ी है घड़ी सवाईराम है और राजपुर है सकट है। इनकी 7-7, 8-8 हजार की आबादी है, किन्तु एक-एक किलोमीटर के ऊपर आबादी छोटे गांवों में बस गयी है जिनकी आबादी ढ़ाई-ढ़ाई सौ, तीन-तीन सौ की है। नलीय स्कीम वहां लागू है। और नलीय स्कीम वहां लागू होने से उन छोटे गांवों में हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं करते यह कहते हैं कि यहां नलीय स्कीम लागू है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि यह बड़े गांव जहां नलीय स्कीम है और उनमें छोटे गांव बस गये हैं जिनकी आबादी 200-250 की है उनमें हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करें और आदेश दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पानी की समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं है सारे राजस्थान में है। पांच साल पहले कोई समस्या नहीं थी। पांच साल से लगातार वर्षा कम होने की वजह से जो पानी के कुंए थे वे सारे सूख गये करीब-करीब 75 परसेण्ट इसी से पानी की समस्या आयी है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि पूरे राजस्थान की अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र से सर्वे रिपोर्ट मांग ली जाये और जहां पानी है वहां स्थाई रूप से पानी की समस्या हल कर दी जाये। मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ही बोलूंगा और आपकी आज्ञा से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री की जगह पानी मंत्री कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा छोटा भी है और ठीक भी है।

फाइनेन्स कमीशन से माननीय मंत्री महोदय मिले थे और मुझे जितनी जानकारी मिली उस हिसाब से उन्होंने पानी के बारे में खास सवाल भी उठाये थे। दूसरा उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि आज पानी इरिगेशन में हो या जो प्रोडक्टिव वर्क करते हों, पी. एच. ई. डी. के इंजीनियर्स हों, उनका स्टाफिंग पैटर्न हो, उसमें खास तौर से उन्होंने प्रश्न पूछे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेण्डिचर और उनकी परफारमेंस का क्या रेशो रहना चाहिए और क्या मेजरमेंट रहना चाहिए। अपने यहां अभाव ग्रस्त गांव तो बहुत है। चाहे रिपोर्ट में कोई भी कुछ भी लिखें। फाइनेंस कमीशन इसके लिये कन्सर्न था और मैं चाहूंगा इस बारे में मंत्री महोदय कुछ न कुछ कदम उठायें जिससे परफारमेंस का मेजरमेंट हो सके। आज हम पद सृजित कर जाते हैं। पद सृजित करने से कई जगह इतना डुप्लीकेशन होता है जिसका कोई अन्दाजा नहीं है और डिसीजन मेकिंग हमेशा पूअरर होता है।

डिवीजन में हमने कई तरह से डी-सैण्ट्रलाइजेशन भी करके देखा। मैं अब उस पर नहीं बोलूंगा आज मेरी इच्छा नहीं है। पाइप स्कैण्डल है और हैण्ड पम्पों के लिए, मेरे मित्र घनश्यामजी तिवाड़ी उसके बारे में बोलेंगे काफी तफसील से बोलेंगे। इसलिए मैं उन्हीं को आज यह महकमा दे रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आज जब नये पानी मंत्रीजी ने कार्यभार सम्भाला है तो उसे नये मापदण्ड देंगे ताकि चाहे चीफ इंजीनियर हो, चाहे एस. ई. हो, चाहे नीचे के ए. ई. एन. तक के हो और जो भी समस्याग्रस्त, अभाव ग्रस्त गांव है उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है उसके बारे में खास तौर से कदम उठायेंगे।

मैं और बातों में न बोल करके खास तौर से जोधपुर की लिफ्ट योजना के बारे में बोलना चाहूंगा। जोधपुर की लिफ्ट योजना शायद 1983 में बनी थी। 1984 में इसका शिलान्यास हुआ और यह 205 किलोमीटर की योजना है। करीब 25 किलोमीटर तो पाइप होगा और 177 किलोमीटर ओपन चैनल होगा। इसमें कई खतरे हैं, कभी कम्बाईन कैरियर सिस्टम इजाद हुआ जिसमें कहा कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों साथ-साथ चलेंगे। उस कामन कैरियर के बारे में कई बातें उठीं। पर एक बुनियादी बात, हमारे क्षेत्र के बारे में है और उस क्षेत्र के एम. पी. हमारे मंत्री महोदय हैं। हमारे यहां फासिल वाटर है, डैड वाटर है। आज जी. एस. आई. ने और ग्राउण्ड वाटर ने जो भी सर्वे किया वह फासिल वाटर है। इण्डीकेशन्स तो मिल जाते हैं, कुआ भी शुरूआत में सफल हो जाता है। आज हमने ट्यूब वेल खोदा, पांच हजार गैलन की कैपेसिटी का होगा, तीन साल में दो हजार हो जायेगा, चौथे साल हजार हो जायेगा और पांचवें साल फेल हो जायेगा। इसलिए सिर्फ कुआ खोदने की वहां प्राब्लम नहीं है। प्राब्लम उनको एनरजाइज करने की भी है। जब कामन कैरियर सिस्टम आया मैंने इसका फलौदी तक विरोध किया था यह बात सही है। उस समय भाटीजी मंत्री थे इसलिए फलौदी

272

(श्री मोहन छंगाणी)

तक विरोध किया था कि फलौदी तक, बाप तक पाइप लाइन आ जाये। बाप के आगे चाहे आप कामन कैरियर रखो। चाहे अकाल किसी से काम कराओ पर कम से कम जो फलौदी की समस्या है उसका इन्तजाम है बड़े पाइप से जोड़कर के जल्दी बाप तक पहुंचा दो। बाप एक ऐसा एरिया है जो खारे पानी का एरिया है, नीचे सारा का सारा खारा पानी है उस बाप की समस्या को हल करने के लिये उस वक्त मैंने काफी कोशिशें और लड़ाई की तब जाकर बाप की समस्या हल हुई, बाप में पानी भी आ गया, बाप में पाइप लाइन से पानी आया और अब आप उसको कामन कैरियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं यह आप जानें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जोधपुर कैनाल की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। आज दीवान साहब बैठे हैं मन्त्री महोदय, इन्होंने तो स्तीफे की घोषणा की थी कि मार्च 1989 तक पानी नहीं पहुंचा तो स्तीफा दे दूंगा। फिर देखा कि अब ठीक नहीं है नोकरी छोड़ना, पद छोड़ना, गाड़ी छोड़ना इसके बाद में थोड़े खिसक गये और उसके बाद में अशोक गहलोत जी आ गये, नये पानी मन्त्री आ गये और इन्होंने 1992 में पानी आने की घोषणा कर दी और यह भी कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर के मिस्टर देशमुख, जो पर्सनल सेक्रेट्री हैं वे देखेंगे। मुझे खुशी हुई पढ़ करके कि कम से कम प्राइममिनिस्टर सेक्रेटेरियट इसको देखेगा तो इसमें गति भी आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, उस पर कुल 50 किलोमीटर का काम आज तक हुआ है। 50 किलोमीटर में से आप समझिये कि करीब 17 से 20 किलोमीटर वापस धूल से सट गयी पूरी की पूरी कैनाल जो खोदी गयी थी, अर्थ वर्क भी हुआ था। आप अचरज करेंगे कि 1984 में उसका शिलान्यास होने के बाद आज तक लाइनिंग का काम जीरो हुआ है। कुछ भी काम लाइनिंग का नहीं हुआ। यह किस तरह से 1992 में पानी पहुंचायेंगे, यह भी मुझे समझ में नहीं आता। शायद मार्च में दीवान साहब, उस समय के मन्त्रीजी ने आर्डर दिये थे कि लाइनिंग और अर्थ वर्क साइमल्टेनियस होना चाहिए। वह कागजी ही रह गया, आर्डर, हुए ही नहीं। स्थिति यह है कि अब एक किलोमीटर लाइनिंग करने में एक से दो महीने तक लग जाते हैं। हालांकि 170 किलोमीटर में 30–40 ठेकेदार होंगे, उनके टेण्डर होंगे, सब करायेंगे, कोशिश करेंगे पर वह काम होने में भी आपको 350 लाख ब्लाक्स चाहिए। आज अन्दाजा लगायें कि यह सोचना कि 1992 में यह शुरू कर देंगे, यह असम्भव-सी बात मुझे लगती है। और चूंकि जोधपुर जैसे शहर के बारे में, जिस की आबादी आज करीब 10 लाख की हो रही है, कोई न कोई त्वरित कदम, स्पीडियर कदम नहीं उठाये गये तो वहां ऐसी हालत होगी जिसका अन्दाजा आप नहीं लगा सकते। वहां टैंकर से लाकर लाखों लोगों को पानी पिलाना काफी मुश्किल है जिसमें कैरोसिन की बदबू आती थी, खुद मन्त्री महोदय यह जानते हैं, इन्होंने भी अनुभव किया होगा। ये खुद दुःखी थे कि क्या किया जाय, क्या नहीं किया जाय। अब तो यह मन्त्री हो गये हैं। आज मदासर से जोधपुर 205 किलोमीटर तक पानी पहुंचने की समस्या को हल

(श्री मोहन छंगाणी)

करना इनके लिए भी मुश्किल चीज हो गयी। आज 8 पम्पिंग स्टेशन हैं, उनकी फाइनेंस कमेटी या जो भी प्रसेस करती है, आर्डर देगें तो भी, उपाध्यक्ष महोदय, उसको दो साल से ढ़ाई साल एग्जीक्यूशन में लगते हैं, ढ़ाई से तीन साल में आपको 8 पम्पिंग स्टेशन मिलेंगे। आपको पचासों ठेकेदारों को ब्लाक बनाने का काम देना पड़ेगा। अभी तक आपने केवल चार जगह ब्लाक बनाने की शुरुआत की है, चौमू, बाप और जालोरा में खुला है। दो जगह अभी तक खुले नहीं हैं। इसलिए उसमें जो गति आनी चाहिए वह गति अभी नहीं आ रही है। इस गति से 1992 में जोधपुर को कैसे पानी पहुंचायेंगे ? यह असम्भव-सी बात मुझे लग रही है। पर मैं चाहूंगा कि यह घोषणा सच हो और इनको माननीय दीवान साहब की तरह नीचा नहीं देखना पड़े क्योंकि यह जोधपुर के हैं। पर मुश्किल है कि आज आप उस पर किस गति से काम करायेंगे किस को लगायेंगे ? आखिर जाकर उसी पर पड़ता है। आज चीफ इंजीनियर खराब है, एडीशनल चीफ इंजीनियर खराब है, आज वह खराब है, आज यह खराब है, आखिर में जो एग्जीक्यूट करता है उसी पर आकर पड़ती है। मुश्किल यह है, आप जो भी प्लान बनायें इम्प्लीमेण्टेशन का....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दीवान साहब तो खुद भी इंजीनियर हैं।

श्री मोहन छंगाणी : नहीं, शायद । ग्लास, टेक्नोलाजिस्ट थे। इनका मतलब नहीं था, फंस गये थे दूसरे महकमे में। एक दफा इन्दिराजी ने कमलापतिजी को शिपिंग मिनिस्टर बना दिया तो उन्होंने कहा, बन्दरगाह देखे हैं आपने ? तब कमलापति जी ने मजाक में कहा बन्दर तो देखे हैं बन्दरगाह नहीं देखें। इन्होंने भी कोई देखे होंगे, वह दूसरी बात है।

पर, उपाध्यक्ष महोदय, अब जब मन्त्री आ चुके तो मैं चाहूंगा कि कम से कम जोधपुर कैनाल के बारे में डेफिनिट प्लान बनायें। डेफिनिट प्लान का मतलब है, आज 25 करोड़ रुपए खर्च हुए। मैं आपको बताऊं 8 करोड़ रुपए तो आर. एस. ई. बी. को दिये, 9 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेण्ट हुआ। हमारी जन लेखा समिति ने कई रिकमण्डेशंस की हैं कि एक साल से ज्यादा का आर्डर नहीं देना चाहिए। वहां करोड़ों रुपए के टेण्डर दो-दो साल से पड़े हैं, पाइप वगैरह पड़े हैं। मैं अभी उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। वह जन लेखा समिति की रिपोर्ट में है। 8 करोड़ वह और नौ करोड़ प्रोक्योरमेण्ट में, कुल 17 करोड़ 3 करोड़ के बंगले बन गये और 5 करोड़ आप की कैनाल पर लगेंगे, यह 25 करोड़ का पूरा लेखा-जोखा है जो आज तक आपने जोधपुर कैनाल पर खर्च किये हैं। किस पर खर्च हुए, कैनाल का क्या अर्थ वर्क हुआ ? 50 किलोमीटर में से एक किलोमीटर का भी आज अर्थ वर्क नहीं हुआ। तो आप अन्दाजा लगाइये 170 किलोमीटर का लाइनिंग कैसे होगा ? कोई पच्चीस किलोमीटर पाइप लाइन चाहिए और उसमें भी कई गड़बड़-घोटाले हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किस तरह से पाइप को वेल्डिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वह दूसरी बात

(श्री मोहन छंगाणी)

है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह पाइप लाइन सिर्फ जोधपुर की नहीं है फलोदी की भी पाइप लाइन है। सारे गांव समस्याग्रस्त हैं, वहां पानी है ही नहीं। आज इन्दलियाजी ने बहुत शोभा कर दी, पशुओं की बीकानेर में व्यवस्था हो गयी। हमारे यहां तो पशुओं का एक और चार-पांच का जो रेश्यो था वह इतना मर गया कि जिसका कोई अन्दाजा नहीं। आज उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाय तो बहुत है। स्कीम भेजी पड़ी हैं उन पर विचार हो रहा है। आदमियों के लिए ही नहीं होता पशुओं के लिए तो कब करेंगे, यह पता नहीं। पर मैं चाहूंगा कि ये चूंकि वहां के एम.पी. हैं, फलोदी, ओसियां, बीच में कितने गांव पड़ते हैं, शेरगढ़ तक, सारा पानी सप्लाई करना पड़ता है क्योंकि सारा का सारा अभावग्रस्त एरिया है। पानी सप्लाई करने के लिए इनको जो भी मशीनरी तैयार करनी हो, करें। कोई कहते हैं वह इंजीनियर लगा रहा है, कोई कहते हैं वह इंजीनियर लग रहा है, कोई कहते हैं वह खाकर काम करा सकता है, कोई कहते हैं वह नहीं खाकर काम करा सकता है, मैं उसकी तफसील में नहीं पड़ना चाहता कि किसको लगाते हैं, क्या लगाते हैं। पर मैं यह चाहूंगा कि जोधपुर कैनाल का काम मुस्तैदी से हाथ में लें। फाइनेंस कमीशन पर भी जोर डालें कि इस अराईड एरिया में सिवाय इस तरीके के कोई चारा नहीं। दूसरा, मैं यह चाहूंगा कि ड्रिंकिंग वाटर का फासिल वाटर का रिप्लेसमेण्ट कैसे हो उसको एनरजाइज करने के लिए किस तरह से कदम उठायेंगी पी. एच. ई. डी., यह मुझे पता नहीं। क्योंकि वह इरिगेशन का मामला बना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह लिफ्ट कैनाल इरिगेशन की केनाल के साथ हुई थी इरिगेशन की फलोदी लिफ्ट पहले हुई थी और यह जोधपुर तक बहुत बाद में आयी। यह 1974-75 की लिफ्ट कैनाल थी, उसका ऐम ही यही था कि एक तो एनरजाइज करे, रिप्लेस करें अण्डरग्राउण्ड वाटर को और एक ड्रिंकिंग-वाटर की सप्लाई करे। मेरा ख्याल है वह भी कुछ न कुछ काम हाथ में लेकर इसको जोड़ पायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आज जितने ड्रिंकिंग वाटर के कुएं हैं उनका स्तर एकदम गिर रहा है, पांच हजार गैलन से, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि एक हजार गैलन तक हो गये, जितनी स्कीम उनसे जुड़ी हुई हैं वह फेल हो रही हैं और कई जगह गांवों में राजस्थान कैनाल का जो पानी पहुंचना चाहिए वह भी नहीं पहुंच रहा है उसके मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं। कोई जाता नहीं, कोई कहता है हमारे पास जीप नहीं। यह सही है कि वहां 25-25, 30-30 किलोमीटर पर गांव हैं, एक गांव से दूसरा गांव आपको 150-200 किलोमीटर पड़ जायेगा, बामूं से बूमडी जायं तो आपको 100 मील पड़ जायेंगी। इतनी बड़ी कान्स्टीट्यूएंसी में, इतनी अभावग्रस्त कान्स्टीट्यूएंसी में जब तक इस तरह का काम हाथ में नहीं लिया जायेगा और टारगेट के हिसाब से काम पूरा नहीं किया जायेगा तो जोधपुर कैनाल का बनना बड़ा मुश्किल का काम है और आठ लाख आदमियों के सामने जो खतरा आज मंडरा रहा है उस खतरे को देखते हुए मेरा ख्याल है, 1992 तक भी, यह पूरी नहीं हो पायेगी। भगवान कृपा करे, आप बर्दाश्त करिये सब असेम्बली के मिल कर कि-

(श्री मोहन छंगाणी)

जोधपुर के 8–10 लाख आदमी प्यासे नहीं मरें। उनके प्यासे नहीं मरने के लिए कुछ न कुछ मन्त्रीजी, योगदान करें, इतनी मैं अपेक्षा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज लगातार पांच वर्षों के सूखे और अनावृष्टि के कारण जैसे बाड़मेर और जैसलमेर की समस्या है पीने के पानी की, वैसी समस्यायें अब दूसरे जिलों में भी उठ खड़ी हुई हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा बांध नहीं है। एक जमवारामगढ़ बांध था जिसका पानी आप जयपुर शहर में ला रहे हैं। जमवारामगढ़ बांध की नहरें जिन गांवों में जाती थीं उन गांवों में आज नहरें नहीं जाने से पानी कड़वा और जहरीला हो गया है, पचासों गांवों की ऐसी बैल्ट है जिसमें पीने योग्य पानी नहीं रहा और वहां के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जानवर पानी नहीं पी सकते। यह स्थिति जयपुर डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत से गांवों में है। आज पेयजल के करीब 90 प्रतिशत कुएं सूखे पड़े हैं। बिजली जब आती है तो काश्तकार अपने कुएं से भले ही पानी पी ले, बाकी आज गांवों में पीने के पानी के कुएं ऐसे नहीं हैं जिनसे पानी निकाल कर आदमी पानी पी सके। इसलिए मैं पहले तो यह निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर की पेयजल की समस्या को निपटाने के लिए आप जमवारामगढ़ बांध को मुक्त करिये और बीसलपुर योजना से जयपुर शहर को जोड़ा जाना चाहिए। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो जमवारामगढ़ बांध से गांवों में जो समस्या पैदा होती जा रही है वह और बढ़ेगी और जयपुर शहर की समस्या भी केवल जमवारामगढ़ बांध से निपट नहीं सकती है। दूसरा, जमवारामगढ़ बांध की नहरें जिस इलाके में जाती थीं, जहां अब पानी कड़वा और जहरीला हो गया है उन गांवों के लिए आप क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनाइये या वह गांव खाली करवा दीजिए, दूसरी जगह स्थापित करवा दीजिए पुनर्वास विभाग से नहीं तो उन गांवों की स्थिति आज यह हो गयी है कि पीने का पानी नहीं है। पी. एच. ई. डी. के बड़े अधिकारी भी जाकर देख कर आये हैं और ऐसी समस्या को निपटाना आवश्यक है, अगर नहीं निपटायेंगे तो समस्या और बढ़ेगी।

हैण्ड पम्प्स के बारे में मापदण्ड यह रख रखा है। यह निश्चित बात है, चाहे कोई आलोचना करे, हैण्ड पम्प अगर नहीं होते तो पीने का पानी गांवों को नहीं मिलता, यह हैंड पम्प ही ऐसे थे जो गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करा सकें। नहीं तो पिछले अर्से में एक साल का अर्सा, दो साल का अर्सा जो अर्सा निकला है उस समय में पेयजल के कुएं सूख गये थे। हैण्ड पम्प ही एक स्रोत रहा था जिससे लोगों ने पानी पिया। हैण्ड पम्प के बारे में मापदण्ड अब आपको बदलने पड़ेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 1986-87 के बजट के समय यहां पर घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जितनी भी बस्तियां पेयजल की सुविधा से वंचित रह गयी हैं उन बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी और उनके बारे में एक सर्टिफिकेट विभागीय

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

अधिकारियों से लिया जायेगा कि अब कोई ऐसी बस्ती नहीं बची है जिसमें पेयजल सुविधा से, हरिजन बस्ती को या अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्ती को नहीं जोड़ा गया हो। मेरे यह समझ में नहीं आया कि आज भी हरिजन बस्तियां, अनुसूचित जन जाति की बस्तियां पेयजल सुविधा से वंचित हैं। हो सकता है कि वह विभाग के मापदण्ड में नहीं आती हों लेकिन जब आज पेयजल के कुए सूख गये, काश्तकार के मान लो बिजली नहीं लगी हुई है या बिजली लगी हुई है जब तो बिजली चलेगी तब पानी मिलेगा उसके बाद, में बिजली नहीं मिलती है तो वह गाव और ढाणी कहां से पानी पियेंगी। इसलिये आपको इन ढाणियों के बारे में मापदण्ड बदलने की आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। आज हालात यह है कि पीने का पानी उन ढाणियों में उपलब्ध नहीं है, बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं, जहां 150-200 की आबादी है उसके मामले में यह निर्धारित करना पड़ेगा कि आज 20-25 परिवार जहां कहीं हैं उन ढाणियों में पानी के लिये हैण्ड पम्प लगाये जाने चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिला परिषद् को आपने अभी हैण्ड पम्प परियोजनायें सौंप दीं। सधारण का काम दिया है। जिला परिषद् को न विभाग ने पैसा दिया न बजट दिया, उनके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। आज हालात यह है कि आप जिला परिषद् किस तरह से चला सकते हैं जब आज पी. एच. ई. डी. ने जो पंचायत समितियों को हैण्ड पम्प दे रखे थे हम उसको ही ठीक नहीं कर पाये थे। इसलिये जब तक टेक्निकल आदमी नहीं देंगे, आप ए. ई. एन. पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स पर उनको दे दीजिये पंचायत राज विभाग के अधीन अगर पंचायती राज को इतना ही मजबूत बनाना है तो आपको ए. ई. एन. देने होंगे, उनको स्टाफ देना होगा और अगर आप स्टाफ नहीं देना चाहते हैं तो आप जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि स्टाफ और बजट नहीं दिया, पंचायत समितियों को और पंचायती राज को तो पंचायती राज बदनाम हो जायेगा और इस योजना को वह सफल तरीके से नहीं चला पायेगा। पीने का पानी गांवों में नहीं मिलेगा, आज जो छोटी-मोटी खराबियां होती हैं उनको हम ठीक नहीं करा पाये, उसके लिये अभियान चलाना पड़ता है। और आज अपन इस इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को सहज भाव में देना चाहते हैं, एक एक्स. ई. एन. दे देंगे जिला परिषद् में और बाकी जे. ई. एन. दे देंगे पंचायत समितियों में उनसे काम चल जायेगा क्या ? तो फिर अलग डिपार्टमेण्ट रखने की जरूरत क्या है ? फिर ए. ई. एन. जिस क्षेत्र का है वह उस पंचायत समिति में बैठ जायेगा। वह अपने आप सम्भालेगा, इसलिये आप सारी स्कीम्स दीजिये अगर देनी हैं तो और अगर नहीं देनी हैं तो फिर विभाग के पास रहने दीजिये। पंचायती राज को इसमें कलंकित मत करिये। अगर पंचायती राज को देना चाहते हैं तो साधन मुहैया करवाइये, टेक्निकल स्टाफ दीजिये तभी आप इस योजना को स्थानान्तरित करें। अन्यथा मेरा तो यह निवेदन है कि आप विभाग के पास रहने दीजिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

तीसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हैण्ड पम्पस 6-6 महीने तक लगाकर छोड़ देते हैं। पेयजल की समस्या है नये हैण्ड पम्पस आप पेयजल समस्या के निवारण हेतु मन्जूर करते हैं लेकिन जो हैण्ड पम्प रोप दिये गये, उनको 6-6 महीने और 12-12 महीने तक चालू नहीं करें केवल एक छोटी सी. मामूली सी लापरवाही के कारण इस मामले को विभाग को गम्भीरता से लेना चाहिये और जो हैण्ड पम्पस रोप दिये गये हैं उनको आप 6 महीने छोड़कर 1 महीने में चालू कर दीजिये ताकि पीने का पानी तो उपलब्ध हो सके अन्यथा अपना उद्देश्य उससे पूरा नहीं होगा।

कुछ हैंण्ड पम्पस ऐसे हैं जो खारे पानी में ही लगा दिये गये। हमने मना किया कि इस गांव में खारा पानी है, 4-4, 5-5 हैण्ड पम्प उन गांवों में लगा दिये और आज सारे हैण्ड पम्प खारे पड़े हैं आप उन हैण्ड पम्पस को उपड़वा लीजिये और ऐसे गावों को क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना से जोड़ने की व्यवस्था कीजिये, उन हैण्ड पम्पस पर इतना पैसा बर्बाद हुआ, आज वह हैण्ड पम्प काम नहीं आ रहे। उनको अगर आप मिट्टी में से नहीं निकालेंगे तो पाइप वगैरह जो हैं वह गलकर खराब हो जायेंगे अगर वह उनको लेना चाहे तो विभाग की कुछ आमद नहीं हो सकती है।

हैण्ड पम्पस जो हमारे यहां लगाये गये हैं उनमें कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 2 घरों पर हैण्ड पम्पस लगा दिये गये हैं, जो मैं मौके पर बता सकता हूं और एक बड़ी आबादी को वंचित रख दिया। इस प्रकार के भेद-भाव की व्यवस्था विभाग के स्तर पर देखनी चाहिये, चाहे सरपंच सर्टिफिकेट दे दे कि आप यहां लगा दें हैण्ड पम्प, मगर जब विभाग लगाने जाता है उस समय यह तो देखे कि दो घरों की बस्ती पर ही हैण्ड पम्प लग रहा है वह नहीं लगाया जाना चाहिये। मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता हूं कि मेरे किशनपुरा गांव के अन्दर, सरपंच ने लगा दिया तो सरपंच लगाने वाला है क्या? लगाता है डिपार्टमेंट उस समय माप-दण्ड देखे, यह विभाग का काम है। हमारे यहां किशनपुरा एक ऐसा गांव हैं जिसमें ब्राह्मणों के सिर्फ दो घर हैं वहां हैण्ड पम्प लगा हुआ है और एक हैण्ड पम्प दूसरे दो घरों के लिए लगा है और वहां पर दूसरा जो वर्ग है उसके 50 परिवार रहते हैं उनमें एक भी हैण्ड पम्प नहीं है इस प्रकार की व्यवस्था को विभाग अपने स्तर पर देखे और जो गड़बड़ियां होती हैं उनको रोकने की कोशिश करें। बस मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा न पाइप घोटाले की बात है न और कोई बात है। सुबह इतना घोटाला आपस में ही हो गया है कि कहीं घोटाले की बात नहीं है आप निष्फिक्र रहें। मैं तो दो-चार बात माननीय अशोकजी से कहना चाहूंगा कि नये पानी मंत्री बने हैं, नया नाम आपका निकाला है तो आप देख लीजिये शुरू-शुरू में लड़कियां आती हैं ससुराल से वापस तो उसका थोड़ा लाड़-प्यार रहता है तो यह शुरू-शुरू के दो-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चार दिन लाड़-प्यार हम भी बड़े प्रेम से कर रहे हैं, उस लाड़-प्यार में ठीक-ठीक से बात कर लेंगे तो ठीक है नहीं तो पुराने होने पर वही हो जायेगी जो वहां ससुराल में की जाती है। पीहर में ज्यादा दिन रहती नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जोधपुर लिफ्ट कैनाल की बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल का 1983 में माननीय शिवचरणजी माथुर ने मदासर गांव में उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन दो बार हुआ है-एक बार नहीं हुआ है। एक बार 1986 में श्री हरिदेवजी जोशी ने किया और एक बार शिवचरणजी माथुर ने किया। श्री हरिदेवजी जोशी ने 1986 में ओसियां में चिराई किया और मदासर गांव में 1983 में शिवचरणजी माथुर ने किया।

शिवचरणजी माथुर ने उद्घाटन जब किया तो उन्होंने कहा कि 38.5 करोड़ रुपये की इस पर लागत आयेगी और 1988 तक बनकर यह पूरी हो जायेगी। उसके बाद में अशोकजी गहलोत अपने पी.एच.ई.डी. के मंत्री बने, बनने के बाद में जोधपुर गये, 16 जून को आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मार्च, 1992 तक इसके काम को पूरा कर देंगे और 140 करोड़ रुपये आप इस पर खर्च करेंगे। साथ ही साथ आपने यह भी घोषणा कर दी कि प्रधान मंत्रीजी का जो सचिवालय है उसमें जे. डी. देशमुख साहब की निगरानी में यह काम हो रहा है। और उसके दूसरे दिन ही आपके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का किसी एक अखबार में एक इन्टरव्यू छपा कि इसका काम 1994 तक पूरा होगा। आपके प्रधान मंत्री सचिवालय के अन्तर्गत 1992 तक किया और दाऊलालजी माथुर ने 1994 तक किया। और जो आपने प्रगति विवरण हमको दिया है उसमें इसके लिये सिर्फ चार लाइनें लिखी हैं-"जोधपुर शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु इन्दिरा गांधी नहर में से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रथम चरण की योजना 38.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गयी है मार्च, 1988 तक इस योजना पर 13.19 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है एवं वर्ष 1988-89 में 10.31 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।"

यानि इसका प्रगति विवरण में जिक्र नहीं, फाइनेंस से सेंक्शन नहीं, टेक्निकल सेंक्शन नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नहीं फिर आपके दिमाग में कहां से आया कि यह प्रधान मंत्रीजी के सचिवालय में है, 140 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा और 1992 तक यह पूरी हो जायेगी। कृपया करके यह कागजात या स्कीम आप सदन के पटल पर रखें और आपको बतायें जिससे यह प्रमाणित हो कि इस प्रकार हो रहा है। वरना तो यहां पर जो भी मंत्री आये, माधवसिंहजी दीवान गये तो उन्होंने लिखकर तीन मिनट में दे दिया यह 1989 तक पूरी करके आ गये, आप 1992 तक पूरी कर रहे हैं, माथुर साहब 1988 तक पूरी कर रहे थे, कोई कब तक पूरी कर रहा है, कोई इसका 10 करोड़ बता रहा है, कोई 26 करोड़ बता रहा है और इसका बढ़ाया कैसे? मैं यह कहना चाहता हूं गहलोत साहब आप जोधपुर की जनता को धोखे में मत रखिये यह योजना पूरी नहीं होगी, यह योजना टेक्निकली ही गलत है, कितनी बार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो आप नहर को मिट्टी से भरेंगे और कितनी बार नहर खोदेंगे। आज आपकी बाप तक की नहर है वह मिट्टी से भरी पड़ी है, खुदवाओ उसको वापस कई करोड़ रुपये लगेंगे। यह 77 मीटर तक नहरें को खुदवायेंगे इसको रोज-रोज मिट्टी से भरोगे और निकालोगे, पम्पिंग स्टेशन्स लगायेंगे ज्यादा। आपने पाइप लाइन से इसको क्यों नहीं बनाया? उर्जा कम लगती, आपकी टेक्निकल राय यह थी कि 2 करोड़ रुपये साल की आपको बचत होगी। एक बार पाइप लाइन का खर्चा ज्यादा लगता लेकिन 2 करोड़ रुपये साल की बचत होती और पानी पहुंचता। और अब आप जंवाई बांध से जो पानी लेते हैं, आपको ध्यान है कि वहां से कितना क्यूसेक्स प्रारम्भ होता है।

श्री मोहन छंगाणी : 80 से 100 क्यूसेक्स से ज्यादा नहीं पहुंचता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इतना ही बचता है वहां पर आकर? और यह जोधपुर में आपका पानी पहुंचेगा ओपेन कैनाल से उसकी भी यही हालत होगी 80 क्यूसेक्स ही बिकेगा तो फिर पानी पिलायेंगे कहां से आप इतना खर्चा करके भी? जो आपने 140 करोड़ की योजना हवा में बनवाई है इस योजना में 80 से ज्यादा है क्या? आप हमको यह बताईये। दूसरा मेरा यह निवेदन करना था कि फैमिन में आपने 1.25 करोड़ रुपया खर्च किया 26 करोड़ रुपया आपने इस पर खर्च और कर दिया और यह सारी कार्यवाही करने के बाद में भी जोधपुर में गर्मियों में तीन दिन में एक बार पानी दिया। आपको पता है कि पाली में आपने खारा पानी पिलाया। यह सब कुछ होने के बाद में भी इस नहर के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और इसके साथ कमी का सवाल है वह भी आपको पता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पैसे की कमी नहीं है और यह काम पैसे की कमी से नहीं कम हुआ है। पिछले दिनों इसके लिए सीमेंट बिना मतलब के परचेज की गयी। इसके लिए जो 15 हजार सीमेंट के कट्टे लिये गये थे वे सैट हो गये। उनकी कीमत 10 लाख रुपये थी जिसे कि नष्ट कर दिया गया है। यह परचेज किसने किया, किस कारण से किया और क्यों किया? मेरा यह आरोप है कि दाऊलालजी माथुर, जो एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं आपके उन्होंने अकारण ही इसको परचेज करवाया व उसको काम में नहीं लिया गया। बनास पर जो काम चल रहा है बिना मांग के उनको जबरन वहां भेजा गया। बाकी के कट्टे वहां पर खराब हुए। आप अपने सेक्रेटरी से और अधिकारियों से पूछकर अपने जवाब में इस बात को क्लीयर करें कि यह 15 लाख रुपये आपने खराब किये इसके लिए आपने किसकी रैस्पोंसिबिलिटी फिक्स की। आपका जो प्रोसीजर बना हुआ है। डिमाण्ड आती है नीचे से और सारी कार्यवाही होकर आपके पास जाती है। तो यह जो परचेज हुई वह किस कारण से हुई यह आप बताइये। यह जो जोधपुर की स्कीम आपने बनायी थी। उस स्कीम को बनाते समय आपने यह घोषणा की थी। इसके बारे में मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि 1983 में आपने जो स्कीम बनायी थी वह साढ़े 38 करोड़ रुपये की बनायी थी। वह तकनीकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दृष्टि से पूर्णतया गलत थी और गुमराह करने के लिए स्कीम बनाकर पेश की गयी थी नम्बर एक। नम्बर दो, क्या यह भी सही है कि लिफ्ट कैनाल का ले-आउट अभी तक भी निश्चित नहीं हुआ ? आप कह रहे थे कि इतने किलोमीटर की पाइप लाईन है और इतने किलोमीटर की कैनाल है। जो जो मंत्री बना है वह उसको अपने क्षेत्र की तरफ ले जा रहा है। अभी तक ले-आऊट फाईनल नहीं हुआ आपका। आप इसको प्रधान मंत्री के सचिवालय में तो ले गये लेकिन कम से कम ले-आऊट तो फाईनल करके ले जाओ। ऐसे ही चली जायेगी तो वहां पर क्या कार्यवाही होगी। जैसा मैंने पहले कहा यह स्कीम टेक्नीकली पूर्णतया गलत है। यह पानी नहीं दे सकेगी और पूरी स्कीम अभी तक आपने बनायी ही नहीं है। यह बात भी समझाइये कि पाइप लाइन के स्थान पर ओपन ड्रेन रखने का क्या कारण है ? यह क्यों रखी गयी, और इससे क्या फायदा हुआ ? यह किसकी राय से रखी गयी ? जिस अधिकारी ने यह राय दी है या जिस कमेटी ने यह राय दी है वह इसको फैल करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार हैं। दुबारा आपको इस नहर के साथ-साथ पाइप लाइन भी डालनी पड़ेगी। ऐसा ही साहिवा गन्देली योजना चूरू जिले में हुआ है। मना करते-करते पहले तो ओपन ड्रेन खोदी गयी फिर वह भर गई तो उसके साथ-साथ आठ किलोमीटर की पाइप लाइन और डाली गयी। वैसी की वैसी पहले आप एक नहर खोदो, सीमेंट डालो, एक्सट्रा सीमेंट खरीदो और इसको मिट्टी से भरो और इसके साथ एक पाइप लाइन के डालने से यह दोहरा खर्चा आयेगा। 1992 में क्या इस प्रकार यह 2000 के बाद तक भी पूरी नहीं होगी। यह मेरा पूछना है। तीसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माधवसिंह जी दीवान ने इस योजना को 1989 तक पूरा करने की घोषणा की थी वह किस आधार पर की थी ? मैं इसमें माधोसिंह जी का दोष नहीं मानता। माधोसिंह का दोष तो यही है कि उनको सोच समझकर स्टेटमेंट देना चाहिए। कोई भी अधिकारी जब आप जोधपुर जाओगे तो सोचेगा मंत्री महोदय आ गये, आपकी खुशामद करेगा और स्टेटमेंट का कागज पकड़ा देगा। जिस अधिकारी ने आपको इस योजना को मार्च, 1989 तक पूरा करने सम्बन्धी स्टेटमेंट दिया। आप हमें बताइये वह अधिकारी कौन है ? या फिर आपने यह स्टेटमेंट क्यों दिया ? थोड़े दिन बाद ही अशोक जी गहलोत कहने लग जायेंगे कि मैंने तो 1992 तक का स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर शिवचरण जी माथुर कहेंगे कि मैंने भी नहीं कहा। आप बोलते हो तो मुंह में अंगूठा रखकर बोलते हो क्या ? या चम्मच रखकर बोलते हो ? क्या रखकर बोलते हो आप मुंह में ? तो आप इस बात को स्पष्ट करें कि आपको किस अधिकारी ने गुमराह किया ? उसका नाम आप सदन में स्पष्ट रूप से बतायें। सीमेंट के बारे में मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। सीमेंट जो परचेज की है उसकी एन्क्वायरी हुई है ? इसका आप जवाब दीजिए। यह 60 किलोमीटर की आपकी पाइप लाइन में अब तक मिट्टी भर चुकी है। यह रिपोर्ट भी आपके विभाग के पास है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले कह दिया ना आपने। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक और निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं ये तो आपने कर दिया कि अब आज कल राजस्थान में एक विवाद चल रहा है कि बड़ा चीफ मिनिस्टर कौन है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस डिबेट में आप क्यों पड़ रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैं पड़ रहा हूं। इधर आप गये जोधपुर, वे गये उदयपुर। (व्यवधान) शिवचरण जी माथुर ने उदयपुर जाकर मानसी वाकल परियोजना का शिलान्यास कर दिया। जिस काम में वे मशहूर हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं सदन में खड़ा होकर कि इस मानसी वाकल परियोजना का कहीं अता पता भी है या नहीं ? सिंचाई के किसी बांध या एनीकट का उद्घाटन करने गये थे और मानसी वाकल परियोजना की घोषणा कर दी और यह भी घोषणा कर दी कि 2000 तक उदयपुर में इसका पानी पहुंच जायेगा। ये स्कीम प्लानिंग कमीशन से सेंक्शन हो गई क्या ? डिपार्टमेंट ने इसको बना लिया क्या ? इसकी फाइनेन्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्नीकल सेंक्शन हो गई क्या और ले-आउट बन गया क्या, नक्शे बन गये क्या ? क्या हुआ इस स्कीम का ? शिवचरण जी माथुर वहां चले गये। आपने कहा 92 तक यह बन जायेगी। उन्होंने उदयपुर में कह दिया कि मानसी वाकल सन् 2000 तक मैं बना कर पूरी कर दूंगा। देखते हैं कि असत्य बात करने में ऊपर कौन निकलता है इस कम्पटीशन में। आप जयसमन्द की स्कीम को तो भूल गये। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि आप तो यह बता दीजिए मुझे कि उन्होंने यह भी कह दिया कि इसका प्रथम चरण तो, मानसी वाकल योजना का पेयजल उदयपुर को 2000 में दे देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस पर 117 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। 117 करोड़ रुपये में राजस्थान सरकार कितने देगी ?, केन्द्र सरकार कितने देगी ? प्लानिंग कमीशन से सेंक्शन हो गई क्या ? मैं कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानसी वाकल योजना का कोई अता पता नहीं है। न प्लानिंग कमीशन के पास गई है, न यहां पर स्वीकृत हुई है और शिवचरणजी माथुर ने बिलकुल असत्य भाषण दिया है। इन्होंने जो कुछ किया है उसके डाक्यूमेंट्स आप चाहो तो मैं पेश कर सकता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : भारतीय जनता पार्टी कहां से पानी लाना चाहती है जयसमंद से या मानसी वाकल से ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बैठो पहले।

श्री सी. पी. जोशी : आप भाषण दिये जा रहे हैं। फैसला कर लें उदयपुर को पानी कैसे नहीं देते ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारतीय जनता पार्टी उदयपुर को जयसमंद से पानी देना चाहती है।

श्री सी. पी. जोशी : यह भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट है या घनश्याम जी तिवाड़ी का है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब घनश्याम तिवाड़ी बोल रहा है।

श्री सी. पी. जोशी : तो भारतीय

(श्री सी. पी. जोशी)

जनता पार्टी कहां से पानी लाना चाहती है इसका फैसला कर लें आप ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारतीय जनता पार्टी की बात है कि उदयपुर से... (व्यवधान) नहीं मानसी वाकल तो कोई योजना ही नहीं है । (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी कम से कम यह काम नहीं करेगी कि जिस परियोजना पर 13 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है ।

श्री सी. पी. जोशी : जनता पार्टी के राज में, आप क्या काम करेंगे, वहां का विधायक भारतीय जनता पार्टी का था, मुख्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी का था । कोई काम नहीं किया । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भैरोंसिहजी साहब ने एक गलती की । वहां दो चार पत्थर लगवा देते ताकि इनकी आत्मा को शान्ति मिल जाती ।

श्री सी. पी. जोशी : आपको यह भी पता नहीं है कि मानसी वाकल कहां है और जयसमंद कहां है ? बोलना है इसलिए बोल रहे हैं । आपको जियोग्राफी ही मालूम नहीं है कि मानसी वाकल किस जगह है । आप यह बता दो कि मानसी वाकल किस जगह पर है । बात खत्म हो जायेगी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तिवाड़ी जी बोलें आप । (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : असत्य वक्तव्य नहीं बोलता हूं मैं, सोच समझकर बोलता हूं । आपको मालूम ही नहीं कि क्या स्कीम है और क्या बोल रहे हैं । (व्यवधान) मैं तो गिरजा जी को फेल करना चाहता हूं, आप भैरोंसिंह जी मजबूत करना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 16.16 की जो स्कीम थी उस स्कीम में 8 करोड़ रुपया खर्च हो गया जिसके लिए पाइप खरीद ली गयी, जिसके लिए टैंक बन गये । टैंक बने हुए एवं पाइप आये हुए पड़े हैं । एक ही बात कह रहे हैं । यह 6 परसेंट ही पानी जायेगा जयसमंद का । (व्यवधान) बन गया न डैम, पाइप लाइन भी खरीद ली है । (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप दुबारा इसकी तैयारी करके आओ । कौन सा बना है जयसमंद के पानी के लिए ? (व्यवधान) I know it. Why are you rescuing him ? आप तैयारी ठीक करके बोला करो । आप क्यों रेसक्यू पर आ रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं कि टैंक कहां बने हुए हैं । आपने कहा कि नहीं बने हुए हैं । टैंक बने हुए हैं, पाइप लाइन पड़ी है और 8 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । इस बारे में आपको डर यह है कि तीन कान्स्टीट्यूएन्सीज के लोगों ने विरोध किया और पानी जयसमंद से आयेगा तो कांग्रेस तीन कान्स्टीटयूएन्सीज में हार जायेगी और उदयपुर शहर को पानी मिल जायेगा । इस बात से दुखी होकर आपने फर्जी उद्घाटन वहां पर कराया और सारे उदयपुर की जनता को आप बर्बाद करना चाहते हो ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । तिवाड़ी जी मुझ पर कृपा करो । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गिरिजाजी को फायदा हो जायगा, वह इन तीन कान्स्टीट्युएन्सी में हार जायगी, इस कारण से कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जन-लेखा समिति ने रिपोर्ट दी थी उसके बारे में मन्त्रिमण्डल ने एक तीन मन्त्रियों की समिति बनाई थी और दो आदमियों की जिसमें आई. डी. भार्गव थे और एक और कमेटी नियुक्त की थी। वह टू मेन कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है। उसमें बहुत से आदमियों को दोषी पाया गया है। उसमें चार आदमियों को प्रमुख रूप से दोषी पाया गया। एम बी. जैन जिनको सस्पेण्ड कर दिया और बाद में वह रिटायर हो गये। एफ. ए. एण्ड सी. ओ. मदान साहब, उनको सस्पेण्ड किया और रिटायर हो गये। अब दो आदमी बचे हुए हैं। (गहलोत साहब सुनिये) —

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आपने कहा मैं नहीं बोलूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गोविन्दलाल जी माथुर और दाऊलालजी माथुर जो एडीशनल चीफ इन्जीनियर जोधपुर हैं, उनका भी समान दोष इसमें पाया गया था लेकिन एम बी. जैन को और मदान को, तो आपने निलम्बित कर दिया और इन दोनों को आपने चार्जशीट देकर छोड़ दिया। इसका कारण यह है—

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो मेम्बर थे, यू वर मेम्बर ग्राफ दी कमेटी। और से बहस करवाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो टू मेन कमेटी की बात कह रहा हूं। जो टू मेन कमेटी की रिपोर्ट बनी थी उसका काम करने के लिए उसने कहा था कि इसके आगे और किया गया है। इतना ही नहीं इसके बाद में गोविन्दलालजी के एक्सटेन्शन की फाईल भी आपके पास पहुंचाई। प्रमोशन देने की बात चल रही है और साथ साथ आपको भी यह कहा गया है कि आप गोविन्दलालजी माथुर के एक्सटेन्शन में बाधा उपस्थित न करें, महेन्द्रसिंहजी का भी कर देंगे। मैं आपको कहूंगा कि आप इस चक्कर में न आवें और जो कार्यवाही आपको नियमानुसार करनी है, जो रिटायर हो रहा है उसको रिटायर होने दें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करो। मेरे पर भी तो रहम खाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक बात कहकर समाप्त करता हूं। भारत पाइप और डायनाप्लास्ट पूना की दो कम्पनियां हैं। एक मामला जो आपके विभाग में चल रहा है। इसको आपके विभाग के अधिकारियों से पूछकर बतायें भारत पाइप और डायनाप्लास्ट पूना की दो कम्पनियां हैं। विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत 1987 में टेण्डर हुए थे, पी. वी सी. पाइप खरीदने के और पाइप खरीदते समय उसके अन्दर प्राइस एस्केलेशन का क्लाज नहीं था। इसके बाद में जब उससे परचेजिंग हो गई, उसके बाद प्राइस एस्केलेशन का क्लाज न होते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हुए भी हैडक्वार्टर के जो उस समय चीफ इन्जीनियर थे दाऊदयालजी माथुर, उन्होंने प्राइस एस्केलेशन का क्लाज न होते हुए भी इस कम्पनी को एक्स्ट्रा प्राइज दिलाई और उस पर ए. एस. ओ. ने एतराज किया। मैटेरियल मैनेजमेंट कमेटी ने एतराज करके यह प्रसेस किया कि चालीस लाख रुपया इसमें ज्यादा उस कम्पनी को पेमेन्ट किया गया है। इसके बाद में स्टोर परचेज कमेटी ने रिकमण्ड किया कि चालीस लाख रुपये इसमें ज्यादा लगे हैं और दाऊदयालजी माथुर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय। स्टोर परचेज कमेटी में आपके सेक्रेट्री भी होते हैं, आपके चीफ इन्जिनियर भी होते हैं। इन सबकी सिफारिश के बाद भी बात हुई लेकिन इस कार्यवाही को रोक दिया गया। तो मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि इन चार बातों का आप स्पष्टीकरण कर दें और बातें आपसे बाद में करेंगे। एक तो 15 लाख की सीमेन्ट खरीदी गई, चालीस लाख का जो खर्चा हुआ और स्टोर परचेज़ कमेटी ने और आपके डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई, यह दोनों एक्शन क्यों नहीं हुए। टू मेन कमेटी ने जो आपको रिपोर्ट दी। जन-लेखा समिति के हिसाब से, उस रिपोर्ट के आधार पर आपने क्या कार्यवाही की। आपने जो घोषणा की वह किस आधार पर की और माथुर साहब ने जो घोषणा की वह किस आधार पर की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवरंगसिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन बातों का मैं आपसे जवाब चाहूंगा। बात बहुत है लेकिन बाद में बात करेंगे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : नवरंगसिंहजी आपको बोलना है ? मैं आपको आवाज दे रहा हूं।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 पर मुख्य रूप से झुन्झुनूं और सीकर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय भूतपूर्व जनस्वास्थ्य मन्त्री ने पिछले सत्र में मुझे आश्वस्त किया था कि जर्मनी से या कहीं से पैसे लाकर हम झुन्झुनूं के खारे पानी के स्थान पर इन्दिरा गांधी नहर से दूसरी जगह से पानी लाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रगति रिपोर्ट आई है इसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झुन्झुनूं जिले का उत्तरी हिस्सा जो है वह खारे पानी का है। इसी तरह से जो बाकी हिस्सा है चाहे वह खेतड़ी सब डिवीजन है चाहे वह नवलगढ़ सब डिवीजन है चाहे सीकर का नीमकाथाना का सब डिवीजन है पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में पानी झरने से आता है। इन वर्षों में कम वर्षा होने के कारण बिल्कुल पानी का अभाव है और पानी सूख गया है। इसलिये मेरा निवेदन यह है, माननीय मंत्री महोदय, आपने जोधपुर के लिए तो प्रधान मंत्री तक सैल बना दिया, लेकिन इस पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके को भी आप देखिये। हमको पानी मिलना था जवाहरलाल यमुना और गंगा का। जो पानी सिंचाई का था, माननीय सिंचाई मंत्रीजी से दस तारीख को मेरा सवाल है उस दिन पूछूंगा। आपसे कहना चाहूंगा कि आखिर करते-करते भारत

(श्री नवरंगसिंह)

सरकार ने यह कहा कि हम खेतड़ी के प्रोजक्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ पीने का पानी उस योजना से झुन्झुनू जिले को देंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि वह योजना लागू नहीं नहीं हो रही है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करके जो प्रधान मन्त्री के आपने बहुत बड़ा सैल बना दिया, तो मेहरबानी करके झुन्झुनू और सीकर को बचाइये और वहां से जवाहरलाल नेहरू नहर से जो हमको पानी मिलना है वह पानी दिलाकर झुन्झुनू में स्थायी रूप से पानी की व्यवस्था कराइये। इसी तरह से मैंने कहा झुन्झुनू जिले का उत्तरी भाग और खासतौर से फतेहपुर का जो हिस्सा, लोक सभा के हिसाब से आपके झुन्झुनू में ही पड़ता है वहां भी खारा पानी है। मैं चाहूंगा कि उस योजना के तहत यह कहा गया था, आश्वस्त किया गया था, जब भाटीजी मन्त्री थे और उसके बाद भी जन-स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने इस हिस्से में इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट का पानी लाकर पीने के पानी की व्यवस्था की जायगी। मैं चाहूंगा कि इन दोनों सवालों का जवाब आप अभी दें कि इसके लिए आप क्या करेंगे।

एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इलाके जिनका मैंने जिक्र किया खासकर नवलगढ़ सब डिवीजन में, एक उदयपुरवाटी गुढ़ा विधान सभा क्षेत्र है जहां आपकी सत्ताधारी पार्टी का ही विधायक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में डार्क जोन घोषित कर दिया, न सिचाई का पानी है, न पीने का पानी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरह के इलाके में जहां डार्क जोन है चाहे वह खेतड़ी का इलाका है चाहे उदयपुरवाटी का इलाका है चाहे पिलानी चिड़ावा का इलाका आ गया और धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि यह जो आपका लम्बा मुंह चला है कांग्रेस का यह सारा डकार जायेगा और नाबार्ड सब जगह पाबन्दी लगा देगा। कहीं किसानों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन बातों पर आप गौर करें, क्योंकि आप प्रगतिशील हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नवरंगसिंह : इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र के बारे में भी, उपाध्यक्ष महोदय, कि ढाणियां खासकर मेरे क्षेत्र में जो हैं सब डिवीजन नवलगढ़ का विधान सभा क्षेत्र है, विधान सभा क्षेत्र गुढ़ा में ही ज्यादातर ढाणियां हैं क्योंकि लोग सब्जी व दूसरा काम करते हैं, धीरे-धीरे जाकर ढाणियों में बसते हैं, कहीं तीन सौ की आबादी, कहीं ढाई सौ की आबादी कहीं दो सौ की आबादी। आपके राजस्व विभाग वालों ने कह तो दिया कि हम राजस्व विलेज बनाकर इनका प्रबन्ध करेंगे। लेकिन कभी नक्शे के बहाने से, दूसरे बहाने से राजस्व विलेज तो बना नहीं रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि उन ढाणियों में पानी की समुचित व्यवस्था हो क्योंकि तकलीफ है लोगों को। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं मैं सदन में पेश करता हूं और माननीय मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि मैंने जो अहम सवाल उठाये हैं झुन्झुनू व सीकर में पानी देने का उसके बारे में आप हमें कोई न कोई आश्वासन देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमज़ान खां ।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस जगह का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तीर्थराज पुष्कर, जिसके साथ करोड़ों लोगों की भावनायें जुड़ी हुई हैं। तीर्थराज पुष्कर के अन्दर एक पवित्र सरोवर है। आज के चार वर्ष पूर्व इस सरोवर के अन्दर पूरे शहर का गन्दा पानी गिरता था। जैसाकि सभी जानते हैं कि पुष्कर राज के सरोवर से भगवान की मूर्तियों को नहलाया जाता है, चरणामृत होता है और दूर-दूर के लोग शीशियों में इस पवित्र जल को भरकर ले जाते हैं। जब मैं वहां विधायक बनकर गया और मैंने इस बात को देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इस बात को मैंने विधान सभा में और विधान सभा के बाहर उठाया तो जल निस्तारण योजना के तहत दो योजनायें यहां पर बनाई गई एक पचास लाख रुपये की और एक दो लाख 65 हजार की। बड़ी कोशिश करने के बाद सतरह लाख रुपये की जल निस्तारण योजना तो सरकार ने बना दी और वह सफलतापूर्वक आज कार्य कर रही है जिसे मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं कि आज 75 प्रतिशत नगर का गन्दा पानी इस पवित्र सरोवर में नहीं जा रहा है। परन्तु मैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरा चरण जो केवल मात्र दो लाख 65 हजार रुपये का तखमीना बना हुआ है। आपके चीफ इन्जीनियर साहब के कार्यालय में स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ है। आप जब यह जवाब दें तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि आज के दिन तीर्थराज पुष्कर की भावनाओं को देखते हुए इस जल निस्तारण योजना के दूसरे चरण की दो लाख पैंसठ हजार रुपये की आप घोषणा करेंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है ताकि हम यहां पर कह सकें कि पुष्कर नगर का एक बून्द गन्दा पानी भी पवित्र सरोवर के अन्दर नहीं जा रहा है।

दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा हूं कि अजमेर शहर को पानी दिया जा रहा है अजमेर को पानी देने से वहां के खेत सूख गये, लोगों के कुओं सूख गये लेकिन उन गांवों को कुछ भी फायदा नहीं दिया गया है, फायदा देना तो अलग बात है उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु उन गांवों को डार्क जोन में घोषित कर दिया। अब पानी अजमेर शहर को दे रहे हो और उन गांवों को डार्क जोन में घोषित कर दिया जिसकी वजह से दूसरा लाभ जो उन गांवों को मिलना चाहिए डार्क जोन में घोषित हो जाने के बाद वह लाभ नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कोशिश करके गोविन्दगढ़ बांध का तखमीना बनवाया और गोविन्दगढ़ का तखमीना बन करके चीफ इन्जीनियर से पास हो करके सेक्रेट्री सिचाई विभाग के सैल आफ प्रोजेक्ट में आज पिछले दो वर्ष से पड़ा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों का पानी अजमेर शहर को तो दिया जा रहा है उसमें तो मैं एतराज नहीं करना चाहता क्योंकि पीने का पानी देना सबसे जरूरी बात है परन्तु जो तखमीना सिचाई विभाग के सेक्रेट्री साहब के सैल आफ प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह तखमीना स्वीकृत हो और अजमेर नगर परिषद् में भी मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के काफी गांव आये हुए हैं, शहर को तो पानी

(श्री रमजान खां)

मिल जाता है मंत्री महोदय, परन्तु इसी नगर परिषद के अन्दर जो गांव हैं उनके अन्दर नल लगाना तो बहुत दूर की बात है, हैण्ड पम्प लगाने में भी बड़ा भेद-भाव होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी नगर परिषद सीमा के गांव हैं वहां पर भी हैण्ड पम्प लगाने की पूर्ण व्यवस्था की जावे। जहां तक तीन हजार की आबादी के गांव हैं वहां पर पनघट योजना भी स्वीकृत की जावे। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गगवाना गांव की 1962 पी. एण्ड टी. योजना शुरू हुई थी, कुआं भी खोदा गया, ट्यूब वैल भी लगाई गई; टंकी भी बना दी गई मगर 27 वर्ष में वह पी. एण्ड टी योजना कामयाब नहीं हुई। उसका मुख्य कारण है कि वह योजना विभाग संचालित नहीं कर रहा है। बार बार ग्राम पंचायत से दी जा रही है। इसी तरह से कायड़ और रामनेर की ढाणी, में वहां बहुत ही खारा पानी है। इस के तखमीने भी बन कर के हमारे एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने जयपुर में चीफ इन्जीनियर साहब के पास भेजे है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह तखमीने भी स्वीकृत किये जायें। इस वक्त नगर परिषद के गांव तबीजी में पानी की बड़ी किल्लत है। केवल 15 दिन में एक दफे टैंकर गया शक्ल दिखा कर आ गया, वहां पर टैंकर के द्वारा पानी सप्लाई कीजिये। गोविन्दगढ़ के अन्दर भी पानी की बहुत किल्लत है वहां भी टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जाये। मैं अधिक समय नहीं लेकर इतना ही कहूंगा। मुझे आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल पांच मिनट में।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं विस्तार से बताता। दुर्भाग्य है कि सुजानगढ़ तहसील के सम्बन्ध में समय समय पर जब मैंने 295 में ध्यान आकर्षण द्वारा मुद्दा उठाया आपके विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 155 गांवों में से 140 गांव समस्याग्रंद हैं और 5 गांव उनमें कोई समस्या नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ तहसील ऐसी अभागी है उधर हम नागौर से पानी पीते है लाडनूं से, और पूर्वी साईड के जो गांव हैं वह सीकर से सेखम की ढाणी और मगूना से पानी पीते हैं। चालीस चालीस किलोमीटर ऊंचे ढेर ऊबड़ खाबड़ पाइप लाइन पडी है पानी सप्लाई नहीं होता है।

दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाडनूं से जब पानी आता है वह पानी ऐसा हैं कि मैंने पिछली बार विधान सभा में वह पाईप भी रखा इस तरह का उसमें एक पदार्थ है जो पाइप का व्यास धीरे धीरे कम होता होता कम से कम आधा इंच रह जाता है। टंकी में पानी है लेकिन पाइप से सप्लाई नहीं होता। उसकी जांच के लिये मैंने कहा, पाइप यहां रखा लेकिन उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने यह भी कहा कि यह जो पाइप लाईन है। इसको रिप्लेस किया जाये उनको जांच करके दुबारा लगाया जाये लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। टेक्नीकल बात है पानी आता है लेकिन जगह जगह जाम पड़े हैं। शक्तावत साहब से निवेदन किया था, पहले जो मंत्री थे, शीशराम जी ओला मन्त्री थे 10-12 गांव ऐसे हैं जो सेठों की ढाणी हैं नगवाना से पानी आता है, पानी तो वहां आता है लेकिन जो बिजली फीडर है वह

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

सीकर जिले में है। आपका विभाग कहता है कि सिर्फ 6 घण्टे बिजली दी जाती है। अब न तो हमारा कहना मानते हैं सीकर के स्टाफ वाले और बार बार निवेदन भी किया और हां, भी भरी और जलदाय विभाग ने तीन लाख कुछ रुपये दे भी दिये लेकिन अभी तक वह ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। उसके लिये कोई उपाय है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चूरू जिले में सबसे भयंकर समस्या है और सबसे ज्यादा मेरे सुजानगढ़ क्षेत्र में है। 140 गांव समस्या ग्रस्त है शायद राजस्थान में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से चाहूंगा कि सुजानगढ़ के बारे में, हालांकि चूरू जिला है, रतनगढ़ है, सरदार शहर है, चूरू है यह सारे के सारे पानी के प्यासे हैं लेकिन आप रिकार्ड मंगा कर देख लीजिये सुजानगढ़ तहसील सबसे ज्यादा समस्याप्रद है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप कर सकते हैं तो कर दीजिये, चार साल से चिल्ला कर रो लिया, कुछ भी नहीं होता है। आपके अधिकारी लिख देते हैं यह हो रहा है वह हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भोलाराम जी

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 के समर्थन में मेरे विचार रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं नकारा जा सकता कि राजस्थान में जलदाय विभाग ने जलदाय योजना काफी चलाई है। आजादी से पहले जयपुर शहर के अलावा कहीं भी राजस्थान में जलदाय योजना नहीं थी। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें जलदाय विभाग की जलदाय योजना नहीं है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं भारत तो बहुत लम्बा चौड़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार ने पानी की भयंकर अकाल की समस्या में भी पानी की व्यवस्था सरकार ने की है इसको नकारा नहीं जा सकता। हमारी सरकार की यह नीति है कि हर जगह-जगह हर गांव में हर ढाणी में पानी की व्यवस्था की जावे। जहां वंचित रह गई है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कि जो छोटी-छोटी ढाणियां हैं 250 की 200 की आबादी की वह दूर-दूर बसते हैं जल प्रदाय योजना गांव और शहर में रह जाती है और ढाणियां दो-दो तीन-तीन किलोमीटर दूर-दूर बसी हुई है वहां हैण्ड पम्प की व्यवस्था के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगाने के लिए चीफ इंजीनियर जलदाय विभाग को लिखकर दे रखा है। माननीय मंत्री महोदय को भी मैंने लिखकर दे रखा है लेकिन अभी तक कुल मेरे यहां 15–16 हैण्ड पम्प लगे हैं और ढाणियों में हैण्ड पम्प और लगवाये जायें, यह मेरा निवेदन है। दूसरा, बौरा ग्राम में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है उस टंकी का कार्य चालू नहीं है, उसको चालू कराया जाये।

नगरपालिका क्षेत्र उदयपुरवाटी में कुछ भाग में खारा पानी है उसमें दो टंकियों की योजना बनाई हुई है, एक टंकी बनी हुई है वह छोटी है उससे पूर्ति नहीं

(श्री भोलाराम सैनी)

होती है, भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है, उन टंकियों का कार्य भी चालू करवाया जाये।

तीसरा जो छोटी-छोटी स्कीम्स् चालू हैं वहां पाईप की बहुत कमी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी हम एक्स. ई. एन., झुन्झुनूं के आफिस में जाते हैं तो वह कहते हैं कि सरकार हमें पाइप नहीं दे रही है. पाइप हमारे पास नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पाईप हमें दिलायें जायें ताकि जहां-जहां स्कीम्स् चालू हैं वहां-वहां पाइप बिछा कर उनको पीने का पानी दिलाया जाये। हमारे आस-पास में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जलदाय विभाग की टी. एस. एस. योजना लागू नहीं है पूर्ति सब जगह हो रही है लेकिन जहां जलदाय विभाग की योजना चालू हो गई है जहां मोहल्लों में पानी पहुंचाना था उस जगह पानी नहीं पहुंचाया गया है और पाइपों के अभाव में पानी नहीं पहुंचाया गया है। ए.ई.एन. उदयपुरवाटी हमारे यहां लगता है। दूसरा मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे यहां काफी योजनायें हो चुकी हैं और एक ए. ई. एन. के अण्डर में तीन जे. ई. एन. हैं इसलिए क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा होने के नाते मैं एक जे. ई. एन की पोस्ट के लिए और निवेदन करूंगा। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद जयहिन्द।

(रात्रि 11-00)

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री नारायणराम बेड़ा : आप का जवाब तो हम पंचायत एवं सामुदायिक विकास की मांग पर सुन चुके हैं। आप ने मास्टरों का फैसला कर दिया भगवान के लिए कृपा कर हमें छोड़ दीजिये पानी।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : जिनके लिए सबसे महंगी योजना बना रहे हैं पानी की, वही इस तरह बोल रहे हैं।

श्री माणक डाणी : आप जवाब देने के पहले इतनी अधिक पानी की व्यवस्था कीजिए कि सुजानसिंह जी की मछलियां नहीं मरनी चाहिए।

श्री रमजान खां : जवाब के टाइम मन्त्री जी उठ कर चले गये।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि यह जो संसार बना है पांच तत्वों से बना है और यह मनुष्य का शरीर जिसमें पांच तत्व प्रमुख हैं, और उस में भी जल का प्रमुख स्थान है। पृथ्वी के 3/4 भाग में पानी है और केवल 1/4 थलभाग है इस का अर्थ यह है कि पानी की इतनी बड़ी जरूरत है....

श्री नवरंग सिंह : माननीय मन्त्री महोदय से जवाब दिलाया जाय।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : घनश्याम जी ने दो ही बातें पूछी हैं। आप ने जो पूछा है वह बता दूंगा बाकी का जवाब मन्त्री जी दे देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो +++ सदन की।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जोधपुर में विशेष योजना से पानी आ रहा है आप को तकलीफ किस बात की है। जोधपुर के लिए क्यों शंका करते हैं जोधपुर को पानी मिलेगा। और उदयपुर में जो स्केयरसिटी है, जो शंकायें आपने की हैं वह भी गलत हैं।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री जी को जवाब देना चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : यह परम्परा रही है हाउस में कि पहले राज्य मन्त्री जी जवाब दें फिर मन्त्री।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मन्त्री जी से कहला देंगे, आप बैठिये। (व्यवधान) आप ने पहले भी मन्त्री जी की आलोचना की है और गलत की है। मन्त्री जी ने जो कहा है वह काम होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : होगा सो होगा लेकिन मन्त्री जी जवाब देंगे तो हम सुनेंगे नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह भी मन्त्री हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पेयजल का +++ बना रहे हैं, बहस का जवाब नहीं देना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : वैसे परम्परा तो यह रही है कि जो कन्सर्न्ड मिनिस्टर हैं वह बहस का जवाब देता है परन्तु कई बार सदन में बहस का उत्तर स्टेट मिनिस्टर ने भी दिया है और उसके बाद आवश्यक हो अगर तो मन्त्री महोदय बहस का जवाब देते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज यहां +++ बनाया जा रहा है, यह सरकार सदन का मजाक बना रही है। इस +++ के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं। सरकार के पास बहस का जवाब नहीं है वह +++ बनाना चाहती है इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहस को सीरियसली लिया गया, सरकार के सीनियर मिनिस्टर जवाब नहीं देना चाहते। ऐसी स्थिति में हम इस बहस का जवाब नहीं सुनना चाहते, हम बहिष्कार करते हैं।

(जनता दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के साथी इसलिए भाग गये कि वे जानते हैं कि राजस्थान के अधिकांश गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हो चुकी है और जितने भी शहर हैं वहां भी पीने के पानी की व्यवस्था है। जहां कमियां हैं उनके लिए हमने योजना पेश कर दी है। अब सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सन् 1972-73 के अन्दर जो योजनायें बनायी थीं वह 1985 तक 24,037 गांवों को ऐसा घोषित किया था जिनमें पानी देने की बात थी। उन 24,037 गांवों में से 3398 गांव 1985 में और 1986 में 5595 गांवों को पानी देने के

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

लिए तय किया । कुल मिलाकर हम 30,923 गांवों को पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं और जो गांव शेष बचे हैं उन गांवों को भी 1990 तक पानी दे देंगे। समस्याग्रस्त गांवों को भी पानी दे देंगे। जहां तक शहरों का सवाल है जयपुर शहर के लिए हमने योजना बनायी है.... बाण्डी की योजना बनायी है....

श्री उपाध्यक्ष : हाउस इज सेटिस्फाइड।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आगे चल कर पूरी होगी तो बीसलपुर की लायेंगे जोधपुर की व्यवस्था है, उदयपुर की व्यवस्था है मतलब शहरों और गांवों के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था की है। किसी को पानी के लिए दुःख नहीं पाने देंगे यह मैं सरकार की ओर से वायदा करता हूं ।

मांग संख्या 27 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु० 2 अरब, 80 करोड़, 83 लाख 98 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 जुलाई, 1989 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.08 बजे सोमवार दिनांक 10 जुलाई, 1989 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

(292)

तारांकित प्रश्न संख्या 145 की सूची

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-"अ"

श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०, केशोरायपाटन जिला बून्दी को वर्षवार हुए घाटे की तालिका

(राशि लाखों में)

क.सं.	वर्ष	लाभ	हानि
1.	1971-72		(-) 46.69
2.	1972-73		(-) 37.95
3.	1973-74		(-) 12.64
4.	1974-75	(+) 14.35	
5.	1975-76		(-) 27.05
6.	1976-77		(-) 24.60
7.	1977-78		(-) 11.11
8.	1978-79		(-) 81.51
9.	1979-80		(-) 82.85
10.	1980-81		(-) 55.81
11.	1981-82		(-) 44.04
12.	1982-83		(-) 35.99
13.	1983-84		(-) 82.06
14.	1984-85		(-) 112.23
15.	1985-86		(-) 97.42
16.	1986-87		(-) 40.09
17.	1987-88 एवं 1988-89 (31.3.89)		(-) 72.50
			(-) 864.54

शुद्ध हानि रुपये 850.19 लाख

तारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची

परिशिष्ट–2

तालिका

डाहरा, चोमा एवम् खातीखेडा से कोटा जिले की सांगोद व दीगोद तहसीलों में वर्षवार सिंचाई आंकड़े।

क्र.सं.	नाम सिंचाई बांध	तहसील	प्रस्तावित सिंचाई (एकड़)	वर्षवार वार्षिक सिंचाई (एकड़ों में) 84-85	85-86	86-87	87-88	88-89
1.	डाहरा	दीगोद	473	—	—	262	—	259
2.	चोमा	दीगोद	207	36	—	37	—	—
3.	खातीखेडा	सांगोद	286	47	15	130	—	—

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

आयुर्वेदिक औषधालय के चिकित्सक के विरूद्ध शिकायतें

147. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या आयुर्वेद-राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय रोडू, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के प्रभारी वैद्य के विरूद्ध कोई शिकायत सरकार को मिली ? यदि हां, तो क्या-क्या और उन पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की ? यदि कोई जांच की गयी हो तो जांच रिपोर्टों और शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वैद्य के विरूद्ध शिकायतों की जांच जिला आयुर्वेद अधिकारी नागौर ने भी की थी ? यदि हां, तो कब एवं किसने शिकायत की ? उनके द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट और शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? कार्यवाही की अनुपालना कब हुई और अब क्या कार्यवाही शेष है, जो कब तक की जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, रोडू (नागौर) के आयुर्वेद चिकित्सक श्री दीनदयाल शर्मा के विरूद्ध ग्राम रोडू के निवासियों की एक शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत में राजनीति में भाग लेना, औषधालय के परिचारक व कम्पाउण्डर को तंग करना, कम्पाउण्डर श्री भागचन्द को परिवर्तन पर रिलीव नहीं करना, चिकित्सा कार्य से अनभिज्ञ होना, रोगियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होना, इलाज के बहाने रोगियों से राशि लेना, ज्यादातर समय औषधालय के भीतर अपने निवास में बिताना व फीस लेना, ग्रामवासियों के साथ अशोभनीय व्यवहार करना फिर भी चाहे रोगी कैसा भी बिमार हो औषधालय में कुर्सी से नीचे नहीं उतरना, रोगारोग्य प्रमाण पत्र बेचना, इलाज असंतोषजनक होना आदि बिन्दु अंकित हैं।

प्राप्त शिकायत पर जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर द्वारा उनके पत्रांक 1328 दिनांक 5.4.89 से जांच प्रतिवेदन निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिकायतें तथ्यहीन होना बताया गया एवं ग्राम में उक्त वैद्य के विरूद्ध उत्पन्न धड़ेबन्दी को दूर करने तथा दोनों ग्रुपों में सामंजस्य बैठाने के लिये उक्त वैद्य का अन्यत्र परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया।

प्राप्त शिकायत पत्र की प्रति (परिशिष्ट 'क") एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति (परिशिष्ट "ख) सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां, वैद्य दीनदयाल शर्मा के विरूद्ध ग्राम रोडू (नागौर) के ग्रामवासियों द्वारा की गई उक्त शिकायतों की जांच जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर ने दिनांक

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

1.4.89 को की हैं। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर प्रश्न के भाग एक के उत्तर में रख दी गई हैं।

(3) जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर के द्वारा दिये गये निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि वैद्य श्री दीनदयाल शर्मा के विरूद्ध लगाये गये आरोप निराधार एवं द्वेष भावना से प्रेरित हैं। तथापि चूंकि वे उस स्थान पर विवादास्पद अधिकारी थे अत: उनका स्थानान्तरण आयुर्वेद औषधालय, रोडू (नागौर) से आयुर्वेद औषधालय, लवेरा (अजमेर) में आदेश क्रमांक 9429-37 दिनांक 24.4.89 से कर दिया गया। जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर ने भी उक्त परिवर्तन आदेश क्रमांक 2069-77 दिनांक 29.4.89 द्वारा प्रसारित कर दिये किन्तु अभी तक उक्त वैद्य ने परिवर्तित स्थान औषधालय, लवेरा (अजमेर) में ड्यूटी जोईन नहीं की है। इस सम्बन्ध में निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के पत्र क्रमांक 22261 दिनांक 4.7.89 से उक्त वैद्य को शीघ्र कार्यमुक्त कर परिवर्तित स्थान पर ड्यूटी जोईन कराने की व्यवस्था हेतु जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर को निर्देश दिये जा चुके हैं। वैद्य श्री दीनदयाल शर्मा को शीघ्र ही कार्यमुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही हैं।

परिशिष्ट—"क"

श्री दीनदयाल शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक के विरूद्ध आयुर्वेद औषधालय, रोडू (नागौर) के कार्यकाल की शिकायत प्रति।

सेवा में,

श्रीमान् मांगीलाल जी आर्य,
राजस्थान आयुर्वेद मंत्री महोदय,
जयपुर (राजस्थान)

विषय :—चिकित्सा अधिकारी राज. आयुर्वेदिक औषधालय, रोडू की अनियमितताओं के क्रम में।

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे ग्राम के आयुर्वेदिक औषधालय के प्रभारी श्री दीनदयाल शर्मा निम्न तथ्यों के आधार पर अयोग्य लापरवाही अकर्मण्य कर्मचारी की श्रेणी में हैं।

(1) श्री दीनदयाल शर्मा जी राजनीति में पूर्ण तथा आशीर्वाद बनकर सरपंच श्री पदमसिंह जी के कहने के मुताबिक ही पार्टी के सदस्य के रूप में ही देखते हैं कहते हैं।

(2) औषधालय के कर्मचारियों की ईर्ष्या की भावना के मुताबिक परिचारक को घर

(290)

का काम करने वास्ते परेशान करते तथा कम्पाउण्डर को भी हर तरह से परेशान करने की कोशिश करता रहता है इस वजह से ही प्रभारी जी ने विभागीय आदेशानुसार कम्पाउण्डर भागचन्द का स्थानान्तरण कभी का करीबन 1½ माह पूर्व हो चुका है मगर सरपंच व प्रभारी जी ने राजनीतिक भावना को रखते हुए यहां से कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं।

(3) चिकित्सा कार्य के अनभिज्ञ होने से रोगियों को बाहर अन्य स्थान पर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है प्राय: कर बीमारों के औषधालय में आते ही बीमारों से शहर जाने को कहा जाता है जिसका प्रमाण रोगी रजिस्टर है।

(6) प्रभारीजी का रोगी के साथ व्यवहार चिड़चिड़ा रहता है जिससे औषधालय में झगड़ा सा होता रहता है। रोगियों की संख्या कम ही देखने को मिलती है।

(7) ईलाज के बहाने रोगियों से राशि ली जाती है जिससे रोगी इस अधिभार को सहन करने में असमर्थ है।

(8) प्रभारी महोदय ज्यादातर अपना समय औषधालय के समय के अलावा भी भीतरी अपने निवास स्थान पर ही बीताते हैं ताकि बीमारों से अन्दर में फीस ली जा सके। औषधालय समय में ही भीतरी निवास पर 10.00 रुपये फीस ली जाती है।

(9) प्रभारी अधिकारी महोदय का व्यवहार अधिकतर ग्रामवासियों के साथ अशोभनीय रहता है। प्रभारी जी से संतोष कुमार लोहिया एवं गौरीशकर आदि को कई दफा औषधालय में लताड़ सुनानी पड़ी है कि यहां से निकल जावें यह सरकारी दफ्तर है न कि तुम्हारा किसी का मकान है।

(10) श्रीमान् से खोखली पदरूचि गरिमा की भरमार देखने में पाई जाती है प्राय: कर देखते हैं कि प्रभारी औषधालय में बैठते हैं तो कुर्सी से नीचे ही नहीं उतरते चाहें बीमार कैसा ही क्यों न हो।

(11) प्रभारीजी मेडिकल सर्टिफिकेट का धन्धा करीबन 2 साल से जोरों से चालू कर रखा है :- रामबास रोडू के बच्चों को जो कि स्कूल रोडू में पढ़ते हैं वो पिछली साल 20/– रु. प्रति बालक के हिसाब से सर्टिफिकेट देते हैं जो कि स्कूल रेकार्ड में मौजूद है। सबीरखां पुत्र भवरू खां खोखर को पिछली साल भी बीस रुपये में सर्टिफिकेट दिया तथा अर्द्ध वार्षिक में भी बेचा है। नेमाराम मंडास एल.डी. सी. बिजली बोर्ड विभाग, सांचोर में सहायक अभि. आफिस में हैं से 50/– रुपये लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है। भंवरसिंह, लेडी 48 वर्ष को दि. 26.10.88 से 4.11.88 तक भंवरलाल पुत्र जेतमल उम्र 50 वर्ष को दिनांक 26.10.88 से 4.11.88 तक का सर्टिफिकेट बेचा है। फिलहाल में ही लेडी के अध्यापक भवरसिंह जी को भी मेडिकल सर्टिफिकेट बेचा है।

(12) रोगियों का किया गया ईलाज असंतोषजनक देखा गया है जैसे कि रेएक्सन या पक जाना है।

(13) प्रभारीजी को आगे भी उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इस प्रकार से उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर श्रीमान् जी से निवेदन है कि आप इन तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करके इनके प्रति आवश्यक कार्यवाही करें यदि ऐसा नहीं हुआ तो ग्राम रोडू के ग्रामवासी इस नुकसान की पूर्ति कभी भी सहन नहीं कर पायेंगे। यदि इन तथ्यों की छानबीन नहीं की गई तो गांव में पैदा होने वाले असंतोष की जवाबदारी आपकी हो जायेगी। सूचनार्थ प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

ग्रामवासी ग्राम-रोडू

तह. लाडनूं, जिला-नागौर।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. श्रीमान् निदेशक, आयुर्वेद विभाग-अजमेर।
2. श्रीमान् उप निदेशक, राज. आयुर्वेद विभाग, जोधपुर।
3. श्रीमान् सांसद महोदय क्षेत्र-चूरू।
4. श्रीमान् विधायक क्षेत्र-लाडनूं।
5. श्रीमान् सचिव, राज. स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. श्रीमान् आयुर्वेद मंत्री राजस्थान सरकार-जयपुर।

ह०

प्रधान

ग्राम दानीगांव तीलोकपुरा   हस्ता. घमाराम,   ह. सत्तार   द. कमुखांभाटी।

लाडनूं (नागौर) राज.   पंच गुलाब नबी वार्ड नं. 5

ह०

पेमाराम पंच वार्ड नं. 2

अंगूठा-फूले खां, अंगूठा-सफी फरीदा, अंगूठा-मांगीलाल हरिजन।

अंगूठा-निजामुद्दीन, अंगूठा-मंजीरखां, अंगूठा-करीम खां।

नोट :— शिकायत पत्र में शिकायत क्रमांक 3 के बाद 6 अंकित किया जाकर आगे क्रम संख्या अंकित की गई है।

परिशिष्ट 'ख'

श्री दीनदयाल शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय रोड़ू (नागौर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर की जांच रिपोर्ट की प्राप्ति।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 1328 दिनांक 5-4-89 जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर की ओर से निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर को।

विषय :- वैद्य दीनदयाल शर्मा, औष. रोड़ू (नागौर) के विरुद्ध शिकायत की जांच।

प्रसंग :- निदेशालय पत्रांश 1/प्रा./जां./296/89/5973 दिनांक 29-3 89

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा के चालू बजट सत्र में तारांकित प्रश्न सं. 2 द्वारा श्री मोहनलाल व श्री हरजीराम बुरड़क प्राप्त हुआ था। उसके सम्बन्ध में चाही गई जानकारी प्रस्तुत है।

वैद्य श्री दीनदयाल शर्मा की एक शिकायत 8/12/88 को कार्यालय में प्राप्त हुई थी, निर्देशानुसार 1-4-89 को उसकी जांच की गई है। जांच के दौरान कुछ ग्रामवासियों के बयान भी लिये गये। कुछ से मौखिक जानकारी भी प्राप्त की गई है। औषधालय स्टाफ से भी जानकारी प्राप्त की गई हैं जांच के दौरान निम्न तथ्य लक्षित हुए हैं।

(1) ग्राम रोड़ू के निवासी दो धड़ों (पार्टियों) में विभक्त है एक धड़ा वैद्य दीनदयाल शर्मा का प्रशंसक एवं समर्थक है उनका कहना है कि वैद्य श्री दीनदयाल शर्मा का कार्य व्यवहार अच्छा है, इनकी चिकित्सा सेवा से ग्रामवासी पूर्ण सन्तुष्ट हैं अतः इन्हें ही राज. आयु. औष. रोड़ू में रखा जावे किन्तु इसके विपरीत दूसरा धडा इनसे असन्तुष्ट है उनका कहना है कि वैद्य दीनदयाल शर्मा पार्टीबाजी में भाग लेते हैं। अतः यहां से स्थानान्तरण कहीं अन्यत्र किया जावे।

(2) वैद्य दीनदयाल शर्मा के प्रशंसकों में वहां के सरपंच श्री पदमसिंह पत्रांक (1) वार्ड नं. 2 के पंच श्री शौकिन शाह पत्रांक (2), वार्ड नं. 4 के पंच भोपाल सिंह पत्रांक नं. (3) अन्य ग्रामीण पत्रांक 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिनमें कुछ हरिजन जाति एवं पिछड़ी जाति के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है इन सभी लोगों ने बयानों के द्वारा अवगत कराया है कि वैद्य श्री दीनदयाल शर्मा का कार्य व्यवहार अच्छा है, सभी की चिकित्सा सेवा भावना से करते हैं, इनसे ग्रामवासियों को कोई शिकायत नहीं है। सरपंच महोदय वहां उपस्थित थे उन्होंने मेरे समक्ष लिख कर दिया कि पूर्व कम्पाउण्डर पीथाराम ही इस प्रकार की शिकायत करवाता रहता है एवं आज भी इधर उधर रहकर लोगों

को बहका रहा है, जब वह रोडू में कार्यरत था तो एलोपैथिक प्रेक्टिस करता रहता था उसके स्थानान्तरण के बाद अब औषधालय में शान्ति है। हम सब लोग वैद्य दीनदयाल शर्मा की चिकित्सा से सन्तुष्ट है।

(3) इसके विरूद्ध वैद्य दीनदयाल के असन्तुष्टों में वार्ड नं. 1 से पंच पेमाराम पत्रांक (10) वार्ड नं. 5 के पंच गुलाब नवीन पत्रांक (11) वार्ड नं 7 के पंच नजीब खां पत्रांक (12) एवं उन पत्रांक (13) एवं कुछ हस्ताक्षरों से युक्त पत्रांक (14) के द्वारा लोगों ने अवगत कराया कि वैद्य दीनदयाल शर्मा पार्टी बाजी में भाग लेते हैं। रुपये लेकर इन्जेक्शन लगाते हैं। अतः इनका स्थानान्तरण यहां से किया जावे, हम लोग इनकी सेवा से सन्तुष्ट नहीं है।

प्राप्त एवं संलग्न शिकायत पत्र पर बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत है,

(1) सरपंच श्री पदमसिंह ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं एवं सरपंच हैं अतः स्वाभाविक ही है कि चिकित्सक ज्यादा सम्पर्क रखें किन्तु उनके कथनानुसार पार्टी में भाग लेने वाली बात का न तो प्रमाण ही प्रस्तुत कर सकें न ही ऐसा प्रतीत होता है।

(2) परिचारक को चिकित्सक से कोई शिकायत नहीं है न ही वर्तमान में कार्यरत कम्पाउण्डर भागचन्द को। भागचन्द का पूर्व में जनवरी में स्थानान्तरण निरस्त हो चुका था अतः रिलिव करने को प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) यह बात भी निराधार सी ही प्रतीत होती है, अत्यधिक स्थिति में तो बाहर जाना ही पड़ता है, बाकी शेष रोगी चिकित्सा से लाभ उठाते हैं।

(6) वर्तमान में न तो औषधालय में झगड़ा होता है न ही रोगी संख्या कम है रोगी संख्या ठीक है।

(7) रोगियों से राशि लेने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका है। औषधालय में बिना राशि लिए ही चिकित्सा की जाती है।

(8) चिकित्सक औषधालयों में ही निवास करते हैं इससे रोगियों को अहर्निश 24 घण्टे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है। औषधालयों में किसी भी बिमार से फीस लेने का प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है, न ही किसी व्यक्ति ने ऐसा अवगत कराया है कि औषधालयों में फीस ली है।

(9) चिकित्सक दीनदयाल शर्मा का व्यवहार अशोभनीय व्यवहार का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुवा है। रोगियों के साथ व्यवहार ठीक है, यह दोषारोपण मिथ्या ही प्रतीत होता हूँ।

(10) यह आरोप बे बुनियाद ह इस तरह की शिकायत मौखिक या लिखित किसी ने भी नहीं की है।

(11) चिकित्सक के द्वारा दिये गये सभी रोगा रोग्य प्रमाण पत्र रेकार्ड के अनुसार सही पाये गये हैं फीस लेने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। शिकायत पत्रों में अंकित भंवरलाल पुत्र श्री जैतमल का नाम दिनांक 26–10–88 को क्रमांक 5599 पर अंकित है एवं प्रति दिन रोगी रजिस्टर में अंकन किया है। इस रोगी को 26–10–88 से 10 दिन का रोग प्रमाण पत्र दिया है।

इसी प्रकार इन्द्रसिह इसका नाम 18–7–88 को 2517 क्रमांक पर अंकित है। एवं प्रति दिन रजिस्टरों में नम्बर दर्ज हैं।

नेमाराम दिनांक 23–5–88 को 1259 क्र. पर दर्ज है एवं प्रतिदिन अंकन किया है। इसी प्रकार जो शिकायत पत्र में नाम नहीं है उनका भी परीक्षण किया गया रिकार्ड के अनुसार सभी सही पाये गये हैं। फीस लेने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है।

(12) यह आरोप निराधार है।

संलग्न शिकायत पत्र पर बिन्दुवार टिप्पणी दी गई है।

शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों से पूछने पर एवं बयान लेने पर एक ही बात बताई है कि चिकित्सक दीनदयाल शर्मा का स्थानान्तरण किया जावे, शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी की सबने हां की है किन्तु किसी भी बिन्दू पर कोई प्रमाण या बात नहीं की केवल दो ही बातें बतायी कि पार्टी बाजी में भाग लेता है एवं स्थानान्तरण किया जावे।

वैद्य दीनदयाल शर्मा की शिकायत धड़े बाजी के कारण ही है जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है जांच करने पर शिकायत तथ्यहीन प्रतीत होती है, दोनों ही ग्रुपों के बयान साथ में संलग्न हैं एवं मूल शिकायत भी साथ में संलग्न है जिस पर बिन्दुवार टिप्पणी भी दी गई है। एक ग्रुप स्थानान्तरण चाहता है दूसरा ग्रुप वही रखना चाहता है। संक्षेप में सार यह है कि शिकायत तो तथ्यहीन प्रतीत होती है, परन्तु यहां से स्थानान्तरण कर किसी दूसरे ऐसे चिकित्सक को लगा दिया जावे जो दोनों ग्रुपों में सामंजस्य बैठा कर एवं दोनों ग्रुपों को समान भाव से आदर दे सके। दोनों ग्रुपों के साथ समान व्यवहार व चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था कर सके यही वैद्य दीनदयाल शर्मा के असन्तुष्टों की मूल मांग है।

क्र. सं. 1 से 9 तक वैद्य दीनदयाल के पक्ष में एवं 10 से 14 तक के बयान वैद्य दीनदयाल के विरुद्ध में हैं।

संलग्न मूल शिकायत पत्र 2
बयानों की प्रति पत्र–14

ह०
जिला आयुर्वेद अधिकारी
नागौर

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल द्वारा एल. डी. पी. ई. फिल्म का क्रय

148. श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़), **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) एवम् **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवा-महल) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इन्दिरा गांधी नहर मंडल द्वारा एल. डी. पी. ई. फिल्म क्रय करने का निर्णय कब तथा किन कारणों से लिया गया ?

(2) क्या इसके लिये हाल ही में निविदायें आमंत्रित की गई ? यदि हां, तो कब तथा कितनी मात्रा के लिये एवं किन-किन शर्तों एवं नियमों पर ?

(3) किस-किस निविदादाताओं ने किन शर्तों पर अपनी निविदायें प्रस्तुत की.?

(4) मण्डल ने किस-किस निविदादाता को किन-किन नियमों एवं शर्तों पर एल. डी. ई. पी. फिल्म आपूर्ति करने के आदेश दिये ?

(5) क्या मण्डल ने फिल्म आपूर्ति आदेश देते समय निविदादाताओं को नियमों या शर्तों से कोई छूट या रियायत दी है ? यदि हां, तो क्या और क्यों ?

उत्तर

(1) एल. डी. पी. ई. Law (Density Polytheline) फिल्म का उपयोग करने का निर्णय स्टेडींग टेक्नीकल कमेटी की पहली मिटिंग जो कि 26.9.83 को हुई थी उसकी सिफारिश पर इन्दिरा गांधी नहर मण्डल की 105 वीं मीटिंग जो कि दिनांक 10.11.83 को हुई उसमें लिया गया। इसको उपयोग करने के मुख्य कारण सीमेंट व कोयले को उपलब्धि में भारी कमी की वजह से डबल टाईल लाईनिंग की जगह सिंगल टाईल लाईनिंग एल. डी. पी. ई. फिल्म के साथ करना एवं इस प्रकार की लाइनिंग में पानी के रिसाव में कमी होना था।

(2) जी हां। दो निविदायें आमंत्रित की गई। संख्या 33(9/87-88) दिनांक 12.11.87 वास्ते 300 मै. टन (चौड़ाई 8.5 मी. से अधिक) व संख्या 34(9/87-88) दिनांक 12.11.87 वास्ते 200 मै. टन (चौड़ाई 8.5 मी. तक)। दोनों निविदाओं की शर्तें एक ही है, जो निचे दी गई है। नियम जी. एफ. ए. आर. (General Finance & Accounts Rules) के अनुसार है।

1. बिना धरोहर राशि के कोई निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदा फार्म की बिक्री निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व बंद कर दी जाएगी।
3. तार द्वारा निविदा की दरें मान्य नहीं होगी।
4. निविदादाता द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ इस संगठन में कोई संबंधी कार्यरत नहीं होने का प्रमाण पत्र सादे कागज पर देना होगा।

(3) निम्नलिखित निविदादाताओं द्वारा अपनी निविदायें प्रस्तुत की गई:-

निविदा संख्या-33

1. मै. आई. पी. एल. बड़ौदा

302

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

2. मै. जयश्री प्लास्टिक, अहमदाबाद
3. मै. पदमावती इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद
4. मै. विजय इन्डस्ट्रीज, अहमदाबाद
5. मै. गिल्ट पेक, लि., इन्दौर

निविदा संख्या-34

1. मै. आई. बी. सी. एल. बड़ौदा
2. मै. जयश्री प्लास्टिक, अहमदाबाद
3. मै. पदमावती इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद
4. मै. विजय इन्डस्ट्रीज, अहमदाबाद
5. मै. गिल्ट पेक. लि., इन्दौर
6. मै. केमी प्लास्ट, परवानी
7. मै. बोहरा प्रतिष्ठान, उदयपुर।

उपरोक्त फर्मों द्वारा दी गई शर्तों का विवरण परिशिष्ट "क" पर पेज 1 70 तक क्रमवार संलग्न है।

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल ने निम्न निविदादाताओं को एल. डी. पी. ई. फिल्म आपूर्ति करने के आदेश प्रदान किये:—

"अ" निविदा संख्या 33 मण्डल स्वीकृति पत्रांक एफ. 4(21)इगानम/88 दि. 13.1.89

1. मै. आई पी. सी. एल., बड़ौदा	200 मी. टन
2. मै. पदमावती इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद	100 मी. टन
कुल	300 मी. टन

"ब" निविदा संख्या 34 मण्डल स्वीकृति पत्रांक एफ. 4(21) इंगानम/88 दि. 13.1.89

1. मै. आई. पी. सी. एल. बड़ौदा	100 मी. टन
2. मै. बोहरा प्रतिष्ठान, उदयपुर	100 मी. टन
कुल	200 मी. टन

क्रम संख्या "ब" में मै. आई. पी. सी. एल. बड़ौदा द्वारा एस. डी. पी. ई. फिल्म आपूर्ति राजस्थान स्थित कार्यालय से न करने के कारण मै. पदमावती इन्डस्ट्रीज हैदराबाद की 100 मी. टन, एल. डी. पी. ई. फिल्म की आपूर्ति हेतु राजस्थान स्थित कार्यालय से देने हेतु मण्डल कार्यालय द्वारा दिनांक 1.2.89 से आदेश दिये गये।

(5) आपूर्ति आदेश देते समय किसी निविदा देने वाले को नियमों या शर्तों में कोई छूट या रियायत नहीं दी गई।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

मोरेल बांध की भूमि का मुआवजा

149. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या मोरेल बांध के निर्माण के समय सवाई माधोपुर की बौंली तहसील एवं जयपुर जिले की लालसोट तहसील के किसानों की भूमि बांध की डूब में ली गई थी जिसका सवाई माधोपुर के किसानों को भूमि के मुआवजे का मुगतान कर दिया है लेकिन लालसोट तहसील के किसानों को भूमि का मुआवजा आज तक नहीं दिया

303

(श्री परसादीलाल मीणा)

गया है ? यदि हां, तो अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

(2) जयपुर जिले की लालसोट तहसील के किस-किस खातेदार की कितनी-कितनी भूमि मोरेल बांध की भराव क्षमता में आई है ? कृपया ग्रामवार तथा मय खातेदार पूर्ण भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मोरेल बांध की भराव क्षमता में ली गई भूमि का मुआवजा अब तक नहीं देने के मामले को गम्भीर मानती हैं ? यदि हां, तो किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

(4) क्या नियमान्तर्गत मुआवजे राशि का ब्याज भी सरकार देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सवाई माधोपुर की बौंली तहसील के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया हैं। बौंली व लालसोट दोनों तहसीलों के ही ग्रामों की डूब में आई भूमि का अवार्ड देना क्रमशः भूमि अवाप्ति अधिकारी सवाई माधोपुर एवं दौसा के विचाराधीन है। केवल तहसील लालसोट के कुल 143 खातेदारों में से 25 खातदारों को 84690 रुपये का भुगतान आपसी सहमति से किया गया हैं। बाकी का भुगतान अवार्ड प्राप्त होने पर करा दिया जावेगा।

(2) तहसील लालसोट के 12 ग्रामों के 143 कृषकों की 1095 एकड़ भूमि डूब में आई है। भूमि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(3) समय पर मुआवजे का भुगतान नहीं करना उचित नहीं हैं परन्तु यहां अधिकतर काश्तकार भूमि पर कब्जा रखना चाहते हैं। काश्तकारों को शीघ्र मुआवजा दिलवाने के प्रयत्न किये जा रहें हैं।

(4) नियमानुसार जो एवार्ड में ब्याज लगाया जावेगा उसका भुगतान किया जावेगा।

बन्ध मोरेल की डूब में कार्य भूमि का विवरण कृषक वाइज

1-नाम ग्राम काकरिया तहसील लालसोट जिला जयपुर

क्र.सं.	नाम कृषक	कुल रकबा बीघा	बिस्वा
1-	महकबा इन्जीनियरिंग	2	10
2-	जसवन्त सिंह पुत्र खेत सिंह	21	2
3-	जसवन्त सिंह पूरसिंह सठवा	28	2
4-	भूरसिंह पुत्र खेतसिंह	45	4
5-	जसन्वत सिंह पुत्र खेतसिंह	37	5
6-	भूरसिंह जोरावर सिंह	6	2
7-	रामसुख हरदेव	--	16
		141	11

1	2	3	4
	2. ग्राम करारी		
8-	हीरा वल्द नारायण गंगालिया पुत्र बेल्या हरिया पुत्र भूरा	—	15
9-	श्यामदास पुत्र जोधा मीना	1	7
10-	गेन्दादास पुत्र रामनारायण दास	1	5
		3	07
	3- ग्राम श्रीरामपुरा		
11-	राम प्रताप पुत्र चमनराम बुदा रघुनाथ पुत्र बन्शीधर महाजन	5	18
12-	ता० ईश्वरीसिंह पुत्र बलवन्त सिंह	7	
		12	18
	4. ग्राम देवली		
13-	शोसाहय पुत्र मोरीदास	1	
14-	सुखदेव पुत्र गंगाराम	16	15
15-	गोविन्दा पुत्र घासी	10	7
		29	01
	5. ग्राम श्री मानसिंहपुरा		
16-	श्री चन्दरया पुत्र मुल्या	—	19
17-	हरसहाय/बलदेव	10	13
18-	पाच्या पुत्र कल्या	13	4
19-	रूवला वल्द रामबक्स रैगर	5	3
20-	सावन्ता पुत्र भूरा	31	11
21-	थावड़सिंह पुत्र हरिसिंह ओंकारसिंह छोटू	3	7
22-	महताब पुत्र सोलानी	2	4

1	2	3	4
23–	मुतिया पुत्र गोदिया मुसलमान	—	15
24–	जैनारायण पुत्र हरदेव	—	13
25–	रामनाथ पुत्र रामायण नाई	—	5
26–	वालाबक्स वल्द सेततानी	2	11
27–	पांच्या वल्द रामपाल	1	10
28–	नूरा वल्द भूरा	—	11
29–	बशीर चन्दरा	—	10
30–	श्रीनारायण पुत्र जमुनालाल	5	1
31–	लाल वल्द गेंदया	—	
		79	04
	6. ग्राम खेड़ली		
32–	मानी मन्दिर श्री कुरजी पुजारी नारायण पुत्र बलदेव	—	14
33–	मून्ना पुत्र पासी कुमण	4	—
34–	हजा पुत्र लक्ष्मण	—	16
35–	हजा पुत्र लक्ष्मण काल्या व मगल्या पुत्र गुमना चमार		
36–	कल्याण व पाच्या पुत्र गुमना चमार	2	—
37–	जैन्या वल्द पन्ना	—	12
38–	नारायण पुत्र लखो माल्या पुत्र फता	—	11
39–	सुखपाल वल्द रामदेव व शंकर वल्द राममाल्या	15	19
40–	गोरा वल्द घासी	1	—
41–	नारायण सिंह समने	—	10
42–	सम्मतिसिंह पुत्र सुगना सिंह	3	16
43–	बद्री पुत्र सुखा	3	18
44–	शंकर बल्द रामपाल	1	6
45–	सुखपाल वल्द रामदेव	3	1
46–	रामनाथ वल्द काना	—	14
		39	0

(306)

1	2	3	4
	7. ग्राम मुडिया		
47–	चन्दा, काना पुत्र देवा	3	11
48–	भगवान, रामदेव पुत्र ग्यारसा चमार	6	4
49–	गोरधन पुत्र गणेश चमार	1	14
50–	हरया पुत्र चन्दर गुजर	6	4
51–	धात्रा पुत्र देवा चमार	2	3
52–	कल्याण पाचू हरनाथ रामकवार अर्जुन पुत्र मगल्या गूजर	1	13
53–	गौरया पुत्र हरदेवा चमार	—	19
54–	बिरदा पुत्र पांचू गूजर	17	7
55–	गौरा श्रीया श्रीकिशन पुत्र गणेश गूजर	3	7
56–	गौरा श्रीया श्रीकिशन पुत्र गणेश 1/2 गिरधारी पुत्र कस 1/2 गूजर	1	17
57–	नारायण पुत्र मैना गूजर	3	7
58–	सोन्या, मूल्या, किशना पुत्र ग्यारसा हि. 3/4 भूराय व रामचन्द पुत्र गिरधारी 1/4	24	7
59–	सोन्या वल्द ग्यारसा बलाई	14	9
	योग :	87	17
	8. ग्राम सुन्दरपुरा		
60–	श्री कालू महादेव रामचन्दा पुत्र बालू दरोगा	28	9
61–	भूरया वल्द रेखा गूजर	5	7
62–	मूलचन्द वल्द गणेश रामकवार वल्द जीवन जिन्सी वल्द रामचन्द्रा	2	14
63–	धन्ना वल्द नन्दा रैगर	2	14
64–	धन्ना वल्द पीसा रैगर	1	1
65–	जैन्या वल्द नन्दा रैगर	—	10
66–	गोपाल वल्द शिवबक्स	2	13
67–	बनगा, बिहारी, गोपी वल्द सुवा नाई	5	3
68–	सोन्या वल्द धीस्या रैगर	8	11

1	2	3	4
69-	माग्या वल्द श्रीकिशन रैगर	—	10
70-	रामसुख वल्द ओंकार रैगर	3	3
71-	सरदारसिंह व नारायणसिंह वल्द मैरू	2	15
72-	सूजरमलसिंह पुत्र गुलाबसिंह		
73-	मैरिया व जोधा पुत्र रेखा व बरजी वल्द गंगोल्या रैगर	8	8
74-	घीसा वल्द मोहन भोला वल्द जेल्या रैगर	1	3
75-	रामकवार वल्द जीवन जिन्सी वल्द रामचन्द ब्राह्मण गणेश वल्द नन्दा	14	8
	योग:	145	14
	9- ग्राम बाढ़ मूडिया		
76-	मूल्या पुत्र देवीराम कुम्हार	12	8
77-	मूल्या पुत्र देवीराम कुम्हार व छीतर पुत्र रणजीता गेन्दा पुत्र जेल्या मीणा	8	13
78-	कल्याण पुत्र छीतर कुम्हार	7	—
	योग:	28	01
	10- ग्राम खटवा		
79-	गंगाधर वल्द रामलाल माली	5	19
80-	मुरारी मन्नीलाल वल्द मूलजी	91	15
81-	मूल्या वल्द सुखजी सुवा वल्द बलदेव	1	18
82-	रामदेव वल्द नानियन चमार	8	5
83-	मूल्या वल्द देवकी सोन्या वल्द रामला रैगर	19	10
84-	हरेन्द्रसिंह पुत्र मेरसिंह	240	14
85-	नरसिंहदास वल्द बन्शीदास	2	18
86-	चन्द्रया वल्द गोर्या रैगर	11	5
87-	श्री बक्स वल्द चन्दालाल राना	6	4
88-	देवीसिंह पुत्र खेतसिंह	4	1
89-	गोदिया व मिश्रीया वल्द गोपाल चमार	–	14
90-	पील्या वल्द छोट्या चमार	4	
91-	मगलिया पुत्र माग्या गोपाल वल्द देव्या	11	8

1	2	3	4
92-	लालिया वल्द चन्दा मारवाल	42	9
93-	हरलो पुत्र मुन्ना रैगर	3	4
94-	चेतिया वल्द गोदिया रैगर	22	5
95-	गोरधन व गोरिशन मिश्रीया व कल्याण	16	4
96-	रामसहाय वल्द भूरा महाजन	19	7
97-	मोहनिया वल्द जीवत कानिया वल्द ओकारिया	26	10
98-	मोहन नाई पुत्र भोरीसिंह	100	14
99-	लादिया पुत्र कान्या बारवाल	6	-
100-	सोनिया पुत्र रामचन्द्र खटीक	4	4
	योग :	566	13
101-	मोना पुत्र पूनिया बबली	-	16
102-	जयनारायण वल्द वदया कौली	-	11
103-	जगन्नाथ वल्द ग्यारसा कौली	2	10
104-	ग्यारसा वल्द भवानिया रैगर	9	8
105-	गैन्दया वल्द गोपाल	1	4
106-	रामसुख वल्द जोधा रैगर	13	1
107-	रामचन्दा वल्द जैल्या कुम्हार	5	6
108-	डाबुलिया पुत्र नहदिया कुम्हार	4	9
109-	कल्याणा वल्द घासी कुम्हार	-	14
110-	नाथीया वल्द भागीरथ कुम्हार	-	18
111-	अलावन्दा वल्द दूला मुसलमान	1	7
112-	गोमदा वल्द देवा व नानगा वल्द रामलाल	21	12
113-	हरदेव वल्द जोधा रैगर	5	12
114-	रामसुखा व हरदेवा पुत्र जोधा रैगर		
115-	मोरिया वल्द लालीया गोपाल वल्द चन्दरा	35	10
116-	रामलाल वल्द भुवाना गुडासी वल्द गुमाना चन्दा वल्द गोरीया रैगर	34	6
117-	जीवा वल्द भैरूबक्स गंगाधर वल्द टैडा गोधा वल्द लक्ष्मीणीया कुम्हार	4	14
118-	गुडीया वल्द गुमानिया रैगर	5	17

1	2	3	4
119–	ग्यारसा वल्द नीना कोली	2	18
120–	भैरुसिंह व भरतसिंह केसरसिंह पुत्र रामसिंह	100	4
	योग :	1036	10
	11– ग्राम करारी		
121–	धनराम वल्द जीवन ब्राह्मण	16	13
122–	बाबू कन्हैया व श्रीनारायण	–	13
123–	कजोड़मल वल्द बद्री ब्राह्मण		
	योग :	17	06
	12– ग्राम वरेडी		
124–	गनपत व कल्याण पुत्र छाजू ब्राह्मण	2	14
125–	प्रभूलाल रामनिवास	2	4
126–	नाथिया पुत्र पूनिया	—	13
127–	ओंकार वल्द गणेश	3	—
	योग :	1610	09
128–	काना वल्द रूपा कोली 1/2 भूरा रंगा पुत्र सखा 1-2 कोली	5	13
129–	बनेसिंह, मीरसिंह रूपसिंह व स्वरूपसिंह पुत्र भूरसिंह	27	2
130–	गोरधन पुत्र भैरू 1/2 धीस्या वल्द हरल्या 1/2	4	—
131–	काना वल्द उदा कोली	2	17
132–	काल्या वल्द चन्दा 1/2 वाल्या वल्द लक्ष्मण	2	9
133–	धन्ना वल्द मगल्या चमार	3	5
134–	केसरसिंह वल्द सुरजनमान सिंह	4	8
135–	सिवजी सिंह वल्द सलहसिंह 1/2 गजाजसिंह लक्ष्मणसिंह गंगासिंह पुत्र भोपालसिंह	5	8
136–	केसरसिंह जगन्नाथसिंह पुत्र सुरज्यानसिंह	8	—

1	2	3	4
137-	गजराजसिंह लक्ष्मणसिंह गंगासिंह पुत्र भोपाल	7	12
138-	अमरसिंह नल भोपालसिंह 1/2 सौजीसिंह वल्द सलाह सिंह	8	4
	,, ,,, ,,	3	9
139-	गगल्या व काल्या पुत्र कालू मीना	20	19
140-	सोमदास पुत्र नारायणदास	4	3
141-	पून्या वल्द यूनियरा चमार	2	11
142-	गोविन्ददास देसरसिंह पुत्र देवीसिंह	10	5
143-	गंजरामसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्र गोपालसिंह	4	7
		133	03
	कुल योग :	1753 =	12

कुल काश्तकार	बीघों में क्षेत्र	एकड़ों में क्षेत्र
143	1753 = 12	1095

बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन का निर्वाचन

150. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन, राजस्थान का निर्वाचन कब और कितने समय के लिए हुआ था तथा उसके बाद क्या बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर बोर्ड का सामान्य निर्वाचन द्वारा पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो अब तक निर्वाचन क्यों नहीं कराया गया ?

(3) क्या राज्य सरकार बोर्ड को भंग कर सामान्य निर्वाचन कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन, राजस्थान निर्वाचन जून, 1971 में 5 वर्ष के लिए हुआ था। अवधि समाप्त होने पर राज्यादेश द्वारा दिनांक 19.6.76 से 10.9.79 तक कार्यकाल बढ़ाया गया था।

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

(2) जी हां। निर्वाचन हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था न हो पाने के कारण निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराए जा सके।

(3) राज्यादेश सं प. 8 (8) आयु./87 दिनांक 5.10.87 के द्वारा बोर्ड को भंग किया जा चुका हैं। चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है, परन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की वैद्य विशारद एवं आयुर्वेद रत्न की उपाधियों के आधार पर पंजीयित वैद्यों के पंजीयन की वैधता के मामले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका विचाराधीन होने के कारण चुनाव अभी नहीं कराये जा सके हैं, क्योंकि उक्त याचिका के निर्णय का सीधा प्रभाव मतदाता सूची पर पड़ता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के तुरन्त उपरान्त चुनाव करा दिये जावेंगे।

समाज कल्याण परियोजनाओं के कर्मचारियों को पेन्शन

151. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मई, 1988 में समाज कल्याण परियोजना के कर्मचारियों को पेन्शन/ग्रेच्यूटी देने के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड सिद्धान्ततः सहमत हो चुका है, बशर्ते कि राज्य सरकार इस पर व्यय होने वाली राशि का आधा हिस्सा खर्च करने की सहमति दें ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य व केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बीच लिखित यह सहमति है कि इन परियोजनाओं पर प्रशासनिक व अन्य सभी व्यय का दो हिस्से केन्द्रीय बोर्ड व एक हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी ? यदि हां, तो अब तक यह स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के क्या कारण रहे हैं जबकि मुख्यालय के कर्मचारियों को यह सुविधायें दी जा चुकी हैं ?

(4) राज्य सरकार अब कब तक अन्य कर्मचारियों हेतु आवश्यक सुविधायें मुहैया करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रकरण विचाराधीन है।

(3) यह परियोजनायें अन्य केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजनाओं की भांति एक निश्चित पैटर्न के अनुसार चलायी जा रही हैं। इन परियोजनाओं के कर्मचारियों को पेन्शन/ग्रेच्युटी दिये जाने के प्रकरण पर राज्य सरकार के अन्य बोर्डों/उपक्रमों के सन्दर्भ में ही विचार करना सम्भव होगा।

यह सही है कि बोर्ड मुख्यालय कर्मचारियों को राज्य सरकार ग्रेच्युटी के लिए अपना निश्चित हिस्सा देती है।

(4) राज्य सरकार के अन्य बोर्ड/उपक्रमों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिये जाने वाले निर्णय पर इन कर्मचारियों हेतु आवश्यक सुविधायें मुहैया कराने का निर्णय निर्भर करेगा।

312

मडेला (झुन्झुनूं) से राजगढ़ (चूरू) सड़क

152. श्री इन्द्रसिंह पूनियां (सादुलपुर) एवं श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने जिला झुन्झुनूं के कस्बा मडेला से तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्राम बेरासर बड़ा तक डामर की सड़क बनाने की घोषणा की है ? यदि हां, तो सड़क का कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(2) उक्त सड़क में कौन-कौन से गांव आते हैं तथा उक्त सड़क कुल कितनी लम्बाई में बनाई जावेगी ?

(3) चूरू जिले में किस-किस सड़क पर विभाग का कार्य चल रहा है या टेण्डर हो चुके हैं ? सड़कों के नाम व लम्बाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 29-1-1989 को ग्राम मंडेला, जिला झुन्झुनूं के दौरे के समय इस सड़क को बनाने की घोषणा की थी। इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) अगर उक्त सड़क स्वीकृत होकर निर्माण कराया जाता है तो सड़क में ग्राम सांखनताल (1017) नेशल बड़ी, नेशल छोटी (2001), ब्राह्मण का बास ( ) जैतपुरा (616) बैरासर (919) आयेंगे एवं सड़क की लम्बाई 23 कि.मी. होगी।

(3) चूरू जिले में जिन सड़कों पर कार्य चल रहा है उनकी सूची मय लम्बाई में परिशिष्ट "क" पर दी गई है। चूरू जिले में जिन सड़कों के टेण्डर हो गये हैं एवं कार्य शुरू नहीं किया गया है उनकी सूची मय लम्बाई के परिशिष्ट "ख" पर दी जा रही है।

सड़कें जिन पर कार्य प्रगति पर है :—

क्र.सं. 1	सड़क का नाम 2	लम्बाई (कि. मी.) 3
1.	सादुलपुर रेल्वे स्टेशन से सादुल चैकपोस्ट को सुधार एवं ऊंचा उठाना 0/0 से 2/400।	2.400 कि. मी.
2.	नांगली से लाखलान 0/0 से 4/200।	4.200 कि. मी.
3.	सम्पर्क सड़क बीजावास 0/0 से 4/0।	4.00 कि. मी.
4.	विशेष मरम्मत का कार्य राजगढ़ शहर में सड़क का डामरीकरण 0/0 से 3/0।	3.00 कि. मी.
5.	रायटूंडा से सोमसीसर 0/0 से 11/500।	11.500 कि. मी.

(313)

2	2	3
6.	साल्यू हड़याल 0/0 से 0/6।	6.00 कि. मी.
7.	सम्पर्क सड़क साल्यू (तारानगर से 13/0 से 15/1)।	2.00 कि. मी.
8.	विशेष मरम्मत कार्य-बीकानेर–दिल्ली सड़क का नवीनीकरण तथा सड़क को चौड़ा करने का कार्य 137/0 147/0।	10.00 कि. मी.
9.	चूरू सरदारशहर वाया पुलासर कि.मी. 13/0 से 24/0।	11.00 कि. मी.
10.	चूरन भालेरी कि.मी. 25/0 से 35/0 में डामरीकरण (नवीनीकरण) विशेष मरम्मत कार्य।	10.00 कि. मी.
11.	लखासर–दुलचासर 9/0 से 11/500 (द्वितीय चरण)	2.50 कि. मी.
12.	दुलचासर सांवतसर 0/0 से 8/300।	8.300 कि, मी.
13.	बीकानेर दिल्ली सड़क पर विशेष मरम्मत कार्य कि.मी. 71 से 78, 90 से 100, 100 से 110 तक।	27.00 कि. मी.
14.	सेरूणा–पुनरासर सड़क कि.मी. 3/0 से 5/0 एवं 8/0 से 10/0 में विशेष मरम्मत का कार्य।	4.00 कि. मी.
15.	पेमासर से खुड़ी 6/0 से 13/0।	7.00 कि. मी.
16.	नोखा–सीकर कि.मी. 68/0 से 78/0 पर विशेष मरम्मत कार्य (नवीनीकरण तथा चौड़ा करने का कार्य)।	10.00 कि. मी.
17.	छापर–गंगानगर सड़क पर विशेष मरम्मत का कार्य कि मी. 62/0 से 66/0, 70/0 से 75/0, 82/0 से 85/0, 125/0 से 133/400, 23/0 से 24/0, 41/0 से 51/0।	31.400 कि. मी.

सड़कें जिन पर कार्यों के टेण्डर हो चुके हैं :—

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)
1	2	3
1.	विशेष मरम्मत का कार्य राजगढ़ पिलानी सड़क कि.मी. 4/0 से 8/0 (डामरीकरण तथा चौड़ा करने का कार्य)	4.00 कि. मी.
2.	विशेष मरम्मत का कार्य बीकानेर–दिल्ली कि.मी. 160/0 से 164/0, 170/0 से 171/0 व 173/0 से 180/0 पर नवीनीकरण तथा चौड़ा करने का कार्य।	12.00 कि. मी.

(314)

1	2	3	
3.	जसरासर–नाकरासर कि.मी. 0/0 से 9/0 ।	9.00	कि. मी.
4.	रामपुरा–रिबिया कि.मी. 0/0 से 8/0 ।	8.00	कि. मी.
5.	चूरू से बूंटिया कि.मी. 0/0 से 3/0 ।	3.00	कि. मी.
6.	विशेष मरम्मत का कार्य सातड़ा नाकरासर कि.मी. 0/0 से 3/0 ।	3.00	कि. मी.
7.	सेरूणा पुल चासरा कि.मी. 2, 3, 7, 8, 9 में पूर्ण मिश्रित डामरीकरण का कार्य ।	5.00	कि. मी.
8.	सम्पर्क सड़क टिडियासर कि.मी. 0/0 से 2/0 ।	2.00	कि. मी.
9.	बीदासर–डूंगरगढ़ सड़क पर विशेष मरम्मत का कार्य कि.मी. 16, 19 से 25, 26 से 28, 29, 31 से 36, 26 से 38, 39 से 43, 44 से 45/0 ।	20.00	कि. मी.
10.	सेरूणा पुनरासर कि.मी. 0/0 से 3/0, 10/0 से 15/0 ।	8.00	कि. मी.
11.	लालगढ़ कातर सड़क पर डामरीकरण का कार्य कि.मी. 0/0 से 7/0 ।	7.00	कि. मी.
12.	रतनगढ़–चूरू सड़क कि.मी. 46 में विशेष मरम्मत का कार्य ।	1.00	कि. मी.
13.	सम्पर्क सड़क बस स्टेण्ड रतनगढ़ कि.मी. 0/0 से 3/0 पर पूर्ण निर्माण कार्य ।	3.00	कि मी.
14.	सालासर बाईपास का निर्माण कार्य 0/0से 2/500 ।	2.500	कि. मी.
15.	सम्पर्क सड़क सोनियासर ग्राम 0/0 से 5/0 ।	5.00	कि. मी.
16.	सम्पर्क सड़क रणधीसर–पहाड़ी 0/0 से 3/0 पर विशेष मरम्मत कार्य ।	3.00	कि. मी.

तारांकित प्रश्न संख्या 153 (स्थगित)

लघु सिंचाई योजनायें

154. श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

वर्ष 1988–89 में लघु सिंचाई परियोजनाओं में कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान था तथा किस-किस योजना में कितनी-कितनी धनराशि अब तक व्यय की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988–89 में लघु सिंचाई योजना मद में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान था। उस वर्ष में परियोजना वार आवंटन एवं व्यय संलग्न तालिका में अंकित है।

तालिका

वर्ष 1988-89 में लघु सिंचाई योजनाओं पर आवंटन एवं व्यय का विवरण

(रु० लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	जिला	आवंटित राशि	व्यय (88-89)
1	2	3	4	5
		जयपुर संभाग		
1.	रेडिया	जयपुर	17.00	17.00
2.	बेनारी	,,	8.20	8.01
3.	कानोता	,,	52.20	52.34
4.	जामदई	,,	13.00	12.72
5.	रेस्टोरेशन आफ राहूवास	,,	0.33	0.29
6.	छोटी डूंगरी	,,	15.50	15.55
7.	खारली	,,	4.80	4.95
8.	पीपला	,,	2.25	2.15
9.	चान्दराना का रेजिगं	,,	27.00	27.00
10.	भानपुर	,,	0.25	1.25
11.	मलिकपुर तुर्क	अलवर	9.00	8.10
12.	सारन खुर्द	,,	12.69	11.52
13.	खानपुर	,,	7.50	5.97
14.	झेरोली	,,	6.50	11.96
15.	बारला	,,	6.00	9.55
16.	बीगोता	,,	1.00	–
17.	बीटलोई	,,	0.25	0.01
18.	सिलीभेडी	,,	2.00	4.11
19.	कंचन खाल	,,	0.24	0.10
20.	बाबरिया बंध	,,	–	–
21.	घोलन	,,	4.00	4.63
22.	टिकरिया	टोंक	14.00	14.00
23.	सरदारपुरा	,,	6.00	6.00
24.	श्योदानपुरा	,,	2.00	2.00
25.	बोटूण्डा	,,	12.00	11.92
26.	साहोदरा	,,	6.00	6.07
27.	मानसरोवर	सवाई माधोपुर	–	1.34
28.	खेड़ा	,,	–	–

316

1	2	3	4	5
29.	सीताबन्ध	भरतपुर	2.00	4.00
30.	घूरेडी	,,	–	0.07
31.	खानखेडा	,,	0.12	0.15
32.	मदन सरोवर	अजमेर	0.10	–
33.	रूपनगढ़	,,	10.00	11.39
34.	बसून्दनी	,,	1.00	0.98
35.	पीपलाज	,,	2.00	3.23
36.	अम्बापुरा	,,	0.10	–
37.	भादरू	जयपुर	–	0.25
38.	सिगंतोली	सवाई माधोपुर	–	0.04
39.	निदडबन्ध	भरतपुर	–	0.20
40.	एक्जीबीजन	जयपुर	–	0.09
		योग	246.44	259.52

(बी) जोधपुर संभाग

1	2	3	4	5
1.	कमेरी	सिरोही	31.30	31.30
2.	अंगोरा	,,	17.00	17.00
3.	उदावारिया	,,	0.10	0.11
4.	महादेव नाला	,,	13.70	13.80
5.	भैसां सिंह	,,	0.70	0.53
6.	मूनथला	,,	6.50	6.51
7.	काटलिया	पाली	18.00	14.76
8.	गिरीनन्दा	,,	5.03	3.71
9.	सियारी	,,	7.00	7.94
10.	कोट	,,	13.61	15.73
11.	सुमेर	,,	–	–
12.	दूजाना	,,	2.60	2.38
13.	जेतपुरा	जालौर	1.00	1.15
14	बिसलपुर	जोधपुर	0.37	0.34
		योगः-	116.91	115.48

317

1	2	3	4	5
		(सी) कोटा संभाग		
1.	गनेशपुरा	झालावाड़	16.00	17.62
2.	बीसतुनिया	,,	15.00	18.31
3.	बोनी	,,	0.18	0.62
4.	मोगरा	,,	3.00	3.18
5.	बोरदा	,,	–	0.30
6.	मानपुरा	,,	–	0.66
7.	मोरडिया	बून्दी	10.00	7.27
8.	नारायणपुरा	,,	9.00	8.64
9.	चन्दा का तालाब	,,	16.00	19.70
10.	त्रिफू (नानक सागर)	,,	2.00	1.66
11.	डूंगरी	,,	0.10	0.10
12.	एल. एफ. सी. बूरधा	,,	1.00	0.38
13.	अहमदी	कोटा	7.00	7.85
14.	रामपुरा	,,	1.00	1.33
15.	डाबी	बून्दी	–	0.11
16.	बिनक्या खाल	,,	–	0.17
		योग:-	80.28	88.18
		(डी) उदयपुर संभाग		
1.	मनोहर सागर	उदयपुर	5.00	5.00
2.	गुनिया	,,	11.00	11.01
3.	चिकलवास	,,	73.36	73.37
4.	कोल्यारी	,,	15.35	15.35
5.	वनजाना	,,	25.02	25.02
6.	शिवसागर (भन्डारिमूथा)	भीलवाड़ा	37.00	36.99
7.	पंचानपुरा	,,	4.32	4.32
8.	दौराई	चित्तौड़गढ़	12.00	12.00
9.	भोपाल सागर	,,	4.00	4.00
10.	पीता का मन्ड	भीलवाड़ा	–	8.31

1	2	3	4	5
11.	करमोडिया (केम्प)	"	–	1.00
12.	कगलिया	"	–	0.37
13.	बंम्बाडिया	"	–	1.65
14.	खेरवा	"	–	0.29
15.	बूटफाड़ा	"	–	0.55
		योग:–	187.05	191.21

(ई) टी. ए. डी. सब प्लान

1.	कलिन्जरा	बांसवाड़ा	23.23	24.03
2.	सोनरिया	"	28.21	28.00
3.	वागरी	"	13.14	12.99
4.	भीर	"	12.39	12.75
5.	नावागांव	"	4.61	3.90
6.	भाम्बेरी टीन्डी	"	19.92	19.82
7.	भवर खेड़ा	"	–	–
8.	खटवां	"	–	–
9.	ओगना खून्डा	उदयपुर	15.00	15.00
10.	जाडापीपला	"	10.00	10.00
11.	बंक्सा का नाका	"	3.00	3.00
12.	सागवाडा की पाल	"	10.00	10.00
13.	भांकरी का नाका	डूंगरपुर	–	–
14.	मचला (केम्प)	"	–	0.87
15.	कनपरीसिल का नाका	"	–	0.10
		योग:–	139.50	140.46
योग 'ए से ई'			770.18	793.99
पुरानी देनदारियों व बचे हुये कार्य			17.57	15.81
मुआवजा भुगतान			37.70	30.97
प्रशासनिक व्यय			174.55	179.00
		महा योग:–	1000.00	1019.77

सपोटरा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

155. श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा): क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की 80 प्रतिशत जनता पूर्णतः पशुधन पर निर्भर है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में पशु चिकित्सा की समुचित व्यवस्था है। यदि हां, तो क्या यह पर्याप्त है ?

(3) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में निम्न स्थानों पर पशु चिकित्साय खोलने का इरादा रखती है। (क) हाड़ोती (ख) कुडगांव (ग) नारोली (घ) इनामती (च) दौलतपुरा (छ) जीरोता (ज) गेजई (झ) लांगरा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि मुख्य व्यवसाय है तथा पशु पालन पर निर्भरता कृषि के बाद आती है।

(2) आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अभी स्थानों का चयन नहीं किया गया है।

छीपाबड़ौद में छात्रावास

156. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छीपाबड़ौद का प्रस्तावित समाज कल्याण छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(2) अब कब तक इस छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) छीपाबड़ौद छात्रावास निर्माण हेतु जिलाधीश, कोटा द्वारा पूर्व में ग्राम हरनावदा जागीर के खसरा नम्बर 239 में आवंटित भूमि डूब में आने की आशंका के कारण अनुपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप उपयुक्त भूमि का चयन कर इसी ग्राम हरनावदा जागीर में खसरा नम्बर 42 में नया आवंटन जिलाधीश, कोटा से करवाया जा रहा है।

(2) जिलाधीश, कोटा द्वारा भूमि आवंटन होते ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से छात्रावास निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

बांसवाड़ा जिले में सड़क निर्माण

157. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 3 वर्षों में बांसवाड़ा जिले में कितनी सड़कें अकाल राहत कार्यों में बनवाई गई हैं उनमें से कौन-कौनसी सड़कें अधूरी हैं ? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अधूरी सड़कों को कब तक किस माध्यम से पूरा करा दिया जायेगा ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त जिले में ग्राम पंचायत हेड क्वार्टर्स को व बड़ी

(श्री बहादुर सिंह)

जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संवत् 2044 में कुल 250 सड़क कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत हुए थे, इन में से 134 सड़कों का कार्य पूर्ण किया गया था, व 19 सड़कों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। शेष 97 सड़कों का कार्य अधूरा रह गया, जिसकी पंचायत समितिवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां, उपलब्ध वित्तीय साधनों के द्वारा सन् 1971 की जनगणना के आधार पर जिन पंचायत मुख्यालयों की जनसंख्या 1000 से ज्यादा है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु प्रयास किया जाता है।

(3) जिले का मास्टर प्लान बनाया हुआ है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जायेंगे।

पंचायत समितिवार सम्वत् 2044 में स्वीकृत एवं अधूरे अकाल राहत कार्यों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम
1	2

बांसवाड़ा (मु० तलवाड़ा)

1–बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सड़क
2–हवाई पट्टी तलवाड़ा
3–लीमथान सामरिया सीयापुर
4–बरोडा आमली खेडा वाया भीमगढ़
5–बीरपुर से नाथपुर वाया कुलर खेडी
6–संगेसरी महेशपुरा सड़क
7–सम्पर्क सड़क महेशपुरा
8 सम्पर्क सड़क कुआला
9–नवागांव गामदा वाया अम्बापुरा
10–बीरपुर नाथपुरी वाया पलासवानी
11 तलवाड़ा भीमपुर
12–बीरपुर नालदा
13–करजीपाडी रोड
14–बांसवाड़ा रतलाम रोड़
15–ठीकरिया सालिया वाया सीयापुर
16–लोधा ठिकरिया रोड़
17–श्यामपुरा सागतलाई
18–तलवाड़ा त्रिपुरा सुन्दरी
19–बांसवाड़ा रतलाम रोड़ कलेक्ट्री के पास
20 डाक बंगलों से मोहन कालोनी
21–बासीडायलाब सड़क
22–विठल देव तलवाड़ा

1	2
23 दोहर विठलदेव सड़क	28–तलवाडीया त्रिपुरा सुन्दरी वाया सुनाखान
24-सूरपुर शाहपुरा	29–दोहद से लाम्बापाड़ा
25-साकरिया नवागांव सड़क	30–सूरपुर तेजपुर वाया बनाला
26–डूंगरपुर से आदर्श नगर	31–घाटोल माकोद सड़क
27–डूंगरपुर वाया भावनखेड़ी	32–उदयपुर घाटोल वाया कांकरा डूंगरी

घाटोल पंचायत समिति

1-घाटोल भूंगडा वाया गागरी
2-भूंगडा उदाजी का घड़ा
3 डूंगरिया मुडासेल
4-पडोली गोर्वधन बस्सी रोड़
5-घाटोल नेगरेट रोड़
6-सम्पर्क सडक कुवानिया
7-सम्पर्क सडक बडाना बस्सी
8-डूडका देलवाडा
9-देलवाडा खमेरा
10-गनोडा घाटोल
11-घाटोल भूंगडा गागरी
12-सम्पर्क सडक बडाना
13-बस्सी बडाना सड़क
14-मोटागांव सालिया, आम्बाडाबरा
15-चन्दूजी का गढा पडोली राठोड
16-मंगाणा पडोली राठोड
17-सरोदिया नरवाली सड़क
18-रूपजी का खेडा रामली वाया महापुरा
19-नाडा रूपजी का खेड़ा
20-देवदा ओडवाड़िया सड़क
21-डागल से रावतपुरा सड़क

पंचायत समिति गढ़ी

1-कुशलकोट परसोलिया
2-भीमपुर चिरावला गढा
3-रैयाना आमजा पनासी
4-सुदाजी का गढा ठीकरिया
5-अरथुना थाली तलाई
6-मलाना फलाना
7-गनोडा पालोदा
8-बांसवाड़ा डूंगरपुर सड़क
9-वाडियां रतनपुरा सड़क
10-बस्सी बन्दनसिंह से लसाडा सड़क
11-लोहारिया मोटागांव सड़क
12-रैयाना आमजा वाया बादला जला
13-कुशलकोट गोसाई का पाड़ा
14-केशरपुरा पाडी वाया गोसाई का पाड़ा

322

1	2
15–मोर साकिया सड़क	17–मुवासा अखेपानजी का गढ़ा
16–मेतवाल बाई का गढ़ा	18–एप्रोच सड़क करणपुर से सरेडी

पंचायत समिति पीपलखूंट

1–फेफर दानपुर सड़क
2–चित्तौड़ बांसवाड़ा
3 दानपुर सालमगढ़
4–सम्पर्क सड़क मकनपुरा
5–सम्पर्क सडक पृथ्वीपुरा
6–सम्पर्क सड़क खजूरी
7–सम्पर्क सड़क सोडलपुर
8–सम्पर्क सड़क कूंपडा
9–माहीडेम लाम्बाडाबरा
10–दानपुर डूंगला वाया कालाखेत
11–पीपलखूंट बोरी वाया मोडिनिया
12–सेमलिया बांध घाटी वाया सूरपुर
13–ढेचला हेगरा घाटी वाया गनोड़ा
14–घोडी तेजपुर, रणपुर वाया गावरवा मोरिया
15–पृथ्वीपुरा घंटाली भागदिया
16–डूंगलावानी धारजी का घाटा

पंचायत समिति बागीदौरा

1–बडोदिया नौगामा
2–शेरगढ़ डाबरी फलवा
3–बडादिया करजी बुडवा
4–पाडलिया बडोदिया
5–छींछ नौगामा पिण्डारमा

पंचायत समिति आनन्दपुरी (भुखिया)

1–आनन्दपुरी डोकर
2–कुबा आनन्दपुरी

पंचायत समिति सज्जनगढ़

1–लिंक रोड भिलकुआ-कुशलगढ़-उदयगढ़
2–चौरा कसारवाड़ी
3–सज्जनगढ़ इटाला

323

चूरू जिले में वृक्षारोपण

158. रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले की विभिन्न तहसीलों में 1986–87, 1987–88 एवं 1988–89 में कुल कितने पौधे लगाये गये ? उनमें से कुल कितने पौधे आज तक जीवित हैं तथा कितने मर गये ? इन पर कितनी योजनाओं से कुल खर्चा कितना हुआ ? तहसीलवार, वर्षवार संख्या व व्यय के आंकड़े की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस साल कहां-कहां पर कितने-कितने पौधे लगाने का कार्यक्रम है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले की विभिन्न तहसीलों में वन विभाग द्वारा वर्ष 1986–87, 87–88 में लगाये गये पौधों की तहसीलवार, वर्षवार संख्या जीवित पौधों की संख्या एवं व्यय के आंकड़े सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" तथा "ख" के अनुसार रख दिये गये हैं। वर्ष 88–89 में कोई नवीन वृक्षारोपण नहीं करवाया गया है।

(2) इस साल 1989–90 में लगाये जाने वाले पौधों का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ग" के अनुसार रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

चूरू जिले की विभिन्न तहसीलों में किये गये वृक्षारोपण की तहसीलवार वर्षवार संख्या जीवित पौधों की संख्या एवं व्यय का विवरण वर्ष 1986–87

(मानसून वर्ष 1986)

क्र.सं.	नाम तहसील	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	कुल व्यय (मार्च, 89 तक) लाखों में
1	2	3	4	5
1.	रतनगढ़	57000	44600	7.44
2.	श्री डूंगरगढ़	43500	28690	7.41
3.	चूरू	52000	30950	5.08
4.	तारानगर	77400	51268	6.14
5.	सुजानगढ़ (छापर)	30500	17918	6.15
6.	सरदारशहर	83200	58500	8.03
7.	राजगढ़	22000	21000	2.08
		365600	252926	42.33

1	2	3	4	5

परिशिष्ट 'ख'

वर्ष 1987–88 (मानसून वर्ष 1987)

1.	चूरू	235200	171513	27.45
2.	सुजानगढ़ (छापर)	212500	192110	23.84
3.	रतनगढ़	277160	234701	31.97
4.	श्रीडूंगरगढ़	179990	143406	21.44
5.	सरदारशहर	342150	324156	37.80
6.	तारानगर	205500	233975	27.82
7.	राजगढ़	307920	215400	34.13
		1820420	1515261	204.45

विशेष:-वर्ष 1988-89 (मानसून वर्ष 1988) में वृक्षारोपण कार्य नवीन कार्य नहीं कराया गया है। परिशिष्ट ग-संलग्न है।

परिशिष्ट 'ग'

चूरू जिले में वर्ष 1989 मानसून में लगाये जाने वाले पौधों का विवरण

तहसील का नाम 1	कार्यस्थल का नाम 2	पौधे जो लगाये जाने हैं 3
1, श्रीडूंगरगढ़	1. सालासर	34000
	2. समन्दसर	40000
	3. मोजास	18800
	4. लाखासर	6000
	5. लिखमीसर	6000
	6. डूंगरगढ़ बीदासर सड़क	10000
2. सरदारशहर	1. तालसर	32000
	2. धड़सीसर	39200
	3. हरदेसर	32000

1	2	3
	4. भादासर	24000
	5. उदासर	10000
	6. सरदारशहर	8000
	7. सरदारशहर-पल्लु सड़क	10000
3. रतनगढ़	1. राजलदेसर	30000
	2. भानूदा	24000
	3. कादिया	20000
	4. लाछडसर	18800
	5. परसनेऊ	8800
	6. रतनगढ़	8000
4. राजगढ़	1. नोरंगपुर	20000
	2. चान्दगोठी	34080
	3. साखणताल	20000
	4. ददरवा	40000
	5. खेरूवडी	22000
	6. थिरपाली छोटी	26400
	7. हरपालू रामधन	4000
	8. नर्सरी राजगढ़	6000
5. चूरू	1. गाजसर	40000
	2. चलकोई	24800
	3. भैरूसर	28000
	4. ढाढरिया	8000
	5. चूरू-भालेरी सड़क	10000
6. तारानगर	1. साहवा	41200
	2. बुचावास	20000
	3. भीखारया	20000
	4. धीरवास	8400
	5. तारानगर साहवा सड़क	10000
7. सुजानगढ़	1. चरला	24000
	2. सारोठियां	20800

326

1	2	3
	3. लालगढ	36000
	4. तालछापर	46800
	5. साण्डवा	12000
	कुल योगः–	9020000

राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के चुनाव

159. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों, प्राथमिक क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, जिला सहकारी भूमि विकास बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से अधिकांश के चुनाव राजस्थान में हुए लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन चुनावों के साथ साथ ही इनकी राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं (शीर्ष सहकारी संस्थाओं) के चुनाव कराने की भी घोषणा की थी ? यदि हां, तो यह घोषणा कब कब चुनाव कराने की, की थी ? लेकिन उस वक्त चुनाव नहीं कराए गये और उसके बाद भी कई बार घोषणायें की गई और फिर भी अब तक चुनाव नहीं कराये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो किन तिथियों में ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, प्राथमिक सहकारी समितियां व शीर्ष सहकारी संस्थाओं का चुनाव कार्यक्रम एक साथ ही अक्टूबर, 1986 में जारी किया था पर कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव पर न्यायालय से स्थगन आदेश आने एवं विभिन्न प्रशासनिक कारणों से अलग अलग समय पर उनके चुनाव होने तथा सम्पूर्ण निर्वाचक सभा नहीं बनने के कारण शीर्ष संस्थाओं के चुनाव अभी तक नहीं कराये जा सके।

इसी बीच कई प्राथमिक सहकारी समितियां, अपने कार्यकाल का लगभग दो तिहाई समय पूरा कर चुकी है। अतः यदि इनके आधार पर शीर्ष संस्था का चुनाव तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये होता है और एक वर्ष बाद अधिकांश प्राथमिक संस्थाओं के चुनाव होकर नई समितियां बनती हैं तो उनके हिसाब ऐसी शीर्ष संस्थाओं का प्रतिनिधि संस्था का स्वरूप नहीं रहेगी। अतः इस विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। चुनाव कराने व उसके लिये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा उसके बाद ही हो सकेगी।

सिद्धमुख एवं नोहर फीडर

160. श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिद्धमुख व नोहर फीडर के निर्माण में अब तक कितना खर्चा किया गया ? कब तक बनकर तैयार हो जाएगी ?

(2) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने इन नहरों के लिए स्वीकृति प्रदान करदी ?

(3) अन्तर राज्य बिजली पानी संबंधी समझौते में इन दोनों नहरों का कितने क्यूसेक्स पानी राजस्थान राज्य को हरियाणा से प्राप्त होगा ?

उत्तर

(1) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। केवल वर्ष 1987-88 व 88-89 में अकाल राहत कार्यक्रम के तहत लगभग 20 लाख रुपये का इन योजनाओं के कुछ हिस्सों पर मिट्टी का कार्य रोजगार देने के लिये किया गया था। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि योजना आयोग की स्वीकृति व वांछित धनराशि के आवंटन पर निर्भर करेगी।

(2) जी नहीं।

(3) 31-12-81 के अन्तर्राज्यीय समझौते व 15-1 82 के केन्द्रीय सरकार के सिंचाई सचिव के निर्णय के अनुसार रावी व्यास नदियों के अधिकाय जल में नोहर व सिद्धमुख योजनाओं के लिये राजस्थान सरकार अपने हिस्से के पानी 8.6 मी. ए. फी. में से 0.47 एम. ए. एफ पानी का उपयोग कर सकती है। राजस्थान राज्य को इन दोनों योजनाओं के लिये 791 क्यूसेक्स पानी राजस्थान हरियाणा सीमा पर प्राप्त होगा।

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम में अनावश्यक खरीद

161. श्री हरीश शर्मा (खानपुर) व श्री मांगी लाल मेघवाल (पाटन) एवं श्री किरोड़ी लाल मीणा (महुआ) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि 24.3.1988 के राज्यादेश "राजकीय व्यय में मितव्ययता वर्ष 1988-89" का उल्लंघन कर राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम, जयपुर में प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनावश्यक खरीद पर निगम का लाखों रुपया व्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) निगम कार्यालय में पूर्व में कितने टाईपराइटर मशीनें थीं, कब-कब कितनी-कितनी कीमत पर खरीदी गई तथा उनकी नीलामी से कितनी धनराशि की आय निगम को प्राप्त हुई ?

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा 5-6 इलेक्ट्रोनिक टाईपराइटर मशीनें एवं एक फोटो स्टेट मशीन नई खरीदी गई ? यदि हां, तो कुल कितना धन व्यय हुआ और कहां से खरीद की गई ?

(4) क्या उक्त खरीद के लिए निविदाएं समाचार-पत्र में प्रकाशित की गई

(श्री हरीश शर्मा)

थीं ? यदि हां तो कौन से समाचार-पत्र में विज्ञप्ति जारी की गई ?, यदि नहीं की गई तो क्यों ?

(5) उक्त टाईप मशीनों को आपरेट करने के लिए क्या नए सिरे से प्रशिक्षित टकरण लिपिकों की भर्ती की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितने नियुक्त किये गये ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त प्रशासनिक व्यय की पूर्वानुमति नहीं ली गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । कोई अनावश्यक खरीद नहीं की गई।

(2) निगम कार्यालय में टंकरण यंत्र उपलब्ध थे जिनमें से 6 हिन्दी के व 4 अंग्रेजी के थे, तथा उन्हें नीलाम नहीं किया गया है। ये टंकरण यंत्र निगम मुख्यालय तथा विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में स्थापित अनुसूचित जाति प्रकोष्ठों में काम में ली जा रही हैं।

-निगम कार्यालय में पूर्व में जो टंकरण यंत्र उपलब्ध थे उनकी प्रत्येक की कीमत का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर दिया हुआ है।

(3) यह गलत है। निगम में केवल एक इलेक्ट्रोनिक टंकरण यंत्र क्रय किया गया है, इसका मूल्य रुपये 18,177/– है तथा 5 इलेक्ट्रिक टंकरण यंत्र क्रय किये गये थे, उनक कुल क्रय मूल्य रुपया 34,484,37 है तथा एक फोटोकॉपियर मशीन का क्रय किया गया है जिसका मूल्य 68,000/– है।

इलेक्ट्रिक टंकरण यंत्र डी. जी. एस. एण्ड डी. रेट कन्ट्रक्ट पर भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली से क्रय किये गये हैं। इलेक्ट्रोनिक टंकरण यंत्र राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर से क्रय किया गया।

फोटो कॉपियर्स मशीन मैसर्स एच. सी. एल. लि. (रिप्रोग्राफिक्स डिविजन सहारनपुर रोड निरंजनपुर पी. ओ. मार्जा, देहरादून से रुपया 68,000/– में डी. जी. एस. एण्ड डी./सी. एस. पी. ओ. द्वारा अनुमोदित दरों पर क्रय की गई थी।

(4) चूंकि उपरोक्त समस्त खरीद डी. जी. एस. एण्ड डी/सी. एस. पी. ओ. द्वार अनुमोदित दरों पर क्रय की गई थी अत:समाचार पत्रों में विज्ञप्ति देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(5) केवल मात्र टंकरण मशीनों को ऑपरेट करने हेतु टंकरण लिपिकों की नई भर्ती नहीं की गई।

(6) उपरोक्त समस्त क्रय निगम के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी की पूर्वानुमति के बाद ही की गयी थी।

परिशिष्ट "क"

पूर्व में निगम द्वारा क्रय की गयी मशीनों का विवरण इसी प्रकार है :–

क्र.सं.	क्रय वर्ष		क्रय मूल्य	भाषा	मेक
1.	20.11.80	1980	2385.00	हिन्दी	गोदरेज
2.	20.11.80	1980	2890.00	हिन्दी	गोदरेज
3.	3.4.81	1981	2531.00	अंग्रेजी	गोदरेज
4.	24.12.81	1981	5170.00	अंग्रेजी	फेसिट
5.	30.6.81	1981	4460.28	अंग्रेजी	गोदरेज
6.	30.6.82	1982	6579.00	अंग्रेजी	फेसिट
7.	8.2.84	1984	5472.00	हिन्दी	रेमिंगटन रैण्ड
8.	13.8.85	1985	5089.00	हिन्दी	रेंगिटन ,,
9.	5.11.85	1985	5399.00	हिन्दी	हाल्डा
10.	3.11.85	1985	4488.00	हिन्दी	,,

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 251 की सूची

कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली

करौली क्षेत्र में अभियान के तहत बनाये गये अनाधिकृत पंचनामों की सूची

क्र.सं.	पंचनामा बनाने की तिथि	खनिज क्षेत्र का नाम	खनिज की मात्रा	पंचनामा जिसके विरुद्ध बनाया गया।	बनाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	7.12.88	मकनपुर (गोरका तालोब) बाटदा	165 टन	1. श्री अजयसिंह करौली	श्री जे. के. देवतवाल, खनि अभियन्ता (सतर्कता) भरतपुर
				2. ,, हंसराम गुर्जर, करौली,,	श्यामलाल श्रीमाली, एस. एम. एफ.
				3. ,, मांगीलाल हरदेनिया, करौली	श्री तुलसीराम शर्मा, श्री मोहनलाल अग्रवाल सर्वेक्षक
2.	15.12.88	हरनगर (करौली)	निल	श्री मूला माली आदि निवासी महू	श्री तुलसीराम शर्मा, एस.एम.एफ. करौली
3.	22.12.88	राजस्व सीमा (गुरदा)	183 टन	श्री हरिचरण लाल जिन्दल, करौली,	श्री पी.सी. सांभी (प्रखग्र) (सतर्कता) जयपुर ,, श्यामलाल श्रीमाली, श्री तुलसीराम शर्मा, एस. एम. एफ.।

1	2	3	4	5	6
4.	22.12.88	राजस्व सीमा बहरदा (गुरदा)	544 सीएफटी	श्री एस. के. बाजोरिया, जयपुर	,, ,,
5.	24.12.88	मामचारी	1000 सीएफटी	श्री रामभरोसी मीना, मामचारी	श्री वी. एन. माथुर, खम्र. करौली श्री के. आर. शर्मा ख.प्र (सतर्कता) भरतपुर।
6.	28.12.88	बहादुरपुर लाटनं.1	450 सीएफटी	नाम पता मालुम नहीं	श्री टी. एन. माथुर, ख.प्र. करौली। श्री तुलसी राम शर्मा, एस. एम. एफ., श्री एम. के. माथुर, सर्वेयर, करौली।
7.	28.12.88	,,	600 ,,	,,	,, ,,
8.	28.12.88	,,	160 ,,	श्री रविन्द्र भारद्वाज करौली	,, ,,
9.	28.12.88	,,	45 ,,	,, ,,	,, ,,
10.	28.12.88	,,	550 ,,	,, ,,	श्री वी. एन. माथुर, ख.प्र. करौली। श्री के. आर. शर्मा, ख.प्र. (सतर्कता) भरतपुर। श्री एम. के. माथुर, सर्वेयर करौली।
11.	28.12.88	,,	600 ,,	श्री रविन्द्र भारद्वाज, करौली	श्री वी. एन. माथुर ख.प्र. करौली। श्री टी. आर. शर्मा एस. एम. एफ. श्री एम. के. माथुर, सर्वेयर करौली।
12.	28.12.88	,,	1080 टन	,, ,,	,, ,,

1	2	3	4	5	6
13.	28.12.88	प्लाट नं. 5 ममानपुर वाटदा	27 नग सैण्डस्टोन	नाम पता अंकित नहीं है	श्री अब्दुलशकूर ख. अ. सर्तकता जयपुर श्री सीताराम शर्मा, एम. एफ. जयपुर
14.	28.12.88	प्लाट नं. 4 मकनपुर वाटदा	29 नग ,,	,, ,,	,, ,,
15.	29.12.88	प्लाट नं. 5 मकनपुरा वाटदा	340 टन ,,	,, ,,	,, ,,
16.	29.12.88	प्लाट नं. 5 मकनपुरा	972 टन ,,	,, ,,	,, ,,
17.	29.12.88	प्लाट नं. 5 मकनपुरा	170 टन ,,	,, ,,	,, ,,
18.	29.12.88	प्लाट नं. 5 मकनपुरा	85 टन ,,	,, ,,	,, ,,
19.	30.12.88	चरीकाहार	25 नग सैण्डस्टोन	श्री रविन्द्र भारद्वाज करोली विभागीय गोदाम में, सरकारी ट्रक द्वारा	श्री बी. एन. माथुर, ख. अ. करोली । श्री अब्दुलशकूर ख. अ. सर्तकता, जयपुर श्री रामजीलाल मीणा, स. ख. अ. सवाई माधोपुर व अन्य स्टाफ ।
20.	23.12.88	प्लाट नं. 1 भंवरपुरा	लाया गया निल	अनाधिकृत खननकर्त्ताओं के नाम पते मालूम नहीं है।	श्री के. आर. शर्मा. ख. अ. सतंकता, भरतपुर, श्री टी. आर. शर्मा. एस. एम. एफ. करोली, श्री मोहनलाल सर्वेयर भरतपुर ।

1	2	3	4	5	6
21.	5.1.89	बहराई (कोटाखावर)	500 सी एफ टी	श्री कल्याणप्रसाद ठेकेदार	श्री के. आर. शर्मा, ख. अ. सतर्कता, भरतपुर, श्री एम. एल. अग्रवाल, सर्वेयर भरतपुर।
22.	5.1.89	दीवसुपुरा (महुावपुरा)	180 टन	श्री बोधाराम नि. रतियापुर	"
23.	6.1.89	लोटदा (करोली)	100 टन	श्री रामसिंह अर्जुनपुरा	"
24.	5.1.89	महुवाखेड़ा करोली	200 सी एफ टी	श्री हरिओम, गुट्टा, सरमथुरा	"
		करोली क्षेत्र में अभियान के पश्चात् माह जनवरी, 89 से 4.7.89 तक खनि. अभि, करोली द्वारा बनाये गये पंचनामों की सूची			
1.	24.1.89	बहुआपुरा करोली	169 टन	श्री बहादुरसिंह ठेकेदार करोली	श्री बी. एन. माथुर, ख. अ. करोली।
2.	11.4.89	टोकेपुरा (मण्डरायल)	30,400 के.जी.	श्री कल्याण पुत्र प्रभुदयाल, घोरेटा	श्री तुलसीराम शर्मा, एस. एम. एफ. करोली
3.	11.4.89	गैप एरिया मकनपुर वाटदा प्लाट नं. 3 व 6	40 सी. एफ. टी.	अनाधिकृत खननकर्त्ताओं के नाम पते मालूम नहीं है।	एजन
4.	26.4.89	बहुआपुरा करोली	1600 सी. एफ. टी.	एजन	श्री एम. जी. व्यास, ख. अ. सतर्कता, भरतपुर व श्री एम. एल. अग्रवाल, सर्वेयर, भरतपुर
5.	26.4.89	कसारा करोली	60 नग पट्टी	अनाधिकृत खननकार्य वक्त चैकिंग बन्द पाया	एजन

1	2	3	4	5	6
6.	26.4.89	मकनपुरा बाटदा	150 टन	श्री हंसराज गुर्जर, करौली	श्री अब्दुलशकूर, ख.अ. सतर्कता, जयपुर व श्री सीताराम एम. एफ, जयपुर ।
7.	26.4.89	मकतपुरा बाटदा	25 टन	श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, बाटदा	एजन
8.	2.5.89	प्लाट नं. 4	165 सी.एफ.टी.	श्री रंगीलाल ठेकेदार, करौली	श्री डी. पी. शर्मा, स. ख. अ. करौली ।
9.	3.5.89	टोकेपुरा (धोरेटा)	200 सी.एफ.टी.	श्री गणेश शर्मा, धोरेटा	एजन
10.	4.5.89	अलवत की ग्वारी	100 सी.एफ.टी.	नाम पता मालूम नहीं किया जा सका	श्री बी. एन. माथुर ख. अ. करौली, श्री एम. के. माथुर सर्वेयर, करौली
11.	4.5.89	बहुआपुरा करौली	शून्य	श्री बहादुरसिंह ठेकेदार पुरानी ट्रक यूनियन करौली	श्री बी. एन. माथुर ख. अ. करौली, श्री एम. के. माथुर सर्वेयर, करौली
12.	24.6.89	खेड़ा (कुण्डावाली खान)	93.6 सीएफटी	श्री चिरंजीलाल गुर्जर, कन्हैयापुरा	श्री एम. के. माथुर, सर्वेयर, करौली श्री ललितसिंह राजावत, ए.सी. एफ. करौली (वन विभाग)
13.	29.6.89	प्लाट नं. 3	3.6 सी.एफ.टी	नाम पता मालूम नहीं ।	श्री जी.एल. कटारिया, स.ख.अ. करौली श्री एम. के. माथुर, सर्वेयर, करौकी श्री सुरेन्द्र विजय सिंह, क्षेत्रिय वन अधिकारी, करौली, वन
14.	29.6.89	प्लाट नं. 3	105 सी.एफ.टी.	एजन	एजन
15.	2.7.89	लौटदा (करोली)	7 टन	श्री नादान पुत्र खेमाजाटव नि. कोरीपुरा	श्री एम. के. माथुर, सर्वेयर, करौली ।

335

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 252 की सूची

भरतपुर जिले में वर्ष 1988 में भरे गये बांधों की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	भराव क्षमता मि. घ. फु.	भराव या पानी मि. घ. फु.	
1.	अजक बांध	89.00	50.00	एम. सी. एफ. टी.
2.	हुसाना बांध	20.00	6.00	एम. सी. एफ. टी.
3.	लालपुर	260.00	139.00	"
4.	सेवर अपर बांध	200.00	48.00	"
5.	मुरवारा बांध	122.00	15.00	"
6.	सहू बांध	65.00	36.00	"
7.	निकपुर बांध	78.40	39.00	"
8.	सेवर लोवर	71.00	42.00	"
9.	भाटावाली बांध	135.00	19.00	"
10.	सीता बांध	76.64	32.00	"
11.	गुढी बांध	3.75	2.00	"
12.	बोराज	12.50	5.00	"
13.	मोन्डा बांध	3.50	0.90	"
14.	जगजीवनपुर बांध	2.00	0.25	"
15.	रायपुर	6.50	1.60	"
16.	रानीवाला बांध	17.00	8.00	"
17.	रकोरी बांध	6.00	1.50	"
18.	मोहरी	20.00	4.50	"
19.	लोहसा	10.00	1.00	"
20.	बेजरा बांध	12.00	6.00	"
21.	बोराई बांध	19.00	9.00	"
22.	भन्डोरा बांध	17.90	5.00	"
23.	अडयी बांध	4.00	0.58	"
		1245.29	472.11	एम. सी. एफ. टी.

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 256 की सूची

क.सं.	नाम जिला	नाम नगर जिसमें गैस वितरण की व्यवस्था है।
1.	अजमेर	अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़
2.	अलवर	अलवर
3.	बाड़मेर	बाड़मेर, बालोतरा
4.	बून्दी	बून्दी
5.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
6.	भरतपुर	भरतपुर, डीग
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
8.	बीकानेर	बीकानेर, नौखा
9.	चूरू	चूरू, सरदार शहर, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़
10.	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, रावतभाटा
11.	डूंगरपुर	डूंगरपुर
12.	श्री गंगानगर	सूरतगढ़, रावतसर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
13.	जयपुर	जयपुर, दौसा, चौमूं
14.	जोधपुर	जोधपुर, फलौदी, बिलाड़ा
15.	जैसलमेर	जैसलमेर
16.	जालौर	जालौर
17.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं, पिलानी, खेतड़ी
18.	झालावाड़	झालावाड़, झालरापाटन
19.	कोटा	कोटा, बांरा
20.	नागौर	कुचामन, मकराना, नागौर
21.	पाली	पाली, सोजत
22.	सीकर	लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़
23.	सवाई माधोपुर	हिण्डौन, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुरसिटी
24.	सिरोही	आबूरोड़, माऊन्ट आबू, सिरोही
25.	टोंक	टोंक
26.	उदयपुर	कांकरोली, उदयपुर, जावरामाईन्स
27.	धौलपुर	धौलपुर

337

परिशिष्ट- 7

तारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची

परिशिष्ट-"क"

टोंक जिले में सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत के लिए वर्ष 1988-89 में आवंटित व खर्च की गयी राशि का विवरणः-

क्र.सं.	कार्य का नाम	आवंटित राशि	खर्च की गई राशि	विवरण
1.	2	3	4	5
1.	सा. नि. वि. खण्ड टोंक			
प्र.	साधारण मरम्मत	40.00 लाख	45.13 लाख	इसमें सड़कों पर पेच रिपेयर, वार्षिक मरम्मत, मजदूरों का वेतन आदि दिये जाते हैं।
ब.	रिन्युअल एवं विशेष मरम्मत	38.67 लाख	30.14 लाख	( )
स.	बस बेज आदि के मूल कार्य	1.33 लाख	0.73 लाख	
		80.00 लाख	76.00 लाख	
2.	टोंक शहर में रा. उ. मार्ग नं. 12 का भाग :-			
प्र.	साधारण मरम्मत	1.95	1.90	
ब.	रिन्यूअल एवं विशेष मरम्मत	8.05	4.81	
		10.00 लाख	6.71 लाख	

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	जिले का नाम	सड़कों के रख-रखाव हेतु वर्ष 88-89 में आवंटित राशि	सड़कों की डामर	लम्बाई डब्ल्यू. बी.एम.	कि.मी. में ग्रेवल	मौसमी	कुल
1.	अजमेर	293.00	1769	203	198	–	2170
2.	अलवर	200.00	1827	151	66	–	2044
3.	बांसवाड़ा	135.00	985	103	121	–	1209
4.	बाड़मेर	114.00	2261	303	8669	–	3233
5.	भरतपुर	160.00	1145	105	10	–	1260
6.	भीलवाड़ा	228.00	1648	311	1299	30	3288
7.	बीकानेर	277.00	2027	66	503	–	2596
8.	बून्दी	110.00	727	129	176	32	1064
9.	चित्तौड़गढ़	190.00	1402	247	265	–	1914
10.	चूरू	200.00	1328	89	251	17	1685
11.	धौलपुर	100.00	589	150	46	36	821
12.	डूंगरपुर	110.00	808	115	190	–	1113
13.	श्रीगंगानगर	328.00	2663	9	6	–	2678
14.	जयपुर	593.75	2499	257	24	–	2770
15.	जैसलमेर	46.00	1451	87	625	64	2227
16.	जालौर	137.00	983	210	320	38	1551
17.	झालावाड़	100.00	724	93	73	12	902
18.	झुन्झुनूं	160.00	1216	203	28	–	1447
19.	जोधपुर	366.00	2998	323	1268	–	4589
20.	कोटा	313.45	1360	82	4	50	1496
21.	नागौर	209.00	1817	364	1063	–	3244
22.	पाली	192.00	1574	456	1327	–	3357
23.	सवाईमाधोपुर	200.00	1285	101	132	–	1518
24.	सीकर	120.00	1126	118	375	–	1619
25.	सिरोही	90.00	856	96	189	–	1141
26.	टोंक	90.00	677	78	174	24	953
27.	उदयपुर	438.00	2796	320	673	123	3912
	योग	5500.00	40541	4759	10075	426	55801

339

परिशिष्ट "अ"

-85	वर्ष 1985-86	वर्ष 1986-87	वर्ष 1987-88
	17,38,021	19,00,275	20,89,080
	48,081	43,085	64,522
	3,17,448	2,41,145	1,27,823
	6,12,906	4,32,300	3,92,461
	4,82,001	3,46,473	1,87,453
	62,085	22,765	6,32,094
	4,71,041	2,78,022	7,19,914
	2,97,274	3,30,299	31,615
	2,48,758	1,71,815	1,50,000
	—	1,678	—
	—	—	—
	42,77,590	37,67,860	43,94,965
	3,17,879	13,47'367	96,889
	7,81,911	18,393	1-1 85,191
	19,34,993	8,94,295	67,39,549
	26,210	—	2,135
	1,98,561	5,41,918	1,70,304
	16,95,732	28,01,973	69,23,686

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची

चार्ज न देने वाले सरपंचों का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	पूर्व सरपंच का नाम
1.	भादवा	श्री उगमाराम
2.	हरनावा	श्री समुद्र सिंह
3.	रोहिण्डी	श्री मूलचन्द

(341)

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 272 की सूची

बांसवाड़ा जिले में नई सर्वे की गई परियोजनाओं की ग्रामवार सूची/नम्बर-एक

क्र.सं. 1	नाम परियोजना 2	नाम ग्राम 3	नाम तहसील 4	विशेष विवरण 5
1.	फेफर	फेफर	बांसवाड़ा	स्कीम सर्वे कर ली गई है।
2.	डाबरीमाल	डाबरीमाल	,,	,,
3.	कुण्डल	कुण्डल	,,	,,
4.	गणेश पाडला	गनेशपुरा	,,	स्कीम सर्वे कर राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है।
5.	कमलीपाडा	कमलीपाडा	,,	स्कीम सर्वे कर ली गई है।
6.	नवाखेडा	नवाखेडा	,,	स्कीम सर्वे कर राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है।
7.	पीपलोन	पीपलोन	कुशलगढ़	,,
8.	सीमेला	सीमेला	,,	स्कीम सर्वे कर ली गई है।
9.	देवकी का नाका	देवकी का नाका	,,	,,
10.	टिडीयादेव	टिडीयादेव	,,	,,
11.	हिम्मतगढ़ी	हिम्मतगढ़	,,	,,
12.	टिम्बा मडुड़ी	टिम्बा मडुडी	,,	,,
13.	चनावाला	चनावाला	,,	स्कीम सर्वे कर राज्य सरकार को भेज दी गई।
14.	बोरी बानघाटी	बोरी	घाटोल	,,
15.	कालीघाटी	कालीघाटी	,,	,,
16.	बखतोड	बखतोड	,,	,,
17.	कुण्डा	कुण्डा	,,	,,
18.	उदयगढ़ वसुनी	उदयगढ़	कुशलगढ़	,,
19.	खजुरा	खजुरा	,,	स्कीम सर्वे कर ली गई है।

सूची नम्बर-दो

डी.पी.ए.पी. व टी.ए.डी के अन्तर्गत-प्रस्तावित अधूरे रहे अकाल राहत के कार्य

क्र.सं.	कार्य का नाम	तहसील	लागत (लाखों में)	सिंचाई लाभ (हैक्टेयर में)
			डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत	
1.	नाल	बांसवाड़ा	40.00	70 हैक्टर
2.	खेडाबरा	बांसवाड़ा	21.50	24 हैक्टर
3.	बस्तोड	घाटोल	65.00	133 हैक्टर
4.	कालीघाटी	घाटोल	50.00	104 हैक्टर
5.	पन्थोल	घाटोल	40.00	70 हैक्टर
6.	कुण्डा	घाटोल	56.00	104 हैक्टर
7.	कोटड़ी बगायचा	कुशलगढ़	80.00	122 हैक्टर
8.	खुजुरा	कुशलगढ़	70.00	128 हैक्टर
9.	उदयगढ़ वासुनी	कुशलगढ़	18.27	25 हैक्टर
10.	उदयपुरा बड़ा	बागीदौरा	30.00	50 हैक्टर
		योग :	470.77	830 हैक्टर
			टी. ए. डी.	
1.	भवरखेडा	बांसवाड़ा	6.01	36 हैक्टर
2.	खटवा	बागीदौरा	14.58	75 हैक्टर
3.	हिम्मतगढी	कुशलगढ़	115.00	221 हैक्टर
		योग :	135.59	332 हैक्टर
		महायोग :	606.36	1162

शुद्धि - पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	35	5	श्री अयक्ष	श्री अध्यक्ष
2.	167	29	पुरः स्थापन	उपस्थापन
3.	317	11	(4 00 म. प.)	(4.00 म. प.)
4.	539	17	(गत्रि 10.00)	(रात्रि 10.00)